

राज्य वित्त वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन



भारतीय रिज़र्व बैंक

राज्य वित्त वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन



भारतीय रिज़र्व बैंक
मार्च 2011

भारत में	- 270 रुपये (सामान्य)
	- 300 रुपये (डाक प्रभार सहित)
	- 200 रुपये (काउंटर पर रियायती मूल्य)
	240 रुपये (रियायती डाक प्रभार सहित)
विदेश	- 29 अमरीकी डॉलर (हवाई डाक कूरियर प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2011

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है बशर्ते कि स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा अल्को कॉर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में अभिकल्पित और मुद्रित।

प्राक्कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक 'राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन' नामक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष तैयार करता है जिसमें राज्यों के वित्त से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यह वार्षिक प्रकाशन वर्ष 1950-51 से नियमित रूप से तैयार किया जाता है। वर्ष 1998-99 तक यह अध्ययन आरबीआई मासिक बुलेटिन का एक अंग हुआ करता था लेकिन वर्ष 1999-2000 से इसे अलग प्रकाशन का रूप दे दिया गया है। इसमें राज्यों के वित्त की, समेकित स्तर पर तथा अलग-अलग राज्यों के स्तर पर, विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट में विश्लेषण, अभिमुखीकरण, विस्तार तथा स्वरूप की दृष्टि से समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है ताकि उसे अधिक समसामयिक बनाया जा सके। लेकिन इसका समग्र उद्देश्य राज्य सरकारों के वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा समस्याओं का विस्तृत और आलोचनात्मक आकलन प्रस्तुत करना रहा है। वर्ष 2005-06 से इस अध्ययन की विश्लेषणात्मक विषय-वस्तु में, मध्यावधिक परिदृश्य में राज्यों के वित्त के विशिष्ट पहलुओं को शामिल करते हुए 'थीम आधारित' विश्लेषण के संबंध में एक अलग खंड जोड़कर, और सुधार लाया गया है। पिछले पांच वर्षों में विशेष थीम आधारित अध्यायों में 'राज्य सरकारों की बकाया देयताएं', 'सामाजिक क्षेत्र का व्यय', 'राज्य सरकारों के राजकोषीय अंतरण', 'राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां प्रवृत्ति और संघटन' और 'राज्य सरकारों के व्यय: प्रवृत्ति और संघटन' से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में भी यही पद्धति अपनाई गई है जिसके विशेष थीम आधारित अध्याय में 'भारत में वित्त आयोग: एक आकलन' शामिल किया गया है।

इस अध्ययन में राज्यों के वित्त के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं :

- वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान राज्यों की वित्त संबंधी गतिविधियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी का प्रभाव परिलक्षित होता है। वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यों के वित्त में कुछ कमी आने के बावजूद राज्यों के समेकित राजस्व लेखाओं से अधिशेष की स्थिति अभिव्यक्त होती है, हालांकि यह 2007-08 की तुलना में कम है। लेकिन समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव वर्ष 2009-10 में (संशोधित अनुमान) अधिक प्रखर था जब तीन वर्ष के अंतराल के बाद समेकित स्तर पर राजस्व घाटा पुनः देखने को मिला और सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक हो गया। वृद्धि की संभावनाओं में सुधार तथा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे में कमी आने का अनुमान है।
- वर्ष 2010-11 में (बजट अनुमान) राज्यों के वित्त में अधिक व्यापक सुधार अनुमानित है क्योंकि उम्मीद है कि अधिकांश राज्य वर्ष 2010-11 में अपने राजस्व लेखाओं में सुधार ला सकेंगे। राज्यों ने यह संकेत भी दिया है कि वे तेरहवें वित्त आयोग के सुझावों के अनुरूप राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करेंगे।
- वर्ष 2010-11 में राजस्व लेखों में सुधार मुख्यतः राजस्व व्यय में कमी (सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) के माध्यम से अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कमी रह जाने और उसके परिणामस्वरूप बाजार से अधिक उधार लिए जाने के बावजूद वर्ष 2009-10 में राज्यों के समग्र ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 25.0 प्रतिशत थे जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर रहे। उम्मीद है कि वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और कम होगा।

राज्य वित्त में विभिन्न गतिविधियों की प्रस्तुति के अलावा इस अध्ययन में राज्यों के लिए राजकोषीय कार्यक्रम, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभाव, माल और सेवा कर के प्रस्तावित आरंभ, व्यय की गुणवत्ता, राज्यों के नकदी शेष की स्थिति, राज्यों के बजटों में प्रकटीकरण और प्रसार तथा राज्य वित्त आयोगों का सुदृढ़ीकरण जैसे विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी विचार किया गया है।

वित्त आयोगों के आकलन के संबंध में थीम आधारित अध्याय में यह संकेत किया गया है कि वित्त आयोगों का कार्यक्षेत्र कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात तय करने और सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांतों के निर्धारण के संवैधानिक दायित्व से भी आगे बढ़ चुका है। वित्त आयोगों को राज्य सरकार के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण तथा उनके संबंध में अनुशंसा देने का काम भी सौंप दिया गया है। पिछले कुछ समय से, स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राज्य समेकन निधियों की मात्रा बढ़ाए जाने तथा राज्यों के ऋणों की स्थिति की भी वित्त आयोग जांच करते रहे हैं। अनुशंसित और बेंचमार्क (समकरण के सिद्धांत का प्रयोग करके) अंतरणों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में समकरण का घटक सबसे अधिक था क्योंकि अनुशंसित और बेंचमार्क अंतरणों के बीच का अंतर उस अवधि में सबसे कम था।

यह अध्ययन श्री दीपक मोहन्ती, कार्यपालक निदेशक के समग्र निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग में श्रीमती बलबीर कौर, परामर्शदाता के दिशानिर्देश और पर्यवेक्षण के अधीन श्री धृतिद्युति बोस (निदेशक), श्री राजीव जैन (सहायक परामर्शदाता) और श्री डी.के. राउत तथा श्री प्रभात कुमार (अनुसंधान अधिकारी) की टीम द्वारा तैयार किया गया है। अध्ययन के प्रारंभिक चरण में उक्त टीम को श्री बी.एम. मिश्रा (परामर्शदाता) से भी बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अध्ययन का काम श्रीमती आर.कौशलया (निदेशक) ने शुरू किया था। श्री पी.पी. जोशी, श्री बी.ए. रणखांबे, श्री ए.के. धरमपाल, श्री टी.आर. मुरलीधरन और श्रीमती ई.फर्नांडिस ने आंकड़ों के समेकन में सहायता प्रदान की।

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अध्ययन के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए। भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग ने भी इस काम में सहायता प्रदान की। इस अध्ययन के लिए राज्य सरकारों के वित्त विभागों से भी सहयोग प्राप्त हुआ तथा जानकारीयां मिलीं। इस अध्ययन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से भी बहुमूल्य तकनीकी जानकारीयां प्राप्त हुईं।

वर्ष 2001-02 से प्रारंभ करके इस तरह के संबंधित अध्ययन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध हैं। उक्त अध्ययन के पिछले अंक (1950-51 से) रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित केन्द्रीय पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं / आप के सुझावों का स्वागत है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं / अपने सुझाव निदेशक, राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को डाक से या ई-मेल से deprfad@rbi.org.in पर भेजें।

सुबीर गोकर्ण
उप गवर्नर

30 मार्च 2011

विषयसूची

पृष्ठ सं.

प्राक्कथन

संक्षेपाक्षर

अध्याय I: विहगावलोकन

1. परिचय	1
2. पूर्ववलोकन	1

अध्याय II: मुद्दे और परिदृश्य

1. परिचय	3
2. राज्यों के लिए संशोधित राजकोषीय कार्य-योजना	4
3. तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थ	4
4. माल और सेवा कर शुरू करना	5
5. व्यय प्रबंध	6
6. नकदी अधिशेष	7
7. राज्य बजटों में प्रकटीकरण तथा प्रसार	7
8. राज्य वित्त आयोगों का सुदृढीकरण	8
9. निष्कर्ष	8

अध्याय III: नीति संबंधी पहल

1. परिचय	9
2. राज्य सरकारें	9
3. भारत सरकार	14
4. भारतीय रिज़र्व बैंक	15
5. निष्कर्ष	16

अध्याय IV: राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

1. परिचय	17
2. लेखा : 2008-09	18
3. संशोधित अनुमान: 2009-10	19
4. बजट अनुमान : 2010-11	21
5. मूल्यांकन	29
6. निष्कर्ष	31

अध्याय V: राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार विश्लेषण

1. भूमिका	33
2. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक	34
3. राज्य सरकारों का राजस्व लेखा	38
4. राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति	45
5. निष्कर्ष	48

अध्याय VI: राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधारियां और आकस्मिक देयताएं

1. परिचय	49
2. बकाया देयताएं	49
3. राज्य-वार ऋण स्थिति	51
4. बाजार उधारियां	52
5. आकस्मिक देयताएं	56
6. चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन	56
7. नकदी शेषों के निवेश	56
8. ऋण समेकन और राहत	57
9. निष्कर्ष	57

अध्याय VII: भारत में वित्त आयोग: एक मूल्यांकन

1. परिचय	58
2. केन्द्र राज्य के वित्तीय संबंध: भारतीय संदर्भ	59
3. अधिदेश का विकास	60
4. केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का न्यागमन	64
5. समकरण की सीमा	72
6. निष्कर्ष	74

अनुबंध 1

2010-11 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें	76

बॉक्स सूची

III.1. राज्यों के स्तर पर मुद्रास्फीति और आपूर्ति पक्ष संबंधी उपाय	11
III.2. पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2010	13
IV.1. राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम तथा राज्य वित्त	25
V.1. राजकोषीय समेकन: राज्यों के लिए संशोधित कार्य-योजना	36

VI.1. राज्य बाजार उधारियों का प्रभावी प्रबंधन - लागत और अंतर	53
VII.1. केंद्र से राज्यों को अंतरण: समकरण की मात्रा	73

सारणी सूची

III.1. राज्य सरकारों द्वारा संस्थात्मक सुधार	14
IV.1. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक	17
IV.2. प्रमुख मदों में उतार-चढ़ाव - 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा)	18
IV.3. प्रमुख मदों में उतार-चढ़ाव - 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.)	20
IV.4. प्रमुख मदों में उतार-चढ़ाव-2009-10(सं.अ.) की तुलना में 2010-11(ब.अ.)	22
IV.5. राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां	23
IV.6. चुनिंदा सेवाओं की लागत की वसूली	24
IV.7. राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति	27
IV.8. कुल व्यय की तुलना में विकासात्मक व्यय	28
IV.9. राज्य सरकारों के सकल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति	29
IV.10. सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व तथा पूंजीगत लेखा) - संरचना	29
IV.11. राजस्व घाटा एवं सकल राजकोषीय घाटे में कमी-राज्यवार - 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.)	30
IV.12. सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति और उसका विघटन- 2008-09 (लेखा) से 2010-11 (ब.अ.)	31
IV.13. बजटीय आंकड़ों में घटबढ़-राज्य बजट और केंद्रीय बजट	31
V.1. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक	37
V.2. घाटा संकेतकों में विशेष तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का हिस्सा	38
V.3. राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां	40
V.4. राज्य सरकारों के राजस्व व्यय	42
V.5. राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति	47
VI.1. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं	49
VI.2. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत में)	51
VI.3. राज्य-वार ऋण जीएसडीपी स्थिति	52
VI.4. राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर प्रोफाइल (मार्च के अंत में)	53
VI.5. राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	54
VI.6. बकाया राज्य सरकार प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल	55
VI.7. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की औसत ब्याज दर	57
VII.1. विभाजन योग्य प्रमुख करों में राज्यों का अनुशंसित हिस्सा	65
VII.2. वित्त आयोगों द्वारा केंद्र से राज्यों की ओर अंतरणों का पैटर्न	71

चार्ट सूची

IV.1	ब्याज प्राप्तियों की प्रवृत्ति	23
IV.2	प्रतिबद्ध व्यय की संरचना	26
IV.3	पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक	27
IV.4	जीडीपी की तुलना में केंद्र से कर के न्यागमन तथा अनुदान का चक्रीय व्यवहार	28
V.1	गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर के अनुपात के रूप में वैट	41
V.2	गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का प्राथमिक राजस्व शेष से वित्तपोषण - 2009-10 (सं.अ.)	43
V.3	राजस्व प्राप्तियों का ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय - 2009- 10 (सं.अ.)	43
V.4	गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान की संरचना - 2009-10 (सं.अ.)	43
V.5	विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर के प्रतिशत के रूप में वैट	44
V.6	राजस्व प्राप्तियों का ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय - 2009- 10 (सं.अ.)	45
VI.1	घाटा, ऋण तथा ब्याज का बोझ	50
VI.2	राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दैनिक बकाया के आधार पर)	56
VI.3	राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती तथा नीलामी खजाना बिलों में निवेश (शुक्रवार को बकाए का औसत)	57
VII.1	राजस्व प्राप्तियों तथा राज्यों के राजस्व व्यय की तुलना में अनुपात के रूप में अंतरण	71

परिशिष्ट सारणी सूची

1	राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक	97
2	समेकित बजटीय स्थिति एक नज़र में	98
3	राजस्व प्राप्तियां	99
4	राजस्व व्यय	100
5	पूंजीगत प्राप्तियां	101
6	पूंजी संवितरण	102
7	केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण	103
8	विकास और गैर विकास व्यय	104
9	विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष	105
10	गैर विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष	106
11	विकास और गैर विकास व्यय - योजना और योजनेतर घटक	107
12	विकास और गैर विकास व्यय - राजस्व और पूंजी घटक	108
13	योजना और योजनेतर व्यय - राजस्व और पूंजी घटक	109

14	राज्यों के योजनेतर गैर विकास व्यय	110
15	सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना	111
16	सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन	113
17	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	114
18	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत रूप में	115
19	राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत की स्थिति)	116
20	राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना - कुल का अनुपात (मार्च के अंत की स्थिति)	117
21	राज्य सरकार के बाजार उधार	118
22	आयकर की निवल आय के संवितरण का मापदंड	119
23	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संवितरण का मापदंड	120

विवरण सूची

1.	प्रमुख राजकोषीय संकेतक	123
2.	राजस्व घाटा / अधिशेष	125
3.	पारंपरिक घाटा / अधिशेष	126
4.	सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष	127
5.	सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन	128
6.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (लेखा)	129
7.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2008-09 (लेखा)	130
8.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2009-10 (संअ)	131
9.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2009-10 (संअ)	132
10.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2010-11 (बअ)	133
11.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2010-11 (बअ)	134
12.	विकास व्यय	135
13.	गैर विकास व्यय	136
14.	योजना व्यय	137
15.	गैर योजना व्यय	138
16.	गैर योजना गैर विकास व्यय	139
17.	ब्याज भुगतान	140
18.	कर राजस्व	141
19.	खुद का कर राजस्व	142
20.	गैर कर राजस्व	143
21.	खुद का गैर कर राजस्व	144

22.	केन्द्रीय करों में हिस्सा	145
23.	केंद्र सरकार से अनुदान	146
24.	केंद्र से ऋण	147
25.	केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण	148
26.	बकाया देयताओं की संरचना (मार्च 2009-2011 के अंत में)	149
27.	राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं (मार्च के अंत की स्थिति)	152
28.	राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं - जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (मार्च के अंत की स्थिति)	153
29.	राज्य सरकारों के बाजार उधार	154
30.	राज्य सरकारों का योजना परिव्यय	155
31.	पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय	156
32.	राज्य सरकार बाजार ऋण	157
33.	राज्य सरकारों के बकाया बाजार ऋण (मार्च 2010 के अंत की स्थिति)	177
34.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2010 को बकाया)	178
35.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल - कुल के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च 2010 को बकाया)	179
36.	राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राज्यों के खुद के राजस्व के अनुपात के रूप में	180
37.	राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में	181
38.	रिजर्व बैंक से सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट प्राप्त करना	182
39.	केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	183
40.	14 - दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में बकाया निवेश (मार्च के अंत की स्थिति)	184
41.	शिक्षा पर व्यय - सकल व्यय के अनुपात के रूप में	185
42.	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय - सकल व्यय के अनुपात के रूप में	186
43.	राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां (मार्च के अंत की स्थिति)	187
44.	मजदूरी और वेतन पर व्यय	188
45.	परिचालन और रखरखाव पर व्यय	189
46.	सामाजिक क्षेत्र व्यय	190
47.	कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय	191
48.	बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन और राहत सुविधा के तहत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत	192
49.	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : दसवां वित्त आयोग	193
50.	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : ग्यारहवां वित्त आयोग	194
51.	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : बारहवां वित्त आयोग	195
52.	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : तेरहवां वित्त आयोग	196

परिशिष्ट

I.	राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां	199
II.	राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय	231
III.	राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां	293
IV.	राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों का पूंजीगत व्यय	309
परिशिष्टों की टिप्पणियां		402

संक्षेपाक्षर

एई	- कुल व्यय	एफपीएसएस	- राजकोषीय नीति स्टेटेजी वक्तव्य
एटीबीज़	- नीलामी खज़ाना बिल	एफआरबीएम	- राजकोषीय जवाबदेही तथा बज़ट प्रबंधन
एवरेज	- औसत	एफआरएफ	- राजकोषीय सुधार सुविधा
बीडीओ	- खंड विकास अधिकारी	एफआरएलज़	- राजकोषीय जवाबदेही विधान
बीई	- बज़ट अनुमान	जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद
बीपीएल	- गरीबी रेखा के नीचे	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
बीटीआरएस	- बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम	जीओआइ	- भारत सरकार
सीएजी	- भारत का नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक	जीआर	- अनुदान सहायता
सीसीटीवी	- सीसीटीवी	जीआरएफ	- गारंटी शोधन निधि
सीडी	- कॉम्पैक्ट डिस्क	जीएसडीपी	- सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सीई	- पूंजी व्यय	जीएसटी	- माल और वस्तु कर
सीओ	- पूंजी परिव्यय	जीएसएस	- ग्रिड सब स्टेशन
सीपीसी	- केंद्रीय वेतन आयोग	आइसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
सीआरएफज़	- आपदा राहत निधि	आइसीयूज़	- आइसीयू
सीएसएफ	- समेकित ऋण शोधन निधि	आइडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
सीएसओ	- केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन	आइपी	- ब्याज भुगतान
सीटीज़	- केंद्रीय कर	आइटी	- सूचना प्रौद्योगिकी
सीटी	- चालू अंतरण	आइटीबीज़	- मध्यवर्ती खज़ाना बिल
डीसीआरफ	- ऋण समेकन और राहत सुविधा	आइटीआइ	- औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
डीई/डीईवी	- विकास व्यय	जेएनएनयूआरएम	- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	एलएफसी	- केंद्र से ऋण
डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग	एमसीडी	- दिल्ली नगर निगम
डीआरई	- विकास राजस्व व्यय	एमएलज़	- बाजार ऋण
डीटीसी	- दिल्ली परिवहन निगम	एमओएफ	- वित्त मंत्रालय
ईसी	- शक्ति संपन्न समिति	एमओयू	- समझौता ज्ञापन
ईडब्ल्यूएस	- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	एमटीएफआरपी	- मध्यकालिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम
एफसी	- वित्त आयोग	एनसीसीएफ	- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एफसीजीआर	- वित्त आयोग अनुदान	एनसीटीडी - दिल्ली	- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
एफसीटीआर	- वित्त आयोग अंतरण		

एनडीआरई	- विकासेतर राजस्व व्यय
एनडीआरएफ	- राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया निधि
एनईएलपी	- नवीन शोध लाइसेंसिंग नीति
एनएफसीआर	- राष्ट्रीय आपदा राहत निधि
एनएमडीसी	- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
एनपीएस	- नवीन पेंशन योजना
एनआरईजीएस	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एनएससीएसज़	- विशेष से इतर वर्ग वाले राज्य
एनएसडीएल	- राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि
ओडी	- अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट)
ओएनटीआर	- स्व करेतर राजस्व
ओटीआर	- स्व कर राजस्व
पीडी	- मूल घाटा
पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएफ	- भविष्य निधि
पीएमआरवाई	- प्रधान मंत्री रोजगार योजना
पीएन	- पेंशन
पीपीपी	- सार्वजनिक निजी सहभागिता
पीआरबी	- प्राथमिक राजस्व शेष
पीआरएस	- प्राथमिक राजस्व आधिक्य
पीएसयूज़	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीडब्ल्यूडी	- लोक निर्माण विभाग
आरडी	- राजस्व घाटा
आरई	- संशोधित अनुमान
आरई-जीडीपी	- जीडीपी के अनुपात की तुलना में राजस्व व्यय

आरई-जीएसडीपी	- जीएसडीपी के अनुपात की तुलना में राजस्व व्यय
आरईसी	- ग्रामीण विद्युत निगम
आरआर	- राजस्व प्राप्तियां
एससीज़	- अनुसूचित जाति
एससीएसज़	- विशेष वर्ग वाले राज्य
एससीटी	- केंद्रीय करो में हिस्सा
एसडीएलज़	- राज्य विकास ऋण
एसडीआरएफ	- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एसईबीज़	- राज्य विद्युत बोर्ड
एसईजेडज़	- विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफसीज़	- राज्य वित्त आयोग
एसएचजीज़	- स्वयं सहायता समूह
एसएलपीईज़	- राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम
एसपीसीज़	- राज्य वेतन आयोग
एसपीएसयूज़	- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एसएसई	- सामाजिक क्षेत्र व्यय
एसटी	- अनुसूचित जनजाति
टीबीज़	- खजाना व्यय
टीई	- कुल व्यय
टीओआर	- शर्तें
टीआर	- कर राजस्व
यूआईडी	- यूनिक आइडेन्टीफिकेशन
यूटीज़	- संघ शासित प्रदेश
वीएटी	- मूल्य योजित कर
डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम

1. परिचय

1.1 वैश्विक संकट ने पूरे विश्व में उत्पादन और रोजगार को प्रभावित किया। कुल मांग को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रमुख विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों ने विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां अपनायीं। विस्तारवादी राजकोषीय नीति ने वैश्विक आर्थिक बहाली की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ने अब महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। भारत में वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही में हुई अभूतपूर्व वैश्विक गतिविधियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के प्रभावों को रोकने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय कदम उठाए। यद्यपि केवल कुछ राज्य सरकारों ने ही प्रमुख रूप से व्यय को ध्यान में रखकर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की, फिर भी इन नीतिगत उपायों का वर्ष 2008-09 और 2009-10 में राज्य सरकारों की समेकित राजस्व प्राप्तियों और कुल व्यय पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में स्पष्ट गिरावट आयी।

1.2 वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से अच्छी स्थिति की बहाली के साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों - दोनों के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग का अनुसरण करना तात्कालिक प्राथमिकता बन चुका है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 13वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य-सरकारों (दोनों) के लिए मध्यम अवधि में राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्ययोजना निश्चित कर दी है। वर्ष 2010-11 के संघीय बजट में केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक के लिए चल लक्ष्य के रूप में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया घोषित कर दी है। राज्य सरकारों के वर्ष 2010-11 के बजटों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की उनकी वचनबद्धता परिलक्षित होती है। महत्वपूर्ण

बात यह है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम बन जाने के बाद उम्मीद है कि सभी राज्य नियम-आधारित राजकोषीय नीति अपनाएंगे, हालांकि वे 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधित राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करेंगे।

1.3 'राज्य वित्त: वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन'¹ विषय पर यह अध्ययन 28 राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले 2 संघ-राज्यों (नामत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और पुदुचेरी) के बजट दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। राज्य सरकारों ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट, अच्छी स्थिति की तेजी से बहाली तथा उसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि संबंधी संभावना में सुधार की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए। इन सकारात्मक गतिविधियों को दर्शाते हुए, राज्यों ने अपने-अपने बजट में अपने कर राजस्व में वृद्धि की स्थिति 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर दिखाई है (संशोधित अनुमान)। इसके अलावा राज्यों को यह उम्मीद है कि वर्ष 2010-11 में केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में उन्हें केंद्र से पहले से अधिक राशि प्राप्त होगी। समग्र समष्टि आर्थिक मंदी तथा केंद्र / राज्यों के छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए पिछले दो वर्षों में कुल व्यय में भारी वृद्धि कर चुकने के बाद राज्यों ने वर्ष 2010-11 के दौरान अपने बजटों में अपने कुल खर्च में नाममात्र की वृद्धि दिखाई है। वर्ष 2010-11 में राज्यों के स्तर पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया अपनाने के लिए ये सभी बातें शुभ संकेत हैं।

2. पूर्वावलोकन

1.4 वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में यह अनुमान लगाया गया है राज्य वित्तों में सामान्यतः वर्ष 2009-10 (संशोधित अनुमान) की तुलना में सुधार होगा। अधिकांश राज्यों ने वर्ष 2010-11 (बजट

¹ आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग में, इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से तैयार किया गया। रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध प्रभाग से भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ था। 28 राज्य सरकारों के वित्त विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की सरकारों से प्राप्त तकनीकी सहयोग तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त मूल्यवान जानकारी को भी आभारपूर्वक स्वीकार किया जाता है।

अनुमान) में अपने राजस्व लेखाओं में अपने बजट में या तो अधिशेष की स्थिति दिखाई है या अपेक्षाकृत कम घाटा दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप अनुमान है कि वर्ष 2009-10 (संशोधित अनुमान) के 0.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में समेकित राजस्व घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत पर आ जाएगा। 28 राज्यों में से 17 राज्यों ने वर्ष 2010-11 में अपने बजट में राजस्व अधिशेष दिखाया है जबकि वर्ष 2009-10 (संशोधित अनुमान) में 14 राज्यों ने राजस्व अधिशेष दिखाया था। राज्यों के समेकित राजस्व लेखे में सुधार होने से अनुमान है कि सकल राजकोषीय घाटा-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2009-10 (संशोधित अनुमान) के 3.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में 2.5 प्रतिशत हो जाएगा। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में राज्य वित्त में सुधार अधिक व्यापक स्तर पर प्रत्याशित है तथा आशा है कि इस बार 22 राज्यों के मामले में सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात कम हो गया है।

1.5 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों की कुल बकाया देनदारियां 2003-04 के 32.8 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से निरंतर कम होते-होते वर्ष 2007-08 में 26.6 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान प्रमुख घाटा संकेतकों में कमी आने के बावजूद ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी आना जारी रहा तथा वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में यह 23.1 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान में कमी की प्रवृत्ति (ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति अनुपात) मुख्यतः ऋण माफी के रूप में राज्यों को पर्याप्त राहत दिए जाने और 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत बकाया केंद्रीय ऋणों पर ब्याज के भुगतानों में आयी कमी से हुई बचत के कारण, जारी रही। आशा है कि ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति अनुपात वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में और घट जाएगा।

1.6 चूंकि पिछले 2 वर्षों में राज्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते से भटक गए थे इसलिए यह आवश्यक है कि वे आने वाले वर्षों में राजकोषीय सुधार की दिशा में कदम उठाएं। इस संबंध में 13वें वित्त आयोग ने अध्ययन अवधि में राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय सुधार के लिए उठाए जाने योग्य कदमों की एक रूपरेखा का सुझाव दिया है। वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक वृद्धि की संभावना राज्यों के लिए बजटों में अनुमानित कर संग्रहण का लक्ष्य

प्राप्त करने के लिए, शुभ संकेत है। इसके अलावा, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत राज्यों को केंद्र से मिलने वाले और अधिक संसाधनों से राज्यों को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उनके प्रयासों में सुविधा होगी। मध्यम अवधि के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, माल और सेवा कर का प्रस्तावित कार्यान्वयन राज्य सरकारों को सकारात्मक परिणाम देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। यद्यपि माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से पहले कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी सहमति बनायी जानी शेष है फिर भी, माल और सेवा कर के अंतर्गत कर-आधार में संभावित विस्तार से, राज्यों को बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रशासनिक क्षमता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के इफ़ास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रयास करने होंगे। ऐसे कर सुधारों से लाभान्वित होने के लिए राज्यों के लिए माल और सेवा कर का सफल कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इससे राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा, राज्य वित्तों के लिए कुछ ढांचागत मुद्दे अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जैसे व्यय की गुणवत्ता और राज्य सरकारों के नकदी शेषों में अधिशेष का प्रबंधन।

1.7 अध्ययन की अध्यायवार योजना इस प्रकार है इस अध्याय में अध्ययन का विहगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। अध्याय-2 में वर्तमान भारतीय संदर्भ में राज्य वित्तों के समक्ष उपस्थित होने वाली प्रमुख समस्याओं की चर्चा की गयी है। अध्याय-3 में राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए प्रमुख नीतिगत उपायों पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय-4 में राज्य सरकारों की समेकित बजट स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया गया है। अध्याय-5 में विभिन्न राज्यों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन का विवरण दिया गया है। अध्याय-6 में राज्य सरकारों की बकाया देनदारियों, बाजार उधार और आकस्मिक देयताओं पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय-7 में विशेष विषय, नामतः 'भारत के वित्त आयोग : एक आकलन' पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। अनुबंध-1 में राज्यों द्वारा वर्ष 2010-11 के अपने बजटों में घोषित प्रमुख नीतिगत उपाय दर्शाए गए हैं। परिशिष्ट सारणी-1-23 में 28 राज्य सरकारों के विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के संबंध में समेकित आंकड़े दिए गए हैं। विवरण-1-50 में राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं। परिशिष्ट I-IV में राज्यवार बजट संबंधी आंकड़े दिए गए हैं (परिशिष्ट-I - राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट-II, राजस्व व्यय, परिशिष्ट-III, पूंजीगत प्राप्तियां, परिशिष्ट-IV-पूंजीगत व्यय)।

राज्य वित्तों में वर्ष 2004-05 और 2007-08 के दौरान हुए सुधार कई बातों के सम्मिलित परिणाम थे। अधिकांश राज्यों द्वारा नियम-आधारित राजकोषीय नीति अपनाए जाने से राजकोषीय अनुशासन में सुधार हुआ तथा राज्य वित्तों में आए सुधार में राज्यों की उच्च वृद्धि दर और उसके परिणामस्वरूप राज्यों के अपने कर राजस्व में आए उछाल और केंद्रीय अंतरणों तथा इस अवधि में मूल्ययोजित कर व्यवस्था के कार्यान्वयन से सहायता मिली। समग्र समष्टि आर्थिक मंदी और वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान छड़े राज्य (राज्यों) के वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण राज्य वित्तों में गिरावट आयी। लेकिन राज्यों के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर वापस आना आवश्यक हो गया। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक राजस्व मिलने से राज्य वित्तों को लाभ मिलेगा। राज्यों के स्तर पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए जिन बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा उनमें माल और सेवा कर का कार्यान्वयन, बेहतर आर्थिक स्थिति की बहाली की गति, गैर-कर राजस्व संग्रहण के लिए राज्यों के अपने प्रयास और खर्चों की प्राथमिकता का निर्धारण/खर्चों का तर्कसंगत पुनर्गठन शामिल है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की ओर विश्वसनीय प्रगति के लिए यह जरूरी है कि राज्य अपने राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों में संशोधन करें तथा राजकोषीय सुधार का रास्ता तैयार करें। यह भी जरूरी है कि राज्य शुल्क संबंधी अपनी नीतियों की समीक्षा करें, विशेषतः बिजली और सिंचाई क्षेत्र से जुड़ी नीतियों की। माल और सेवा कर के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों का कुछ मुद्दों पर सहमत होना जरूरी है तथा यह भी आवश्यक है कि वे अपनी प्रशासनिक क्षमता तथा आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएं। व्यय का बेहतर आबंटन तथा लेखा परीक्षा की अधिक कड़ी प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना भी जरूरी है ताकि राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। राज्यों के लिए नकदी के आगम और निर्गम के लिए प्रभावी पूर्वानुमान तथा निगरानी प्रणाली लागू करना आवश्यक है ताकि बाजार उधारों के लिए आवश्यकता पर आधारित नज़रिया अपनाया जा सके तथा नकदी अधिशेष पर आनेवाले ब्याज की लागत कम की जा सके। समग्र विकास के प्रयोजन हेतु स्थानीय निकायों की विकासात्मक भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए संसाधनों का आबंटन सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोगों का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है।

1. परिचय

2.1 वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक की अवधि में राज्य वित्तों की समेकित स्थिति में बहुत अधिक सुधार परिलक्षित हुआ। बारहवें वित्त आयोग ने एक प्रोत्साहन प्रणाली लागू की जिससे राज्यों को अपने राजकोषीय दायित्व संबंधी कानून लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिला ताकि वे सशर्त ऋण पुनर्गठन और ब्याज दर राहत के लिए पात्र हो सकें। लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव के बाद आयी आर्थिक मंदी तथा राजस्व की वृद्धि की गति में आयी कमी ने वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में राज्य वित्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पिछले 2 वर्षों में मंदी से निपटने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू कर चुकने के बाद, राज्य सरकारों के सामने वर्ष 2010-11 से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर वापस आने की चुनौती बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में कुछ तात्कालिक तथा मध्यम अवधि में आनेवाले ऐसे मुद्दों तथा चुनौतियों का जिक्र किया गया है

जिनसे राज्य सरकारें इस समय जूझ रही हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा कार्य योजना के निर्धारण के बाद नियम-आधारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर वापस आना तात्कालिक चुनौती है, लेकिन विस्तारवादी राजकोषीय स्थिति से अत्यंत सावधानीपूर्वक बाहर आने की इस तरह से जरूरत है कि वृद्धि पर इसका न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। राज्य वित्तों के दृष्टिकोण से दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति की कमी के कारण माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के संबंध में अनिश्चितता है। माल और सेवा कर की प्रस्तावित शुरुआत के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों की अनिश्चितता के कारण राज्यों के लिए आगामी कुछ वर्षों में अपने वित्तों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मध्यम अवधि में राज्यों के खर्च के प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार, राजकोषीय पारदर्शिता की दिशा में अग्रसर होना और राजकोषीय नियमों को स्वीकार करने तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाए जाने की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

2. राज्यों के लिए संशोधित राजकोषीय कार्य-योजना

2.2 वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान केंद्र और राज्यों के स्तर पर राजकोषीय प्राधिकारियों का अनुभव यह दर्शाता है कि संकट का सामना बेहतर तरीके से तब किया जा सकता है जब पर्याप्त राजकोषीय सुविधा उपलब्ध हो। भारतीय संदर्भ में संकट से पहले की अवधि में आरंभ की गई राजकोषीय सुदृढीकरण की प्रक्रिया ने केवल केंद्र सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारों द्वारा भी प्रोत्साहन के उपाय शुरू किए जाने की राजकोषीय गुंजाइश प्रदान की। कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती तथा खर्चों में वृद्धि की घोषणा की। यद्यपि वर्ष 2008-09 और 2009-10 में राज्य स्तर पर प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में थोड़ी गिरावट आयी, लेकिन राज्यों की समग्र राजकोषीय स्थिति नियंत्रण में रही। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए राज्यों के वित्त के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा वर्ष 2010-11 से आरंभ करके नियम-आधारित राजकोषीय नीति का पालन करना है जो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उचित राजकोषीय नियमों से तेजी से राजकोषीय सुदृढीकरण में सुगमता होगी। उदाहरण के लिए वर्ष 2000-01 से 2002-03 के निम्न वृद्धि के चरण में राज्यों की वित्त की स्थिति में गिरावट आयी थी, लेकिन वर्ष 2004-05 से नियम-आधारित राजकोषीय ढांचा कार्यान्वित किए जाने के बाद उसमें पर्याप्त सुधार आया और उस अवधि में वृद्धि की गति ज्यादा तेज रही।

2.3 अभी हाल ही में राज्यों के वित्त की स्थिति में आयी गिरावट को ध्यान में रखते हुए तेरहवें वित्त-आयोग ने केंद्र और राज्यों (दोनों) के लिए मध्यम अवधि में एक राजकोषीय कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की है। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए, राज्यों के पिछले राजकोषीय कार्यनिष्पादन को आधार बनाते हुए, एक समान कार्य-योजना निर्धारित करने के बजाए, एक अलग नजरिया अपनाया है जिसके अनुसार अलग-अलग समूह के राज्यों के लिए अलग-अलग समय निश्चित किया गया है। राज्यों को अपने वित्त में विश्वसनीय सुधार दिखाना जरूरी होगा क्योंकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुछ सुविधाएं उनके राजकोषीय कार्य निष्पादन से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, विशेष राज्यों से जुड़े अनुदान इस आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे कि उस राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग

द्वारा तैयार की गई राजकोषीय सुधार योजना को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है।

2.4 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई राजकोषीय कार्य योजना के अनुरूप हुई प्रगति मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगी (i) राज्यों का समग्र समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन, (ii) केंद्र से मिलनेवाली राशि, और (iii) राज्यों द्वारा राजस्व एकत्र करने और न्यूनतम उत्पादकता वाले राजस्व व्यय को कम करने के लिए भली-भांति किए गए प्रयास। यह ध्यान रखने योग्य है कि राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए किए गए उपायों तथा छठे/राज्य वेतन आयोगों की सिफारिशों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के कारण वर्ष 2009-10 में राज्यों के राजस्व व्यय में भारी वृद्धि हुई थी। तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को, वेतन संबंधी अधिनिर्णय स्वीकार किए जाने की तारीख से आरंभ करके, वेतनमान में संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान के चलते लगने वाले ढांचागत आघातों से बचना चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि केंद्र और राज्य (दोनों) पहले के वेतन आयोगों की समय-सीमा समाप्त होने से काफी पहले, संबंधित वेतन आयोग गठित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दें। इसके अलावा राज्यों को राजस्व व्यय की ऐसी मदों की पहचान करने की जरूरत होगी जिनमें, वृद्धि की प्रक्रिया में कोई व्यवधान पैदा किए बिना, कमी लायी जा सके। गैर-कर राजस्व को राजस्व का और अधिक स्थायी स्रोत बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि राज्य, अपने द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाओं (जैसे बिजली और सिंचाई) की, मध्यम और दीर्घ अवधि के परिदृश्य में, वाणिज्यिक लाभप्रदता के अध्ययन करें।

3. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थ

2.5 तेरहवें वित्त आयोग ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाये गए प्रोत्साहन से जुड़े नजरिये के आधार पर काम करना जारी रखा। प्रोत्साहन से जुड़े ढांचे की सिफारिश सामान्य कार्य-निष्पादन से जुड़े अनुदानों, विशेष क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से जुड़े अनुदानों, राज्य विशेष से जुड़े अनुदानों, तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर ब्याज संबंधी राहत का लाभ प्रदान करने और कुल हानि से संबंधित है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित हो जाने से पश्चिम बंगाल और सिक्किम को भी तेरहवें

² संशोधित कार्य योजना के अंतर्गत 24 राज्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे वर्ष 2011-12 तक या तो राजस्व शेष की स्थिति या अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर लें तथा उसके बाद उसे बरकरार रखें; जबकि शेष 4 राज्यों को उक्त लक्ष्य 2014-15 तक प्राप्त करना होगा। वर्ष 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे वाले विशेष श्रेणी के राज्य वर्ष 2011-12 में 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा उठा सकते हैं और उसके बाद उसे बरकरार रख सकते हैं। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए आवश्यक होगा कि वे अपना राजकोषीय घाटा कम करके वर्ष 2013-14 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाएं। जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम के लिए आवश्यक होगा कि वे 2014-15 तक अपना राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित रखें।

³ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम के विवरण के लिए अध्याय III देखें।

वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऋण समेकन सुविधा उपलब्ध कराए जाने से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा, तेरहवें वित्त आयोग ने लेखाकरण, बजट निर्माण, पारदर्शिता और प्रकटीकरण, टैरिफ तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपयोक्ता प्रभागों से जुड़े सुधार करने के लिए क्षेत्र निश्चित किए हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

2.6 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाया गया अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन सपाट वितरण फार्मूला से संबंधित है। विभिन्न राज्यों के कर आधार में अंतर देखकर आयोग ने, हिस्सेदारीयोग्य केंद्रीय करों के आपस में वितरण के लिए एक मानदंड के रूप में, 'आय क्षमता' की जगह 'राजकोषीय क्षमता अंतर' का नजरिया अपनाए जाने पर जोर दिया है। इसलिए जिन राज्यों का कर आधार अपेक्षाकृत छोटा होगा और प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम होगी उन्हें अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा मिलेगा। इन मानदंड से कर क्षमता की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्यों को हो रही राजकोषीय हानि कुछ हद तक कम हो जाएगी। हिस्सेदारी योग्य करों का सपाट न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह अच्छा कदम है।

2.7 इस बात पर ध्यान रखते हुए कि केंद्रीय करों में आया उछाल राज्य करों की तुलना में अधिक है, तेरहवें वित्त आयोग ने (i) वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए हिस्सेदारीयोग्य करों के निवल आगम का हिस्सा 30.5 प्रतिशत (12वीं वित्त आयोग) से बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने, और (ii) केंद्र की कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्यों को सभी राजस्व लेखा अंतरणों पर निर्देश सीमा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 39.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। सेवा कर से प्राप्त होने वाली राशि को हिस्सेदारी योग्य धन राशि का अंग मान लेने तथा सेवाओं पर करों के महत्व में वृद्धि के नजरिये को स्वीकार करने के बाद राज्यों को पहले से अधिक राशि प्राप्त होने के चलते अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

4. माल और सेवा कर शुरू करना

2.8 राज्यों के स्तर पर कर ढांचे के लिए माल और सेवा कर का प्रस्तावित आरंभ कर सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है। माल और सेवा कर का अंतरनिहित उद्देश्य कुछ करों के आपाती प्रभाव को समाप्त करना, लागत ढांचे को तर्कसंगत बनाना, अधिकांश सामानों पर प्रभावी कर दरों में कमी लाना तथा लेनदेन और भुगतान की लागत में कमी लाना है। इससे भारतीय उद्योग और व्यापार की प्रतियोगितात्मकता बढ़ सकती

है। माल और सेवा कर लागू कर दिए जाने के बाद केंद्र और राज्यों (दोनों) के कर आधारों में बड़ा परिवर्तन आएगा और केंद्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों के माल और सेवा कर की परिधि में समा जाने की संभावना है। केंद्रीय माल और सेवा कर के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और सभी अधिभार और उपकर इत्यादि सन्निविष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार राज्यों के माल और सेवा कर में मूल्ययोजित कर, प्रवेश कर (स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लिए जाने वाले) विलासिता कर, लॉटरी, बाजी और जुए पर कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले कर से भिन्न विज्ञापन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, और माल और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े सभी राज्य उपकर और अधिभार सन्निविष्ट हो जाने की संभावना है।

2.9 वस्तुओं पर प्रारंभ के 2 वर्षों के लिए दोहरे जीएसटी की दर निर्धारित करने और तीसरे साल एक दर अपनाने जैसे मूलभूत मुद्दों पर शुरू में कुछ सहमति बनी थी। वस्तुतः भारत के संघीय ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीएसटी का दोहरा ढांचा वांछनीय समझा गया है। इसके अलावा जीएसटी की रूपरेखा से जुड़े कुछ अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते जीएसटी के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। ये मुद्दे मुख्य रूप से कर दर का ढांचा निर्धारित करने के अधिकारों, विवादों के समाधान के तौर-तरीकों, क्षतिपूर्ति के ढांचे (यदि जरूरी हुआ तो), अंतरराज्य लेन-देन और सूचना प्रणाली से जुड़े हुए हैं। फिर भी जीएसटी के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच असहमति के क्षेत्रों में कमी आ रही है। तदनुसार माल और सेवा कर को सरकारी तौर-पर लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2011 को माल और सेवा कर के लिए संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। इस बिल के माध्यम से जीएसटी में समाहित होनेवाली केंद्रीय/राज्य करों की सूची प्रदान करने के अलावा, माल और सेवा कर के संबंध में संसद और राज्यों के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस बिल के माध्यम से माल और सेवाओं के अंतरराज्य लेनदेनों पर एकीकृत जीएसटी लेने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा संविधान संशोधन बिल के माध्यम से इनसे जुड़े कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है। उक्त बिल के अनुसार, प्रस्तावित केंद्रीय और राज्य माल और सेवा कर, माल और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े सभी लेनदेनों पर लगाए जाएंगे। परंतु माल और सेवा कर की परिधि से जिन वस्तुओं को बाहर रखा गया है उन पर यह कर नहीं लगाया जाएगा। बिल में माल और सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण स्थापित करने की भी व्यवस्था है। माल और

सेवा कर समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करने के कारण या सद्भावपूर्ण ढांचे पर दुष्प्रभाव डालने और माल और सेवा कर कार्यान्वित करने के कारण राजस्व संबंधी किसी तरह की हानि होने पर केंद्र सरकार या कोई राज्य अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

2.10 माल और सेवा कर प्रणाली शुरू किए जाने के साथ ही असंतुलन में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि राज्यों को सेवा क्षेत्र पर कर लगाने का अधिकार होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और वृद्धिशील क्षेत्र है। लेकिन फिर भी अलग-अलग राज्यों पर राजस्व संबंधी प्रभाव में अंतर बने रहने की संभावना है। चूंकि राज्यों के पास अपने कर-आधारों के सही-सही आकलन का तरीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनपर पड़ने वाले राजस्व संबंधी प्रभावों के बारे में निष्कर्ष निकालना कठिन है। फिर भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल्ययोजित कर लागू किए जाने के साथ ही राज्य स्तर पर कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में पर्याप्त सुधार आया। जिस एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है वह है राज्यों को होने वाली राजस्व संबंधी हानि के मामले में क्षतिपूर्ति का ढांचा। चूंकि माल और सेवा कर के संबंध में, जिन दरों की चर्चा की जा रही है, वे आरंभ में सोची गई दरों से तथा तेरहवें वित्त आयोग के कार्यबल द्वारा अनुशंसित दरों से भी ज्यादा हैं इसलिए मूल मुद्दा यह है कि क्या केंद्र को राज्यों को हुई राजस्व संबंधी हानि की पूरी तरह क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। अनुपालन की लागत कम करना तथा कर वसूली में और तेजी लाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर माल और सेवा कर संबंधी कानूनों में एकरूपता लाना तथा उनके अंतर्विरोधों को दूर करना भी महत्वपूर्ण होगा।

2.11 माल और सेवा कर प्रणाली के कार्यान्वयन के अंतर्गत कुछ अन्य मुद्दे भी शामिल हैं - जैसे राज्यों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करना तथा उनके सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना, ताकि विस्तारित कर-आधार का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार और राज्यों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक अधिकारप्राप्त समूह गठित किया गया है (अध्यक्ष नंदन निलेकणी) जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। माल और सेवा कर के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि इसी से माल और सेवा कर पंजीकरण

तथा विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और करों के भुगतान की प्रक्रिया निर्बाध संचालित हो सकेगी। चूंकि माल और सेवा कर एक लक्ष्य आधारित कर है इसलिए अंतरराज्यीय लेन-देन के मामले में विभिन्न करों के क्षेत्राधिकारों संबंधी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का तत्काल अंतरण तथा उसकी मात्रा का सही-सही निर्धारण किया जाना अति आवश्यक होगा। इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है क्योंकि पंजीकरण विवरणियों और भुगतानों से संबंधित प्रमुख प्रक्रियाओं को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जैसा कि वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में बताया गया था, नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, माल और सेवा कर प्रणाली के पूरे देश में लागू किये जाने से पहले, ग्यारह राज्यों से संपर्क करके जून 2011 तक एक पायलट पोर्टल स्थापित करेगा। (i) माल और सेवाओं में फर्क किए जाने, (ii) माल और सेवाओं (दोनों) को शामिल करते हुए बंडलों में या मिश्रित आपूर्ति के मामले में कर लगाए जाने, और (iii) साफ्टवेयर और टेलीकॉम सेवाओं पर कर लगाए जाने के मामले में अन्य व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। उसी तरह माल और सेवा कर की परिधि से बाहर रखी गई वस्तुओं की लंबी सूची तथा दरों के तीन श्रेणी में किए गए वर्गीकरण, अर्थात् मूलभूत वस्तुओं के लिए अपेक्षाकृत कम दर, अन्य वस्तुओं के लिए मानक दर तथा सेवाओं के लिए एक समान दर - को दृष्टिगत रखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण तथा उनके मूल्यांकन के संबंध में अनेक विवाद पैदा होंगे। ऐसे मुद्दों पर अपनाए जाने वाले नजरिए के संबंध में एक स्पष्ट नीति का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बावजूद राज्यों के लिए माल और सेवा कर का सफल कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि ऐसे सुधारों का लाभ मिल सके और राजकोषीय सुधार की दिशा में, बिना किसी बाधा के, आगे बढ़ा जा सके।

5. व्यय प्रबंध

2.12 राज्य आयोगों के संदर्भ में व्यय की गुणवत्ता हमेशा से ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस समय राजस्व व्यय राज्यों के कुल खर्च का लगभग 80 प्रतिशत होता है जो निवेश के स्वरूप का न होकर वर्तमान खपत के स्वरूप का होता है तथा जिसका राज्यों के विकास की संभावनाओं पर असर पड़ता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व व्यय पूरी तरह अनुत्पादक है या उत्पादक है। इसके बावजूद यह जरूरी है कि राज्य राजस्व व्यय की ऐसी गैर-जरूरी मदों की पहचान करें जिनकी वृद्धि में कम भूमिका है तथा जिनके कल्याणकारी प्रभाव अत्यंत सीमित हैं।

⁴ माल और सेवा कर की परिधि से बाहर रखे जाने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम, हाईस्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, मोटर-स्पिरिट (पेट्रोल), एविएशन टर्बाइन फ्यूल और मानव उपयोग के लिए शराब शामिल हैं। राज्यों को इन मदों पर कर लगाने।

2.13 भावी राजकोषीय योजना के प्रति तेरहवें वित्त आयोग के नजरिए के संबंध में व्यय संबंधी सुधार एक महत्वपूर्ण चालक शक्ति है। प्रस्तावित व्यय संबंधी सुधारों का सबसे अधिक जोर, वर्तमान गैर-लक्षित और पश्चामी सब्सिडी की मात्रा घटाकर, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार लाने पर है। आयोग का यह भी विचार है कि व्यय की विभिन्न मदों की 'दक्षता और प्रभावशीलता' के सही आकलन के लिए, सामान्यतः लेखापरीक्षा की और कड़ी प्रक्रिया अपनाकर, और विशेषरूप से परिचालनगत लेखापरीक्षा की व्यवस्था करके पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि स्थानीय निकायों के लिए ओम्बुड्समैन के पद सृजित करके, राजकोषीय समितियां स्थापित करके तथा स्वतंत्र मूल्यांकन संगठनों का गठन करके 'संस्थागत सुदृढ़ीकरण' करके व्यय प्रबंधन में सुधार लाया जा सकता है। राज्यों को ऐसे नए-नए उपाय करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए जिनसे सार्वजनिक सेवाओं की लागत में कमी आ सके तथा उनकी गुणवत्ता सुधर सके। सार्वजनिक व्यय का कुशल आबंटन केवल राज्य स्तर पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को गति प्रदान करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह मध्यम अवधि में उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी जरूरी है।

6. नकदी अधिशेष

2.14 राज्य सरकारें 2004-05 से अपने नकदी अधिशेष का बड़ा भाग 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों जैसे बाजार लिखतों में निवेश करती रही हैं। यद्यपि राजकोषीय दबावों के कारण वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्यों के औसत निवेश में भारी कमी आयी थी, लेकिन इन वर्षों की अंतिम तिमाही में राज्यों के पास भारी नकदी अधिशेष एकत्र हो गए थे। 18 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्यों के निवेश की राशि 1,20,318 करोड़ रुपए थी जबकि मार्च 2010 के अंत में यह राशि 93,776 करोड़ रुपए थी। समष्टि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण भारी नकदी अधिशेषों के इकट्ठा होने से यह संकेत मिलता है कि कुछ राज्य अपने राजकोषीय घाटे से ज्यादा राशि उधार के रूप में लेते रहे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेरहवें वित्त आयोग ने इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है कि राज्यों को कार्यान्वयन के स्तर पर अच्छा-खासा व्यय करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त धन तो जरूर चाहिए लेकिन एक सीमा से ज्यादा नकद राशि इकट्ठा होना अकुशलता का भी द्योतक है तथा इससे ब्याज का ऐसा बोझ पड़ता है जिससे बचा जा सकता है।

2.15 चूंकि राज्यों के पास अभी भी पर्याप्त नकदी अधिशेष है तथा आगामी वर्षों में सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अपेक्षाकृत कम रहने की बात सोची जा रही है इसलिए यह जरूरी है कि राज्य अपने बाजार उधारों के प्रति आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। तेरहवें वित्त आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि जिन राज्यों के पास भारी अधिशेष की स्थिति बनी हुई रहती है उन्हें इस बात के प्रयास करने चाहिए कि वे नए उधार लेने से पहले अपने वर्तमान नकदी अधिशेषों का उपयोग कर लें। राज्यों को इस बात का विचार भी करना चाहिए कि उन्होंने 2002 से 2005 के बीच ऋण स्वैप के लिए बाजार से जो उधार लिए थे तथा जिनकी चुकौती आगामी कुछ वर्षों में की जानी निर्धारित है वे ऐसे नकदी अधिशेषों से उन उधारों की एकबारगी चुकौती कर दें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि राज्य सरकारें अपने नकदी आगमों तथा निर्गमों के बारे में एक प्रभावी पूर्वानुमान तथा निगरानी प्रणाली तैयार करें। प्रभावी नकदी प्रबंधन तभी संभव है जब राज्य सरकारें अल्पावधिक आगमों और निर्गमों के रिकॉर्ड मॉनिटरिंग और पूर्वानुमान के संबंध में उपयुक्त कौशल और क्षमता विकसित कर लें। राज्यों को अपनी उन विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए जो राजस्व एकत्र करती हैं तथा निधियां खर्च करती हैं। बड़े खर्चों के बारे में सही समय पर निर्णय लेने तथा बैंक खातों की संख्या के पुनर्गठन से भी नकदी अधिशेषों की बेहतर व्यवस्था में मदद मिलेगी।

7. राज्य बजटों में प्रकटीकरण तथा अधिक जानकारी दिया जाना

2.16 राजकोषीय जवाबदेही संबंधी कानून बना लिए जाने के साथ ही राज्यों के स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन सूचना की उपलब्धता में कमी, उपलब्ध सूचना में असंगति तथा राज्यों द्वारा डेटारिपोर्टिंग में एकरूपता के अभाव से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। कुछ राज्यों के बजटों में बजट बनाने के तौर-तरीकों के संबंध में कई तरह की विसंगतियां हैं। वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बजट संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शी तरीके से सही सूचना उपलब्ध कराई जाए। उदाहरण के लिए, विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद कई राज्यों सरकारें बकाया देनदारियों, आकस्मिक देनदारियों, और बजट से इतर उधारों के संबंध में अपने बजट दस्तावेजों में आंकड़े प्रकाशित नहीं करतीं। राज्यों के बजटों में वेतन और 'परिचालन और अनुरक्षण' से संबंधित आंकड़े कई शीर्षों में दिए जाते हैं - जैसे प्रशासनिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और सामाजिक सेवाएं। इस प्रकार राज्यों के बजटों से वेतन पर तथा परिचालन और अनुरक्षण पर किए गए खर्च का अनुमान कर पाना मुश्किल हो जाता है।

2.17 राज्य सरकारों के बजट संबंधी दस्तावेजों में कई तरह की विसंगतियां रहती हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख राजकोषीय संकेतक अनुपातों की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े कई बार कुछ राज्यों के बजट दस्तावेजों में सकल राज्य घरेलू उत्पादों के संबंध में दिए गए अनुमानों से मेल नहीं खाते। उसी प्रकार राज्य सरकारें प्रमुख मदों के संबंध में सूचनाएं देने के लिए जिन फार्मेट्स का प्रयोग करती हैं उनमें एकरूपता नहीं है। इसलिए जिन राज्यों के मामले में प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता संबंधी मानदंडों के संबंध में त्रुटियां हैं उन्हें, कुछ दूसरे राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वोत्तम उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, उनमें धीरे-धीरे सुधार लाना चाहिए।

8. राज्य वित्त आयोगों का सुदृढीकरण

2.18 स्थानीय निकायों को अधिकाधिक शक्तियों, कार्यों तथा प्राधिकारों को अंतरित करके विकेन्द्रीकरण पर बढ़ते हुए जोर के साथ ही राज्य वित्त आयोगों को सुदृढ करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षतिपूर्ति और अंतरणों के रूप में राज्य से स्थानीय निकायों को अंतरित किए गए संसाधनों की आबंटन संबंधी दक्षता सुनिश्चित करने के मामले में राज्य वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उनके कामकाज को अधिक पूर्वानुमानपरक बनाने के लिए भी राज्य वित्त आयोगों को सुदृढ करना अनिवार्य है। तेरहवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोगों का गठन साथ-साथ किया जाना चाहिए।

2.19 संविधान के अनुच्छेद 243-आइ के अंतर्गत राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति हर पांचवें साल के अंत में की जानी चाहिए। राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को किए जाने वाले सभी अंतरण वर्तमान राज्य वित्त आयोग के आदेश के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। फिर भी कुछ राज्यों में राज्य वित्त आयोगों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के मामले में बहुत अधिक विलंब देखे गए हैं। 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' को अंतिम रूप देने के लिए भी राज्य सरकारें बहुत अधिक समय लगाती हैं। कुछ राज्यों में 'रिपोर्ट की प्रस्तुति' और 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' के बीच बहुत अधिक अंतराल देखा गया है। कुछ राज्यों में राज्य वित्त आयोग गठित ही नहीं किए गए हैं जबकि, कुछ अन्य राज्यों को, संविधान के अनुच्छेद 243एम के अंतर्गत, राज्य वित्त

आयोगों के गठन से छूट प्रदान कर दी गई है। राज्य वित्त आयोग का गठन करते समय राज्य सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि आयोग की रिपोर्ट पर्याप्त विश्लेषणपरक होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि ऐसे विश्वसनीय आंकड़े उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते जिनकी तुलना विभिन्न स्थानीय निकायों के आंकड़ों से की जा सके। ऐसी स्थिति में राज्य वित्त आयोग, राज्य की विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ वितरण-ढांचा तैयार करने के लिए, उन आंकड़ों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इस प्रकार स्थानीय निकायों को स्वस्थ बजट संबंधी, लेखा संबंधी और लेखा परीक्षा के तौर तरीकों संबंधी दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाने चाहिए ताकि राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का बेहतर आकलन कर सके।

9. निष्कर्ष

2.20 निष्कर्ष के रूप में इस समय एक बड़ा मुद्दा राज्यों के स्तर पर राजकोषीय सुदृढीकरण की दिशा में सुनिश्चित प्रगति करना है। यद्यपि राज्यों के राजकोषीय कार्यनिष्पादन अधिकांशतः समष्टि आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, फिर भी उनके लिए जरूरी है कि वे गैर-कर राजस्व के स्रोतों का पता लगाएं और बहुत अधिक सब्सिडी वाले कुछ क्षेत्रों में प्रयोक्ता-प्रभारों से संबंधित अपनी नीतियों की समीक्षा करें। राजकोषीय सुधार के वर्तमान चरण में अधिक जोर खर्च से संबंधित सुधारों पर दिया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक व्यय की उत्पादकता में सुधार आ सके जिससे राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में अनवरत सुधार आ सके। इस संबंध में आगे बढ़ते हुए राज्यों के राजस्व की स्थिति का सही निर्धारण करने में माल और सेवा कर व्यवस्था का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। राज्यों को माल और सेवा कर प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद, कर-आधार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना तथा उसे लागू करना चाहिए। यह भी जरूरी है कि राज्य, राज्य वित्त आयोगों को स्थानीय निकायों से संबंधित मुद्दों के प्रति विश्लेषणात्मक नजरिए का प्रयोग करने के लिए कहकर इन आयोगों को और सुदृढ बनाएं। राज्य वित्त आयोगों द्वारा रिपोर्टों की सही समय पर प्रस्तुति और राज्य सरकार द्वारा 'की गई कार्रवाई' को अंतिम रूप दिया जाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें समय बीतने के साथ असंगत न हो जाएं।

आर्थिक सुधार के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होने तथा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य सरकारों ने 2010-11 के अपने बजटों में नीति संबंधी अनेक उपायों की घोषणा की। मुख्य जोर विभिन्न कर उपायों के माध्यम से और अधिक राजस्व प्राप्त करने पर दिया गया है तथा साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित नीतिगत उपाय घोषित किए गए हैं। कई राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता दी है तथा साथ ही खाद्यान्नों तथा कुछ आवश्यक वस्तुओं के मामले में कर छूट / करों में कमी की भी घोषणा की गई है। राज्यों के बजटों में नीति संबंधी घोषणाओं के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर सामाजिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखते हुए विशिष्ट उपाय भी शामिल किए गए हैं। निकट भविष्य में माल और सेवा कर के प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित वातावरण निर्मित करने हेतु राज्यों और केंद्र ने प्रयास किए हैं। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर काम करते हुए संघ सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक समिति, तथा जो राज्य राजस्व संबंधी घाटे की स्थिति से लंबे समय से गुजर रहे हैं उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है। चूंकि राज्य सरकारों के पास नकदी अधिशेष की स्थिति बनी हुई है इसलिए उनके अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं में वर्ष 2006-07 से परिवर्तन नहीं किया गया है।

1. परिचय

3.1 वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की समष्टि आर्थिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। वृद्धि की संभावनाओं को बल प्रदान करने के लिए नीतिगत उपायों का जोर रोजगार के सृजन तथा कर छूट / कर में कमी पर था। वस्तुतः केवल कुछ राज्यों ने ही अपेक्षाकृत अधिक व्यय और कर छूट को लक्ष्य करके अलग से राजकोषीय सुधार के पैकेजों की व्यवस्था की। लेकिन वृद्धि की बेहतर संभावनाओं का पूर्वानुमान करके राज्यों ने वर्ष 2010-11 के लिए अपने बजट इस तरह प्रस्तुत किए जिनका मुख्य ध्यान कर बढ़ाने संबंधी उपायों पर था और साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए मूल्ययोजित कर और उत्पाद शुल्क की दरों में छूट / कमी जैसे उपाय भी घोषित किए गए। व्यय के मामले में खाद्यान्न की पर्याप्तता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए किया जाने वाले खर्च में वृद्धि के अलावा, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और रोजगार-सृजन के क्षेत्र में विभिन्न योजनागत मदों में (केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं - दोनों के लिए) अधिक राशि का आबंटन प्रस्तावित है। कुछ राज्यों ने सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयास से सड़कों और पुलों तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि कुछ राज्य वर्ष 2010 में गारंटी मोचन फंड की स्थापना/

सुदृढ़ीकरण तथा राजकोषीय सुधारों और बजट प्रबंधन के संबंध में राजकोषीय मानदंडों का भलीभांति निरीक्षण करने के लिए समितियों/आयोगों की नियुक्ति जैसे संस्थागत उपाय आरंभ करेंगे। राज्यवार विस्तृत नीतिगत उपायों का ब्यौरा अनुबंध -1 में दिया गया है। इस अध्याय में राज्य वित्तों के संबंध में राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नीतिगत उपायों और योजनाओं की संक्षिप्त चर्चा की गई है।

2. राज्य सरकारें

3.2 वर्ष 2010-11 के राज्य बजटों में घोषित किए गए नीति संबंधी प्रस्तावों का मुख्य जोर वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार तथा स्थिर वृद्धि की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में, 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर वापस आने पर है।

राजस्व संबंधी उपाय

3.3 राजस्व के मामले में नीति संबंधी उपायों का व्यापक लक्ष्य कर राजस्व में वृद्धि करना है। कर संबंधी नीति से जुड़े प्रमुख उपायों के अंतर्गत ये शामिल हैं : (i) तंबाकू और उससे संबद्ध उत्पादों जैसी खास वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर की दर में वृद्धि (अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक), (ii) परिवहन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सीएनजी, रस्सी,

बन और नेवार, उर्वरक, सूक्ष्म पोषकों और पौधों की वृद्धि तेज करने वाले बायो-इनपुट, किरासन स्टोव, लालटेन और पेट्रोमैक्स तथा उनके स्पेयर पार्ट्स, इम्ब्रायडरी और जरी के सामान, मोशन पिक्चर वितरण, और प्लास्टिक/ग्लास की कतरन (जिन पर पहले छूट थी) जैसी मदों पर मूल्ययोजित कर लगाना (राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (iii) डीज़ल, देशी धी, घरों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक और टिन के डिब्बे तथा बैरल, उर्वरकों, पेस्टीसाइड, अपतृणनाशियों, कीटनाशी, शाकनाशी, कृतकनाशी, तथा पौधों की वृद्धि को संचालित करने वाली वस्तुओं, लकड़ी, इमारती लकड़ी, प्लायवूड और लैमिनेटेड बोर्डों, डोर और विंडो फिटिंग, तथा फर्नीचर जैसी कुछ वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर बढ़ाना (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और (iv) मूल्ययोजित कर पर सरचार्ज लगाना (हरियाणा)। इसके अलावा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कुछ राज्यों ने मूल्ययोजित कर 4% से बढ़ाकर 5% करने की घोषणा की है। मूल्ययोजित कर की दर बढ़ाने के अलावा, राज्यों ने करों को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों की भी घोषणा की है जिनके अंतर्गत उत्पाद शुल्क के ढांचे को तर्कसंगत बनाना (गोवा और असम), यात्री वस्तु कराधान अधिनियम में संशोधन (असम और मेघालय), मूल्ययोजित कर की दर के अनुरूप बनाने के लिए प्रवेश कर दरों में संशोधन (बिहार), मोटर वाहन कर को तर्कसंगत बनाना/संशोधित करना (असम, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र और मिज़ोरम), मूल्ययोजित कर अधिनियम तथा विलासिता और व्यावसायिक कर संबंधी ई-सर्विसेज़ में संशोधन (महाराष्ट्र), स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाना (मणिपुर) और मनोरंजन कर अधिनियम में संशोधन (उड़ीसा) शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई तेजी से वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश राज्यों ने कुछ खाद्यान्नों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर से छूट देने या उसमें कमी लाने का प्रस्ताव दिया है।

3.4 कई राज्यों ने स्टाम्प ड्यूटी की दरों को कम करके (कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तराखंड), दरों में छूट देकर (जम्मू और कश्मीर), कुछ लेनदेनों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करके (छत्तीसगढ़ और केरल) तथा विशेष प्रयोजन के लिए ई-स्टाम्पिंग करके (बिहार) स्टाम्प ड्यूटी के ढांचों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की है। व्यापार तथा ई-भुगतानों पर लगाए जाने वाले करों के मामले में नयी योजनाएं लागू करने के अलावा, कुछ राज्यों ने अपने यहां ई-रिटर्न अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव किया है (बिहार)। कर से भिन्न मामलों में कुछ राज्यों ने राजस्व में वृद्धि करने वाले उपायों की घोषणा की है जिसके अंतर्गत

निम्नलिखित शामिल हैं (i) शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क तर्क संगत बनाना (गोवा और मेघालय), (ii) राजस्व एकत्र करने जैसे राजस्व से जुड़े काम करने के लिए राजस्व विभाग में एक अलग सर्वग के रूप में तलाटियों की भर्ती (गुजरात), (iii) राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश (जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक), (iv) जमीन की बिक्री तथा 16 टन से अधिक वजन वाले वाहनों पर चुंगी लगाना (कर्नाटक), और (v) विद्युत शुल्क तथा वन विभाग की रायल्टी को तर्कसंगत बनाना (मणिपुर)।

व्यय संबंधी उपाय

3.5 कुछ वस्तुओं पर कर में छूट/कर में कमी की घोषणा के अलावा विभिन्न राज्यों ने खाद्यान्नों की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए वर्ष 2010-2011 के दौरान संसाधनों के विशेष आबंटन का प्रस्ताव किया जिसका ब्यौरा बॉक्स III.1 में दिया गया है। खाद्यान्न सुरक्षा पर और अधिक व्यय के अलावा विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सिंचाई, सड़कें और पुल तथा ग्रामीण विकास जैसी सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर किया जानेवाला व्यय वर्ष 2010-11 के दौरान व्यय के आबंटन के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है, यद्यपि बजट में इनमें से कुछ क्षेत्रों पर किये जानेवाले व्यय में अपेक्षाकृत निम्नतर वृद्धि की व्यवस्था की गई है।

3.6 उच्च खाद्यान्न मुद्रास्फीति के परिवेश में कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों से संबंधित नीतिगत पहलों ने अधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हेतु हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने नीतिगत उपायों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए बहुप्रयोजनीय कोल्ड-स्टोरेजों की स्थापना की जाए। किसानों को सहायता देने के लिए असम और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे कृषि ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान करेंगे तथा नागालैंड किसानों को अधिक पैदावार वाले वीज तथा कृषि उपकरण प्रदान करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से त्रिपुरा सरकार ने अपने यहां और अधिक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रख कर एक कार्य-योजना तैयार की है।

3.7 राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं तथा अन्य इन्सेटिव प्रदान करके औद्योगिक वृद्धि तथा

बॉक्स III.1: राज्यों के स्तर पर मुद्रास्फीति और आपूर्ति पक्ष संबंधी उपाय

मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति (दोनों) से संबंधित उपायों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन दोनों उपायों का सापेक्षिक महत्व मुद्रास्फीति के कारणों पर निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति आपूर्ति से चालित है या मांग से। मांग संबंधी दबावों से पैदा होनेवाली मुद्रास्फीति की स्थिति मौद्रिक नीति की सहायता से बेहतर तरीके से ठीक की जा सकती है। लेकिन आपूर्ति पक्ष द्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति संबंधी दबावों के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि वर्ष 2009-10 के दौरान मुद्रास्फीति की स्थिति आपूर्ति पक्ष से संबंधित समस्याओं के कारण पैदा हुई थी, इसलिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता

में सुधार लाने और उसके द्वारा मुद्रास्फीति पर दबाव कम करने के लिए अल्पावधि और मध्यावधि राजकोषीय तथा प्रशासनिक (दोनों) उपाय आरंभ किये। गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए राज्य सरकारों ने भी आपूर्ति पक्ष से संबंधित विभिन्न उपायों की घोषणा की। ऐसे उपाय वर्ष 2010-11 में भी किये जाते रहे तथा कई राज्यों ने मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई खाद्यान्नों पर कर में छूट/कमी की घोषणा की और साथ ही खाद्यान्न वितरण के लिए निधियां आबंटित कीं तथा परिवहन की लागत में छूट प्रदान की। किये गये उपायों का राज्यवार विवरण सारणी 'ए' में दिया गया है।

सारणी ए : मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यवार उपाय

प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली	- असम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए असम स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा की। - अरुणाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबादी को लक्ष्य करना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया जिसके अंतर्गत शिमला के दो प्रखंडों में बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। - मेघालय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाकर और उसे दक्ष बनाकर खाद्यान्न सुरक्षा और मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव किया।
कर में छूट/कमी	- मध्य प्रदेश ने खाद्यान्न, आटा, दालों, नमक, गुड़, शक्कर और कपड़ों पर मूल्ययोजित कर से छूट प्रदान कर दी। - महाराष्ट्र सरकार ने चावल, गेहूं, दालों, आटा, मिर्च और अन्य वस्तुओं पर 31 मार्च 2011 तक या माल और सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन तक, दोनों में से जो भी पहले हो, कर से छूट प्रदान करने की नीति जारी रखने का निर्णय लिया। - केरल सरकार ने आयातित शक्कर पर कर माफ कर दिया। - तमिलनाडु सरकार ने दालों और कुकिंग ऑयल पर वैट से छूट देने की नीति जारी रखने का निर्णय लिया। - उत्तराखंड ने आटा, मैदा, शक्कर और बेसन पर वैट से छूट देने की 2009-10 में घोषित नीति अन्य घरेलू वस्तुओं पर भी लागू करने का निर्णय लिया। - पश्चिम बंगाल सरकार ने शक्कर पर 31 मार्च 2011 तक वैट से छूट देने का निर्णय लिया। धान, चावल, गेहूं और दालों जैसे खाद्यान्नों पर कोई कर न लगाने की नीति भी जारी रहेगी।
खाद्यान्नों की कम कीमत पर आपूर्ति	- गरीबों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के लिए गुजरात ने 133 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। - हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 किस्म की दालों, 2 किस्म के खाद्य तेलों और नमक पर राज्य द्वारा सब्सिडी दिये जाने की योजना लागू करने का वचन दिया। - कम कीमत पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 290 करोड़ रुपये आबंटित किये। - महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में राशन की दुकानों से गेहूं, चावल, शक्कर, अरहर की दाल और खाद्य तेल कम दर पर उपलब्ध कराना जारी रखने का निर्णय किया जिस पर 1550 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। - राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 मई 2010 से 4.70 रुपये की जगह 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की। - तमिलनाडु सरकार ने मई 2007 से उचित मूल्य की दुकानों से कम दर पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना जारी रखा। - उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ किस्म की दालें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, उनका आयात करने की घोषणा की।
प्रवर्तन तथा अन्य उपाय	- असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और उत्तर प्रदेश ने जमाखोरी और मिलावट के विरुद्ध निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया। - बिहार और राजस्थान ने स्टॉक संबंधी सीमा लागू करने की घोषणा की। - हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश ने वस्तुओं की कीमतों पर बारीकी से नजर रखने की घोषणा की। - राजस्थान ने स्टेट, फूड ऐण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन स्थापित करने की घोषणा की तथा शक्कर और गेहूं के क्रय/विक्रय में लाइसेंस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया।

संदर्भ : संबंधित राज्यों के वित्त मंत्रियों के बजट संबंधी भाषण।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस हेतु प्रमुख नीतिगत उपायों के अंतर्गत हर गांव में सूक्ष्मस्तरीय उद्यमों की स्थापना (असम), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को सहायता देने के लिए मार्जिन-मनी अनुदान (छत्तीसगढ़), पूंजी बढ़ाने के लिए

जोखिम पूंजी निधि और वायबिलिटी गैप फंड (गोवा), छोटे और अत्यंत छोटे उद्यम स्थापित करने तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिए 'हाट और शिल्पग्राम' नामक इंपोरियम स्थापित करने के लिए महिलाओं हेतु विशिष्ट उद्यमी विकास कार्यक्रम (गोवा), बंदरगाहों, विशेष

आर्थिक क्षेत्रों और विशेष निवेश क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रोड नेटवर्क (गुजरात), कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के विपणन अभियान को सुकर बनाना (जम्मू और कश्मीर), तथा प्रत्येक जिले में छोटे और मझोले उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना (कर्नाटक) शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि उद्योगों और औद्योगिक विकास के केंद्र स्थान के रूप में मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद गोल्डेन क्वाड्रिलैटरल के लिए एक नीति बनायी। उद्योगों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे इनपुट/आउटपुट पर प्रवेश कर में छूट/कमी करने की घोषणा की है।

3.8 कई राज्यों ने वर्ष 2010-11 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करते समय सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण को और बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ शैक्षिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा किसी निश्चित विषय की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2010 से प्रत्येक बच्चे के लिए कक्षा दस तक शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है, तथा हिमाचल प्रदेश ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिनियम, 2009 कार्यान्वित करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। गुजरात सरकार ने पंद्रह वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए 'सरस्वती यात्रा' नामक नयी योजना घोषित की है तथा आंध्र प्रदेश में शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए *सर्वशिक्षा अभियान* तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित 'साक्षर भारत' नामक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया है।

3.9 राज्यों के बजटों में सामाजिक कल्याण के लिए घोषित किए गए नए नीतिगत उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं : (i) स्वयं सहायता समूहों की सदस्य 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अंशदायी पेंशन योजना (डॉ. वाई.एस. आर अभय हस्तम योजना) (आंध्र प्रदेश), (ii) वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अपंगों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि (राजस्थान), (iii) वृद्धों और असहायों के लिए मासिक पेंशन (तमिलनाडु), (iv) समस्त निवासी जनसंख्या के लिए बीमा नीति योजना (स्वर्ण जयंती आरोग्य बीमा) के माध्यम से बीमा कवर (गोवा) और (v) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के

अंतर्गत न्यूनतम काम पूरा कर लेनेवाले सभी परिवारों के लिए 2 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराना (केरल)।

3.10 राज्यों ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी उपायों की घोषणा की ताकि महिलाएं विकास के लाभ प्राप्त कर सकें। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं : (i) गरीबी रेखा के नीचे वाले किसी परिवार में जन्म लेनेवाली प्रत्येक लड़की के नाम से, "बेटी है अनमोल योजना" के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में 5,100 रुपये जमा करना (हिमाचल प्रदेश), (ii) किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम से खरीदी गयी जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट (जम्मू और कश्मीर), (iii) शिक्षित महिलाओं को उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना (कर्नाटक) और (iv) महिलाओं के नाम में अंतरित संपत्ति के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करना (पंजाब)।

3.11 राज्यों के बजटों में घोषित किए गए नीतिगत उपायों का लक्ष्य वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों में वित्तीय समावेशन/बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना भी है। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं : (i) बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को अपेक्षाकृत सस्ते ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त बैंक ऋणों के लिए ब्याज पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी (अरुणाचल प्रदेश), (ii) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाना (गुजरात और कर्नाटक), (iii) 2000 तक की आबादी वाले गाँवों में शाखारहित बैंकिंग और बिज़नेस कॉरिस्पॉन्डेन्ट्स तथा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से सप्ताह में कम-से-कम एक दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना (बिहार) और (iv) सीमान्त कृषकों, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को अधिक ऋण उपलब्ध कराना तथा प्रारंभिक धन (सीड कैपिटल) प्रदान करना (मेघालय)। नागालैंड सरकार ने बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है तथा उत्तराखंड ने वर्ष 2010-11 के दौरान 428 गांवों में मिनी बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। राजस्थान ने एग्रीगेट को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से सहकारिता अभियान को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया है।

3.12 वर्ष 2010-11 में राज्यों की नीतिगत पहलों के अनुसार सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सेवाओं का विकास प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं (i) ग्रामीण नागरिकों को मूल्ययोजित सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलों तथा नागरिक सेवा केंद्रों का निर्माण (आंध्र प्रदेश), (ii) इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि स्थापित

करना (गोवा), (iii) सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से चलायी जा रही परियोजनाओं के वित्तपोषण, कार्यान्वयन, अनुरक्षण तथा परिचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बोर्ड गठित करना (हरियाणा), (iv) विद्युत का परेषण और वितरण तथा एक्सप्रेसवेज का निर्माण (उत्तर प्रदेश), (v) अस्पतालों का निर्माण (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और (vi) तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना (हरियाणा)।

संस्थागत उपाय तथा अन्य नीतिगत प्रमुख पहलें

3.13 राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून, मूल्ययोजित कर, नयी पेंशन योजनाएं जैसे किए गए संस्थागत उपायों तथा समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि की स्थापना से उन्हें पिछले दशक में अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली है। इस दिशा में हुई प्रगति अत्यंत उत्साहवर्धक रही है क्योंकि सभी राज्यों ने मूल्ययोजित कर व्यवस्था लागू कर दी है और राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून पारित कर दिए हैं। वस्तुतः वर्ष 2010-11 के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि पश्चिम बंगाल और सिक्किम

सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित किया जाना है जिससे इन राज्यों में वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गमन में सहायता मिलने की उम्मीद है, वह भी विशेषतः पश्चिम बंगाल में जो लंबे समय से राजस्व घाटा झेल रहा है (बॉक्स III.2)। राजकोषीय परिचालनों तथा ऋणों को अपेक्षित सीमा के अंदर बनाए रखने के मामले में और अधिक पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए सिक्किम के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2010 में वर्ष 2010-11 में राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त करने तथा सकल राजकोषीय घाटा - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घटाकर वर्ष 2011-12 में 3.5 प्रतिशत करने तथा वर्ष 2013-14 तक 3.0 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य संकेतकों के संबंध में राज्यवार स्थिति सारणी III.1 में दी गई है।

3.14 राज्यों के वर्ष 2010-11 के बजटों में घोषित किए गए अन्य संस्थागत उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं :
(i) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों का शत-प्रतिशत उपयोग

बॉक्स III.2: पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2010

पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम जुलाई 2010 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि राजकोषीय प्रबंध के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाए जाएं और राजस्व घाटे में धीरे-धीरे कमी करके राजकोषीय स्थिरता लायी जाए, राजकोषीय घाटे में कमी की जाए और राजकोषीय सुव्यवस्था के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन किया जाए, राज्य सरकार के राजकोषीय परिचालनों में और अधिक पारदर्शिता लायी जाए तथा राजकोषीय नीति मध्यावधि ढांचे के अंतर्गत संचालित की जाए।

प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संबंधी लक्ष्यों के बारे में इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार धीरे-धीरे राजस्व घाटा कम करेगी तथा 5 वर्ष के भीतर राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त कर लेगी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व घाटे का वर्ष 2011-12 में 1.6 प्रतिशत का लक्ष्य होगा जिसे 2014-15 तक कम करके शून्य पर लाया जाएगा और राजस्व खाते में तैयार हुए अधिशेष का उपयोग आस्तियों से अधिक देयताओं को चुकाने के लिए किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान प्रस्तावित 3.5 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को घटाकर वर्ष 2013-14 तक 3.0 प्रतिशत पर लाया जाएगा।

घाटा संकेतकों को परिभाषित करने के अलावा इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि वार्षिक बजट के साथ एक मध्यावधिक राजकोषीय नीति संबंधी रणनीतिक वक्तव्य राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिकांश अन्य राज्यों की तरह, इस अधिनियम में राजकोषीय संकेतकों के संबंध में तीन वर्ष के लिए चल लक्ष्य तय करने की व्यवस्था है। सबसे अधिक जोर अंतर्निहित अनुमानों/धारणाओं, लेखाकरण मानकों, पूंजीगत प्राप्तियों के उपयोग, आगामी वित्त वर्ष के लिए कराधान तथा व्यय के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों, रणनीतिक प्राथमिकताओं, उधार और अन्य देयताओं, उधार देने और निवेश करने, हानि और गारंटियों तथा राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उन गतिविधियों के संबंध में और अधिक पारदर्शिता

तथा प्रकटीकरण पर है जिनका प्रभाव बजट पर पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार को (i) संविदा संबंधी बकाया देयताओं, (ii) राजस्व संबंधी की गयी ऐसी मांग जिसकी वसूली नहीं की जा सकी हो, (iii) बड़े कामों और आपूर्ति संबंधी संविदाओं के मामले में देनदारियों संबंधी आश्वासनों, (iv) सार्वजनिक वस्तु और सेवाएं प्रदान करने में हुए घाटों, तथा बजट से भिन्न उधार तथा गारंटियों के आधार पर सृजित आकस्मिक देयताओं से जुड़ी सूचनाएं प्रकट करना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऐसी हर मद का पूरा लेखा-जोखा दिया जाएगा जिसके संबंध में पिछले वर्ष के दौरान राजकोषीय लक्ष्य से भिन्नता की स्थिति पैदा हुई हो। राज्य के बजट में, आगामी वर्ष के दौरान निर्दिष्ट सीमा से अधिक घाटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आकस्मिक उपायों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम का पारित किया जाना पश्चिम बंगाल में नियम-आधारित राजकोषीय नीति की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकार को निश्चित नीतियां बनानी होंगी। भले ही इस अधिनियम से अधिक पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण सुकर हो सकेगा, फिर भी इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए बकाया ऋणों और गारंटियों पर कोई मात्रात्मक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार (i) राज्य-विशिष्ट अनुदानों, (ii) ऋण समेकन और राहत सुविधा का लागू होना और (iii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राइट ऑफ पर ब्याज से राहत के संबंध में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित हो सकती है। 13वें वित्त आयोग ने इन योजनाओं के अंतर्गत, संबंधित राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित किये जाने / उसमें संशोधन किये जाने की शर्त के अधीन, लाभ प्रदान किये जाने की सिफारिश की थी।

सारणी III.1: राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत उपाय*

राज्य	मूल्ययोजित कर (वैट) कार्यान्वित	बनाया गया राजकोषीय उत्तरादायित्व कानून (एफआरएल)	शुरू की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)	गारंटी की सीमा लगाई गई	समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1	2	3	4	5	6	7
1 आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	हां	हां	हां
2 अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	हां	हां	नहीं
3 असम	मई 2005	सितंबर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4 बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	हां	नहीं	नहीं
5 छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	हां	नहीं
6 गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7 गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8 हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9 हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	हां#	नहीं	नहीं
10 जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11 झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12 कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितंबर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13 केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	2010 **	हां	हां	नहीं
14 मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15 महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	हां	हां	नहीं
16 मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
17 मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	हां	हां	हां ***
18 मिजोरम	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2006	नहीं	हां	हां	हां #
19 नागालैण्ड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20 उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21 पंजाब	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22 राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	हां #
23 सिक्किम	अप्रैल 2005	सितंबर 2010	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24 तामिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	हां #
25 त्रिपुरा	अक्टूबर 2005	जून 2005	नहीं	हां	हां	नहीं
26 उत्तराखंड	अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2005	हां	हां	हां
27 उत्तरप्रदेश	जनवरी 2008	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28 पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	जुलाई 2010	नहीं	हां	हां	नहीं
Sum-up	28	28	20	18	20	15

* नवंबर 2010 के अंत की स्थिति।

** केरल राज्य वित्तीय एन्टरप्राइजेज के कर्मचारियों के लिए 2010-11 के बजट में घोषित।

*** 2010-11 के बजट में प्रस्तावित।

राज्य वित्तीय लेखे पर सीएजी रिपोर्ट पर आधारित अपडेशन।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक अभिलेख से प्राप्त जानकारी पर आधारित।

सुनिश्चित करने के लिए खर्च में हुई प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन (जम्मू और कश्मीर), (ii) राज्य के वित्तीय उद्यमों के लिए अंशदायी पेंशन योजना शुरू करना (केरल), (iii) चूक के जोखिम न होने देने के लिए गारंटियों को सीमित रखना तथा गारंटी मोचन फंड स्थापित करना (मेघालय), (iv) गारंटी मोचन फंड की राशि बढ़ाना (मिजोरम), (v) राजकोषीय सुधारों और बजट प्रबंध योजना के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की उगाही तथा ऋण प्रबंध पर जोर देना (सिक्किम) और (vi) सुधार सहायता यूनिट और कर अनुसंधान इकाई तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना (बिहार)।

3.15 स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों ने अपने राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक निधि उपलब्ध कराए जाने

की घोषणा की है (अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा)। मेघालय ने अपने विद्युत शुल्क अधिनियम और विलासिता कर अधिनियम (होटल और लाज) में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। सिक्किम ने राज्य में विकेंद्रीकृत प्रशासन के लिए प्रखंड विकास समितियों के गठन का प्रस्ताव किया है।

3.16 असम सरकार ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट में चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन की घोषणा की है।

3. भारत सरकार

3.17 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्यों के कोषागारों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 626 करोड़ रुपये की एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें केंद्र सरकार 482

करोड़ रुपये की सहायता देगी। वर्ष 2010-11 से आरंभ करके लगभग 3 वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली यह योजना राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को उनके कोषागारों के कंप्यूटरीकरण, उन्नयन, विस्तार और इंटरफेस संबंधी जरूरतों, तथा आधारभूत कंप्यूटरीकरण के काम में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से बजट की प्रक्रिया अधिक दक्ष बनेगी, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार आयेगा, लेखाओं के तत्काल समाधान को बढ़ावा मिलेगा, प्रबंध सूचना प्रणाली सुदृढ़ होगी, लेखे तैयार करने में सटीकता बढ़ेगी, लेखे समय पर तैयार होंगे, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं ताकि वे अपने प्रस्ताव तैयार कर सकें। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 'अधिकार प्राप्त समिति' तथा 'कार्यक्रम दिशानिर्धारण समिति' नामक दो समितियां गठित की गयी थीं।

3.18 केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न से संबंधित वस्तुओं की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करके देश में खाद्यान्न की पर्याप्तता के प्रबंधन के लिए उपायों की घोषणा की। प्रत्यक्ष कर कोड 1 अप्रैल 2012 से लागू किया जाना है तथा माल और सेवा कर, कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाने तथा उसके कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार हो जाने के बाद, लागू किया जायेगा। सरकार ने माल और सेवा कर के संबंध में संसद में 23 मार्च 2011 को संविधान संशोधन बिल पहले ही पेश कर दिया है। तेरहवें वित्त आयोग के आकलन और उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्वरूप की समीक्षा करने के लिए एक समिति तथा राजस्व घाटा झेल रहे राज्यों का राजस्व घाटा दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति (केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल) गठित कर दी है।

3.19 चूंकि जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की जलवायु अत्यंत प्रतिकूल है तथा उस क्षेत्र में बिजली की कमी रहती है, इसलिए भारत सरकार ने सोलर, छोटी जल विद्युत और अत्यंत छोटी बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तिरुपुर में मलशोधन संयंत्र में 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम' स्थापित करने की लागत के रूप में अनुदान देने की घोषणा की है ताकि पर्यावरण को क्षति पहुंचाएं बिना इस उद्योग को जारी रखा जा सके। गोवा के समुद्री तटों का पुनरुद्धार करके (जहां बहुत ज्यादा कटाव होता रहता है), और पोषणीय वानिकी के माध्यम से हरियाली वाले क्षेत्र का विस्तार करके गोवा के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज की घोषणा की गई। वर्ष

2010-11 में स्कूली शिक्षा के लिए अधिक योजनागत आबंटन करने के अलावा राज्यों को वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधन प्रदान किये गये हैं। मलिन बस्ती मुक्त भारत के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय बजट 2010-11 में राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2010-11 के दौरान अधिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। असंगठित क्षेत्र में लोगों को उनकी सेवा निवृत्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने और ऐसे अभिदाताओं के लिए नयी पेंशन योजना चालू करने की लागत में कमी लाने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान खोले जाने वाले प्रत्येक नयी पेंशन योजना के खाते में 1,000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान करने की घोषणा की है। 'स्वावलंबन' नामक यह सुविधा वर्ष 2010-11 के दौरान 1,000 रुपये से आरंभ करके अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान करके नयी पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध होगी। तदनुसार वर्ष 2010-11 के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। राज्यों में वाणिज्यिक करों की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' नामक परियोजना हाल ही में अनुमोदित की गयी है जिस पर 1,113 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे जिसमें से केंद्र का हिस्सा 800 करोड़ रुपये का होगा। यह परियोजना माल और सेवा कर योजना लागू करने के लिए आधार का काम करेगी।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक

3.20 वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों का बाजार उधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया, भले ही सकल उधार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थे। उच्चतर घाटे से संबंधित चिंताओं और मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों का भी लागत पर प्रभाव पड़ा जिसके चलते राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर भारित औसत लाभ में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्प्रेड में कमी आयी जो राज्य ऋणों की और अधिक समान वितरण वाली नीलामी का सूचक है। खुदरा/मध्यम श्रेणी के निवेशकों ने राज्य विकास ऋणों की नीलामी में उपलब्ध गैर-प्रतियोगितात्मक बोली की सुविधा के प्रति अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था 25 अगस्त 2009 से लागू की गई है। अधिक व्यापक खुदरा सहभागिता के परिणामस्वरूप कई राज्यों में वर्ष 2009-10 के दौरान 'कट-ऑफ यील्ड' अपेक्षाकृत निम्न स्तर बना रहा।

3.21 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत जनवरी 2011 में जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक अनुपूरक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक जम्मू और कश्मीर सरकार का सामान्य बैंकिंग कारोबार करेगा तथा 1 अप्रैल 2011 से सरकार की निधियों के निवेश के लिए उसके एकमात्र एजेंट के रूप में काम करेगा। राज्य सरकार की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक ने जे ऐण्ड के बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जिसके अनुसार राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग कारोबार के संचालन के लिए जे ऐण्ड के बैंक रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में काम करेगा।

5. निष्कर्ष

3.22 वर्ष 2010-11 में समष्टि आर्थिक परिवेश में सुधार आने तथा पिछले दो वर्षों के दौरान आये असंतुलनों को सुधारने की आवश्यकता

के चलते राज्य सरकारों ने अधिक कर संग्रह का लक्ष्य रखकर कई उपाय घोषित किये। कर संबंधी उपायों से राज्यों के राजस्व घाटे में वृद्धि द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना सुनिश्चित हो सकेगा। व्यय के संबंध में वर्ष के दौरान सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा। इन योजनाओं में ऐसे नीतिगत उपायों पर और अधिक जोर दिया गया जिनका लक्ष्य आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाने-पीने के सामानों की बढ़ती कीमतों से जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अलावा राज्य सरकारों ने विकास और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के प्रति अपनी रुचि दिखायी ताकि अधिक वृद्धि की जा सके और इस वृद्धि को कायम भी रखा जा सके। साथ ही सामाजिक क्षेत्र पर किये जाने वाले व्यय से संबंधित नीतियों से राज्यों को मानव पूंजी की गुणवत्ता में सुधार लाने और समग्र विकास की स्थिति हासिल करने में मदद मिलेगी।

IV

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में आई मामूली गिरावट का असर राज्य सरकारों के 2008-09 तथा 2009-10 के वित्त में भी दिखाई दिया। राज्य वित्त की हालत विशेष रूप से 2009-10 में तब काफी बिगड़ गई थी जब तीन वर्ष बाद फिर से समेकित स्तर पर राजस्व घाटा हुआ तथा सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। 2009-10 के संशोधित अनुमानों ने भी बजट अनुमानों की तुलना में और खराब स्थिति की ओर इशारा किया। तथापि, वृद्धि की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए राज्यों ने 2010-11 में राजकोषीय समेकन के पथ पर फिर से अग्रसर होने का मन बनाया जैसा कि उनके बजट अनुमानों से स्पष्ट होता है। 2010-11 में राजस्व घाटा तथा सकल राजकोषीय घाटा दोनों में गिरावट आने का अनुमान है। समेकित स्तर पर 2010-11 में राजस्व खाते में होने वाला प्रत्याशित सुधार पूर्णतः राजस्व व्यय में कटौती (जीडीपी के अनुपात के रूप में) के जरिए आने की संभावना है। परंतु, सकल व्यय की उभरती प्रवृत्ति दर्शाती है कि विकास व्यय में वृद्धि की दर विकासेतर व्यय की तुलना में कम होगी। राजकोषीय समेकन की दिशा में सतत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को गैर-कर राजस्व के स्रोतों को तलाशना होगा और व्यय की एक ऐसी प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना होगा जिससे न केवल वृद्धि की गति में तेजी आती हो बल्कि सार्वजनिक कल्याण में भी वृद्धि होती हो।

1. परिचय

4.1 पिछले दो वर्षों में राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में काफी गिरावट आयी। 2008-09 तथा 2009-10 में प्रमुख वित्तीय संकेतकों में प्रतिकूल संकेत दिखाई दिए क्योंकि राज्यों ने छोटे केंद्रीय/राज्य वेतन आयोगों (सीपीसी/एसपीसी) की सिफारिशों को लागू किया था। साथ ही समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के असर को कम करने के लिए उन्होंने विभिन्न विवेकाधीन उपाय किए थे। 2007-08 तक राजकोषीय समेकन की दिशा में की गई प्रगति के चलते राज्य सरकारों को विस्तारकारी राजकोषीय रुख अपनाने में मदद मिली। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2008-09 तथा 2009-10 में राज्यों के जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी। 2008-09

के दौरान आर्थिक वृद्धि की दर में गिरावट आने के कारण राजस्व के संग्रहण में कमी आई तथा सकल व्यय में वृद्धि हुई। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप 2008-09 में राजस्व अधिशेष में तेजी से गिरावट आयी क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि की दर राजस्व प्राप्तियों की दर से अधिक हो गयी थी। 2009-10 (सं.अ.) में राज्य वित्त की स्थिति में गिरावट जारी रही जिसके फलस्वरूप तीन वर्ष बाद राजस्व घाटा पुनः दिखाई दिया जो जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रहा। राजस्व लेखा में हुए इन घटनाक्रमों का असर 2008-09 (लेखा) और 2009-10(सं.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। तथापि 2010-11 (ब.अ.) में राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है जैसाकि उनके प्रमुख राजकोषीय संकेतकों से स्पष्ट है (सारणी IV.1)।

सारणी IV.1: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	औसत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)	90,084 (2.4)	77,508 (1.8)	75,455 (1.5)	1,34,589 (2.4)	1,99,510 (3.0)	2,16,101 (3.3)	1,98,539 (2.5)
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)	7,013 (0.2)	-24,857 (-0.6)	-42,943 (-0.9)	-12,672 (-0.2)	32,295 (0.5)	46,663 (0.7)	24,370 (0.3)
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.3)	6,060 (0.2)	-15,672 (-0.4)	-24,376 (-0.5)	31,634 (0.6)	83,083 (1.3)	100,197 (1.5)	69,883 (0.9)

ब.अ.: बजट अनुमान.

सं.अ.: संशोधित अनुमान.

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक(-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. 2004-05 से प्रारंभ करके वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी का अनुपात केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय लेखा 2004-05 सिरिज़ पर आधारित है। पिछले वर्षों के जीडीपी के आंकड़े 1999-2000 श्रृंखला के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

इस अध्याय में राज्य वित्त की 2008-09 (लेखा), 2009-10 (सं.अ.) तथा 2010-11 (ब.अ.) की समेकित स्थिति की जानकारी दी गई है।

2. लेखा : 2008-09

4.2 2008-09 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति बिगड़ गई क्योंकि समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई थी तथा छोटे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण राजस्व व्यय संबंधी दायित्व भी बढ़ गया। परंतु संशोधित अनुमानों को लेखों में रूपांतरित करते समय समेकित

स्तर पर 2008-09 के राजकोषीय परिणाम आशा से बेहतर रहे। तदनुसार वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व लेखों का समेकित अधिशेष उच्चतर था जबकि लेखों में राजकोषीय घाटा कम था। जीडीपी के अनुपात के रूप में समेकित राजस्व अधिशेष में मामूली वृद्धि हुई जो 2008-09 (सं.अ.) के 0.19 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 (लेखा) में 0.23 प्रतिशत हो गयी। राजस्व खाते में हुआ सुधार वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लेखों में राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट के मुकाबले राजस्व व्यय में हुई भारी कमी का असर परिलक्षित होता है (सारणी IV.2 तथा परिशिष्ट सारणी 1 तथा 2)।

सारणी IV.2: प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (सं.अ.)	2008-09 (लेखा)	घटबढ़		घटबढ़ में हिस्सा* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	7,37,865	6,94,657	-43,208	-5.9	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,03,878	4,82,983	-20,895	-4.1	48.4
(क) स्वयं के कर राजस्व	3,30,405	3,21,930	-8,475	-2.6	19.6
जिसमें से : बिजली कर	2,02,610	1,98,327	-4,283	-2.1	9.9
(ख) केंद्रीय करों में हिस्सा	1,73,473	1,61,052	-12,421	-7.2	28.7
(ii) करेतर राजस्व	2,33,987	2,11,675	-22,312	-9.5	51.6
(क) राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व	79,614	81,751	2,137	2.7	-4.9
(ख) केंद्र से अनुदान	1,54,373	1,29,923	-24,450	-15.8	56.6
II. राजस्व व्यय	7,27,165	6,81,985	-45,180	-6.2	100.0
जिसमें से:					
(i) विकासात्मक व्यय	4,45,889	4,14,452	-31,437	-7.1	69.6
जिसमें से:					
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,29,706	1,21,276	-8,430	-6.5	18.7
परिवहन तथा संचार	19,975	19,776	-200	-1.0	0.4
बिजली	36,715	37,337	622	1.7	-1.4
प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	10,076	8,326	-1,750	-17.4	3.9
ग्रामीण विकास	30,040	26,550	-3,489	-11.6	7.7
(ii) विकासेतर व्यय	2,60,899	2,49,016	-11,883	-4.6	26.3
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवाएं	57,144	52,431	-4,713	-8.2	10.4
पेंशन	66,938	65,440	-1,498	-2.2	3.3
ब्याज भुगतान	106,220	1,02,955	-3,265	-3.1	7.2
III. पूंजी प्राप्तियां	1,86,201	1,96,634	10,433	5.6	100.0
जिसमें से:					
ऋणेंतर पूंजी प्राप्तियां	5,314	266	-5,048	-95.0	-48.4
IV. पूंजीगत व्यय	2,13,259	2,00,347	-12,912	-6.1	100.0
जिसमें से:					
पूंजी परिव्यय	1,57,254	1,42,628	-14,626	-9.3	113.3
जिसमें से:					
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूंजी परिव्यय	48,727	43,692	-5,035	-10.3	39.0
बिजली के लिए पूंजी परिव्यय	18,728	17,141	-1,587	-8.5	12.3
परिवहन के लिए पूंजी परिव्यय	29,614	27,604	-2,010	-6.8	15.6
ज्ञापन मदें:					
राजस्व घाटा	-10,701	-12,672	-1,971	18.4	
सकल राजकोषीय घाटा	1,46,349	1,34,589	-11,760	-8.0	
प्राथमिक घाटा	40,128	31,634	-8,494	-21.2	

सं.अ.: संशोधित अनुमान। * : संबंधित जोड़ का प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

टिप्पणी: 1. घाटे में ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल हैं जबकि पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।

3. परिशिष्ट के संबंध में दी गई टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

4.3 राजस्व व्यय में हुई कमी मुख्यतः विकास से संबंधित घटकों में थी जिसमें 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में तेजी से गिरावट आयी। यह गिरावट विकास राजस्व व्यय की सभी प्रमुख श्रेणियों अर्थात् 'शिक्षा, खेलकूद, तथा कला और संस्कृति', 'चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य' तथा 'ग्रामीण विकास' में देखी गयी। गैर-विकास राजस्व व्यय भी कम रहा एवं 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राजस्व व्यय में जो कमी आई उसकी एक-चौथाई से भी अधिक की कमी इसी वजह से थी। गैर-विकास राजस्व के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा ब्याज भुगतान आते हैं, में 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आयी।

4.4 2008-09 (लेखा) में राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमानों से कम रहीं जो केंद्र से अंतरण तथा राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में हुई गिरावट की वजह से थी। 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में केंद्र से प्राप्त होनेवाले अनुदानों तथा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में गिरावट आयी जो राजस्व प्राप्तियों में हुई कुल गिरावट के 85.3 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक कार्यकलापों में आयी गिरावट को प्रतिबिंबित करते हुए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) के संग्रहण में गिरावट आयी। तथापि इसकी आंशिक भरपाई 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि से हुई।

4.5 राजस्व लेखा में हुई मामूली वृद्धि जीएफडी-जीडीपी अनुपात में हुई गिरावट में परिलक्षित हुई। 2008-09 (सं.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.6 प्रतिशत था जो 2008-09 (लेखा) में घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया। संशोधित अनुमानों की तुलना में पूंजी परिव्यय में हुई 9.3 प्रतिशत की गिरावट की वजह से जीएफडी-जीडीपी अनुपात में और अधिक गिरावट आयी। परिणामस्वरूप, 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राज्यों के समेकित जीएफडी में गिरावट आयी। जीएफडी में हुई गिरावट को प्रतिबिंबित करते हुए राज्य सरकारें 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में प्राथमिक घाटे को कम करने में सफल हुईं।

3. संशोधित अनुमान: 2009-10

4.6 2009-10 में राज्य वित्त की स्थिति में गिरावट जारी रही। आगे और गिरावट की संभावना को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने ढांचागत क्षेत्र में उच्चतर व्यय सहित विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की जबकि कुछ अन्य राज्यों ने कर में छूट तथा अपने करों की दरों में कमी की ताकि आर्थिक कार्यकलापों में तेजी लायी जा सके। अतः तीन वर्ष बाद 2009-10 में राजस्व घाटा पुनः दिखाई दिया तथा बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में जीएफडी उच्चतर रहा। 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में राजस्व लेखा की हालत इसलिए बिगड़ी क्योंकि राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में जो थोड़ी-बहुत वृद्धि हुई थी, राजस्व व्यय में उससे भी अधिक की वृद्धि हुई (सारणी IV.3)। 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा (आरडी-जीडीपी) 0.7 प्रतिशत था जो 2009-10 (ब.अ.) के 0.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से अधिक है।

4.7 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में राज्यों की कर प्राप्तियों में गिरावट आयी जो केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई उल्लेखनीय गिरावट एवं राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) में आई थोड़ी गिरावट को प्रतिबिंबित करता है। आर्थिक गिरावट के कारण केंद्र के सकल कर राजस्व में गिरावट आयी जिसके चलते 2009-10 (सं.अ.) में केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्सों के अंतर्गत बजटीय अंतरण से भी कमी आयी। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में भी मामूली गिरावट आयी क्योंकि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, व्यावसायिक तथा भू-राजस्व से प्राप्त होने वाले राजस्व के संग्रहण में बजटीय स्तर से गिरावट आ गयी थी। परंतु विशेष रूप से ओएनटीआर के घटक में तेज वृद्धि होने के कारण राज्यों के गैर कर राजस्व में वृद्धि हुई जबकि 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में केंद्र से प्राप्त होनेवाले सहायता अनुदान में मामूली वृद्धि हुई। बजटीय स्तर से राज्यों के ओएनटीआर में जो सुधार हुआ वह शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति, बिजली, सिंचाई तथा ब्याज प्राप्तियों के माध्यम से उच्चतर संग्रहण को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट की पूर्णतः भरपाई करेतर राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि से हो जाने के चलते 2009-10 (सं.अ.) में राज्यों की बजटीय राजस्व प्राप्तियां मामूली रूप से उच्चतर थीं।

सारणी IV.3 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	घटबढ़		घटबढ़ में हिस्सा* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्ति (i+ii)	8,04,943	8,07,388	2,445	0.3	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,52,243	5,31,004	-21,239	-3.8	-868.7
(क) स्वयं के कर राजस्व	3,66,523	3,65,527	-995	-0.3	-40.7
जिसमें से : बिक्री कर	2,25,009	2,25,227	218	0.1	8.9
(ख) केंद्रीय करों में हिस्सा	1,85,720	1,65,477	-20,243	-10.9	-827.9
(ii) करेतर राजस्व	2,52,701	2,76,384	23,684	9.4	968.7
(क) राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व	84,017	97,178	13,161	15.7	538.3
(ख) केंद्र से अनुदान	1,68,683	1,79,206	10,523	6.2	430.4
II. राजस्व व्यय	8,37,238	8,54,051	16,813	2.0	100.0
जिसमें से:					
(i) विकासात्मक व्यय	4,92,443	5,15,929	23,486	4.8	139.7
जिसमें से:					
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,54,781	1,61,519	6,738	4.4	40.1
परिवहन तथा संचार	20,227	22,519	2,292	11.3	13.6
बिजली	32,020	34,248	2,228	7.0	13.3
प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	5,540	10,378	4,838	87.3	28.8
ग्रामीण विकास	43,147	29,640	-13,507	-31.3	-80.3
(ii) विकासेतर व्यय	3,21,907	3,16,504	-5,403	-1.7	-32.1
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवाएं	74,389	71,249	-3,140	-4.2	-18.7
पेंशन	87,220	87,271	51	0.1	0.3
ब्याज भुगतान	1,16,427	1,15,904	-524	-0.4	-3.1
III. पूंजी प्राप्ति	2,25,014	2,37,355	12,341	5.5	100.0
जिसमें से:					
ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति	2,216	361	-1,855	-83.7	-15.0
IV. पूंजीगत व्यय	2,18,540	2,26,580	8,041	3.7	100.0
जिसमें से:					
पूंजी परिव्यय	1,60,247	1,60,407	160	0.1	2.0
जिसमें से:					
शहरी विकास के लिए पूंजी परिव्यय	2,502	2,833	331	13.2	4.1
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूंजी परिव्यय	45,905	47,346	1,440	3.1	17.9
बिजली के लिए पूंजी परिव्यय	15,478	17,713	2,236	14.4	27.8
परिवहन के लिए पूंजी परिव्यय	28,859	32,062	3,203	11.1	39.8
बिजली के लिए पूंजी परिव्यय	16,690	18,728	2,038	12.2	25.4
ज्ञापन मदें:					
राजस्व घाटा	32,295	46,663	14,368	44.5	
सकल राजकोषीय घाटा	1,99,510	2,16,101	16,591	8.3	
प्राथमिक घाटा	83,083	1,00,197	17,115	20.6	

ब.अ.: बजट अनुमान

सं.अ.: संशोधित अनुमान

* : संबंधित जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

टिप्पणी सारणी III.2 की टिप्पणी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

4.8 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में राजस्व व्यय में बढ़ोतरी हुई और यह शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति, प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत, बिजली, सिंचाई तथा परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में विकासात्मक व्यय में हुई बढ़ोतरी के कारण थी।

राज्य सरकारें बजट अनुमानों की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में मुख्यतः प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित विकासेतर व्यय (3,613 करोड़ रुपए) को रोकने में सफल हुई। 2009-10 (सं.अ.) के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं तथा ब्याज भुगतानों के संबंध में किए गए व्यय उनके संबंधित बजट

अनुमानों से कम थे। परंतु 2008-09 (लेखा) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित व्यय उच्चतर था जो वर्ष के दौरान छठे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण मजदूरी तथा वेतन में हुई वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है।

4.9 समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों को राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत करने की अनुमति दी। इस प्रकार 2009-10 में राज्यों को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई। इस अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन का उपयोग पूंजीगत निवेश के लिए किया जाना था। जहां राज्य सरकारों के पूंजी परिव्यय तथा निवल उधार उनके बजटीय स्तर के लगभग समान रहे वहीं 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया जो मुख्यतः बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व घाटे में वृद्धि होने की वजह से था।

4. बजट अनुमान : 2010-11

4.10 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आयी जो प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को लागू किए जाने, आर्थिक परिवेश में गिरावट के अनुरूप कर राजस्व में चक्र्रीय गिरावट आने (विशेष रूप से 2008-09 में) तथा छठे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण थी। तथापि 2010-11 में वृद्धि की बेहतर संभावना को देखते हुए राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार होने की आशा है। 2010-11 के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में किए गए बजट अनुमानों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारें राजकोषीय समेकन की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रमुख घाटा संकेतक

4.11 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के 0.7 प्रतिशत के राजस्व घाटे की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में बजटीय 0.3 प्रतिशत के घाटे को देखते हुए राज्य सरकारों के समेकित राजस्व लेखा में सुधार होने की संभावना है। राजस्व लेखा में 2010-11 (ब.अ.) में जो सुधार हुआ उससे राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि परिलक्षित होती है जो राजस्व व्यय

में हुई वृद्धि से अधिक थी (सारणी IV.4)। मुख्य रूप से राज्यों के स्वयं के राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में वृद्धि होने के कारण 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होने की संभावना है।

4.12 जीडीपी के अनुपात के रूप में कम पूंजी परिव्यय के साथ-साथ 2009-10(ब.अ.) में राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि 2009-10(ब.अ.) में जीएफडी 2009-10(सं.अ.) के 3.3 प्रतिशत की तुलना में जीएफडी-जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा।

4.13 राज्य वित्त की एक उल्लेखनीय सकारात्मक विशेषता यह है कि बजट में राजस्व घाटे के कम स्तर को देखते हुए 2009-10(सं.अ.) की तुलना में 2009-10(ब.अ.) में पूंजी परिव्यय जीएफडी के प्रतिशत के रूप में अधिक होगा। यह उल्लेखनीय है कि 2006-07 से 2008-09 तक राज्यों का पूंजी परिव्यय जीएफडी से अधिक था जो यह दर्शाता है कि न केवल उधार ली गयी पूरी राशि बल्कि राजस्व प्राप्तियों का एक हिस्सा भी पूंजी परिव्यय के रूप में लगाया गया। तेरहवें वित्त आयोग की परिकल्पना के अनुसार यदि अधिकांश राज्य सरकारें 2011-12 तक राजस्व संतुलन अथवा राजस्व अधिशेष की स्थिति में आ जाती हैं तो पूंजी परिव्यय-जीएफडी अनुपात को फिर से 100 प्रतिशत अथवा अधिक तक लाया जा सकेगा जिससे राज्यों की दीर्घावधि वृद्धि की संभावनाओं में संभावनाएं बेहतर होंगी।

राजस्व प्राप्तियां

4.14 2010-11 में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व(ओटीआर) तथा केंद्र से कर के न्यागमन (डेवलूशन) दोनों के लिए किये गये उच्चतर बजट अनुमानों से ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें वृद्धि की संभावना के प्रति काफी आशावादी हैं। जहां आर्थिक मंदी के कारण राज्यों के ओटीआर में 2008-09 तथा 2009-10 (सं.अ.) में गिरावट आई वहीं इसका असर केंद्र से राज्यों को किये जाने वाले कर राजस्व के सांविधिक अंतरण पर अधिक स्पष्ट था। बजट में 2010-11(ब.अ.) में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में राज्यों के ओटीआर तथा केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि दिखायी गई है। केंद्रीय करों में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में जो वृद्धि दिखायी गयी है वह केंद्र के सकल कर राजस्व में होने वाली वृद्धि के अनुरूप है। इसके विपरीत केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जानेवाले अनुदान में कम राशि का बजट किए जाने तथा 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में राज्यों के ओएनटीआर में गिरावट

सारणी IV.4: प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2009-10(सं.अ.) की तुलना में 2010-11(ब.अ.)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़		घटबढ़ में हिस्सा* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्ति (i+ii)	8,07,388	9,13,038	1,05,650	13.1	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,31,004	6,27,147	96,143	18.1	91.0
(क) स्वयं के कर राजस्व	3,65,527	4,26,682	61,154	16.7	57.9
जिसमें से : बिक्री कर	2,25,227	2,64,848	39,621	17.6	37.5
(ख) केंद्रीय करों में हिस्सा	1,65,477	2,00,466	34,989	21.1	33.1
(ii) करेतर राजस्व	2,76,384	2,85,891	9,506	3.4	9.0
(क) राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व	97,178	1,02,609	5,431	5.6	5.1
(ख) केंद्र से अनुदान	1,79,206	1,83,282	4,075	2.3	3.9
II. राजस्व व्यय	8,54,051	9,37,408	83,357	9.8	100.0
जिसमें से:					
(i) विकासात्मक व्यय	5,15,929	5,59,713	43,785	8.5	52.5
जिसमें से:					
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,61,519	1,84,751	23,232	14.4	27.9
परिवहन तथा संचार	22,519	20,816	-1,702	-7.6	-2.0
बिजली	34,248	33,305	-942	-2.8	-1.1
प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	10,378	5,323	-5,055	-48.7	-6.1
ग्रामीण विकास	29,640	33,499	3,860	13.0	4.6
(ii) विकासेतर व्यय	3,16,504	3,51,476	34,972	11.0	42.0
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवाएं	71,249	83,187	11,938	16.8	14.3
पेंशन	87,271	95,018	7,747	8.9	9.3
ब्याज भुगतान	1,15,904	1,28,656	12,752	11.0	15.3
III. पूंजी प्राप्ति	2,37,355	2,42,860	5,505	2.3	100.0
जिसमें से:					
ऋणेतर पूंजी प्राप्ति	361	3,155	2,794	774.3	50.8
IV. पूंजीगत व्यय	2,26,580	2,37,176	10,596	4.7	100.0
जिसमें से:					
पूंजी परिव्यय	1,60,407	1,66,703	6,296	3.9	59.4
जिसमें से:					
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूंजी परिव्यय	47,346	49,265	1,919	4.1	18.1
बिजली के लिए पूंजी परिव्यय	17,713	14,531	-3,182	-18.0	-30.0
परिवहन के लिए पूंजी परिव्यय	32,062	32,419	357	1.1	3.4
ज्ञापन मदें:					
राजस्व घाटा	46,663	24,370	-22,293	-47.8	
सकल राजकोषीय घाटा	2,16,101	1,98,539	-17,562	-8.1	
प्राथमिक घाटा	1,00,197	69,883	-30,314	-30.3	

ब.अ.: बजट अनुमान.

सं.अ.: संशोधित अनुमान.

* : संबंधित जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

टिप्पणी सारणी IV.2 की टिप्पणी देखें।

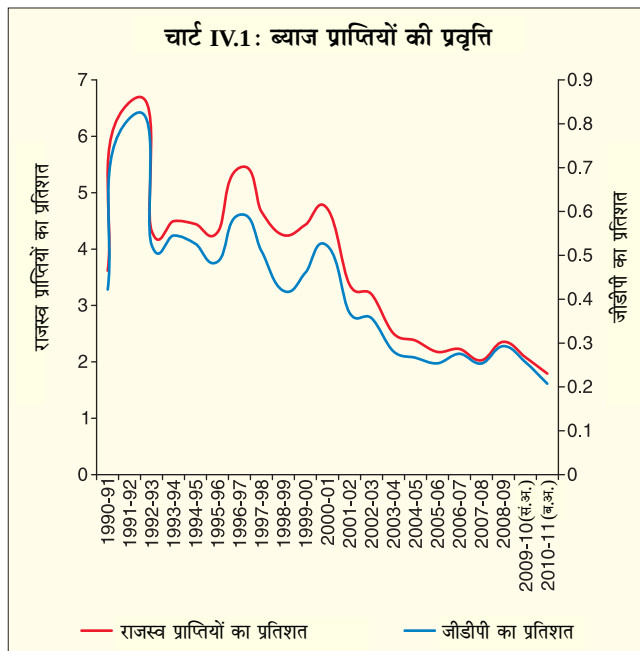
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

आने की संभावना को देखते हुए 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों के समेकित करेतर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है (सारणी IV.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)।

4.15 बजट में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्ति (आरआर-जीडीपी) 2009-10 (सं.अ.) के 12.3 प्रतिशत से घटकर 2010-11 (ब.अ.) में 11.6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। केंद्र के

स्तर पर कर राजस्व की वसूली में वृद्धि के चलते 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों के राज्यों के निवल हिस्से में वृद्धि हेतु की गई सिफारिशों के बावजूद केंद्र द्वारा न्यायमन के जरिए राज्यों को किए जानेवाले करों का अंतरण 2010-11 में जीडीपी के अनुपात के रूप में पिछले वर्ष के समान ही रहने की संभावना है। अनुदान की राशि में कमी आने के साथ-साथ करेतर राजस्व (जीडीपी के अनुपात के रूप में) का

संग्रहण पूर्ववत रहने को देखते हुए 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों को किए जानेवाले समग्र चालू अंतरणों की राशि में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अंक के बराबर की गिरावट आने की संभावना है। राज्यों के स्वयं के राजस्व के संग्रहण के मोर्चे पर जीडीपी की तुलना में ओटीआर का अनुपात 2009-10 के 5.6 प्रतिशत से घटकर 2010-11 (ब.अ.) में 5.4 प्रतिशत रह जाने की संभावना है (सारणी IV.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)। फिर भी राज्य को आशा है कि उन्हें प्रमुख करों यथा- वैट, स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा संपत्ति कर के जरिए उच्चतर वसूली होगी। तथापि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों तथा राज्य सरकारों की बिजली क्षेत्र से करेतर राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आने के कारण 2010-11 में राज्यों के ओएनटीआर-जीडीपी अनुपात मामूली रूप से कम रहने की संभावना है (चार्ट IV.1)। तेरहवें वित्त आयोग ने नोट किया है कि राज्यों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली की वर्तमान स्थिति अति खराब है।



सारणी IV.5: राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)									कॉलम 9/8	कॉलम 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
सकल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.0)	2,31,618 (14.8)	4,40,076 (17.1)	5,95,627 (16.1)	6,73,605 (15.7)	7,65,735 (15.4)	8,91,292 (16.0)	10,44,743 (15.9)	11,55,898 (14.7)	17.2	10.6
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.0)	1,65,416 (10.7)	2,85,662 (11.1)	4,31,020 (11.7)	5,30,556 (12.4)	6,23,748 (12.5)	6,94,657 (12.4)	8,07,388 (12.3)	9,13,038 (11.6)	16.2	13.1
क. राज्यों के स्वयं के राजस्व (i+ii)	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (6.9)	2,60,246 (7.4)	3,15,812 (7.3)	3,63,723 (7.3)	4,03,682 (7.2)	4,62,705 (7.1)	5,29,291 (6.7)	14.6	14.4
i. राज्यों के स्वयं के कर	41,158 (5.3)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.5)	2,12,307 (5.7)	2,52,548 (5.9)	2,86,546 (5.7)	3,21,930 (5.8)	3,65,527 (5.6)	4,26,682 (5.4)	13.5	16.7
ii. राज्यों के स्वयं के करेतर	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	63,263 (1.5)	77,178 (1.5)	81,751 (1.5)	97,178 (1.5)	1,02,609 (1.3)	18.9	5.6
ख. केंद्र से अंतरण (i+ii)	37,133 (4.8)	61,874 (4.0)	1,07,491 (4.2)	1,70,774 (4.6)	2,14,744 (5.0)	2,60,024 (5.3)	2,90,976 (5.2)	3,44,683 (5.3)	3,83,747 (4.9)	18.5	11.3
i. हिस्सेदारीवाले कर	19,790 (2.6)	37,607 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.5)	1,20,293 (2.8)	1,51,402 (3.0)	1,61,052 (2.9)	1,65,477 (2.5)	2,00,466 (2.5)	2.7	21.1
ii. सहायता अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.1)	94,451 (2.2)	1,08,622 (2.2)	1,29,923 (2.3)	1,79,206 (2.7)	1,83,282 (2.3)	37.9	2.3
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (5.9)	1,64,607 (4.5)	1,43,049 (3.3)	1,41,987 (2.8)	1,96,634 (3.5)	2,37,355 (3.6)	2,42,860 (3.1)	20.7	2.3
क. केंद्र से ऋण@	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	5,717 (0.1)	7,252 (0.1)	7,005 (0.1)	12,783 (0.2)	15,445 (0.2)	82.5	20.8
ख. अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (5.0)	1,56,510 (4.2)	1,37,331 (3.2)	1,34,736 (2.7)	1,89,629 (3.4)	2,24,571 (3.4)	2,27,414 (2.9)	18.4	1.3

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ 1999-2000 से लेखाविधि की प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण अल्प बचतों में राज्यों के हिस्से, जिन्हें पहले केंद्र से ऋण के अंतर्गत दिखाया जाता था, को अंतरित ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है तथा उन्हें केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया जाता है। परंतु, तुलना की सुविधा हेतु इस सारणी में रिपोर्ट किए गए 1999-2000 से पूर्व के आंकड़ों में अल्प बचत की जमानत पर दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 1. अवधियों के दौरान अधिक सार्थक तुलना की दृष्टि से 5-वर्ष के औसत दिए गए हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

3. पूंजीगत प्राप्तियों में निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल हैं। परिशिष्ट के संबंध में दी गई टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

4.16 सार्वजनिक सेवाओं की लागत की वसूली का मुद्दा राज्य वित्त के लिए चिंता का कारण रहा है। सामान्यतः यह देखा गया है कि सामाजिक सेवाओं की लागत की वसूली (योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में) आर्थिक सेवाओं से कम रही है। 2010-11 (ब.अ.) में शिक्षा पर किए गए व्यय की लागत की वसूली में सुधार होने की आशा है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में किए गए व्यय की वसूली पूर्ववत् रहने की संभावना है (सारणी IV.6)। 2009-10 में सिंचाई क्षेत्र में लागत की वसूली में सुधार आया था जिसके 2010-11 (ब.अ.) में भी जारी रहने की संभावना है। बिजली क्षेत्र की लागत की वसूली में 2009-10 (सं.अ.) में कुछ सुधार हुआ था, परंतु 2010-11 (ब.अ.) में इसमें मामूली गिरावट आने की संभावना है। तेरहवें वित्त आयोग का अनुमान है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी लागत और वसूली के अंतर को पाटने के लिए बिजली की दरों में औसतन 7 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को बिजली की दरों में प्रति वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बिजली क्षेत्र में वसूली के खराब प्रदर्शन का कारण बिजली की दरों के युक्तिसंगत न रहने एवं संचार और वितरण में अधिक हानि होना है।

4.17 सिंचाई परियोजनाओं की वसूली में क्रमशः सुधार हो रहा है परंतु सिंचाई परियोजनाओं की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए

यह पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में पानी की कम दर, वसूली की खराब स्थिति, उच्च स्थापना लागत एवं सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव में कमी जैसे मुद्दों का हल निकालना होगा। तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि सिंचाई क्षेत्र से होनेवाली प्राप्तियां परिचालन संबंधी व्यय एवं परियोजना के रखरखाव में होनेवाले व्यय तक को पूरा नहीं कर पाती है। सिंचाई क्षेत्र की वसूली की दरें विशेष श्रेणी के राज्यों में अत्यधिक कम हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तेरहवें वित्त आयोग ने रखरखाव व्यय के अतिरिक्त, जल क्षेत्र अनुदान का प्रावधान करने की सिफारिश की है, परंतु यह शर्त भी रखी है कि राज्यों को वसूली की स्थिति में सुधार करना होगा।

4.18 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्यों को काम न करने वाले राज्यस्तरीय सार्वजनिक उद्यमों (एसएलपीई) को बंद करने के लिए कार्य/योजना बनानी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों को एसएलपीई के विनिवेश तथा निजीकरण के लिए विचार करना चाहिए तथा इसे साकार करने के लिए सक्रियता से कार्य करना चाहिए। परिचालनात्मक दक्षता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता की कमी राज्य वित्त की हानियों के मुख्य कारण रहे हैं (बॉक्स IV.1)।

सारणी IV.6: चुनिंदा सेवाओं की लागत की वसूली
(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व का प्रतिशत)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क. सामाजिक सेवाएं जिसमें से:											
(क) शिक्षा *	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	2.8	2.7	3.0	3.6
(ख) स्वास्थ्य **	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	5.1	4.7	6.8	4.6	4.6
ख. आर्थिक सेवाएं जिसमें से:											
(क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.5	15.3	17.7	20.2
(ख) बिजली	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	16.7	16.5	15.6	22.6	20.4
(ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.6	6.5	5.8	5.8	7.8

सं.अ.: संशोधित अनुमान.

ब.अ.: बजट अनुमान.

* : खेलकूद, कला और संस्कृति संबंधी व्यय भी शामिल हैं। ** : चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी व्यय शामिल हैं।

: योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए यह प्रमुख, मध्यम आकारवाली तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित है।

@ : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़कों और पुलों से संबंधित है, जबकि करेतर राजस्व के लिए सड़क परिवहन से संबंधित है।

टिप्पणी: बिजली क्षेत्र की लेखांकन की विधि सभी राज्यों में एक समान नहीं है जिसके चलते कई बार वर्षों के दौरान समायोजन करने की जरूरत पड़ी। अतः अनुपातों में अंतर दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा राज्यों को बिजली के अंतर्गत एकबारगी करेतर राजस्व प्राप्त हुई थी। उदाहरणार्थ आहलुवालिया समिति की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 2003-04 के दौरान 2,749 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसे 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई थी। इस राशि को यहां शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से प्राप्त हुई करेतर प्रवृत्ति की राशि, जैसे कि 2004-05 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई 240 करोड़ रुपये तथा 2004-05 में उत्तराखंड को प्राप्त हुए 134 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित।

बॉक्स 4.1: राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम तथा राज्य वित्त

राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली के एक महत्वपूर्ण खंड रहे हैं। पूर्व में एसएलपीई सार्वजनिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रभावी उपकरण रहे हैं। एसएलपीई विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि औद्योगिक विकास, वित्तीय संवर्धन, व्यापार, विपणन, संविदा तथा निर्माण सेवाएं, पर्यटन तथा उपभोक्ता एवं इंजीनियरी, कृषिगत, खनिज वस्तुओं तथा धातुओं का उत्पादन। कई एसएलपीई का गठन राज्य में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया था। 25 राज्य तथा 1 संघशासित क्षेत्र के 2008-09 के आंकड़ों के अनुसार 1,212 एसएलपीई (कार्यरत तथा बंद पड़े) का कुल कारोबार 3.65 लाख करोड़ रुपए का था जो कि जीडीपी का 6.5 प्रतिशत है। मार्च 2007 में एसएलपीई में काम करनेवाले लोगों की संख्या 18.7 लाख थी।

मार्च 2009 के अंत में एसएलपीई का कुल निवेश लगभग 4,39,511 करोड़ रुपए का था। एसएलपीई में कुल निवेश का अधिकांश हिस्सा बिजली क्षेत्र में है। एसएलपीई में इक्विटी पूंजी तथा ऋण के रूप में जो व्यापक स्तर का निवेश होता है उससे यह आशा की जाती है कि इन उद्यमों से राज्य के खजाने में उल्लेखनीय योगदान होगा। इन अपेक्षाओं के विपरीत ये उद्यम राज्य सरकारों के वित्त की बेहद बुरी में बाधक साबित हुए।

समेकित आधार पर केवल 9 राज्यों के एसएलपीई ने 2008-09 के दौरान लाभ अर्जित किए जबकि संचयी रूप में केवल 6 राज्यों ने मार्च 2009 के अंत में संचयी लाभ दर्शाया। 2008-09 के दौरान एसएलपीई की हानियों की कुल राशि 9,453.2 करोड़ रुपए थी। संचयी आधार पर मार्च 2009 के अंत में एसएलपीई की संचित हानि की राशि 68,771 करोड़ रुपए थी। चूंकि अधिकांश राज्यों में परिचालनरत एसएलपीई घाटे में चल रहे हैं अतः ये अपने परिचालन को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के समर्थन पर निर्भर रहते हैं। एसएलपीई को बजटीय समर्थन इक्विटी, ऋण तथा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है (चार्ट क तथा ख)। वर्षों के दौरान ऐसे समर्थन में वृद्धि होती रही है, फिर भी एसएलपीई के निष्पादन में सुधार के कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिकांश राज्यों में नियोजित पूंजी का औसत प्रतिलाभ निचले स्तर पर बना हुआ है।

25 राज्यों तथा एक संघशासित क्षेत्र की सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2008-09 के दौरान इक्विटी, ऋण तथा सब्सिडी/ अनुदान हेतु बजट में प्रावधान की गई राशि लगभग 70,193.6 करोड़ रुपए थी। एसएलपीई को बजट से दी गई राशि का लगभग 58.2 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में था जबकि इक्विटी तथा ऋण के हिस्से का प्रतिशत क्रमशः 31.3 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत था। तथापि एसएलपीई में किए गए निवेश से राज्यों को मिलनेवाला प्रतिलाभ नगण्य था। अधिकांश राज्यों में एसएलपीई के लिए लाभांश संबंधी कोई नीति नहीं है। केवल कुछ राज्यों, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल तथा मध्य

प्रदेश ने लाभांश संबंधी नीति बनायी है। यह देखा गया है कि लाभ कमानेवाले कुछ ही एसएलपीई ने लाभांश का वितरण किया है। उदाहरणार्थ, कार्यरत 894 एसएलपीई में से 440 एसएलपीई ने 2008-09 में लाभ कमाया परंतु उनमें से केवल 73 एसएलपीई ने लाभांश का वितरण किया जिसकी राशि 572 करोड़ रुपए थी। अन्य शब्दों में जिन राज्यों में लाभांश वितरण संबंधी नीतियां हैं वहां भी एसएलपीई द्वारा इसका पूर्णतः पालन नहीं किया जाता। इस प्रकार 2008-09 में लाभांश का हिस्सा सभी एसएलपीई (लाभ कमानेवाले तथा लाभ न कमानेवाले, दोनों) की कुल इक्विटी का 0.5 प्रतिशत रहा। यह प्रतिलाभ अत्यधिक कम है तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए इक्विटी पर 5 प्रतिशत के प्रतिलाभ के स्तर से काफी कम है।

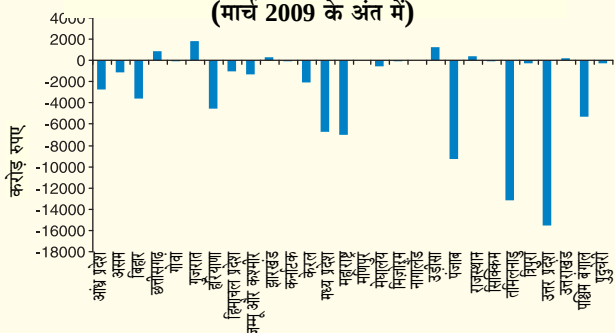
प्रत्यक्ष समर्थन के अतिरिक्त कई राज्य सरकारें एसएलपीई को गारंटियां तथा छूट की सुविधा देती हैं। 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा एसएलपीई को दी गई गारंटी की राशि 63,707 करोड़ रुपए थी जबकि मार्च 2009 में राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों की कुल राशि 1,04,608 करोड़ रुपए थी। यद्यपि एसएलपीई द्वारा ली गई उधारियों के संबंध में गारंटी देने के लिए राज्य सरकारें शुल्क लेती हैं फिर भी कई मामलों में इसका भुगतान वर्षों तक नहीं किया जाता। 2008-09 में राज्य सरकारों द्वारा एसएलपीई के ब्याज तथा ऋण को बढ़े खाते में डालकर दी गई छूट की राशि 651 करोड़ रुपए थी। एसएलपीई को दिए जानेवाले इस प्रकार के सभी समर्थन का राज्य के वित्त पर प्रभाव पड़ता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य थे जिनके द्वारा एसएलपीई को दी गई सब्सिडी का स्तर काफी अधिक था। जिन कारणों से एसएलपीई में हानियां हुईं उनमें मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, आयोजना, परियोजना के कार्यान्वयन, नियमित परिचालन तथा निगरानी में कमियां शामिल हैं।

जहां तक एसएलपीई के पुनर्गठन का संबंध है, तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि कल्याण और उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर सभी कार्यरत एसएलपीई को वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने की जरूरत है। मूल क्षेत्र से इतर क्षेत्रों में कार्यरत हानि पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने के लिए विचार किया जाना चाहिए तथा सभी राज्य सरकारों को महालेखापाल के परामर्श से ऐसे एसएलपीई को बंद करने के लिए मार्च 2011 तक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण चिंता के विषय में एसएलपीई के लेखों का निर्णयन, उनका वित्तीय दायित्व तथा राजकोषीय पारदर्शिता शामिल हैं। इन एसएलपीई के संबंध में राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताओं को देखते हुए उपचित लेखांकन को भविष्य में अपनाए जाने से पूर्व इस समस्या का समाधान समय पर करना होगा।

संदर्भ

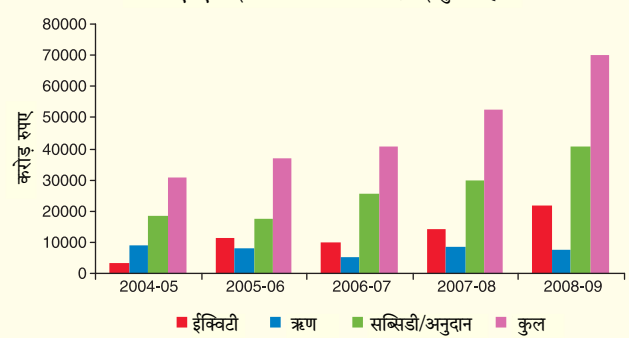
भारत के नियंत्रक व महालेखापाल की राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्टों के विभिन्न अंक। भारत सरकार (2009), तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, दिसंबर, खंड I

चार्ट क: एसएलपीई के राज्यवार संचित लाभ (+)/हानियां (-) (मार्च 2009 के अंत में)



स्रोत : राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्टों के विभिन्न अंकों से संकलित।

चार्ट ख: एसएलपीई के संबंध में बजट से दी गई कुल सहायता



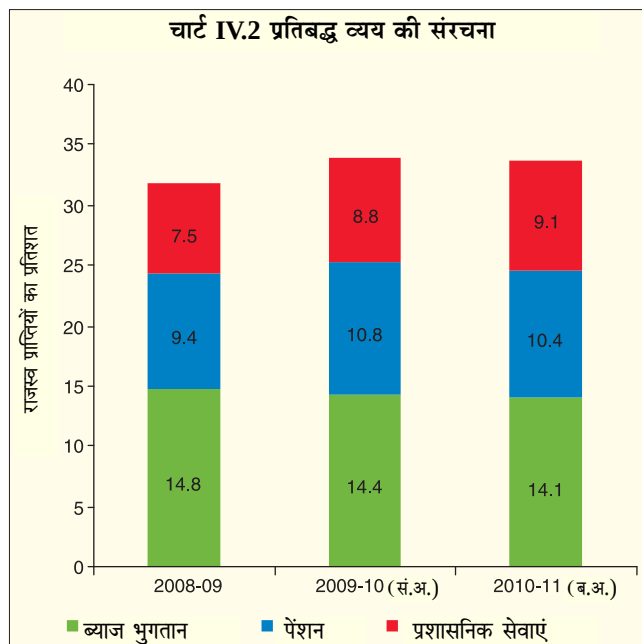
राजस्व व्यय

4.19 मुख्य रूप से विकासात्मक राजस्व व्यय में होनेवाली वृद्धि की दर कम रहने के चलते बजट में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में राज्य सरकारों के समेकित राजस्व व्यय में काफी कमी आने का अनुमान है। समाज सेवा संबंधी व्यय की सभी श्रेणियों यथा-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा शहरी विकास - में 2010-11 (ब.अ.) में वृद्धि की दर कम रहने की संभावना है। बजट में आर्थिक सेवाओं के संबंध में खाद्य भंडारण, सहकारिता, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, बिजली तथा परिवहन एवं संचार क्षेत्रों में राज्यों के व्यय में 2010-11 में कम राशि (मात्रात्मक रूप में) निर्धारित की गई है। इसके विपरीत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में होनेवाले राजस्व व्यय में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक रखी गई है। मुख्यतः केंद्र से लिये गए ऋण के संबंध में ब्याज का भुगतान कम रहने तथा प्रतिबद्ध व्यय के अन्य प्रमुख घटकों जैसे पेंशन, प्रशासनिक सेवाओं संबंधी व्यय में मामूली वृद्धि होने को देखते हुए 2010-11 के बजट में विकासेतर राजस्व व्यय, जोकि राजस्व व्यय का 37.5 प्रतिशत है, में कम वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में प्रतिबद्ध व्यय मामूली घटकर 33.6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (चार्ट IV.2 तथा परिशिष्ट सारणी 4)।

पूंजीगत प्राप्तियां

4.20 राज्यों के बजट में समेकित स्तर पर 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में पूंजी प्राप्तियों की वृद्धि दर पहले की तुलना में कम है जिसकी वजह मुख्यतः ऋण तथा अग्रिमों एवं राष्ट्रीय अल्प बचत योजना (एनएसएसएफ) के अंतर्गत जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में वसूली कम होना है। राज्यों का अनुमान है कि 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में ऋण तथा अग्रिमों की वसूली कम रहेगी जबकि इसी अवधि में केंद्र से मिलनेवाले ऋण की राशि में वृद्धि होगी। इसी प्रकार राज्यों ने बजट में 2010-11 में बाजार से लिए जानेवाले उधार(सकल) की राशि में 5.8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का लक्ष्य रखा है (2008-09 की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि)।

चार्ट IV.2 प्रतिबद्ध व्यय की संरचना



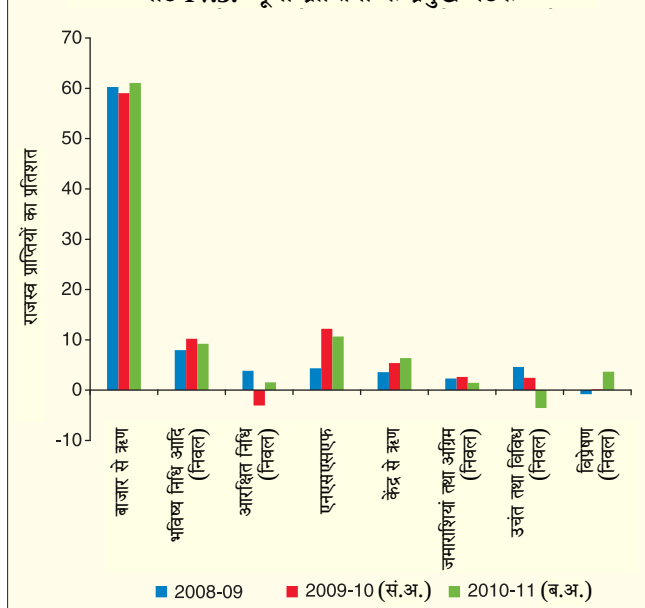
2009-10 (सं.अ.) में अल्प बचत तथा भविष्य निधि संग्रहण (निवल) में 2009-10 में 55.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो अंशतः राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई बकाया राशि के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि 2010-11 (ब.अ.) में अल्प बचत तथा भविष्य निधि (निवल) में 7.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आने की संभावना है (परिशिष्ट सारणी 5)।

4.21 जहां तक पूंजी प्राप्तियों की संरचना का प्रश्न है 2010-11 में राज्यों की बाजार उधारियों पर निर्भरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 2010-11 में जहां केंद्र से प्राप्त होनेवाले ऋण (सकल) का हिस्सा 2009-10 (सं.अ.) के 5.4 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है वहीं 2010-11 (ब.अ.) में पूंजी प्राप्तियों में एनएसएसएफ का हिस्सा कम रहने का अनुमान किया गया है (सारणी IV.5 तथा चार्ट IV.3)।

पूंजीगत व्यय

4.22 कई राज्य सरकारों ने अपने बजटों की घोषणा करते समय 2009-10 में उच्चतर पूंजीगत व्यय करने का प्रस्ताव किया था। 2010-11 (ब.अ.) में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में पूंजी व्यय के स्तर में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। राज्यों ने जहां बजट में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए पूंजीगत परिव्यय में कम राशि

चार्ट IV.3: पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक



का निर्धारण किया है (2009-10 के 12.0 प्रतिशत की तुलना में 1.6 प्रतिशत) वहीं विकासेतर कार्यकलापों के लिए यह राशि 2009-10

(सं.अ.) के 25.5 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक अर्थात् 58.0 प्रतिशत रहने की संभावना है, हालांकि यह कुल पूंजी परिव्यय का 6.3 प्रतिशत ही है। उसी प्रकार 2010-11 में राज्यों के बजट में ऋण और अग्रिम में 14.5 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। संक्षेप में, जैसा कि 2010-11 के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम रहने से राज्यों द्वारा किए जा रहे राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के बारे में आशंका होती है (सारणी IV.7 तथा परिशिष्ट सारणी 6)।

केंद्र से संसाधनों के न्यागमन और अंतरण

4.23 प्रवृत्ति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केंद्र से राज्यों को होनेवाले अंतरण की संरचना मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था की समष्टि आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। करों के न्यागमन तथा सहायता अनुदान के चक्रीय व्यवहार के आधार पर यह पाया गया है कि कर के न्यागमन जीडीपी में वृद्धि के साथ बढ़ता है जबकि सहायता अनुदान

सारणी IV.7: राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)									कॉलम 9/8	कॉलम 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सकल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (15.9)	2,33,441 (14.9)	4,37,299 (17.0)	5,61,682 (15.2)	6,57,280 (15.3)	7,52,324 (15.1)	8,82,333 (15.8)	10,80,632 (16.5)	11,74,584 (14.9)	22.5	8.7
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	98,009	1,93,816 (12.7)	3,40,752 (12.4)	4,38,034 (13.3)	5,05,699 (11.9)	5,80,805 (11.8)	6,81,985 (11.6)	8,54,051 (12.2)	9,37,408 (13.0)	25.2 (11.0)	9.8
ब्याज का भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.3)	93,180 (2.2)	99,831 (2.0)	102,955 (1.8)	1,15,904 (1.8)	1,28,656 (1.6)	12.6 (1.6)	11.0
2. पूंजीगत व्यय जिसमें से:	24,261	39,625 (3.2)	96,547 (2.5)	1,23,648 (3.6)	1,51,582 (3.3)	1,71,520 (3.5)	2,00,347 (3.4)	2,26,580 (3.6)	2,37,176 (3.5)	13.1 (3.0)	4.7
पूंजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.1)	98,063 (2.3)	1,18,862 (2.4)	1,42,628 (2.6)	1,60,407 (2.4)	1,66,703 (2.1)	12.5 (2.1)	3.9
3. विकासात्मक व्यय	81,989 (10.7)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (8.9)	3,92,165 (9.2)	464,462 (9.3)	5,67,086 (10.2)	6,86,537 (10.5)	7,30,231 (9.3)	21.1 (9.3)	6.4
4. विकासेतर व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.1)	211,872 (4.9)	2,33,233 (4.7)	2,54,981 (4.6)	3,23,657 (4.9)	3,62,492 (4.6)	26.9 (4.6)	12.0
5. अन्य*	6,547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.1)	53,243 (1.2)	54,630 (1.1)	60,265 (1.1)	70,437 (1.1)	81,861 (1.0)	16.9 (1.0)	16.2

औ.: औसत। सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

*: केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान तथा अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. अवधियों के दौरान सार्थक तुलना की दृष्टि से 5-वर्ष का औसत दिया गया है।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

3. पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट सारणियों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

जीडीपी में वृद्धि के साथ घटता है (चार्ट IV.4)⁵। ऐसी प्रवृत्ति 2008-09 तथा 2009-10 (सं.अ.) में तब देखी गई थी जब वृद्धि की अवधि की तुलना में केंद्र से करों के न्यागमन की राशि काफी कम थी (वृद्धि एवं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) जिसकी भरपाई कुछ हद तक केंद्र से अधिक राशि का अनुदान प्राप्त करके की गई थी। 2010-11 (ब.अ.) में वृद्धि दर में बेहतरी आने के चलते राज्यों को करों के न्यागमन (राशि के रूप में) के जरिए अधिक संसाधन प्राप्त होने की संभावना है जबकि अनुदान पर उनकी निर्भरता में कमी आने (जीडीपी के रूप में) की संभावना है। केंद्र से होनेवाले सकल अंतरण (अर्थात हिस्सेदारी वाले कर, सहायता अनुदान तथा केंद्र से प्राप्त होनेवाले ऋण) मुख्यतः जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुदान में कमी आने की संभावना को देखते हुए, 2009-10 (सं.अ.) के जीडीपी के 5.5 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 5.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 7)।

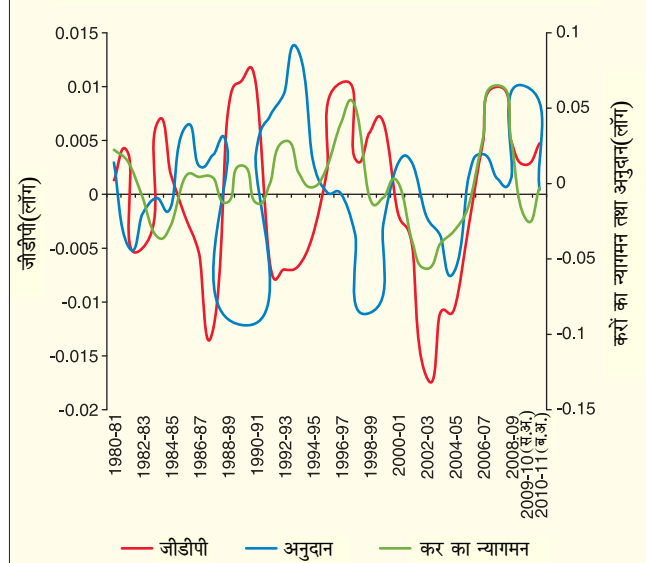
सकल व्यय की प्रवृत्ति

4.24 राज्यों की विकास संबंधी जरूरतों को देखते हुए राज्यों के विकासात्मक तथा सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय का परीक्षण करना जरूरी है। 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों के सकल व्यय की प्रवृत्ति कुल व्यय

में विकासात्मक व्यय के हिस्से में गिरावट दर्शाती है। इसका कारण विशेष रूप से आर्थिक सेवाओं यथा-खाद्य भंडारण, सहकारिता तथा बिजली परियोजनाओं में विकासात्मक पूंजी परिव्यय के हिस्से में तेजी से गिरावट आना है। बजट में 2010-11 में राशि के रूप में विकासात्मक प्रयोजनों के लिए राज्यों के ऋण तथा अग्रिमों की राशि पहले की तुलना में कम है जो कुल विकासात्मक व्यय के उनके हिस्से में तदनु रूप गिरावट आने की वजह से है। विकासात्मक व्यय का एक प्रमुख हिस्सा अभी भी राज्यों के राजस्व लेखा के जरिए व्यय किया जा रहा है (सारणी IV.8 तथा परिशिष्ट सारणी 8 से 15)।

4.25 हाल के वर्षों में राज्यों के सकल व्यय में सामाजिक क्षेत्र व्यय के हिस्से में लगातार वृद्धि देखी जा रही है जिसमें 2010-11 (ब.अ.) में मामूली वृद्धि होने की संभावना है (सारणी IV.9)। तथापि 2010-11 (ब.अ.) में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में जीडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय के अनुपात (एसएसई-जीडीपी) में गिरावट आने की संभावना है। 2010-11 (ब.अ.) में एसएसई-जीडीपी अनुपात में गिरावट के बावजूद शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सरकारों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र रहे हैं (सारणी IV.10)। तथापि संसाधनों का उपयोग करते समय राज्यों को अपनी कुशलता में वृद्धि करनी होगी ताकि विकासात्मक गतिविधियों की प्रवृत्ति ने कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

चार्ट IV.4: जीडीपी की तुलना में केंद्र से कर के न्यागमन तथा अनुदान का चक्रीय व्यवहार



सारणी IV.8: कुल व्यय की तुलना में विकासात्मक व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	विकासात्मक राजस्व व्यय	विकासात्मक पूंजीगत परिव्यय	विकासात्मक ऋण तथा अग्रिम	कुल विकासात्मक व्यय
1	2	3	4	5
2008-09	4,14,452 (47.0)	1,37,337 (15.6)	15,297 (1.7)	5,67,086 (64.3)
2009-10 (सं.अ.)	5,15,929 (47.7)	1,53,767 (14.2)	16,841 (1.6)	6,86,537 (63.5)
2010-11 (ब.अ.)	5,59,713 (47.7)	1,56,211 (13.3)	14,307 (1.2)	7,30,231 (62.2)

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान.

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े सकल व्यय का प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

⁵ कर के न्यागमन तथा वास्तविक जीडीपी के चक्रीय संचरण का सह-संबंध लगभग (+)0.45 है जबकि अनुदान तथा वास्तविक जीडीपी के बीच का सह-संबंध (-)0.21 है।

सारणी IV.9: राज्य सरकारों के सकल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(औसत)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कु.व्य./जीडीपी	15.9	14.9	17.0	15.2	15.3	15.1	15.8	16.5	14.9
एसएसई/जीडीपी	5.8	5.5	5.5	5.1	5.2	5.3	5.9	6.4	5.8
एसएसई/कु.व्य.	36.8	36.7	32.5	33.7	33.9	35.3	37.6	39.1	39.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान. जीडीपी: सकल देशी उत्पाद

कु.व्य.: कुल व्यय एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

5. मूल्यांकन

समेकित स्थिति

4.26 2008-09 तथा 2009-10 में भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा संशोधित वेतन ढांचों के कार्यान्वयन के चलते राज्य सरकारों की समेकित स्थिति में गिरावट आई। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि 2010-11 में राज्य सरकारें राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रही हैं जैसा कि उनके प्रमुख घाटा संकेतकों से स्पष्ट होता है। आशा है कि 28 राज्यों में से 17 राज्यों के बजट में राजस्व अधिशेष रहेगा जबकि 8 राज्यों ने 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा-जीएसडीपी अनुपात में कमी की है। राजस्व लेखा में हुए सुधार के अनुरूप 2010-11

(ब.अ.) में 22 राज्यों ने अपने बजट में जीएफडी-जीएसडीपी में कमी की है जबकि 18 राज्यों ने जीएफडी में मात्रात्मक कटौती की है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010-11 को राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय समेकन वर्ष के रूप में मनाए जाने को देखते हुए 9 राज्यों द्वारा जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3 प्रतिशत (अथवा उससे कम) के स्तर पर बनाए रखे जाने की संभावना है, जैसाकि उनके बजट अनुमानों में निर्दिष्ट किया गया है (सारणी IV.11)।

4.27 राजस्व लेखा में सुधार होने के बावजूद अधिकांश राज्यों के जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में जो गिरावट आयी वह मुख्यतः 2010-11 (ब.अ.) में पूंजी परिव्यय- जीएसडीपी अनुपात (20 राज्यों के) कम रहने की वजह से थी। यह आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व लेखा में जो सुधार होगा वह पूर्णतः आरई-जीडीपी अनुपात में

सारणी IV.10: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व तथा पूंजीगत लेखा) - संयोजन

(सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(औसत)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (क से ठ)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	52.2	52.4	51.4	48.2	47.0	44.7	43.3	44.2	46.1
(ख) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.4	10.9	10.2	10.4	10.5
(ग) परिवार कल्याण	0.0	2.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.3	7.5	7.7	8.2	7.9	8.2	7.4	5.9	5.0
(ङ) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	2.7	3.8	3.8	2.9	3.0
(च) शहरी विकास	2.3	2.6	3.7	4.2	5.7	7.2	8.9	8.9	8.9
(छ) अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	7.1	7.0	6.7	6.9
(ज) श्रम तथा श्रमिक कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1
(झ) सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.7	7.8	8.9	9.7	9.6
(ञ) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.9	3.7
(ट) प्राकृतिक आपदा पर व्यय	2.6	2.9	3.8	5.2	4.0	2.9	2.9	2.8	1.3
(ठ) अन्य	2.5	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.0	2.1	2.3

सं.अ.: संशोधित अनुमान.

ब.अ.: बजट अनुमान.

‘-’: उपलब्ध नहीं

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी IV.11: राजस्व घाटा एवं सकल राजकोषीय घाटे में कमी-राज्यवार - 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2009-10 की तुलना में कमी (सं.अ.) (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत	2009-10 की तुलना में कमी (सं.अ.) (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	-606	3.0	-1,299	10.4
2. बिहार	-6,383	31.7	-5,176	41.4
3. छत्तीसगढ़	-1,018	5.1	71	-0.6
4. गोवा	-274	1.4	-73	0.6
5. गुजरात	146	-0.7	2,515	-20.1
6. हरियाणा	280	-1.4	456	-3.6
7. झारखंड	-937	4.7	-1,110	8.9
8. कर्नाटक	38	-0.2	-1,557	12.5
9. केरल	-452	2.2	1,846	-14.8
10. मध्य प्रदेश	3,727	-18.5	1,410	-11.3
11. महाराष्ट्र	-5,076	25.2	-6,611	52.9
12. उड़ीसा	-528	2.6	219	-1.8
13. पंजाब	636	-3.2	1,153	-9.2
14. राजस्थान	-2,895	14.4	-1,439	11.5
15. तमिलनाडु	-1,623	8.1	3,362	-26.9
16. उत्तर प्रदेश	1,433	-7.1	-1,127	9.0
17. पश्चिम बंगाल	-6,613	32.8	-5,143	41.1
कुल (अ)	-20,145	100.0	-12,505	100.0
1. अरुणाचल प्रदेश	-64	3.0	-86	1.7
2. असम	629	-29.3	-774	15.3
3. हिमाचल प्रदेश	350	-16.3	148	-2.9
4. जम्मू और कश्मीर	-754	35.1	-261	5.2
5. मणिपुर	206	-9.6	-38	0.8
6. मेघालय	-114	5.3	-238	4.7
7. मिजोरम	-85	3.9	-344	6.8
8. नागालैंड	-570	26.5	-635	12.6
9. सिक्किम	117	-5.4	8	-0.2
10. त्रिपुरा	-588	27.4	-701	13.9
11. उत्तराखंड	-1,276	59.4	-2,135	42.2
कुल (आ)	-2,148	100.0	-5,057	100.0
कुल योग (अ+आ)	-22,293	100	-17,562	100.0
ज्ञापन मदें:				
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-169	-	-445	-
2. पुदुचेरी	-155	-	208	-

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी: ऋणात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतकों में सुधार दर्शाता है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

गिरावट आने की वजह से होगा जो आरआर-जीडीपी अनुपात में होनेवाली कमी की पूरी तरह भरपाई कर देगा। राजस्व व्यय (जीडीपी के अनुपात के रूप में) में कमी लाने के जरिए राजस्व लेखा में जो स्थायी प्रकार का सुधार होगा उससे न केवल पूंजीगत व्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होगा बल्कि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया भी मजबूत होगी। इस

बात पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पूंजी परिव्यय में कमी (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) के कारण जीएफडी में जो गिरावट आती है उसका राज्य अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की संभावनाओं पर असर पड़ता है। विकास संबंधी संसाधनों की भारी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना ध्यान निम्नलिखित बातों पर केंद्रित करना होगा: (i) सेवा प्रदान करनेवाले क्षेत्रों से करेतर राजस्व के अन्य स्रोतों का पता लगाना, (ii) उनकी राजकोषीय क्षमता में वृद्धि करना, तथा (iii) बेहतर निगरानी के लिए अभिशासन संबंधी सुधारों को लागू करना एवं संसाधनों के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करना।

सकल राजकोषीय घाटे का विघटन तथा वित्तपोषण

4.28 2009-10 (सं.अ.) में तीन वर्ष बाद पहली बार समेकित राजस्व घाटा राज्य स्तर पर दिखाई दिया और सकल राजकोषीय घाटे में इसका हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत था। चूंकि 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व घाटे में कमी करने की बात कही गई है अतः सकल राजकोषीय घाटे में भी तदनु रूप कमी आएगी। 2010-11 (ब.अ.) में पूंजी परिव्यय राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख घटक बना रहेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से लिए जानेवाले ऋणों में कमी किए जाने एवं एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहण में कमी आने के चलते हाल के वर्षों में बाजार उधारियां सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरकर आयी हैं। 2010-11 (ब.अ.) में इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है क्योंकि सकल राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख हिस्सा बाजार उधारियों से तथा कुछ हिस्सा अल्प बचत एवं भविष्य निधि से पूरा किया जाएगा (सारणी IV.12 तथा परिशिष्ट सारणी 16, 17 तथा 18)।

बजटीय अंतर : केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य बजट

4.29 वर्षों के दौरान केंद्र तथा राज्यों के बजटों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों में भारी अंतर दिखाई देता रहा है। सामान्यतः राज्य सरकारें केंद्रीय करों में स्वयं के हिस्से को कम करके दिखाती हैं जबकि केंद्र से प्राप्त होनेवाले सहायता अनुदान तथा ऋणों की राशि को आम तौर पर बढ़ाकर दिखाती हैं। 2010-11 के राज्यों के बजटों में ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राज्यों ने अपने बजटों में एनएसएसएफ से प्राप्त होनेवाली राशि केंद्र सरकार के बजट में दिखाई गई इसी मद की राशि से कम दिखाई गयी है (सारणी IV.13)। उधार की लागत में होनेवाली वृद्धि को देखते हुए संभवतः

सारणी IV.12: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति और उसका विघटन- 2008-09(लेखा) से 2010-11(ब.अ.)

(जीएफडी का प्रतिशत)

मद	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4
विघटन (1+2+3-4)	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	-9.4	21.6	12.3
2. पूंजी परिव्यय	106.0	74.2	84.0
3. निवल उधार	3.6	4.3	5.3
4. ऋणेंतर पूंजी प्राप्तियां	0.2	0.2	1.6
वित्तपोषण (1 से 11)	100.0	100.0	100.0
1. बाजार उधारियां	77.3	57.1	66.8
2. केंद्र से ऋण	-0.6	2.2	3.5
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	1.1	8.8	6.1
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई तथा अन्य बैंकों से ऋण	4.2	3.8	4.1
5. अल्प बचत, भ.नि. आदि	11.6	11.2	11.3
6. आरक्षित निधि	5.6	-3.3	1.9
7. जमाराशि तथा अग्रिम	3.4	2.9	1.8
8. उचंत तथा विविध	6.5	2.5	-5.9
9. विप्रेषण	-1.1	0.2	4.5
10. अन्य	-1.5	-2.0	-3.4
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-6.7	16.6	9.4

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 17 की टिप्पणी देखें।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण, आकस्मिक निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य समामेलन और आकस्मिक निधि शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य सरकारें बजट में एनएसएसएफ के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली राशि कम करके दिखा रही हैं ताकि वे एनएसएसएफ पर अपनी निर्भरता

कम कर सकें। तथापि एक स्वतंत्र घटक होने के नाते एनएसएसएफ के अंतर्गत वास्तव में प्राप्त राशि सामान्यतः अधिक होती है। इस संबंध में एनएसएसएफ की बचतों की ब्याज दरों के नियंत्रण को समाप्त करने सहित इसके ढांचे की समीक्षा करने हेतु सरकार ने एक समिति (अध्यक्ष: श्यामला गोपीनाथ) का गठन किया है।

6. निष्कर्ष

4.30 समेकित स्तर पर राज्य बजटों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 2010-11 के दौरान राज्य के वित्त में कुछ सुधार की आवश्यकता है। छठे केंद्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के साथ-साथ समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट की स्थिति को रोकने के लिए किए गए विभिन्न विस्तारकारी राजकोषीय नीति के चलते 2009-10 (सं.अ.) में 3 वर्ष के बाद राजस्व घाटा दिखाई दिया। यद्यपि समेकित स्तर पर 2010-11 (ब.अ.) में लगातार दूसरे वर्ष राजस्व घाटे के बने रहने पर भी इसमें काफी कमी आने की आशा की गई है। राजस्व लेखा में जो सुधार होगा वह मुख्यतः राजस्व व्यय में कम वृद्धि के माध्यम से फलीभूत होगा। अतः पूंजी परिव्यय में कम वृद्धि के साथ-साथ राजस्व लेखा में होनेवाला सुधार 2010-11 में जीएफडी (राशि के रूप में तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) में गिरावट के रूप में परिलक्षित होगा। जीएफडी के वित्तपोषण की प्रवृत्ति दर्शाती है कि बाजार से लिया जानेवाला उधार वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत होगा जिसके बाद अल्प बचत तथा भविष्य निधि का क्रम होगा। केंद्र तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए जानेवाले ऋणों पर राज्यों की निर्भरता में मामूली वृद्धि होने की संभावना है।

सारणी IV.13: बजटीय आंकड़ों में घटबढ़-राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08 (ब.अ.)			2008-09 (ब.अ.)			2009-10 (ब.अ.)			2010-11 (ब.अ.)		
	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. केंद्र से हिस्सेदारी वाले कर	1,36,184	1,42,450	-6,267 (-4.4)	1,73,147	1,78,765	-5,618 (-3.1)	1,85,720	1,64,362	21,358 (13.0)	2,00,466	2,08,997	-8,531 (-4.1)
2. सहायता अनुदान	1,17,320	99,583	17,737 (17.8)	1,43,030	1,18,901	24,129 (20.3)	1,68,683	1,39,847	28,836 (20.6)	1,83,282	1,51,962	31,320 (20.6)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	6,485	2,984	3,501 (117.3)	6,942	1,479	5,463 (369.3)	9,291	3,093	6,199 (200.4)	6,969	3,363	3,606 (107.2)
4. एनएसएसएफ (निवल)	53,679	46,990	6,689 (14.2)	22,044	18,626	3,418 (18.4)	9,026	11,744	-2,718 (-23.1)	12,075	29,859	-17,784 (-59.6)

* : ऋणात्मक (-)/धनात्मक (+) चिह्न केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य बजटों के न्यून अनुमान/अधिक अनुमान दर्शाता है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

4.31 राज्य सरकारों के बजट अनुमानों से उत्पन्न होनेवाली एक प्रमुख चिंता का मुद्दा राजस्व तथा पूंजी लेखा दोनों में विकासेतर व्यय की तुलना में विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर कम रहने का है। विकास के लिए संसाधनों की जरूरतों तथा राजकोषीय समेकन की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों ने निम्नलिखित उपायों के जरिए सुधार कार्यक्रमों

को सक्रियता से आगे बढ़ाया है (i) व्यय के इष्टतम आबंटन; (ii) अन्य करेतर राजस्व की संभावनाओं का पता लगाना, जैसे कि कम लागत वसूली वाले क्षेत्रों में शुल्क संबंधी उपयुक्त नीति का निर्धारण; तथा (iii) राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाना।

2008-09 तथा 2010-11 के दौरान अधिकांश राज्यों के वित्त की स्थिति दबाव में आ गई। 2008-09 में 19 राज्यों के राजस्व लेखा पर प्रतिकूल असर पड़ा जो मुख्यतः कुछ राज्यों में वेतनों के बढ़ाए जाने तथा स्वयं के कर एवं करेतर संग्रहण में गिरावट आने की वजह से था। केंद्रीय करों के संग्रहण में आयी गिरावट के कारण भी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 26 राज्यों में करों के न्यागमन (डेवलूशन) में कमी आयी, हालांकि केंद्र से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण इसकी आंशिक भरपाई हुई। 2008-09 में अधिकांश राज्यों का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा जो राजस्व लेखा की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। इन सब के बावजूद पिछले वर्षों में राजकोषीय स्थिति में हुए सुधार के चलते 21 राज्यों ने 2008-09 में राजकोषीय आधिक्य का लक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल की। 2009-10 में कई राज्य सरकारें संशोधित वेतन के ढांचे के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में थीं जिसके चलते राजस्व लेखा में उल्लेखनीय गिरावट आयी। 3 वर्ष के बाद राजस्व घाटे के पुनः उभरने तथा उच्चतर पूंजीगत परिव्यय के चलते 2009-10 में सभी राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि 2 राज्य अर्थात् केरल तथा पंजाब लगातार राजस्व घाटे में रहे जिनमें 2008-09 तथा 2009-10 में राजस्व लेखा में मामूली सुधार हुआ। 2010-11 में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व लेखा में सुधार हेतु किए गये प्रयास को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार राजकोषीय समेकन की ओर पुनः आगे बढ़ना चाहते हैं। तथापि व्यय की उभरती प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि जीएसडीपी के अनुपात के रूप में अधिकांश राज्यों में विकासात्मक व्यय, पूंजी परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय में कमी आने की संभावना है जिससे राज्य स्तर पर राजकोषीय समायोजन की दिशा में किए गए प्रयासों की गुणवत्ता के बारे में संदेह होता है।

1. भूमिका

5.1 इस अध्याय में 2008-09 (लेखा) तथा 2009-10 (सं.अ.) को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय में राज्यों के 2010-11 के बजट अनुमानों से जो राजकोषीय स्थिति उभरकर आती है उसकी मोटे तौर पर जानकारी भी दी गई है। विश्लेषण में राज्य वित्त के तीन पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है : (i) घाटा संकेतक ; (ii) राजस्व में अभिवृद्धि; तथा (iii) व्यय का प्रबंधन। अधिकांश राजकोषीय संकेतकों को जीएसडीपी के रूप में वर्तमान मूल्यों में प्रस्तुत किया जाता है और ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) से प्राप्त होते हैं। एक राज्य के 2008-09 के, पांच राज्यों के 2009-10 के तथा छह राज्यों के 2010-11 के जीएसडीपी के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः इन राज्यों के जीएसडीपी की गणना पिछले तीन वर्षों की उनकी औसत जीएसडीपी वृद्धि दर के आधार पर की गई है। राज्यों को गैर विशेष तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विधान सभा वाले दो केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के आंकड़े भी सारणी में

ज्ञापन मदों के रूप में दिए गए हैं। विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े विवरण 1 से 48 तक में दिए गए हैं।

5.2 2008-09 तथा 2009-10 में सभी राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में गिरावट देखी गई जो छठे केंद्रीय/ राज्य वेतन आयोगों (सीपीसी/एसपीसी) की सिफारिशों को लागू किए जाने एवं आर्थिक कार्यकलापों में आयी समग्र गिरावट के असर को दर्शाती है। 2008-09 (लेखा) में जहां कुछ ही राज्य इससे प्रभावित हुए थे वहीं 2000-10 (सं.अ.) में राजकोषीय हालत के बिगड़ने का असर अन्य और राज्यों में अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई दिया। 2010-11 (ब.अ.) के राज्यों के बजटों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश राज्य राजकोषीय समेकन की दिशा में अच्छी प्रगति करने के प्रति आशावादी है, हालांकि इस बात की घोषणा उनके बजट अभिभाषण में स्पष्ट रूप से नहीं की गई है।

5.3 इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में इन मुद्दों पर विचार किया गया है (i) 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राज्य सरकारें किस प्रकार प्रभावित हुईं तथा (ii) राज्य सरकारें 2010-11 (ब.अ.) में किस प्रकार अपने वित्तों का पुनर्गठन करना चाहती हैं।

2. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

5.4 2004-05 से 2007-08 की अवधि की विशेषता यह थी कि प्रमुख घाटा संकेतकों के मानदंडों के अनुसार राज्यों, विशेष रूप से गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों, की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परंतु, 2008-09(लेखा) तथा 2009-10(सं.अ.) में परिस्थितियां उलट गई। प्रमुख घाटा संकेतकों में आई विकृतियां 2009-10(सं.अ.) में अधिक प्रखर थीं जब संशोधित वेतन ढांचे और सभी राज्यों में किये गये प्रोत्साहन उपायों दोनों के चलते उनके वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके विपरीत 2008-09 तथा 2009-10 की गतिविधियों का असर विशेष श्रेणी के राज्यों पर कम पड़ा क्योंकि वे केंद्र से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर अधिक निर्भर थे।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

5.5 2004-05 से 2007-08 के दौरान के राजकोषीय समेकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा प्रारंभ किये गये संस्थागत सुधारों से संबंधित था और इन राज्यों का कुल व्यय सभी राज्यों के व्यय का लगभग 90 प्रतिशत था। बारहवें वित्त आयोग ने राज्य के स्तर पर सार्वजनिक वित्त के पुनर्गठन का सुझाव देते हुए यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें 2008-09 तक राजस्व संतुलन की स्थिति में आ जाएं और 2009-10 तक जीएफडी को घटाकर जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाएं। नियम आधारित राजकोषीय नीति के चलते गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों ने राजकोषीय समेकन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की और निर्धारित समय से पहले ही घाटे के प्रमुख संकेतकों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर)⁶ द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अधिनियमन के चलते न केवल वित्तीय अनुशासन स्थापित हुआ बल्कि इससे वित्तीय स्थिति की स्थिरता, वहनीयता तथा बेहतर कौशल एवं पारदर्शिता में भी सुधार हुआ। परंतु 2004-05 से 2007-08 के दौरान राजकोषीय समेकन की दिशा में जो सफलता हासिल की गई थी उसे 2008-09(लेखा) तथा 2009-10(सं.अ.) में बनाये नहीं रखा जा सका क्योंकि राज्यों द्वारा संशोधित मजदूरी और वेतनमानों को लागू किया जाना था, साथ ही आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए विस्तारकारी राजकोषीय नीतिगत उपायों को लागू किया जाना था। राज्य वित्त की हालत 2008-09(लेखा) की तुलना में 2009-10(सं.अ.) में अधिक खराब थी (सारणी V.1)।

5.6 2008-09 में गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में राजस्व लेखा में गिरावट आयी। गैर विशेष श्रेणी के 13 राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व अधिशेष में या तो गिरावट आयी अथवा उसमें घाटा रहा। गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटे की स्थिति में आ गए। गैर विशेष श्रेणी के 4 राज्यों में 2007-08 में राजस्व अधिशेष की स्थिति थी, इनमें से झारखंड, पंजाब तथा केरल में राजस्व लेखा में सुधार (जीएसडीपी के रूप में) हुआ जबकि पश्चिम बंगाल में 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में आरडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। फिर भी 2007-08 में 13 राज्यों की तुलना में 2008-09 (लेखा) में 11 गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में राजस्व अधिशेष रहा। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 7 राज्यों पर आर्थिक गिरावट तथा वेतन में वृद्धि का प्रतिकूल असर पड़ा जैसा कि जीएसडीपी के अनुपात (आरआर-जीएसडीपी) के रूप में राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट तथा जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय (आरई-जीएसडीपी) में हुई वृद्धि में देखा जा सकता है। ये राज्य थे- छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। गैर-विशेष श्रेणी के 4 राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब में यह असर आरआर-जीएसडीपी अनुपात में हुई गिरावट के रूप में दिखाई दिया। इसके विपरीत गैर-विशेष श्रेणी के 4 राज्यों अर्थात् - गोवा, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में आरई-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी। 2008-09 (लेखा) में सिर्फ आंध्र प्रदेश तथा केरल ऐसे 2 राज्य थे जो आरआर-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि करने के साथ-साथ आरई-जीएसडीपी अनुपात को कम करने में भी सफल हुए।

5.7 2008-09 में राज्यों के राजस्व लेखा में जो अवनति हुई वह गैर-विशेष श्रेणी के 15 राज्यों के मामले में मुख्यतः जीएसडीपी के अनुपात के रूप में उच्चतर सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी-जीएसडीपी) में दिखायी दी। चूंकि 2008-09 में 2 और राज्य अर्थात् उड़ीसा तथा महाराष्ट्र भी राजकोषीय अधिशेष से घाटे की स्थिति में चले गए थे, इसलिए इस अवधि में गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्य राजकोषीय दबाव की स्थिति में रहें। दूसरी ओर 2008-09 के दौरान गैर-विशेष श्रेणी के 2 राज्य अर्थात् झारखंड और केरल भी

⁶ पश्चिम बंगाल ने जुलाई 2010 में एफआरबीएम अधिनियम को अधिनियमित किया।

अपने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम करने में सफल रहे, हालांकि उनका यह अनुपात 3 प्रतिशत से अधिक था। इससे 2008-09 में उनके राजस्व लेखा में मामूली सुधार के साथ-साथ पूंजी परिव्यय में मितव्ययता की झलक मिलती है। राजस्व लेखा में सुधार होने एवं जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय में गिरावट आने के बावजूद 2008-09 में आंध्र प्रदेश का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा जो मुख्यतः ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में हुई उल्लेखनीय गिरावट के कारण था। 2008-09 में ऐसे 11 राज्य थे जिनका जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत से अधिक था। यह स्पष्ट था कि 2008-09 में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में हुई वृद्धि 2007-08 में गैर-विशेष श्रेणी के 9 राज्यों की तुलना में 2008-09 (लेखा) में 15 राज्यों में जीएसडीपी (पीडीजीएसडीपी) के अनुपात के रूप में प्राथमिक घाटा उच्चतर रहने के कारण था। प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) के संबंध में राज्यवार स्थिति से ज्ञात होता है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरबी) बना रहा। तथापि पांच राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब तथा राजस्थान में प्राथमिक राजस्व अधिशेष तथा राजस्व घाटा साथ-साथ बने रहने से यह स्पष्ट होता है कि इन राज्यों का राजस्व घाटा 2008-09 में इनके ब्याज के भुगतान की राशि उच्चतर रहने के कारण था। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में राजस्व घाटे के साथ-साथ प्राथमिक राजस्व घाटे के रहने का अर्थ था कि राज्य सरकार ब्याजेतर राजस्व व्यय को रोक पाने में असमर्थ हो गयी थी एवं निवल उधारियों का उपयोग चालू ब्याजेतर व्यय के वित्तपोषण के लिए किया गया था और ऋण की चुकौती हेतु आय के स्रोत की संभावना नहीं रह गई थी।

5.8 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, 2009-10 (सं.अ.) में आर्थिक मंदी एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी तथा वेतन में की गयी वृद्धि का असर पर्याप्त स्पष्ट था। 2008-09 (लेखा) में राजस्व घाटा वाले गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संख्या 6 थी जो 2010-11 (सं.अ.) में बढ़कर 11 हो गयी। वस्तुतः 2008-09 की तुलना में जहां गैर-विशेष श्रेणी के 12 राज्यों में राजस्व लेखा में अवनति हुई थी वहीं 5 गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में या तो राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) उच्चतर था या आरडी-जीएसडीपी अनुपात कम था। 2009-10 (सं.अ.) में राजस्व लेखा में अवनति बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में अधिक स्पष्ट थी। इन कतिपय राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के अनुपात के रूप में स्वयं के राजस्व संग्रहण

(स्वयं के कर तथा करेतर राजस्व) की मात्रा कम थी। उसी प्रकार गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में (पंजाब को छोड़कर) केंद्र से कर का न्यागमन (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) की मात्रा कम थी परंतु 2009-10 (सं.अ.) के दौरान केंद्र से सहायता अनुदान की राशि उच्चतर रहने के चलते इसकी लगभग भरपाई हो गई। राजस्व लेखा में हुई अवनति का असर गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (झारखंड, केरल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर) के उच्चतर जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में देखा जा सकता है। जहां तक प्राथमिक घाटे की बात है, 2009-10 (सं.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (झारखंड, केरल तथा पंजाब को छोड़कर) में पीडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में राजस्व घाटे के साथ-साथ प्राथमिक राजस्व घाटा भी था जो ब्याजेतर राजस्व व्यय के प्राधान्य को दर्शाता है।

5.9 2010-11 (ब.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के 13 राज्यों ने अपने बजट में कम आरडी-जीएसडीपी अनुपात अथवा उच्चतर राजस्व अधिशेष-जीएसडीपी अनुपात के रूप में सुधार का लक्ष्य रखा था। आशा है कि दो राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ और गोवा राजस्व घाटे से राजस्व अधिशेष की स्थिति में आ जाएंगे। 2010-11 (ब.अ.) में जिन राज्यों ने बजट में राजस्व लेखा में उल्लेखनीय सुधार (अर्थात् जीएसडीपी के 1 प्रतिशत अंक से अधिक) हेतु उपाय किए हैं उनमें बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। फिर भी 2010-11 (ब.अ.) में 9 राज्यों में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रहेगी। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में 2010-11 (ब.अ.) में पश्चिम बंगाल का आरडी-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक रहेगा उसके बाद पंजाब का। सभी राज्यों के बजटों में उल्लिखित प्रमुख घाटा संकेतक तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित दिशानिर्देश के अनुरूप है (बॉक्स V.1)।

5.10 आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में सभी राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में कमी के जरिए राजकोषीय समेकन की दिशा में पहल की शुरुआत हो जाएगी। गैर-विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 11 राज्यों ने 2010-11 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में कमी लाने का प्रस्ताव किया है। परंतु जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में किन उपायों से कमी लायी जाएगी उनके बारे में राज्यों के विचार एक समान नहीं है। उदाहरणार्थ, 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा ने प्रस्ताव किया है कि वे राजस्व लेखा में सुधार करने एवं जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय (सीओ-जीएसडीपी) को कम करके अपने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात

बॉक्स V.1: राजकोषीय समेकन: राज्यों के लिए संशोधित कार्य-योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) को अंगीकार किए जाने के बाद 2004-05 से राज्य सरकारों के वित्त में प्रमुख घाटा संकेतकों की दृष्टि से उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में कमी आयी। राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न संस्थागत सुधारों की वजह से यह संभव हुआ। वस्तुतः अधिकांश राज्यों ने एफआरबीएम संबंधी लक्ष्य अपने निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 2007-08 से पहले ही प्राप्त कर लिया। परंतु आर्थिक वृद्धि में आयी गिरावट तथा सभी राज्यों द्वारा संशोधित वेतनमानों को लागू किए जाने का 2008-09 तथा 2009-10 में राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ा। केंद्र तथा राज्य के स्तरों पर समग्र राजकोषीय निष्पादन की खराब हालत को ध्यान में रखते हुए तेरहवें वित्त आयोग को राजकोषीय समायोजन हेतु कार्य-योजना की समीक्षा करने का अतिरिक्त कार्य दिया गया ताकि 2010-15 के दौरान राजकोषीय समेकन के लाभों को बनाए रखा जा सके। तदनुसार तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्र तथा राज्यों दोनों के लिए संशोधित कार्य-योजना की सिफारिश की। तेरहवें वित्त आयोग ने मध्यावधि में राज्यों के लिए संशोधित राजकोषीय कार्य-योजना की रूपरेखा करते हुए राज्यों के पिछले राजकोषीय निष्पादन के आधार पर एक खंडवार दृष्टिकोण अपनाया जिसके अनुसार राज्यों के विभिन्न समूहों के लिए भिन्न-भिन्न समय-सीमा तय कर दी गई। आशा है कि 2010-11 समेकन का वर्ष साबित होगा जिसके अनुसार 2011-12 तक राज्य सरकारें राजकोषीय समेकन के मार्ग पर आ जाएंगी। संशोधित कार्य-योजना में यह निर्धारित किया गया है कि:

- जिन गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष हासिल कर लिया था उन्हें 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना चाहिए तथा उसके बाद राजस्व शेष अथवा राजस्व अधिशेष बनाए रखना चाहिए। अन्य राज्यों को चाहिए कि वे 2014-15 तक राजस्व घाटे को समाप्त कर दें।
- जिन गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष हासिल कर लिया था उन्हें 2011-12 तक राजकोषीय घाटे के रूप में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का लक्ष्य भी हासिल करना चाहिए तथा आगे उसे बनाये रखना चाहिए। गैर विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों को चाहिए कि वे 2013-14 तक राजकोषीय घाटे के 3 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करें।
- जिन विशेष श्रेणी के राज्यों का 2007-08 में मूल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से कम था वे 2011-12 में 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा रख सकते हैं तथा उन्हें उसके आगे भी इसे बनाए रखना होगा। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तराखंड को चाहिए कि वे 2013-14 तक राजकोषीय घाटा कम करके जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाएं।

iv) जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम को चाहिए कि वे 2014-15 तक अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित रखें। राज्यों को चाहिए कि वे एफआरबीएम अधिनियम बनाएं/में संशोधन करें ताकि आयोग द्वारा सुझाए गए सुधार के उपायों का अनुसरण किया जा सके। राज्यों के लिए सिफारिश किए गए राज्य विशिष्ट अनुदान तभी दिए जाएं जब इनका अनुपालन किया जाए।

तदनुसार 4 राज्यों को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों को 2011-12 तक राजस्व संतुलन प्राप्त कर लेना है। 2007-08 में राजस्व घाटा वाले 4 राज्यों (झारखंड, केरल, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल) को 2014-15 तक राजस्व संतुलन प्राप्त कर लेना होगा और 2013-14 तक उन्हें जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। विशेष श्रेणी के 11 राज्यों में से 6 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तराखंड के लिए विभिन्न राजकोषीय समायोजन उपायों का सुझाव दिया गया है। बारहवें वित्त आयोग की तुलना में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझायी गयी कार्य योजना की तुलना करते हुए चक्रवर्ती (2010) तर्क देते हैं कि जहां तक राजकोषीय घाटे के स्तर का संबंध है तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें मूल रूप में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से भिन्न नहीं हैं। अंतर केवल तुलनात्मक रूप में अधिक राजकोषीय असंतुलन वाले राज्यों के लिए सिफारिश की गई राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया में है जिसमें 2014-15 के अंत तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से राजकोषीय घाटे को कम करने की बात कही गयी है। जैसा कि 2010-11 (ब.अ.) के बजटीय प्रमुख राजकोषीय संकेतकों से पता चलता है, राज्यों ने राजकोषीय सुधार हेतु थोड़ी-बहुत प्रतिबद्धता दिखाई है। परंतु इस स्थिति को बनाए रखना कहां तक संभव होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्यावधि में समष्टि आर्थिक स्थितियां कैसी रहती हैं। फिर भी तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझायी गयी संशोधित कार्य-योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें अपने नए लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं।

संदर्भ :

चक्रवर्ती, पी. (2010), “डेफिसिट फंडामेंटेलिज्म वर्सस् फिस्कल फेडरेलिज्म: इंप्लिकेशन्स ऑफ थर्डिन्थ फाइनांस कमीशन रिपोर्ट”, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खंड XLV, सं.48, पृष्ठ 56-63, नवंबर 27।

भारत सरकार (2009), तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, दिसंबर, खंड I।

में कमी लाएंगे। जहां 4 राज्यों अर्थात् बिहार, गोवा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने बजट में निर्धारित सुधार केवल राजस्व लेखा के जरिए करने का प्रस्ताव किया है वहीं कर्नाटक ने प्रस्ताव किया है कि वह मुख्यतः ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों को बढ़ाकर एवं सीओ-जीएसडीपी अनुपात को घटाकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उत्तर प्रदेश ने 2010-11 (ब.अ.) में सीओ-जीएसडीपी अनुपात में कमी करके जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में कमी लाने की परिकल्पना की है। 2010-11 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के कम स्तर को देखते हुए गैर-विशेष श्रेणी के 12 राज्यों के बजटों में पीडी-जीएसडीपी अनुपात कम रखा गया है। गैर-विशेष श्रेणी के दो राज्यों अर्थात् हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में प्राथमिक राजस्व घाटे के बने रहने की संभावना है।

विशेष श्रेणी के राज्य

5.11 सकल व्यय की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्यों के व्यय का आकार सभी राज्य सरकारों के सकल व्यय का दसवां हिस्सा है। इन राज्यों की विशेषता यह है कि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहां की आबादी का घनत्व कम है तथा परिवहन की लागत काफी अधिक है जिनके चलते सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लागत काफी अधिक होती है। विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में आर्थिक कार्यकलापों का स्तर अपेक्षाकृत कम रहने के कारण गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में उनके कर का आधार सीमित है। ये राज्य अपने संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक केंद्र से प्राप्त होनेवाले अंतरणों (जिनमें अनुदान तथा कर न्यागमन शामिल होते हैं) पर निर्भर रहते हैं।

राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार विश्लेषण

सारणी V.1 :राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*				2008-09				2009-10 (सं.अ.)				2010-11 (ब.अ.)			
	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी	आरडी/ जीएस डीपी	जीएफडी/ जीएस डीपी	पीडी/ जीएस डीपी	पीआरबी/ जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	-0.3	2.7	0.1	-3.0	-0.3	3.3	1.2	-2.4	-0.7	3.5	1.3	-2.9	-0.8	3.0	0.6	-3.1
2. बिहार	-2.2	3.1	-0.7	-6.0	-3.1	1.8	-0.9	-5.8	-0.1	6.3	3.6	-2.8	-3.9	2.7	0.0	-6.6
3. छत्तीसगढ़	-3.5	0.3	-1.3	-5.2	-2.0	1.1	-0.1	-3.1	0.1	2.9	1.9	-0.9	-0.8	3.0	1.9	-2.0
4. गोवा	-0.6	3.6	0.8	-3.4	-0.5	4.1	1.5	-3.1	1.2	6.7	4.1	-1.3	0.0	5.6	3.0	-2.5
5. गुजरात	-0.4	2.2	-0.4	-3.0	0.0	3.1	0.8	-2.3	1.1	3.3	1.1	-1.1	1.0	3.5	1.2	-1.2
6. हरियाणा	-1.3	0.1	-1.7	-3.0	1.1	3.6	2.3	-0.1	1.7	4.0	2.6	0.3	1.6	3.6	2.0	0.0
7. झारखंड	2.2	8.8	7.0	0.4	-0.8	5.0	2.1	-3.7	-3.1	2.1	-0.5	-5.8	-3.9	0.7	-1.6	-6.3
8. कर्नाटक	-1.6	2.2	0.2	-3.6	-0.6	3.2	1.6	-2.3	-0.2	3.8	2.0	-1.9	-0.2	3.0	1.0	-2.1
9. केरल	2.2	3.2	0.4	-0.6	2.0	3.3	0.9	-0.5	1.9	3.1	0.7	-0.5	1.5	3.5	1.1	-0.9
10. मध्य प्रदेश	-2.0	2.6	-0.3	-4.9	-2.4	2.6	0.1	-4.8	-2.7	3.4	0.9	-5.2	-0.8	4.0	1.5	-3.3
11. महाराष्ट्र	-0.6	1.9	-0.2	-2.7	-0.8	2.0	0.2	-2.6	1.5	3.7	2.0	-0.2	0.9	2.7	0.9	-0.9
12. उड़ीसा	-2.2	-0.5	-4.1	-5.8	-2.6	0.3	-1.9	-4.7	1.0	3.7	1.3	-1.3	0.6	3.4	1.1	-1.7
13. पंजाब	1.7	3.1	-0.2	-1.6	2.3	4.0	1.1	-0.6	2.2	3.4	0.6	-0.6	2.2	3.6	0.9	-0.5
14. राजस्थान	-0.3	2.8	-0.9	-4.0	0.4	3.5	0.4	-2.7	1.8	4.5	1.4	-1.3	0.5	3.5	0.4	-2.6
15. तमिलनाडु	-1.1	1.2	-0.8	-3.1	-0.4	2.5	0.8	-2.2	1.3	3.4	1.6	-0.4	0.8	3.7	2.0	-1.0
16. उत्तर प्रदेश	-0.7	3.5	0.3	-3.9	-0.5	5.0	2.2	-3.2	-0.4	4.9	2.3	-2.9	-0.1	4.4	1.8	-2.7
17. पश्चिम बंगाल	3.0	4.1	0.0	-1.0	4.2	3.8	0.4	0.7	5.6	6.7	3.5	2.4	3.4	4.6	1.7	0.5
II. विशेष क्षेत्र																
1. अरुणाचल प्रदेश	-15.2	1.7	-3.2	-20.2	-21.7	7.3	2.5	-26.5	-32.3	3.8	-1.0	-37.1	-29.0	1.9	-2.7	-33.5
2. असम	-3.2	-0.9	-3.3	-5.6	-4.8	-1.8	-3.8	-6.8	6.1	11.5	9.0	3.6	6.1	9.5	7.0	3.6
3. हिमाचल प्रदेश	-1.2	2.6	-3.2	-7.0	0.4	6.2	1.0	-4.8	0.4	5.4	0.7	-4.3	1.1	5.1	0.4	-3.6
4. जम्मू और कश्मीर	-6.8	6.4	1.3	-11.9	-9.7	6.7	2.1	-14.3	-11.6	5.8	0.5	-16.9	-12.3	4.6	-0.7	-17.6
5. मणिपुर	-12.4	4.1	-0.9	-17.4	-19.7	3.4	-1.5	-24.7	-22.7	4.8	-0.2	-27.6	-16.2	3.5	-1.0	-20.7
6. मेघालय	-2.2	2.1	-0.5	-4.8	-1.3	4.5	2.3	-3.5	-2.0	5.6	3.4	-4.2	-2.6	3.0	0.9	-4.8
7. मिजोरम	-4.8	10.8	4.0	-11.6	-8.9	2.5	-3.4	-14.8	-6.0	9.1	3.0	-12.1	-7.1	0.9	-4.3	-12.3
8. नागालैंड	-6.5	4.8	0.3	-11.0	-7.2	4.8	0.4	-11.7	-5.5	12.1	7.3	-10.3	-11.8	3.5	-1.4	-16.8
9. सिक्किम	-12.4	5.2	-0.2	-17.9	-14.5	9.0	3.5	-19.9	-22.1	12.0	6.2	-27.8	-16.0	10.8	5.0	-21.9
10. त्रिपुरा	-7.8	0.0	-3.8	-11.6	-8.0	2.3	-1.1	-11.3	-1.6	13.2	9.6	-5.2	-5.8	7.2	3.5	-9.5
11. उत्तराखंड	-1.4	4.9	1.9	-4.5	-0.6	4.6	1.6	-3.5	2.4	8.3	5.1	-0.8	-0.3	3.3	0.3	-3.2
सभी राज्य#	-0.4	1.9	-0.2	-2.6	-0.2	2.4	0.6	-2.1	0.7	3.3	1.5	-1.1	0.3	2.5	0.9	-1.3
ज्ञापन मदे:																
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	-3.7	0.5	-1.2	-5.4	-2.8	1.7	0.2	-4.3	-3.5	1.8	0.5	-4.8	-3.1	1.4	0.2	-4.3
2. पुदुचेरी	0.3	4.1	1.8	-2.0	1.0	3.1	0.9	-1.3	3.1	6.1	3.9	0.9	1.7	6.6	4.7	-0.2

औ. : औसत.

सं.अ. : संशोधित अनुमान.

आरडी : राजस्व घाटा

जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा

पीडी : प्राथमिक घाटा.

पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष

जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद

* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं।

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं।

टिप्पणी : ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2004-05 से 2007-08 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों में जो राजकोषीय सुधार हुआ वह मुख्यतः केंद्र से अधिक मात्रा में न्यागमन तथा अंतरण की राशि प्राप्त होने के कारण था, हालांकि उनके स्वयं के राजस्व में भी कुछ सुधार हुआ है। केंद्र से प्राप्त होनेवाले अंतरणों पर

अधिक निर्भरता (न कि स्वयं के कर आधार पर) के कारण 2008-09 में अर्थव्यवस्था की समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का असर विशेष श्रेणी के राज्यों के राजस्व लेखों पर अपेक्षाकृत कम रहा। 2009-10 (सं.अ.) में अर्थव्यवस्था में और गिरावट आने के बावजूद विशेष श्रेणी के राज्यों

में समेकित राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही, हालांकि अधिशेष का स्तर कम था। परंतु गैर विशेष श्रेणी के राज्य इस दौरान घाटे की स्थिति में चले गए थे। उसी प्रकार विशेष श्रेणी के राज्यों के समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात की अवनति का स्तर गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम था (सारणी V.2)।

5.12 राज्यवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विशेष श्रेणी के सभी राज्यों (हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) ने 2008-09 के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किए। उच्चतर राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम तथा नागालैंड शामिल हैं। राजस्व अधिशेष के रहने के बावजूद 2008-09 (लेखा) में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। 2009-10 (सं.अ.) में असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड के राजस्व लेखा की स्थिति बिगड़ गई, यहां तक कि 2008-09 (लेखा) में राजस्व अधिशेष रहने के बावजूद असम और उत्तराखंड राजस्व घाटे की स्थिति में चले गए। कुल मिलाकर 2009-10 (सं.अ.) में केवल 8 राज्य राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे जबकि 2008-09 (लेखा) में ऐसे राज्यों की संख्या 10 थी। छह राज्यों में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हुई जो संभवतः संशोधित वेतन ढांचों को लागू करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय बोझ के आ जाने के कारण थी। तथापि 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों के जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात और बिगड़ गया। समग्र रूप में 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के केवल 3

राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी जिसका असर उनके पीडी-जीएसडीपी अनुपातों में भी दिखाई दिया। 2009-10 (सं.अ.) में असम ही केवल ऐसा राज्य था जिसमें व्याजेतर राजस्व व्यय का स्तर उच्च रहने के कारण राजस्व घाटा तथा प्राथमिक राजस्व घाटा दोनों ही रहा।

5.13 विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों (11 में से 9) ने 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। कुल मिलाकर विशेष श्रेणी के 6 राज्यों ने 2010-11 में राजस्व लेखा में सुधार हेतु बजट में प्रावधान किया है। 2 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को आशा है कि वे उच्चतर राजस्व प्राप्ति-जीएसडीपी अनुपात में सुधार करके राजस्व लेखा की स्थिति में सुधार ला सकेंगे जबकि मिजोरम और उत्तराखंड आरई-जीएसडीपी अनुपात को कम करके इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। मेघालय तथा त्रिपुरा ने अपने बजट में आरआर-जीएसडीपी तथा आरई-जीएसडीपी अनुपातों में सुधार हेतु उपाय किए हैं। 2010-11 (ब.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के बजटों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम रखा गया है। कम सीओ-जीएसडीपी अनुपात के चलते यह आशा है कि राजस्व घाटा वाले 2 राज्यों अर्थात् असम तथा हिमाचल प्रदेश को 2010-11 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम करने में मदद मिलेगी। यह आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड में प्राथमिक अधिशेष रहेगा। यह संभावना है कि असम में प्राथमिक धराजस्व घाटा तथा राजस्व घाटा एक साथ बना रहेगा।

सारणी V.2: घाटा संकेतकों में विशेष तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का हिस्सा

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
समेकित आरडी-जीडीपी अनुपात	-0.86	-0.23	0.71	0.31
विशेष श्रेणी के राज्य	-0.21	-0.21	-0.04	-0.06
गैर विशेष श्रेणी के राज्य	-0.66	-0.01	0.76	0.37
समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात	1.51	2.41	3.30	2.52
विशेष श्रेणी के राज्य	0.10	0.12	0.35	0.23
गैर विशेष श्रेणी के राज्य	1.41	2.29	2.95	2.29

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर ।

3. राज्य सरकारों का राजस्व लेखा

5.14 2004-05 तथा 2007-08 के बीच राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के सभी घटकों में सुधार दिखाई दिया। इस अवधि के बेहतर समष्टि आर्थिक परिवेश का लाभ उठाते हुए राज्यों ने राजस्व में वृद्धि हेतु कई उपाय किए और इन उपायों ने उनके राजस्व संग्रहण को बढ़ाने में मदद की। वेट को कार्यान्वित करने के अलावा करों को युक्तिसंगत बनाने, कर के अनुपालन में बेहतरी लाने एवं करों को लागू करने के उपायों को बेहतर करके उत्पाद तथा अन्य कर तथा करेतर स्रोतों से संग्रहण में वृद्धि के प्रयास किए गए। जहां 2008-09 तथा 2009-10 के

दौरान अधिकांश राज्यों के राजस्व संग्रहण में गिरावट आयी थी वहीं 2010-11 (ब.अ.) में इनके राजस्व लेखा में सुधार होने की संभावना है क्योंकि राज्यों को आशा है कि इस दौरान राजस्व संग्रहण में वृद्धि होने के साथ-साथ वर्ष के दौरान आरई-जीएसडीपी अनुपात भी कम रहेगा। राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न संकेतकों को सारणी V.3 में प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्व व्यय के संकेतक सारणी V.4 में दिये गये हैं।

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

5.15 सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का है। अतः इन राज्यों की राजकोषीय गतिविधियों का असर राज्यों वित्त की समेकित स्थिति पर अधिक स्पष्ट रूप से पड़ता है जैसा कि आर्थिक गिरावट के हाल के दौर में देखा गया।

राजस्व प्राप्तियां

5.16 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 11 राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों पर जीएसडीपी के अनुपात (आरआर-जीएसडीपी) के रूप में प्रतिकूल असर पड़ा। स्वयं के कर एवं करेतर स्रोतों से राजस्व के संग्रहण में खराब प्रदर्शन के अलावा करों के न्यागमन के रूप में केंद्र से होनेवाला अंतरण भी अधिकांश राज्यों में कम रहा जिसका कारण केंद्रीय कर के संग्रहण में कमी आना था। तथापि 2008-09 में केंद्र द्वारा अधिक मात्रा में सहायता अनुदान दिए जाने के कारण कुछ राज्यों के राजस्व लेखा पर पड़नेवाला प्रतिकूल असर कुछ हद तक कम रहा (सारणी V.3)।

5.17 2009-10(सं.अ.) में जहां गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के आरआर-जीएसडीपी अनुपात में और गिरावट आई वहीं गैर विशेष श्रेणी के अन्य कतिपय राज्य अर्थात् केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के स्वयं के कर राजस्व के संग्रहण की स्थिति खराब रही जिसके चलते उनके ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। तथापि, 2009-10(सं.अ.) में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में सुधार हुआ। आंध्र प्रदेश का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक

था जिसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश का था। कुछ राज्यों के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट देखी गई जो मुख्यतः चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में वसूली की खराब स्थिति एवं राज्यों में ब्याज, लाभांश तथा लाभ की प्राप्ति कम रहने की वजह से थी। स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट के अलावा सभी गैर विशेष श्रेणी के राज्यों (पंजाब को छोड़कर) में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में कर का न्यागमन (केंद्र से) कम रहा। फिर भी गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में केंद्र द्वारा दिया जाने वाला जीएसडीपी के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (जीआर-जीएसडीपी) उच्चतर रहा। कुल मिलाकर, 2009-10(सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को दिये जाने वाले सहायता अनुदान में लगभग 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2008-09(सं.अ.) में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

5.18 2010-11 (ब.अ.) में जहां तक राज्यवार आरआर-जीएसडीपी की स्थिति का संबंध है, 2010-11 में गैर-विशेष श्रेणी के 12 राज्यों को आशा है कि कर संग्रहण में वृद्धि होने एवं केंद्र से कर के न्यागमन में बढ़ोतरी होने की वजह से राजस्व प्राप्तियां उच्चतर रहेंगी। जहां 2009-10 (ब.अ.) के 13.6 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है वहीं केंद्र द्वारा गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को होनेवाले कर न्यागमन में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है (2009-10 में 2.7 प्रतिशत)। तथापि गैर-विशेष श्रेणी के कई राज्यों ने अपने बजटों में ओएनटीआर-जीएसडीपी तथा जीआर-जीएसडीपी अनुपात को कम रखा है। वस्तुतः इनमें से कई राज्यों ने तो अपने बजटों में स्वयं के कर राजस्व एवं केंद्र से मिलनेवाले अनुदान में मात्रात्मक रूप में गिरावट आने की बात कही है। राज्यों का अनुमान है कि 2010-11 में ब्याज प्राप्तियों की राशि में गिरावट आने एवं बिजली क्षेत्र से होनेवाली प्राप्तियों में कमी आने के चलते उनके करेतर राजस्व में कमी आएगी। वृद्धि की बेहतर संभावना को देखते हुए अधिकांश राज्यों को लगता है कि 2010-11 (ब.अ.) में केंद्र से मिलनेवाले सहायता अनुदान में कमी आएगी (सारणी V.3)।

5.19 राज्य स्तर पर वैट को लागू करना कर सुधार की दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुधारों में से एक प्रमुख सुधार है। राज्यों के लिए वैट कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे उनके कुल कर राजस्व का आधे से भी अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। मंदी के बावजूद गैर विशेष श्रेणी के 9 राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में ओटीआर

सारणी V.3: राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*				2008-09				2009-10 (सं.अ.)				2010-11 (ब.अ.)			
	आरआर/जीएस डीपी	ओटीआर/जीएस डीपी	ओएन टीआर/जीएस डीपी	सीटी/जीएस डीपी	आरआर/जीएस डीपी	ओटीआर/जीएस डीपी	ओएन टीआर/जीएस डीपी	सीटी/जीएस डीपी	आरआर/जीएस डीपी	ओटीआर/जीएस डीपी	ओएन टीआर/जीएस डीपी	सीटी/जीएस डीपी	आरआर/जीएस डीपी	ओटीआर/जीएस डीपी	ओएन टीआर/जीएस डीपी	सीटी/जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	15.7	8.5	2.2	5.1	16.7	8.8	2.6	5.3	19.1	9.9	3.4	5.7	20.7	10.8	3.6	6.4
2. बिहार	23.4	4.3	0.5	18.6	23.1	4.3	0.8	18.0	24.4	5.3	0.6	18.5	28.1	6.3	0.7	21.0
3. छत्तीसगढ़	17.5	7.6	2.4	7.5	16.5	6.9	2.3	7.2	17.2	6.2	3.2	7.8	19.4	7.1	4.1	8.2
4. गोवा	16.9	8.2	5.9	2.7	17.9	8.6	6.3	3.0	18.9	8.5	6.7	3.8	19.5	8.6	6.1	4.7
5. गुजरात	11.5	7.1	1.6	2.9	11.5	7.0	1.5	3.0	11.4	6.9	1.3	3.2	11.4	7.0	1.4	3.0
6. हरियाणा	13.2	8.2	3.0	2.0	10.1	6.4	1.8	1.9	11.0	6.7	1.5	2.8	10.0	6.7	1.4	1.8
7. झारखंड	15.9	5.1	2.4	8.4	21.3	6.7	2.9	11.7	23.9	6.7	3.6	13.6	22.2	6.6	3.5	12.1
8. कर्नाटक	17.3	10.8	1.8	4.7	16.0	10.2	1.2	4.6	15.5	9.8	0.8	4.9	16.3	11.0	0.9	4.4
9. केरल	12.5	8.1	0.7	3.7	12.9	8.4	0.8	3.7	12.4	8.1	0.8	3.4	12.7	8.5	0.9	3.3
10. मध्य प्रदेश	19.1	7.9	1.9	9.3	19.6	7.9	1.9	9.7	22.3	9.0	3.2	10.1	21.7	9.3	2.2	10.2
11. महाराष्ट्र	12.0	7.7	1.9	2.4	11.7	7.5	1.4	2.8	10.6	6.7	0.8	3.1	11.0	7.2	1.2	2.6
12. उड़ीसा	18.5	6.2	2.3	10.0	18.4	6.0	2.4	10.1	18.3	5.9	1.9	10.5	18.5	6.1	1.9	10.6
13. पंजाब	14.3	7.5	3.7	3.0	12.5	6.7	3.5	2.3	13.2	7.2	3.3	2.8	13.2	7.5	3.1	2.6
14. राजस्थान	16.8	7.6	2.2	7.0	16.6	7.4	1.9	7.3	16.9	7.6	2.3	7.0	17.6	7.9	2.1	7.6
15. तमिलनाडु	14.9	9.9	1.1	3.9	16.2	9.9	1.7	4.6	14.3	9.3	1.2	3.8	14.4	9.5	0.9	4.0
16. उत्तर प्रदेश	18.3	7.0	1.6	9.7	18.9	7.0	1.6	10.3	20.0	7.2	3.1	9.7	21.8	8.3	2.9	10.6
17. पश्चिम बंगाल	10.0	4.4	0.5	5.1	10.4	4.1	1.4	4.9	9.6	4.1	0.8	4.7	9.8	4.1	0.7	4.9
II. विशेष क्षेत्र																
1. अरुणाचल प्रदेश	72.2	2.3	10.8	59.0	85.0	3.0	17.0	65.0	108.5	2.4	29.5	76.6	84.1	2.4	6.3	75.4
2. असम	21.1	5.2	2.8	13.1	22.8	5.2	2.9	14.7	27.8	4.9	3.3	19.6	26.9	5.1	2.8	19.0
3. हिमाचल प्रदेश	27.1	5.9	4.3	16.9	25.2	6.1	4.8	14.4	24.9	6.2	4.2	14.5	24.1	6.2	3.7	14.3
4. जम्मू और कश्मीर	42.8	6.7	2.6	33.5	45.4	7.7	3.2	34.5	51.1	8.0	3.4	39.6	53.4	8.3	3.1	42.0
5. मणिपुर	53.5	2.2	2.6	48.7	61.0	2.7	4.0	54.4	70.1	3.1	4.7	62.4	66.2	3.6	5.6	57.0
6. मेघालय	28.4	3.9	2.4	22.1	29.2	3.8	2.3	23.1	34.7	3.7	2.2	28.8	35.0	3.7	2.1	29.2
7. मिजोरम	61.6	2.2	4.2	55.3	69.7	2.5	4.2	63.0	75.3	2.7	3.4	69.2	68.1	2.5	3.5	62.1
8. नागालैंड	44.6	2.0	1.7	40.9	48.2	2.2	2.6	43.4	51.5	2.0	1.8	47.6	64.1	2.4	2.0	59.7
9. सिक्किम	109.5	8.4	56.3	44.9	102.3	7.1	46.1	49.1	119.0	6.3	45.0	67.8	107.9	6.4	38.4	63.2
10. त्रिपुरा	32.9	3.3	0.9	28.7	34.5	3.7	1.3	29.5	36.6	4.1	1.2	31.3	40.2	4.9	1.4	33.9
11. उत्तराखंड	22.2	7.5	2.1	12.6	21.5	7.6	1.7	12.2	23.4	7.5	3.0	12.8	22.7	7.5	2.1	13.1
सभी राज्य#	12.2	5.8	1.4	4.9	12.4	5.8	1.5	5.2	12.3	5.6	1.5	5.3	11.6	5.4	1.3	4.9
ज्ञापन मदें:																
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	10.1	8.2	1.2	0.6	9.9	7.3	1.4	1.1	11.0	6.8	1.8	2.4	9.8	7.0	1.8	1.0
2. पुदुचेरी	24.0	6.9	6.9	10.1	20.9	6.2	5.3	9.4	22.0	6.9	5.1	10.0	21.3	8.7	6.5	6.2

औ. : औसत

ओएनटीआर : स्वयं के करेतर राजस्व

* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

आरई : संशोधित अनुमान

सीटी : चालू अंतरण

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं।

आरआर : राजस्व प्राप्तियां

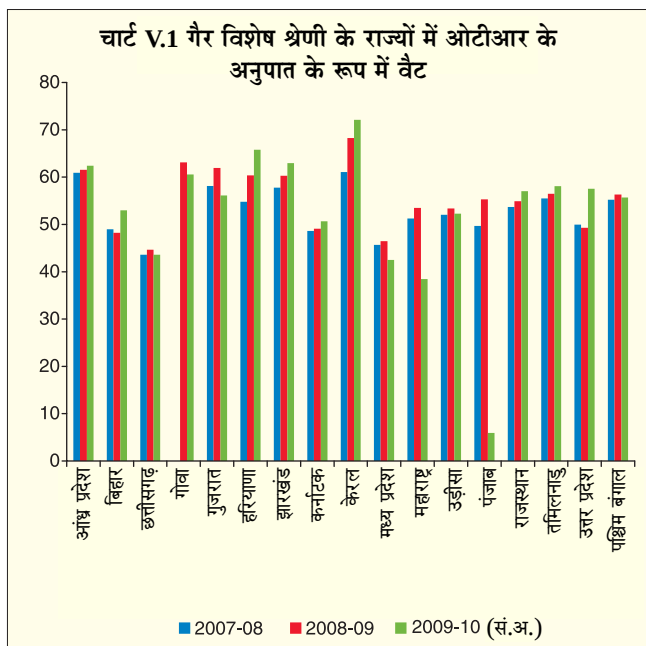
जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद

ओटीआर : स्वयं के कर राजस्व

के प्रतिशत के रूप में वेट से प्राप्त होनेवाली राशि में वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश का वेट से प्राप्ति- जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक अर्थात् 6.2 प्रतिशत रहा उसके बाद केरल (5.8 प्रतिशत) तथा तमिलनाडु (5.4 प्रतिशत) का क्रम था। 2010-11 (ब.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के 10 राज्यों के वेट-ओटीआर अनुपातों में वृद्धि होने की संभावना है जो

वृद्धि की बेहतर संभावनाओं को दर्शाती है। कुछ अन्य परोक्ष करों के साथ-साथ वेट के स्थान पर जीएसटी को लागू करने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है। यदि ऐसा होता है तो इससे कर प्रणाली सरल होगी, दक्षता में सुधार होगा एवं कर संग्रहण में वृद्धि के साथ-साथ अनुपालन में भी सुधार होगा (चार्ट V.1)।

चार्ट V.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर के अनुपात के रूप में वेट



राजस्व व्यय

5.20 हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की व्यय संबंधी रणनीति की झलक विकासेतर राजस्व व्यय को, मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं और ऋण चुकौती सेवाओं को, कम करने के उनके प्रयासों में देखा जा सकता है ताकि सामाजिक क्षेत्र में विकासात्मक व्यय हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। यद्यपि 2004-05 से 2007-08 के दौरान मात्रात्मक रूप में राजस्व व्यय के स्तर में निरंतर वृद्धि हुई है, फिर भी व्यय सुधार संबंधी विभिन्न उपायों के चलते आरई-जीडीपी अनुपात में गिरावट आयी। परंतु कुछ राज्यों में मजदूरी तथा वेतनों की राशि में बढ़ोतरी किए जाने के चलते 2008-09 में आरई-जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब को छोड़कर गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि देखी गयी। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में विकासात्मक राजस्व व्यय (डीआरई-जीएसडीपी) में भी वृद्धि हुई; कर्नाटक तथा पंजाब इसके अपवाद थे जिनमें 2008-09 में इस अनुपात में गिरावट आयी। विकासात्मक राजस्व व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं संबंधी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि कई राज्यों में आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय की वृद्धि दर में गिरावट आयी (सारणी V.4 तथा विवरण 12 तथा 13)।

5.21 2009-10 में वृद्धि की गति बढ़ाने हेतु किये गये राजकोष उपायों के प्रभाव को दर्शाते हुए गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आरई-

जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई; कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु इसके अपवाद थे जहां अनुपात में मामूली गिरावट आयी। उल्लेखनीय है कि केरल उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने 2009-10 में विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। आम तौर पर इसका अधिक फोकस विकासात्मक कार्यकलापों में वृद्धि करना था जिसके चलते समेकित स्तर पर डीआरई-जीडीपी अनुपात उच्चतर रहा। परंतु झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आरई-जीएसडीपी अनुपात में हुई वृद्धि का मुख्य कारण गैर विकासात्मक राजस्व व्यय की मात्रा अधिक होना था। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा जैसे राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में विकासात्मक व्यय कुल राजस्व व्यय के 70 प्रतिशत से भी अधिक था जबकि केरल तथा पंजाब के मामले में यह 50 प्रतिशत से कम था। विकास के प्राथमिकतावाले क्षेत्रों में शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास प्रमुख क्षेत्र थे, परंतु व्यय की प्राथमिकता के क्रम की दृष्टि से राज्यों के बीच काफी अंतर था। ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में प्राथमिक राजस्व अधिशेष की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा बिहार अच्छी स्थिति में थे (चार्ट V.2)।

5.22 राज्यवार संरचना से ज्ञात होता है कि 2009-10 (सं.अ.) में उच्चतम डीआरई-जीएसडीपी अनुपात एवं एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के साथ बिहार का आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक रहा। झारखंड का आरई-जीएसडीपी अनुपात दूसरे क्रम पर था जिसके बाद गोवा का स्थान था। बिहार के अलावा कुछ राज्यों जैसे गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश का डीआरई-जीएसडीपी अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर था। 2009-10(सं.अ.) में हरियाणा, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात का एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से कम था। विकासेतर राजस्व व्यय के अंतर्गत 2009-10(सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के पांच राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान (आइपी-जीएसडीपी) में बढ़ोतरी हुई जबकि तीन राज्यों में यह अनुपात लगभग अपरिवर्तित रहा। आम तौर पर 2000 के दशक के दौरान (2008-09 तक) आइपी-जीएसडीपी अनुपात में क्रमशः गिरावट आई जो ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई क्रमशः ऋण अदला-बदली योजना तथा ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के असर को प्रतिबिंबित करता है। पश्चिम बंगाल को 2009-10(सं.अ.) में इन

सारणी V.4: राज्य सरकारों के राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*					2008-09					2009-10 (सं.अ.)					2010-11 (ब.अ.)				
	आरई/जीएसडीपी	डीआरई/जीएसडीपी	एनडीआरई/जीएसडीपी	आइपी/जीएसडीपी	पीएन/जीएसडीपी	आरई/जीएसडीपी	डीआरई/जीएसडीपी	एनडीआरई/जीएसडीपी	आइपी/जीएसडीपी	पीएन/जीएसडीपी	आरई/जीएसडीपी	डीआरई/जीएसडीपी	एनडीआरई/जीएसडीपी	आइपी/जीएसडीपी	पीएन/जीएसडीपी	आरई/जीएसडीपी	डीआरई/जीएसडीपी	एनडीआरई/जीएसडीपी	आइपी/जीएसडीपी	पीएन/जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I. गैर विशेष श्रेणी																				
1. आंध्र प्रदेश	15.3	9.7	5.6	2.6	1.5	16.4	11.3	5.0	2.1	1.5	18.3	12.8	5.4	2.2	1.7	19.9	13.4	6.5	2.3	1.9
2. बिहार	21.2	12.0	9.2	3.8	2.7	20.0	12.6	7.4	2.6	2.4	24.3	15.2	9.1	2.7	3.0	24.2	15.0	9.2	2.7	3.5
3. छत्तीसगढ़	14.0	9.2	4.1	1.6	0.9	14.5	10.2	3.8	1.1	1.0	17.4	13.0	3.9	1.0	1.0	18.5	13.3	4.8	1.1	1.2
4. गोवा	16.3	11.1	5.2	2.8	1.0	17.3	12.0	5.4	2.6	1.1	20.1	13.9	6.2	2.5	1.8	19.5	13.1	6.4	2.5	1.9
5. गुजरात	11.1	6.4	4.7	2.6	0.9	11.5	7.5	4.0	2.3	0.9	12.6	8.2	4.3	2.3	1.1	12.4	7.9	4.5	2.3	1.0
6. हरियाणा	11.9	7.9	3.8	1.7	0.9	11.2	7.8	3.3	1.3	0.9	12.7	9.0	3.7	1.4	1.0	11.6	7.9	3.6	1.6	0.9
7. झारखंड	18.2	11.9	6.2	1.8	1.2	20.4	13.1	7.3	2.8	1.5	20.7	12.9	7.8	2.7	2.1	18.3	11.8	6.5	2.4	1.5
8. कर्नाटक	15.7	9.9	5.0	2.0	1.3	15.4	10.0	4.5	1.7	1.5	15.4	10.1	4.5	1.8	1.2	16.2	10.4	4.9	1.9	1.4
9. केरल	14.7	6.8	7.0	2.8	2.5	14.9	7.0	6.7	2.5	2.5	14.3	6.8	6.3	2.4	2.2	14.2	6.9	6.2	2.4	2.2
10. मध्य प्रदेश	17.1	9.7	6.4	2.9	1.3	17.2	10.2	5.9	2.4	1.4	19.5	11.9	6.4	2.5	1.6	20.9	12.3	7.1	2.5	1.7
11. महाराष्ट्र	11.5	6.7	4.6	2.1	0.7	10.9	6.9	3.8	1.8	0.7	12.2	8.0	4.0	1.7	0.8	11.8	7.4	4.3	1.8	0.8
12. उड़ीसा	16.3	8.5	7.6	3.6	1.6	15.9	10.4	5.2	2.2	1.6	19.4	11.9	7.2	2.4	2.6	19.1	11.7	7.2	2.3	2.6
13. पंजाब	16.0	6.7	9.0	3.3	1.6	14.8	6.2	8.5	3.0	1.7	15.4	6.9	8.2	2.8	1.6	15.4	6.9	8.0	2.7	1.4
14. राजस्थान	16.5	9.9	6.6	3.7	1.4	17.0	10.6	6.4	3.1	1.6	18.7	11.5	7.3	3.1	2.3	18.0	11.1	6.9	3.1	2.1
15. तमिलनाडु	13.8	7.5	5.4	2.0	1.9	15.8	9.1	5.5	1.8	2.3	15.6	9.2	5.3	1.8	2.1	15.2	8.6	5.5	1.8	2.3
16. उत्तर प्रदेश	17.6	9.1	7.6	3.2	1.6	18.4	10.4	7.2	2.8	1.7	19.6	10.2	8.6	2.5	2.3	21.7	11.4	9.5	2.6	2.5
17. पश्चिम बंगाल	13.0	6.2	6.7	4.0	1.4	14.6	8.6	5.9	3.4	1.3	15.2	8.1	7.0	3.2	2.2	13.2	7.5	5.6	2.9	1.3
II. विशेष क्षेत्र																				
1. अरुणाचल प्रदेश	57.0	40.6	16.4	4.9	2.5	63.3	46.2	17.1	4.8	2.5	76.2	53.1	23.1	4.8	3.2	55.1	39.4	15.6	4.5	2.6
2. असम	17.9	11.0	6.9	2.4	1.8	18.0	10.4	6.8	2.0	1.8	33.9	16.6	14.2	2.4	2.7	32.9	19.3	10.1	2.4	2.6
3. हिमाचल प्रदेश	25.9	14.8	11.1	5.7	2.9	25.6	14.9	10.6	5.1	3.1	25.3	15.0	10.3	4.7	3.1	25.2	14.4	10.8	4.7	3.9
4. जम्मू और कश्मीर	36.0	21.0	15.0	5.1	3.2	35.8	20.4	15.4	4.6	3.3	39.4	22.4	17.1	5.3	3.9	41.1	22.4	18.7	5.3	4.2
5. मणिपुर	41.2	25.7	15.4	5.0	3.8	41.3	24.1	17.3	4.9	4.2	47.4	27.7	17.9	4.9	4.2	49.9	30.1	18.7	4.5	4.9
6. मेघालय	26.2	16.7	9.5	2.7	1.5	27.9	18.2	9.8	2.2	1.8	32.7	23.0	9.6	2.2	1.6	32.3	23.1	9.2	2.1	1.6
7. मिजोरम	56.8	37.1	19.7	6.8	2.9	60.7	39.6	21.1	5.9	3.3	69.3	45.6	23.7	6.1	3.8	60.9	38.7	22.2	5.1	4.3
8. नागालैंड	38.1	20.6	17.5	4.5	3.5	40.9	21.8	19.1	4.4	3.2	46.0	25.3	20.7	4.8	4.0	52.3	29.5	22.8	4.9	5.9
9. सिक्किम	97.1	32.5	64.7	5.5	2.3	87.8	35.8	52.0	5.5	2.3	96.9	42.8	54.1	5.8	4.2	91.9	43.2	48.0	5.9	4.4
10. त्रिपुरा	25.1	13.0	11.6	3.8	2.7	26.5	14.5	11.3	3.3	3.0	35.0	19.6	14.7	3.6	4.2	34.4	17.8	15.8	3.7	4.4
11. उत्तराखंड	20.7	12.4	7.6	3.1	1.7	20.9	12.5	7.7	3.0	2.1	25.7	15.7	9.2	3.2	2.8	22.4	13.7	7.7	2.9	1.9
सभी राज्य#	11.8	6.6	4.8	2.1	1.1	12.2	7.4	4.5	1.8	1.2	13.0	7.9	4.8	1.8	1.3	11.9	7.1	4.5	1.6	1.2
ज्ञापन मदें:																				
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	6.4	3.7	2.2	1.7	—	7.1	4.7	2.1	1.5	—	7.5	5.2	2.0	1.4	—	6.7	4.7	1.8	1.2	0.0
2. पुदुचेरी	24.3	18.7	5.6	2.4	1.3	21.8	16.0	5.8	2.2	1.4	25.1	18.4	6.7	2.2	2.2	23.0	18.5	4.4	1.9	1.0

औ: औसत

एनडीआरई : गैर विकासात्मक राजस्व व्यय

- : शून्य/नगण्य/लागू नहीं

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर

आरई : संशोधित अनुमान

आइपी : ब्याज भुगतान

* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं

आरई : राजस्व व्यय

पीएन : पेंशन

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं।

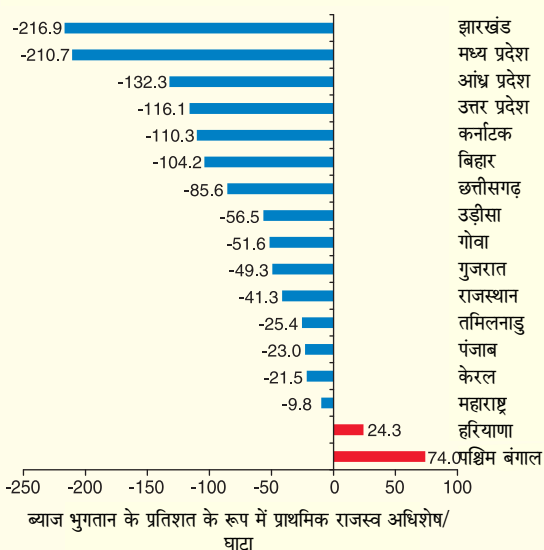
डीआरई : विकासात्मक राजस्व व्यय

जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद

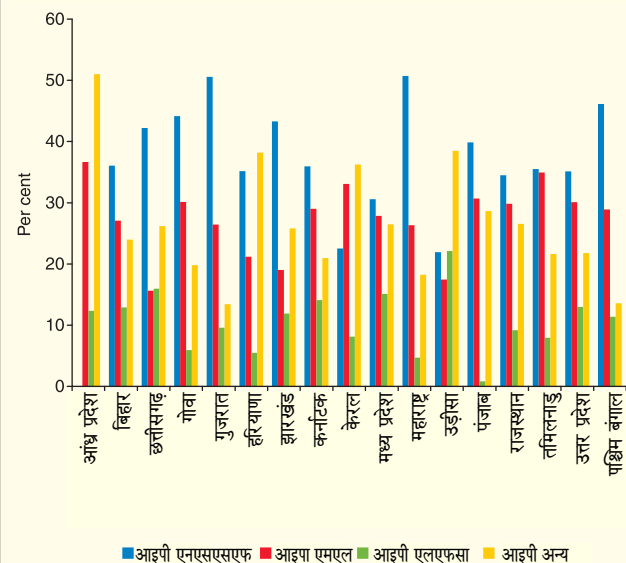
सुविधाओं का लाभ नहीं मिला और उसका आइपी-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक रहा। अतः कुछ राज्यों में राजस्व प्राप्तियों का अधिकांश हिस्सा ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग होता रहा जिनमें पश्चिम बंगाल

पहले स्थान पर रहा जिसके बाद पंजाब, गुजरात तथा केरल का स्थान था। उसी प्रकार 2009-10(सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पेंशन के भुगतान का अनुपात

चार्ट V.2 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का प्राथमिक राजस्व शेष से वित्तपोषण - 2009-10 (सं.अ.)



चार्ट V.4 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान की संरचना - 2009-10 (सं.अ.)



अधिक रहा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे वेतन आयोग/ राज्य वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के चलते राज्य सरकारों के पेंशन के दायित्व के स्तर में वृद्धि हो गई है। 2009-10(सं.अ.) में पश्चिम बंगाल (102.8 प्रतिशत), उड़ीसा (91.4 प्रतिशत), गोवा (87.0 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (65.4 प्रतिशत), झारखंड(53.1 प्रतिशत) तथा राजस्थान (50.8 प्रतिशत) में पेंशन संबंधी व्यय में तेजी से वृद्धि हुई (विवरण 17, चार्ट V.3 तथा चार्ट V.4)।

5.23 2010-11(ब.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के 11 राज्यों ने अपने बजटों में आरई-जीएसडीपी अनुपात कम रखे। 2010-11 (ब.अ.) में समेकित आरई/जीडीपी अनुपात में हुई सकल गिरावट का 88.2 प्रतिशत हिस्सा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की वजह से था। संभावना है कि हरियाणा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में आरई-जीएसडीपी अनुपात में 1 प्रतिशत अंक से भी अधिक की गिरावट आएगी।

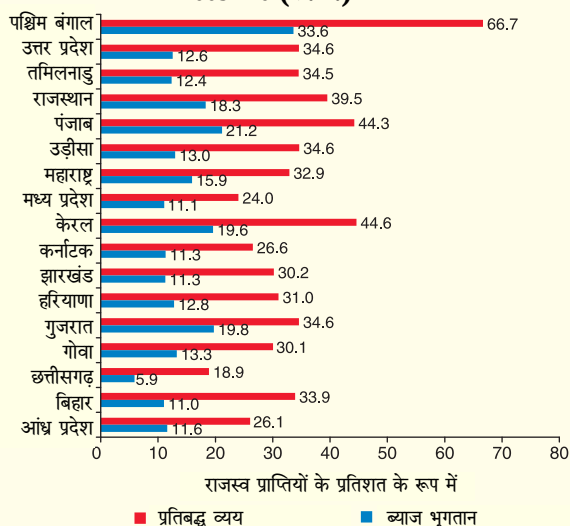
विशेष श्रेणी के राज्य

5.24 विशेष श्रेणी के राज्यों की राजस्व प्राप्तियां केंद्र से राजस्व-अंतर अनुदान के रूप में केंद्र से प्राप्त होने वाले अंतरणों पर निर्भर करती हैं। विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में आर्थिक कार्यकलापों का स्तर कम रहने के कारण इन राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर पिछले दो वर्षों की प्रतिकूल समष्टि आर्थिक गतिविधियों का असर अपेक्षाकृत सीमित रहा।

राजस्व प्राप्तियां

5.25 2008-09 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों में से 3 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तराखंड के आरआर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी जो मुख्यतः केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाले अंतरण की राशि (सिक्किम को छोड़कर) तथा करों का न्यागमन (जीएसडीपी के अनुपात के रूप में) कम रहने की वजह से थी। 2008-09 में जहां सिक्किम का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात

चार्ट V.3 : राजस्व प्राप्तियों का ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय - 2009-10 (सं.अ.)



कम रहा वहीं असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा उत्तराखंड के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात कम था। 2008-09 के दौरान केंद्रीय करों की प्राप्तियों में कमी आने के चलते जम्मू और कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों की केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सेवाली राशि कम रही। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान (जीआर-जीएसडीपी) उच्चतर रहा।

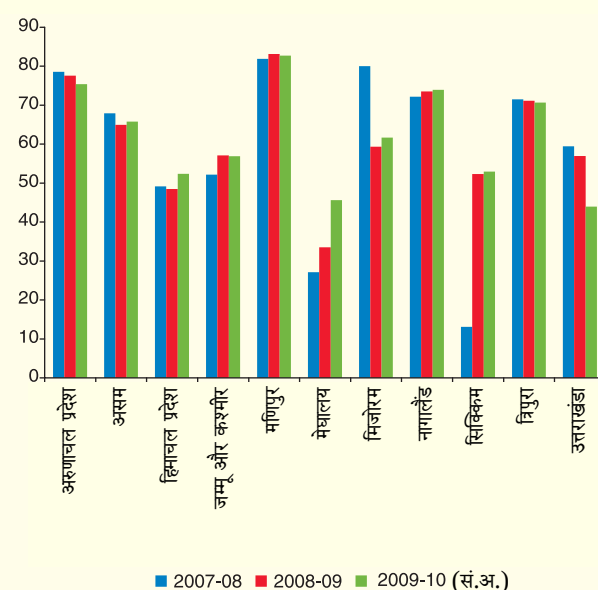
5.26 2009-10 (सं.अ.) में केवल हिमाचल प्रदेश का आरआर-जीएसडीपी अनुपात कम रहा जो मुख्यतः ओएनटीआर-जीएसडीपी के कम रहने एवं केंद्र से करों के न्यागमन की मात्रा में गिरावट आने की वजह से था। विशेष श्रेणी के जिन राज्यों के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में थोड़ी गिरावट आयी उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तराखंड शामिल थे। 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य 5 राज्यों अर्थात् मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात कम रहा। यद्यपि 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों को कर अंतरण के रूप में कम राशि प्राप्त हुई फिर भी केंद्र से प्राप्त हुए उच्चतर अनुदान ने इसकी भरपाई कर दी (विवरण 18-23)।

5.27 2008-09 में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 6 राज्यों का वैट-ओटीआर अनुपात कम रहा। 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के 5 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड के वैट-ओटीआर अनुपात में गिरावट आयी। 2009-10 (सं.अ.) में मणिपुर का वैट-ओटीआर अनुपात सबसे अधिक अर्थात् 82.7 प्रतिशत रहा जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड का स्थान था (चार्ट V.5)। 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच जीएसडीपी के रूप में वैट का संग्रहण जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक तथा नागालैंड में सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में जहां वैट-जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर बना रहा वहीं मिजोरम सबसे नीचे था।

राजस्व व्यय

5.28 2008-09 में विशेष श्रेणी के 8 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड के जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। 2008-09 (लेखा) में विकासात्मक व्यय में वृद्धि होने के चलते जहां अरुणाचल प्रदेश का आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक

चार्ट V.5: विशेष श्रेणी के राज्यों में ओटीआर के प्रतिशत के रूप में वैट



रहा वहीं मुख्यतः टीआरई-जीएसडीपी अनुपात कम रहने की वजह से सिक्किम के आरई-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक गिरावट आयी। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सिक्किम का आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक (87.8 प्रतिशत) रहा जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (63.3 प्रतिशत) तथा मिजोरम (60.7 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 में राजस्व व्यय के अंतर्गत असम तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का डीआरई-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर था। इसी अवधि के दौरान असम, जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय के विकासेतर घटक (एनडीआरई) में गिरावट आयी। 2007-08 की तुलना में 2008-09 में मिजोरम के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि हुई जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आइपी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी। परंतु इस अवधि के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन भुगतानों में वृद्धि हुई।

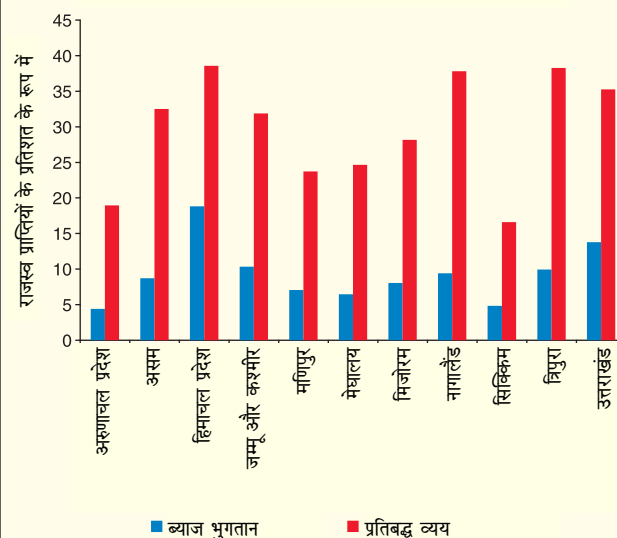
5.29 2009-10 (सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के डीआरई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान विशेष श्रेणी के दो राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश और मेघालय के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात

में गिरावट आयी। विकासेतर राजस्व व्यय की श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के आइपी-जीएसडीपी अनुपात में बढ़ोतरी हुई जबकि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में पेंशन की राशि में गिरावट आयी (सारणी V.4)।

5.30 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों के कुल ब्याज भुगतानों में केंद्र से लिये गये ऋण के संबंध में अदा की गई ब्याज की राशि का हिस्सा छोटा-सा था। एनएसएसएफ प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज के भुगतान का हिस्सा उत्तराखंड का सबसे अधिक था इसके बाद असम तथा त्रिपुरा का स्थान था। नागालैंड के मामले में यह केवल 4.0 प्रतिशत था। नागालैंड ने बाजार से लिये गये ऋणों के संबंध में सबसे अधिक ब्याज का भुगतान किया जिसके बाद मिजोरम तथा मेघालय का स्थान था।

5.31 2010-11 (ब.अ.) में विशेष श्रेणी के कई राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड ने अपने बजटों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय कम रखने का प्रस्ताव किया है। 2010-11 में आरई-जीएसडीपी अनुपात में कमी लाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड की योजना है कि वे डीआई-जीएसडीपी अनुपात को कम करेंगे जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम तथा उत्तराखंड ने इसके लिए अपने बजटों में एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात को कम रखा है। विकासेतर राजस्व व्यय के अंतर्गत आशा है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा उत्तराखंड के मामलों में आइपी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आएगी जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम तथा उत्तराखंड को छोड़कर जीएसडीपी के अनुपात के रूप में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के पेंशन व्यय में वृद्धि होगी। यह देखा गया है कि विशेष श्रेणी के राज्यों का ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं तथा पेंशन सहित प्रतिबद्ध राजस्व व्यय(सीई) की राशि काफी अधिक है। 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश 38.6 प्रतिशत के सीई-आरआर अनुपात के साथ विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सबसे आगे था जिसके बाद त्रिपुरा तथा नागालैंड का स्थान था। 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश का आइपी-आरआर अनुपात सबसे अधिक अर्थात् 18.8 प्रतिशत था जिसके बाद उत्तराखंड एवं जम्मू और कश्मीर का था। यह संभावना है कि 2010-11(ब.अ.) में हिमाचल प्रदेश का आइपी-आरआर अनुपात सबसे अधिक रहेगा उसके बाद उत्तराखंड का स्थान होगा (विवरण 17, 36 तथा 37 एवं चार्ट V.6)।

चार्ट V.6: राजस्व प्राप्तियों का ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय - 2009-10 (सं.अ.)



4. राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति

5.32 हाल के वर्षों में राज्यों के व्यय की प्रवृत्ति में अनुकूल बदलाव हुआ है जैसा कि राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात से स्पष्ट है। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटा अनुपात दर्शाता है कि चालू व्यय को पूरा करने के लिए उधारियों का उपयोग किस सीमा तक किया गया। यह अनुपात 2001-02 के 64.1 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 7.8 प्रतिशत हो गया, बाद में 2006-07 तथा 2007-08 में राजस्व अधिशेष के चलते स्थिति में और सुधार हुआ। 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान के राजस्व अधिशेष से यह ज्ञात होता है कि राजस्व प्राप्तियों का एक हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया। पूंजीगत व्यय के पक्ष में हुआ यह बदलाव व्यय प्रबंधन की उस नीति के कारण है जिसका फोकस पूंजी परिव्यय में वृद्धि करने हेतु अधिक बल देते हुए व्यय को ऐसे भौतिक उत्पादन तथा परिणामों के साथ जोड़ने पर था जिनको मापा जा सकता है। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों ने पर्याप्त निधीयन की व्यवस्था की ताकि चल रही योजनाएं पूरी की जा सकें। राज्यों के व्यय प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच विकासात्मक व्यय, पूंजी परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति के विश्लेषण से किया जा सकता है, यद्यपि ये व्यय एक-दूसरे से असंबद्ध श्रेणी के व्यय नहीं हैं। इन व्ययों से संबंधित गैर विशेष तथा विशेष, दोनों श्रेणी के राज्यों के 2005-08(औसत), 2008-09 तथा 2009-10 (सं.अ.) एवं 2010-11 (ब.अ.) के आंकड़े

सारणी V.5 में दिए गए हैं। इस विश्लेषण से उभरकर आने वाली प्रमुख बातों में से एक व्यय की प्रमुख श्रेणियों (अर्थात् विकासात्मक व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय) के अनुपात में गिरावट आना है जिनका मध्यावधि तथा दीर्घावधि में राज्यों की वृद्धि तथा विकास हेतु काफी महत्व है।

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

5.33 2004-05 से 2008-09 तक सकल व्यय के अनुपात के रूप में एक समूह के रूप में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास व्यय (डीई-ईई) (राजस्व तथा पूंजी दोनों) में वृद्धि हुई। यह स्थिति 2004-05 के 51.8 प्रतिशत की तुलना में 64.3 प्रतिशत के उच्चतर डीई-ईई अनुपात से स्पष्ट होती है। परंतु यह प्रवृत्ति बरकरार न रह सकी क्योंकि राज्यों के वेतनों में बढ़ोतरी किये जाने एवं 2009-10 (सं.अ.) में राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के संबंध में राज्यों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 2009-10 (सं.अ.) में गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का डीई-ईई अनुपात कम रहा। छत्तीसगढ़ का डीई-ईई अनुपात सबसे अधिक रहा जिसके बाद हरियाणा के स्थान था जबकि पंजाब और केरल का यह अनुपात सबसे कम था। आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में डीई-ईई अनुपात में कमी आएगी क्योंकि 15 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने अपने बजट में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में डीई-ईई अनुपात कम रखा है।

5.34 उपर्युक्त स्थिति के बावजूद 2004-05 से 2009-10 (सं.अ.) के दौरान जीडीपी की तुलना में विकासात्मक व्यय (डीई-जीडीपी) में निरंतर वृद्धि दिखाई दी। यद्यपि 2009-10 (सं.अ.) में जहां समेकित स्तर पर डीई-जीडीपी अनुपात में सुधार हुआ वहीं कुछ राज्यों अर्थात् गुजरात, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के डीई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। जीएसडीपी के अनुपात के रूप में विकासात्मक व्यय (डीई-जीएसडीपी) बिहार में सबसे अधिक था जिसके बाद गोवा का स्थान था, जबकि केरल तथा पंजाब का यह अनुपात सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने अपने बजटों में डीई-जीएसडीपी अनुपातों को कम रखा है (सारणी V.5 तथा विवरण 12)। 2010-11 (ब.अ.) में जहां गैर विशेष श्रेणी के 13 राज्यों में जीएसडीपी अनुपात के रूप में विकासेतर व्यय

में कमी आने की संभावना है वहीं राशि के रूप में झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में विकासेतर व्यय में वृद्धि होने की संभावना है (विवरण 13)।

5.35 2009-10 (सं.अ.) में जहां गैर विशेष श्रेणी के 14 राज्यों में जीएसडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय (एसएसई-जीएसडीपी) में वृद्धि हुई वहीं 3 राज्यों अर्थात् झारखंड, केरल तथा तमिलनाडु में 2009-10 (सं.अ.) में इस अनुपात में गिरावट आई अथवा यह पूर्ववत् रहा। राज्यों के बीच बिहार तथा छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे जिनका एसएसई-जीएसडीपी अनुपात उच्च था जबकि पंजाब का यह अनुपात सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के नौ राज्यों ने जीएसडीपी की तुलना में सामाजिक क्षेत्र व्यय को कम दर्शाया है जिनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तथापि, जहां बिहार तथा छत्तीसगढ़ का एसएसई-जीएसडीपी अनुपात उच्च स्तर पर बना रहेगा वहीं 2010-11 (ब.अ.) में पंजाब तथा केरल का एसएसई-जीएसडीपी अनुपात अत्यधिक कम रहने की संभावना है (सारणी V.5 तथा विवरण 41, 42, 46 तथा 47)।

5.36 जहां तक पूंजी परिव्यय की बात है 2004-05 से 2008-09 तक सीओ-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई परंतु 2009-10 (सं.अ.) में इसमें रुकावट आयी। गैर विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 9 राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) में सीओ-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी जिनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल थे। बिहार का सीओ-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक था जिसके बाद गोवा तथा उत्तर प्रदेश का स्थान था। पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य थे जिनका सीओ-जीएसडीपी अनुपात कम था। यह संभावना है कि 2010-11 (ब.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के 9 राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आ सकती है। आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बजटों में सीओ-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक गिरावट (0.6 प्रतिशत अंक) दर्शायी गयी है। संभावना है कि गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा केरल का सीओ-जीएसडीपी अनुपात कम स्तर पर बना रहेगा। 2010-11 में सीओ-जीएसडीपी के अनुपात के रूप में अगली पंक्ति वाले राज्य वही रहे जो पिछले वित्तीय वर्ष में भी इसी क्रम में थे जैसे कि बिहार, गोवा तथा उत्तर प्रदेश (सारणी V.5)।

सारणी V.5: राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)*			2008-09			2009-10 (सं.अ.)			2010-11 (ब.अ.)		
	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी	डीईवी/ जीएस डीपी	एसएसई/ जीएस डीपी	सीओ/ जीएस डीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	13.7	6.8	3.6	15.0	8.3	2.7	17.1	8.5	3.9	17.2	9.1	3.3
2. बिहार	17.2	11.4	4.4	17.4	11.5	4.5	21.5	13.9	6.1	21.4	13.7	6.2
3. छत्तीसगढ़	13.3	8.7	3.4	13.7	9.3	3.1	16.6	12.4	2.8	18.0	12.7	3.8
4. गोवा	14.7	6.6	4.2	15.8	7.4	4.5	18.3	9.0	5.3	17.2	8.7	5.5
5. गुजरात	9.3	4.9	2.8	10.6	5.4	3.0	10.4	6.0	2.1	10.3	6.1	2.4
6. हरियाणा	9.8	4.5	1.9	10.3	5.4	2.5	11.2	6.2	1.9	9.9	5.6	1.4
7. झारखंड	18.3	11.5	4.6	18.6	13.0	5.2	18.0	12.1	4.5	16.2	11.0	4.2
8. कर्नाटक	13.6	6.9	3.6	13.7	7.6	3.6	13.9	8.6	3.7	14.2	8.6	3.6
9. केरल	7.8	5.5	0.7	8.4	5.7	0.9	8.0	5.7	0.9	8.8	6.0	1.7
10. मध्य प्रदेश	15.1	8.1	4.7	15.2	8.6	3.9	18.0	9.9	4.2	17.0	10.6	4.0
11. महाराष्ट्र	9.2	5.3	2.0	9.7	5.3	2.7	10.2	6.3	2.1	9.3	6.3	1.8
12. उड़ीसा	10.3	6.7	1.7	13.2	8.3	2.8	14.7	9.8	2.8	14.5	9.3	2.7
13. पंजाब	8.4	3.7	1.7	7.8	4.1	1.7	8.6	4.8	1.9	8.2	4.6	1.4
14. राजस्थान	13.3	8.3	3.4	13.7	9.6	2.9	14.5	10.2	2.5	13.9	9.5	3.1
15. तमिलनाडु	10.1	6.3	2.1	12.6	7.9	2.7	11.9	7.6	2.3	11.4	7.5	2.8
16. उत्तर प्रदेश	13.3	7.8	4.1	15.8	9.6	5.4	15.4	9.8	5.1	15.8	10.4	4.5
17. पश्चिम बंगाल	7.4	5.1	0.8	9.8	5.5	1.0	9.2	7.2	1.0	8.7	6.7	1.1
II. विशेष क्षेत्र												
1. अरुणाचल प्रदेश	57.0	24.9	17.0	74.2	28.2	28.4	90.7	35.7	36.0	49.3	18.4	30.8
2. असम	13.3	8.1	2.2	13.5	8.5	3.0	21.9	13.4	5.4	22.7	14.0	3.4
3. हिमाचल प्रदेश	18.5	11.4	3.8	20.6	12.4	5.6	20.0	11.6	5.0	18.3	10.9	3.7
4. जम्मू और कश्मीर	32.5	15.4	13.1	34.3	16.1	16.2	36.9	18.0	17.3	36.4	18.6	16.7
5. मणिपुर	39.5	19.3	15.7	46.3	22.8	23.1	53.5	24.3	27.4	49.1	23.2	21.8
6. मेघालय	20.9	12.0	4.3	23.6	12.7	5.5	30.1	16.4	7.4	28.3	15.7	5.5
7. मिजोरम	53.0	26.7	15.9	51.0	30.2	11.6	60.3	38.7	15.2	46.8	27.8	8.1
8. नागालैंड	30.5	15.4	11.3	31.8	15.8	12.1	40.4	19.7	17.3	42.0	21.7	15.4
9. सिक्किम	48.9	27.7	17.7	56.3	31.3	23.4	71.9	40.6	32.7	69.4	37.6	26.8
10. त्रिपुरा	19.9	12.2	7.8	23.2	14.2	10.2	32.4	20.7	14.6	27.2	16.7	12.8
11. उत्तराखंड	18.4	10.4	6.0	17.3	10.4	5.0	22.1	13.3	6.1	17.5	11.6	3.7
सभी राज्य#	9.1	5.2	2.3	10.2	5.9	2.6	10.5	6.4	2.4	9.3	5.8	2.1
ज्ञापन मर्दे												
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	7.4	4.5	1.8	8.9	5.4	2.4	9.4	5.6	2.5	8.3	4.9	2.2
2. पुदुचेरी	22.2	10.5	3.9	18.0	9.0	2.2	21.3	11.8	3.2	23.2	13.3	5.0

औ. : औसत.

सीओ : पूंजी परिव्यय

* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 के हैं

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर

आरई : संशोधित अनुमान.

जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत में हैं।

डीईवी : विकासात्मक व्यय

एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय

विशेष श्रेणी के राज्य

5.37 विशेष श्रेणी के राज्यों का फोकस विकासात्मक व्यय के संबंध में रहा जैसाकि 2005-06 से 2009-10 (सं.अ.) के दौरान विकासात्मक व्यय में हुई निरंतर वृद्धि से ज्ञात होता है। विकासात्मक व्यय में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति 2009-10 (सं.अ.) में भी बनी रही जैसा

कि अधिकांश राज्यों की वृद्धि दर तथा डीई-जीएसडीपी अनुपात से ज्ञात होता है। 2008-09 के 16.1 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में विकासात्मक व्यय में 39.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस अवधि में 10 राज्यों का डीई-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहा। तथापि 2009-10 (सं.अ.) में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर

तथा मिजोरम में सकल व्यय में से विकासात्मक व्यय (डीई-ईई) का हिस्सा कम रहा। जहां अरुणाचल प्रदेश का डीई-ईई अनुपात सबसे अधिक था वहीं सिक्किम का यह अनुपात सबसे कम था। 2010-11 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर में काफी गिरावट आने की संभावना है। असम तथा नागालैंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में डीई-जीएसडीपी अनुपात कम रहने की संभावना है। राज्यों के बजटों में जहां सिक्किम का डीई-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक है वहीं उत्तराखंड का यह अनुपात सबसे कम है (सारणी V.4)।

5.38 सामाजिक क्षेत्र व्यय के अनुसार राज्यवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2009-10(सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। 2009-10 (सं.अ.) में जहां सिक्किम और मिजोरम के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि हुई वहीं हिमाचल प्रदेश में 0.8 प्रतिशत अंक की गिरावट आयी। 2010-11 (ब.अ.) में 11 में से 8 राज्यों के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आयी। जहां अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट की दर काफी अधिक रहने की संभावना है वहीं विशेष श्रेणी के अन्य छह राज्यों में गिरावट मामूली रहने की संभावना है (विवरण 46 तथा 47)।

5.39 2009-10 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के अनुपातों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। परंतु सीओ-जीएसडीपी अनुपात में हो रही इस वृद्धि दर में 2010-11 (ब.अ.) में गिरावट आने की संभावना है। विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने अपने बजटों में सीओ-जीएसडीपी अनुपात को कम करके आंका है तथा मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के अनुपातों में तेजी से गिरावट आने की संभावना है (सारणी V.4)।

5. निष्कर्ष

5.40 2008-09 से 2010-11 तक के राज्य सरकारों के वित्त के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान छठे वित्त आयोग/ राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अधिकांश राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके अलावा

समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के असर को कम करने के लिए अधिकांश राज्यों ने विशेष रूप से 2009-10 में कर रियायत तथा छूट देने एवं व्यय में वृद्धि करने के जरिए विस्तारकारी राजकोषीय उपायों का सहारा लिया। गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों के राजस्व प्राप्तियों पर इसका भारी प्रभाव पड़ा जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के वित्त पर इसका असर मामूली रहा। 2009-10 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात अधिक रहा जो उच्चतर आरडी-जीएसडीपी अनुपात को दर्शाता है। 18 राज्यों के राजस्व लेखा पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा तथा राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या 2008-09 के 21 से घटकर 2009-10 (सं.अ.) में 14 रह गई। 28 राज्यों में से 14 राज्यों (गैर विशेष श्रेणी के 13 राज्यों सहित) का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात जीएसडीपी के 4.0 प्रतिशत से कम रहा, हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात के लिए राज्यों को अनुमति दे दी थी। 2010-11 में 17 राज्यों के बजटों में राजस्व अधिशेष रहा। बजट में आरई- जीएसडीपी अनुपात के कम रखे जाने के बावजूद अधिकांश राज्यों में आरआर-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहने की संभावना है। 2010-11 (ब.अ.) में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात उच्चतर रहने की संभावना है जबकि केवल कुछ ही राज्यों में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में सुधार होने की आशा है। इसी प्रकार अधिकांश राज्यों को आशा है कि केंद्र से न्यायमन के रूप में उच्चतर कर राजस्व प्राप्त होगा जो कि राज्यों के उच्चतर सीटी-जीएसडीपी अनुपातों में परिलक्षित होता है। 2010-11 (ब.अ.) में 22 राज्यों के बजटों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात कम रहा जो अधिकांश राज्यों के राजस्व लेखा में हुए सुधार को दर्शाता है। 11 राज्यों में राजस्व घाटे का बने रहना यह दर्शाता है कि ये राज्य अपने राजस्व व्ययों को पूरा करने के लिए उधार ली गई राशि का उपयोग करना जारी रखेंगे।

5.41 सभी राज्यों के व्यय के उभरते परिदृश्य से ज्ञात होता है कि 2010-11 में 21 राज्यों ने डीई-जीएसडीपी अनुपातों को कम रखा है। इसी प्रकार 20 राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में जो गिरावट आयी उसका असर इन राज्यों की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ेगा। विकासात्मक तथा पूंजीगत व्ययों में समायोजन करके राजकोषीय सुधार करने की प्रवृत्ति से राज्यों के स्तर पर किए जा रहे राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के बारे में संदेह होता है।

VI

राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं

वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विस्तारकारी राजकोषीय उपायों के कारण 2008-09 और 2009-10 में समेकित सकल राजकोषीय घाटा अधिक रहा। राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में 2008-09 और 2009-10 में हुई चूकों और परिणामस्वरूप उच्चतर बाजार उधारों के बावजूद, 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के 25.0 प्रतिशत पर राज्यों का समग्र ऋण बारहवें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश किए गए लक्ष्यों से ऊपर रहा है। केंद्र ने 2008-09 और 2009-10 में प्रत्येक को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धिशील बाजार उधार लेने की अनुमति दी। कई राज्यों ने उच्चतर वृद्धिशील बाजार उधारों का सहारा लिया। सामान्य रूप में, राज्यों के पास 2009-10 और 2010-11 के दौरान नगद अधिशेष इकट्ठा होना जारी रहे और इस अवधि के दौरान डब्ल्यूएमए/ओडी पर उनकी निर्भरता सापेक्षिक रूप से कम बनी रही।

1. परिचय

6.1 पिछले दो वर्षों में विभिन्न देशों की कई सरकारों द्वारा उठाए गए प्रतिचक्रिय प्रोत्साहन उपायों को देखते हुए, बढ़ता सार्वजनिक ऋण स्तर राजकोषीय और समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए नये खतरे के रूप में उभरकर सामने आया है जिससे संप्रभु जोखिम के बढ़ने की चिंताएं जन्म ले रही हैं। भारत में, यद्यपि केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कारण बढ़ा, एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि राज्यों का समेकित ऋण-जीडीपी अनुपात 2008-09 और 2009-10 के दौरान घटना जारी रहा। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं, बाजार उधारों, आकस्मिक देयताओं और अर्थोपाय अग्रिम - ओवरड्राफ्ट (डब्ल्यूएमए-ओडी) का विश्लेषण किया गया है।

2. बकाया देयताएं

6.2 अंतर-कालिक तुलना से पता चलता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों की समेकित बकाया देयताएं 1997-98 से 2003-04 तक निरंतर बढ़ी। बारहवें वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित ऋण राहत व्यवस्था से, जिसने नियम आधारित राजकोषीय अनुशासन को मानने के लिए प्रोत्साहित किया, राज्य 2007-08 तक बकाया देयताओं की मात्रा को जीडीपी के 26.6 प्रतिशत तक रोक रखने में समर्थ रहे। ऋण -जीडीपी अनुपात का गिरता रुझान 2008-09 से 2010-11 तक जारी रहा (सारणी VI.1 और चार्ट VI.1)।

सारणी VI.1: राज्य सरकारों की बकाया देयताएं

वर्ष (मार्च के अंत में)	राशि	वार्षिक वृद्धि	ऋण/जीडीपी
		(प्रतिशत)	
1	2	3	4
1991	1,28,155	—	22.5
1997	2,85,898	14.6	20.7
1998	3,30,816	15.7	21.7
1999	3,99,576	20.8	22.8
2000	5,09,529	27.5	26.1
2004	9,03,174	14.8	32.8
2008	13,28,302	7.0	26.6
2009	14,70,195	10.7	26.3
2010 (सं.अ.)	16,38,474	11.4	25.0
2011 (ब.अ.)	18,20,155	11.1	23.1

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत: 1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

2. भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के समेकित वित्त तथा राजस्व लेखा, सीएजी, भारत सरकार।

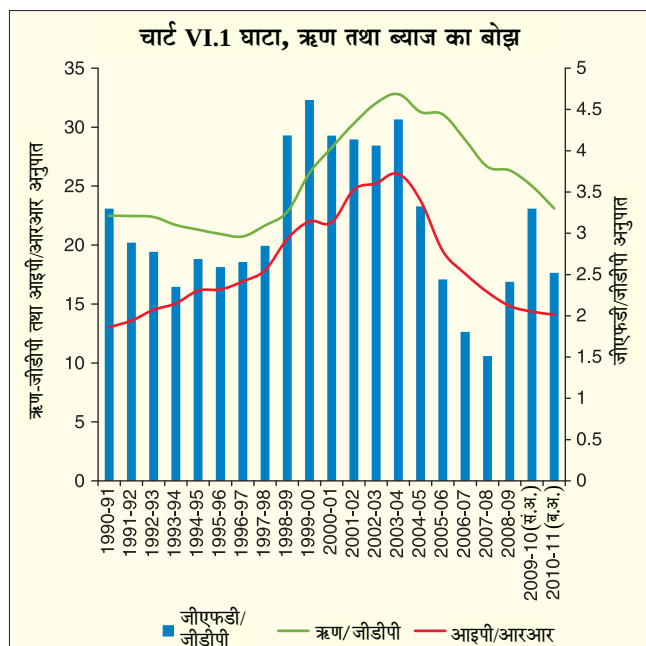
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

4. रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

5. केंद्र सरकार का वित्त लेखा, भारत सरकार।

मात्रा

6.3 कई राज्य सरकारों द्वारा घोषित संशोधित वेतन ढांचों और विस्तारकारी राजकोषीय नीति उपायों के चलते आए अतिरिक्त व्यय दायित्वों के कारण 2008-09 और 2009-10 में ऋण के स्तर में



काफी अधिक वृद्धि हुई, ये दायित्व 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत बढ़े जबकि 2007-08 में इसमें केवल 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2008-09 और 2009-10 (सं.अ.) में बकाया ऋण के उच्चतर स्तर पर होने के बावजूद, राज्यों के कुल ऋण-जीडीपी अनुपात में इस अवधि के दौरान गिरावट आयी। उल्लेखनीय बात यह है कि 2009-10 में 25.0 प्रतिशत का कुल ऋण-जीडीपी अनुपात (सं.अ.) बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 30.8 प्रतिशत (ब.अ.) के स्तर से नीचे था। 2010-11 में (ब.अ.), राज्यों के बकाया ऋण-जीडीपी अनुपात के और गिरकर 23.1 प्रतिशत तक होने की संभावना है।

6.4 2008-09 और 2009-10 में प्रत्येक राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त बाजार उधार, जिसे पूंजी निवेश करने के लिए उपयोग किया जाना है, जुटाने की अनुमति दी गयी। तदनुसार जीएफडी-जीएसडीपी लक्ष्य को 2008-09 में 3.0 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तथा 2009-10 में और 4.0 प्रतिशत शिथिल किया गया। राज्य 2008-09 में उधारों के इस अतिरिक्त प्रावधान का सहारा लेते प्रतीत हुए जब जीडीपी की तुलना में समेकित स्तर पर वृद्धिशील बाजार उधार अधिक अर्थात् 0.8 प्रतिशत हो गए। यद्यपि 2009-10 के दौरान समेकित स्तर पर वृद्धिशील बाजार उधार-जीडीपी अनुपात

धीरे-धीरे कम हुआ, कुल राशि के अर्थ में वृद्धिशील बाजार उधार उच्चतर रहे। राज्यवार स्थिति दर्शाती है कि जीएसडीपी के अनुपात के रूप में वृद्धिशील बाजार उधार 2008-09 के दौरान 16 राज्यों में और 2009-10 के दौरान 11 राज्यों में जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत अंकों की निर्धारित सीमा से अधिक रहे। 2008-09 और 2009-10 में बाजार उधारों में वृद्धि के बावजूद, राज्य सरकारों का समेकित ऋण-जीडीपी अनुपात घटा क्योंकि अन्य ऋण घटकों के हिस्से में गिरावट आयी और सांकेतिक आर्थिक वृद्धि बकाया ऋण की तुलना में अधिक हो गयी।

ऋण की संरचना

6.5 राज्यों की बकाया देयताओं की संघटना में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखा है। बाजार उधारों के माध्यम से सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन पर बल देने के कारण, राज्य सरकारों की बकाया देयताओं में इसका हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा है, जबकि 1999-2000 से आगे केंद्र के ऋणों पर निर्भरता तेजी से घट रही है। 2009-10 (सं.अ.) में, बाजार उधार एक भारी घटक के रूप में उभरे जिसमें राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं का हिस्सा 31.5 प्रतिशत था जिसके 2010-11 में 35.6 प्रतिशत (ब.अ.) और बढ़ने की आशा है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के हिस्से में मार्च 2008 के अंत से लगातार गिरावट आई है। एनएसएसएफ के मार्च 2011 के अंत में कुल बकाया देयताओं के लगभग एक चौथाई होने की आशा है (सारणी VI.2)। कुल बकाया देयताओं में उच्च लागत वाले ऋण लिखत अर्थात् सार्वजनिक खाते की मदें जैसे 'लघु बचत' और 'राज्य भविष्य निधि' 2005-06 से 12.1 - 12.3 प्रतिशत के दायरे में बनी हुई हैं। 2006-07 तक राज्यों द्वारा लिए गये एनएसएसएफ कर्जों पर ब्याज की उच्च प्रभावी दर के परिणाम के रूप में आने वाले भार पर विचार करते हुए, तेरहवें वित्तीय आयोग ने इन एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत की सिफारिश की है जिसमें एफआरएल के विधायन से संबंधित पूर्व शर्त लगाई गयी है। 1990-91 से 2010-11 (ब.अ.) तक राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की विस्तृत संरचना परिशिष्ट सारणी 19 और 20 में दी गयी है, जबकि बकाया देयताओं की राज्य-वार संरचना विवरण 26-28 में दी गयी है।

सारणी VI.2: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मद	1991	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (सं.अ.)	2011 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
कुल देयताएं (1 से 4)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. आंतरिक ऋण	15.0	24.6	58.7	60.9	61.5	62.1	63.5	65.5	66.9
जिसमें से:									
(i) बाजार ऋण	12.2	14.8	21.1	19.9	19.6	22.5	27.3	31.5	35.6
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	5.0	27.8	31.9	34.3	32.4	29.4	27.8	25.7
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.0	3.4	6.7	6.3	5.6	5.4	5.3	5.1	4.7
2. केंद्र से ऋण और अग्रिम	57.4	45.2	15.8	13.7	11.8	10.9	9.8	9.1	8.6
3. सार्वजनिक खाते (i से iii)	26.8	29.9	25.5	25.3	26.6	26.9	26.5	25.2	24.3
(i) लघु बचत, राज्य पीएफ, आदि	13.2	15.8	12.9	12.3	12.1	12.2	12.1	12.3	12.3
(ii) आरक्षित निधि	3.7	3.9	5.2	5.5	6.3	5.9	5.7	4.7	4.4
(iii) जमा राशियां और अग्रिम	10.0	10.2	7.4	7.6	8.1	8.8	8.7	8.2	7.6
4. आकस्मिक निधियां	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान।

‘-’: शून्य / नगण्य / लागू नहीं।

स्रोत: सारणी V.1 में दिए गए अनुसार।

3. राज्य-वार ऋण स्थिति

6.6 राज्यों के समग्र ऋण-जीडीपी अनुपात में 2008-09 और 2009-10 (सं.अ.) में सुधार हुआ। संशोधित वेतन ढांचों और राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कार्यान्वयन के चलते होने वाले अतिरिक्त व्यय दायित्वों के बावजूद, ऋण-जीएसडीपी अनुपात के अर्थ में प्रभाव अधिकांश राज्यों में कम रहा। राज्य-वार ऋण जीएसडीपी स्थिति सारणी VI.3⁷ में दी गयी है।

विशेष वर्ग वाले राज्यों से भिन्न राज्य

6.7 2008-09 में, झारखंड और तमिलनाडु को छोड़कर विशेष वर्ग वाले राज्यों से भिन्न सभी राज्यों में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2007-08 की तुलना में कम रहा। 2009-10 (सं.अ.) में, विशेष वर्ग वाले राज्यों से भिन्न 17 राज्यों में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2008-09 की तुलना में कम रहा। उत्तर प्रदेश के मामले में, ऋण-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय सुधार दिखा, इसके बाद उड़ीसा और पंजाब

रहे। लेकिन, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना रहा जिसका ऋण-जीएसडीपी अनुपात सर्वाधिक अर्थात् 43.5 प्रतिशत था, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल रहा। छत्तीसगढ़ का ऋण-जीएसडीपी अनुपात सबसे कम अर्थात् 15.2 प्रतिशत था, इसके पश्चात हरियाणा और कर्नाटक का रहा।

6.8 ऋण-जीडीपी अनुपात के राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में ब्याज भुगतान के लिए निहितार्थ होते हैं। चूंकि ब्याज भुगतान प्रतिबद्ध व्यय होते हैं, यदि उच्चतर ब्याज भुगतानों के कारण आय भार को पूरी तरह से उच्चतर राजस्व प्राप्तियों द्वारा समंजित नहीं किया जाता है तो राजस्व घाटे में बढ़ोतरी निश्चित होती है। परिणामस्वरूप, यह उच्चतर राजकोषीय घाटे में परिलक्षित होगी। इसलिए, ऋण चुकौती क्षमता की दृष्टि से, राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान (आईपी-आरआर) की प्रवृत्ति का प्रमुख स्थान है। राज्य-वार आंकड़े दर्शाते हैं कि 11 राज्य 2009-10 तक अपने आईपी-आरआर को बारहवें वित्त आयोग के 15 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप कर सके। लेकिन गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम

⁷ बकाया देयताओं के राज्य-वार और घटक-वार विस्तृत ब्यौरे विवरण 26-28 में दिए गये हैं। विभाजित तीन राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मार्च के अंत की बकाया देयताओं को नये निर्मित तीन राज्यों (क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड) में जनसंख्या के संबंधित अनुपात के आधार पर बांटा गया है।

सारणी VI.3: राज्य-वार ऋण जीएसडीपी स्थिति

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08* (औसत)	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
I. से इतर श्रेणी राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	32.7	29.2	30.1	31.3
2. बिहार	51.9	39.1	39.7	39.5
3. छत्तीसगढ़	22.0	15.8	15.2	18.0
4. गोवा	38.5	36.2	35.5	33.6
5. गुजरात	34.7	32.6	32.1	31.4
6. हरियाणा	22.4	18.3	19.0	18.9
7. झारखंड	30.6	31.7	33.6	32.9
8. कर्नाटक	26.8	24.1	24.3	25.1
9. केरल	36.5	35.3	34.3	33.4
10. मध्य प्रदेश	39.5	35.2	34.4	37.2
11. महाराष्ट्र	30.3	26.9	25.1	26.7
12. उड़ीसा	44.4	32.9	30.6	30.0
13. पंजाब	42.6	37.1	35.2	34.1
14. राजस्थान	47.2	41.8	41.1	40.9
15. तमिलनाडु	25.4	25.4	25.5	25.1
16. उत्तर प्रदेश	53.2	46.8	43.5	45.8
17. पश्चिम बंगाल	47.0	42.5	42.8	40.8
II. विशेष श्रेणी के राज्य				
1. अरुणाचल प्रदेश	75.0	130.6	115.9	77.8
2. असम	30.1	28.8	28.0	27.8
3. हिमाचल प्रदेश	63.9	59.3	55.7	53.2
4. जम्मू और कश्मीर	68.9	72.0	70.1	67.1
5. मणिपुर	78.4	77.0	77.4	66.3
6. मेघालय	39.0	38.5	37.3	36.2
7. मिजोरम	113.8	108.9	109.1	98.1
8. नागालैंड	54.6	59.3	59.4	58.0
9. सिक्किम	71.3	77.3	80.6	82.2
10. त्रिपुरा	48.0	39.8	42.2	43.2
11. उत्तराखंड	43.0	42.8	41.1	39.5
सभी राज्य#	28.9	26.3	25.0	23.1
ज्ञापन मंदें:				
1. रा.रा.क्षे.दिल्ली	19.4	15.3	13.8	12.0
2. पुदुचेरी	27.7	28.2	29.7	25.9

* : 2006-07 से संबंधित आंकड़े पुदुचेरी के हैं।

: सभी राज्यों ये आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: सारणी V.1 में दिए गए अनुसार।

बंगाल इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। जबकि पश्चिम बंगाल ने ब्याज भुगतान के लिए अपनी राजस्व प्राप्तियों के 33.6 प्रतिशत का उपयोग किया, छत्तीसगढ़ के मामले में आइपी-आरआर अनुपात सबसे कम अर्थात् 5.9 प्रतिशत था। 2010-11 (ब.अ.) में, विशेष वर्ग वाले राज्यों से भिन्न 11 राज्यों में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में कम ऋण-जीएसडीपी अनुपात के दर्ज किये जाने की आशा है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मामले में ऋण-जीएसडीपी अनुपात अधिक होगा।

विशेष वर्ग वाले राज्य

6.9 विशेष वर्ग वाले राज्यों में विशेष वर्ग वाले राज्यों से भिन्न राज्यों की तुलना में कुल व्यय-जीएसडीपी अनुपात अधिक रहा क्योंकि उन्होंने जनता को विभिन्न सेवाएं देने में प्रमुख भूमिका निभाई। केंद्र के अधिक अनुदानों के बावजूद, जिसने विशेष वर्ग वाले राज्यों के संसाधन आधार की तुलना में सापेक्षिक रूप से अधिक व्यय के प्रभाव को कम किया, उनका ऋण-जीएसडीपी अनुपात सामान्य रूप से अधिक रहा। लेकिन, 2005-06 से 2009-10 (सं.अ.) के दौरान सभी राज्यों के कुल बकाया ऋण में समूह के रूप में उनका हिस्सा केवल लगभग 8.0 प्रतिशत था। 2009-10 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात छह विशेष वर्ग वाले राज्यों में घटा जबकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मामले में यह बढ़ा। अरुणाचल प्रदेश ने 115.9 प्रतिशत का सर्वाधिक ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, इसके पश्चात मिजोरम था। 2010-11 (सं.अ.) में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में कमी और व्यापक होने की आशा है क्योंकि सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर विशेष वर्ग के सभी राज्यों में कम ऋण-जीएसडीपी अनुपात होने की आशा है (सारणी VI.3)।

4. बाजार उधार

समेकित स्थिति

6.10 जैसाकि पहले जिक्र किया गया है, राज्य सरकारों द्वारा अपनी संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार उधारों पर बहुत अधिक निर्भरता रही है। यह 2008-09 और 2009-10 के दौरान स्पष्ट है जब राज्यों को देशी आर्थिक गतिविधियों पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव को देखते हुए प्रतिक्रिया उपाय अपनाने पड़े। इस अवधि के दौरान जुटाई गये बाजार उधारों की अधिक राशि को केंद्र द्वारा दिये गये अतिरिक्त प्रावधानों से सुगमता मिली। परिणाम के रूप में, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के बकाया स्टॉक में 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः 34.6 प्रतिशत तथा 28.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2007-08 में इसमें 23.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एसडीएल के बकाया स्टॉक का ब्याज दर स्वरूप दर्शाता है कि उच्च लागत वाले बाजार उधारों (10 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर) के हिस्से में 2009-10 के दौरान और गिरावट आई। 10 प्रतिशत और उसके ऊपर के ब्याज दर वाले एसडीएल के बकाया स्टॉक का हिस्सा मार्च 2009 के अंत के 10.1 प्रतिशत से तेजी से गिरकर मार्च 2010

सारणी VI.4: राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर प्रोफाइल (मार्च के अंत में)

ब्याज दर का दायरा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल की तुलना में प्रतिशत	
	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5
5.00-5.99	34,825	35,075	8.7	6.8
6.00-6.99	74,606	74,606	18.6	14.4
7.00-7.99	1,13,906	1,51,070	28.3	29.2
8.00-8.99	1,25,750	2,19,895	31.3	42.5
9.00-9.99	12,371	11,871	3.1	2.3
10.00-10.99	14,418	14,400	3.6	2.8
11.00-11.99	14,583	5,416	3.6	1.0
12.00-12.99	11,465	4,639	2.9	0.9
कुल	4,01,924	5,16,972	100.0	100.0

* पुद्दुचेरी के संघशासित क्षेत्र सहित।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

के अंत में 4.7 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.4)। लेकिन, 8-10 प्रतिशत के बीच दायरे के ब्याज दरों वाले बकाया एसडीएल का हिस्सा मार्च 2009 के अंत के 34.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 44.8 प्रतिशत हो गया, जिससे संकेत मिलता है कि 2009-10 में वृद्धिशील ऋण कुछ अधिक लागत पर जुटाया गया था (सारणी VI.4)।

2008-09 और 2009-10 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन

6.11 राज्य सरकारों के सकल बाजार उधारों का स्तर 2007-08 की तुलना में 2008-09 में 74 प्रतिशत अधिक था। 2009-10 में, बाजार उधार आवश्यकताओं का स्तर ऊंचा बना रहा क्योंकि वर्ष के दौरान कुछ राज्यों ने राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को लागू किया था। फिर भी, बाजार में चलनिधि की अच्छी स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकारें अपने बाजार उधार कार्यक्रमों को आसानी से पूरा कर सकीं। 2009-10 में, राज्य सरकारों द्वारा जुटाई गयी सकल राशि वर्ष के सकल आबंटन की तुलना में 8.1 प्रतिशत अधिक थी तथा यह 2008-09 के सकल उधारों की तुलना में 11.0 प्रतिशत अधिक थी। उड़ीसा केवल ऐसा राज्य था जिसने 2009-10 में बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, यह पिछले वर्ष की तरह था जब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने इसमें भाग नहीं लिया था। 2008-09 में 15 राज्यों की तुलना में 2009-10 में पांच राज्यों ने अपनी स्वीकृत राशि से कम राशियां जुटाईं। बाजार उधार कार्यक्रम वर्ष के दौरान पूरे वर्ष चले। निर्गमों के केवल आकार को दर्शाते हुए, 2009-10 के दौरान जारी एसडीएल की भारित औसत आय पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और एसडीएल के बेंचमार्क के बीच अंतर (स्प्रेड) 2009-10 के दौरान कम रहा, जो वर्ष के दौरान बाजार उधारों के आबंटन को पूरे वर्ष भर चलना दर्शाता है (बॉक्स VI.1)।

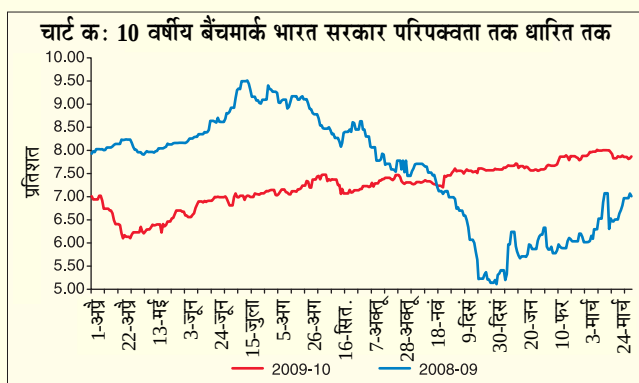
बॉक्स VI.1: राज्य बाजार उधारों का प्रभावी प्रबंधन - लागत और अंतर

वर्ष 2009-10 में केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का बहुत अधिक निर्गम हुआ। वर्ष के दौरान भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम 65.2 प्रतिशत से बढ़कर 4,51,000 रुपए हो गया। इसके अलावा, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय परिपक्वता वाले खजाना बिल समग्र आधार पर 3,77,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए जारी किये गये। इसके ऊपर, 2009-10 के दौरान राज्य विकास ऋणों का (एसडीएल) का निर्गम 11.0 प्रतिशत बढ़कर 1,31,122 करोड़ रुपए हो गया जबकि 2008-09 की तुलना में ये निर्गम 1,18,138 करोड़ रुपए के थे। वास्तव में, बाजार उधार राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए एक बड़े स्रोत बन गये हैं।

उधार की लागत सामान्यतया प्रतिभूतियों पर द्वितीयक बाजार की प्रचलित आय पर निर्भर होती है। 2009-10 के दौरान राज्य प्रतिभूतियों के विशाल प्रारंभिक निर्गमों के बावजूद, भारत सरकार की 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति पर आय नवंबर 2009 के मध्य तक कम स्तर पर बनी रही इसके पश्चात इसमें बढ़ोतरी हुई (चार्ट क)। कम नीति दरों का दीर्घकालिक सरकारी बांडों में संप्रेषण वर्ष की पहली छमाही में अधिक था।

आय दिसंबर 2009 से बढ़नी शुरू हुई, जो सामान्य बाजार दशाओं को दर्शाती है और यह कुल मिलाकर 2009-10 में 7.04 प्रतिशत तथा 8.58 प्रतिशत के

बीच रही। 2009-10 के दौरान एसडीएल की भारित औसत आय 8.11 प्रतिशत थी जबकि 2008-09 के दौरान यह 7.87 प्रतिशत थी। यद्यपि एसडीएल की कटऑफ आय 2009-10 की चौथी तिमाही के दौरान बढ़ी, 10 वर्षीय बेंचमार्क वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों और एसडीएल के बीच स्प्रेड काफी अधिक



जारी...

समाप्त

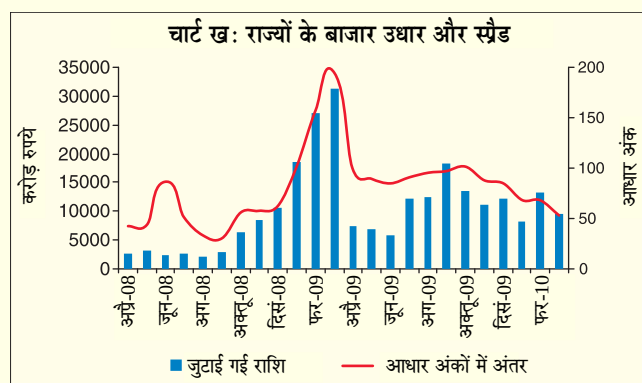
कम हुआ जो 2008-09 के 21-236 बीपीएस की तुलना में वर्ष के दौरान 45-129 आधार अंक के दायरे में बना रहा। परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान भारित औसत स्प्रेड कम अर्थात् 86 आधार अंक था जबकि 2008-09 के दौरान यह 122 आधार अंक था।

स्प्रेड उतार-चढ़ाव कई कारणों पर आश्रित है, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, शामिल हैं - बाजार पहुंच के समय चलनिधि की दशा, एसडीएल की विपणनीयता और श्रृंखला में कुल निर्गम के आकार के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के निर्गम के आकार, इसके अलावा संबद्ध राज्य की राजकोषीय स्थिति। उधार की लागत भी बाजार चलनिधि का एक कार्य है। इसके अलावा, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के तर्ज पर एक संकेतात्मक कैलेंडर जारी करना राज्य उधारों की योजना बनाने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। एसडीएल के लिए एक संकेतात्मक कैलेंडर बाजार अनुमान, नीलामियों के बीच समुचित अंतर के अर्थ में लाभ प्रदान करेगा तथा परिणाम के रूप में जारीकर्ता के प्रति लागत प्रभावशीलता। निवेशकर्ता भी परिचालनात्मक दक्षता और बेहतर आयोजना के अर्थ में लाभान्वित होंगे।

2009-10 के कम स्प्रेड में, अन्य के अलावा, समुचित आयोजना का प्रभाव और वर्ष भर राज्यों के उधार कार्यक्रमों का संवितरण भी परिलक्षित हुआ, जबकि 2008-09 की दूसरी छमाही, विशेष रूप से चौथी तिमाही, में एसडीएल की बंचिंग की गयी। 2009-10 के दौरान बाजार उधारों का लगभग 48.2 प्रतिशत वर्ष की

पहली छमाही के दौरान जुटाया गया जबकि 2008-09 की तुलनीय अवधि के दौरान केवल 13.4 प्रतिशत जुटाया गया (चार्ट ख)।

उल्लेखनीय है कि 2009-10 के दौरान किये गये उपायों जैसे एसडीएल नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की शुरुआत को खुदरा निवेशकों से अच्छा रिसपोन्स मिला। इसके अलावा, राज्य सरकार के लिए पुट ऑप्शन के साथ एसडीएल की तीन श्रृंखलाएं जारी की गईं, जिसका कम उधार लागत के अर्थ में लाभ हुआ। द्वितीयक बाजार में एसडीएल की विपणनीयता में सुधार के लिए, समुचित नीति उपायों के साथ, निर्गमों की सही आयोजना प्रभावी ऋण प्रबंधन में बहुत सहायता करेगी।



6.12 उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय 2008-09 और 2009-10 के दौरान कम अर्थात् 7.87 प्रतिशत और 8.11 प्रतिशत थी, ऐसा राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारों के स्तर में काफी अधिक वृद्धि के बावजूद था जो शायद इस अवधि के दौरान कम ब्याज दर वातावरण को परिलक्षित करता है। 2010-11 के दौरान (23 मार्च 2011 तक), राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत नीलामी की 27 श्रृंखलाएं आयोजित की गईं। 25 राज्य सरकारों ने सकल आधार पर 1,03,910 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई है जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान 28 राज्य सरकारों (पुदुचेरी सहित) ने 1,31,122 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी। 2010-11 में, अब तक कटऑफ आय 8.05 और 8.58 प्रतिशत के बीच रही है (2009-10 के दौरान 7.04 - 8.58 प्रतिशत की तुलना में)। 10 वार्षिक राज्य और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बीच आय का अंतर घटकर 31-69 आधार अंक हो गया है जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान यह 45-129 आधार अंक था। 2010-11 के दौरान अब तक राज्यों के सकल उधारों की भारित औसत आय 8.39 प्रतिशत निकाली गयी है, अर्थात् 2008-09 के 7.87

प्रतिशत और 2009-10 के 8.11 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से अधिक।

सारणी VI.5: राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(करोड़ रुपए)

मद	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4
1. निवल आबंटन	51,719	1,02,258	1,42,157
2. अतिरिक्त आबंटन	62,990	2,679	5,842
3. पुनर्भुगतान	14,371	16,238	15,641
4. सकल आबंटन (1+2+3)@	1,29,080	1,18,189	1,63,640
5. उगाही गई कुल राशि	1,18,138	1,31,122	1,03,910
6. उगाही गई निवल राशि (5-3)	1,03,767	1,14,884	88,269
ज्ञापन मद:			
(i) कूपन / कटऑफ प्रतिफल का दायरा (%)	5.80-9.90	7.04-8.58	8.05-8.58
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	7.87	8.11	8.39
(iii) औसत परिपक्वता (वर्षों में)	10	10	10

* 23 मार्च 2011 तक उगाही गई राशि।

@ 2009-10 के सकल आबंटन में आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र को शामिल नहीं किया गया है।

ध्यान दें: (i) आंकड़ों में पुदुचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

(ii) बाजार उधारियों के आंकड़े रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार हैं और इसमें राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

बाजार उधारों में काफी अधिक वृद्धि 2017-18 से आगे बड़े भुगतान

दायित्वों को जन्म देगी। मार्च 2010 के अंत में एसडीएल के बकाया

6.13 2005-06 से एसडीएल के सभी निर्गमों की परिपक्वता
10 वर्ष रही है। 2008-09 और 2009-10 में राज्य सरकारों के

स्टॉक का परिपक्वता स्वरूप दर्शाता है कि अधिसंख्य 7 वर्ष और
उससे अधिक परिपक्वता समूह वाले थे (सारणी VI.6)।

सारणी VI.6: राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च 2010 के अंत में)

राज्य	कुल बकाया का शेष राशि का प्रतिशत				
	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-7 वर्ष	7 वर्ष से ऊपर
1	2	3	4	5	6
I. विशेष से इतर श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	3.18	11.23	10.58	11.16	63.86
2. बिहार	5.62	17.28	16.30	13.62	47.18
3. छत्तीसगढ़	8.56	28.29	19.97	17.69	25.50
4. गोवा	3.70	10.58	10.07	13.11	62.54
5. गुजरात	2.56	10.85	10.86	6.18	69.56
6. हरियाणा	2.67	10.22	15.11	9.81	62.17
7. झारखंड	3.95	12.08	11.46	13.37	59.14
8. कर्नाटक	4.09	12.34	17.00	6.35	60.22
9. केरल	2.81	9.23	10.97	18.21	58.79
10. मध्य प्रदेश	2.97	9.12	16.45	15.07	56.39
11. महाराष्ट्र	1.54	4.31	12.00	11.69	70.47
12. उड़ीसा	9.18	34.71	33.04	23.07	—
13. पंजाब	1.79	7.20	13.54	13.75	63.72
14. राजस्थान	4.39	12.35	12.81	12.16	58.29
15. तमिलनाडु	3.11	9.06	10.91	10.75	66.16
16. उत्तर प्रदेश	3.51	11.35	12.62	16.10	56.42
17. पश्चिम बंगाल	1.80	6.64	11.87	10.64	69.06
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	3.00	9.67	10.66	34.30	42.37
2. असम	3.85	13.77	11.27	21.06	50.05
3. हिमाचल प्रदेश	2.89	12.46	15.00	16.11	53.55
4. जम्मू और कश्मीर	3.24	11.05	8.10	15.94	61.67
5. मणिपुर	2.01	7.46	8.55	23.56	58.41
6. मेघालय	4.25	11.45	9.45	30.57	44.28
7. मिजोरम	1.56	14.88	7.97	32.43	43.15
8. नागालैंड	4.23	12.40	9.08	24.17	50.12
9. सिक्किम	2.46	2.90	3.08	22.80	68.76
10. त्रिपुरा	6.42	13.49	13.53	31.57	35.00
11. उत्तराखंड	1.61	18.76	16.91	24.26	38.46
सभी राज्य	3.03	10.20	12.69	12.93	61.14

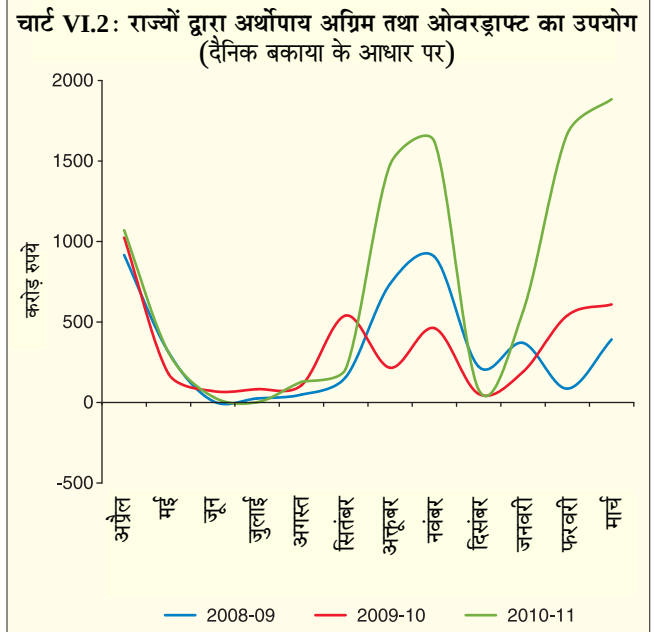
स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

5. आकस्मिक देयताएं

6.14 रिज़र्व बैंक राज्यों के द्वारा किए गए अंशदान से राज्य सरकारों की तरफ से समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) रखता है। सीएसएफ सभी देयताओं के शोधन के लिए एक कुशन प्रदान करता है। मार्च 2010 के अंत में 20 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत अधिसूचना जारी की और सीएसएफ के कुल बकाया निवेश अधिक अर्थात् 30,209 करोड़ रुपए रहे जबकि मार्च 2009 के अंत में ये 24,031 करोड़ रुपए थे। ऋण, सब्सिडी और इक्विटी के माध्यम से बजट सहायता प्रदान करने के अलावा, राज्य सरकारें गारंटी और लेटर ऑफ कन्फर्ट जारी करके राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा अन्य संस्थाओं के वित्तीयन को भी सुगम बनाती हैं; इस प्रकार राज्यों के पास आकस्मिक देयताएं आ जाती हैं जो उनके ऋण दायित्वों का भाग नहीं होती है। 19 राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, मार्च 2009 के अंत में राज्य सरकारों की कुल बकाया गारंटियां कम अर्थात् जीडीपी का 2.8 प्रतिशत थीं जबकि मार्च 2008 के अंत में ये 3.3 प्रतिशत थी (विवरण 43)। उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा चूक की दशा में, राज्यों द्वारा ब्याज भुगतान दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है। गारंटियों से जुड़े राजकोषीय जोखिम को रोकने के लिए 18 राज्यों ने गारंटियों (बकाया अर्थात् वृद्धिशील) पर उच्चतम सीमा लगा रखी है। इसी प्रकार 14 राज्यों में गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) बनाये गये हैं। 10 जीआरएफ में रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में इन राज्यों द्वारा जीआरएफ में कुल बकाया निवेश 3,357 करोड़ रुपए थे जबकि मार्च 2009 के अंत में ये 3,082 करोड़ थे।

6. चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन

6.15 राज्य सरकारों की नकदी आधिक्य की स्थिति को देखते हुए, 2006-07 से राज्य सरकारों की डब्ल्यूएमए सीमा को अपरिवर्तित रखा गया है। तदनुसार, 2009-10 के लिए वर्तमान राज्य-वार सामान्य डब्ल्यूएमए सीमा 9,925 करोड़ रुपए पर निश्चित रखी गयी है और 2010-11 के लिए इसी सीमा को बनाये रखा गया है। सामान्य और विशेष डब्ल्यूएमए तथा ओडी पर ब्याज दर को रिपो दर से संबद्ध बनाये रखा गया है। हाल के वर्षों में कई राज्यों सरकारों ने काफी अधिक नकदी आधिक्य संचित किये हैं जो *अन्य बातों के साथ-साथ*, 2005-2006 में जारी राजकोषीय समेकन प्रक्रिया में परिलक्षित हुए

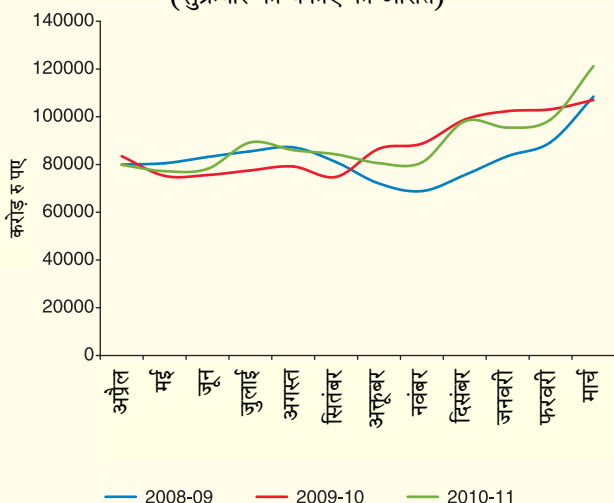


हैं। वैश्विक संकट के कारण राजकोषीय समेकन को लगे अस्थायी झटके ने राज्यों की नकदी आधिक्य की स्थिति को प्रभावित नहीं किया क्योंकि चलनिधि दबाव कुछ राज्य सरकारों तक ही सीमित रहे। 2009-10 के दौरान बकाया डब्ल्यूएमए / ओडी की स्थिति सापेक्षिक रूप से ठीक बनी रही (चार्ट VI.2)। यद्यपि, 2010-11 में अधिकांश राज्यों की डब्ल्यूएमए / ओडी पर निर्भरता कम बनी हुई है, राजस्व घाटे वाले दो पुराने राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल और पंजाब, अक्टूबर और नवंबर 2010 के महीनों में अपने अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएमए / ओडी पर बहुत अधिक निर्भर रहे।

7. नकदी शेषों के निवेश

6.16 2004-05 के मध्य से, अधिकांश राज्यों की प्रवृत्ति काफी अधिक नकदी आधिक्य संचित करने की रही है। 2008-09 और 2009-10 में वेतन संशोधनों और राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कारण आये व्यय दबावों के बावजूद, अधिकांश राज्य नकदी शेष आधिक्य संचित करते रहे जिनको उन्होंने 14 दिवसीय मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों (आईटीबी और एटीबी) में निवेश किया, यद्यपि कुछ महीनों में इसमें अस्थायी गिरावट हुई (VI.3)। मासिक आंकड़े दर्शाते हैं कि नकदी अधिशेषों का एक बड़ा भाग राज्य सरकारों द्वारा अगले वर्ष ले जाया गया। 18 मार्च 2011 को, 14 दिवसीय आईटीबी में राज्य सरकारों का निवेश 1,20,318 करोड़ रुपए था, जिसका

चार्ट VI.3: राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती तथा नीलामी खजाना बिलों में निवेश (शुक्रवार को बकाए का औसत)



* 2010-11 से संबंधित आंकड़े 18 मार्च 2011 के अनुसार हैं।

मौद्रिक नीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उल्लेखनीय है कि मध्य जून 2010 से, एटीबी में राज्यों के निवेश में काफी अधिक वृद्धि दिखी है जो आइटीबी की तुलना में इसके धनात्मक वापसी अंतर को दर्शाती है।

8. ऋण समेकन और राहत

6.17 2005-06 से ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) से, ऋण माफी और बकाया केंद्रीय ऋण पर ब्याज राहत के अर्थ में, राज्यों को काफी अधिक राहत रही है। 2005-06 से 2009-10 तक, 1,13,601 करोड़ रुपए की राशि के केंद्रीय ऋण समेकित किए गए हैं और 22,343 करोड़ रुपए की राशि 2009-10 के अंत में माफ कर दी गयी है, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त की गयी ब्याज राहत 21,634 करोड़ रुपए है। डीसीआरएफ और अन्य सुधार उपायों का प्रभाव पूर्व वर्ष की तुलना में, 2004-05 से बकाया ऋण पर औसत ब्याज दर में की गई काफी अधिक कमी से भी स्पष्ट है (सारणी VI.7)। डीसीआरएफ के अंतर्गत, सभी राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम अपवाद हैं, लाभान्वित हुए हैं। विशेष वर्ग वाले राज्यों से भिन्न राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश ऋण समेकन के अर्थ में सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं जबकि असम और हिमाचल प्रदेश विशेष वर्ग वाले राज्यों के वर्ग में प्रमुख लाभकर्ता रहे। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीसीआरएफ उन राज्यों को प्रदान किया जाना चाहिए जिन्होंने समेकन

सारणी VI.7: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औसत ब्याज दर*
1	2
1991-92	8.54
1999-00	11.17
2000-01	10.01
2001-02	10.37
2002-03	9.99
2003-04	10.22
2004-05	9.57
2005-06	8.29
2006-07	8.12
2007-08	8.04
2008-09	7.75
2009-10 (सं.अ.)	7.88
2010-11 (ब.अ.)	7.85

सं.अ.: संशोधित अनुमान।

ब.अ.: बजट अनुमान।

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतान को पिछले वर्ष के बकाया ऋण द्वारा विभाजित करके निकाला गया।

स्रोत: सारणी V.1 में दिए गए अनुसार।

का लाभ नहीं उठाया है, बशर्ते कि उन्होंने एफआरबीएम अधिनियम बनाया गया हो। यह उल्लेखनीय है कि गैर-लाभकर्ता राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने 2010-11 में एफआरबीएम अधिनियम बनाया।

9. निष्कर्ष

6.18 व्यय में काफी अधिक वृद्धि को देखते हुए, जो 2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्यों के बीच दिखी, राज्य सरकारों के कुल बकाया उधारों में तीव्र वृद्धि हुई। इसके बावजूद, राज्यों के ऋण जीडीपी अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखनी जारी रही क्योंकि बाजार उधारों की तीव्र वृद्धि आंशिक रूप से ऋण के अन्य घटकों में कमी के द्वारा समंजित हुई तथा सांकेतिक जीडीपी समग्र ऋण की तुलना में तीव्र गति से बढ़ी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत राज्य डीसीआरएफ के अंतर्गत लाभ उठाने के तभी पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने एफआरबीएम अधिनियम बनाया हो। हाल में एफआरबीएम अधिनियम के बनाये जाने से ऋण समेकन और ब्याज राहत के अर्थ में पश्चिम बंगाल और सिक्किम लाभान्वित होंगे। राज्यों ने 2009-10 और 2010-11 से अब तक नकदी शेष आधिक्य संचित करना जारी रखा है, जो राज्य सरकारों द्वारा डब्ल्यूएमए / ओडी का सापेक्षिक रूप से कम सहारा लेने में भी परिलक्षित होता है।

वित्त आयोग को एक सांविधिक निकाय के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच (वर्टिकल) तथा राज्य और राज्यों के बीच (होरिजेंटल) भारत में संघीय वित्त के असंतुलन को दूर करने के लिए बनाया गया था। राज्यों के बीच बांटे जाने वाले कर राजस्व की मात्रा तय करने और राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान को संचालित करने वाले सिद्धांतों के सांविधिक कार्यों के अलावा, वित्त आयोग का दायरा समय के दौरान बढ़ा है क्योंकि उनको सरकारी वित्त, विशेष रूप से स्थानीय निकायों के स्रोतों को संपूरित करने और ऋण से संबंधित मामलों के लिए राज्य समेकन निधि को बढ़ाने संबंधी कई अन्य मामले सौंपे गये। उत्तरोत्तर आने वाले वित्त आयोगों के दृष्टिकोण में भिन्नता रही क्योंकि उन्हें केंद्रीय करों के विभाजनीय पूल की संघटना और कहे तो संवितरण की कसौटी से संबंधित समय-समय पर राज्यों द्वारा उठाई गयी चिंताओं को दूर करना पड़ा। हाल के सांविधिक परिवर्तनों ने आबंटन योग्य सभी केंद्रीय करों और आबकारी शुल्कों को एक साथ मिलाकर केंद्रीय करों के विभाजनीय पूल की आबंटन व्यवस्था को सरलीकृत किया है। जबकि राज्य और राज्यों के बीच अर्थात् राज्यों के अंश के आबंटन के लिए फार्मूला तय करते समय, विभिन्न वित्त आयोगों ने राज्य स्तर पर राजकोषीय दक्षता लाने की कोशिश करते हुए, राज्यों की अर्थव्यवस्था में निहित राजस्व क्षमता और लागत अक्षमता कारकों में अंतर को ठीक करने के प्रयास किये। फिर भी, उन परिवर्तनशील चरों के चयन, परिभाषा और भारांक में अंतर दिखा है, जिनका वित्त आयोगों ने केंद्रीय करों के लिए डिवोल्वमेंट फार्मूला तय करते समय प्रयोग किया है। हाल में तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय क्षमता अंतर और राजकोषीय अनुशासन पर बहुत अधिक जोर दिया है जिससे राज्यों के बीच और अधिक संगमन को सहायता मिलने की आशा है। अनुदान के संदर्भ में, अंतराल भरने वाले दृष्टिकोण से संसाधन आवश्यकता और व्यय के मानदंड संबंधी मूल्यांकन में कुछ परिवर्तन हुआ है। वित्त आयोग चैनल के माध्यम से अंतरण का पैटर्न दर्शाता है कि केंद्रीय करों का हिस्सा पहले वित्त आयोग से लगातार राजस्व आबंटन का प्रमुख घटक रहा है। जहां तक समकरण का संबंध है, उत्तरोत्तर चार वित्त आयोगों (दसवें से तेरहवें तक) द्वारा सिफारिश किये गये अंतरणों का विश्लेषण दर्शाता है कि ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में यह सर्वाधिक था क्योंकि सिफारिश किये गये और बैचमार्क अंतरण का अंतराल न्यूनतम था।

1. परिचय

7.1 केंद्र और राज्यों के राजकोषीय संबंध तथा सरकार के दो स्तरों की गतिविधियों के सापेक्ष क्षेत्र संघीय वित्त के मामले में सर्वाधिक विवादास्पद मामला बनाते हैं। अधिकांश संघीय सरकारों के पास कर राजस्व जुटाने की शक्तियां होती हैं जबकि राज्य सार्वजनिक व्यय के एक बड़े हिस्से को खर्च करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। उत्तरदायित्व के इस अभिकल्प में निहित तर्क यह है कि संघीय सरकारों को कतिपय करों के संग्रहण में मितव्यता बरतनी पड़ती है जबकि राज्यों को स्थानीय मुद्दों और आवश्यकताओं से उनकी समीपता के कारण व्यय संबंधी जिम्मेवारियां सौंपी जाती हैं। इसी प्रकार, अंतर-राज्य आधार वाले

कर और वे कर, जिनकी दरों में एकरूपता वांछनीय होती है, केंद्र सरकार के पास होते हैं। विश्व के अधिकांश संघ लंबे समय से इस राजकोषीय दक्षता कसौटी का अनुगमन कर रहे हैं (कुरियन, 2008)⁸।

7.2 भारत में भी, जबकि केंद्र सरकार की कर संसाधनों तक बहुत तक अधिक पहुंच है, राज्य सरकारों को सार्वजनिक कल्याण के लिए बड़ी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कराधान शक्तियों का सांविधिक विभाजन आर्थिक और प्रशासिक सोच पर आधारित है। कराधान शक्तियों के संवितरण का उद्देश्य एक संघीय व्यवस्था में कर समस्याओं को कम करना है, जैसे दोहरा कराधान, राज्यों के बीच कर प्रतिस्पर्धा, कर प्रशासन का दोहराव और कर

⁸ कुरियन एन जे, (2008), “इक्वेलाइजिंग ट्रांसफर्स थ्रू दि फाइनेंस कमीशन,” इकॉनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली 43(29), 19-25 जुलाई।

वंचना। लेकिन, कराधान शक्तियों का आबंटन बनाम या यू कहें जिम्मेवारियां एक असंतुलन, जिसे वर्टिकल असंतुलन के रूप में उल्लिखित किया जाता है, उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा, विशाल क्षेत्रीय असमानताओं का अस्तित्व राज्यों की संसाधन क्षमता की तुलना में, उनके व्यय जिम्मेवारियों के अर्थ में, उनके बीच होरिजोन्टल असंतुलन पैदा करता है। चूंकि वर्टिकल और होरिजोन्टल असंतुलन को दूर करने के लिए संसाधन अंतरणों की मात्रा का सही आकलन करना कठिन है, केंद्रीय वित्त आयोग भारतीय संघीय व्यवस्था में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

7.3 केंद्रीय वित्त आयोग को सौंपा गया मूल कार्य सही और प्रभावी तरीके से वर्टिकल और होरिजोन्टल असंतुलन को ठीक करने के लिए संसाधन अंतरणों की सिफारिश करता है। वर्टिकल असंतुलन से तात्पर्य राजस्व उगाही क्षमता और केंद्र तथा राज्यों की व्यय आवश्यकताओं के बीच विषमता है। होरिजोन्टल राजकोषीय असंतुलन, निधियां जुटाने की अपर्याप्त क्षमता के कारण, तुलनीय सेवाएं प्रदान करने में कुछ राज्यों की असमर्थता के चलते होता है। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए, वित्त आयोग को निम्नलिखित पर निर्णय लेने के लिए सांविधिक अधिदेश दिया गया है (i) कर राजस्व का अनुपात राज्यों के साथ बांटा जाए (ii) सिद्धांत जो राज्यों को अनुदान सहायता का संचालन करें। मूल कार्यों के अलावा, वित्त आयोग को विभिन्न नीतिगत मामलों, जब भी वे सामने आए, पर सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वित्त आयोग सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त के हित में आयोग को भेजे गये अन्य किसी मामले पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशें केवल परामर्शदात्री होती हैं और इसलिए वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। इस प्रकार अब तक तेरह वित्त आयोग बन चुके हैं जिसमें सबसे अंतिम वाला नवंबर 2007 को बनाया गया।

7.4 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय वर्टिकल और होरिजोन्टल संवितरण कसौटी के माध्यम से राजकोषीय असंतुलन दूर करने में वित्त आयोग की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है। यह अध्याय 5

भागों में बनाया गया है। इस परिचयात्मक भाग के अलावा, भाग 2 केंद्र राज्य के राजकोषीय संबंधों तथा इस संबंध में वित्त आयोग के सांविधिक अधिदेश का विहगावलोकन उपलब्ध कराता है। भाग 3 में विभिन्न वित्त आयोगों की अधिदेश संबंधी प्रमुख गतिविधियों की चर्चा की गयी है। भाग 4 में पहले वित्त आयोग से लगाकर केंद्र से राज्यों को संसाधनों के डिवोल्वमेंट की कसौटी में परिवर्तन की चर्चा की गयी है और विभिन्न अवार्ड अवधियों के दौरान वित्त आयोग के चैनल के माध्यम से राज्यों को केंद्र के अंतरणों के पैटर्न की समीक्षा की गई है। भाग 5 में 10वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये संसाधन अंतरण के वर्टिकल और होरिजोन्टल घटकों के आकलन के लिए एक आनुभविक अभ्यास किया गया है। भाग 6 में निष्कर्ष संबंधी विचार दिये गये हैं।

2. केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध: भारतीय संदर्भ

7.5 भारत में केंद्र-राज्य के वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के जुटाव में शक्तियों के संवितरण और व्यय संबंधी दायित्वों के बटवारे से संबद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण और प्लवनशील राजस्व संसाधन संघ सरकार को सौंपे गये हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख व्यय संबंधी दायित्व राज्य सरकारों को सौंपे गये हैं। वास्तव में, भारतीय संविधान के निर्माताओं का ध्यान कुछ तत्कालीन संघों के अनुभवों की तरफ गया जहां इकाइयों को व्यापक आर्थिक आधार वाले करों को सौंपने से कर क्षेत्राधिकार से संबंधित झगड़ों की अनसुलझी समस्याएं प्रकट हुई (सूरी, 2010)⁹। ऐसे झगड़ों की संभावना से संघ सरकार को शुरू से ऐसे करों को सौंपकर बचा जा सकता था। जबकि भारत में राज्य सरकारें सरकारी क्षेत्र के लिए उपचित कुल कर राजस्व का लगभग केवल एक तिहाई ही एकत्र करती हैं, उनके व्यय संबंधी दायित्व आनुपातिक रूप से बहुत अधिक हैं जो कुल सामाजिक व्यय के तीन-चौथाई और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय के आधे से अधिक हैं। राज्यों को अपने व्यय दायित्वों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए, वित्त आयोग को केंद्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण पर सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।

⁹ सूरी एम एम, (2010) वित्त आयोग और भारत में राजकोषीय संघवाद, भारतीय कर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।

7.6 वित्त आयोग प्रत्येक पांच वर्ष पर अथवा उसके पहले यदि आवश्यक हो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। प्रत्येक वित्त आयोग का दृष्टिकोण संवैधानिक प्रावधानों के अधिदेश और राष्ट्रपति के आदेश में निहित शर्तों के द्वारा निर्देशित होता है। वित्त आयोग के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 280 में दिये गये हैं, वे मूल कर्तव्य, जो केंद्रीय करों के बंटवारे और राज्यों के लिए अनुदानों को निर्धारित करने से संबंधित हैं, क्रमशः अनुच्छेद 270 और 275 में दिये गये हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय अंतरण का प्रावधान है लेकिन, इसमें न तो बंटवारे योग्य करों में राज्यों के हिस्से का उल्लेख है और न ही राज्यों के बीच उनके संवितरण के लिए कोई सिद्धांत दिया गया है। बंटवारे योग्य करों का सही तरीका तथा अनुदानों का वास्तविक निर्धारण वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है।

3. अधिदेश का विकास

7.7 भारतीय संघीय प्रणाली ने समय-समय पर नई-नई मांगों के अनुरूप अपने को ढालने में उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। वित्त आयोग के अधिदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसमें प्रचालित वातावरण, जो अर्थव्यवस्था और इसके आसन्न भविष्य को परिभाषित करता है, को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, छठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (पृष्ठ 5) में दिया गया है:

“केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित संविधान के प्रावधानों को प्रतीत होता है कि बड़ी सावधानी और समझदारी से बनाया गया है ताकि उन कठिनाइयों को सटीक तरीके से रोका जा सके जिनके कारण पुराने संघ संसाधनों और सरकार की विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के बीच निकट संपर्क स्थापित नहीं कर सके हैं..... हमारे संविधान के वित्तीय प्रावधान हितों के ऐसे संघर्षों, जो समय-समय पर संघ और घटक इकाइयों के बीच उत्पन्न होते हैं, के समाधान के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखते हैं।”

7.8 पहला वित्त आयोग 1952 में नियुक्त किया गया था और अब तक लगभग प्रति पांच वर्ष के अंतराल पर तेरह वित्त आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं। पहले वित्त आयोग से, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और समष्टि आर्थिक नीतिगत ढांचा नाटकीय रूप से बदल गया है। तदनुसार, राजकोषीय अंतरणों का विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे अंतरण कार्यक्रम आशयित

प्रयोजन से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो सकें। वित्त आयोग की शर्तों को समय-समय पर विषयगत महत्व के प्रासंगिक मुद्दों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। जबकि कुछ मुद्दों को सांविधिक परिवर्तनों की अनुक्रिया में वित्त आयोग की शर्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है, अन्य मुद्दों को वित्त आयोग को तब सौंपा गया जब वे सामने आये। इस खंड के बाद वाले भाग में, इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा की गयी है।

स्थानीय निकायों से संबंधित अतिरिक्त शर्तें

7.9 1990 के दशक के प्रारंभ में, स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विकेंद्रीकरण सुधारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय गतिविधि यह थी कि 1993 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इन संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए स्व-शासन की प्रणाली के माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बल देना तथा उनको और अधिक शक्तियां, कार्य और प्राधिकार देना था। शासन का विकेंद्रीकरण दक्षता बढ़ाने के लिए अच्छा होता है क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधियों को स्थानीय पसंदगियों तथा वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताओं की बेहतर समझ होती है। इन संशोधनों ने भारत की बहुश्रेणी संघीय व्यवस्था के सार्वजनिक वित्त में अवयवी संबंधों को रेखांकित किया। इस प्रकार, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय अंतरण की व्यवस्था का पुनर्विन्यास करना आवश्यक हो गया।

7.10 तदनुसार, पहली बार ग्यारहवें वित्त आयोग की शर्तों के लिए इन संवैधानिक संशोधनों के अनुसार सिफारिशें करना आवश्यक हो गया। इसके पहले, दसवें वित्त आयोग ने शर्तों के अंतर्गत बिना किसी अधिदेश के बंटवारे योग्य पूल के 1.38 प्रतिशत के बराबर तदर्थ अनुदान की सिफारिश की थी। राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर सिफारिशों को शामिल करने हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की शर्तों को बढ़ाया गया ताकि स्थानीय निकायों अर्थात् पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूरित किया जा सके। राज्य वित्त आयोग के कार्य संविधान के अनुच्छेद 243 आइ और 243 वाइ में दिये गये हैं। दूसरे शब्दों में, ये संशोधन संवैधानिक रूप से बनाये गये दो निकायों अर्थात् केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के बीच अवयवी संबंध स्थापित करते हैं।

7.11 इस अधिदेश के अनुरूप, ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए। इन उपायों के दोहरे प्रयोजन थे (i) स्व-शासन संस्थाओं के रूप में स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से काम करने के लिए समर्थ बनाने हेतु संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में अंतर्निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करना, और (ii) उस भार को कम करना जो स्थानीय निकायों को अपनी क्षमता को प्राप्त करने और सौंपे गये कार्यों को करने में मदद देने के लिए राजकोष को वहन करना पड़ता है, ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों (1,600 करोड़ रुपए) और नगरपालिकाओं (400 करोड़ रुपए) के लिए 2,000 करोड़ रुपए (बांटने योग्य पूल का 0.78 प्रतिशत) के तदर्थ वार्षिक अनुदान की सिफारिश की, जिसको प्राथमिकता प्राप्त गतिविधियों अर्थात् खातों के रखरखाव, डाटा बेस के विकास और स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा के लिए रखा गया। इसके पश्चात बारहवें वित्त आयोग ने अनुदान को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए (बांटने योग्य पूल का 1.24 प्रतिशत) कर दिया जिसे 2005-10 की अवधि के दौरान पंचायतों (20,000 करोड़ रुपए) और महापालिकाओं (5,000 करोड़ रुपए) के बीच बांटा जाएगा। इसने यह भी सुझाव दिया कि राज्य वित्त आयोग बिना किसी देरी के बनाया जाना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि अवधि के लिए बंटवारे योग्य संसाधनों में स्थानीय निकायों के अनुदान को बढ़ाकर 2.28 प्रतिशत (87,519 करोड़ रुपए) कर दिया। इन गतिविधियों से पता चलता है कि वित्त आयोग चैनल ने भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बांटने योग्य करों के पैटर्न में परिवर्तन

7.12 एक दूसरे संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता उस समय आन पड़ी जब वर्टिकल डिवोल्यूशन प्रक्रिया को बनाकर, सभी करों और संघीय सूची के शुल्कों को राज्यों के साथ बांटने योग्य सरल बनाने की मांग की गयी। सभी केंद्रीय करों, विशेषकर निगम करों, को शामिल करके बांटने योग्य करों का एक बड़ा पूल बनाने संबंधी राज्यों की मांग पर विभिन्न वित्त आयोगों ने विचार-विमर्श किया। करों के बांटने योग्य पूल में कतिपय अन्य करों और उत्पाद शुल्कों (अर्थात् आय कर पर अधिभार, उत्पाद पर अधिभार शुल्क, निर्धारित उपकर और जुर्माने की विविध प्राप्ति) का समावेशन केंद्र और राज्यों के बीच एक विवादास्पद मामला रहा है। दसवें वित्त आयोग तक, आय कर और संघीय उत्पाद शुल्कों के निवल आगम प्रमुख बांटने योग्य कर थे जिसके लिए वित्त आयोग द्वारा एक अलग संवितरण कसौटी

निर्धारित की गयी थी। 2000 में 80वें सांविधिक संशोधन के पश्चात इसमें परिवर्तन आया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 270 का संशोधन किया गया।

7.13 इस संशोधन ने, जो 10वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये एक 'डिवोल्वमेंट की वैकल्पिक योजना' पर आधारित था, केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बंटवारे के पैटर्न को मूलभूत रूप से बदल दिया। वैकल्पिक डिवोल्वमेंट की योजना के अंतर्गत, अधिभारों को छोड़कर सभी केंद्रीय करों का आगम एक सामान्य बांटने योग्य पूल के रूप में था जिसमें से एक हिस्सा राज्यों को डिवोल्व किया जाना था। इस योजना में नये अनुच्छेद 270 को शामिल किया गया जिसमें सभी केंद्रीय करों और शुल्कों (केंद्रीय बिक्री कर, पारेषण कर, केंद्रीय करों पर अधिभार तथा निर्धारित उपकर को छोड़कर) में राज्यों को एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा दिया गया। इस व्यवस्था से आशा है कि इससे राज्य केंद्रीय करों की कुल अधिकता का बंटवारा कर सकेंगे और कर की प्रकृति (बांटने योग्य अथवा न बांटने योग्य) पर विचार करने की आवश्यकता के बिना कर सुधारों की केंद्र की प्रक्रिया को सुगम बना सकेंगे। इस प्रकार केंद्रीय कर राजस्व में उतार-चढ़ाव केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एकसमान महसूस किया जाएगा।

7.14 उपर्युक्त मामलों के अलावा, सांविधिक अधिदेश से परे अन्य मुद्दे जैसे सार्वजनिक वित्त का पुनर्गठन, ऋण और आपदा राहत की निरंतरता भी वित्त आयोग को सौंपे गये हैं।

राज्यों की ऋण स्थिति

7.15 जीडीपी की तुलना में राजकोषीय घाटे और ऋण का सही आकार निश्चित करना विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग द्वारा ऋण संबंधी मामले निपटाए जाते हैं जैसाकि उनकी संबंधित शर्तों में दिया गया है। दूसरा वित्त आयोग ऐसा पहला आयोग था जिसने राज्य ऋण के मामले सुलझाये और ब्याज दरों तथा राज्यों को दिए गए केंद्रीय ऋण की चुकौती की शर्तों पर सिफारिशें दीं। छठवें वित्त आयोग से आगे, राज्य ऋण की स्थिति की एक समीक्षा शर्त में स्पष्ट रूप से शामिल की गयी है। छठवें वित्त आयोग से कहा गया कि वह 1978-79 को समाप्त पांच वर्ष के लिए एक समान और तुलनीय आधार पर, राज्यों के योजना से इतर पूंजी अंतर का मूल्यांकन करे। इसके लिए राज्यों की ऋण स्थिति की सामान्य समीक्षा उनको अग्रिम के रूप में दिए गए उन केंद्रीय ऋणों के विशेष संदर्भ में किये जाने की आवश्यकता है जिनके 1973-74 के अंत में बकाया रहने

की संभावना है ताकि चुकौती की वर्तमान अवधि में परिवर्तन सुझाया जा सके। तब से, राज्यों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन बाद वाले अधिकांश वित्त आयोगों की शर्तों की एक नियमित विशेषता रही है। यह देखा गया है कि अधिकांश सिफारिशें राज्य वित्त संबंधी चुकौती के बड़े-बड़े दायित्वों के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार के ऋणों की किस्तों के पुनर्गठन और बट्टे खाते डालने के माध्यम से राज्यों को ऋण राहत प्रदान करने से संबंधित हैं। लेकिन, 9वें और 10वें वित्त आयोग की शर्तें अधिक व्यापक हैं क्योंकि उनसे कहा गया कि वे राज्यों की संपूर्ण ऋण स्थिति की समीक्षा करें बजाय उनको दिये गये केवल केंद्र सरकार के ऋणों की। राज्यों को ऋण राहत के मामले में इन वित्त आयोगों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न था। ऐसा इस विश्वास के चलते था कि उत्तरोत्तर वित्त आयोगों के ऋण राहत उपायों ने भविष्य में इन उपायों के बारे में ऐसी प्रत्याशा पैदा की जिससे प्रतिकूल प्रोत्साहन को बढ़ावा मिला। इस तथ्य को मानते हुए अतीत में कि ऋण राहत राजकोषीय अनुशासन में कमी लाता रही है, पहली बार दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सामान्य ऋण राहत को राजकोषीय कार्यनिष्पादन से संबद्ध किया जाए। ग्यारहवें वित्त आयोग ने इसी सिद्धांत को जारी रखा जिसमें परिचालनात्मक कार्यशैली में कुछ संशोधन किये गये।

7.16 बारहवें वित्त आयोग में राज्य की ऋण स्थिति से संबंधित शर्तें और अधिक व्यापक हैं। ऋण चुकौती क्षमता उपायों के सुझावों के अलावा, इसमें कहा गया कि आयोग समष्टि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य के साथ ऋण राहत उपायों पर सिफारिश करे। इसके अलावा, सिफारिशों को मानव विकास और निवेश वातावरण के क्षेत्र में राज्यों के कार्यनिष्पादन से जोड़ा जाए। इसलिए बारहवें वित्त आयोग ने ऋण राहत के लिए एक दुतरफा दृष्टिकोण अपनाया। एक, ब्याज दर घटाने के साथ-साथ पिछले ऋण के समेकन और उसकी किस्तों के पुनर्गठन द्वारा सभी राज्यों पर लागू ऋण राहत की एक सामान्य योजना बनाई जाए। दो, राजकोषीय कार्यनिष्पादन से संबद्ध ऋण बट्टे खाते डालने की एक योजना अर्थात् राजस्व घाटे के समग्र स्तर में कमी, शुरू की गयी। बारहवें वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि यह शर्त थी कि प्रत्येक राज्य द्वारा राजकोषीय जवाबदेही विधायन ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के अंतर्गत ऋण राहत का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त होगी। तेरहवें वित्त आयोग से कहा गया कि वह केंद्र द्वारा कार्यान्वित 2005-10 के दौरान डीसीआरएफ के परिचालन की जांच करे ताकि समान वृद्धि के अनुरूप एक स्थिर

और सुदृढ़ राजकोषीय वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। तेरहवें वित्त आयोग का विचार था कि डीसीआरएफ सुविधा के अंतर्गत समेकन के लाभों, जो समेकन और ब्याज दर कटौती तक सीमित हैं, को बढ़ाकर उन राज्यों तक करना चाहिए जिन्होंने अभी तक इसका उपभोग नहीं किया है बशर्ते उन्होंने एफआरबीएम अधिनियम बनाया हो। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि एनएसएसएफ पर ब्याज राहत और बट्टे खाते डालने का लाभ राज्यों को तभी दिया जाना चाहिए यदि वे एफआरबीएम में आवश्यक संशोधन / उसका विधायन करते हैं।

राजकोषीय सुधारों पर जोर

7.17 विभिन्न वित्त आयोगों से उन चिंताओं को जांचने की बात कही गयी है कि जो समय-समय पर राज्य वित्त के संबंध में पैदा हुई हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ से, राज्य वित्त दबाव के अंतर्गत आ गये क्योंकि राज्य सरकारों ने बैंकिंग प्रणाली और केंद्र के ऋणों पर बाजार से संबंधित ब्याज दरों को देना शुरू कर दिया। राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता को मानते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग की शर्तों में राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधारों पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया। वास्तव में, अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत ग्यारहवें वित्त आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति की समीक्षा करे और वे उपाय सुझाये जिनके द्वारा सरकारें, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से, सार्वजनिक वित्त को इस प्रकार पुनर्गठित करें जिससे बजट संतुलन आ सके और समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाये रखी जा सके। विशेष रूप से, आयोग से कहा गया कि वह राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने के उद्देश्य से एक निगरानी योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम बनाये और उस तरीके की सिफारिश करे जिसमें राज्यों के योजनेतर राजस्व खाते के अनुमानित घाटे की भरपाई के लिए उनके अनुदानों को, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति से जोड़ा जा सके।

7.18 तदनुसार, ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के लिए राज्यों को राजकोषीय सुधार सुविधा (एफआरएफ) का एक कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की, जो 2004-05 तक राजस्व घाटे को संयुक्त रूप से समाप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक राजकोषीय सुधार सुविधा प्रोत्साहन निधि द्वारा समर्थित हो। एफआरएफ प्रोत्साहन निधि भारत सरकार द्वारा बनाई गयी और राज्यों को सलाह दी गयी कि वे राजस्व घाटे में आवश्यक

सुधार लाने के लिए अपने-अपने मध्यमकालिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमटीएफआरपी) तैयार करें। प्रोत्साहन निधि से रिलीज को एकल निगरानी योग्य राजकोषीय संकेतक अर्थात् वार्षिक रूप से 5 प्रतिशत अंक तक (2002-03 से भविष्य में विशेष वर्ग वाले राज्यों के लिए 2 प्रतिशत अंक) राजस्व घाटे (राजस्व प्राप्तियों के रूप में) से जोड़ा गया। एमटीएफआरपी सभी 28 राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया और 27 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। राजकोषीय अनुशासन के महत्व को महसूस करते हुए, कुछ राज्यों ने राजकोषीय जवाबदेही अधिनियम बनाये, जबकि कई राज्यों ने विशिष्ट निगरानी योग्य लक्ष्यों के साथ मध्यमकालिक सुधार कार्यक्रम बनाये।

7.19 एफआरएफ के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करते समय, बारहवें वित्त आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि एफआरएफ राज्य वित्तों में सुधार संबंधी एक प्रमुख भूमिका निभाने में असफल रहा और इसलिए इसके समापन की सिफारिश की। फिर भी, राज्यों की मध्यम-कालिक राजकोषीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता को मानते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने पूर्व ऋण राहत की कमियों को परिलक्षित करने का निर्णय लिया, और 2008-09 तक लक्षित राजस्व शेष तक पहुंचने के लिए प्रत्येक राज्य को सक्षम बनाने हेतु एक विस्तृत रोड मैप बनाने का सुझाव दिया। 2008-09 और 2009-10 में केंद्र और राज्यों के वित्त में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, तेरहवें वित्त आयोग ने इसके लिए ऐसे एक राजकोषीय रोडमैप का सुझाव दिया जो समान वृद्धि के अनुरूप एक स्थिर और सक्षम राजकोषीय वातावरण को बनाये रखने के उद्देश्य पर आधारित हो। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करें / उसे बनायें जिससे वे उनके लिए बनाये गये राजकोषीय सुधार मार्ग पर चल सकें। एक राज्य के लिए सिफारिश किये गए राज्य विशिष्ट अनुदान निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के पश्चात ही जारी किये जाने चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सार्वजनिक वस्तु सुपुर्दगी प्रक्रिया में सुधारों को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयोजन से अनुदान का भी सुझाव दिया।

राहत व्यय के मामले को व्यापक बनाना

7.20 भारतीय संविधान में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट हैं। न तो प्राकृतिक आपदा अथवा आपदा प्रबंधन के लिए राहत संघ, राज्य या समवर्ती सूची में कहीं भी नहीं दी गई है। संघीय सूची की

प्रविष्टि 97 के अंतर्गत, वे विषय जो किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, उन्हें सामान्य रूप से संघ सरकार के पास माना जाता है। लेकिन, परंपरा के तौर पर यह जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, जबकि केंद्र सरकार व्यापक रूप से, जहां आवश्यक हो, वहां वित्तीय, तकनीकी और सामग्री सहायता के साथ समर्थनकारी भूमिका निभाती है। आपदा के पश्चात अनुक्रिया, राहत और पुनर्वास पर व्यय सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को किये गये वार्षिक आबंटन से इसे पूरा किया जाता है। वास्तव में, भारत में आपदा व्यय के राहत के वित्तीयन की संपूर्ण प्रणाली उत्तरोत्तर वित्त आयोगों की सिफारिशों के द्वारा विकसित हुई है।

7.21 राहत व्यय के निधीयन के मामले को दूसरे वित्त आयोग से प्रत्येक वित्त आयोग ने माना है। तब से, वित्त आयोगों ने राज्यों के वित्त में से राहत व्यय प्रदान करने और केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि से संबंधित सिफारिशों की हैं। फिर भी, जैसी कि वित्त आयोगों ने सिफारिशों की हैं, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की गयी है। उदाहरण के लिए, नवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि (सीआरएफ) बनाने की सिफारिश की। इसके आगे, दसवें वित्त आयोग ने सीआरएफ के अलावा एक राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनएफसीआर) बनाने की सिफारिश की। ग्यारहवें वित्त आयोग ने एनएफसीआर को समाप्त करने की सिफारिश की तथा सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) बनाई जाए जिसकी आरंभिक राशि 500 करोड़ रुपए हो और जिसकी एक सीमित अवधि के लिए केंद्रीय करों पर एक विशेष अधिभार लगा करके पूर्ति की जाए। बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग की शर्तों में एनसीसीएफ और सीआरएफ के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के वित्तीयन की एक समीक्षा शामिल की गयी। प्राकृतिक आपदा की सूची को बढ़ाने के अलावा, बारहवें वित्त आयोग ने एनसीसीएफ और सीआरएफ दोनों को मजबूत करने की सिफारिश की। लेकिन, तेरहवें वित्त आयोग ने एनसीसीएफ को राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद निधि (एनडीआरएफ) और सीआरएफ तथा संबंधित राज्यों की राज्य आपदा प्रतिसाद निधि में विलय करने का सुझाव दिया। इसने एनडीआरएफ से मानव जनित आपदाओं को धन मुहैया कराने पर विचार करने का सुझाव दिया।

विशिष्ट अनुदान

7.22 विशिष्ट अथवा विशेष अनुदान सामान्यतया उन राज्यों को दिये जाते हैं जो राजकोषीय क्षमता संबंधी विवशताओं के कारण राज्य-विशिष्ट-समस्याओं से निपटने में पर्याप्त रूप से खर्च करने अक्षम होते हैं। छठवें वित्त आयोग के पहले, वित्त आयोगों को विशेष प्रयोजन अनुदानों के माध्यम से निर्धारित प्रावधान निश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट मैनडेट नहीं दिया जाता था। इन सबके बावजूद, सेवाओं में सुधार और बढ़ावा के लिए अनुदान सहायता के माध्यम से विशिष्ट राशि आबंटित की जाती थी अर्थात् प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए पहले वित्त आयोग द्वारा विशेष अनुदान, कुछ राज्यों को दूसरे वित्त आयोग द्वारा सहायता अनुदान, और सड़क तथा संचार में सुधार के लिए 10 राज्यों को तीसरे वित्त आयोग द्वारा विशेष अनुदान। अनुदानों की सिफारिश करते समय, छठवें वित्त आयोग को उन राज्यों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए विशेष रूप से मैनडेट दिया गया जो सामान्य प्रशासन के मानकों में पिछड़े हुए थे ताकि 10 वर्षों की अवधि में उनका उन्नयन किया जा सके और उन्हें उन्नत राज्यों के बराबर लाया जा सके। तब से प्रत्येक वित्त आयोग (नवां वित्त आयोग इसका अपवाद था) की शर्तों में उन्नयन अथवा विशेष समस्याग्रस्त अनुदान का जिक्र किया जाता है। कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय की बेहतर टार्गेटिंग सुनिश्चित करने के लिए, वित्त आयोग ने विशिष्ट अनुदानों मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सड़क और भवनों के रखरखाव, पेयजल, आधारभूत संरचना, वन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व संबंधी स्थानों और विरासत भवनों (जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं हैं) के लिए विशिष्ट अनुदानों की सिफारिश की है।

राज्यों के साथ पेट्रोलियम और खनिज तेल कंपनियों के लाभ का बंटवारा

7.23 एक मामला, जिसको कई राज्य केंद्र के साथ उठाते रहे हैं, भूमि और खनिज के स्वामित्व तथा राज्यों को देय रॉयल्टी से संबंधित है। आयलफील्ड (रेग्युलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट 1948 के अंतर्गत केंद्र के पास रॉयल्टी दरों को बढ़ाने और घटाने का अधिकार है। इन क्षेत्रों के तीव्रतर विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा रॉयल्टी दरों को

कम करने के फलस्वरूप, कई राज्यों ने परियोजना शुरू होने से लाभ अर्जित होने के पश्चात हानियों के लिए मुआवजे का मुद्दा उठाया। बारहवें वित्त आयोग से कहा गया कि वह खनिज तेल उत्पादक राज्यों के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र के लाभों से केंद्र सरकार के करेतर राजस्व के बंटवारे के मामले की जांच करे। आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र को हुई 'लाभ पेट्रोलियम' कंपनियों की करेतर आय, जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एनईएलपी) ब्लॉक्स के मामले में संविदागत प्रावधानों से हुई है, को 50:50 के अनुपात में उन राज्यों में बांटी जाए जहां पर खनिज तेल का उत्पादन होता है।

4. केंद्र से राज्यों को संसाधनों का डिवोल्यूशन

7.24 यद्यपि वर्षों के दौरान वित्त आयोग की भूमिका में काफी अधिक वृद्धि हुई है, राज्यों को कर और सहायता अनुदान के संवितरण संबंधी वित्त आयोग का मूल मैडेट अपरिवर्तित बना हुआ है। प्रत्येक वित्त आयोग को अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केंद्रीय करों के बंटवारे योग्य पूल में राज्यों के कुल और वैयक्तिक हिस्से को निर्धारित करना होता है। आयोग को बंटवारे योग्य करों में राज्यों के कुल हिस्से को तय करना पड़ता है, अलग-अलग राज्यों के हिस्से को तय करने के लिए मानदंड, और विभिन्न आबंटन मानदंडों से संबद्ध भारांकों को निर्धारित करना पड़ता है। केंद्रीय करों के बांटने योग्य पूल के विस्तार और संघटना में परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक वित्त आयोग ने वर्टिकल राजस्व अंतरण के दृष्टिकोण और आकार को पुनर्निर्धारित करने के लिए भिन्न-भिन्न निर्णय लिये हैं (चलम और मिश्रा, 1997)¹⁰।

7.25 80वें सांविधिक संशोधन के पहले, दो प्रमुख केंद्रीय कर मुख्य रूप से राज्यों के बीच बांटे जाते थे अर्थात् निगम कर को छोड़कर आय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आय कर का बंटवारा अनिवार्य है लेकिन राज्यों के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क का बंटवारा विवेकाधीन है और इसे तभी बांटा जा सकता है यदि संसद कानून के द्वारा ऐसा प्रावधान करे। संविधान के 80वें संशोधन के फलस्वरूप, केंद्र के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह राज्यों के साथ सभी केंद्रीय करों (अनुच्छेद 268 और 269 के अंतर्गत करों और निर्धारित उपकरों तथा अनुच्छेद 271 के अंतर्गत अधिभारों के अलावा) का बंटवारा करे।

¹⁰ चलम, के.एस.आर.वी.एस और राजीव मिश्रा (1997) "स्ट्रीमलाइनिंग नार्मर्स: ए रिन्यूड एप्रोच फॉर फाइनेंसिंग कमीशन", इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 21 जून।

बंटवारे की प्रक्रिया का विकास: वर्टिकल संवितरण

7.26 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वर्टिकल असंतुलनों को दूर करने के लिए, वित्त आयोग ने वर्टिकल अंतरण की सिफारिश की है। ये अंतरण मुख्य रूप से व्यय उत्तरदायित्व के वर्तमान असमान विकेंद्रीकरण के साथ और राजस्व उगाही प्राधिकारी के साथ एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र से राज्यों को संसाधनों के डिवोलूशन की प्रक्रिया में, अंतरण के दो प्रमुख तरीके हैं अर्थात् केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा और अनुदान। केंद्रीय करों (वर्टिकल संवितरण) में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाले प्रमुख कारक विभिन्न वित्त आयोग में भिन्न-भिन्न रहे हैं। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान बिना शर्त और सामान्य प्रयोजन अथवा सशर्त और प्रयोजन विशिष्ट के हो सकते हैं।

7.27 अंतर-सरकारी राजकोषीय अंतरणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उन करों के संवितरणात्मक पूल का आकार है जो अंतरण के लिए उपलब्ध है। विभिन्न वित्त आयोगों ने आय कर संग्रहण में राज्यों के हिस्से के आकार को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया है। इसे पहले वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 55 प्रतिशत से बढ़ाकर नवें वित्त आयोग द्वारा 85 प्रतिशत की सिफारिश की गयी। आय कर के निवल आगम में राज्यों के हिस्से के आकार में वृद्धि करने का तर्क अलग-अलग वित्त आयोगों ने अलग-अलग दिया है। उदाहरण के लिए, आय कर के निवल आगम में राज्यों के हिस्से में वृद्धि के द्वारा, पहले और चौथे वित्त आयोग ने राज्यों को उस हानि के लिए जो उन्होंने बांटने योग्य पूल से निगम कर को निकालने के कारण उठायी थी, मुआवजा देने का प्रयास किया, निगम कर के रूप में कंपनियों द्वारा चुकाये गये आय कर के 1959 में पुनर्वर्गीकरण के कारण बांटने योग्य पूल में संकुचन आया। इसी प्रकार, पहली बार पांचवें वित्त आयोग ने आय कर के बांटने योग्य पूल में अग्रिम कर को शामिल किया और बकाये का संवितरण किया जबकि राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत पर बनाये रखा। इसके बाद छठवें वित्त आयोग ने महसूस किया कि बकाया राशि राज्यों के लिए और उपलब्ध नहीं होगी तथा उन्होंने अवार्ड अवधि 1974-79 के लिए करों के बांटने योग्य पूल में राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने की सिफारिश की। सामान्य कर उपाय के रूप में केंद्र द्वारा लगाये जाने वाले अधिभार से संबंधित राज्यों की शिकायत पर गौर करते हुए, सातवें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को पुनः बढ़ाया। आठवें और नवें वित्त आयोग ने आय कर

के निवल आगम में राज्यों के हिस्से में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की। लेकिन, केंद्रीय करों को बांटने पर दसवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण पूर्व के वित्त आयोगों से भिन्न है दसवें वित्त आयोग का विचार था कि कर लगाने वाले और संग्रहणों का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी को अपनी आय पर काफी और वास्तविक ब्याज मिलना चाहिए लेकिन राज्यों के हिस्से में परिवर्तन से डिवोलमेंट के स्तर में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 की अवार्ड अवधि के लिए आय कर के निवल आगम में राज्यों के हिस्से को कम करके 77.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की (सारणी VII.1)।

7.28 80वें संवैधानिक संशोधन और सभी केंद्रीय करों को मिलाकर बांटने योग्य करों के बंटवारे योग्य पूल में विस्तार के फलस्वरूप, ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए 29.5 प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की। इस हिस्से में राज्यों के बीच बांटे जाने वाले बंटवारे योग्य केंद्रीय करों का 1.5 प्रतिशत शामिल है तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर बिजली कर नहीं लगाना और एकत्रित करना है। बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को 29.5 प्रतिशत से 30.5 प्रतिशत इस तर्क पर बढ़ाने की सिफारिश की कि अतिरिक्त अंतरणों को उन क्षेत्रों में केंद्र की सहभागिता को तर्क सम्मत बनाकर समायोजित किया

सारणी VII.1: विभाजन योग्य प्रमुख करों में राज्यों का अनुशंसित हिस्सा

(प्रतिशत)

वित्त आयोग	आय कर (%)	मूल उत्पाद शुल्क (%)	शामिल किए गए पण्यों की संख्या
1	2	3	4
पहला वित्त आयोग (1952-57)	55	40	3
दूसरा वित्त आयोग (1957-62)	60	25	8
तीसरा वित्त आयोग (1962-66)	66.6	20	35
चौथा वित्त आयोग (1966-69)	75	20	सभी
पांचवां वित्त आयोग (1969-74)	75	20	सभी
छठवां वित्त आयोग (1974-79)	80	20	सभी
सातवां वित्त आयोग (1979-84)	85	40	सभी
आठवां वित्त आयोग (1984-89)	85	45 *	सभी
नवां वित्त आयोग (1989-95)	85	45	सभी
दसवां वित्त आयोग (1995-2000)	77.5	47.5 *	सभी
सभी केंद्रीय कर#			
ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-05)		29.5	
बारहवां वित्त आयोग (2005-10)		30.5	
तेरहवां वित्त आयोग (2010-15)		32.0	

विभाजन योग्य सभी संघीय करों तथा शुल्कों के कुल आगम में राज्यों का हिस्सा।

* निवल आगम का 40% संवितरित किया जाएगा जबकि शेष 5% को गैर योजना राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए रखा जाएगा।

** निवल आगम का 40% संवितरित किया जाएगा जबकि शेष 7.5% को गैर योजना राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए रखा जाएगा।

स्रोत: वित्त आयोग रिपोर्ट।

जा सकता है जो सीधे तौर पर राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। उक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए (i) 2008-09 के दौरान राज्यों की तुलना में केंद्र के करों में अत्यधिक उछाल, (ii) ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना से संबंधित राज्यों की बढ़ती जिम्मेदारी, और (iii) केंद्र के करेतर राजस्व में वृद्धि विशेष रूप से रॉयल्टी और दूरसंचार क्षेत्र में, उक्त तेरहवें वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2010-15 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

7.29 निवल आय कर में हिस्से के अलावा, राज्य अपनी राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अपने हिस्से पर भी आश्रित हैं। जैसी कि सारणी VII.1 दर्शाती है कि पहले वित्त आयोग ने तीन वस्तुओं अर्थात् तंबाकू, माचिस और तरकारी उत्पाद के संबंध में राज्यों के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क में हिस्सेदारी की हल्की शुरुआत की। उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने या तो हिस्सेदारी योग्य वस्तुओं के कवरेज को बढ़ाकर अथवा राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर राज्यों के लिए व्यापक डिवोल्वमेंट की सिफारिश की। दूसरे वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी योग्य उत्पाद शुल्क की सूची में शामिल मदों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया अलबत्ता 25 प्रतिशत के घटे हिस्से के साथ। तीसरे वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हिस्सेदारी योग्य बास्केट में वस्तुओं की संख्या को और बढ़ाकर 35 कर दिया गया, लेकिन हिस्से को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। राज्यों की मांग के फलस्वरूप केंद्र के उत्पाद शुल्क में राज्यों के हिस्से की मदों के कवरेज को चौथे वित्त आयोग से सार्वजनिक बना दिया गया है। सातवें वित्त आयोग ने इस आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की सिफारिश इस आधार पर की कि राज्यों को पर्याप्त साधन मुहैया कराने से केंद्र पर उनकी निर्भरता घटेगी। आठवें वित्त आयोग ने इस हिस्से को और बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया लेकिन 5 प्रतिशत की वृद्धि (इंक्रीमेंट) को राज्यों को डिवोल्वमेंट के पश्चात आकलित राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया। नवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिए प्रस्तुत अपने पहली रिपोर्ट में इस कार्यक्रम को बनाये रखा, लेकिन 1990-91 से 1994-95 के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में नवें वित्त आयोग

ने, राज्यों के योजनेतर राजस्व घाटे¹¹ को कम करने के लिए बिना किसी पृथक् घटक के, समेकित राशि के रूप में 45 प्रतिशत की संपूर्ण राशि के संवितरण की सिफारिश की। दसवें वित्त आयोग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निवल आगम में राज्यों के लिए 47.5 प्रतिशत के हिस्से की सिफारिश की जबकि आकलित घाटे के आधार पर संवितरण के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 7.5 प्रतिशत अलग रखा। 80वें संविधान संशोधन द्वारा, ग्यारहवें वित्त आयोग से सभी बांटने योग्य केंद्रीय करों (अनुच्छेद 268 और 269 के अंतर्गत को छोड़कर) के लिए एक एकल पूल निर्धारित किया गया है।

7.30 सारांश रूप में, बांटने योग्य करों और उत्पाद शुल्कों पर वित्त आयोग की सिफारिशों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न वित्त आयोगों ने बांटने योग्य पूल और इसकी संघटना में उनके हिस्से से संबंधित राज्यों की चिंताओं को समुचित महत्व दिया है। ग्यारहवें वित्त आयोग से अधिकांश केंद्रीय करों के एक साथ मिलाये जाने के कारण, करों का बांटने योग्य पूल न केवल बढ़ा है बल्कि इसमें राज्यों का हिस्सा भी बढ़ा है।

बांटने योग्य कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क: होरिजोन्टल संवितरण मानदंड

7.31 जहां तक राज्यों के हिस्से को निर्धारित करने की बात है, वित्त आयोग के अंतरणों का मूल उद्देश्य रहा है (i) राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में निहित राजस्व क्षमता और लागत अक्षमता कारकों के अंतरों को ठीक करना और (ii) राज्यों के बीच राजकोषीय दक्षता लाना। इन प्रयोजनों के लिए अतीत में प्रयुक्त मानकों को निम्न समूहों में रखा जा सकता है (क) आवश्यकताओं को दर्शाने वाले कारक जैसे जनसंख्या और मापित आय या तो उच्चतम आय से अंतर के रूप में या इसके विपरीत; (ख) लागत अक्षमता संकेतक जैसे क्षेत्र और आधारभूत संरचना अंतर; और (ग) राजकोषीय दक्षता संकेतक जैसे कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन।

7.32 आय कर के निवल आगम के संवितरण मानदंड में विभिन्न चरों के भारांक के रूप में, सातवें वित्त आयोग तक केवल दो कारकों

¹¹ बांटने योग्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क में से एक अलग हिस्सा निर्धारित करने के स्थान पर, नवें वित्त आयोग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपने संवितरण फार्मूले में योजनेतर राजस्व घाटे का एक परिवर्तनशील चर शुरू किया।

को ध्यान में रखा गया। जनसंख्या एक प्रमुख कारक है जिसका भारांक 80 से 90 प्रतिशत तक के बीच सर्वाधिक है, जबकि कर संग्रहण में अंशदान एक छोटा कारक है। निवल आय कर आगम के होरिजोन्टल संवितरण मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है सिवाय जनसंख्या और अंशदान से संबंधित भारांकों के बीच कुछ समायोजन के। इसके विपरीत, पांचवें वित्त आयोग ने महसूस किया कि एक नये वित्त आयोग के गठन से बदली हुई परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आलोक में विभिन्न मुद्दों पर नये सिरे से विचार करने का मौका मिलेगा। पांचवें वित्त आयोग ने पूर्व के वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किये गये अंशदान मानदंडों (कर संग्रहण पर आधारित) से संबंधित कई अपर्याप्तताओं की पहचान की। इसने बताया कि (i) अंशदान का निर्धारण आय के स्रोत के संदर्भ के बिना मूल्यांकित की सुविधा के अनुसार किया जाता है। (ii) लाभांशों, ब्याज भुगतानों आदि के स्रोत पर कर कटौती की बड़ी-बड़ी राशियों ने महानगर और औद्योगिक केंद्र वाले राज्यों को बड़े-बड़े संग्रहण करने का अनुचित लाभ कराया। इसलिए, पांचवें वित्त आयोग ने जनसंख्या (90 प्रतिशत के भारांक के साथ) के अलावा 'संग्रहण' के स्थान पर 'मूल्यांकन' को जोड़ा जिसमें आय कर आगम के संवितरण कार्यक्रम को 10 प्रतिशत भारांक दिया गया। यह संवितरण कार्यक्रम सातवें वित्त आयोग तक अपरिवर्तित बना रहा (परिशिष्ट सारणी 22)।

7.33 विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, आठवें वित्त आयोग ने कहा कि आय कर आबंटित करने के लिए मानदंड प्रगामी होने चाहिए। इसने सिफारिश की कि अंशदान के आधार पर 10 प्रतिशत संवितरण के पश्चात आय कर में राज्यों का 90 प्रतिशत हिस्सा जनसंख्या (22.5 प्रतिशत के भारांक के साथ अर्थात् 90 प्रतिशत का 25.0 प्रतिशत), आय समायोजित जनसंख्या (22.5 प्रतिशत के भारांक के साथ अर्थात् 90 प्रतिशत का 25.0 प्रतिशत) और प्रति व्यक्ति आय अंतर (45 प्रतिशत के भारांक के साथ अर्थात् 90 प्रतिशत का 50.0 प्रतिशत)¹² के आधार पर आबंटित किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति उच्चतम आय से प्रति व्यक्ति आय के अंतर को राज्यों के सापेक्षिक पिछड़ेपन का एक मानदंड माना गया। चूंकि जनसंख्या को

'अंतर' और 'प्रति व्यक्ति के विपर्यय' को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या को मानक कारक के रूप में प्रयोग किया जाए, समग्र कार्यक्रम में इसका भारांक 22.5 प्रतिशत से अधिक था। इसके पश्चात, नवें वित्त आयोग ने पिछड़ेपन के एक संमिश्र मानदंड को शुरू करके, जिसका भारांकन 11.25 प्रतिशत है, एक बड़ा परिवर्तन किया। पिछड़ेपन के संमिश्र संकेतक में दो सूचकांक शामिल हैं अर्थात् (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या (ii) 1981 की जनसंख्या के अनुसार विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों की संख्या। दसवें वित्त आयोग ने पिछले वित्त आयोगों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया और संवितरण मानदंड के लिए एक कारक के रूप में 'अंशदान' के प्रयोग को बंद किया। इसने तर्क दिया कि यह देश कुल मिलकर सामान्य आर्थिक क्षेत्र और बाजार का प्रतिनिधित्व करता है तथा राज्यों के बीच आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ रही है। इसलिए, गैर-कृषि क्षेत्र में स्थानीय तौर पर अर्जित आय की पहचान करना मुश्किल है और इसलिए 'अंशदान' को एक मानक के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। दसवें वित्त आयोग ने भी अस्पष्ट उत्तलता के कारण प्रतिलोम आय फार्मूले को त्याग दिया है मध्यम आय वाले राज्यों को इस समायोजन का अत्यधिक बोझ वहन करना पड़ता है। इसके स्थान पर, इसने जनसंख्या (20 प्रतिशत), और कुछ नये कारक अर्थात् कर प्रयास (10 प्रतिशत), समायोजित क्षेत्र (5 प्रतिशत) तथा आधारभूत संरचना के सूचकांक (5 प्रतिशत)¹³ के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय के अंतर को 60 प्रतिशत का व्यापक भारांक प्रदान किया। इसलिए, राज्यों के कर प्रयासों के लिए उनके प्रोत्साहन पर स्पष्ट जोर दिया गया।

7.34 राज्यों की वर्तमान राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय अनुशासन के लिए और डिवोल्वमेंट के सिद्धांत से उन्हें जोड़ने के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहनों के माध्यम से राज्य वित्तों के पुनर्गठन की सिफारिश की। ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय अनुशासन के लिए एक नये सूचकांक की शुरुआत की; कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन के सूचकांक को मिलाकर 12.5 प्रतिशत का भारांक दिया गया। ग्यारहवें वित्त आयोग ने एक नया फार्मूला विकसित किया जिसने समता को राजकोषीय

¹² आय समायोजित जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम के आधार पर निकाला गया जिसका 1971 में राज्य की जनसंख्या से गुणा किया गया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अंतर को सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय से निकाला गया जिसको संबंधित राज्य की 1971 की जनसंख्या के द्वारा गुणा किया गया।

¹³ कर प्रयास के मापन के लिए सुझाव दिया गया कि इसकी गणना राज्य की प्रति व्यक्ति आय के वर्ग को एक राज्य के प्रति व्यक्ति स्व कर राजस्व अनुपात द्वारा भाग देकर की जाए। इस प्रकार जनसंख्या गणना के पश्चात संबंधित हिस्से का निकाला जाए।

दक्षता के साथ संतुलित किया। समता का विचार समकरण के सिद्धांत को कार्यान्वित करने वाले संघीय अंतरण के कार्यक्रम में प्रमुख है। तदनुसार, इसने आय अंतर को 50 प्रतिशत का भारांक दिया साथ ही जनसंख्या को 25 प्रतिशत का भारांक दिया। जबकि 'क्षेत्र' को 10 प्रतिशत का भारांक दिया गया, कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन के अर्थ में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को बारहवें वित्त आयोग द्वारा 15.0 प्रतिशत का एक उच्च भारांक दिया गया जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा इसको 12.5 प्रतिशत का भारांक दिया गया था।

7.35 तेरहवें वित्त आयोग ने 'आय अंतर' के स्थान पर राजकोषीय क्षमता अंतर की अवधारणा के प्रयोग की सिफारिश की। राज्यों के बीच राजकोषीय अंतर का मूल्यांकन करने के लिए जीएसडीपी के एक एकल औसत के प्रयोग के स्थान पर, इसने विशेष वर्ग से इतर वर्ग और विशेष वर्ग वाले राज्यों के उनके संबंधित समूह औसतों से, कराधान के समुचित तुलनीय स्तर पर, प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमता के आकलन की सिफारिश की। तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय क्षमता अंतर (47.5 प्रतिशत) को सर्वाधिक भारांक प्रदान किया, इसके पश्चात जनसंख्या (25 प्रतिशत), राजकोषीय अनुशासन (17.5 प्रतिशत) और क्षेत्र (10.0 प्रतिशत) थे।

7.36 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में, छठवें वित्त आयोग तक जनसंख्या राज्यों के हिस्से के मानदंड में सबसे बड़ा निर्धारक कारक बनी रही, यद्यपि उसका भारांक 100 प्रतिशत से घटकर 75 प्रतिशत रह गया। यह भारांक सातवें वित्त आयोग तक और घटकर 25 प्रतिशत (पूर्ववर्ती आयोग से 50 प्रतिशत अंक की गिरावट) रह गया। सातवें वित्त आयोग तक, आय कर हिस्से का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त फार्मूला केंद्रीय उत्पाद कर से स्पष्ट रूप से भिन्न था। आठवें वित्त आयोग से, फार्मूले के दोनों सेटों के बीच अभिसरण रहा है (परिशिष्ट सारणी 22 और 23)। आय कर और केंद्रीय उत्पाद कर दोनों के फार्मूले को एक साथ मिलाने का एक प्रयास किया गया। इस प्रकार, आठवें, नवें और दसवें वित्त आयोग ने आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की हिस्सेदारी के लिए एक एकीकृत फार्मूला अपनाया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के फार्मूले की हिस्सेदारी के संबंध में बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये उल्लेख के अनुसार, आवश्यकता आधारित कारकों के बीच जनसंख्या और आय अंतर को स्वीकृति मिली; लागत अक्षमता कारकों में क्षेत्र और आधारभूत संरचना सूचकांक अंतर पसंदीदा संकेतक

होते हैं; और राजकोषीय दक्षता कार्यक्रम के बीच कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन, जिसे राजस्व व्यय की तुलना में स्व-कर राजस्व अनुपात के द्वारा मापा गया, को उपयुक्त माना गया।

7.37 उपर्युक्त चर्चा से पता चलता है कि राज्यों के हिस्से के होरिजोन्टल संवितरण के लिए फार्मूला तय करते समय, वित्त आयोगों का मूल उद्देश्य राज्यों की अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित राजस्व क्षमता और लागत अक्षमता कारकों के बीच अंतरों को ठीक करना और राज्यों के बीच राजकोषीय दक्षता बढ़ाना रहा है। डिवोल्वमेंट फार्मूले को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त चरों के विकल्प, परिभाषा और भारांकों को विभिन्न वित्त आयोगों ने बदलना जारी रखा। जबकि तेरहवें वित्त आयोग के कर डिवोल्वमेंट फार्मूले में 'राजकोषीय क्षमता अंतर', को दिया गया अत्यधिक भारांक राज्यों के बीच अभिसारता बढ़ाने में मदद करेगा, वहीं 'राजकोषीय अनुशासन' के भारांक में वृद्धि राजकोषीय समेकन के मार्ग की ओर वापस आने के लिए प्रेरित करेगी।

अनुदान सहायता के स्वरूप को संचालित करने वाले सिद्धांत: अंतर पूरक दृष्टिकोण से नियामक दृष्टिकोण में परिवर्तन

7.38 बांटने योग्य केंद्रीय करों के अलावा, केंद्र से राज्यों को संसाधन अंतरण का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अनुदान सहायता अंशदान है। अनुदान सहायता का मुख्य लक्ष्य समकरण की मात्रा को प्राप्त करना है। सामान्य रूप से, विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा राज्यों के लिए प्रदान की गयी अनुदान सहायता की राशि उनके राजस्व अंतरों से संबंधित है। वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान सहायता का मतलब उस अंतर को भरना है जो राज्य के उस व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जो उसके अपने राजस्व और केंद्रीय कर के हिस्से में कवर नहीं होते। ये अनुदान अनुच्छेद 273(1) और 275(1) के अनुसार केंद्र सरकार के संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, राज्यों को अन्य प्रकार के अनुदान दिये गये जिससे (i) विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में असमानता को घटाया जा सके; (ii) उनकी परिस्थितियों के परिणाम के रूप में आये विशेष वित्तीय भारों को पूरा करने के लिए खास राज्यों को अनुमति दी जा सके; और (iii) राष्ट्रीय प्राथमिकता समझी जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के लिए संसाधन प्रदान किये जा सकें। वास्तव में, अंतरण कार्यक्रम को और व्यापक बनाने और शर्तों में दिए गए मुद्दों के समाधान के लिए

अनुदान सहायता को एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। केंद्रीय करों के लिए डिवोल्वमेंट फार्मूले के असमान, अनुदान कई राज्यों द्वारा सामना की जा रही लागत अक्षमताओं को दूर करने के लिए काफी अधिक गुंजाइश प्रदान करते हैं।

7.39 पहले वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुसार, राज्यों के बीच अनुदान आबंटन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मोटे तौर पर अधिकांश परवर्ती वित्तीय आयोगों द्वारा अपनाये गये। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत, पहले वित्त आयोग ने सिफारिश की कि अनुदान निम्न आधार पर निश्चित किये जाना चाहिए (i) राज्यों की बजट आवश्यकताएं, (ii) कर प्रयास, (iii) व्यय में मितव्ययता, (iv) सामाजिक सेवाओं के मानक का समकरण, (v) राज्य विशिष्ट दायित्व और (iv) राष्ट्रीय महत्व के व्यापक प्रयोजन। श्रीवास्तव और राव (2009) के अनुसार, पहले वित्त आयोग ने राजकोषीय अंतरणों के निर्धारण के मार्गदर्शन के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत बेहतर सिद्धांत स्पष्टतः बताये थे। दूसरे वित्त आयोग ने पाया कि अनुदान सहायता सामान्य और बिना शर्त अनुदानों के रूप में दी गयी सहायता का एक अवशिष्ट रूप होना चाहिए; उसका विचार था कि अनुदान व्यापक प्रयोजनों के लिए दिये जाएं बशर्ते वे पूरी तरह से उसी उद्देश्य के लिए खर्च किये जाएं। तीसरे वित्त आयोग ने भी संचार में सुधार के लिए विशिष्ट प्रयोजन अनुदानों की सिफारिश की। परवर्ती अधिकांश वित्त आयोग सामान्य रूप से पहले वित्त आयोग द्वारा बनाए गए सिद्धांतों से सहमत रहे, लेकिन वे मुख्य रूप से बिना शर्त राजस्व अनुदानों के पक्ष में थे। पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी अनुदानों की सिफारिश करते समय सातवें वित्त आयोग ने पहले वित्त आयोगों से कुछ अलग मार्ग चुना। यह इस तथ्य को मानने के कारण था कि प्रशासनिक और आवासीय भवनों के रखरखाव व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व अनुदान पर्याप्त नहीं थे। यद्यपि ये उनकी शर्तों की सीमा के बाहर थे, लेकिन पूंजी अनुदान के रूप में 908.8 करोड़ रुपए की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई।

7.40 अनुदान सहायता वित्त आयोग के अंतरणों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अनुदानों के निर्धारण के लिए केंद्र और राज्य दोनों के वित्तों

की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है। वित्त आयोगों की अक्सर उनके अंतर पूरक दृष्टिकोण के कारण आलोचना की जाती रही है (श्रीवास्तव और राव, 2009)¹⁴। अंतर पूरक दृष्टिकोण के अंतर्गत, बड़े-बड़े अंतरण मुख्य रूप से पूर्व के राजस्व खातों के बड़े-बड़े अंतरों पर आधारित होते हैं फिर चाहे उपलब्ध राजस्व क्षमता का पर्याप्त दोहन किया गया हो अथवा व्यय में अनुचित वृद्धि हुई हो। सिंह (2006) का तर्क है कि अनुदानों के अंतर पूरक दृष्टिकोण ने राजकोषीय अनुशासन के लिए राज्य सरकारों के प्रोत्साहनों को कम किया है जबकि अंतर राज्य असमानताओं¹⁵ कोट घटाने के लिए बहुत कम कार्य किया है। लेकिन, वित्त आयोगों ने, विशेष रूप से नवें वित्त आयोग से, राज्य के अपने करों और करेतर राजस्व तथा राजस्व व्ययों का मूल्यांकन करने के लिए नियामक सिद्धांत अपनाए हैं। नियामक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रतिकूल प्रोत्साहनों को प्रभावी तरीके से नगण्य किया जा सकता है क्योंकि राज्यों का उस राजस्व के अर्थ में मूल्यांकन किया जाता है जिनको उन्हें अपनी क्षमताओं को देखते हुए उगाहना चाहिए। इसी प्रकार, व्ययों का मूल्यांकन, सेवाओं के एक औसत अथवा न्यूनतम स्वीकार स्तर और संबंधित लागत मानदंडों के अनुरूप, आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, तथा वे पूर्व के व्ययों द्वारा संचालित नहीं होते हैं।

7.41 अनुदानों की सिफारिश करते समय, विभिन्न वित्त आयोगों के समक्ष सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा योजना और योजना से इतर खातों के कवरेज से संबंधित रहा है। संविधान में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि राज्यों की संसाधन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए राजस्व खाते अथवा केवल योजना से इतर राजस्व खाते पर ही विचार किया जा सकता है। फिर भी, तीसरे वित्त आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार किया और सिफारिश की कि अनुदान सहायता की मात्रा इस प्रकार तय की जानी चाहिए कि इससे राज्य, डिवोल्वमेंट के अधिशेष के साथ-साथ, अपनी योजनाओं के राजस्व घटक का 75 प्रतिशत कवर करने के लिए सक्षम हों। लेकिन, इस सिफारिश को सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात, शर्तों के विशिष्ट प्रावधानों

¹⁴ श्रीवास्तव, डी.के. और सी. भुजंगराव (2009), "रिव्यू ऑफ ट्रेन्ड्स इन फिस्कल ट्रांसफर्स इन इंडिया" <http://fincomindia.nic.in/writereaddata/html-en-files/report02.pdf>. पर।

¹⁵ एस. नारायण (संपा.), *डाकुमेंटिंग रिफार्म्स: केस स्टडीज फ्रॉम इंडिया, इंडिया*: "मैकमिलन में प्रकाशित, सिंह, निर्विकार (2006) का लेख "स्टेट फाइनेंस इन इंडिया : ए केस फॉर सिस्टमिक रिफार्म"।

के माध्यम से योजना खातों पर राजस्व व्यय की आवश्यकता के विचार को वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार से स्पष्ट रूप से त्याग दिया गया। लेकिन, नवें वित्त आयोग की शर्तों ने योजना राजस्व व्यय की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए इसे आयोग के लिए वैकल्पिक बना दिया। दसवें वित्त आयोग ने पुनः इस विचार की सीमा को योजना से इतर खाते तक सीमित कर दिया। ग्यारहवें वित्त आयोग की शर्तों में राज्यों की योजनागत और गैर योजनागत दोनों आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा योजना से इतर खाते के संबंध में केवल राजस्व आवश्यकताओं पर विचार करने के बावजूद, बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग से अपेक्षा थी कि वे राज्यों के संपूर्ण राजस्व खाते पर विचार करेंगे।

7.42 सारांश में, वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान सामान्य रूप से बिना शर्त रहे हैं और वे व्यापक रूप से योजना से इतर राजस्व व्यय और कर पश्चात डिवोल्यूशन राजस्व प्राप्तियों के बीच अनुमानित अंतरों पर आधारित हैं। इस दृष्टिकोण की अक्सर आलोचना की गई है क्योंकि इससे राज्य स्तर पर राजकोषीय अनुशासन नहीं आता है। राज्यों को अनुदानों की सिफारिश करते समय, हाल में संसाधन आवश्यकताओं और व्ययों के नियामक मूल्यांकन पर और अधिक जोर दिया गया है।

राजकोषीय अंतरण का पैटर्न

7.43 अंतरणों की वर्तमान योजना में, कर डिवोल्यूशन वर्टिकल और होरीजेंटल असंतुलनों को दूर करने में दोहरी भूमिका निभाता है। अनुदान सहायता का मुख्य लक्ष्य समकरण की मात्रा को प्राप्त करना है। वित्त आयोगों की अंतरण योजना में, केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार अधिक रहा है। सहायता अनुदान का हिस्सा, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से योजना से इतर राजस्व अंतर को भरना है, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से से कम बना हुआ है, जो राज्यों के संसाधन अंतरण में राज्यों के कर प्रयास को, वित्त आयोगों द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है। अनुदानों के राज्य विशिष्ट और प्रयोजन विशिष्ट टारगेटिंग के और अधिक प्रभावी तथा संभाव्य अंतरण साधन होने के बावजूद, राज्यों ने केंद्रीय करों के डिवोल्यूशन को वरीयता दी क्योंकि वे बिना शर्त हैं।

7.44 उत्तरोत्तर वित्त आयोगों के द्वारा दिए गए अवार्डों की समीक्षा से पता चलता है कि राज्यों को अंतरित किए गए संसाधनों की मात्रा पहले वित्त आयोग के 382 करोड़ रुपये से काफी अधिक बढ़कर तीसरे वित्त आयोग में 17,06,676 करोड़ रुपये हो गई। लेकिन, करों और अनुदानों में राज्यों के हिस्से के रूप में कुल संसाधन अंतरण में विभिन्न आयोगों के अवार्ड की अवधियों के दौरान संघटनात्मक परिवर्तन दिखा। ये परिवर्तन इन कारकों में आपसी अंतर्क्रिया के कारण हैं जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कर हिस्सेदारी (वर्टिकल आबंटन) के अनुपात में परिवर्तन, केंद्रीय करों में राजस्व अधिकता (राज्यों के साथ हो रही हिस्सेदारी), अनुदान सहायता के अंतरण से संबंधित उनकी योजना से इतर राजस्व घाटे की स्थिति और विशेष समस्याओं सहित अलग-अलग राज्यों का राजकोषीय कार्यनिष्पादन (कन्नन और अन्य, 2004)¹⁶। जैसा कि सारणी VII.2 दर्शाती है कि कुल अंतरणों में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा पहले वित्त आयोग के 87.9 प्रतिशत से घटकर चौथे वित्त आयोग में 75.8 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय करों में सिफारिश किया गया हिस्सा घट गया क्योंकि चौथे वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में हिस्से के स्थान पर अनुदान के रूप में अवशिष्ट घाटे को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से वित्तीय सहायता को शामिल किया। सातवें वित्त आयोग से, कुल अंतरण में केंद्रीय करों का हिस्सा 80 और 90 प्रतिशत के बीच रहा। समकरण अंतरण के लिए व्यापक भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने कुल अंतरणों में अनुदानों के हिस्से में वृद्धि का प्रस्ताव किया था। लेकिन, तेरहवें वित्त आयोग ने कुल अंतरणों में अनुदानों के एक छोटे हिस्से की सिफारिश की है क्योंकि राज्यों से आशा है कि वे राजकोषीय समेकन के मार्ग की ओर वापस आएंगे और अपने योजना से इतर राजस्व घाटे को, जो 2004-05 से 2007-08 तक देखा गया, कम करेंगे।

7.45 सारणी VII.2 दर्शाती है कि करों (एससीटी) और अनुदानों (एफसीजीआर) के डिवोल्यूशन के वास्तविक हिस्से और वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए संबंधित हिस्सों के बीच अंतर है, यद्यपि यह काफी अधिक नहीं है। श्रीवास्तव और राव (2009) ने तर्क दिया है कि पाए गए अंतर में निर्धारित शर्तों के पालन न करने अथवा प्रक्रियागत कारणों के लिए संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी का

¹⁶ (कन्नन और अन्य, 2004), “फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स एंड फिस्कल स्टेबिलिटी इन स्टेट्स”, इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 31 जनवरी।

सारणी VII.2: वित्त आयोगों द्वारा केंद्र से राज्यों की ओर अंतरणों का पैटर्न

(प्रतिशत)

वित्त आयोग	अनुशंसित अंतरण		वास्तविक अंतरण		सभी एजेंसियों से वास्तविक अंतरण	
	कर	वित्त आयोग अनुदान	कर	वित्त आयोग अनुदान	करों में हिस्सा	अनुदान*
पहला वित्त आयोग (1952-57)	87.9	12.1	91.6	8.4	53.6	46.4
दूसरा वित्त आयोग (1957-62)	81.2	18.8	76.2	23.8	48.6	51.4
तीसरा वित्त आयोग (1962-67)	81.4	18.6	77.0	23.0	49.5	50.5
चौथा वित्त आयोग (1966-69)	75.8	24.2	73.1	26.9	48.4	51.6
पांचवां वित्त आयोग (1969-74)	86.6	13.4	85.2	14.8	54.4	45.6
छठवां वित्त आयोग (1974-79)	73.9	26.1	75.0	25.0	50.6	49.4
सातवां वित्त आयोग (1979-84)	92.3	7.7	92.3	7.7	58.6	41.4
आठवां वित्त आयोग (1984-89)	90.4	9.6	89.0	11.0	53.8	46.2
नवां वित्त आयोग (1989-95)	82.9	17.1	88.9	11.1	53.2	46.8
दसवां वित्त आयोग (1995-2000)	91.0	9.0	90.2	9.8	60.1	39.9
ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-05)	86.5	13.5	84.2	15.8	55.4	44.6
बारहवां वित्त आयोग (2005-10)	81.1	18.9	82.5	17.5	54.6	45.4
तेरहवां वित्त आयोग (2010-15)	84.8	15.2	—	—	—	—

‘—’: लागू नहीं

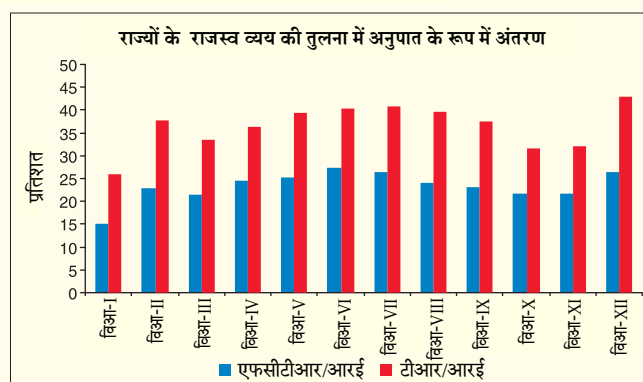
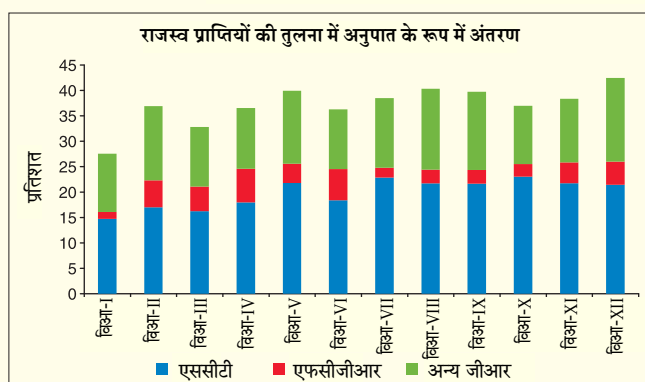
टिप्पणी: इसमें वित्त आयोग के अनुदान और वित्त आयोग के अलावा अन्य एजेंसियों के अनुदान शामिल हैं।

स्रोत: (i) वित्त आयोग की रिपोर्ट, (ii) राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन (विभिन्न मुद्दे), (iii) रंगराजन और राव, 2008।

पता चलता है। राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों में वित्त आयोग के अंतरणों का योगदान विभिन्न अवार्ड अवधियों के दौरान 16 से 26 प्रतिशत के दायरे में बना रहा। लेकिन, छठवें वित्त आयोग से, वित्त आयोग चैनल के माध्यम से अंतरण लगातार राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों के लगभग 25 प्रतिशत रहे। यदि अन्य सभी चैनलों के माध्यम

से केंद्रीय अंतरण शामिल किए जाते हैं तो उनका विभिन्न अवार्ड अवधियों के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 28-42 प्रतिशत योगदान था। इसी प्रकार, वित्त आयोग चैनल के माध्यम से संसाधनों के अंतरण ने राज्यों को हाल के वर्षों में अपने राजस्व व्यय के लगभग एक चौथाई को पूरा करने के समर्थ बनाया (चार्ट VII.1)।

चार्ट VII.1: राजस्व प्राप्तियों तथा राज्यों के राजस्व व्यय की तुलना में अनुपात के रूप में अंतरण



5. समकरण की सीमा

7.46 राजकोषीय अंतरण प्रणाली से आशा है कि वह वर्टिकल और होरीजेंटल असंतुलनों के मसलों का निराकरण करेगी। अंतरण का समकरण घटक कनाडा जैसे संघ में काफी महत्वपूर्ण है जहां उनको 1982 से संवैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए मंडेट दिया गया है कि प्रादेशिक सरकारों के पास कराधान के तुल्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। समकरण अंतरण की ऑस्ट्रेलियन प्रणाली लागत अंतरों के मानक और विभिन्न प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधानों में समान दक्षता पर आधारित है। ऑस्ट्रेलियन समकरण, दक्षता और सेवाओं के मानक के कारण, कनैडियन समकरण से भिन्न है। भारत जैसी संघीय व्यवस्था में जहां पर प्रति व्यक्ति आय, कराधार और जन संख्या के अर्थ में क्षेत्रीय विभिन्नताएं काफी अधिक हैं, केंद्रीय अंतरणों का समकरण घटक काफी अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है। भारतीय संदर्भ में, श्रीवास्तव (2006) ने तर्क दिया कि “पहले के अधिकांश वित्त आयोगों ने अंतरण के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें डिवोल्यूशन के विभिन्न घटक हैं और जो अलग-अलग सोच के आधार पर तय किए गए हैं, तथा बिना शर्त अनुदानों के लिए अंतर पूरण दृष्टिकोण अपनाया गया है। चूंकि अलग-अलग एजेंसियों ने बिना किसी तालमेल के अंतरण पर कार्य करते समय अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है, अंतरण के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है। इस अलगाव का निवल परिणाम यह हुआ है कि अंतरणों का समकरण अभी काफी दूर है”¹⁷।

7.47 कनाडा जैसे अन्य संघों के असमान, भारत में होरिजेंटल असंतुलन का निराकरण कर डिवोल्यूशन और राजस्व अंतर अनुदानों के समेकन के माध्यम से किया जाता है। अवाई अवधि के दौरान राज्य वित्त और समष्टि आर्थिक दशाओं के मूल्यांकन के आधार पर, वित्त आयोगों ने राज्यवार कुल अंतरणों की सिफारिश की, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा और अनुदान सहायता शामिल हैं लेकिन राज्यों को किए गए वास्तविक अंतरण सिफारिश किए गए

अंतरणों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मान्यताएं पूरी अवाई अवधि में जारी नहीं रह सकती हैं। इस धारणागत मतभेद के बावजूद, केंद्र से राज्यों को सिफारिश किए गए अंतरणों के वर्टिकल और होरीजेंटल (समकरण) घटक अलग-अलग करना मुश्किल है (रंगराजन और श्रीवास्तव, 2008)¹⁸। हालांकि, कुछ अध्ययनों ने सिफारिश किए गए राजकोषीय अंतरणों के वर्टिकल और समकरण घटकों की गणना करने की कोशिश की है। भारतीय संदर्भ में, रंगराजन और श्रीवास्तव (2008) ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुल अंतरणों के समकरण घटक को निकालने की कोशिश की।

7.48 रंगराजन और श्रीवास्तव (2008) द्वारा अपनाया गया ढांचा, यद्यपि कुछ शर्तों के अधीन, हाल के चार वित्त आयोगों (दसवें वित्त आयोग से तेरहवें वित्त आयोग तक) द्वारा सिफारिश किए गए कुल अंतरणों में समकरण की मात्रा की गणना करने के लिए, अध्ययन में प्रयोग किया जा रहा है। यह पाया गया है कि प्राप्त की गई समकरण की मात्रा ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में सर्वाधिक थी क्योंकि बैंचमार्क और वास्तविक अंतरणों के बीच अंतर न्यूनतम था। अंतरणों के राज्य वार संवितरण प्रगामी प्रतीत होते हैं क्योंकि सर्वाधिक जीएसडीपी अंतर वाले राज्यों के लिए उच्चतर समकरण अंतरण की सिफारिश की गई है, अलबत्ता अपेक्षा स्तर से कम, विशेष रूप से विशेष से इतर वर्ग वाले राज्यों में। इसके अलावा, विशेष वर्ग से इतर अधिकांश राज्यों को लागत अंतर और विशेष आवश्यकताओं के लिए अंतरण मिले (बॉक्स VII.1)।

7.49 एक विश्लेषण दर्शाता है कि सभी चार वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए अंतरणों में समकरण घटक अपेक्षित स्तर से कम रहा है। भारत में असमानता के स्तर को देखते हुए, पूर्ण समकरण प्राप्त करने के लिए अंतरणों का समुचित रूप से पुनर्वितरण एक बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह अन्य संघों के असमान, भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग दाता राज्यों की तुलना में प्रापक राज्यों में रहता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में, पूर्ण समकरण प्राप्त करने के लिए यह एक चुनौती भरा कार्य हो जाता है क्योंकि समकरण कार्यक्रम में

¹⁷ डी.के. श्रीवास्तव (2006), “इक्विलाइजिंग हेल्थ एंड एजुकेशन: एप्रोच ऑफ दि ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन”, *मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्किंग पेपर सं.6/2008*

¹⁸ रंगराजन, सी और डी.के. श्रीवास्तव (2008), “रिफॉर्मिंग इंडियाज फिस्कल ट्रांसफर सिस्टम: रिजोल्विंग वर्टिकल एंड होरीजेंटल इम्बेलेसेज” *मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वर्किंग पेपर 31/2008*.

बॉक्स VII.1 केंद्र से राज्यों को अंतरण: समकरण की मात्रा

राजकोषीय अंतरण से माना जाता है कि वे न केवल राज्यों के व्यय के विकेंद्रीकरण में असमानताओं और केंद्र के राजस्व उगाही प्राधिकार (वर्टिकल असंतुलन) को ठीक करेंगे बल्कि राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमताओं के अंतर (होरिजेंटल असंतुलन) को समतुल्य बनाएंगे। लेकिन, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रणाली विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। जबकि कनाडा और जर्मनी समता प्राप्त करने के लिए अंतरणों की एक सुस्पष्ट समकरण प्रणाली का अनुपालन करते हैं, भारत के पास राजस्व कर हिस्सेदारी का एक व्यापक ढांचा है, जिसे राजस्व अंतर अनुदानों द्वारा संपूरित किया जाता है। यद्यपि, भारत के वित्त आयोग ने होरिजेंटल और वर्टिकल असंतुलनों को दूर करने के लिए राजकोषीय अंतरणों की सिफारिश की है, अंतरणों की इन दो घटकों की मात्रा का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है। रंगराजन और श्रीवास्तव (2008) ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों की ओर होने वाले प्रति व्यक्ति अंतरणों के वर्टिकल, होरिजेंटल और अवशिष्ट घटकों को अलग करने के लिए एक ढांचा अपनाया। वर्तमान क्रियाकलाप में, दसवें वित्त आयोग से, विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त समकरण की मात्रा के मूल्यांकन के लिए इसी ढांचे के आधार पर परिणामों को अद्यतन किया गया है।

रंगराजन और श्रीवास्तव के ढांचे के अंतर्गत, अंतरणों के वर्टिकल घटक का प्रतिनिधित्व सबसे धनी राज्य के संसाधन अंतराल के आधार पर निकले प्रति व्यक्ति अंतरण द्वारा किया जा सकता है, यह मानते हुए कि यह किसी राज्य के लिए न्यूनतम बेंचमार्क आंबटन हो सकता है। इस सिद्धांत को शामिल करते हुए, कुल वर्टिकल अंतरण प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के समानुपाती होनी चाहिए। किसी राज्य के आंबटन योग्य अंतरणों के होरिजेंटल घटक (समकरण अंतरण) को सबसे धनी राज्य के सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय समूह पर आधारित करने की आवश्यकता है; इसमें होरिजेंटल इक्विटी का सिद्धांत शामिल है कि अंतरणों की प्रणाली योजना में कम, राजकोषीय क्षमता अर्थात् प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य, अंतरणों की अधिक राशि प्राप्त करेंगे और इसके विपरीत स्थिति में इसके विपरीत होगा। इस ढांचे को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$$t_i = (e - By_n) + \beta(y_n - y_i) + \text{resi for a State where } \text{resi} > 0,$$

जबकि t_i राज्य सरकार के लिए प्रति व्यक्ति अनुशंसित अंतरण को दर्शाता है; $(e - By_n)$ (मानते हुए कि $e > By_n$) वर्टिकल घटक का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रति व्यक्ति व्यय मानदंड के आधार पर e को स्थिर माना गया है, B औसत कर प्रयास, और y_n सर्वाधिक आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमता की ओर संकेत करता है; $B(y_n - y_i)$ वांछित होरिजेंटल घटक का प्रतिनिधित्व करता है; और resi विशेष आवश्यकताओं के लिए अवशिष्ट अंतरण की ओर संकेत करता है।

राज्यों का कुल अंतरण संबंधित राज्यों की जनसंख्या के अनुसार अंतरणों की प्रति व्यक्ति घटक की पैमाइश करके निकाला गया है। कुल अंतरणों में तीन घटकों के सापेक्षिक अंशों का विश्लेषण दर्शाता है कि वास्तविक समकरण अंतरण का हिस्सा सबसे कम निकाला गया है और दसवें वित्त आयोग के मामले में वर्टिकल घटक सबसे अधिक है। इसके विपरीत, वर्टिकल घटक ग्यारहवें वित्त द्वारा अनुशंसित कुल अंतरणों का केवल 43.7 प्रतिशत है, जबकि समकरण घटक का हिस्सा सर्वाधिक था। परिणाम के रूप में, समकरण की मात्रा अर्थात् समकरण के लिए आवश्यक राशि हेतु वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित समकरण अंतरण की वास्तविक राशि का अनुपात ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में सर्वाधिक रहा। यद्यपि बारहवें वित्त आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर समकरण दृष्टिकोण पर बल दिया, समकरण की मात्रा ग्यारहवें वित्त आयोग¹⁹ की अवधि की तुलना में बारहवें वित्त आयोग की अवधि में कम अनुमानित की गयी है। समकरण की मात्रा के तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरणों के अंतर्गत और कम होने का अनुमान लगाया गया है। दसवें वित्त आयोग से लगाकर विभिन्न वित्त आयोगों के अवशिष्ट घटकों का आकलन दर्शाता है कि अंतरणों का 13

प्रतिशत सामाजिक आवश्यकताओं (ग्यारहवें वित्त आयोग) के लिए प्रयोग किया गया जो मुख्य रूप से विशेष श्रेणी वाले राज्यों को दिया गया है। विशेष आवश्यकता अंतरणों का हिस्सा बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग के मामले में कम हुआ (सारणी क)। श्रीवास्तव (2010) के द्वारा हाल में किये गये अध्ययन में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरण योजना 90.5 प्रतिशत के वांछित स्तर की सीमा तक समकरण प्राप्त कर लेगी। तेरहवें वित्त आयोग की अंतरण योजना के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले समकरण की अनुमानित मात्रा में अंतर, मुख्य रूप से आवधिकता के अर्थ में, जीएसडीपी की मान्यताओं में अंतरों के कारण प्रतीत होता है। जबकि श्रीवास्तव (2010) ने औसत प्रति व्यक्ति तुलनीय जीएसडीपी को 2004-05 से 2006-07 के चालू मूल्यों पर माना है, 2005-06 बीच के स्थान पर है जिसे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा कराधार के लिए मैक्रो प्रोक्सी होने के लिए प्रयोग किया गया है, वर्तमान अभ्यास में 2005-06 से 2009-10 के दौरान इसका प्रयोग किया गया है (2009-10 के लिए अनुमानित जीएसडीपी के आधार पर जैसाकि अध्ययन V में वर्णित किया गया है)।

सारणी क: वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अंतरण: वर्टिकल और होरिजेंटल घटक

(करोड़ रुपए)

	10वां वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	13वां वित्त आयोग
कुल अंतरण	2,26,643	4,34,905	7,55,752	17,06,677
वार्षिक अंतरण	45,329	86,981	151,150	3,41,335
वर्टिकल अंतरण के लिए प्रयुक्त राशि	28,327	38,024	75,624	1,86,390
समकरण अंतरण के लिए राशि	13,301	37,856	63,388	1,39,064
लागत अंतर और विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त राशि	3,700	11,102	12,132	15,881
पूर्ण समकरण के लिए आवश्यक राशि	30,328	42,388	97,971	2,64,729
वर्टिकल अंतरणों का हिस्सा (%)	62.5	43.7	50.0	54.6
समकरण अंतरण का हिस्सा (%)	29.3	43.5	41.9	40.7
लागत अंतर और विशेष आवश्यकताओं के लिए अंतरणों का हिस्सा (%)	8.2	12.8	8.0	4.7
प्राप्त समकरण की मात्रा (%)	43.9	89.3	64.7	52.5

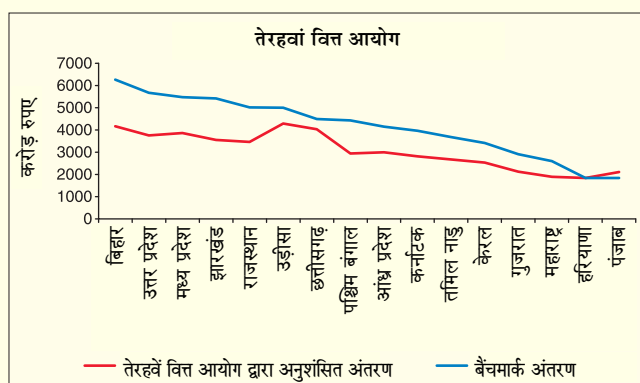
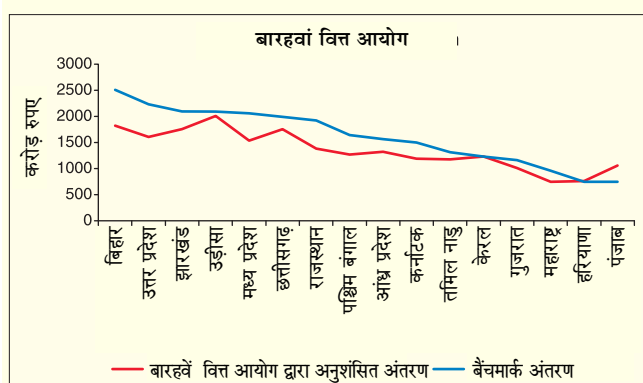
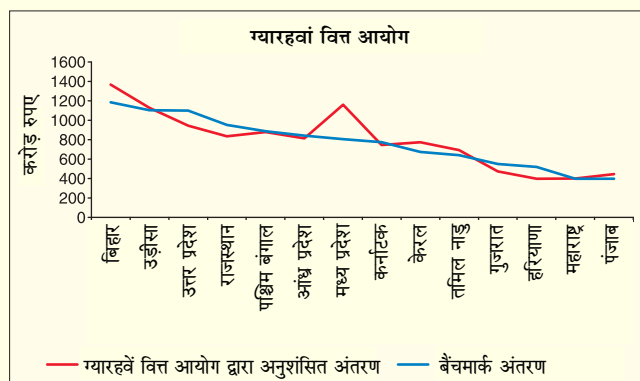
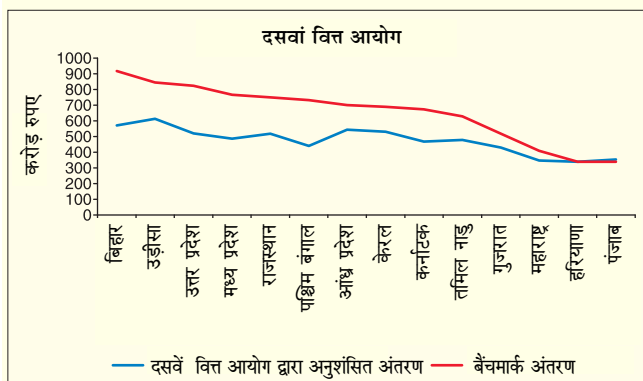
अनुशंसित और बेंचमार्क अंतरणों का राज्य-वार संवितरण दर्शाता है कि अनुशंसित समकरण अंतरण प्रणाली रहे हैं और उन्होंने सामान्य रूप से उसी पैटर्न का अनुगमन किया है कि वांछित समकरण अंतरण औसत कर जीएसडीपी अनुपात पर निर्धारित किया गया है। चार्ट क गोवा को छोड़कर विशेष से इतर श्रेणी वाले राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर के अनुसार राज्य-वार अनुशंसित बेंचमार्क अंतरणों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि उच्चतर प्रति व्यक्ति उत्पादन अंतर वाले राज्यों, सामान्य रूप में, उच्चतर प्रति व्यक्ति अंतरण प्राप्त किए और इसके विपरीत भी, जिससे होरिजेंटल समता का सिद्धांत पूरा होता है। विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसित और बेंचमार्क अंतरणों की तुलना में पुष्टि करती है कि ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में समकरण की मात्रा सर्वाधिक थी क्योंकि अनुशंसित और बेंचमार्क समकरण अंतरणों के बीच अंतर न्यूनतम था। जैसा कि रंगराजन और श्रीवास्तव (2008) के द्वारा पाया गया कि विशेष से इतर श्रेणी वाले राज्यों के तथ्यों से पता चलता है कि सामान्य रूप में अंतरणों के पैटर्न ने एक समकरण दृष्टिकोण अपनाया है न कि अंतर-पूरक दृष्टिकोण। उन्होंने यह भी पाया कि विशेष वर्ग के सभी राज्यों (असम को छोड़कर) ने लागत अक्षमता और विशेष वर्ग के सभी राज्यों (असम को छोड़कर) ने लागत अक्षमता और विशेष आवश्यकता अवधारणाओं के अंतर्गत काफी अधिक अंतरण प्राप्त किये (विवरण 49 से 52 तक)।

जारी...

¹⁹ यह आकलन रंगराजन और श्रीवास्तव (2008) से मुख्य रूप से इस कारण भिन्न है क्योंकि वर्तमान अभ्यास में जीएसडीपी की तुलना में अनुपात के रूप में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (y_i) और स्वरु राजस्व की गणना (B) 2000-05 के जीएसडीपी पर नवीनतम आंकड़ों का प्रयोग करके की गई है जबकि उन्होंने 1999-00 से 2001-02 के लिए जीएसडीपी का प्रयोग किया।

समाप्त

चार्ट क: प्रति व्यक्ति बैचमार्क की तुलना और वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अंतरण: विशेष से इतर श्रेणी वाले राज्य



संदर्भ:

भारत सरकार, वित्त आयोग रिपोर्ट (10वें वित्त आयोग से 13वां वित्त आयोग)।
रंगराजन, सी. और डी.के. श्रीवास्तव (2008), रिफोर्मिंग इंडियाज फिस्कल ट्रान्सफर सिस्टम: रिजोल्विंग वर्टिकल और होरिजोन्टल इम्बेलेन्स, *मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स*,

वर्किंग पेपर सं.31/2008।

श्रीवास्तव डी.के. (2010), वर्टिकल शेयरिंग एंड होरिजोन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज: दि इक्विटी एंड इफीसियेंसी ट्रेड ऑफ, *इकोनॉमिक पालिटिकल वीकली*, वाल्यूम XLV, सं.48, 27 नवंबर।

निहित पुर्नवितरण की मात्रा काफी अधिक है। राज्यों के बीच आय असमानता काफी अधिक होने के कारण (2005-10 के दौरान सबसे धनी राज्यों का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी नौ गुना अधिक था), छठवें वित्त आयोग से, समानता सापेक्षिक राजकोषीय आवश्यकताओं के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक रही है। जैसाकि रंगराजन और श्रीवास्तव (2008) ने पाया कि विभिन्न विशेषताओं²⁰ को देखते हुए इन निष्कर्षों की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

6. निष्कर्ष

7.50 अंत में, वित्त आयोगों ने भारत में अंतर सरकारी राजकोषीय संबंधों में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। उपर्युक्त चर्चा से जो मुख्य बिन्दु उभरे हैं उनको सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: (i), यद्यपि संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगमों के संवितरण तथा राजस्व की अनुदान सहायता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत परिभाषित करने के संबंध में वित्त आयोगों के मूल कार्य व्यापक रूप से अपरिवर्तित

²⁰ एक, समकरण बैचमार्क की गणना औसत कर प्रयास का प्रयोग करते हुए राजस्व पक्ष दृष्टिकोण के साथ की जाती है जबकि व्यय पक्ष के प्रतिफलों को छोड़ दिया जाता है। दो, राजकोषीय क्षमता की गणना जीएसडीपी के अर्थ में उपलब्ध राजस्व आधार के अनुसार की जाती है। तीन, गोवा को छोड़कर, राज्यों के बीच सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को बैचमार्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। चार, समकरण बैचमार्क में कमी को समान रूप से भारत किया जाता है। समकरण अंतरण में कमी वाले कम प्रति व्यक्ति आय के राज्यों को उच्च भारांक दिए जाने की जरूरत है।

रहे हैं, वित्त आयोगों की भूमिका काफी अधिक बढ़ी है क्योंकि आर्थिक और राजनैतिक वातावरण में नई चुनौतियां समय-समय पर सामने आई हैं; (ii) अनुदान संवितरण के लिए संवितरण मानदंडों तथा सिद्धांतों को परिभाषित करते समय वित्त आयोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है जिसमें राज्यों से संबंधित मुद्दों और चिंताओं पर फोकस किया गया है; (iii) विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा अंतरणों की अपनी योजना में राज्य/क्षेत्र विशिष्ट सामाजिक आर्थिक अंतरों को शामिल करने के

लिए किए गए प्रयासों के बावजूद, होरीजेंटल समता पर वित्त आयोग के अंतरण का प्रभाव कुछ कम रहा है क्योंकि समकरण के लिए अंतरणों के वास्तविक और वांछित स्तर के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है; (iv) सिफारिश किए गए अंतरण प्रणाली रहे हैं क्योंकि सामान्य रूप से होरीजेंटल इक्विटी सिद्धांत अपनाया गया है और कम प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों का अन्यो की तुलना में प्रति व्यक्ति हिस्सा अधिक है तथा इसके विपर्यय भी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
1. आंध्र प्रदेश	- कृषि के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति का समय बढ़ाकर 7 से 9 घंटे करना। - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एसएचजी सदस्य के रूप में 18 वर्षों से अधिक समय तक रही महिलाओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंशदायी पेंशन (डॉ.वाइएसआर अभय हस्तम योजना) शुरू करना। - एड्स मरीजों के लिए पेंशन योजना के लिए 2010-11 के बजट में 1,932 करोड़ रुपये का प्रावधान। - शिक्षा योजनाएं लागू करना (सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत मिशन 2012 नामक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना)।	- भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 3,000 “छोटे” सिंचायी टैंकों की बहाली का प्रस्ताव। - पीपीपी मोड के तहत पुल निर्माण (गोदावरी नदी पर दूसरा पुल) और सड़क निर्माण (भारत सरकार के वाएबिलिटी गैप निधीयन के तहत 3,083 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 520 किमी की लंबाई की तीन और सड़कें) बनाना। - विजयवाड़ा और विशाखापटनम शहरों में जेएनएनयूआरएम के तहत बस रॉपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) लागू करना।	2010-11 में 312 करोड़ रुपये के प्रावधान के माध्यम से पीएमआरवाई, राजीव युवा शक्ति योजना के तहत बुनकर सहकारी समितियों और व्यक्तिगत बुनकरों को स्वीकृत ऋणों की एक बारगी माफी। - राज्य के नौवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 39 प्रतिशत के फिटमेंट लाभ की अनुमति दी गयी।	सभी जिलों/मंडलों को कवर करते हुये ग्रामीण नागरिकों को सभी सरकारी और मूल्य वर्धित सेवाएं वहनीय लागत पर उनके द्वार पर समन्वित पद्धति से उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 4,687 आइसीटी समर्थित केंद्रों की स्थापना।
2. अरुणाचल प्रदेश	- उन नागरिकों को हृदय, यकृत, गुर्दे संबंधी टर्मिनल बीमारियों और कैंसर के लिये 25,000 रुपये तक की सहायता जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही उनके परिवार के सदस्य हैं। 15 करोड़ रुपये के व्यय से संवेदनशील स्थानों में पीडीएस गोदामों का निर्माण। - खाद्यान्न की हानि रोकने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त स्टोरेज गोदामों का निर्माण।	- सीसीटीवी कैमरे लगाकर और सीमा जांच द्वारों पर इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज बनाकर कर और उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा लिकेजों को रोकना। - खजानों का कंप्यूटरीकरण, करों का ई-भुगतान आदि। - यूआइडी परियोजना के लिए बजट प्रावधान और राज्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार। - एसएचजी को सस्ते बैंक-ऋण के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी।	- पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिये 2010-11 के दौरान 25 करोड़ रुपये का आबंटन। - तंबाकू और सहायक उत्पादों पर वेंट की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना।	
3. असम	आवश्यक पण्यों के मूल्यों में असामान्य वृद्धि से निपटने के लिए पीडीएस को सुसंगत करने, दंडात्मक कार्रवाई सहित संभाव्य उपाय करने का प्रस्ताव।	किसान क्लब बनाने का प्रस्ताव और सूचना प्रसार, अनुभव बांटने आदि के लिए एक्सपोजर विजिट देना।	असम वेतन आयोग 2008 की सिफारिशें लागू करना जिससे 4,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय दायित्व की अपेक्षा है।	चौथे असम राज्य वित्त आयोग का गठन (प्रारंभ के लिये अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2011 से)।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- पीडीएस प्रभावी रूप से लागू करने के लिये “असम राज्य नागरी आपूर्ति निगम” के गठन का निर्णय। 13 लाख परिवारों को 6 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रति माह 10 कि.ग्रा.चावल की आपूर्ति के लिये एक नयी योजना के तहत बीपीएल लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। - राज्य के नदी के तटीय क्षेत्रों में 50 नये अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। - ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिये 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को निर्धारित करना। - बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक संकुल, उत्तर-पूर्वी ट्रायबल म्युजियम और सांस्कृतिक केंद्र, सिनेमा नगरी आदि बनाना। - मुंबई के एसएनडीटी विश्वविद्यालय की तर्ज पर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना।	- राज्य मत्स्य व्यवसाय प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव। 200 करोड़ रुपये के व्यय से “रोजगार उत्पादक विशेष कार्यक्रम” लागू करना। - चाय आदिवासी युवकों की व्यापार और गतिविधि-वार कुशलता पहचानकर उनकी कुशलता बढ़ाने के लिये उन्हें उपकरणों के किट का सेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। - रोजगार उत्पत्ति की सुगमता के लिये प्रत्येक गांव में व्यक्ति-स्तरीय उद्यमों का गठन प्रस्तावित। 25,000 रुपये तक के पूंजी निवेश के लिये सावधी ऋण और 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिये बुनकरों और रेशम-कीड़े पालकों को 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव। - फसल ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।	- एसपीएसयू के लिये वेतन संसोधन समिति का गठन। - असम मोटर वाहन कर अनुसूची को युक्तियुक्त बनाना। - सरकार के सक्रिय विचार के तहत असम यात्री माल कराधान अधिनियम 1962 के तहत करों के एकमुश्त दर में संशोधन। 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से उत्पाद शुल्क राजस्व बढ़ाने के लिये शुल्क ढांचे और लाइसेंस शुल्क को युक्तियुक्त करना। - खाद्य मदों के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये चीनी पर 1 प्रतिशत और मछली तथा अंडों पर 4 प्रतिशत का वर्तमान प्रवेश कर हटाना। - चाय पर प्रवेश कर समाप्त करना, सीनेमा गृह में प्रवेश के लिये किये जाने वाले भुगतान पर मनोरंजन कर की दर कम करना। - एक्स-रे फिल्मों और अन्य डायग्नोस्टिक्स फिल्मों पर वॉट कम करके 5 प्रतिशत करना, दैनिक उपयोग की मदों, नामतः प्रेशर कूकर पर 13 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करना, लीज लेनदेनों और पकायी हुयी खाद्य मदों, प्लेटों, कांटा-चम्मच, ब्लैक बोर्ड और सजावटी प्लायवुड पर 13.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करना।	
4. बिहार	जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर “मॉडल पाठशाला योजना” के तहत मॉडल पाठशालाओं की स्थापना।	ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के लिये 2010-11 के दौरान 900 करोड़ रुपये का प्रावधान।	किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से लिये गये ऋणों पर किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान।	नये भर्ती हुए शिक्षकों (जिनका वेतन निर्धारित है) के वेतन में 1000 रुपया प्रति माह की वृद्धि।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- राज्य में शैक्षिक बुनियादी सुविधा के विकास के लिये “शैक्षिक बुनियादी सुविधा विकास निगम” की स्थापना करना। 30 जिलों में कुपोषित बच्चों और माताओं के लिये स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं, देहातों में गर्भवती महिलाओं के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मुफ्त एंबुलेंस सेवा की सुविधा। - पर्यटन विभाग के लिये 49 योजनाओं की शुरुआत जिनका निधीयन केंद्र और राज्य सरकार करेगी।	- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में 848 करोड़ रुपये के व्यय से 35 बाढ़ सुरक्षा योजनाएं लागू की जायेंगी। 2000 तक की जनसंख्या वाले देहातों में “शाखा रहित बैंकिंग” और “कारोबार संपर्की, और प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों” के माध्यम से सप्ताह में कम-से-कम एक दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी और पारदर्शी रूप से लागू करने के लिये बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर ई-मस्टर रोल।	- राज्य विद्युत बोर्ड की संसाधन कमी के संबंध में 2010-11 के बजट में 1,080 करोड़ रुपये का प्रावधान। - राज्य के भीतर 40 लाख रुपये के पण्यावर्त वाले व्यापारियों के लिये एकमुश्त 10,000 रुपये की “छोटे व्यापारी कर योजना” नामक नयी योजना। - कांसा धातु कारागिरों के लिये कर में छूट। 40 लाख रुपये से अधिक के पण्यावर्त वाले व्यापारियों के लिये अनिवार्य ई-भुगतान और ई-विवरण। - प्रवेश कर दर को वॉट दर के संगत बनाने का प्रस्ताव। - उद्योगों के लिए कच्चे माल पर प्रवेश कर छूट	- कॉमन सेवा केंद्र, नॉलेज सिटी और राज्य डाटा केंद्र जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहलें लागू की जायेंगी। - जाली स्टैंपों की बिक्री रोकना और स्टैम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क संग्रह में सुधार करना। “भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि.” के माध्यम से “ई-स्टैम्पिंग”। “बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग” के तहत “रिफार्म सपोर्ट यूनिट” और “कर अनुसंधान इकाई और प्रशिक्षण कक्ष” का गठन।
5. छत्तीसगढ़	- राज्य के उद्योगों में रोजगार अवसरों के लिए पांच पॉलिटेक्निक्स और “स्किल विकास मिशन” की स्थापना। - एससी/एसटी के छात्रों के लिये 113 होस्टल और 23 आश्रम बांधने के लिये 84.86 करोड़ रुपये का प्रावधान। - एससी/एसटी के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये 15 लाख रुपये के “मार्जिन मनी ग्रांट” की योजना। 2010-11 में पांच सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 300 उप-केंद्र और 4 सरकारी नर्सिंग पाठशालायें खोलकर चिकित्सा सुविधा और शिक्षा का विस्तार।	- हवाई सेवा के विकास के लिये दो नये रनवे और एक हेलीपैड। - लघु उद्योगों के उत्पादन पर राज्य प्रवेश कर से छूट।	पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य के निवल राजस्व का 4.79 प्रतिशत और साथ ही निवल संग्रहित मनोरंजन कर का एक-तिहाई भाग पंचायती संस्थाओं को अंतरित करने का प्रस्ताव। - कुछ आवश्यक दैनिक उपयोग की मदों (केरोसिन स्टोव, खाद्यान्न, पकाये हुए खाद्य और दलहन आदि) पर वॉट में कटौती/छूट। 5 एकर भूमि तक किसानों को भूमि की चकबंदी के लिये स्टैम्प शुल्क से छूट।	
6. गोआ	“गोआ इंस्ट्रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स” और सरकारी वाणिज्य और अर्थशास्त्र महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव।	“संविदा कृषि अधिनियम” अधिनियमित करके बंजर भूमि को जुताई के तहत लाने का प्रस्ताव।	जुताई न की गयी और बंजर भूमि पर भू-राजस्व की दर में 200 प्रतिशत तक वृद्धि।	खाद्य प्रसंस्करण के लिये कार्य दल का गठन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये योजना बनाना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- राज्य की संपूर्ण निवासी जनसंख्या के लिये “स्वर्णजयंती आरोग्य बीमा” नामक बीमा पॉलिसी योजना के माध्यम से बीमा सुरक्षा का प्रस्ताव। - राज्य के लिये एक समग्र “आवास और निवास नीति” बनाने के लिये पेशेवरों का दल बनाने का प्रस्ताव।	- सोलार पॉवर बैटरी पर सब्सिडी का प्रावधान। - भूमि के मालिकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना कि वे अपनी भूमि को उत्पादक उपयोग में लायें। “गोआ वेंचर कैपिटल फंड” का गठन करना। - लघु और व्यक्ति उद्यम की स्थापना के लिये मात्र महिलाओं के लिये उद्यमी विकास कार्यक्रम। - गोआ के हस्तशिल्प के कारागिरों को प्रोत्साहन देने के लिये गोआ हाथ-कम-शिल्पग्राम, नया एम्पोरियम और हस्तशिल्प की वस्तुओं को वैश्विक आधार पर बेचने के लिये ई-पोर्टल की स्थापना करना। - पूरी तरह से पीपीपी आधार पर गोआ-मुंबई, गोआ-करवार के बीच फेरी/कूज सेवा चलाकर पर्यटकों के आगमन को बढ़ाना।	- सभी श्रेणियों के होटलों/रिसॉर्टों के कमरों के किराये पर 5 प्रतिशत उप-कर लगाने का प्रस्ताव। - मदिरा की खुदरा बिक्री के लिये लाइसेंस शुल्क का स्वरूप और साथ ही उत्पाद शुल्क के स्वरूप को युक्तियुक्त बनाना।	- स्थानीय आइटी प्रतिभा को बढ़ावा देने और इसे उद्यमशील पद्धति से मार्गबद्ध करने के लिये “गोआ आइटी ज्ञान केंद्र” की स्थापना करना। - पूँजी का 50 प्रतिशत अंशदान करने वाले एसएचजी के सदस्यों के लिये 50 प्रतिशत का एकबारगी अनुदान और “प्रारंभिक पूँजी” के रूप में अधिकतम 50,000 रुपये तक सहायता। “बुनियादी सुविधा निधि” स्थापित करके पीपीपी परियोजनाओं को प्रोत्साहन और सहायता देना। 44 करोड़ रुपये की मूल निधि की सहायता से “वाएबिलिटी गैप फंड” की स्थापना का प्रस्ताव।
7. गुजरात	- राज्य के 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिये शिक्षा का लाभ सुनिश्चित करने के लिये “सरस्वती यात्रा” शुरू करना। - उच्च शिक्षा के 14 नये सरकारी महाविद्यालयों का निर्माण। - आंगनवाड़ियों के रूप में 3300 नंद घर बनाना। “स्वर्णिम गुजरात मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना” नामक एक नयी योजना के तहत शहरी बुनियादी सुविधा और आवास की बेहतर व्यवस्था।	- कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिये 30 भू-जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना। - वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी और जिला सहकारी बैंकों के लिये बजट प्रावधान। - रोक-बांधों, तालाबों को गहरा करने और साथ ही सिंचायी परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये 541.99 करोड़ रुपये का प्रावधान।	जमीनी स्तर पर कार्य निष्पादन सुधारने के लिये राजस्व कार्य करने के लिये एक अलग संवर्ग के रूप में 1,800 तलाठियों की भर्ती।	विकास और वातावरण के बीच संतुलन बनाये रखने के लिये एक अलग मौसम परिवर्तन विभाग की स्थापना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	गेहूँ और चावल वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये 133 करोड़ रुपये का बजट आबंटन।	- जिलों में मौजूदा सड़कों को सुधार कर और गुजरात के बंदरगाहों, विशेष आर्थिक झोनों और विशेष निवेश क्षेत्रों को जोड़ते हुये सड़कें बनाकर गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव। - राज्य के दूर-दराज के देहातों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये 2,000 नयी बसें खरीदने के लिये 311 करोड़ रुपये की सहायता।		
8. हरियाणा	164.06 करोड़ रुपये के आबंटन से कौशल विकास की अनेक सुविधायें शुरू करना और लोगों को साधन संपन्न करना ताकि वे औद्योगीकरण के लाभ प्राप्त कर सकें। 2010-11 के दौरान 500 करोड़ रुपये के व्यय से शहरी गरीबों के लिये किफायती आवास पर फोकस करते हुये राजीव गांधी शहरी विकास मिशन शुरू करने का प्रस्ताव। - भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।	- पीपीपी दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने का प्रस्ताव जैसे कि तृतीय स्तरीय स्वास्थ्य केयर वहनीय लागत पर उपलब्ध कराना। - राज्य में पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा बनाकर मार्ग विस्तार करना। - विचार करने, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, रखरखाव और पीपीपी परियोजनाओं के परिचालन के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में हरियाणा बुनियादी सुविधा विकास बोर्ड के अलावा प्रमुख बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के कार्य के लिये एक विशेष प्रयोजन संस्था की स्थापना की योजना।	- वॉट पर छोटा अधिभार लगाना और शहरी स्थानीय निकायों के लिये संग्रहन का 80 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों के लिये 20 प्रतिशत निर्धारित करना। - जिला अस्पताल का उन्नयन, नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति स्वच्छता सुविधाओं में सुधार, समाज के सुविधा से वंचित लोगों के लिये विशेष केयर संस्थाओं की स्थापना जैसे विभिन्न कार्यों के लिये आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज।	ई-गवर्नंस पहलों के सुगम कार्यान्वयन और स्थिरता के लिये आइटी पेशेवरों का संवर्ग तैयार करना।
9. हिमाचल प्रदेश	3 दालों, 2 खाद्य तेलों और नमक पर राज्य सब्सिडी योजना लागू करने का प्रस्ताव। - शिमला जिले के दो प्रखंडों में पीडीएस के तहत बेहतर ध्यान देने के लिये बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड लागू करना।	- जैव कृषि और जल संरक्षण पर विशेष फोकस के साथ फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये 372 करोड़ रुपये की योजना लागू करने का प्रस्ताव। - पर्यटन को वर्ष भर की गतिविधि बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा	- इस समय 4 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने वाली मदों पर 5 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जायेगा। - खाद्य तेल और खाद्यान्नों पर वॉट की दर में वृद्धि नहीं। - उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले माल और प्रमुख उद्योगों के लिये	अद्यतन सर्वेक्षण तकनीक अपनाकर रेकार्ड के कंप्यूटरीकरण और कॅडेस्ट्रल नक्शों के डिजिटाइजेशन पर अधिक ध्यान देकर और पंजीयन कार्य के कंप्यूटरीकरण से राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• बीपीएल परिवारों के लिये “बेटी है अनमोल” योजना शुरू करने और उसके जन्म के समय डाक कार्यालय में उसके नाम से 5,100 रुपये जमा करने का प्रस्ताव। • बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया जायेगा।	देने के लिये “अविस्मरणीय हिमाचल ब्रांड” नामक दीर्घकालिक मास्टर प्लान लागू करना।	आयात किये जाने वाले माल, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, आदि से अधिक राजस्व संग्रह करने की दृष्टि से स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 शुरू करने का प्रस्ताव।	
10. जम्मू और कश्मीर	• हस्तशिल्प कारागिरों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रीमियम पर 50 से 75 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान। • यदि किसी परिवार के महिला सदस्य के नाम पर भूमि खरीदी जाती है तो प्रभार्य स्टैम्प शुल्क पर 25 प्रतिशत की छूट देकर महिला सबलीकरण।	• राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये निजी क्षेत्र, बुनियादी सुविधा का विकास और प्रचार की पहलों को वित्तीय प्रोत्साहन। • कॉमन वेल्थ गेम्स और अन्य त्यौहारों के अवसरों के दौरान व्यापक मार्केटिंग अभियान चलाना ताकि शिल्प और हस्तशिल्प के छोटे व्यापारी अपना स्टॉक क्लियर कर सकें। • एक नयी व्यापार नीति बनायी जा रही है। • जम्मू और कश्मीर बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पांच ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शेष सभी जिलों को ऐसी संस्थाओं से 2011-12 में कवर करने का प्रस्ताव है।	• तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने और सभी संबंधित मदों पर व्यय में प्रगति की निरानी के लिये उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति। • सरकारी क्षेत्र में निकट भविष्य में विनिवेश प्रक्रिया शुरू की जायेगी। • 2010-11 में एसएसआइ के लिये कच्चे माल और तैयार माल पर वॉट से छूट। • जीवनाशकों, घासफूसनाशकों और कीटनाशकों (कृषि, बागवानी और संबंधित क्षेत्रों के लिये आवश्यक रोग नियंत्रण मदें) पर टोल कर समाप्ति का प्रस्ताव।	• बेहतर कर प्रशासन और सुगम अनुपालन के दो लक्ष्यों के लिये समिति की स्थापना करना।
11. झारखंड	• “सर्व शिक्षा अभियान” के तहत राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान पर बल।	• जमशेदपुर और रांची में “शहरी हाट” शुरू करके ग्रामीण उत्पादों को मार्केटिंग सहायता देकर और अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।	• डीजेल पर वॉट 20 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत करना। • चावल, गेहूं, प्याज, साबूदाना, आदि जैसे आवश्यक पण्यों पर वॉट से छूट। • कर और करेतर राजस्व संग्रह के लिये प्रभावी आइटी हस्तक्षेप।	

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
12. कर्नाटक	2010 से आगे प्रत्येक बच्चे के लिये कम-से-कम दसवीं तक अनिवार्य शिक्षा। - प्रतिवर्ष 3 से 5 लाख शिक्षित पुरुषों और महिलाओं के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराकर कौशल विकास का बड़ा अभियान चलाना। - बड़े, मध्यम और छोटे कस्बों के योजनाबद्ध विकास के लिये शहर विकास अभियान के लिये प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। - मेट्रो रेल, मोनो रेल और अच्छी सड़कों के विकास के माध्यम से बंगलुरु शहर में परिवहन प्रणाली सुधारने का प्रस्ताव। - राज्य के सभी भागों में जल और जल निकासी सुविधा के लिये आगामी तीन वर्षों में लगभग 18,872 करोड़ रुपये का निवेश। - मलनाड क्षेत्र के विशेष पौधों और फसलों के अध्ययन और अनुसंधान के लिये शिमोगा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।	- रोक-बांध और बांधारों के रूप में जल-संवर्धन ढांचे उपलब्ध कराकर राज्य के सूखी भूमी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। - कृषि और बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग के लिये वैज्ञानिक प्रणाली उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिले में कृषि उत्पाद विनिमय की स्थापना। - सुवर्ण ग्रामोदय कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपये तक व्यय करके प्रति वर्ष 1,000 देहातों का समग्र विकास। - आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराकर और प्रत्येक जिले में छोटे और मझौले उद्योग स्थापित करके औद्योगिक इस्टेट्स विकसित करना। - वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से सहकारी ऋण संस्थाओं और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 600 करोड़ रुपये की नयी पूंजी उपलब्ध कराना।	- सरकारी उपक्रमों में विनिवेश। - मशीनरी और उपकरण छोड़कर अन्य सामान के परिवहन में 16 टन से अधिक भार के वाहनों की प्रत्येक खेप पर 500 रुपये का टोल लगाने का प्रस्ताव। - गेहूँ, चावल और दलहन जैसी खाद्य मदों पर वॉट से छूट। - कुछ मदों पर वॉट की दर 12.5 से कम करके 5 प्रतिशत करना। - तंबाकू पर वॉट की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.0 प्रतिशत करना। - कुछ श्रेणियों के होटल के कमरों पर विलासिता कर की दर 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत करना। - शेयरो/डिबेंचरों और अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियों संबंधी करारपत्रों पर स्टैम्प शुल्क 200 रुपये से कम करके 50 रुपया करना।	- बंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप 12,000 एकर के क्षेत्र में विशेष आर्थिक झोन की स्थापना। - सात शहरी निगमों, 44 शहरी नगर परिषदों, 94 टाउन नगर परिषदों और 68 टाउन पंचायतों के सुधार के लिये मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना।
13. केरल	- एनआरईजीएस के तहत न्यूनतम 50 दिन कार्य कर चुके परिवारों को 2 रुपया प्रति किलो की दर से चावल देने का प्रावधान। - केरल राज्य वित्तीय उद्यम कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू करना। - उद्यमशीलता और प्रबंधन अध्ययन में प्रशिक्षण के लिये केरल रिटेल प्रबंधन संस्था की	100 करोड़ रुपये की कुल लागत से दो वर्षों में 10 करोड़ पेड़ लगाने के उद्देश्य से मकानों के आसपास बागों की भूमि में जैव-विविधता के पोषण की समग्र योजना। 2010-11 में पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।	- आयातित चीनी को कर से छूट देना। - अनेक मदों पर कर की दर 12 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना 5000 तक के कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों को विलासिता कर से छूट देने का प्रस्ताव। - आवास निर्माण के लिये 5 सेंट से अनधिक भूमि अधिग्रहित	- सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं में अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा। - ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के तहत एक अलग ऊर्जा कुशलता कंपनी की स्थापना। - केरल वित्तीय निगम का सिडबी से अलग एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में उन्नयन करना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	स्थापना का प्रस्ताव जो कि भारत में इस प्रकार की पहली संस्था होगी।	- कॉयर, हस्तवस्त्र, बांस और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र में आय सहायक योजना शुरू करना। - जल और रेल यातायात, राष्ट्रीय जलमार्ग निर्माण और फीडर कॅनल नवीकरण का प्रस्ताव। - अति तेज रेल कारिडोर के अध्ययन और शुरूआत के लिए कंपनी की स्थापना। - कॉयर उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की मूल्य स्थिरीकरण निधि। 1,600 करोड़ रुपये के इलाथुर - पोन्ननी बीच पर्यटन मार्ग का बीओटी मोड पर निर्माण।	करने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक सदस्य को स्टैम्प शुल्क के भुगतान से छूट। - स्टैम्प शुल्क, अधिभार और पंजीयन शुल्क की लागू दर को निगम क्षेत्र में 15.5 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत करना; नगरपालिका/टाउनशीप/कंटोनमेंट क्षेत्र में 14.5 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करना; और ग्राम पंचायत में 12 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत करना। - ऑटोरिक्षा के लिये वार्षिक कर के बजाय 2,000 रुपये का एकमुश्त मोटर वाहन कर। - प्रोत्साहन पैकेज के तहत लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कार्य करना।	स्थानीय स्व-सरकारी विभाग में सामाजिक लेखा परीक्षा कक्ष की स्थापना।
14. मध्य प्रदेश	- सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित खाद्य कूपन प्रणाली लागू करके पीडीएस को मजबूत करना। - उच्च शिक्षा के लिये “डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप योजना” नामक नयी योजना शुरू करने का प्रस्ताव। “माँ सरस्वती उच्च शिक्षा बैंक ऋण गारंटी योजना” के तहत उच्च शिक्षा के लिये बैंकों से लिये गये शिक्षा ऋणों की गारंटी देना।	2010-11 के लिये 200 करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य के सभी देहातों में “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना” शुरू करने का प्रस्ताव। 2010-11 के दौरान बिजली उत्पादन की नयी योजनाएं और मौजूदा बिजली परियोजनाओं का आधुनिकीकरण। 2010-11 में 1.84 लाख हेक्टर के लिये अतिरिक्त सिंचाई।	“तीसरा राज्य वित्त आयोग” की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों के लिये 3,098 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव। - खाद्यान्न, दलहन, नमक, चीनी और कपड़ों पर वॅट में छूट। - ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये लोहे और इस्पात के उपयोग पर प्रवेश कर की दर 2 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत करना।	2010-11 में पीपीपी मॉडल पर कंप्यूटरीकृत समन्वित पूछताछ स्टेशन स्थापित करके प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाना।
15. महाराष्ट्र	विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिये 2,500 माध्यमिक पाठशालाओं में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना।	गायों के वितरण के लिये विदर्भ के 6 जिलों के लिये विशेष पैकेज।	खाद्यान्न और अन्य आवश्यक मर्दों के लिये कर राहत का प्रस्ताव।	बिक्री कर विभाग के कंप्यूटरीकरण और व्यापारियों आदि को अद्यतन आधुनिक सेवाएं देने का प्रस्ताव।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- शैक्षिक वर्ष 2010-11 से जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में 150 कनिष्ठ महाविद्यालयों को अनुमोदन। - राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष में विभिन्न धार्मिक स्थलों का विकास। - किसानों के लिये हृदय रोग, कैंसर, मस्तिष्क और स्पिनल कॉर्ड की सर्जरी, किडनी प्रत्यावर्तन और मूत्र मार्ग की सर्जरी, जल जाने और दुर्घटना के लिये राजीव गांधी नयी जीवनदायी योजना।	- समन्वित कृषि प्रणाली, दलहन मिशन, स्वच्छ कपास आंदोलन, भू-संवर्धन मिशन, किसानों का कौशल विकास, एसएचजी को बढ़ावा देना और किसानों का सशक्तीकरण ताकि उनका खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सके और अल्प भू-धारकों की आय बढ़ सके। - दोंडाइचा में 1,320 मेगा वॉट और धोपावे में 1,600 मेगा वॉट की नयी विद्युत परियोजनायें। - कृषि उद्योगों और औद्योगिक विकास के केंद्र बिंदु के रूप में मुंबई-पुणे-नाशिक-औरंगाबाद के स्वर्णिम चतुःमार्गों की नीति। - अगले पांच वर्षों में नदी जल सफाई कार्यक्रम। - गोदावरी नदी पर बांध सहित 100 परियोजनायें पूरी करने का प्रस्ताव। 2010-11 के दौरान राजीव गांधी सी-लिक के अगले चरण की शुरुआत। 8,500 करोड़ रुपये की लागत से शिवड़ी-न्हावा-शेवा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक चार वर्ष में बनाने का निर्णय।	- डॉ. पंजाबराव देशमुख फसल प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिसमें 50,000 रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर शून्य होगी। - कृषि कामगारों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 100 रुपये से 120 रुपये के दायरे में लाने के लिये संशोधन। - बैटरी और सोलार एनर्जी पर चलने वाले वाहनों पर कर 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। - प्रति कमरा 750 रुपये प्रतिदिन के किराये वाले छोटे होटलों और लॉजों को विलासिता कर में राहत। - वॉट अधिनियम में संशोधन करके लेन-देन वार आकलन की अनुमति देना, आंशिक धन वापसी कि अनुमति का प्रावधान। - मुंबई मोटर वाहन कर अधिनियम (1958) में संशोधन। - विलासिता कर व्यवसाय कर आदि की वसूली के लिये ई-सेवा का विस्तार।	- आय कर विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को प्रशिक्षित करने तथा अनुसाधान और कर वसूली विश्लेषण करने के लिये कर अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव। - राज्य के प्रत्येक जिले मंजिला सरकारी पुस्तकालय के उप-केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव। - अधिक जनसंख्या वाले देहातों को ग्राम विकास योजना बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधायें देने के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी।
16. मणिपुर	- थौबल, चंदेल, गिरीबाम और सेनापति में खेल संकुल का निर्माण। - मानव विकास संकेतक सुधारने के लिये सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिये 581.52 करोड़ रुपये का बजट विनिधान।	- सिंचाई, सड़के, विद्युत, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधा क्षेत्रों में किये गये व्यापक निवेश के परिणाम सुनिश्चित करने का प्रस्ताव। - स्थायी कृषि का संवर्धन, जीविका में सुधार और खाद्यान्न उत्पादन तथा	कर आधार बढ़ाने और साथ ही वॉट, मोटर वाहन कर, विद्युत प्रभार, स्टैम्प शुल्क, वन रॉयल्टि आदि की दरें बढ़ाने और युक्तियुक्त करने का प्रस्ताव।	

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		उत्पादकता बढ़ाने के लिये नवोन्मेषी झूम कृषि। राज्य में भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिये अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये 88.65 करोड़ रुपये का बजट विनिधान।		
17. मेघालय	- सुधारी हुई और कुशल पीडीएस, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और विनियामक उपाय लागू करके खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति के दोनों मामलों को संभालने के लिये बहुविध रणनीति। - सिविल अस्पताल, शिलांग में कैंसर विंग की स्थापना। - प्रणाली प्रबंधन, ई-स्वास्थ्य सेवा और जैव-चिकित्सा कचरा प्रबंधन पर ध्यान बढ़ाना। - पश्चिम और दक्षिण गारो पर्वतीय जिलों में विशेष रूप से महिलाओं की गतिविधियां शुरू करने के लिये वयस्क शिक्षा के लिये - "साक्षर भारत" नामक संशोधित कार्यक्रम।	- छोटे किसानों, विशेष रूप से बीपीएल परिवारों की ओर ऋण प्रवाह और आय उत्पादक गतिविधियां बढ़ाने के प्रयोजन से बैंक खाता खोलने के लिये प्रति परिवार 5,000 रुपये की सीड पूंजी देने की नयी योजना के प्रारंभिक चरण में 6000 परिवारों को कवर करना। 2010-11 के दौरान 176.35 करोड़ रुपये का उच्च योजना परिव्यय उपलब्ध कराकर कृषि और संबंधित कार्यों पर बल देना। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये राज्य योजना से 180 करोड़ रुपये का विनिधान। - विस्तारित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत, 2010-11 में 32 छोटी सिंचाई योजनाओं का कार्य।	- चूक की जोखिम से बचने के लिये चुनिंदा और प्राथमिकताप्राप्त योजनाओं के लिये गारंटी पर उच्चतम सीमा और साथ ही गारंटी शोधन निधि की स्थापना। अतिरिक्त राजस्व उत्पत्ति के लिये मर्चों पर वॉट दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना। - चारकोल के उत्पादकों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों पर शुल्क लगाने और राज्य से बाहर जाने वाले चारकोल के परेषण पर निर्यात परेषण पास शुल्क लगाने जैसे उपायों के माध्यम से वन विभाग की राजस्व वसूली बढ़ाने का प्रस्ताव। - काजू उत्पादकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये काजू पर कर की दर को 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना। - लाइसेंस शुल्क और अन्य उत्पाद प्रभारों में संशोधन जैसे राजस्व बढ़ाने वाले विभिन्न उपाय, मेघालय यात्री और माल कराधान अधिनियम के तहत कर की दरों में वृद्धि और कार्य संविदाओं पर कर की दर को युक्तियुक्त बनाना।	- वित्तीय क्षेत्र के सुधार की पहलों के रूप में, सभी खजानों को पूर्णतः स्वचालित किया जायेगा और इंटरनेट से उन्हें आपस में जोड़ा जायेगा और वे समन्वित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) का हिस्सा बनेंगे। 2010-11 में आईटी पार्क और राज्य डाटा केंद्र का विस्तार। - मेघालय विद्युत शुल्क अधिनियम और विलासिता (होटल तथा लॉजिंग गृह) पर मेघालय कर अधिनियम, 1991 में संशोधन।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
18. मिजोरम	- जनसंख्या गहनता कम करने के लिये एजवाल के आसपास सॉटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव। - खेल और युवाओं की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और खेल की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।	- नयी भूमि उपयोग नीति नामक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि कृषि और संबंधित कार्यों के लिये समन्वित कार्यक्रम है। - राज्य सरकार का पूरा डाटा स्टोर करने के लिये अगले 5 वर्षों में लागू करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नन्स योजना के तहत अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ राज्य डाटा केंद्र। - बिजली के उपयोग पर सब्सिडी में कटौती, विद्युत क्षेत्र और साथ ही इसके कंपनीकरण में पूंजी निवेश में वृद्धि।	2010-11 में गारंटी शोधन निधि में वृद्धि। - मोटर वाहनों पर करों में वृद्धि। - कर प्रशासन संबंधी मामलों को सुलझाना, उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास, क्षमता निर्माण और वसूली में सुधार। - भू-राजस्व, स्टैम्प और पंजीयन आदि की प्रक्रिया को सुसंगत बनाना।	
19. नागालैंड	- किसामा में द्वितीय विश्व युद्ध म्युजियम का कार्य पूरा करने के लिये कला और संस्कृति विभाग के लिये 6.36 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। - सैनिक स्कूल पुंग्लवा के बुनियादी सुविधा विकास जैसी परियोजनाओं की पूर्णता, निदेशालय भवन की पूर्णता, सामुदायकीकरण और मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिये 53.57 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।	- राज्य के सभी जिलों में उद्यमियों को सहायता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष 2010-11 को “उद्यमी वर्ष” घोषित किया गया। - किसानों को उच्च पैदावार के बीज और कृषि की मशीनरी तथा उपकरण सब्सिडीयुक्त दरों पर उपलब्ध कराना। - बागवानी उत्पादों की मार्केटिबिलिटी बढ़ाने के लिये दो प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना।	2010-11 में कोई भी नया कर नहीं। - मौजूदा दरों पर राजस्व की बेहतर वसूली पर बल।	- क्षमता निर्माण, भूमि के मुआवजे के भुगतान, क्षेत्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूरस्थ सेंसिंग केंद्र आदि की स्थापना के लिये 149.09 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। - बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना के लिये आवश्यक सहायता।
20. उड़ीसा	- बुनियादी सुविधा निर्माण करने और “मॉडल स्कूलों” की स्थापना का प्रस्ताव। - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये खाद्य सब्सिडी के लिये 910.43 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।	100 करोड़ रुपये के व्यय से भू-जल के उपयोग की नयी योजना का प्रस्ताव। - सिंचाई, पेय जल और भू-जल रिचार्ज के लिये मानसून के अंत में जल संरक्षण के लिये 1000 रोक-बांध बनाना।	2010-11 में मासिक व्यय योजना और तिमाही व्यय विनिधान के माध्यम से 10 मुख्य विभागों में नकदी प्रबंधन प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव। - डायरेक्ट-टू-होम सर्विस को कर की परिधि में लाने के लिये उड़ीसा मनोरंजन कर अधिनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव।	- उपयुक्त संस्थागत सुधार के लिये वार्षिक रखरखाव योजना बनाना। 2010-11 में कार्यों, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास तथा पंचायती राज विभागों के आउटकम बजट बनाने का प्रस्ताव।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
			व्यापारियों द्वारा विवरणी की ई-प्रस्तुति और सीमा जांच द्वारों का आधुनिकीकरण।	
21. पुदुच्चेरी	- एग्रि क्लिनिक स्थापित करने के लिये बेरोजगार कृषि स्नातकों को वित्तीय सहायता। - सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना। 2010-11 के दौरान बायो-मेट्रिक आधारित स्मार्ट रेशन कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव।	- कृषि और बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग स्थिति सुधारने के लिये नीलामी यार्डों, ग्रामीण गोदामों और विनियमित बाजार यार्ड बनाना। - एंबालम में 2010-11 में आइटीआइ की स्थापना का प्रस्ताव।	- सूक्ष्म कृषि के तहत कृषि कर रहे किसानों को ड्रिप सिंचाई की स्थापना और निविष्टि आदि की खरीद के लिये 100 प्रतिशत सब्सिडी देना। - बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिये वॉट 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना।	
22. पंजाब	- महिलाओं के पक्ष में अंतरित की जा रही संपत्ति पर स्टैम्प शुल्क 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत करना। - ज्ञान नगरी मोहाली को 70 एकर भूमि उपलब्ध कराने और प्रतिष्ठित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना के लिये 51 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव।	- राज्य के सभी जिलों के लिये जिला योजना आयोग की स्थापना करके “विकेंद्रिकृत योजना” की दिशा में पहल। - निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 97,623 करोड़ रुपये के निवेश वाली 342 मेगा परियोजनाओं को अनुमोदन।	- वातावरण परिवर्तन से आई चुनौतियों का सामना करने के लिये “ग्रीन पहलें” के लिये विद्युत शुल्क में 3 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी जिससे प्रति वर्ष 270 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। - सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये मनोरंजन कर 125 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करना और थिएटर (नाटक) को मनोरंजन कर से पूर्णतः मुक्त करना	
23. राजस्थान	2010-11 में 150 एंबुलेन्सों की खरीद, 500 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिये भवनों का निर्माण और जिला अस्पतालों में आइसीयू की स्थापना, आदि। - वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन में वृद्धि। - अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिये आइटीआइ, शिक्षावृत्ति और आवासों का निर्माण। - सहकारी आंदोलन सुदृढ़	2010-11 में 33 केवी के 320 जीएसएस और 20,000 देशी सोलार लाइट उपकरणों की स्थापना। - वन सुरक्षा के लिये 1,000 वन रक्षकों की भर्ती। - बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से “राजस्थान बुनियादी सुविधा विकास अधिनियम” का प्रस्ताव। - खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिये प्रत्येक जिले में	- राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम” की 10 प्रतिशत पूंजी के विनिवेश का प्रस्ताव। - मुद्रास्फीति के कारण दलहनों पर कर 1 प्रतिशत रखा जायेगा। - स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने के लिये पंजीयन शुल्क के साथ मोबाइल टावरों और यूजर प्रभागों का पंजीयन। - राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयानुसार वॉट 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना।	- राज्य में घरेलू नौकरों के लिये “घरेलू कामगार सुरक्षा अधिनियम” का प्रस्ताव। - राजस्व संग्रह की क्रियाविधि का सरलीकरण।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	करने के लिये “समग्र/समेकित सहकारी विकास योजना”। 2010-11 के दौरान कक्षा के 1,000 कमरों का निर्माण।	“मोबाइल जांच लैब” की स्थापना का प्रस्ताव।		
24. सिक्कीम	- सिक्कीम में 2015 तक पूर्ण गरीबी उन्मूलन के लिये नवोन्मेषी और सामाजिक रूप से संगत उपाय। - राज्य की राजधानी में 575 चारपाइयों वाले बहु-विशेषतायुक्त अस्पताल का निर्माण। - बच्चों को प्रभावित कर रहे कुपोषण को दूर करने के लिये मुख्यमंत्री अंत्योदय पौष्टिक आहार योजना के तहत प्रोटीनयुक्त अनुपूरक आहार का वितरण।	- किसानों को अतिरिक्त मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये चार जिलों में चार किसान बाजार और बीडीओ स्तर पर सोलह किसान बाजार। - भूमि को पूर्णतः जैविक बनाने, जैविक प्रमाणन, प्रतिस्पर्धी जैविक बाजार की पहचान करने और किफायती लागत पर बल। - हरित अभियान के अनुपूरन और पुनः बहाली के लिये स्वच्छ वायु अधिनियम, जल गुणवत्ता अधिनियम, वातावरण नीति अधिनियम, किटाणु नाशन अधिनियम और लुप्तप्राय जीव अधिनियम के लिये विधान का निर्माण।	राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन योजना के संदर्भ में योजनेतर व्यय कम करने के मामले और राजस्व संग्रह तथा ऋण प्रबंधन संबंधी मामलों को देखने के लिये प्राधिकरण का गठन।	विकेंद्रिकृत प्रशासन व्यवस्था के तहत बीडीओ को उनके कर्तव्य पूरे करने में सहायता देने के लिये प्रखंड विकास समिति का गठन।
25. तमिलनाडु	- सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिये शिक्षा शुल्क की समाप्ति। - उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडीयुक्त दर पर तूर दाल, उड़द दाल और पाम तेल जैसी आवश्यक खाद्य मदें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। - तूर दाल और पाम तेल आयात करके और साथ ही अन्य राज्यों से प्राप्त करके उनकी सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करना। 2010-11 में 2,000 माध्यमिक शालाओं को कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिये 50 करोड़ रुपये का आबंटन।	2010-11 में 609 करोड़ रुपये के बाढ़-संरक्षण के नये कार्य। - कंदूर नहर को 127.5 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णतः बहाल करने की योजना का प्रस्ताव। - विलुप्पुरम जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना। 284 करोड़ रुपये की लागत से कोयंबतुर के लिये पश्चिमी बाहरी रिंग रोड और 500 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई में अन्ना सलाई पर ग्रेड सेपरेटर से यातायात में भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान करना। - खादी कामगारों के कल्याण	- दलहन और चना, -दलहन और चने का आटा, खाद्य तेल, इमली, मिर्च, धनिया, हल्दी, हींग, सरसों और मसालों जैसी प्रमुख खाद्य मदों पर वॉट से छूट। - कुछ मदों पर वॉट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। 2010-11 से राज्य के अपने कर राजस्व से स्थानीय निकायों को निधि अंतरण 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।	2010-11 में 10,000 और स्व-सहायता समूहों का गठन। 2010-11 में 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किचन शेड के साथ 9,045 पोषक आहार केंद्रों की स्थापना करके बाल विकास की दिशा में पहल करना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	2010-11 में अल्पसंख्यक समुदाय के 12,500 उद्यमियों को 25 करोड़ रुपये के कारोबारी ऋण की स्वीकृति।	के लिये खादी कतायी और बुनायी कल्याण बोर्ड की स्थापना।		
26. त्रिपुरा	- पीडीएस को मजबूत करना और रेशन के पण्यों की आपूर्ति में निरंतरता बनाये रखना। - पीडीएस मदों को वहन करने वाले वाहनों के आवागमन/इन मदों की सुपुर्दगी अपराहन 4 बजे के बाद करने पर पाबंदी और रेशन के पण्यों की मासिक पात्रता का स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन। 2020 तक नयी शालाओं की स्थापना, सभी शालाओं के लिये पक्के भवन उपलब्ध कराना और सभी शालाओं में कंप्यूटर समर्थित शिक्षा देना और सभी उच्च माध्यमिक शालाओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। - कांचनपुर और अमरपुर में 100 नये स्वास्थ्य उप-केंद्रों और 100 चारपाइयों वाले उप-प्रभागीय अस्पतालों का निर्माण।	- आत्मनिर्भर बनने के लिये 2011-12 के अंत तक 8.61 लाख एमटी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखकर 2010-11 और 2011-12 की कार्य योजना बनाना। - आइटी मनुष्य बल के लिये रोजगार उत्पन्न करने के लिये सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना।	- तीसरे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट 2010-11 से लागू करना। - कर दाताओं का आधार बढ़ाने, कर कानूनों का अनुपालन सुधारने, कर प्रशासन की दक्षता बढ़ाने, कर वंचकों के विरुद्ध विशेष अभियान, अपील के मामलों पर तेजी से कार्रवाई और ईमानदार कर दाताओं को प्रोत्साहित करने आदि पर बल देना।	
27. उत्तराखंड	- महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजट के तहत 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान। - मात्र 15,000 रुपये वार्षिक शुल्क प्रभारित करके चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना।	2010-11 के दौरान विविध विद्युत योजनाओं के वित्तपोषण के लिये 454.99 करोड़ रुपये का निवेश। 100 करोड़ रुपये के निवेश से समन्वित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव।	- करोसिन और वस्त्र और कपास की अनुपयोगी सामग्री पर वॉट 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना। - पारंपरिक हथकरघा और लिखायी की स्याही पर वॉट की समाप्ति। - अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर स्टैम्प शुल्क 2010-11 में 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना।	2010-11 के दौरान 428 देहातों में “लघु बैंकों” की स्थापना। - जिला स्तरों पर “प्रेस क्लबों” का गठन।
28. उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जातियों के लिये “विशेष क्षेत्र की योजना” के लिये प्रावधान (9,099.75 करोड़ रुपये)।	- ऊर्जा क्षेत्र की प्रेषण और वितरण प्रणाली में सुधार। - पीपीपी आधार पर एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण, कुशिनगर में		जनगणना 2011 के लिये 289.39 करोड़ रुपये का प्रावधान।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- पण्यों के कृत्रिम अभाव के विरुद्ध कड़ा प्रशासनिक तंत्र, आयातित सब्सिडीयुक्त दलहनों का पीडीएस के माध्यम से वितरण, आदि। “इंदिरा आवास योजना” के तहत 2010-11 में 5 लाख आवासों की निर्मिती का प्रस्ताव। - गांवों में पर्यावरणीय स्वच्छता के लिये डॉ.आंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत 1242 करोड़ रुपये का प्रावधान। 2010-11 के दौरान 1000 प्राथमिक और 1000 उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव।	- अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और “बौद्ध परिपथ” का विकास। 247.68 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश से 2010-11 के दौरान ग्राम उद्योगों की स्थापना जिससे 82,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।		2010-11 के दौरान प्रशासनिक सेवाओं का राज्य के सभी भागों तक विस्तार करना।
29. पश्चिम बंगाल	- आवश्यक पण्यों के कृत्रिम अभाव की समस्या से निपटने के लिये “एंटी-प्रॉफिटियरिंग एक्ट” को मजबूत करने का प्रस्ताव। 2010-11 के दौरान 2000 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और 25 आइटीआइ की स्थापना। 2010-11 के दौरान 20 महाविद्यालयों की स्थापना। - शहरी बेरोजगारी घटाने के लिये 2010-11 के दौरान “पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना” लागू करना।	- किसानों के उत्पादों के लिये उचित मूल्य, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, बहुउद्देश्यीय शीत गृहों और श्रृंखला व्यवस्था की स्थापना और “स्व-सहायता समूहों” को उनके उत्पाद राज्य में बाजार में बेचने के लिये प्रोत्साहन, आदि। - कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई और जल-निकासी में सुधार। - पूंजीगत निवेश के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन, विद्युत शुल्क में छूट और रोजगार उत्पत्ति के माध्यम से उत्तरी बंगाल में उद्योगों और विस्तार को प्रोत्साहन।	- कर चुकौती में चूक पर 10 प्रतिशत दंड लगाना। - केंद्रीय बिक्री कर (पश्चिम बंगाल) नियमावली, 1958 में संशोधन। - निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के पुरजों, घटकों और उपकरणों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति और औद्योगिक इकाइयों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। - किसी स्थानीय स्वराज्य संस्था से प्राप्त ठोस अनुपयोगी सामग्री से बनाये गये ईंधन पर कर-छूट। - अधिकतम खुदरा मूल्य 3,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना। - विदेशी मदिरा की बिक्री पर बिक्री कर की दर बढ़ाकर 37 प्रतिशत करना जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य पर 23	

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें (समाप्त)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
			प्रतिशत की दर पर कर के भुगतान का विकल्प होगा।	
30. एनसीटी दिल्ली	- जेएनएनयूआरएम के तहत 1,814 करोड़ रुपये की लागत से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिये ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण के लिये 15 परियोजनाएं। - पीपीपी मोड के तहत विकासपुरी, बुरारी और आंबेडकर नगर में 200 चारपाई वाले और द्वारका में 750 चारपाई वाले अस्पतालों का निर्माण।	- जेएनएनयूआरएम के तहत, पीडब्ल्यूडी सड़कों और उड़ानपुलों की 13 परियोजनाएं, 11 एमसीडी सड़कों और 10 उड़ानपुलों की परियोजनाएं, डीजेबी की मलनिकासी परियोजना, एनडीएमसी द्वारा कनॉट प्लेस के पुनर्विकास की एक परियोजना और 1500 डीटीसी बसों की खरीद, आदि कार्य। - जन परिवहन की गुणवत्ता सुधारने के लिये 2,019 करोड़ रुपये की लागत से 3775 अतिरिक्त लो फ्लोर बसों की सहायता से डीटीसी के काफिले का आधुनिकीकरण।	- वॉट से छूट प्राप्त कुछ मदों पर 5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत वॉट लागू करना। - सूखा मेवा, देसी घी, घरेलू प्लास्टिक की मदें, ट्रेक्टर के टायर और ट्यूब, इनवर्टर, ताले, चाय, आदि पर वॉट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना। - जन सामान्य की निर्वाह लागत पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये कुछ आवश्यक पण्यों और खाद्यान्न पर वॉट में छूट। - डीजल पर वॉट 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना। - घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 40 रुपये सब्सिडी। - अधिकतम पंजीयन शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करना और अन्य स्लैबों को भी उसी अनुपात में बढ़ाना।	

डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन 28 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर आधारित हैं। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को और दो भागों 'योजना' एवं 'योजनेतर' में विभाजित किया गया है। राज्य सरकारों से संस्थागत सुधारों, गारंटियों (आकस्मिक देयताओं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। राज्यवार बकाया योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के अंतर्गत राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़ों संघीय वित्त लेखे से लिए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश और राज्य विकास ऋणों का परिपक्वता स्वरूप शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिजर्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट III में कुल पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी

लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखे को छोड़कर कुल पूंजीगत व्यय बताता है। परिशिष्ट सारणियों (समेकित), विवरणों (राज्यवार) में दी गई और इस विश्लेषण में उपयोग की गई पूंजी प्राप्तियों में सरकारी लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि सरकारी लेखे को संबंधित पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन और राष्ट्रीय औसतों में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्ठाईस राज्य सरकारों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य देशी उत्पाद संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिए गए हैं। इसमें संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से प्राप्त जानकारी जोड़ी गई है। जहां कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहां आंकड़े पिछले तीन वर्षों के वार्षिक औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिए गए हैं। सकल देशी उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और सीएसओ से लिए गए हैं। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात की गणना जीएसडीपी/जीडीपी के अद्यतन अनुमानों पर आधारित है। आबादी से संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना की वेबसाइट से लिए गए हैं। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजी परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल रहती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। इस प्रकार, विकास व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय के

विकास घटक तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। इस सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न संग्रहण एवं भंडारण पर किया जानेवाला व्यय, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। पूंजी परिव्यय में विकास और विकासेतर दोनों ही प्रकार के पूंजी परिव्यय शामिल रहते हैं। इस विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परांपरागत घाटा/अधिशेष) नकद घाटा/अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि/कमी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि/कमी के बराबर है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित

निधि, जमाराशि और अग्रिम तथा राज्य सरकारों की आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। 2007-08 के अध्ययन में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संशोधित आंकड़ा श्रृंखलाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों, रिज़र्व बैंक के रिकॉर्डों, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त लेखों तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2003-04 से प्रकाशित की गयी हैं। वर्तमान अध्ययन में बकाया देयताओं के समेकन हेतु वहीं पद्धति अपनायी गई है जो 2007-08 के अध्ययन में दी गयी है और यह उन्हीं आंकड़ा स्रोतों का उपयोग करती है। परिशिष्ट सारणी 21 और 22 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

टिप्पणी: 1980-81 से 2009-10 (बीई) के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के राज्यवार आंकड़े और 1990-91 से 2009-10 (बीई) के राजस्व और पूंजी खाते में लेनदेन के राज्यवार विस्तृत आंकड़े रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2010 में प्रकाशित 'राज्य सरकारी वित्त पर सांख्यिकी हैंडबुक' में प्रकाशित किये गये थे। इस हैंडबुक में 28 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों के आंकड़े हैं और इसे तीन रूपों, अर्थात् छपे हुये, सीडी और वेब आधारित (www.rbi.org.in), में जारी किया गया था। जहां छपा हुआ रूप 1990-91 से 2009-10 (बीई) की अवधि के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े और 2002-03 से 2009-10 (बीई) की अवधि के राजस्व और पूंजी खाते के लेनदेन के आंकड़ों का राज्य-वार ब्योरा कवर करता है, वहीं सीडी और वेब-आधारित रूप छपे हुये रूप की तुलना में अधिक व्यापक है जो कि 1980-81 से आगे की अवधि के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों और 1990-91 से आगे की अवधि के राजस्व और पूंजी खाते के लेनदेन के आंकड़ों का राज्य-वार ब्योरा कवर करता है। सीडी रूप में इंटेलेजेंट सर्व फीचर्स भी शामिल है। 2001-02 से प्रकाशित "राज्य वित्त:बजटों का अध्ययन" प्रकाशन के अंक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	पारंपरिक घाटा	प्राथमिक घाटा	भा.रि.बैंक से राज्यों को निवल ऋण
1	2	3	4	5	6
1990-91	18,787 (3.3)	5,309 (0.9)	-72 (-0.0)	10,132 (1.8)	420 (0.1)
1991-92	18,900 (2.9)	5,651 (0.9)	156 (0.0)	7,956 (1.2)	-340 (-0.1)
1992-93	20,891 (2.8)	5,114 (0.7)	-1,829 (-0.2)	7,681 (1.0)	176 (0.0)
1993-94	20,364 (2.4)	3,872 (0.4)	363 (0.0)	4,564 (0.5)	591 (0.1)
1994-95	27,308 (2.7)	6,706 (0.7)	-4,346 (-0.4)	7,895 (0.8)	48 (0.0)
1995-96	30,870 (2.6)	8,620 (0.7)	-2,680 (-0.2)	9,031 (0.8)	16 (0.0)
1996-97	36,561 (2.7)	16,878 (1.2)	7,202 (0.5)	11,175 (0.8)	898 (0.1)
1997-98	43,474 (2.8)	17,492 (1.1)	-1,803 (-0.1)	13,675 (0.9)	1,543 (0.1)
1998-99	73,295 (4.2)	44,462 (2.5)	3,268 (0.2)	37,854 (2.2)	5,579 (0.3)
1999-00	90,099 (4.6)	54,548 (2.8)	3,125 (0.2)	45,458 (2.3)	1,312 (0.1)
2000-01	87,923 (4.2)	55,316 (2.6)	-2,379 (-0.1)	36,937 (1.8)	-1,092 (-0.1)
2001-02	94,260 (4.1)	60,398 (2.7)	3,545 (0.2)	32,665 (1.4)	3,451 (0.2)
2002-03	99,726 (4.1)	57,179 (2.3)	-4,291 (-0.2)	30,699 (1.3)	-3,100 (-0.1)
2003-04	1,20,631 (4.4)	63,407 (2.3)	-526 (-0.0)	40,235 (1.5)	293 (0.0)
2004-05	1,07,774 (3.3)	39,158 (1.2)	-10,232 (-0.3)	21,353 (0.7)	-2,705 (-0.1)
2005-06	90,084 (2.4)	7,013 (0.2)	-33,947 (-0.9)	6,060 (0.2)	2,425 (0.1)
2006-07	77,508 (1.8)	-24,857 (-0.6)	-16,324 (-0.4)	-15,672 (-0.4)	640 (0.0)
2007-08	75,455 (1.5)	-42,943 (-0.9)	-13,410 (-0.3)	-24,376 (-0.5)	1,140 (0.0)
2008-09	1,34,589 (2.4)	-12,672 (-0.2)	-8,959 (-0.2)	31,634 (0.6)	-1,609 (-0.0)
2009-10 (बअ)	1,99,510 (3.0)	32,295 (0.5)	25,821 (0.4)	83,083 (1.3)	—
2009-10 (संअ)	2,16,101 (3.3)	46,663 (0.7)	35,889 (0.5)	1,00,197 (1.5)	186 (0.0)
2010-11 (बअ)	1,98,539 (2.5)	24,370 (0.3)	18,687 (0.2)	69,883 (0.9)	—

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

'—': उपलब्ध नहीं है।

नोट : 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2. पारंपरिक घाटा कुल संवितरणों और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर दर्शाता है। कुल प्राप्तियों में शामिल हैं: (i) राजस्व प्राप्तियां, (ii), पूंजीगत प्राप्तियां, अर्थोपाय अग्रिम और भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, और (iii) लोक लेखा के अंतर्गत शुद्ध प्राप्तियां, नकद शेष निवेश खाता से निकासी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा को छोड़कर। कुल संवितरणों में शामिल हैं: (i) राजस्व व्यय और (ii) पूंजीगत संवितरण, अर्थोपाय अग्रिम और भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट की चुकौती को छोड़कर।

3. राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है।

4. सकल राजकोषीय घाटा कुल संवितरण (ऋण चुकौतियों को घटाकर) से राजस्व प्राप्तियों, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों तथा ऋण और अग्रिम की वसूली को घटाकर है।

5. प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को घटाकर है।

6. कोष्ठक के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

7. 1990-91 से 2008-09 तक के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े तथा 2001-02 से 2008-09 तक के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

8. राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण रिजर्व बैंक के पास उनकी वृद्धिशील जमा को घटाकर रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए ऋण और अग्रिम में घटबढ़ को संदर्भित करता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़ और रिजर्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति एक नज़र में

(करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व खाता										
क. प्राप्तियां	6,94,657	8,04,943	8,07,388	9,13,038	1,12,731	16.2	2,445	0.3	1,05,650	13.1
ख. व्यय	6,81,985	8,37,238	8,54,051	9,37,408	1,72,066	25.2	16,813	2.0	83,357	9.8
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (Iक- Iख)	12,672	-32,295	-46,663	-24,370						
II. पूंजी खाता										
क. प्राप्तियां	1,96,634	2,25,014	2,37,355	2,42,860	40,721	20.7	12,341	5.5	5,505	2.3
ख. संवितरण	2,00,347	2,18,540	2,26,580	2,37,176	26,233	13.1	8,041	3.7	10,596	4.7
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (IIक-IIख)	-3,713	6,475	10,774	5,683						
III. कुल प्राप्तियां	8,91,292	10,29,957	10,44,743	11,55,898	1,53,451	17.2	14,786	1.4	1,11,155	10.6
IV. कुल संवितरण	8,82,333	10,55,778	10,80,632	11,74,584	1,98,299	22.5	24,854	2.4	93,953	8.7
V. कुल अधिशेष (+) / घाटा (-) (III-IV)	8,959	-25,821	-35,889	-18,687						
VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण [V = VI (क + ख + ग)]										
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+) / कमी (-)	-15,802	-15,499	-19,446	-11,639						
ख. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से जोड़ (+) निकासी (-)	24,458	-8,751	-16,255	-7,074						
ग. भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) की चुकोती (+) / में वृद्धि (-)	302	-1,570	-189	26						

* : (i) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, (ii) नकदी शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री, और (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा को छोड़कर। पूंजी प्राप्तियों में शुद्ध आधार पर लोक लेखा शामिल है, जबकि पूंजीगत व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. इसके अलावा परिशिष्ट सारणियों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 3: राजस्व प्राप्ति

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल राजस्व (I + II)	6,94,657	8,04,943	8,07,388	9,13,038	1,12,731	16.2	2,445	0.3	105,650	13.1
I. कर राजस्व (अ + आ)	4,82,983	5,52,243	5,31,004	6,27,147	48,021	9.9	-21,239	-3.8	96,144	18.1
अ. राज्यों के करों से राजस्व (i से iii)	3,21,930	3,66,523	3,65,527	4,26,682	43,597	13.5	-995	-0.3	61,154	16.7
(i) आय पर कर (क + ख)	3,554	3,804	3,678	3,977	124	3.5	-126	-3.3	299	8.1
(क) कृषि आय कर	43	34	73	81	29	68.2	39	116.3	9	12.0
(ख) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	3,511	3,771	3,605	3,895	94	2.7	-165	-4.4	290	8.0
(ii) सम्पत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर (क से ग)	41,383	48,218	44,459	52,746	3,076	7.4	-3,759	-7.8	8,287	18.6
(क) स्टांप और पंजीकरण शुल्क	36,066	42,937	39,230	46,039	3,164	8.8	-3,707	-8.6	6,809	17.4
(ख) भूमि राजस्व	4,834	4,780	4,588	5,943	-246	-5.1	-192	-4.0	1355	29.5
(ग) शहरी अचल संपत्ति कर	482	500	641	764	159	32.9	140	28.0	123	19.3
(iii) ज़िंसों और सेवाओं पर कर (क से छ)	2,76,994	3,14,501	3,17,390	3,69,959	40,397	14.6	2,889	0.9	52,569	16.6
(क) बिक्री कर*	1,98,327	2,25,009	2,25,227	2,64,848	26,900	13.6	218	0.1	39,621	17.6
(ख) राज्य उत्पाद शुल्क	40,990	45,961	47,729	55,478	6,739	16.4	1,768	3.8	7,749	16.2
(ग) वाहनों पर कर	16,446	18,695	18,758	21,561	2,311	14.1	63	0.3	2,803	14.9
(घ) यात्रियों और माल पर कर	8,541	9,552	9,281	10,641	740	8.7	-271	-2.8	1,360	14.7
(ई) बिजली शुल्क	9,530	11,745	12,908	13,524	3,378	35.4	1,163	9.9	616	4.8
(च) मनोरंजन कर	981	885	912	1,199	-69	-7.1	27	3.1	287	31.4
(छ) अन्य कर और शुल्क	2,178	2,654	2,575	2,709	397	18.2	-79	-3.0	134	5.2
आ. केंद्रीय करों में हिस्सा	1,61,052	185,720	1,65,477	2,00,466	4,424	2.7	-20,243	-10.9	34,989	21.1
II. करेतर राजस्व (इ + ई)	2,11,675	252,700	2,76,384	2,85,891	64,710	30.6	23,684	9.4	9,506	3.4
इ. केन्द्र से अनुदान	1,29,923	1,68,683	1,79,206	1,83,282	49,283	37.9	10,523	6.2	4,075	2.3
ई. राज्यों का खुद का करेतर राजस्व (क से च)	81,751	84,017	97,178	1,02,609	15,427	18.9	13,161	15.7	5,431	5.6
(क) ब्याज प्राप्ति	16,356	13,010	16,812	16,356	456	2.8	3,802	29.2	-456	-2.7
(ख) लाभांश और लाभ	833	497	488	758	-345	-41.4	-9	-1.8	270	55.3
(ग) सामान्य सेवाएं	22,279	26,706	30,296	27,601	8,017	36.0	3,590	13.4	-2,695	-8.9
जिसमें से:										
राज्य लॉटरी	5,089	5,863	5,769	6,559	680	13.4	-94	-1.6	790	13.7
(घ) सामाजिक सेवाएं	7,726	7,055	8,493	11,387	767	9.9	1,439	20.4	2,893	34.1
(ड) आर्थिक सेवाएं	34,555	36,749	40,183	46,507	5,627	16.3	3,433	9.3	6,325	15.7
(च) राजकोषीय सेवाएं	2	0	906	0	904	0.0	906	0.0	-906	-100.0

* : इसमें मोटर स्पिरिट पर सामान्य बिक्री कर / वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, और गन्ना, आदि पर खरीद कर शामिल है।

'-' : नगण्य / शून्य / कम आधार की वजह से असामान्य वृद्धि।

नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 4: राजस्व व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल खर्च (I + II + III)	6,81,985	8,37,238	8,54,051	9,37,408	1,72,066	25.2	16,813	2.0	83,357	9.8
I. विकास व्यय (अ + आ)	4,14,452	4,92,443	5,15,929	5,59,713	1,01,476	24.5	23,486	4.8	43,785	8.5
अ. सामाजिक सेवाएं (1 से 11)	2,55,269	3,09,921	3,36,234	3,68,867	80,966	31.7	26,314	8.5	32,633	9.7
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,21,276	1,54,781	1,61,519	1,84,751	40,243	33.2	6,738	4.4	23,232	14.4
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	30,649	39,602	40,939	45,756	10,291	33.6	1,338	3.4	4,817	11.8
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता	10,281	10,565	10,511	10,690	230	2.2	-55	-0.5	180	1.7
4. आवास	5,886	5,025	7,783	6,799	1,898	32.2	2,758	54.9	-985	-12.7
5. शहरी विकास	21,772	23,082	25,760	29,497	3,988	18.3	2,678	11.6	3,737	14.5
6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	18,046	19,887	22,703	25,172	4,656	25.8	2,816	14.2	2,469	10.9
7. श्रम और श्रम कल्याण	2,839	3,586	3,842	4,497	1,002	35.3	256	7.1	656	17.1
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	25,234	31,569	35,452	38,290	10,218	40.5	3,883	12.3	2,839	8.0
9. पोषण	8,475	13,784	14,578	15,129	6,103	72.0	794	5.8	551	3.8
10. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	8,326	5,540	10,378	5,323	2,052	24.6	4,838	87.3	-5,055	-48.7
11. अन्य*	2,485	2,500	2,771	2,963	286	11.5	271	10.8	193	7.0
आ. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,59,184	1,82,522	1,79,694	1,90,846	20,511	12.9	-2,828	-1.5	11,151	6.2
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	39,838	43,392	46,891	48,040	7,054	17.7	3,500	8.1	1,149	2.5
2. ग्रामीण विकास	26,550	43,147	29,640	33,499	3,089	11.6	-13,507	-31.3	3,860	13.0
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,208	2,109	2,405	2,275	1,198	99.1	297	14.1	-130	-5.4
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	17,388	22,389	24,350	28,854	6,963	40.0	1,962	8.8	4,504	18.5
5. ऊर्जा	37,518	32,223	34,429	33,621	-3,089	-8.2	2,206	6.8	-808	-2.3
6. उद्योग और खनिज	6,298	7,487	7,851	9,327	1,553	24.7	364	4.9	1,476	18.8
7. परिवहन और संचार	19,776	20,227	22,519	20,816	2,743	13.9	2,292	11.3	-1,702	-7.6
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	406	536	560	770	154	38.0	23	4.4	210	37.5
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	10,203	11,013	11,049	13,643	846	8.3	36	0.3	2,594	23.5
II. विकासेतर व्यय (क से च)	2,49,016	3,21,907	3,16,504	3,51,476	67,488	27.1	-5,403	-1.7	34,972	11.0
क. राज्य के अंग	6,491	9,215	9,730	9,510	3,239	49.9	515	5.6	-220	-2.3
ख. राजकोषीय सेवाएं	10,064	12,868	13,696	15,005	3,632	36.1	828	6.4	1,309	9.6
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	1,09,393	1,25,078	1,24,756	1,40,460	15,362	14.0	-322	-0.3	15,705	12.6
1. ऋण की कटौती या बचाव के लिए विनियोजन	6,439	8,651	8,852	11,805	2,413	37.5	201	2.3	2,953	33.4
2. ब्याज भुगतान	1,02,955	1,16,427	1,15,904	1,28,656	12,949	12.6	-524	-0.4	12,752	11.0
घ. प्रशासनिक सेवाएं	52,431	74,389	71,249	83,187	18,818	35.9	-3,140	-4.2	11,938	16.8
ड. पेंशन	65,440	87,220	87,271	95,018	21,831	33.4	51	0.1	7,747	8.9
च. विविध सामान्य सेवाएं	5,196	13,137	9,802	8,294	4,606	88.6	-3,335	-25.4	-1,508	-15.4
जिसमें से: राज्य लॉटरी	4,871	5,616	5,480	6,203	610	12.5	-136	-2.4	723	13.2
III. सहायता अनुदान और अंशदान	18,516	22,888	21,619	26,219	3,102	16.8	-1270	-5.5	4,601	21.3

* : मुख्यतः सूचना और प्रचार, सचिवालय पर खर्च - सामाजिक सेवाएं, आदि पर व्यय शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09(लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजीगत प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियां (1 से 10)	1,96,634	2,25,014	2,37,355	2,42,860	40,721	20.7	12,341	5.5	5,505	2.3
1. आंतरिक ऋण *	1,42,951	1,66,820	1,86,621	1,93,072	43,670	30.5	19,801	11.9	6,450	3.5
जिसमें से:										
(i) बाजार ऋण (सकल)	1,18,492	1,29,670	1,40,171	148,356	21,678	18.3	10,501	8.1	8,186	5.8
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	8,520	18,957	28,968	25,911	20,448	240.0	10,012	52.8	-3,057	-10.6
2. केंद्र से ऋण @	7,005	17,209	12,783	15,445	5,779	82.5	-4,426	-25.7	2,662	20.8
3. ऋण और अग्रिम की वसूली	11,072	4,609	7,963	4,210	-3,108	-28.1	3,354	72.8	-3,753	-47.1
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि (निवल)	15,641	21,617	24,289	22,426	8,648	55.3	2,672	12.4	-1,863	-7.7
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	781	200	702	185	-79	-10.1	502	250.9	-517	-73.6
6. आरक्षित निधियां (निवल)**	7542	2,554	-7,208	3,739	-14,750	-195.6	-9,762	-382.3	10,947	-151.9
7. जमा और अग्रिम (निवल) ***	4,594	9,354	6,236	3,566	1,642	35.7	-3,118	-33.3	-2,670	-42.8
8. आकस्मिक निधि में विनियोजन (निवल)	-495	—	-200	—	295	-59.6	-200	—	200	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	-1,522	3	325	8,865	1,847	-121.4	323	—	8,540	—
10. अन्य #	9,066	2,649	5,843	-8,649	-3,223	-35.5	3,194	120.6	-14,492	-248.0

‘—’ : नगण्य / शून्य / निम्न आधार की वजह से असामान्य वृद्धि।

* : इसमें बाजार ऋण, एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां, भूमि मुआवजा बांड, नकदी ऋण तथा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण (निवल)ध, और नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि से प्राप्त ऋण शामिल हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं हैं।

@ : 1999-2000 से प्रभावी लेखांकन की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों में राज्यों की हिस्सेदारी, जिसे पहले केंद्र से ऋण के तहत शामिल किया गया था, को आंतरिक ऋण के तहत शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया गया है।

** : आरक्षित निधि (निवल) में ब्याजवाही आरक्षित निधियां (सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियों की तरह) तथा गैर ब्याजवाही आरक्षित निधियां (जैसे ऋणशोधन निधि, अकाल राहत कोष तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

*** : जमा और अग्रिम (निवल) में ब्याजवाही जमा (जैसे स्थानीय निधियों की जमा राशियां) तथा गैर ब्याजवाही जमा (जैसे रक्षा और डाक जमा और नागरिक अग्रिम) शामिल हैं।

: इसमें उंचत और विविध (निवल) और अन्तरराज्यीय निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09(लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल हैं। इसके अलावा परिशिष्टों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 6 : पूंजी संवितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी संवितरण (1 से 4)	2,00,347	2,18,540	2,26,580	2,37,176	26,233	13.1	8,041	3.7	10,596	4.7
1. कुल पूंजी परिव्यय (i+ii)	1,42,628	1,60,247	1,60,407	1,66,703	17,780	12.5	160	0.1	6,296	3.9
i) विकास परिव्यय (क + ख)	1,37,337	1,53,526	1,53,767	1,56,211	16,430	12.0	241	0.2	2,444	1.6
क) सामाजिक सेवाएं	29,168	34,187	35,240	37,270	6,072	20.8	1,052	3.1	2,030	5.8
ख) आर्थिक सेवाएं	1,08,169	119,339	1,18,528	1,18,942	10,359	9.6	-811	-0.7	414	0.3
ii) गैर विकास परिव्यय @	5,291	6,721	6,640	10,492	1,349	25.5	-81	-1.2	3,852	58.0
2. आंतरिक ऋण का उन्मोचन@	33,983	36,507	40,894	47,166	6,911	20.3	4,387	12.0	6,272	15.3
जिसमें से:										
बाजार ऋण	14,451	13,521	16,733	15,715	2,282	15.8	3,212	23.8	-1,018	-6.1
3. केन्द्र को ऋणों की चुकौती	7,766	7,993	7,925	8,476	159	2.0	-68	-0.9	551	7.0
4. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (i+ii)	15,971	13,792	17,354	14,831	1,383	8.7	3,562	25.8	-2,524	-14.5
i) विकास (क + ख)	15,297	13,106	16,841	14,307	1,544	10.1	3,736	28.5	-2,535	-15.0
क) सामाजिक सेवाएं	6,394	5,839	5,771	7,046	-624	-9.8	-68	-1.2	1,276	22.1
ख) आर्थिक सेवाएं	8,902	7,267	11,070	7,260	2,168	24.4	3,803	52.3	-3,810	-34.4
ii) गैर विकास	674	687	513	524	-161	-23.9	-174	-25.3	11	2.1

@ : सामान्य सेवाओं पर खर्च शामिल है।

@@ : इसमें बाजार ऋण, भूमि मुआवजा बांड तथा नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से प्राप्त ऋण की चुकौती शामिल है, परंतु भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकद ऋण और अन्य ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौतियां शामिल नहीं हैं।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
2. पूंजी व्यय लोक लेखा को छोड़कर दिया गया है। इसके अलावा परिशिष्ट की टिप्पणें भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	1,61,052	1,85,720	1,65,477	2,00,466	4,424	2.7	-20,243	-10.9	34,989	21.1
II. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	1,29,923	1,68,683	1,79,206	1,83,282	49,283	37.9	10,523	6.2	4,075	2.3
1. राज्य योजना स्कीम	63,480	82,807	81,600	92,384	18,119	28.5	-1,208	-1.5	10,784	13.2
2. केंद्रीय योजना स्कीम	2,657	6,889	6,459	7,120	3,802	143.1	-430	-6.2	661	10.2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	25,889	35,956	41,036	45,141	15,147	58.5	5,081	14.1	4,104	10.0
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	520	927	972	996	453	87.1	46	4.9	24	2.5
5. योजनेतर अनुदान (क से ग)	37,378	42,105	49,139	37,641	11,762	31.5	7,034	16.7	-11,499	-23.4
क) सांविधिक अनुदान	20,478	16,642	18,799	17,948	-1,679	-8.2	2,157	13.0	-851	-4.5
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान	2,914	2,866	3,695	3,179	780	26.8	829	28.9	-516	-14.0
ग) योजनेतर गैर सांविधिक अनुदान	13,985	22,597	26,646	16,515	12,661	90.5	4,049	17.9	-10,131	-38.0
III. केंद्र से सकल ऋण (i+ii)	7,005	17,209	12,783	15,445	5,779	82.5	-4,426	-25.7	2,662	20.8
i) योजना ऋण	6,998	16,802	12,412	15,065	5,414	77.4	-4,391	-26.1	2,653	21.4
ii) योजनेतर ऋण*	7	407	372	380	365	5187.2	-35	-8.7	9	2.4
IV. सकल अंतरण (I+II+III)	2,97,980	3,71,613	3,57,466	3,99,192	59,486	20.0	-14,146	-3.8	41,726	11.7
V. ऋण की चुकौती और ब्याज भुगतान संबंधी देयताएं (क + ख)	18,856	20,592	19,282	19,359	425	2.3	-1,310	-6.4	77	0.4
क) केंद्र को ऋणों की चुकौती	7,766	7,993	7,925	8,476	159	2.0	-68	-0.9	551	7.0
ख) केंद्र से ऋण पर ब्याज भुगतान	11,090	12,599	11,357	10,883	267	2.4	-1,242	-9.9	-474	-4.2
VI. केंद्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)	2,79,124	3,51,021	3,38,184	3,79,833	59,060	21.2	-12,837	-3.7	41,649	12.3

* : केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

एनईसी : पूर्वोत्तर परिषद।

नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 8 : विकास और गैर विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

साल	विकास*	गैर विकास *	दूसरों **	कुल
1	2	3	4	5
1990-91	63,370 (69.6)	22,600 (24.8)	5,118 (5.6)	91,088 (100.0)
1991-92	74,588 (69.1)	27,143 (25.1)	6,198 (5.7)	1,07,929 (100.0)
1992-93	80,567 (67.5)	32,104 (26.9)	6,664 (5.6)	1,19,335 (100.0)
1993-94	88,791 (66.3)	37,859 (28.3)	7,199 (5.4)	1,33,849 (100.0)
1994-95	1,02,629 (64.5)	48,964 (30.8)	7,554 (4.7)	1,59,147 (100.0)
1995-96	1,12,888 (64.6)	54,544 (31.2)	7,200 (4.1)	1,74,632 (100.0)
1996-97	1,29,363 (64.9)	61,353 (30.8)	8,537 (4.3)	1,99,253 (100.0)
1997-98	1,42,266 (63.5)	70,652 (31.6)	11,006 (4.9)	2,23,924 (100.0)
1998-99	1,61,200 (61.7)	85,174 (32.6)	15,045 (5.8)	2,61,419 (100.0)
1999-00	1,83,540 (59.6)	1,08,451 (35.2)	15,986 (5.2)	3,07,977 (100.0)
2000-01	2,05,670 (60.5)	1,16,823 (34.2)	17,342 (5.1)	3,39,835 (100.0)
2001-02	2,11,086 (57.3)	1,35,505 (36.8)	22,089 (6.0)	3,68,680 (100.0)
2002-03	2,21,799 (54.1)	1,49,554 (36.5)	38,896 (9.5)	4,10,249 (100.0)
2003-04	2,72,848 (53.1)	1,66,538 (32.4)	74,916 (14.6)	5,14,302 (100.0)
2004-05	2,86,473 (51.8)	1,85,152 (33.3)	81,803 (14.9)	5,53,428 (100.0)
2005-06	3,30,044 (58.8)	1,90,021 (33.8)	41,617 (7.4)	5,61,682 (100.0)
2006-07	3,92,165 (59.7)	2,11,872 (32.2)	53,243 (8.1)	6,57,280 (100.0)
2007-08	4,64,462 (61.7)	2,33,233 (31.0)	54,630 (7.3)	7,52,324 (100.0)
2008-09	5,67,086 (64.3)	2,54,981 (28.9)	60,265 (6.8)	8,82,333 (100.0)
2009-10 (संअ)	6,86,537 (63.5)	3,23,657 (30.0)	70,437 (6.5)	10,80,632 (100.0)
2010-11 (बअ)	7,30,231 (62.2)	3,62,492 (30.9)	81,861 (7.0)	11,74,584 (100.0)

संअ : संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

* : राजस्व और पूंजी खाते तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर खर्च शामिल है।

** : सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन), आंतरिक ऋण का उन्मोचन और केंद्र को ऋणों की चुकौती शामिल है।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

2. 1990-91 से 2008-09 के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े और 2001-02 से 2008-09 के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 9 : विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. विकास व्यय (राजस्व और पूंजी) (क + ख)	5,51,789	6,45,969	6,69,696	7,15,925	21.4	3.7	6.9
क. सामाजिक सेवाएं (1 से 11)	2,84,437 (50.2)	3,44,108 (52.2)	3,71,474 (54.1)	4,06,137 (55.6)	30.6	8.0	9.3
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,25,871	1,59,164	1,66,751	1,90,442	32.5	4.8	14.2
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	34,353	43,848	45,493	50,297	32.4	3.8	10.6
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता	21,612	22,961	22,149	20,597	2.5	-3.5	-7.0
4. आवास	7,095	7,046	9,177	10,528	29.3	30.2	14.7
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	20,488	22,015	25,261	28,442	23.3	14.7	12.6
6. श्रम और श्रम कल्याण	2,839	3,586	3,842	4,497	35.3	7.1	17.1
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	26,027	32,556	36,482	39,549	40.2	12.1	8.4
8. पोषण	8,475	13,784	14,578	15,129	72.0	5.8	3.8
9. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	8,326	5,540	10,378	5,323	24.6	87.3	-48.7
10. शहरी विकास	25,922	30,205	33,558	36,811	29.5	11.1	9.7
11. अन्य *	3,428	3,403	3,807	4,523	11.0	11.9	18.8
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,67,353 (47.1)	3,01,861 (45.8)	2,98,222 (43.4)	3,09,787 (42.4)	11.5	-1.2	3.9
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	47,380	47,533	52,039	51,684	9.8	9.5	-0.7
2. ग्रामीण विकास	32,382	61,558	37,538	43,325	15.9	-39.0	15.4
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,765	4,752	5,769	6,695	53.2	21.4	16.0
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	61,080	68,294	71,696	78,119	17.4	5.0	9.0
5. ऊर्जा	54,659	47,701	52,143	48,152	-4.6	9.3	-7.7
6. उद्योग और खनिज	7,605	8,823	9,755	11,108	28.3	10.6	13.9
7. परिवहन और संचार	47,404	49,129	54,624	53,349	15.2	11.2	-2.3
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	456	576	596	819	30.5	3.4	37.6
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	12,622	13,495	14,063	16,536	11.4	4.2	17.6
II. विकास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (क + ख)	15,299	13,106	16,841	14,307	10.1	28.5	-15.0
क. सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	6,394 (1.1)	5,839 (0.9)	5,771 (0.8)	7,046 (1.0)	-9.8	-1.2	22.1
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14	15	12	7	-11.5	-16.9	-44.3
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	146	67	97	118	-33.6	46.0	21.7
3. परिवार कल्याण	1	-	-	1	-48.5	-	64.1
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	849	1,858	1,683	2,097	98.1	-9.4	24.6
5. आवास	3,320	608	818	1,152	-75.4	34.5	40.9
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	588	779	777	864	32.0	-0.3	11.3
7. अन्य @	1,475	2,511	2,383	2,807	61.5	-5.1	17.8
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	8,904 (1.6)	7,267 (1.1)	11,070 (1.6)	7,260 (1.0)	24.3	52.3	-34.4
1. फसल उत्पादन	188	63	90	36	-51.9	44.6	-60.3
2. मिट्टी और जल संरक्षण	6	-	-	-	-100.0	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भण्डारण	1,524	1,280	1,980	827	29.9	54.7	-58.2
4. सहकारिता	744	352	823	328	10.6	133.5	-60.2
5. प्रमुख और मध्यम सिंचाई, आदि	1	4	-	-	-	-100.0	-
6. बिजली परियोजनाएं	4,131	3,778	6,020	4,136	45.7	59.3	-31.3
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	104	86	130	103	25.8	51.5	-20.7
8. अन्य उद्योग और खनिज	715	474	303	791	-57.7	-36.2	161.5
9. ग्रामीण विकास	4	81	16	81	281.3	-80.1	405.2
10. अन्य+	1,488	1,149	1,708	957	14.8	48.7	-44.0
III. कुल विकास व्यय (I + II)	5,67,088 (100.0)	6,59,074 (100.0)	6,86,537 (100.0)	7,30,231 (100.0)	21.1	4.2	6.4

'-' : शून्य / नगण्य.

* : सूचना और प्रचार पर खर्च शामिल ।

@ : शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, आदि शामिल ।

+ : वन, मत्स्यपालन, पशुपालन, सड़क और जल परिवहन सेवाएं आदि शामिल ।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल विकास खर्च का प्रतिशत हैं।

2. वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 10 : गैर विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व खाते पर गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (i से vi)	2,49,016	3,21,907	3,16,504	3,51,476	27.1	-1.7	11.0
i. राज्य के अंग	6,491	9,215	9,730	9,510	49.9	5.6	-2.3
ii. राजकोषीय सेवाएं	10,064	12,868	13,696	15,005	36.1	6.4	9.6
iii. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1+2)	1,09,393	1,25,078	1,24,756	1,40,460	14.0	-0.3	12.6
1. ऋण की कटौती या बचाव के लिए विनियोजन	6,439	8,651	8,852	11,805	37.5	2.3	33.4
2. ब्याज भुगतान	1,02,955	1,16,427	1,15,904	1,28,656	12.6	-0.4	11.0
iv. प्रशासनिक सेवाएं (1 से 5)	52,431	74,389	71,249	83,187	35.9	-4.2	16.8
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2,785	6,640	6,262	6,952	124.9	-5.7	11.0
2. जिला प्रशासन	5,457	7,274	7,517	8,205	37.7	3.3	9.2
3. पुलिस	32,471	39,592	40,812	47,038	25.7	3.1	15.3
4. लोक निर्माण	5,053	6,734	7,218	7,148	42.9	7.2	-1.0
5. अन्य *	6,666	14,149	9,441	13,843	41.6	-33.3	46.6
v. पेंशन	65,440	87,220	87,271	95,018	33.4	0.1	8.9
vi. विविध सामान्य सेवाएं	5,196	13,137	9,802	8,294	88.6	-25.4	-15.4
II. पूंजी खाते पर गैर विकास व्यय (1+2)	5,965	7,408	7,153	11,016	19.9	-3.4	54.0
1. गैर-विकास (सामान्य सेवाएं)	5,291	6,721	6,640	10,492	25.5	-1.2	58.0
2. गैर विकास प्रयोजनों के लिए ऋण (क + ख)	674	687	513	524	-23.9	-25.3	2.1
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	368	461	435	441	18.3	-5.5	1.4
ख) विविध	306	226	78	83	-74.5	-65.5	6.1
III. कुल गैर विकास व्यय (I + II)	2,54,981	3,29,315	3,23,657	3,62,492	26.9	-1.7	12.0
IV. सकल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में III	28.6	32.0	31.0	31.4			
V. सकल वितरण के प्रतिशत के रूप में III	28.9	31.2	30.0	30.9			

* : लोक सेवा आयोग, खजाना और प्रशासन, जेलों, आदि पर व्यय शामिल है।

नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09(लेखा) के लिए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 11: विकास और गैर विकास व्यय - योजना और योजनेतर घटक

(करोड़ रु.)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल संवितरण (1 से 3)*	2,83,279	5,99,054	8,82,333	3,49,400	7,06,378	10,55,778	3,49,254	7,31,378	10,80,632	3,88,496	7,86,088	11,74,584
1. विकास व्यय (क + ख)*	2,74,784	2,92,302	5,67,086	3,36,838	3,22,236	6,59,074	3,36,800	3,49,737	6,86,537	3,72,618	3,57,613	7,30,231
क) प्रत्यक्ष विकास व्यय (i + ii)	2,65,646	2,86,143	5,51,789	3,27,585	3,18,384	6,45,969	3,27,388	3,42,308	6,69,696	3,60,963	3,54,961	7,15,925
i) आर्थिक सेवाएँ	1,47,879	1,19,473	2,67,353	1,88,172	1,13,689	3,01,861	1,74,214	1,24,008	2,98,222	1,86,096	1,23,691	3,09,787
ii) सामाजिक सेवाएँ	1,17,767	1,66,670	2,84,437	1,39,413	2,04,695	3,44,108	1,53,174	2,18,299	3,71,474	1,74,867	2,31,270	4,06,137
ख) विकास प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम (i + ii)	9,138	6,159	15,297	9,253	3,852	13,106	9,412	7,429	16,841	11,655	2,652	14,307
i) आर्थिक सेवाएँ	3,966	4,937	8,902	4,683	2,584	7,267	5,265	5,806	11,070	6,293	967	7,260
ii) सामाजिक सेवाएं	5,172	1,222	6,394	4,570	1,269	5,839	4,147	1,624	5,771	5,362	1,684	7,046
2. गैर विकास व्यय (क + ख)*	6,916	2,48,066	2,54,981	10,397	3,18,918	3,29,315	10,470	3,13,187	3,23,657	13,249	3,49,243	3,62,492
क) प्रत्यक्ष गैर विकास व्यय*	6,910	2,47,397	2,54,307	10,396	3,18,232	3,28,628	10,469	3,12,675	3,23,144	13,248	3,48,720	3,61,968
ख) विकासेतर प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम	6	668	674	1	686	687	1	513	513	1	523	524
3. अन्य (क से ग)*	1,580	58,686	60,265	2,164	65,224	67,388	1,984	68,453	70,437	2,629	79,233	81,861
क) केंद्र को ऋण की चुकौती	—	7,766	7,766	—	7,993	7,993	—	7,925	7,925	—	8,476	8,476
ख) आंतरिक ऋण का उन्मोचन	—	33,983	33,983	—	36,507	36,507	—	40,894	40,894	—	47,166	47,166
जिसमें से:												
बाजार ऋण	—	14,451	14,451	—	13,521	13,521	—	16,733	16,733	—	15,715	15,715
ग) सहायता अनुदान और अंशदान	1,580	16,937	18,516	2,164	20,724	22,888	1,984	19,635	21,619	2,629	23,590	26,219
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	1,580	16,827	18,406	2,164	20,724	22,888	1,984	19,635	21,619	2,629	23,590	26,219

* : राजस्व और पूंजी खाते दोनों पर व्यय शामिल है।

‘—’ : शून्य/नगण्य.

नोट : वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 12: विकास और गैर विकास व्यय - राजस्व और पूंजी घटक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. विकास व्यय	5,67,086 (64.3)	6,59,074 (62.4)	6,86,537 (63.5)	7,30,231 (62.2)
क) राजस्व	4,14,452	4,92,443	5,15,929	5,59,713
ख) पूंजी	1,52,634	1,66,632	1,70,609	1,70,518
II. गैर विकास व्यय	2,54,981 (28.9)	3,29,315 (31.2)	3,23,657 (30.0)	3,62,492 (30.9)
क) राजस्व	2,49,016	3,21,907	3,16,504	3,51,476
ख) पूंजी	5,965	7,408	7,153	11,016
III. अन्य	60,265 (6.8)	67,388 (6.4)	70,437 (6.5)	81,861 (7.0)
क) राजस्व *	18,516	22,888	21,619	26,219
ख) पूंजी **	41,749	44,500	48,819	55,642
IV. सकल संवितरण (I+II+III)	8,82,333	10,55,778	10,80,632	11,74,584

* : सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन) शामिल हैं।

** : आंतरिक ऋण का उन्मोचन और केंद्र को ऋण की चुकौती शामिल है।

नोट : 1. वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल संवितरण के प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 13: योजना और योजनेतर व्यय - राजस्व और पूंजी घटक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. योजना व्यय	2,83,279 (32.1)	3,49,400 (33.1)	3,49,254 (32.3)	3,88,496 (33.1)
क) राजस्व	1,44,609 (16.4)	1,86,632 (17.7)	1,88,364 (17.4)	2,19,147 (18.7)
ख) पूंजी	1,38,670 (15.7)	1,62,769 (15.4)	1,60,889 (14.9)	1,69,349 (14.4)
II. योजनेतर व्यय	5,99,054 (67.9)	7,06,378 (66.9)	7,31,378 (67.7)	7,86,088 (66.9)
क) राजस्व	5,37,376 (60.9)	6,50,607 (61.6)	6,65,687 (61.6)	7,18,261 (61.2)
ख) पूंजी	61,678 (7.0)	55,771 (5.3)	65,691 (6.1)	67,827 (5.8)
III. कुल व्यय	8,82,333 (100.0)	10,55,778 (100.0)	10,80,632 (100.0)	11,74,584 (100.0)

नोट : 1. वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल खर्च का प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 14: राज्यों के योजनेतर गैर विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4
I. योजनेतर गैर विकास राजस्व व्यय (1 से 6)	2,46,399 (9.9)	3,11,756 (26.5)	3,46,082 (11.0)
1. राज्यों के अंग	6,378 (26.0)	9,521 (49.3)	9,065 (-4.8)
2. राजकोषीय सेवाएँ	9,563 (17.0)	12,384 (29.5)	13,230 (6.8)
3. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1,09,393 (2.3)	1,24,756 (14.0)	1,40,460 (12.6)
जिसमें से:			
ब्याज भुगतान	1,02,955 (3.1)	1,15,904 (12.6)	1,28,656 (11.0)
जिसमें से:			
केंद्र से ऋण पर ब्याज	11,090 (-6.0)	11,357 (2.4)	10,883 (-4.2)
4. प्रशासनिक सेवाएं	50,534 (19.3)	68,157 (34.9)	80,245 (17.7)
5. पेंशन	65,440 (16.7)	87,242 (33.3)	94,961 (8.8)
6. विविध सामान्य सेवाएं	5,090 (-8.2)	9,696 (90.5)	8,121 (-16.2)
II. योजनेतर गैर विकास पूंजी संवितरण (1 + 2)*	1,667 (-37.9)	1,432 (-14.1)	3,160 (120.8)
1. योजनेतर गैर विकास पूंजी परिव्यय	999 (-49.3)	919 (-8.0)	2,637 (187.0)
2. राज्यों द्वारा योजनेतर गैर विकास ऋण और अग्रिम	668 (-6.3)	513 (-23.3)	523 (2.1)
III. कुल योजनेतर गैर विकास व्यय	2,48,066 (9.4)	3,13,187 (26.3)	3,49,243 (11.5)

* : केंद्र को ऋण की चुकौती और आंतरिक ऋण का उन्मोचन शामिल नहीं हैं।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ हैं।

2. वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 15: सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना *

(करोड़ रुपये)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. राजस्व व्यय (i + ii)	32,826	36,617	41,344	46,342	51,292	60,003	67,364	76,107	91,460	1,05,688	1,13,366
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	27,962	31,092	34,565	38,685	44,079	52,596	59,097	66,798	80,187	94,097	1,02,385
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,528	17,077	19,261	21,462	24,556	28,419	32,495	36,377	44,697	54,897	58,783
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	4,586	5,054	5,662	6,608	7,271	6,646	7,660	8,716	10,511	11,805	12,627
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	1,639	1,554	1,730	1,858	2,102	2,339
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,638	1,845	2,095	2,424	2,979	3,130	3,661	4,557	5,239	5,345	5,398
(ङ) आवास	361	398	445	467	561	689	837	907	1,126	1,012	1,285
(च) शहरी विकास	634	764	727	791	848	1,102	1,385	1,735	2,134	2,660	2,678
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	1,790	2,071	2,301	2,569	3,007	3,390	3,890	4,493	5,175	5,513	6,104
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	453	489	550	585	658	728	799	1,008	1,051	1,202	1,203
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,362	1,477	1,663	1,852	2,092	2,378	2,587	3,004	3,568	4,054	4,897
(ञ) पोषण	536	611	633	665	852	2,136	1,854	1,844	2,116	2,248	2,478
(ट) प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	877	1,076	972	948	899	1,927	1,963	1,976	2,104	2,609	3,878
(ठ) अन्य	198	230	256	314	357	413	413	452	608	649	714
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	4,863	5,525	6,779	7,657	7,213	7,407	8,267	9,309	11,273	11,592	10,981
(क) ग्रामीण विकास	4,675	5,287	6,362	7,276	6,777	6,568	7,526	8,367	10,460	10,505	10,014
(ख) खाद्य संग्रहण और भण्डारण	188	238	416	381	436	839	741	942	813	1,087	967
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	1,566	1,690	2,022	1,985	2,409	2,472	2,524	3,862	5,094	5,637	8,508
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	1,257	1,647	1,664	1,787	2,219	2,510	2,887	3,303	4,144	4,218	5,348
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	284	278	302	304	365	408	435	451	535	361	370
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	237	276	263	272	306	302	330	451	482	669	604
(ग) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	35	38	65	45	27	42
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	354	499	549	677	894	896	1,026	1,117	1,688	1,822	3,069
(ङ) आवास	182	209	188	196	251	346	296	398	580	500	491
(च) शहरी विकास	30	146	97	109	125	179	263	244	176	233	322
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	120	162	177	167	189	217	355	411	487	474	394
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	27	39	37	24	43	25	72	86	89	103	21
(झ) अन्य	24	39	50	38	47	101	73	80	62	31	35
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	308	43	358	197	190	-38	-362	559	950	1,419	3,160
(क) ग्रामीण विकास	115	204	184	139	136	152	353	330	321	550	1,285
(ख) खाद्य संग्रहण और भण्डारण	194	-161	174	58	54	-190	-716	229	630	868	1,876
3. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (i + ii)	741	948	1,103	1,125	1,442	1,501	2,008	1,458	1,573	2,365	3,046
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	741	948	1,103	1,125	1,442	1,406	1,820	1,436	1,559	2,235	2,980
(क) शिक्षा	—	—	—	—	—	21	9	22	10	4	—
(ख) आवास	174	213	228	316	274	222	471	293	360	407	440
(ग) आवास (सरकारी कर्मचारी)	143	162	185	229	257	279	340	358	448	994	1,145
(घ) अन्य	424	573	690	579	910	884	1,000	764	741	831	1,395
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	—	—	—	—	—	95	188	22	14	130	66
(क) ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) खाद्य संग्रहण और भण्डारण	—	—	—	—	—	95	188	22	14	130	66
सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय (1+2+3)	35,132	39,255	44,468	49,451	55,143	63,975	71,896	81,427	98,127	1,13,690	1,24,919

(जारी)

परिशिष्ट सारणी 15: सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना* (समाप्त)

(करोड़ रुपये)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. राजस्व व्यय (i + ii)	1,16,342	1,21,866	1,32,204	1,46,001	1,67,775	1,95,626	2,28,122	2,85,130	3,70,407	4,06,197
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)	1,05,350	1,09,075	1,17,517	1,29,035	1,48,552	1,74,555	2,03,766	2,55,269	3,36,234	3,68,867
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	59,095	61,253	64,280	69,371	78,147	89,578	1,00,775	1,21,276	1,61,519	1,84,751
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	12,943	13,443	14,121	15,230	17,542	19,162	21,895	26,161	34,715	38,946
(ग) परिवार कल्याण	2,466	2,375	2,473	2,530	2,763	3,043	3,557	4,488	6,225	6,810
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,519	5,502	6,482	6,923	8,465	8,775	9,814	10,281	10,511	10,690
(ङ) आवास	1,243	1,442	1,739	1,868	2,002	2,878	4,017	5,886	7,783	6,799
(च) शहरी विकास	3,216	3,544	3,921	4,833	4,687	9,471	14,219	21,772	25,760	29,497
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	6,778	7,105	7,704	9,189	10,457	11,802	14,630	18,046	22,703	25,172
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1,132	1,194	1,381	1,483	1,656	2,484	2,351	2,839	3,842	4,497
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,042	6,124	7,104	8,005	9,232	12,917	17,612	25,234	35,452	38,290
(ञ) पोषण	2,249	2,255	2,836	3,226	4,022	4,845	6,178	8,475	14,578	15,129
(ट) प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	5,012	4,153	4,657	5,566	8,570	7,859	6,657	8,326	10,378	5,323
(ठ) अन्य	655	684	818	810	1,009	1,741	2,061	2,485	2,771	2,963
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	10,992	12,791	14,687	16,966	19,223	21,071	24,357	29,862	34,173	37,329
(क) ग्रामीण विकास	10,192	11,747	13,547	15,391	17,588	19,315	22,203	26,550	29,640	33,499
(ख) खाद्य संग्रहण और भण्डारण	800	1,045	1,140	1,574	1,635	1,756	2,153	3,311	4,533	3,830
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	9,669	9,028	11,171	15,573	18,261	22,615	29,819	38,485	43,987	46,454
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	5,777	7,203	9,294	11,685	14,137	17,393	22,990	29,168	35,240	37,270
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	513	492	648	984	1,716	2,379	3,360	4,595	5,233	5,691
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	605	623	917	1,008	1,722	3,135	3,415	3,632	4,472	4,529
(ग) परिवार कल्याण	34	10	18	3	4	35	40	73	82	12
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,686	3,553	3,586	5,180	5,181	6,646	9,344	11,331	11,638	9,907
(ङ) आवास	511	635	599	976	745	982	1,009	1,209	1,394	3,729
(च) शहरी विकास	350	468	1,841	1,774	2,301	1,766	2,457	4,150	7,798	7,314
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	423	618	781	928	1,242	1,715	1,841	2,441	2,558	3,271
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	36	85	163	158	244	272	517	794	1,030	1,258
(झ) अन्य	619	718	740	675	982	463	1,004	944	1,036	1,559
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	3,892	1,825	1,877	3,888	4,124	5,222	6,829	9,317	8,747	9,184
(क) ग्रामीण विकास	2,280	2,223	2,318	3,015	3,951	5,388	5,728	5,832	7,898	9,826
(ख) खाद्य संग्रहण और भण्डारण	1,613	-399	-441	873	173	-166	1,101	3,486	849	-642
3. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (i + ii)	3,242	2,754	2,789	2,503	3,394	4,746	7,525	7,923	7,767	7,955
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	2,863	2,736	2,784	2,186	3,042	3,630	6,180	6,394	5,771	7,046
(क) शिक्षा	3	34	49	128	53	16	19	14	12	7
(ख) आवास	506	544	810	739	750	894	3,282	3,320	818	1,152
(ग) आवास (सरकारी कर्मचारी)	952	786	560	320	360	429	455	588	777	864
(घ) अन्य	1,402	1,371	1,365	998	1,879	2,290	2,425	2,472	4,164	5,023
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	379	18	5	317	352	1,117	1,345	1,528	1,996	909
(क) ग्रामीण विकास	-	-	-	7	6	6	3	4	16	81
(ख) खाद्य संग्रहण और भण्डारण	379	18	5	310	346	1,111	1,343	1,524	1,980	827
सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय (1+2+3)	1,29,253	1,33,648	1,46,164	1,64,077	1,89,430	2,22,988	2,65,466	3,31,538	4,22,161	4,60,605

संअ: संशोधित अनुमान. बअ: बाट अनुमान. '-': उपलब्ध नहीं.

*: राय सरकारों द्वारा राजस्व व्यय पूंजी परिव्यय तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रहण और भण्डारण पर खां शामिल हैं।

नोट : 1990-91 से 2008-09 के मू और कश्मीर के आंकड़े और 2001-02 से 2008-09 के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राय सरकारों के बाट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 16: सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन

(राशि करोड़ रुपये में)

साल	राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4-5)	सकल राजकोषीय घाटा के प्रति प्रतिशत				
						राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	कुल (7+8+9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990-91	5,309	9,223	4,255	—	18,787	28.3	49.1	22.6	—	100.0
1991-92	5,651	10,096	3,154	—	18,900	29.9	53.4	16.7	—	100.0
1992-93	5,114	10,655	5,123	—	20,891	24.5	51.0	24.5	—	100.0
1993-94	3,872	12,354	4,139	—	20,364	19.0	60.7	20.3	—	100.0
1994-95	6,706	17,138	3,464	—	27,308	24.6	62.8	12.7	—	100.0
1990-95 (औ)	5,330	11,893	4,027	—	21,250	25.2	55.4	19.4	—	100.0
1995-96	8,620	18,226	4,024	—	30,870	27.9	59.0	13.0	—	100.0
1996-97	16,878	17,123	2,754	193	36,561	46.2	46.8	7.5	0.5	100.0
1997-98	17,492	22,137	3,845	—	43,474	40.2	50.9	8.8	—	100.0
1998-99	44,462	22,731	6,606	505	73,294	60.7	31.0	9.0	0.7	100.0
1999-2000	54,549	25,002	10,549	—	90,099	60.5	27.7	11.7	—	100.0
1995-2000 (औ)	28,400	21,044	5,555	140	54,860	47.1	43.1	10.0	0.2	100.0
2000-01	55,316	30,260	2,346	—	87,923	62.9	34.4	2.7	—	100.0
2001-02	60,398	31,658	2,206	—	94,261	64.1	33.6	2.3	—	100.0
2002-03	57,179	35,655	6,892	—	99,726	57.3	35.8	6.9	—	100.0
2003-04	63,407	51,573	5,650	—	1,20,629	52.6	42.8	4.7	—	100.0
2004-05	39,158	60,133	8,483	—	1,07,774	36.3	55.8	7.9	—	100.0
2000-05 (औ)	55,091	41,856	5,116	—	1,02,063	54.6	40.5	4.9	—	100.0
2005-06	7,013	77,559	5,521	9	90,084	7.8	86.1	6.1	—	100.0
2006-07	-24,857	98,063	6,207	1,906	77,508	-32.1	126.5	8.0	2.5	100.0
2007-08	-42,943	1,18,862	6,491	6,955	75,455	-56.9	157.5	8.6	9.2	100.0
2008-09	-12,672	1,42,628	4,899	266	1,34,589	-9.4	106.0	3.6	0.2	100.0
2009-10 (संअ)	46,663	1,60,407	9,391	361	2,16,101	21.6	74.2	4.3	0.2	100.0
2010-11 (बअ)	24,370	1,66,703	10,620	3,155	1,98,539	12.3	84.0	5.3	1.6	100.0

औ : औसत.

‘—’ : नगण्य / शून्य.

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

नोट : 1. 1990-91 से 2008-09 के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े और 2001-02 से 2008-09 के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 17: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उचंच और विविध	विशेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+) (13+ 14 +15)	नकदी शेष में वृद्धि (-)/ कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाता से आहरण (+) / में परिवर्धन (-)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि(+)/ कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (सराधा) (2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	2,556	9,978	—	241	3,069	1,120	1,670	376	-154	4	-74	266	-427	88	18,787
1991-92	3,305	9,374	—	-19	2,909	1,343	1,587	724	-716	237	156	629	-685	212	18,900
1992-93	3,501	8,921	—	-46	3,622	1,523	2,378	3,197	-337	-38	-1,829	602	-2,248	-183	20,891
1993-94	3,620	9,400	—	113	4,330	1,541	1,561	-556	-226	217	363	561	-137	38	20,364
1994-95	4,075	14,250	—	2,099	4,779	1,713	3,545	788	59	347	-4,347	1,173	-3,667	-1,974	27,308
1990-95 (औ)	3,411	10,385	—	478	3,742	1,448	2,148	906	-275	153	-1,146	646	-1,433	-364	21,250
1995-96	5,888	14,075	—	635	4,902	2,101	2,947	3,096	-338	245	-2,680	-465	-3,589	1,204	30,870
1996-97	6,515	16,696	—	686	5,375	2,438	4,465	129	-7,505	558	7,202	6,794	-415	663	36,561
1997-98	7,280	22,649	—	1,504	6,226	2,930	3,521	271	-30	927	-1,803	-561	385	-1,926	43,474
1998-99	10,467	30,350	—	2,382	11,969	3,588	7,131	1,483	2,244	414	3,268	-33,690	32,982	4,228	73,295
1999-2000	12,664	12,178	26,416	3,381	17,877	2,562	9,051	849	77	1,917	3,126	-625	1,268	2,470	90,098
1995-2000 (औ)	8,563	19,190	26,416 *	1,718	9,270	2,724	5,423	1,166	-1,111	812	1,823	-5,710	6,126	1,328	54,860
2000-01	12,519	8,324	32,606	4,550	13,107	3,099	7,136	2,355	1,032	5,574	-2,379	-849	-727	-769	87,922
2001-02	17,249	10,895	35,648	6,285	10,186	4,521	4,996	-2,452	-427	3,814	3,545	-637	1,203	2,860	94,261
2002-03	28,484	-372	48,966	4,858	9,863	4,799	711	1,212	93	5,403	-4,290	5,057	-2,762	-6,907	99,727
2003-04	47,286	13,940	18,003	4,132	9,325	6,377	-374	-3,651	1,850	24,268	-526	1,713	-1,778	-461	1,20,631
2004-05	34,559	-9,781	64,192	26 **	8,883	7,127	8,074	-2,623	1,240	6,335	-10,232	-651	-8,026	-1,782	1,07,774
2000-05 (औ)	28,019	4,601	39,883	4,956	10,273	5,185	4,109	-1,032	758	9,079	-2,776	927	-2,418	-1,412	1,02,063
2005-06	15,305	-44	73,815	4,055	10,463	5,228	7,262	7,911	51	-17	-33,947	1,827	-34,761	-1,013	90,084
2006-07	13,083	-8,887	56,023	3,937	10,370	7,634	12,796	4,675	-305	-5,493	-16,324	4,783	-21,275	168	77,508
2007-08	53,925	-933	5,853	6,300	12,338	-5,923	13,581	3,738	1,254	-1,269	-13,410	8,793	-22,160	-43	75,455
2008-09	1,04,041	-761	1,479	5,698	15,641	7,542	4,594	8,800	-1,522	-1,964	-8,959	15,802	-24,458	-302	1,34,589
2009-10 (संअ)	1,23,437	4,859	18,967	8,232	24,289	-7,208	6,236	5,482	325	-4,407	35,889	19,446	16,255	189	2,16,101
2010-11 (बअ)	1,32,641	6,969	12,075	8,147	22,426	3,739	3,566	-11,803	8,865	-6,773	18,687	11,639	7,074	-26	1,98,539

संअ : संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि.

औ : औसत.

‘—’ : लागू नहीं.

* : 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि यह उसी वर्ष से शुरू की गई थी। इसलिए 1995-2000 (औ) की मदों का जोड़ सराधा के बराबर नहीं होगा।

** : तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) के बांडों के समायोजन के कारण एनसीडीसी से ऋण के तहत तमिलनाडु ने 1,376 करोड़ रुपये का एक ऋणात्मक आंकड़ा दिखाया है।

नोट : 1. ‘अन्य’ एक अवशिष्ट मद है और इसमें अन्य बातों के साथ आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान, भूमि मुआवजा और अन्य बांड और सारणी में वर्णित से इतर वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल हैं।

2. 1999-2000 से लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण, केंद्र से ऋण में अल्प बचत संग्रह में राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है, उसे आंतरिक ऋण के तहत एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के तहत दिखाया गया है। तदनुसार, केंद्र को ऋण की चुकौती के अंतर्गत शामिल अल्प बचत संग्रह की चुकौती को अब आंतरिक ऋण के उन्मोचन के तहत दिखाया गया है ताकि प्राप्तियों और व्यय का सुसंगत लेखांकन हो सके।

3. वर्ष 2008-09 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

4. सभी आंकड़े निवल आधार पर हैं।

5. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर [2008-09, 2009-10 (संअ) और 2010-11 (बअ)] और मणीपुर [2008-09, 2009-10 (संअ)] के लिए आंतरिक ऋण के उन्मोचन के अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ के तहत शामिल किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 18: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत रूप में

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबाई, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उच्च और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+) (13+ 14 +15)	नकदी शेष में वृद्धि (-)/ कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाता से आहरण (+) / में परिवर्धन (-)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि(+)/ कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (सराया) (2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	13.6	53.1	—	1.3	16.3	6.0	8.9	2.0	-0.8	0.0	-0.4	1.4	-2.3	0.5	100.0
1991-92	17.5	49.6	—	-0.1	15.4	7.1	8.4	3.8	-3.8	1.3	0.8	3.3	-3.6	1.1	100.0
1992-93	16.8	42.7	—	-0.2	17.3	7.3	11.4	15.3	-1.6	-0.2	-8.8	2.9	-10.8	-0.9	100.0
1993-94	17.8	46.2	—	0.6	21.3	7.6	7.7	-2.7	-1.1	1.1	1.8	2.8	-0.7	0.2	100.0
1994-95	14.9	52.2	—	7.7	17.5	6.3	13.0	2.9	0.2	1.3	-15.9	4.3	-13.4	-7.2	100.0
1990-95 (औ)	16.1	48.8	—	1.8	17.6	6.8	9.9	4.3	-1.4	0.7	-4.5	2.9	-6.2	-1.3	100.0
1995-96	19.1	45.6	—	2.1	15.9	6.8	9.5	10.0	-1.1	0.8	-8.7	-1.5	-11.6	3.9	100.0
1996-97	17.8	45.7	—	1.9	14.7	6.7	12.2	0.4	-20.5	1.5	19.7	18.6	-1.1	1.8	100.0
1997-98	16.7	52.1	—	3.5	14.3	6.7	8.1	0.6	-0.1	2.1	-4.1	-1.3	0.9	-4.4	100.0
1998-99	14.3	41.4	—	3.2	16.3	4.9	9.7	2.0	3.1	0.6	4.5	-46.0	45.0	5.8	100.0
1999-2000	14.1	13.5	29.3	3.8	19.8	2.8	10.0	0.9	0.1	2.1	3.5	-0.7	1.4	2.7	100.0
1995-2000 (औ)	16.4	39.7	29.3 *	2.9	16.2	5.6	9.9	2.8	-3.7	1.4	3.0	-6.2	6.9	2.0	100.0
2000-01	14.2	9.5	37.1	5.2	14.9	3.5	8.1	2.7	1.2	6.3	-2.7	-1.0	-0.8	-0.9	100.0
2001-02	18.3	11.6	37.8	6.7	10.8	4.8	5.3	-2.6	-0.5	4.0	3.8	-0.7	1.3	3.0	100.0
2002-03	28.6	-0.4	49.1	4.9	9.9	4.8	0.7	1.2	0.1	5.4	-4.3	5.1	-2.8	-6.9	100.0
2003-04	39.2	11.6	14.9	3.4	7.7	5.3	-0.3	-3.0	1.5	20.1	-0.4	1.4	-1.5	-0.4	100.0
2004-05	31.6	-10.8	62.2	0.0	7.2	6.5	7.4	-2.4	1.1	-12.4	9.6	0.6	7.3	1.6	100.0
2000-05 (औ)	26.4	4.3	40.2	4.0	10.1	5.0	4.2	-0.8	0.7	4.7	1.2	1.1	0.7	-0.7	100.0
2005-06	17.0	0.0	81.9	4.5	11.6	5.8	8.1	8.8	0.1	0.0	-37.7	2.0	-38.6	-1.1	100.0
2006-07	16.9	-11.5	72.3	5.1	13.4	9.8	16.5	6.0	-0.4	-7.1	-21.1	6.2	-27.4	0.2	100.0
2007-08	71.5	-1.2	7.8	8.3	16.4	-7.8	18.0	5.0	1.7	-1.7	-17.8	11.7	-29.4	-0.1	100.0
2008-09	77.3	-0.6	1.1	4.2	11.6	5.6	3.4	6.5	-1.1	-1.5	-6.7	11.7	-18.2	-0.2	100.0
2009-10 (संभ)	57.1	2.2	8.8	3.8	11.2	-3.3	2.9	2.5	0.2	-2.0	16.6	9.0	7.5	0.1	100.0
2010-11 (बअ)	66.8	3.5	6.1	4.1	11.3	1.9	1.8	-5.9	4.5	-3.4	9.4	5.9	3.6	0.0	100.0

संभ : संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि.

औ : औसत.

‘—’ : शून्य / नगण्य / लागू नहीं.

* : 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि यह उसी वर्ष से शुरू की गई थी। इसलिए 1995-2000 (औ) की मदों का जोड़ 100 के बराबर नहीं होगा।

नोट: परिशिष्ट सारणी 17 के अनुरूप।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 19: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना
(मार्च के अंत की स्थिति)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बाजार ऋण	बिजली बांड	मुआवजा और अन्य बांड	एनएस-एसएफ	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	14 = जोड़ (2 से 6)+13	15	16	17	18	19	20 = sum (14 to 19)
1991	15,652	—	60	—	1,050	718	241	278	303	630	343	2,513	19,274	73,521	16,861	4,734	12,769	995	1,28,155
1992	19,008	—	64	—	1,288	775	267	151	604	812	301	2,910	23,270	82,979	19,790	5,519	14,502	969	1,47,030
1993	22,480	—	72	—	1,073	894	295	25	733	885	396	3,228	26,853	91,626	23,515	6,698	18,911	762	1,68,365
1994	26,119	—	79	—	1,306	1,044	380	-85	807	893	391	3,429	30,933	1,01,122	27,972	8,180	19,009	658	1,87,875
1995	31,200	—	77	—	608	1,135	421	-79	943	1,071	509	3,999	35,885	1,15,238	32,894	9,013	22,963	489	2,16,483
1996	37,088	—	76	—	1,894	1,257	501	288	1,175	1,101	517	4,838	43,895	1,29,264	38,216	10,577	26,654	929	2,49,535
1997	43,602	—	74	—	2,557	1,418	—	821	1,183	1,108	575	5,106	51,338	1,46,168	44,095	12,350	31,436	511	2,85,898
1998	50,847	—	77	—	630	1,684	—	2,038	1,396	1,107	1,510	7,734	59,289	1,68,656	50,843	14,498	36,609	921	3,30,816
1999	61,477	—	66	—	4,858	2,203	—	3,147	2,057	1,204	2,178	10,789	77,190	1,99,007	63,256	17,320	42,357	445	3,99,576
2000	75,427	—	65	25,251	7,328	3,102	—	4,372	3,177	1,345	5,114	17,110	1,25,181	2,30,331	80,523	19,769	52,193	1,533	5,09,529
2001	86,767	—	62	56,352	6,559	4,216	—	6,501	4,390	1,439	12,667	29,213	1,78,953	2,38,655	93,629	22,868	59,328	714	5,94,147
2002	1,04,027	—	59	90,226	9,419	5,085	—	8,969	7,139	1,622	18,078	40,894	2,44,625	2,49,551	1,03,815	27,389	64,325	1,042	6,90,747
2003	1,33,066	—	63	1,39,193	2,512	6,621	—	11,546	7,896	1,611	23,524	51,198	3,26,032	2,49,179	1,13,678	32,188	65,036	314	7,86,427
2004	1,79,917	28,984	82	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,222	3,071	33,407	65,960	4,76,772	1,92,981	1,21,841	42,217	69,116	246	9,03,174
2005	2,13,480	29,883	83	2,82,200	1,498	11,994	990	8,226	9,486	1,577	35,648	67,921	5,95,064	1,60,045	1,30,828	52,311	75,290	527	10,14,067
2006	2,28,925	31,581	82	3,65,933	407	12,609	989	11,654	9,680	1,195	35,718	71,845	6,98,773	1,57,004	1,40,806	63,120	86,691	1,322	11,47,717
2007	2,42,777	26,051	82	4,25,309	299	12,197	971	15,622	9,176	1,118	30,253	69,338	7,63,855	1,46,653	1,49,920	78,761	1,01,068	1,319	12,41,576
2008	2,98,508	23,143	80	4,30,879	255	11,534	927	20,867	9,295	1,175	27,640	71,438	8,24,304	1,45,098	1,61,972	78,265	1,16,591	2,073	13,28,302
2009	4,01,924	21,691	80	4,31,915	372	10,842	905	27,429	9,099	1,189	28,315	77,780	9,33,762	1,43,870	1,77,434	83,927	1,28,350	2,853	14,70,195
2010 (संअ)	5,15,785	18,784	79	4,55,015	561	10,160	905	36,687	8,480	1,464	25,243	82,940	10,73,163	1,48,729	2,01,723	76,719	1,34,586	3,554	16,38,474
2011 (बअ)	6,48,426	15,877	80	4,67,091	535	9,556	905	46,153	7,808	1,422	20,108	85,951	12,17,959	1,55,698	2,24,149	80,458	1,38,152	3,739	18,20,155

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

‘—’: लागू नहीं / उपलब्ध नहीं / नगण्य.

नोट : 1. 1997 से 2003 तक, ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ में ‘अन्य ऋण’ और ‘जीआइसी से ऋण’ भी शामिल हैं। 2004 से, ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ में ‘अन्य ऋण’ शामिल है।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर [2008-09, 2009-10 (संअ) और 2010-11 (बअ)] और मणिपुर [2008-09, 2009-10 (संअ)] के लिए आंतरिक ऋण के उन्मोचन के अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ के तहत शामिल किया गया है।

3.1 अप्रैल 2010 को चुकौती के लिए देय पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों के वार्षिक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उसे मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया गया है।

4. ‘आंकड़ा स्रोतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट’ भी देखें।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट सारणी 20 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना - कुल का अनुपात
(मार्च के अंत की स्थिति)

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार ऋण	बिजली बांड	मुआवजा और अन्य बांड	एनएस-एसएफ	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	जीआइ-सी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी-सी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम Advances (Net Balances)	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	14 = जोड़ (2 से 6)+13	15	16	17	18	19	20 = sum (14 to 19)
1991	12.2	—	0.05	—	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	2.0	15.0	57.4	13.2	3.7	10.0	0.8	100.0
1992	12.9	—	0.04	—	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	2.0	15.8	56.4	13.5	3.8	9.9	0.7	100.0
1993	13.4	—	0.04	—	0.6	0.5	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.9	15.9	54.4	14.0	4.0	11.2	0.5	100.0
1994	13.9	—	0.04	—	0.7	0.6	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.8	16.5	53.8	14.9	4.4	10.1	0.4	100.0
1995	14.4	—	0.04	—	0.3	0.5	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.8	16.6	53.2	15.2	4.2	10.6	0.2	100.0
1996	14.9	—	0.03	—	0.8	0.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	1.9	17.6	51.8	15.3	4.2	10.7	0.4	100.0
1997	15.3	—	0.03	—	0.9	0.5	—	0.3	0.4	0.4	0.2	1.8	18.0	51.1	15.4	4.3	11.0	0.2	100.0
1998	15.4	—	0.02	—	0.2	0.5	—	0.6	0.4	0.3	0.5	2.3	17.9	51.0	15.4	4.4	11.1	0.3	100.0
1999	15.4	—	0.02	—	1.2	0.6	—	0.8	0.5	0.3	0.5	2.7	19.3	49.8	15.8	4.3	10.6	0.1	100.0
2000	14.8	—	0.01	5.0	1.4	0.6	—	0.9	0.6	0.3	1.0	3.4	24.6	45.2	15.8	3.9	10.2	0.3	100.0
2001	14.6	—	0.01	9.5	1.1	0.7	—	1.1	0.7	0.2	2.1	4.9	30.1	40.2	15.8	3.8	10.0	0.1	100.0
2002	15.1	—	0.01	13.1	1.4	0.7	—	1.3	1.0	0.2	2.6	5.9	35.4	36.1	15.0	4.0	9.3	0.2	100.0
2003	16.9	—	0.01	17.7	0.3	0.8	—	1.5	1.0	0.2	3.0	6.5	41.5	31.7	14.5	4.1	8.3	—	100.0
2004	19.9	3.2	0.01	22.0	0.4	1.0	0.1	1.2	0.9	0.3	3.7	7.3	52.8	21.4	13.5	4.7	7.7	—	100.0
2005	21.1	2.9	0.01	27.8	0.1	1.2	0.1	0.8	0.9	0.2	3.5	6.7	58.7	15.8	12.9	5.2	7.4	0.1	100.0
2006	19.9	2.8	0.01	31.9	—	1.1	0.1	1.0	0.8	0.1	3.1	6.3	60.9	13.7	12.3	5.5	7.6	0.1	100.0
2007	19.6	2.1	0.01	34.3	—	1.0	0.1	1.3	0.7	0.1	2.4	5.6	61.5	11.8	12.1	6.3	8.1	0.1	100.0
2008	22.5	1.7	0.01	32.4	—	0.9	0.1	1.6	0.7	0.1	2.1	5.4	62.1	10.9	12.2	5.9	8.8	0.2	100.0
2009	27.3	1.5	0.01	29.4	—	0.7	0.1	1.9	0.6	0.1	1.9	5.3	63.5	9.8	12.1	5.7	8.7	0.2	100.0
2010 (संअ)	31.5	1.1	—	27.8	—	0.6	0.1	2.2	0.5	0.1	1.5	5.1	65.5	9.1	12.3	4.7	8.2	0.2	100.0
2011 (बअ)	35.6	0.9	—	25.7	—	0.5	—	2.5	0.4	0.1	1.1	4.7	66.9	8.6	12.3	4.4	7.6	0.2	100.0

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

‘—’: लागू नहीं / उपलब्ध नहीं / नगण्य.

नोट : 1. 1997 से 2003 तक, ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ में ‘अन्य ऋण’ और ‘जीआइसी से ऋण’ भी शामिल हैं। 2004 से, ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ में ‘अन्य ऋण’ शामिल है।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर [2008-09, 2009-10 (संअ) और 2010-11 (बअ)] और मणीपुर [2008-09, 2009-10 (संअ)] के लिए आंतरिक ऋण के उन्मोचन के अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य संस्थाओं से ऋण’ के तहत शामिल किया गया है।

3. 1 अप्रैल 2010 को चुकौती के लिए देय पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों के वार्षिक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उसे मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया गया है।

4. ‘आंकड़ा स्रोतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट’ भी देखें।

परिशिष्ट सारणी 21 : राज्य सरकार के बाजार उधार

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सकल आबंटन	चुकोती	निवल आबंटन
1	2	3	4
1990-91	2,569	—	2,569
1991-92	3,364	—	3,364
1992-93	3,805	334	3,471
1993-94	4,145	507	3,638
1994-95	5,123	—	5,123
1995-96	6,274	343	5,931
1996-97	6,536	—	6,536
1997-98	7,749	557	7,192
1998-99	12,114	1,414	10,700
1999-00	13,706	1,301	12,405
2000-01	13,300	420	12,880
2001-02	18,707	1,446	17,261
2002-03*	30,853	1,789	29,064
2003-04*	50,521	4,145	46,376
2004-05*	39,101	5,123	33,978
2005-06	21,729	6,274	15,455
2006-07	26,597	6,551	20,046
2007-08 @	80,570	11,555 #	69,015
2008-09 @	1,29,080 \$	14,371	1,14,709 \$
2009-10 @	1,18,189 \$	16,238	1,04,937 \$
2010-11 @	1,63,640 \$	15,641	1,47,999 \$

'—': शून्य.

* : ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए 10,000 करोड़ रुपये, 2003-04 के लिए 26,623 करोड़ रुपये, और 2004-05 के लिए 16, 943 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बाजार उधार शामिल हैं।

: उड़ीसा सरकार द्वारा 156 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को छोड़कर।

@ : संघ राज्यक्षेत्र पुदुचेरी शामिल है।

\$: इसमें 23 मार्च 2011 तक अतिरिक्त आबंटन शामिल हैं।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

परिशिष्ट सारणी 22: आयकर की निवल आय के संवितरण का मापदंड

(प्रतिशत)

आयोग	आयकर में राज्यों का हिस्सा	वितरण के लिए मापदंड भार												
		औसत जनसंख्या से दूरी	प्रति व्यक्ति आय से दूरी	जनसंख्या	प्रतिलोम प्रति व्यक्ति आय * (जनसंख्या)	पिछड़ापन	संग्रह (अंशदान)	मूल्यांकन	समायोजित क्षेत्र	बुनियादी ढांचे	कर प्रयास	राजकोषीय अनुशासन	आय दूरी	राजकोषीय क्षमता दूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पहला वित्त आयोग	55.0	—	—	80.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
दूसरा वित्त आयोग	60.0	—	—	90.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
तीसरा वित्त आयोग	66.6	—	—	80.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
चौथा वित्त आयोग	75.0	—	—	80.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
पांचवां वित्त आयोग	75.0	—	—	90.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
छठा वित्त आयोग	80.0	—	—	90.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
सातवाँ वित्त आयोग	85.0	—	—	90.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
आठवाँ वित्त आयोग	85.0	—	45.0	22.5	22.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
नौवां वित्त आयोग	85.0	45.0	—	22.5	11.25	11.25	—	10.0	—	—	—	—	—	—
दसवां वित्त आयोग	77.5	60.0	—	20.0	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—	—	—
ग्यारहवां वित्त आयोग	29.5*	62.5	—	10.0	—	—	—	—	7.5	7.5	5.0	7.5	—	—
बारहवां वित्त आयोग	30.5*	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	7.5	7.5	50.0	—
तेरहवां वित्त आयोग	32.0*	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	17.5	—	47.5

*साझा करने योग्य सभी केंद्रीय करों की निवल आय में राज्यों का कुल हिस्सा

स्रोत: वित्त आयोग की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 23: केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संवितरण का मापदंड

(प्रतिशत)

आयोग	आयकर में राज्यों का हिस्सा	वितरण के लिए मापदंड भार								
		प्रति व्यक्ति आय से दूरी	जनसंख्या	प्रतिलोम आय	पिछड़ापन	योजनेतर राजस्व घाटा	समायोजित क्षेत्र	बुनियादी ढांचे	कर प्रयास	अन्य
पहला वित्त आयोग	40.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—
दूसरा वित्त आयोग	25.0	—	90.0	—	—	—	10.0	—	—	—
तीसरा वित्त आयोग	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चौथा वित्त आयोग	20.0	—	80.0	—	20.0	—	—	—	—	—
पांचवां वित्त आयोग	20.0	—	80.0	—	20.0	—	—	—	—	—
छठा वित्त आयोग	20.0	25	75.0	—	—	—	—	—	—	—
सातवां वित्त आयोग	40.0	—	25.0	25.0	25.0	—	—	—	—	25.0
आठवां वित्त आयोग	45*	50.0	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—
नौवां वित्त आयोग	45.0	33.5	25.0	12.5	12.5	16.5	—	—	—	—
दसवां वित्त आयोग	47.5**	60.0	20.0	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—
ग्यारहवां वित्त आयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बारहवां वित्त आयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तेरहवां वित्त आयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

'—': शून्य

* : निवल आय का 40 प्रतिशत वितरित किया जाएगा जबकि शेष 5 प्रतिशत योजनेतर राजस्व घाटा राज्यों के लिए रखा है।

** : निवल आय का 40 प्रतिशत वितरित किया जाएगा जबकि शेष 7.5 प्रतिशत योजनेतर राजस्व घाटा राज्यों के लिए रखा है।

स्रोत: विभिन्न वित्त आयोगों की रिपोर्ट।

विवरण

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	राजस्व घाटा / सकल राजकोषीय घाटा			पूंजी परिव्यय / सकल राजकोषीय घाटा			निवल ऋण / सकल राजकोषीय घाटा			गैर विकास व्यय / कुल वितरण		
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	-8.1	-20.6	-27.3	83.6	112.1	110.4	24.5	8.5	16.9	23.3	22.8	25.7
2. बिहार	-178.3	-1.8	-142.7	256.7	97.3	227.1	21.5	4.5	15.6	28.9	29.0	29.5
3. छत्तीसगढ़	-182.1	5.1	-27.0	286.4	95.9	127.9	-4.2	-1.0	-0.9	20.9	18.5	20.4
4. गोवा	-12.6	18.3	-	110.3	80.1	99.6	2.3	1.6	0.5	27.3	27.6	30.5
5. गुजरात	0.6	34.5	29.7	97.9	64.1	67.9	1.7	1.4	2.4	26.0	28.0	29.3
6. हरियाणा	31.8	43.8	44.7	68.6	47.5	39.9	-0.3	8.9	15.6	24.0	24.6	26.4
7. झारखंड	-16.7	-146.6	-527.2	104.1	210.4	568.0	12.7	36.1	59.1	28.0	29.3	27.5
8. कर्नाटक	-18.7	-4.8	-5.2	113.0	96.9	121.3	7.7	8.2	12.7	23.6	23.1	24.2
9. केरल	58.5	60.9	42.5	26.7	29.0	48.5	14.9	10.2	9.1	39.1	38.7	36.8
10. मध्य प्रदेश	-91.6	-80.5	-19.7	151.4	122.6	100.3	40.8	57.9	19.5	25.7	24.1	26.9
11. महाराष्ट्र	-39.8	41.2	31.5	134.8	55.4	67.0	5.1	3.4	1.5	27.5	27.4	30.5
12. उड़ीसा	-1,023.8	28.0	17.9	1,131.4	76.9	80.2	-7.6	-4.9	1.9	27.1	31.5	32.1
13. पंजाब	57.6	63.3	62.1	42.7	55.0	39.7	-0.4	-18.3	-1.9	49.5	46.4	45.6
14. राजस्थान	11.9	40.3	13.0	84.6	55.8	87.8	3.6	3.9	-0.8	29.8	30.7	31.9
15. तमिलनाडु	-17.0	39.0	20.9	106.5	66.9	75.7	10.5	-6.0	3.3	27.8	28.8	29.8
16. उत्तर प्रदेश	-9.1	-8.3	-2.4	108.9	105.7	100.9	0.1	2.7	1.6	29.3	33.8	35.3
17. पश्चिम बंगाल	108.5	83.9	73.7	27.3	14.3	24.2	-35.8	1.8	2.1	34.3	39.7	36.0
कुल I	-0.6	25.6	16.2	97.2	69.8	79.7	3.6	4.6	5.7	28.6	29.7	30.7
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-297.9	-853.4	-1,557.7	390.5	951.1	1,657.0	7.4	2.2	0.8	19.3	21.1	32.1
2. असम	272.5	52.8	64.0	-168.7	46.7	35.5	-3.8	0.4	0.5	30.9	35.4	27.3
3. हिमाचल प्रदेश	5.7	6.8	20.7	91.3	92.1	72.2	3.0	1.2	7.1	31.9	32.0	34.8
4. जम्मू और कश्मीर	-144.7	-200.0	-265.0	243.1	297.1	361.0	1.5	3.0	4.0	33.0	34.0	35.9
5. मणिपुर	-576.5	-475.8	-467.5	676.3	574.2	625.9	0.2	1.6	5.2	26.1	25.5	29.6
6. मेघालय	-29.4	-35.5	-88.2	122.0	132.1	184.3	7.3	3.4	3.8	28.9	24.6	25.0
7. मिजोरम	-360.0	-66.5	-816.4	467.9	167.8	928.4	-7.9	-1.3	-12.0	28.9	27.3	30.4
8. नागालैंड	-150.1	-45.0	-334.3	250.4	142.9	433.5	-0.3	2.1	0.8	37.9	34.6	36.2
9. सिक्किम	-161.4	-184.1	-147.6	261.4	272.6	246.7	-0.1	11.5	0.9	48.2	44.1	40.3
10. त्रिपुरा	-351.0	-12.0	-80.2	445.5	110.7	177.9	5.5	1.3	2.2	33.9	32.6	39.7
11. उत्तराखंड	-13.0	28.7	-9.3	109.3	73.8	114.8	3.7	5.2	3.1	30.1	28.4	28.6
कुल II	-170.1	-12.3	-27.7	266.0	111.6	127.3	4.2	1.9	2.3	31.5	32.2	31.8
सभी राज्य (I+II)	-9.4	21.6	12.3	106.0	74.2	84.0	3.6	4.3	5.3	28.9	30.0	30.9
ज्ञापन मद्दे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-162.5	-188.8	-221.1	141.5	137.1	155.6	121.0	151.6	165.6	23.2	24.7	24.3
2. पुदुचेरी	30.2	51.3	25.4	70.4	53.2	74.8	-0.6	-0.4	-0.3	24.2	24.0	16.5

(जारी)

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (समाप्त)

(प्रतिशत)

राज्य	ब्याज भुगतान / राजस्व व्यय			राज्य का अपना कर राजस्व / राजस्व व्यय			राज्य का अपना गैर कर राजस्व / राजस्व व्यय			सकल अंतरण / सकल संवितरण		
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	13.0	12.1	11.7	53.9	53.9	54.0	15.7	18.7	18.0	25.0	24.8	27.1
2. बिहार	13.2	11.1	11.1	21.6	21.6	26.2	4.0	2.6	3.0	69.4	60.9	68.4
3. छत्तीसगढ़	7.8	5.9	6.1	47.8	35.7	38.2	16.0	18.3	22.0	39.9	37.5	35.2
4. गोवा	14.9	12.5	12.9	49.4	42.0	44.3	36.1	33.3	31.3	13.3	16.8	18.4
5. गुजरात	20.4	18.0	18.3	60.8	55.1	56.1	13.2	10.5	11.5	19.7	20.6	19.2
6. हरियाणा	11.4	11.1	13.7	56.8	52.7	57.8	15.8	11.8	12.5	13.7	18.2	14.7
7. झारखंड	13.8	13.0	12.9	32.8	32.3	36.1	14.2	17.5	18.9	42.8	49.6	49.4
8. कर्नाटक	10.9	11.4	11.9	66.4	64.0	68.2	7.6	5.4	5.3	24.2	25.5	22.9
9. केरला	16.5	17.0	16.6	56.7	56.9	60.0	5.5	5.8	6.6	23.7	24.2	22.5
10. मध्य प्रदेश	14.2	12.6	12.1	46.1	45.9	44.6	11.3	16.5	10.3	44.4	40.6	41.4
11. महाराष्ट्र	16.2	13.9	15.2	68.7	55.0	61.0	12.9	7.0	9.8	20.0	21.9	19.0
12. उड़ीसा	13.6	12.3	12.2	37.7	30.5	31.9	15.0	10.0	9.7	52.3	48.5	48.2
13. पंजाब	20.0	18.2	17.3	45.4	46.8	48.8	23.5	21.2	19.9	14.1	16.3	15.7
14. राजस्थान	18.1	16.5	17.0	43.6	40.4	43.7	11.3	12.4	11.4	34.8	31.3	34.9
15. तमिलनाडु	11.1	11.3	11.5	62.9	59.7	62.3	10.7	7.4	6.2	24.6	21.5	23.1
16. उत्तर प्रदेश	15.0	12.8	12.1	37.7	36.7	38.1	8.9	15.8	13.5	41.0	38.1	39.5
17. पश्चिम बंगाल	23.4	21.2	21.9	27.9	27.1	31.3	9.6	5.1	5.5	29.4	27.2	32.6
कुल I	15.3	13.9	14.1	49.8	46.0	48.9	11.8	11.3	11.1	30.8	30.1	30.7
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	7.5	6.3	8.2	4.7	3.1	4.3	26.9	38.7	11.5	69.0	63.6	66.0
2. असम	11.2	7.2	7.4	29.1	14.5	15.4	16.0	9.7	8.6	66.9	48.7	50.9
3. हिमाचल प्रदेश	20.1	18.5	18.5	23.8	24.4	24.4	18.6	16.7	14.7	42.6	44.7	45.6
4. जम्मू और कश्मीर	12.9	13.4	12.9	21.6	20.4	20.1	9.1	8.6	7.5	64.0	67.6	69.9
5. मणिपुर	12.0	10.4	8.9	6.5	6.4	7.1	9.7	9.8	11.3	78.4	81.7	77.9
6. मेघालय	7.9	6.9	6.6	13.8	11.2	11.4	8.4	6.7	6.4	64.7	69.2	74.7
7. मिजोरम	9.8	8.7	8.4	4.1	3.9	4.1	6.9	4.8	5.7	83.9	77.0	83.8
8. नागालैंड	10.9	10.5	9.4	5.4	4.4	4.7	6.2	4.0	3.8	77.2	70.8	84.1
9. सिक्किम	6.2	5.9	6.4	8.0	6.5	6.9	52.6	46.4	41.7	43.0	50.6	52.3
10. त्रिपुरा	12.6	10.4	10.8	14.1	11.8	14.1	4.8	3.3	4.0	77.3	61.1	69.7
11. उत्तराखंड	14.1	12.5	13.2	36.3	29.2	33.5	8.3	11.8	9.3	45.1	38.4	47.9
कुल II	12.8	10.6	10.7	21.6	16.5	17.5	13.9	12.2	9.8	61.3	55.8	60.1
सभी राज्य (I+II)	15.1	13.6	13.7	47.2	42.8	45.5	12.0	11.4	10.9	33.8	33.1	34.0
ज्ञापन मदें:												
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21.4	18.0	18.1	103.6	90.8	104.7	19.6	23.8	27.2	9.2	17.8	8.2
2 पुदुचेरी	10.1	8.7	8.4	28.2	27.4	37.7	24.5	20.4	28.2	40.5	36.6	24.1

संअ: संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान। '-': शून्य/ नगण्य / लागू नहीं।

नोट : 1. ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

विवरण 2: राजस्व घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपये)

राज्य	2008-09 (लेखा)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	राजस्व प्राप्ति	राजस्व खर्च	राजस्व अधिशेष (-)/ घाटा (+)	राजस्व प्राप्ति	राजस्व खर्च	राजस्व अधिशेष (-)/ घाटा (+)	राजस्व प्राप्ति	राजस्व खर्च	राजस्व अधिशेष (-)/ घाटा (+)
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	62,858	61,854	-1,004	78,406	75,464	-2,942	90,648	87,100	-3,548
2. बिहार	32,981	28,512	-4,469	37,869	37,696	-173	47,235	40,678	-6,557
3. छत्तीसगढ़	15,663	13,794	-1,869	18,576	18,734	158	20,526	19,667	-860
4. गोवा	3,528	3,425	-103	4,266	4,540	274	5,003	5,003	-1
5. गुजरात	38,676	38,741	66	43,449	47,805	4,357	49,477	53,979	4,502
6. हरियाणा	18,452	20,535	2,082	23,002	26,664	3,662	24,541	28,483	3,942
7. झारखंड	16,107	15,479	-628	19,841	17,227	-2,614	20,102	16,551	-3,551
8. कर्नाटक	43,291	41,659	-1,631	46,406	45,868	-538	53,639	53,138	-500
9. केरला	24,512	28,224	3,712	26,526	30,608	4,082	31,181	34,810	3,630
10. मध्य प्रदेश	33,577	29,514	-4,063	43,284	37,977	-5,308	43,444	41,863	-1,581
11. महाराष्ट्र	81,271	75,694	-5,577	88,498	1,01,229	12,730	97,044	1,04,698	7,655
12. उड़ीसा	24,610	21,190	-3,420	27,678	29,242	1,564	31,445	32,482	1,037
13. पंजाब	20,713	24,569	3,856	25,452	29,604	4,152	28,617	33,405	4,788
14. राजस्थान	33,469	34,296	827	37,207	41,200	3,993	42,463	43,562	1,098
15. तमिलनाडु	55,043	53,590	-1,452	54,290	59,310	5,020	63,092	66,488	3,396
16. उत्तर प्रदेश	77,831	75,969	-1,862	98,124	96,137	-1,988	1,11,621	1,11,066	-554
17. पश्चिम बंगाल	36,904	51,613	14,709	39,416	62,470	23,054	47,572	64,014	16,441
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	3,856	2,872	-984	5,702	4,006	-1,696	5,101	3,342	-1,759
2. असम	18,077	14,243	-3,834	24,485	29,816	5,331	26,409	32,369	5,960
3. हिमाचल प्रदेश	9,308	9,438	130	10,536	10,691	155	11,589	12,093	505
4. जम्मू और कश्मीर	15,811	12,447	-3,364	19,553	15,100	-4,453	22,662	17,456	-5,207
5. मणिपुर	3,873	2,622	-1,250	4,714	3,190	-1,525	5,368	4,050	-1,318
6. मेघालय	2,811	2,683	-128	3,806	3,588	-218	4,394	4,062	-332
7. मिजोरम	2,653	2,314	-339	3,214	2,957	-257	3,254	2,912	-342
8. नागालैंड	3,401	2,890	-511	3,953	3,534	-419	5,354	4,365	-989
9. सिक्किम	2,671	2,294	-378	3,500	2,851	-649	3,585	3,053	-532
10. त्रिपुरा	4,077	3,129	-947	4,680	4,478	-202	5,513	4,722	-790
11. उत्तराखंड	8,635	8,395	-240	10,952	12,066	1,114	12,159	11,997	-162
सभी राज्य	6,94,657	6,81,985	-12,672	8,07,388	8,54,051	46,663	9,13,038	9,37,408	24,370
ज्ञापन मदें:									
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	16,352	11,763	-4,590	21,236	14,515	-6,721	21,770	14,879	-6,891
2 पुदुचेरी	2,458	2,570	112	2,890	3,303	412	3,241	3,498	257

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 3: पारंपरिक घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपये)

राज्य	2008-09 (लेखा)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	सकल प्राप्ति	सकल खर्च	पारंपरिक अधिशेष(-)/ घाटा(+)	सकल प्राप्ति	सकल खर्च	पारंपरिक अधिशेष(-)/ घाटा(+)	सकल प्राप्ति	सकल खर्च	पारंपरिक अधिशेष(-)/ घाटा(+)
1	2	3	4 = 3-2	5	6	7 = 6-5	8	9	10 = 9-8
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	76,640	80,804	4,164	98,592	98,563	-29	1,10,675	1,10,660	-15
2. बिहार	38,349	37,181	-1,168	43,918	49,552	5,634	54,103	53,759	-345
3. छत्तीसगढ़	16,938	17,714	776	23,149	23,364	215	24,858	25,408	549
4. गोवा	4,501	4,517	16	5,245	5,962	717	5,889	6,654	766
5. गुजरात	51,277	51,897	620	59,667	59,530	-138	68,125	68,682	557
6. हरियाणा	22,978	26,368	3,390	31,209	32,774	1,566	33,102	34,955	1,853
7. झारखंड	18,452	20,641	2,190	24,131	22,713	-1,418	23,531	22,298	-1,233
8. कर्नाटक	57,629	54,039	-3,590	57,115	60,051	2,936	68,765	68,713	-51
9. केरला	34,208	32,553	-1,655	34,882	35,090	208	41,709	42,116	407
10. मध्य प्रदेश	40,664	40,030	-633	52,092	52,230	138	52,992	53,429	437
11. महाराष्ट्र	1,08,046	99,068	-8,978	1,22,939	1,23,633	695	1,26,454	1,26,500	46
12. उड़ीसा	27,007	26,673	-334	33,296	35,160	1,864	37,849	38,997	1,148
13. पंजाब	28,235	28,786	551	35,542	34,959	-583	36,727	38,296	1,569
14. राजस्थान	42,942	42,968	27	46,455	50,172	3,717	54,347	54,348	1
15. तमिलनाडु	72,037	67,723	-4,314	71,005	72,344	1,339	80,204	83,059	2,855
16. उत्तर प्रदेश	98,270	1,04,398	6,128	1,23,168	1,28,539	5,371	1,38,679	1,40,699	2,020
17. पश्चिम बंगाल	60,563	60,933	370	69,917	72,702	2,784	76,224	75,803	-421
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	7,029	4,273	-2,756	6,523	6,324	-199	5,677	6,927	1,250
2. असम	21,561	17,486	-4,075	28,246	35,573	7,327	30,256	36,760	6,504
3. हिमाचल प्रदेश	12,507	12,492	-15	13,273	13,772	499	14,646	15,079	433
4. जम्मू और कश्मीर	18,785	18,750	-35	22,553	22,519	-34	25,472	25,588	116
5. मणिपुर	4,587	4,404	-184	5,233	5,142	-91	5,876	5,946	70
6. मेघालय	3,504	3,433	-71	4,388	4,583	195	5,003	4,930	-73
7. मिजोरम	2,789	2,869	79	3,961	3,870	-91	3,782	3,578	-204
8. नागालैंड	4,066	3,949	-117	4,572	5,165	592	5,929	5,935	6
9. सिक्किम	3,108	2,982	-126	3,966	3,939	-28	4,020	4,020	0
10. त्रिपुरा	4,416	4,511	95	5,686	6,555	869	6,246	6,693	448
11. उत्तराखंड	10,203	10,889	686	14,019	15,853	1,834	14,757	14,752	-5
सभी राज्य	8,91,292	8,82,333	-8,959	10,44,743	10,80,632	35,889	11,55,898	11,74,584	18,687
ज्ञापन मदें:									
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	17,580	20,361	2,781	23,152	25,800	2,648	23,084	26,000	2,916
2 पुदुचेरी	3,118	2,957	-161	4,183	3,863	-321	4,867	4,405	-462

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 4: सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपये)

राज्य	2008-09 (लेखा)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	प्राप्ति	खर्च	अधिशेष(-)/ घाटा(+)	प्राप्ति	खर्च	अधिशेष(-)/ घाटा(+)	प्राप्ति	खर्च	अधिशेष(-)/ घाटा(+)
1	2	3	4 = 3-2	5	6	7 = 6-5	8	9	10 = 9-8
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	62,858	75,264	12,406	78,406	92,688	14,282	90,648	103,631	12,983
2. बिहार	32,981	35,488	2,507	37,869	47,639	9,770	47,235	51,829	4,594
3. छत्तीसगढ़	15,665	16,691	1,027	18,576	21,684	3,109	20,526	23,706	3,180
4. गोवा	3,528	4,341	813	4,266	5,767	1,500	5,003	6,431	1,428
5. गुजरात	38,696	49,134	10,438	43,449	56,078	12,629	49,477	64,620	15,143
6. हरियाणा	18,459	25,017	6,558	23,018	31,378	8,360	24,557	33,372	8,816
7. झारखंड	16,107	19,859	3,751	19,841	21,624	1,783	20,102	20,775	674
8. कर्नाटक	43,472	52,204	8,732	46,446	57,712	11,266	56,439	66,147	9,708
9. केरला	24,521	30,868	6,346	26,532	33,229	6,698	31,190	39,734	8,543
10. मध्य प्रदेश	33,601	38,035	4,434	43,284	49,878	6,593	43,444	51,447	8,003
11. महाराष्ट्र	81,289	95,288	13,999	88,498	1,19,403	30,904	97,044	1,21,338	24,294
12. उड़ीसा	24,610	24,944	334	27,678	33,257	5,579	31,445	37,244	5,798
13. पंजाब	20,713	27,403	6,690	25,452	32,006	6,554	28,617	36,323	7,706
14. राजस्थान	33,473	40,446	6,973	37,207	47,107	9,900	42,463	50,925	8,461
15. तमिलनाडु	55,043	63,590	8,548	54,290	67,151	12,860	63,092	79,314	16,222
16. उत्तर प्रदेश	77,831	98,344	20,513	98,124	1,21,994	23,870	1,11,621	1,34,363	22,742
17. पश्चिम बंगाल	36,904	50,462	13,558	39,416	66,883	27,466	47,572	69,895	22,323
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	3,856	4,186	330	5,702	5,901	199	5,101	5,214	113
2. असम	18,077	16,670	-1,407	24,485	34,574	10,088	26,409	35,724	9,315
3. हिमाचल प्रदेश	9,308	11,586	2,278	10,536	12,827	2,291	11,589	14,027	2,438
4. जम्मू और कश्मीर	15,811	18,136	2,325	19,553	21,779	2,226	22,662	24,627	1,965
5. मणिपुर	3,873	4,090	217	4,714	5,035	320	5,547	5,829	282
6. मेघालय	2,811	3,246	435	3,806	4,421	614	4,394	4,770	376
7. मिजोरम	2,653	2,747	94	3,214	3,600	386	3,254	3,296	42
8. नागालैंड	3,401	3,742	341	3,953	4,884	931	5,354	5,650	296
9. सिक्किम	2,671	2,905	234	3,500	3,852	352	3,585	3,946	361
10. त्रिपुरा	4,077	4,347	270	4,680	6,367	1,687	5,513	6,498	986
11. उत्तराखंड	8,635	10,480	1,845	11,252	15,134	3,882	12,309	14,056	1,747
सभी राज्य	6,94,923	8,29,512	1,34,589	8,07,749	10,23,850	2,16,101	9,16,193	11,14,732	1,98,539
ज्ञापन मदें:									
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	16,352	19,176	2,824	21,236	24,797	3,561	21,770	24,886	3,116
2. पुदुचेरी	2,458	2,829	371	2,924	3,726	803	3,241	4,251	1,010

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।
 2. सकल राजकोषीय घाटा प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों और विविध पूंजी प्राप्तियों शामिल हैं।
 3. सकल राजकोषीय घाटा व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय और वसूली को घटाकर ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन

(करोड़ रुपये)

राज्य	2008-09 (लेखा)					2009-10 (संशोधित अनुमान)					2010-11 (बजट अनुमान)				
	राजस्व घाटा	पूँजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूँजी प्राप्तियाँ	सराधा	राजस्व घाटा	पूँजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूँजी प्राप्तियाँ	सराधा	राजस्व घाटा	पूँजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूँजी प्राप्तियाँ	सराधा
1	2	3	4	5	6=(2+3+ 4-5)	7	8	9	10	11=(7+8 +9-10)	12	13	14	15	16=(12+ 13+14-15)
I. गैर विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	-1,004	10,366	3,044	—	12,406	-2,942	16,004	1,220	—	14,282	-3,548	14,337	2,194	—	12,983
2. बिहार	-4,469	6,436	540	—	2,507	-173	9,505	438	—	9,770	-6,557	10,434	716	—	4,594
3. छत्तीसगढ़	-1,869	2,940	-43	2	1,027	158	2,983	-32	—	3,109	-860	4,068	-28	—	3,180
4. गोवा	-103	897	19	—	813	274	1,202	25	—	1,500	-1	1,422	6	—	1,428
5. गुजरात	66	10,220	173	21	10,438	4,357	8,090	182	—	12,629	4,502	10,278	363	—	15,143
6. हरियाणा	2,082	4,502	-19	7	6,558	3,662	3,970	744	16	8,360	3,942	3,516	1,374	16	8,816
7. झारखंड	-628	3,903	476	—	3,751	-2,614	3,753	644	—	1,783	-3,551	3,826	398	—	674
8. कर्नाटक	-1,631	9,870	675	181	8,732	-538	10,921	923	40	11,266	-500	11,778	1,231	2,800	9,708
9. केरला	3,712	1,696	948	9	6,346	4,082	1,941	680	5	6,698	3,630	4,145	778	10	8,543
10. मध्य प्रदेश	-4,063	6,713	1,808	24	4,434	-5,308	8,082	3,819	—	6,593	-1,581	8,025	1,559	—	8,003
11. महाराष्ट्र	-5,577	18,873	720	18	13,999	12,730	17,126	1,048	—	30,904	7,655	16,281	359	—	24,294
12. उड़ीसा	-3,420	3,779	-25	—	334	1,564	4,288	-273	—	5,579	1,037	4,653	109	—	5,798
13. पंजाब	3,856	2,858	-24	—	6,690	4,152	3,603	-1,201	—	6,554	4,788	3,062	-144	—	7,706
14. राजस्थान	827	5,900	251	4	6,973	3,993	5,526	381	—	9,900	1,098	7,433	-70	—	8,461
15. तमिलनाडु	-1,452	9,104	896	—	8,548	5,020	8,609	-768	—	12,860	3,396	12,285	541	—	16,222
16. उत्तर प्रदेश	-1,862	22,346	29	—	20,513	-1,988	25,222	635	—	23,870	-554	22,943	354	—	22,742
17. पश्चिम बंगाल	14,709	3,705	-4,856	—	13,558	23,054	3,929	483	—	27,466	16,441	5,409	473	—	22,323
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	-984	1,290	24	—	330	-1,696	1,890	4	—	199	-1,759	1,871	1	—	113
2. असम	-3,834	2,373	54	—	-1,407	5,331	4,716	42	—	10,088	5,960	3,307	48	—	9,315
3. हिमाचल प्रदेश	130	2,079	69	—	2,278	155	2,109	27	—	2,291	505	1,760	173	—	2,438
4. जम्मू और कश्मीर	-3,364	5,653	36	—	2,325	-4,453	6,613	66	—	2,226	-5,207	7,092	79	—	1,965
5. मणिपुर	-1,250	1,467	—	—	217	-1,525	1,840	5	—	320	-1,318	1,765	15	179	282
6. मेघालय	-128	531	32	—	435	-218	812	21	—	614	-332	694	14	—	376
7. मिजोरम	-339	441	-7	—	94	-257	648	-5	—	386	-342	388	-5	—	42
8. नागालैंड	-511	853	-1	—	341	-419	1,330	20	—	931	-989	1,283	2	—	296
9. सिक्किम	-378	612	—	—	234	-649	961	40	—	352	-532	889	3	—	361
10. त्रिपुरा	-947	1,202	15	—	270	-202	1,868	21	—	1,687	-790	1,754	22	—	986
11. उत्तराखंड	-240	2,016	68	—	1,845	1,114	2,867	202	300	3,882	-162	2,005	54	150	1,747
सभी राज्य	-12,672	1,42,628	4,899	266	1,34,589	46,663	1,60,407	9,391	361	2,16,101	24,370	1,66,703	10,620	3,155	1,98,539
ज्ञापन मदें:															
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-4,590	3,995	3,418	—	2,824	-6,721	4,884	5,399	—	3,561	-6,891	4,848	5,158	—	3,116
2. पुदुचेरी	112	261	-2	—	371	412	427	-3	33	803	257	756	-3	—	1,010

सराधा: सकल राजकोषीय घाटा.

'—': शून्य/ नगण्य.

नोट : 1. ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 6: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (लेखा)

(करोड़ रुपये)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएस- एसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	उचित और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2थ से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	9,151	-391	-14	412	583	270	-1,812	321	-1,621	1,341	4,164	12,406
2. बिहार	3,757	-279	529	451	144	293	-691	-96	-222	-213	-1,168	2,507
3. छत्तीसगढ़	-153	95	-3	7	74	266	30	-97	81	-48	776	1,027
4. गोवा	404	-23	28	1	166	65	106	-37	-	87	16	813
5. गुजरात	7,618	-332	-74	848	320	382	798	663	-22	-382	620	10,438
6. हरियाणा	2,505	-47	-80	182	352	-5	217	34	-27	37	3,390	6,558
7. झारखंड	425	-165	436	209	257	-	154	11	114	121	2,190	3,751
8. कर्नाटक	6,583	135	-164	266	1,176	1,864	1,554	968	-52	-8	-3,590	8,732
9. केरला	4,782	476	-102	221	2,589	-3	132	-86	23	-31	-1,655	6,346
10. मध्य प्रदेश	3,957	709	-126	539	204	13	237	-40	62	-487	-633	4,434
11. महाराष्ट्र	16,968	-35	428	517	803	190	1,240	3,156	42	-332	-8,978	13,999
12. उड़ीसा	-670	74	66	272	459	-52	576	-13	-1	-43	-334	334
13. पंजाब	5,739	105	-403	-718	720	359	645	-171	-11	-125	551	6,690
14. राजस्थान	5,195	-66	-434	417	1,405	88	346	41	21	-67	27	6,973
15. तमिलनाडु	8,792	724	-172	553	578	810	1,576	194	78	-272	-4,314	8,548
16. उत्तर प्रदेश	10,296	-778	426	580	2,944	2,760	-2,525	974	78	-369	6,128	20,513
17. पश्चिम बंगाल	11,543	-352	287	-25	355	-121	1,231	306	274	-310	370	13,558
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	26	-4	20	85	79	-	153	2,780	-2	-51	-2,756	330
2. असम	2,015	-69	17	166	390	-110	30	162	99	-32	-4,075	-1,407
3. हिमाचल प्रदेश	1,752	-44	60	95	515	164	217	54	-20	-500	-15	2,278
4. जम्मू और कश्मीर	1,264	-108	453	365	581	195	-327	106	-	-168	-35	2,325
5. मणिपुर	303	-240	199	1	52	-8	84	117	-48	-60	-184	217
6. मेघालय	186	-53	6	30	46	-	233	58	16	-15	-71	435
7. मिजोरम	30	-12	-2	-2	188	1	38	-149	-72	-4	79	94
8. नागालैंड	365	-21	-2	38	30	-	214	-106	-126	66	-117	341
9. सिक्किम	248	-14	-2	36	29	2	23	-5	49	-7	-126	234
10. त्रिपुरा	78	-26	-19	20	67	14	53	-11	4	-6	95	270
11. उत्तराखंड	884	-19	121	133	531	104	61	-331	-238	-87	686	1,845
सभी राज्य	1,04,041	-761	1,479	5,698	15,641	7,542	4,594	8,800	-1,522	-1,964	-8,959	1,34,589
ज्ञापन मदे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	2,781	2,824
2. पुदुचेरी	-	-16	-12	-	41	12	27	130	-	350	-161	371

‘-’ : शून्य / नगण्य।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए ‘आंतरिक ऋण का उन्मोचन’ के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य’ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत वित्तपोषण मदे ‘अन्य’ को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 7: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2008-09 (लेखा)

(प्रतिशत)												
राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएस- एसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	उचंत और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2थ से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	73.8	-3.2	-0.1	3.3	4.7	2.2	-14.6	2.6	-13.1	10.8	33.6	100.0
2. बिहार	149.9	-11.1	21.1	18.0	5.8	11.7	-27.5	-3.8	-8.8	-8.5	-46.6	100.0
3. छत्तीसगढ़	-14.9	9.2	-0.3	0.6	7.2	26.0	2.9	-9.5	7.9	-4.7	75.6	100.0
4. गोवा	49.7	-2.8	3.4	0.1	20.5	7.9	13.1	-4.5	-	10.7	2.0	100.0
5. गुजरात	73.0	-3.2	-0.7	8.1	3.1	3.7	7.6	6.3	-0.2	-3.7	5.9	100.0
6. हरियाणा	38.2	-0.7	-1.2	2.8	5.4	-0.1	3.3	0.5	-0.4	0.6	51.7	100.0
7. झारखंड	11.3	-4.4	11.6	5.6	6.9	-	4.1	0.3	3.0	3.2	58.4	100.0
8. कर्नाटक	75.4	1.5	-1.9	3.0	13.5	21.3	17.8	11.1	-0.6	-0.1	-41.1	100.0
9. केरला	75.3	7.5	-1.6	3.5	40.8	-	2.1	-1.4	0.4	-0.5	-26.1	100.0
10. मध्य प्रदेश	89.3	16.0	-2.8	12.2	4.6	0.3	5.3	-0.9	1.4	-11.0	-14.3	100.0
11. महाराष्ट्र	121.2	-0.2	3.1	3.7	5.7	1.4	8.9	22.5	0.3	-2.4	-64.1	100.0
12. उड़ीसा	-200.7	22.2	19.8	81.4	137.3	-15.6	172.6	-4.0	-0.3	-12.8	-100.1	100.0
13. पंजाब	85.8	1.6	-6.0	-10.7	10.8	5.4	9.6	-2.6	-0.2	-1.9	8.2	100.0
14. राजस्थान	74.5	-0.9	-6.2	6.0	20.2	1.3	5.0	0.6	0.3	-1.0	0.4	100.0
15. तमिलनाडु	102.9	8.5	-2.0	6.5	6.8	9.5	18.4	2.3	0.9	-3.2	-50.5	100.0
16. उत्तर प्रदेश	50.2	-3.8	2.1	2.8	14.4	13.5	-12.3	4.7	0.4	-1.8	29.9	100.0
17. पश्चिम बंगाल	85.1	-2.6	2.1	-0.2	2.6	-0.9	9.1	2.3	2.0	-2.3	2.7	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	7.9	-1.1	6.1	25.7	23.8	-	46.4	841.6	-0.5	-15.4	-834.3	100.0
2. असम	-143.2	4.9	-1.2	-11.8	-27.7	7.8	-2.2	-11.5	-7.0	2.3	289.7	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	76.9	-1.9	2.6	4.2	22.6	7.2	9.5	2.4	-0.9	-22.0	-0.7	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	54.4	-4.6	19.5	15.7	25.0	8.4	-14.1	4.5	-	-7.2	-1.5	100.0
5. मणिपुर	139.8	-110.6	92.0	0.6	24.1	-3.8	38.6	53.8	-22.2	-27.7	-84.6	100.0
6. मेघालय	42.8	-12.3	1.3	6.9	10.5	-	53.5	13.4	3.6	-3.5	-16.3	100.0
7. मिजोरम	31.4	-12.8	-2.6	-1.8	199.3	1.1	40.0	-158.0	-76.3	-4.2	83.9	100.0
8. नागालैंड	107.3	-6.2	-0.7	11.2	8.9	-	62.7	-31.2	-37.1	19.5	-34.3	100.0
9. सिक्किम	106.0	-5.8	-0.9	15.2	12.5	1.1	9.9	-2.3	21.0	-2.9	-53.8	100.0
10. त्रिपुरा	28.9	-9.6	-6.9	7.3	25.0	5.3	19.6	-3.9	1.4	-2.1	35.1	100.0
11. उत्तराखंड	47.9	-1.0	6.6	7.2	28.8	5.6	3.3	-18.0	-12.9	-4.7	37.2	100.0
सभी राज्य	77.3	-0.6	1.1	4.2	11.6	5.6	3.4	6.5	-1.1	-1.5	-6.7	100.0
ज्ञापन म दें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	98.5	100.0
2. पुदुचेरी	-	-4.3	-3.3	-	11.0	3.2	7.3	35.1	-	94.5	-43.5	100.0

‘-’ : शून्य / नगण्य। संअ: संशोधित अनुमान।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए ‘आंतरिक ऋण का उन्मोचन’ के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य’ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत वित्तपोषण म दें ‘अन्य’ को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 8: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2009-10 (संअ)

(करोड़ रुपये)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएस- एसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	उचंचत और विविध	विशेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	14,253	31	744	57	957	-432	-109	-	-	-1,190	-29	14,282
2. बिहार	1,721	931	633	634	351	-	95	-	-	-228	5,634	9,770
3. छत्तीसगढ़	2,071	193	94	115	125	87	263	-	-	-54	215	3,109
4. गोवा	582	127	26	11	-12	54	17	-42	-	21	717	1,500
5. गुजरात	8,234	-383	2,931	1,229	1,250	-	-	-	-	-495	-138	12,629
6. हरियाणा	4,003	54	428	145	1,124	-1	222	232	97	490	1,566	8,360
7. झारखंड	1,252	-186	436	529	199	-52	777	14	-20	252	-1,418	1,783
8. कर्नाटक	5,953	256	186	206	1,700	-	-	33	-	-6	2,936	11,266
9. केरला	4,822	868	-155	531	786	-21	-124	-12	-100	-105	208	6,698
10. मध्य प्रदेश	5,375	1,119	255	422	77	-404	7	5	-75	-326	138	6,593
11. महाराष्ट्र	16,261	865	2,751	682	1,717	-593	2,943	5,993	50	-460	695	30,904
12. उड़ीसा	600	757	454	602	601	-	413	-25	395	-81	1,864	5,579
13. पंजाब	5,946	160	428	-299	1,031	-	-	-	-	-130	-583	6,554
14. राजस्थान	6,111	-112	-559	505	2,079	-2,063	290	-2	-	-66	3,717	9,900
15. तमिलनाडु	11,723	735	177	453	1,359	27	-3,715	902	17	-155	1,339	12,860
16. उत्तर प्रदेश	11,243	81	3,114	1,117	6,743	-4,092	3,153	-2,283	-	-577	5,371	23,870
17. पश्चिम बंगाल	15,604	-411	6,153	-11	1,131	-203	2,459	-	-	-41	2,784	27,466
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	79	-23	54	78	44	-	-10	301	-17	-110	-199	199
2. असम	2,361	-111	-48	165	429	-	-	-	-	-34	7,327	10,088
3. हिमाचल प्रदेश	1,494	-45	229	68	443	-	-	-	-	-398	499	2,291
4. जम्मू और कश्मीर	818	9	453	675	857	374	-370	115	-	-672	-34	2,226
5. मणिपुर	504	-35	5	10	25	-	-65	13	12	-57	-91	320
6. मेघालय	224	-10	63	66	97	-	-1	5	-9	-15	195	614
7. मिजोरम	12	7	8	15	84	-5	140	221	34	-39	-91	386
8. नागालैंड	441	-36	4	71	6	-	-219	-	-	74	592	931
9. सिक्किम	303	-14	-2	39	41	-	4	-	-	8	-28	352
10. त्रिपुरा	378	-25	61	44	373	-5	15	9	-19	-12	869	1,687
11. उत्तराखंड	1,067	58	45	73	671	120	49	3	-38	-1	1,834	3,882
सभी राज्य	1,23,437	4,859	18,967	8,232	24,289	-7,208	6,236	5,482	325	-4,407	35,889	2,16,101
ज्ञापन मदे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	913	-	-	-	-	-	-	-	2,648	3,561
2. पुदुचेरी	-	-10	-19	-	27	12	25	342	-	746	-321	803

‘-’ : शून्य / नगण्य।

संअ: संशोधित अनुमान।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए ‘आंतरिक ऋण का उन्मोचन’ के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य’ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत वित्तपोषण मदे ‘अन्य’ को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 9: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2009-10 (संअ)

(प्रतिशत)												
राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएस-एसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उचित और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2थ से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	99.8	0.2	5.2	0.4	6.7	-3.0	-0.8	-	-	-8.3	-0.2	100.0
2. बिहार	17.6	9.5	6.5	6.5	3.6	-	1.0	-	-	-2.3	57.7	100.0
3. छत्तीसगढ़	66.6	6.2	3.0	3.7	4.0	2.8	8.5	-	-	-1.7	6.9	100.0
4. गोवा	38.8	8.4	1.7	0.7	-0.8	3.6	1.1	-2.8	-	1.4	47.8	100.0
5. गुजरात	65.2	-3.0	23.2	9.7	9.9	-	-	-	-	-3.9	-1.1	100.0
6. हरियाणा	47.9	0.6	5.1	1.7	13.4	-	2.7	2.8	1.2	5.9	18.7	100.0
7. झारखंड	70.2	-10.4	24.4	29.7	11.2	-2.9	43.6	0.8	-1.1	14.1	-79.5	100.0
8. कर्नाटक	52.8	2.3	1.6	1.8	15.1	-	-	0.3	-	-0.1	26.1	100.0
9. केरला	72.0	13.0	-2.3	7.9	11.7	-0.3	-1.8	-0.2	-1.5	-1.6	3.1	100.0
10. मध्य प्रदेश	81.5	17.0	3.9	6.4	1.2	-6.1	0.1	0.1	-1.1	-4.9	2.1	100.0
11. महाराष्ट्र	52.6	2.8	8.9	2.2	5.6	-1.9	9.5	19.4	0.2	-1.5	2.2	100.0
12. उड़ीसा	10.8	13.6	8.1	10.8	10.8	-	7.4	-0.5	7.1	-1.5	33.4	100.0
13. पंजाब	90.7	2.4	6.5	-4.6	15.7	-	-	-	-	-2.0	-8.9	100.0
14. राजस्थान	61.7	-1.1	-5.7	5.1	21.0	-20.8	2.9	-	-	-0.7	37.5	100.0
15. तमिलनाडु	91.2	5.7	1.4	3.5	10.6	0.2	-28.9	7.0	0.1	-1.2	10.4	100.0
16. उत्तर प्रदेश	47.1	0.3	13.0	4.7	28.2	-17.1	13.2	-9.6	-	-2.4	22.5	100.0
17. पश्चिम बंगाल	56.8	-1.5	22.4	-	4.1	-0.7	9.0	-	-	-0.1	10.1	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	39.9	-11.7	27.4	39.5	22.3	-	-5.0	151.6	-8.5	-55.4	-100.0	100.0
2. असम	23.4	-1.1	-0.5	1.6	4.3	-	-	-	-	-0.3	72.6	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	65.2	-2.0	10.0	3.0	19.4	-	-	-	-	-17.4	21.8	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	36.8	0.4	20.4	30.3	38.5	16.8	-16.6	5.2	-	-30.2	-1.5	100.0
5. मणिपुर	157.2	-11.0	1.6	3.1	7.8	-	-20.3	4.1	3.7	-17.8	-28.4	100.0
6. मेघालय	36.4	-1.6	10.2	10.7	15.7	-	-0.2	0.9	-1.5	-2.4	31.7	100.0
7. मिजोरम	3.2	1.7	2.1	3.9	21.7	-1.3	36.3	57.2	8.8	-10.1	-23.5	100.0
8. नागालैंड	47.4	-3.9	0.4	7.6	0.6	-	-23.5	-	-	7.9	63.6	100.0
9. सिक्किम	86.1	-4.1	-0.6	11.1	11.8	-	1.2	-	-	2.4	-7.8	100.0
10. त्रिपुरा	22.4	-1.5	3.6	2.6	22.1	-0.3	0.9	0.5	-1.1	-0.7	51.5	100.0
11. उत्तराखंड	27.5	1.5	1.2	1.9	17.3	3.1	1.3	0.1	-1.0	-	47.3	100.0
सभी राज्य	57.1	2.2	8.8	3.8	11.2	-3.3	2.9	2.5	0.2	-2.0	16.6	100.0
ज्ञापन मदे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	25.6	-	-	-	-	-	-	-	74.4	100.0
2. पुदुचेरी	-	-1.2	-2.4	-	3.3	1.5	3.2	42.6	-	93.0	-40.0	100.0

‘-’: शून्य / नगण्य।

संअ: संशोधित अनुमान।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए ‘आंतरिक ऋण का उन्मोचन’ के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य’ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत वित्तपोषण मदे ‘अन्य’ को छोड़कर निवलआधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 10 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2010-11 (बअ)

(करोड़ रुपये)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएस- एसएफ को जारी विशेष प्रतिभृतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उचित और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2ध से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	12,934	1,223	242	-15	1,053	-454	378	-	-	-2,363	-15	12,983
2. बिहार	2,575	893	718	614	326	-	27	-	-	-214	-345	4,594
3. छत्तीसगढ़	1,765	118	49	298	125	226	104	-	-	-55	549	3,180
4. गोवा	511	-17	58	80	9	53	2	-47	-	13	766	1,428
5. गुजरात	11,943	-447	1,830	1,229	650	-	-	-	-	-620	557	15,143
6. हरियाणा	3,926	503	322	92	1,236	-1	243	41	143	458	1,853	8,816
7. झारखंड	323	-151	376	330	242	-58	967	-54	-13	-54	-1,233	674
8. कर्नाटक	7,028	592	138	457	1,550	-	-	-	-	-6	-51	9,708
9. केरला	6,739	815	-252	530	588	-21	-62	-12	-80	-108	407	8,543
10. मध्य प्रदेश	5,855	1,496	96	394	34	173	-38	6	-78	-370	437	8,003
11. महाराष्ट्र	22,244	607	-1,351	339	1,579	80	3,424	-3,382	90	616	46	24,294
12. उड़ीसा	2,071	370	387	823	600	-	544	-17	-37	-90	1,148	5,798
13. पंजाब	6,110	143	-254	-476	763	-25	-	-	-	-123	1,569	7,706
14. राजस्थान	7,373	26	-956	542	1,375	-125	292	-1	-	-66	1	8,461
15. तमिलनाडु	9,215	988	-219	435	1,522	18	782	822	17	-214	2,855	16,222
16. उत्तर प्रदेश	11,243	-21	1,954	1,104	7,074	3,486	-2,859	-9,699	9,000	-560	2,020	22,742
17. पश्चिम बंगाल	14,000	185	7,815	-14	818	17	33	-	-	-109	-421	22,323
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	83	-24	40	30	47	1	-11	316	-18	-1,602	1,250	113
2. असम	2,360	-143	-90	214	472	-	-	-	-	-2	6,504	9,315
3. हिमाचल प्रदेश	1,469	-33	189	34	500	-	259	-	-	-413	433	2,438
4. जम्मू और कश्मीर	1,056	-49	453	675	550	374	-398	36	-	-848	116	1,965
5. मणिपुर	263	-35	2	4	82	-	-123	-	21	-2	70	282
6. मेघालय	244	-9	60	64	110	-	6	6	-16	-15	-73	376
7. मिजोरम	-10	9	-7	13	60	-5	1	173	40	-28	-204	42
8. नागालैंड	303	-41	7	34	3	-	10	-	-	-25	6	296
9. सिक्किम	291	-13	-2	40	32	4	9	-	-	-1	-	361
10. त्रिपुरा	277	-20	20	64	204	-	5	-	-5	-7	448	986
11. उत्तराखंड	450	6	450	212	824	-5	-30	10	-199	34	-5	1,747
सभी राज्य	1,32,641	6,969	12,075	8,147	22,426	3,739	3,566	-11,803	8,865	-6,773	18,687	1,98,539
ज्ञापन मदें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	2,916	3,116
2. पुदुचेरी	-	4	-30	-	32	5	28	397	-	1,036	-462	1,010

‘-’ : शून्य / नगण्य।

बअ: बजट अनुमान।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए ‘आंतरिक ऋण का उन्मोचन’ के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे ‘अन्य’ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत वित्तपोषण मदें ‘अन्य’ को छोड़कर निवलआधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 11: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2010-11 (बअ)

(प्रतिशत)												
राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएस-एसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उचित और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2थ से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	99.6	9.4	1.9	-0.1	8.1	-3.5	2.9	-	-	-18.2	-0.1	100.0
2. बिहार	56.1	19.4	15.6	13.4	7.1	-	0.6	-	-	-4.6	-7.5	100.0
3. छत्तीसगढ़	55.5	3.7	1.5	9.4	3.9	7.1	3.3	-	-	-1.7	17.3	100.0
4. गोवा	35.8	-1.2	4.1	5.6	0.6	3.7	0.1	-3.3	-	0.9	53.6	100.0
5. गुजरात	78.9	-3.0	12.1	8.1	4.3	-	-	-	-	-4.1	3.7	100.0
6. हरियाणा	44.5	5.7	3.7	1.0	14.0	-	2.8	0.5	1.6	5.2	21.0	100.0
7. झारखंड	48.0	-22.5	55.8	48.9	35.9	-8.5	143.5	-8.1	-1.9	-8.0	-183.1	100.0
8. कर्नाटक	72.4	6.1	1.4	4.7	16.0	-	-	-	-	-0.1	-0.5	100.0
9. केरला	78.9	9.5	-3.0	6.2	6.9	-0.2	-0.7	-0.1	-0.9	-1.3	4.8	100.0
10. मध्य प्रदेश	73.2	18.7	1.2	4.9	0.4	2.2	-0.5	0.1	-1.0	-4.6	5.5	100.0
11. महाराष्ट्र	91.6	2.5	-5.6	1.4	6.5	0.3	14.1	-13.9	0.4	2.5	0.2	100.0
12. उड़ीसा	35.7	6.4	6.7	14.2	10.3	-	9.4	-0.3	-0.6	-1.6	19.8	100.0
13. पंजाब	79.3	1.9	-3.3	-6.2	9.9	-0.3	-	-	-	-1.6	20.4	100.0
14. राजस्थान	87.1	0.3	-11.3	6.4	16.3	-1.5	3.5	-	-	-0.8	-	100.0
15. तमिलनाडु	56.8	6.1	-1.4	2.7	9.4	0.1	4.8	5.1	0.1	-1.3	17.6	100.0
16. उत्तर प्रदेश	49.4	-0.1	8.6	4.9	31.1	15.3	-12.6	-42.6	39.6	-2.5	8.9	100.0
17. पश्चिम बंगाल	62.7	0.8	35.0	-0.1	3.7	0.1	0.1	-	-	-0.5	-1.9	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	73.8	-21.5	35.4	26.6	41.3	1.1	-9.3	280.1	-15.7	-1418.6	1106.8	100.0
2. असम	25.3	-1.5	-1.0	2.3	5.1	-	-	-	-	-	69.8	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	60.3	-1.4	7.8	1.4	20.5	-	10.6	-	-	-16.9	17.7	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	53.8	-2.5	23.1	34.4	28.0	19.0	-20.3	1.8	-	-43.1	5.9	100.0
5. मणिपुर	93.3	-12.5	0.6	1.4	29.2	-	-43.5	-	7.3	-0.6	24.8	100.0
6. मेघालय	64.7	-2.3	15.9	17.1	29.1	-	1.5	1.7	-4.2	-4.0	-19.4	100.0
7. मिजोरम	-23.2	20.4	-16.1	31.0	143.4	-11.9	1.2	412.7	95.8	-66.3	-487.1	100.0
8. नागालैंड	102.3	-14.0	2.4	11.5	0.8	-	3.4	-	-	-8.5	2.0	100.0
9. सिक्किम	80.8	-3.7	-0.5	11.0	8.8	1.1	2.5	-	-	-0.1	0.1	100.0
10. त्रिपुरा	28.1	-2.0	2.0	6.5	20.6	-	0.5	-	-0.5	-0.7	45.4	100.0
11. उत्तराखंड	25.8	0.3	25.8	12.1	47.2	-0.3	-1.7	0.6	-11.4	2.0	-0.3	100.0
सभी राज्य	66.8	3.5	6.1	4.1	11.3	1.9	1.8	-5.9	4.5	-3.4	9.4	100.0
ज्ञापन मदे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	93.6	100.0
2. पुदुचेरी	-	0.4	-2.9	-	3.1	0.5	2.8	39.3	-	102.5	-45.7	100.0

‘-’ : शून्य / नगण्य।

बअ: बजट अनुमान।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए ‘आंतरिक ऋण का उन्मोचन’ के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उन्हें ‘अन्य’ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत वित्तपोषण मदे ‘अन्य’ को छोड़कर निवलआधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 12: विकास व्यय*

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	56,466	70,180	75,155	24.3	7.1
2. बिहार	24,754	33,318	35,990	34.6	8.0
3. छत्तीसगढ़	13,005	17,911	19,033	37.7	6.3
4. गोवा	3,117	4,136	4,417	32.7	6.8
5. गुजरात	35,645	39,550	44,624	11.0	12.8
6. हरियाणा	18,820	23,444	24,285	24.6	3.6
7. झारखंड	14,045	14,974	14,667	6.6	-2.1
8. कर्नाटक	37,133	41,498	46,725	11.8	12.6
9. केरल	15,913	17,239	21,606	8.3	25.3
10. मध्य प्रदेश	26,027	35,008	34,057	34.5	-2.7
11. महाराष्ट्र	67,311	84,704	82,370	25.8	-2.8
12. उड़ीसा	17,571	22,185	24,565	26.3	10.7
13. पंजाब	12,929	16,484	17,855	27.5	8.3
14. राजस्थान	27,705	31,801	33,691	14.8	5.9
15. तमिलनाडु	42,705	44,971	49,899	5.3	11.0
16. उत्तर प्रदेश	64,988	75,592	80,920	16.3	7.0
17. पश्चिम बंगाल	34,730	37,699	42,133	8.5	11.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	3,366	4,766	2,991	41.6	-37.3
2. असम	10,699	19,315	22,299	80.5	15.5
3. हिमाचल प्रदेश	7,619	8,438	8,800	10.7	4.3
4. जम्मू और कश्मीर	11,950	14,135	15,453	18.3	9.3
5. मणिपुर	2,940	3,600	3,986	22.4	10.7
6. मेघालय	2,272	3,310	3,558	45.7	7.5
7. मिजोरम	1,944	2,575	2,237	32.5	-13.1
8. नागालैंड	2,246	3,100	3,503	38.0	13.0
9. सिक्किम	1,469	2,114	2,306	43.9	9.1
10. त्रिपुरा	2,740	4,139	3,728	51.0	-9.9
11. उत्तराखंड	6,979	10,349	9,377	48.3	-9.4
सभी राज्य	5,67,086	6,86,537	7,30,231	21.1	6.4
ज्ञापन मदे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14,791	18,216	18,385	23.2	0.9
2. पुदुचेरी	2,114	2,798	3,526	32.4	26.0

* : इसमें राजस्व और पूंजी लेखों पर व्यय एवं राज्यों द्वारा विकास के प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2009-10 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 13: गैर विकास व्यय*

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	18,856	22,455	28,403	19.1	26.5
2. बिहार	10,741	14,346	15,849	33.6	10.5
3. छत्तीसगढ़	3,701	4,319	5,182	16.7	20.0
4. गोवा	1,235	1,646	2,028	33.4	23.2
5. गुजरात	13,503	16,651	20,106	23.3	20.7
6. हरियाणा	6,333	8,062	9,239	27.3	14.6
7. झारखंड	5,789	6,664	6,124	15.1	-8.1
8. कर्नाटक	12,753	13,873	16,640	8.8	19.9
9. केरल	12,725	13,572	15,487	6.7	14.1
10. मध्य प्रदेश	10,287	12,579	14,348	22.3	14.1
11. महाराष्ट्र	27,293	33,887	38,619	24.2	14.0
12. उड़ीसा	7,217	11,076	12,507	53.5	12.9
13. पंजाब	14,243	16,230	17,475	13.9	7.7
14. राजस्थान	12,805	15,414	17,333	20.4	12.4
15. तमिलनाडु	18,840	20,863	24,742	10.7	18.6
16. उत्तर प्रदेश	30,629	43,495	49,679	42.0	14.2
17. पश्चिम बंगाल	20,921	28,881	27,325	38.0	-5.4
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	823	1,337	2,226	62.4	66.5
2. असम	5,400	12,594	10,028	133.2	-20.4
3. हिमाचल प्रदेश	3,984	4,410	5,249	10.7	19.0
4. जम्मू और कश्मीर	6,189	7,646	9,176	23.5	20.0
5. मणिपुर	1,150	1,312	1,760	14.1	34.2
6. मेघालय	992	1,129	1,232	13.8	9.1
7. मिजोरम	829	1,055	1,089	27.4	3.2
8. नागालैंड	1,498	1,789	2,151	19.4	20.3
9. सिक्किम	1,436	1,738	1,619	21.0	-6.8
10. त्रिपुरा	1,530	2,136	2,657	39.6	24.4
11. उत्तराखंड	3,280	4,496	4,220	37.1	-6.2
सभी राज्य	2,54,981	3,23,657	3,62,492	26.9	12.0
ज्ञापन मदे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,729	6,364	6,306	34.6	-0.9
2. पुदुचेरी	716	929	727	29.7	-21.7

* : इसमें राजस्व और पूंजी लेखों पर व्यय एवं राज्यों द्वारा विकासेतर प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 14: योजना व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	32,701	36,192	39,928	10.7	10.3
2. बिहार	12,336	16,076	20,000	30.3	24.4
3. छत्तीसगढ़	8,840	12,090	13,600	36.8	12.5
4. गोवा	1,524	2,131	2,522	39.8	18.4
5. गुजरात	20,762	22,106	26,896	6.5	21.7
6. हरियाणा	7,928	11,446	11,864	44.4	3.6
7. झारखंड	9,694	9,791	10,304	1.0	5.2
8. कर्नाटक	19,889	23,329	27,082	17.3	16.1
9. केरल	5,478	6,170	8,048	12.6	30.4
10. मध्य प्रदेश	14,802	20,260	21,939	36.9	8.3
11. महाराष्ट्र	25,692	35,909	36,598	39.8	1.9
12. उड़ीसा	8,934	10,853	12,902	21.5	18.9
13. पंजाब	4,031	5,351	5,567	32.7	4.0
14. राजस्थान	12,190	13,530	14,709	11.0	8.7
15. तमिलनाडु	20,519	21,669	26,377	5.6	21.7
16. उत्तर प्रदेश	35,769	42,533	45,645	18.9	7.3
17. पश्चिम बंगाल	12,442	16,363	19,048	31.5	16.4
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	2,327	3,226	3,187	38.6	-1.2
2. असम	5,471	11,332	12,566	107.1	10.9
3. हिमाचल प्रदेश	2,883	3,294	3,133	14.2	-4.9
4. जम्मू और कश्मीर	5,894	7,071	7,901	20.0	11.7
5. मणिपुर	1,954	2,646	2,919	35.4	10.3
6. मेघालय	1,578	2,402	2,582	52.2	7.5
7. मिजोरम	1,119	1,579	1,317	41.1	-16.6
8. नागालैंड	1,402	2,220	2,349	58.4	5.8
9. सिक्किम	1,130	1,632	1,713	44.5	5.0
10. त्रिपुरा	1,796	2,726	2,684	51.8	-1.5
11. उत्तराखंड	4,192	5,329	5,117	27.1	-4.0
सभी राज्य	2,83,279	3,49,254	3,88,496	23.3	11.2
ज्ञापन मदे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9,646	11,460	11,340	18.8	-1.1
2. पुदुचेरी	1,077	1,722	2,485	59.8	44.3

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 15: गैर योजना व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	48,103	62,371	70,732	29.7	13.4
2. बिहार	24,846	33,476	33,759	34.7	0.8
3. छत्तीसगढ़	8,874	11,274	11,808	27.1	4.7
4. गोवा	2,994	3,831	4,133	28.0	7.9
5. गुजरात	31,135	37,424	41,786	20.2	11.7
6. हरियाणा	18,440	21,328	23,091	15.7	8.3
7. झारखंड	10,947	12,922	11,993	18.0	-7.2
8. कर्नाटक	34,150	36,722	41,632	7.5	13.4
9. केरल	27,075	28,920	34,068	6.8	17.8
10. मध्य प्रदेश	25,228	31,970	31,490	26.7	-1.5
11. महाराष्ट्र	73,376	87,724	89,902	19.6	2.5
12. उड़ीसा	17,739	24,306	26,094	37.0	7.4
13. पंजाब	24,754	29,609	32,729	19.6	10.5
14. राजस्थान	30,778	36,642	39,639	19.1	8.2
15. तमिलनाडु	47,204	50,675	56,682	7.4	11.9
16. उत्तर प्रदेश	68,629	86,006	95,054	25.3	10.5
17. पश्चिम बंगाल	48,491	56,338	56,755	16.2	0.7
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,945	3,098	3,740	59.3	20.7
2. असम	12,015	24,242	24,194	101.8	-0.2
3. हिमाचल प्रदेश	9,609	10,478	11,946	9.0	14.0
4. जम्मू और कश्मीर	12,856	15,448	17,687	20.2	14.5
5. मणिपुर	2,449	2,496	3,027	1.9	21.3
6. मेघालय	1,855	2,181	2,348	17.6	7.6
7. मिजोरम	1,749	2,291	2,261	31.0	-1.3
8. नागालैंड	2,548	2,944	3,586	15.6	21.8
9. सिक्किम	1,852	2,307	2,307	24.5	—
10. त्रिपुरा	2,715	3,829	4,010	41.0	4.7
11. उत्तराखंड	6,696	10,524	9,635	57.2	-8.5
सभी राज्य	5,99,054	7,31,378	7,86,088	22.1	7.5
ज्ञापन मदे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10,715	14,340	14,660	33.8	2.2
2. पुदुचेरी	1,879	2,141	1,920	13.9	-10.3

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 16: गैर योजना गैर विकास व्यय*

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/ स्तंभ 2	स्तंभ 4/ स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	18,647	22,293	28,210	19.6	26.5
2. बिहार	10,319	13,309	15,111	29.0	13.5
3. छत्तीसगढ़	3,578	4,207	5,012	17.6	19.1
4. गोवा	1,075	1,426	1,604	32.6	12.5
5. गुजरात	13,095	15,996	18,823	22.2	17.7
6. हरियाणा	6,084	7,792	8,962	28.1	15.0
7. झारखंड	5,336	6,244	5,779	17.0	-7.4
8. कर्नाटक	12,221	13,377	16,044	9.5	19.9
9. केरल	12,513	13,156	15,263	5.1	16.0
10. मध्य प्रदेश	10,150	12,464	14,132	22.8	13.4
11. महाराष्ट्र	26,566	33,158	37,525	24.8	13.2
12. उड़ीसा	7,048	10,825	12,291	53.6	13.5
13. पंजाब	14,162	15,967	17,255	12.7	8.1
14. राजस्थान	12,628	15,166	17,030	20.1	12.3
15. तमिलनाडु	18,617	20,406	24,140	9.6	18.3
16. उत्तर प्रदेश	30,137	42,244	48,337	40.2	14.4
17. पश्चिम बंगाल	20,708	28,455	26,861	37.4	-5.6
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	767	1,112	943	45.0	-15.2
2. असम	5,159	12,236	9,492	137.2	-22.4
3. हिमाचल प्रदेश	3,889	4,305	5,152	10.7	19.7
4. जम्मू और कश्मीर	5,379	6,543	7,951	21.6	21.5
5. मणिपुर	1,091	1,183	1,514	8.4	28.0
6. मेघालय	910	1,018	1,097	11.9	7.8
7. मिजोरम	792	963	968	21.6	0.5
8. नागालैंड	1,338	1,581	1,894	18.1	19.8
9. सिक्किम	1,349	1,555	1,579	15.3	1.5
10. त्रिपुरा	1,363	1,898	2,175	39.3	14.6
11. उत्तराखंड	3,146	4,306	4,099	36.9	-4.8
सभी राज्य	2,48,066	3,13,187	3,49,243	26.3	11.5
ज्ञापन मदे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,305	5,867	5,903	36.3	0.6
2. पुदुचेरी	626	818	643	30.7	-21.3

* : इसमें राजस्व और पूंजी लेखों पर व्यय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 17: ब्याज भुगतान

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)		2009-10 (संशोधित अनुमान)		2010-11 (बजट अनुमान)		घटबढ़ (प्रतिशत)			
							स्तंभ 4/स्तंभ 2	स्तंभ 5/स्तंभ 3	स्तंभ 6/स्तंभ 4	स्तंभ 7/स्तंभ 5
	सकल	निवल*	सकल	निवलड	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	8,057	4,570	9,104	3,352	10,196	3,099	13.0	-26.6	12.0	-7.6
2. बिहार	3,753	3,448	4,171	4,117	4,513	4,297	11.1	19.4	8.2	4.4
3. छत्तीसगढ़	1,078	840	1,100	838	1,208	1,009	2.1	-0.3	9.8	20.5
4. गोवा	510	489	566	564	648	645	11.0	15.2	14.4	14.5
5. गुजरात	7,884	7,316	8,585	8,035	9,865	9,271	8.9	9.8	14.9	15.4
6. हरियाणा	2,339	1,563	2,947	2,087	3,913	3,048	26.0	33.5	32.8	46.1
7. झारखंड	2,137	2,063	2,236	1,966	2,135	1,856	4.6	-4.7	-4.5	-5.6
8. कर्नाटक	4,532	4,195	5,250	4,973	6,316	6,178	15.8	18.5	20.3	24.2
9. केरल	4,660	4,576	5,202	5,095	5,786	5,667	11.6	11.3	11.2	11.2
10. मध्य प्रदेश	4,192	4,029	4,794	3,538	5,052	4,885	14.4	-12.2	5.4	38.1
11. महाराष्ट्र	12,299	11,283	14,111	12,820	15,960	14,988	14.7	13.6	13.1	16.9
12. उड़ीसा	2,890	2,235	3,593	3,293	3,952	3,752	24.3	47.3	10.0	14.0
13. पंजाब	4,902	4,720	5,389	5,116	5,764	5,621	9.9	8.4	7.0	9.9
14. राजस्थान	6,224	5,028	6,805	5,635	7,427	6,298	9.3	12.1	9.1	11.8
15. तमिलनाडु	5,963	4,498	6,726	5,124	7,673	6,308	12.8	13.9	14.1	23.1
16. उत्तर प्रदेश	11,375	10,411	12,330	11,250	13,492	12,413	8.4	8.1	9.4	10.3
17. पश्चिम बंगाल	12,069	8,069	13,252	12,297	14,018	13,031	9.8	52.4	5.8	6.0
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	216	181	251	214	274	234	16.6	18.6	9.1	9.3
2. असम	1,593	1,160	2,134	1,670	2,407	1,912	33.9	43.9	12.8	14.5
3. हिमाचल प्रदेश	1,894	1,816	1,983	1,938	2,232	2,187	4.7	6.7	12.6	12.8
4. जम्मू और कश्मीर	1,600	1,578	2,023	2,001	2,251	2,230	26.5	26.8	11.3	11.4
5. मणिपुर	314	274	332	294	361	316	5.9	7.3	8.8	7.7
6. मेघालय	212	194	246	235	267	254	16.0	20.9	8.3	8.3
7. मिजोरम	226	193	259	241	246	220	14.7	24.9	-4.9	-8.7
8. नागालैंड	314	302	372	365	412	407	18.6	20.7	10.6	11.6
9. सिक्किम	143	117	170	145	195	170	18.8	24.6	15.3	16.8
10. त्रिपुरा	394	331	465	435	512	487	17.8	31.1	10.2	12.0
11. उत्तराखंड	1,188	1,119	1,511	1,457	1,579	1,517	27.2	30.2	4.5	4.1
सभी राज्य	1,02,955	86,598	1,15,904	99,091	1,28,656	1,12,299	12.6	14.4	11.0	13.3
ज्ञापन मदें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,512	410	2,615	-642	2,700	-1,134	4.1	-256.5	3.3	76.5
2. पुदुचेरी	261	217	287	246	293	245	10.2	13.3	1.8	-0.4

* : सकल ब्याज भुगतान घटाव ब्याज प्राप्ति।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 18: कर राजस्व*

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	कर राजस्व/सभी राज्यों के कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	45,160	52,773	61,504	9.4	9.9	9.8
2. बिहार	23,865	26,295	34,244	4.9	5.0	5.5
3. छत्तीसगढ़	10,852	11,061	12,311	2.2	2.1	2.0
4. गोवा	2,109	2,333	2,775	0.4	0.4	0.4
5. गुजरात	29,283	32,529	36,861	6.1	6.1	5.9
6. हरियाणा	13,380	15,967	18,663	2.8	3.0	3.0
7. झारखंड	11,108	11,324	12,307	2.3	2.1	2.0
8. कर्नाटक	34,799	36,339	45,288	7.2	6.8	7.2
9. केरल	20,266	21,791	25,710	4.2	4.1	4.1
10. मध्य प्रदेश	24,381	28,489	29,718	5.0	5.4	4.7
11. महाराष्ट्र	60,048	63,959	74,722	12.4	12.0	11.9
12. उड़ीसा	16,275	17,416	20,364	3.4	3.3	3.2
13. पंजाब	13,234	16,384	19,216	2.7	3.1	3.1
14. राजस्थान	23,942	25,921	31,273	5.0	4.9	5.0
15. तमिलनाडु	42,195	44,154	51,840	8.7	8.3	8.3
16. उत्तर प्रदेश	59,565	66,967	77,823	12.3	12.6	12.4
17. पश्चिम बंगाल	25,741	28,567	35,214	5.3	5.4	5.6
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	598	601	830	0.1	0.1	0.1
2. असम	9,340	9,880	12,570	1.9	1.9	2.0
3. हिमाचल प्रदेश	3,080	3,463	4,590	0.6	0.7	0.7
4. जम्मू और कश्मीर	4,746	4,955	6,416	1.0	0.9	1.0
5. मणिपुर	751	801	1,233	0.2	0.2	0.2
6. मेघालय	965	1,040	1,316	0.2	0.2	0.2
7. मिजोरम	478	510	681	0.1	0.1	0.1
8. नागालैंड	578	589	860	0.1	0.1	0.1
9. सिक्किम	563	558	712	0.1	0.1	0.1
10. त्रिपुरा	1,129	1,264	1,736	0.2	0.2	0.3
11. उत्तराखंड	4,552	5,075	6,369	0.9	1.0	1.0
सभी राज्य	4,82,983	5,31,004	6,27,147	100.0	100.0	100.0
ज्ञापन मदें:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12,181	13,174	15,583	—	—	—
2. पुदुचेरी	725	906	1,317	—	—	—

‘—’ : लागू नहीं।

* : केन्द्रीय करों में हिस्सा और राज्यों का अपना कर राजस्व शामिल है।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 19: खुद का कर राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/ स्तंभ 2	स्तंभ 4/ स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	33,358	40,664	46,999	21.9	15.6
2. बिहार	6,173	8,141	10,644	31.9	30.7
3. छत्तीसगढ़	6,594	6,692	7,505	1.5	12.2
4. गोवा	1,694	1,906	2,218	12.5	16.4
5. गुजरात	23,557	26,353	30,261	11.9	14.8
6. हरियाणा	11,655	14,045	16,469	20.5	17.3
7. झारखंड	5,084	5,560	5,967	9.4	7.3
8. कर्नाटक	27,646	29,339	36,228	6.1	23.5
9. केरल	15,990	17,403	20,884	8.8	20.0
10. मध्य प्रदेश	13,614	17,442	18,670	28.1	7.0
11. महाराष्ट्र	52,030	55,711	63,838	7.1	14.6
12. उड़ीसा	7,995	8,920	10,360	11.6	16.1
13. पंजाब	11,150	13,857	16,308	24.3	17.7
14. राजस्थान	14,943	16,663	19,021	11.5	14.1
15. तमिलनाडु	33,684	35,396	41,438	5.1	17.1
16. उत्तर प्रदेश	28,659	35,255	42,306	23.0	20.0
17. पश्चिम बंगाल	14,419	16,917	20,008	17.3	18.3
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	136	126	144	-7.5	14.3
2. असम	4,150	4,333	4,976	4.4	14.8
3. हिमाचल प्रदेश	2,242	2,604	2,956	16.1	13.5
4. जम्मू और कश्मीर	2,693	3,075	3,505	14.2	14.0
5. मणिपुर	170	205	289	20.6	40.8
6. मेघालय	369	404	462	9.2	14.4
7. मिजोरम	95	117	118	23.3	1.3
8. नागालैंड	156	156	203	0.3	30.0
9. सिक्किम	185	184	211	-0.3	14.8
10. त्रिपुरा	443	530	667	19.7	25.9
11. उत्तराखंड	3,045	3,529	4,024	15.9	14.0
सभी राज्य	3,21,930	3,65,527	4,26,682	13.5	16.7
ज्ञापन यदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12,181	13,174	15,583	8.2	18.3
2. पुदुचेरी	725	906	1,317	24.9	45.4

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 20: गैर कर राजस्व*

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	गैर कर राजस्व / सभी राज्यों का गैर कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	17,699	25,633	29,144	8.4	9.3	10.2
2. बिहार	9,115	11,574	12,991	4.3	4.2	4.5
3. छत्तीसगढ़	4,811	7,515	8,215	2.3	2.7	2.9
4. गोवा	1,419	1,933	2,228	0.7	0.7	0.8
5. गुजरात	9,393	10,920	12,616	4.4	4.0	4.4
6. हरियाणा	5,072	7,035	5,878	2.4	2.5	2.1
7. झारखंड	4,999	8,517	7,795	2.4	3.1	2.7
8. कर्नाटक	8,491	10,067	8,350	4.0	3.6	2.9
9. केरल	4,246	4,736	5,471	2.0	1.7	1.9
10. मध्य प्रदेश	9,197	14,795	13,726	4.3	5.4	4.8
11. महाराष्ट्र	21,222	24,539	22,322	10.0	8.9	7.8
12. उड़ीसा	8,335	10,262	11,081	3.9	3.7	3.9
13. पंजाब	7,479	9,068	9,402	3.5	3.3	3.3
14. राजस्थान	9,527	11,286	11,190	4.5	4.1	3.9
15. तमिलनाडु	12,847	10,136	11,252	6.1	3.7	3.9
16. उत्तर प्रदेश	18,266	31,158	33,798	8.6	11.3	11.8
17. पश्चिम बंगाल	11,163	10,850	12,359	5.3	3.9	4.3
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	3,258	5,100	4,271	1.5	1.8	1.5
2. असम	8,737	14,605	13,839	4.1	5.3	4.8
3. हिमाचल प्रदेश	6,228	7,073	6,998	2.9	2.6	2.4
4. जम्मू और कश्मीर	11,065	14,598	16,246	5.2	5.3	5.7
5. मणिपुर	3,122	3,913	4,135	1.5	1.4	1.4
6. मेघालय	1,846	2,767	3,078	0.9	1.0	1.1
7. मिजोरम	2,175	2,704	2,573	1.0	1.0	0.9
8. नागालैंड	2,823	3,364	4,494	1.3	1.2	1.6
9. सिक्किम	2,108	2,942	2,874	1.0	1.1	1.0
10. त्रिपुरा	2,948	3,416	3,776	1.4	1.2	1.3
11. उत्तराखंड	4,083	5,877	5,790	1.9	2.1	2.0
सभी राज्य	2,11,675	2,76,384	2,85,891	100.0	100.0	100.0
ज्ञापन यदें:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,172	8,062	6,187	—	—	—
2. पुदुचेरी	1,733	1,984	1,924	—	—	—

‘—’ : लागू नहीं।

* : केंद्र से अनुदान और राज्यों के अपने गैर कर राजस्व शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 21: खुद का गैर कर राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/ स्तंभ 2	स्तंभ 4/ स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	9,683	14,106	15,703	45.7	11.3
2. बिहार	1,153	968	1,207	-16.0	24.6
3. छत्तीसगढ़	2,202	3,429	4,321	55.7	26.0
4. गोवा	1,236	1,511	1,568	22.2	3.8
5. गुजरात	5,099	5,042	6,184	-1.1	22.6
6. हरियाणा	3,238	3,152	3,549	-2.7	12.6
7. झारखंड	2,195	3,015	3,130	37.4	3.8
8. कर्नाटक	3,159	2,495	2,820	-21.0	13.0
9. केरल	1,559	1,780	2,314	14.2	30.0
10. मध्य प्रदेश	3,343	6,262	4,322	87.3	-31.0
11. महाराष्ट्र	9,790	7,055	10,216	-27.9	44.8
12. उड़ीसा	3,176	2,912	3,166	-8.3	8.7
13. पंजाब	5,784	6,274	6,649	8.5	6.0
14. राजस्थान	3,888	5,127	4,976	31.9	-2.9
15. तमिलनाडु	5,712	4,400	4,101	-23.0	-6.8
16. उत्तर प्रदेश	6,767	15,205	14,985	124.7	-1.4
17. पश्चिम बंगाल	4,966	3,173	3,518	-36.1	10.9
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	772	1,552	383	101.0	-75.3
2. असम	2,272	2,900	2,782	27.6	-4.1
3. हिमाचल प्रदेश	1,756	1,787	1,779	1.8	-0.5
4. जम्मू और कश्मीर	1,127	1,294	1,307	14.9	1.0
5. मणिपुर	253	313	457	23.5	45.9
6. मेघालय	225	240	261	6.7	8.6
7. मिजोरम	159	143	166	-9.9	16.3
8. नागालैंड	181	141	166	-22.2	18.2
9. सिक्किम	1,205	1,323	1,275	9.7	-3.6
10. त्रिपुरा	149	149	190	0.1	27.5
11. उत्तराखंड	699	1,429	1,115	104.3	-22.0
सभी राज्य	81,751	97,178	1,02,609	18.9	5.6
ज्ञापन मदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,301	3,459	4,049	50.4	17.0
2. पुदुचेरी	629	675	986	7.4	46.1

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण

विवरण 22 : केन्द्रीय करों में हिस्सा

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/ स्तंभ 2	स्तंभ 4/ स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	11,802	12,109	14,505	2.6	19.8
2. बिहार	17,693	18,154	23,600	2.6	30.0
3. छत्तीसगढ़	4,258	4,369	4,806	2.6	10.0
4. गोवा	415	427	557	2.7	30.4
5. गुजरात	5,726	6,176	6,600	7.9	6.9
6. हरियाणा	1,725	1,922	2,194	11.4	14.2
7. झारखंड	6,024	5,763	6,340	-4.3	10.0
8. कर्नाटक	7,154	7,000	9,060	-2.1	29.4
9. केरल	4,276	4,387	4,826	2.6	10.0
10. मध्य प्रदेश	10,767	11,047	11,047	2.6	—
11. महाराष्ट्र	8,018	8,248	10,883	2.9	31.9
12. उड़ीसा	8,280	8,496	10,004	2.6	17.8
13. पंजाब	2,084	2,527	2,908	21.3	15.0
14. राजस्थान	8,999	9,258	12,252	2.9	32.3
15. तमिलनाडु	8,511	8,758	10,402	2.9	18.8
16. उत्तर प्रदेश	30,906	31,712	35,517	2.6	12.0
17. पश्चिम बंगाल	11,322	11,650	15,206	2.9	30.5
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	462	475	686	2.9	44.4
2. असम	5,190	5,547	7,595	6.9	36.9
3. हिमाचल प्रदेश	837	859	1,635	2.6	90.2
4. जम्मू और कश्मीर	2,053	1,880	2,911	-8.4	54.8
5. मणिपुर	581	596	944	2.6	58.4
6. मेघालय	595	636	854	6.9	34.3
7. मिजोरम	383	393	563	2.6	43.1
8. नागालैंड	422	433	657	2.6	51.8
9. सिक्किम	379	374	500	-1.3	33.9
10. त्रिपुरा	687	734	1,069	6.9	45.7
11. उत्तराखंड	1,507	1,546	2,345	2.6	51.7
सभी राज्य	1,61,052	1,65,477	2,00,466	2.7	21.1

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 23: केंद्र सरकार से अनुदान

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/ स्तंभ 2	स्तंभ 4/ स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	8,015	11,526	13,441	43.8	16.6
2. बिहार	7,962	10,606	11,784	33.2	11.1
3. छत्तीसगढ़	2,609	4,085	3,894	56.6	-4.7
4. गोवा	183	423	660	130.9	56.1
5. गुजरात	4,294	5,878	6,432	36.9	9.4
6. हरियाणा	1,834	3,883	2,329	111.7	-40.0
7. झारखंड	2,805	5,502	4,665	96.2	-15.2
8. कर्नाटक	5,332	7,572	5,530	42.0	-27.0
9. केरल	2,687	2,956	3,157	10.0	6.8
10. मध्य प्रदेश	5,854	8,533	9,404	45.8	10.2
11. महाराष्ट्र	11,432	17,484	12,107	52.9	-30.8
12. उड़ीसा	5,159	7,350	7,915	42.5	7.7
13. पंजाब	1,695	2,794	2,753	64.9	-1.5
14. राजस्थान	5,638	6,159	6,215	9.2	0.9
15. तमिलनाडु	7,135	5,736	7,150	-19.6	24.7
16. उत्तर प्रदेश	11,499	15,952	18,812	38.7	17.9
17. पश्चिम बंगाल	6,197	7,677	8,841	23.9	15.2
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	2,486	3,549	3,888	42.8	9.6
2. असम	6,465	11,705	11,056	81.1	-5.5
3. हिमाचल प्रदेश	4,472	5,286	5,219	18.2	-1.3
4. जम्मू और कश्मीर	9,938	13,304	14,939	33.9	12.3
5. मणिपुर	2,868	3,600	3,679	25.5	2.2
6. मेघालय	1,621	2,526	2,817	55.9	11.5
7. मिजोरम	2,016	2,561	2,406	27.0	-6.0
8. नागालैंड	2,642	3,224	4,328	22.0	34.3
9. सिक्किम	903	1,619	1,599	79.4	-1.3
10. त्रिपुरा	2,799	3,267	3,586	16.7	9.8
11. उत्तराखंड	3,384	4,449	4,675	31.5	5.1
सभी राज्य	1,29,923	1,79,206	1,83,282	37.9	2.3
ज़ापन यदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,871	4,603	2,139	146.0	-53.5
2. पुदुचेरी	1,105	1,309	937	18.6	-28.4

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण

विवरण 24: केंद्र से ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)		2009-10 (संशोधित अनुमान)		2010-11 (बजट अनुमान)		घटबढ़ (प्रतिशत)			
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	स्तंभ 4/स्तंभ 2	स्तंभ 5/स्तंभ 3	स्तंभ 6/स्तंभ 4	स्तंभ 7/स्तंभ 5
							सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	397	-391	850	31	2,081	1,223	114.2	-107.9	144.8	-
2. बिहार	150	-279	1,401	931	1,405	893	835.2	-433.8	0.3	-4.1
3. छत्तीसगढ़	206	95	307	193	248	118	49.2	103.5	-19.1	-38.8
4. गोवा	1	-23	150	127	7	-17	-	-660.4	-95.4	-113.1
5. गुजरात	227	-332	180	-383	180	-447	-20.5	15.3	-	16.7
6. हरियाणा	66	-47	169	54	617	503	155.8	-213.8	265.6	831.2
7. झारखंड	-	-165	-	-186	-	-151	-	12.7	-	-18.5
8. कर्नाटक	596	135	726	256	1,142	592	21.8	90.4	57.3	130.8
9. केरल	768	476	1,133	868	1,486	815	47.6	82.4	31.1	-6.2
10. मध्य प्रदेश	1,154	709	1,620	1,119	1,643	1,496	40.4	57.9	1.4	33.7
11. महाराष्ट्र	386	-35	1,291	865	1,104	607	234.8	-	-14.5	-29.8
12. उड़ीसा	508	74	1,194	757	858	370	134.8	919.9	-28.2	-51.2
13. पंजाब	278	105	388	160	370	143	39.7	53.2	-4.6	-10.9
14. राजस्थान	326	-66	288	-112	485	26	-11.6	69.6	68.6	-123.6
15. तमिलनाडु	1,043	724	1,067	735	1,603	988	2.3	1.5	50.2	34.4
16. उत्तर प्रदेश	421	-778	1,281	81	1,281	-21	204.3	-110.4	-	-125.6
17. पश्चिम बंगाल	400	-352	446	-411	689	185	11.7	16.7	54.4	-145.1
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	-	-4	1	-23	1	-24	-	524.9	-	4.5
2. असम	45	-69	87	-111	61	-143	92.4	61.1	-29.9	28.9
3. हिमाचल प्रदेश	12	-44	11	-45	28	-33	-4.5	2.2	142.7	-26.3
4. जम्मू और कश्मीर	-	-108	50	9	37	-49	-	-108.5	-25.8	-639.5
5. मणिपुर	5	-240	7	-35	7	-35	33.3	-85.3	-	-0.5
6. मेघालय	6	-53	9	-10	13	-9	48.7	-81.7	46.3	-11.6
7. मिजोरम	6	-12	25	7	28	9	307.5	-154.6	9.5	30.0
8. नागालैंड	-16	-21	1	-36	8	-41	-106.0	71.7	743.9	13.3
9. सिक्किम	-	-14	1	-14	4	-13	170.1	5.6	236.7	-8.6
10. त्रिपुरा	3	-26	3	-25	9	-20	33.3	-1.7	168.7	-21.7
11. उत्तराखंड	18	-19	96	58	50	6	431.0	-404.0	-48.0	-90.3
सभी राज्य	7,005	-761	12,783	4,859	15,445	6,969	82.5	-738.2	20.8	43.4
ज्ञापन मदें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. पुदुचेरी	94	-16	102	-10	122	4	8.9	-40.8	19.1	-142.8

‘-’ : शून्य / नगण्य / कम आधार की वजह से असामान्य वृद्धि।

* : केंद्र सरकार से सकल ऋण घटाव केंद्र को ऋणों की चुकोती।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 25: केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2008-09 (लेखा)		2009-10 (संशोधित अनुमान)		2010-11 (बजट अनुमान)		घटबढ़ (प्रतिशत)			
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	स्तंभ 4/स्तंभ 2	स्तंभ 5/स्तंभ 3	स्तंभ 6/स्तंभ 4	स्तंभ 7/स्तंभ 5
							सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	20,214	18,277	24,486	22,543	30,028	28,079	21.1	23.3	22.6	24.6
2. बिहार	25,804	24,730	30,161	29,153	36,789	35,678	16.9	17.9	22.0	22.4
3. छत्तीसगढ़	7,072	6,794	8,761	8,472	8,947	8,634	23.9	24.7	2.1	1.9
4. गोवा	599	541	1,000	943	1,224	1,165	66.9	74.4	22.4	23.6
5. गुजरात	10,246	8,838	12,234	10,850	13,212	11,794	19.4	22.8	8.0	8.7
6. हरियाणा	3,625	3,347	5,974	5,698	5,140	4,851	64.8	70.2	-14.0	-14.9
7. झारखंड	8,828	8,368	11,266	10,814	11,005	10,596	27.6	29.2	-2.3	-2.0
8. कर्नाटक	13,082	11,863	15,299	14,089	15,733	14,380	16.9	18.8	2.8	2.1
9. केरल	7,731	7,003	8,476	7,788	9,468	8,318	9.6	11.2	11.7	6.8
10. मध्य प्रदेश	17,774	16,636	21,200	19,976	22,094	21,233	19.3	20.1	4.2	6.3
11. महाराष्ट्र	19,836	18,731	27,023	25,937	24,094	22,936	36.2	38.5	-10.8	-11.6
12. उड़ीसा	13,947	12,885	17,040	15,807	18,777	17,544	22.2	22.7	10.2	11.0
13. पंजाब	4,056	3,835	5,709	5,436	6,031	5,760	40.7	41.7	5.6	6.0
14. राजस्थान	14,963	13,949	15,705	14,682	18,952	17,871	5.0	5.3	20.7	21.7
15. तमिलनाडु	16,689	15,848	15,561	14,694	19,155	17,981	-6.8	-7.3	23.1	22.4
16. उत्तर प्रदेश	42,826	39,968	48,945	46,144	55,610	52,773	14.3	15.5	13.6	14.4
17. पश्चिम बंगाल	17,919	15,978	19,773	17,410	24,736	23,248	10.4	9.0	25.1	33.5
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	2,948	2,944	4,025	4,001	4,575	4,550	36.5	35.9	13.7	13.7
2. असम	11,700	11,424	17,339	16,821	18,712	18,202	48.2	47.2	7.9	8.2
3. हिमाचल प्रदेश	5,321	5,188	6,157	6,031	6,882	6,750	15.7	16.2	11.8	11.9
4. जम्मू और कश्मीर	11,991	11,742	15,233	15,193	17,887	17,801	27.0	29.4	17.4	17.2
5. मणिपुर	3,454	3,209	4,203	4,161	4,630	4,533	21.7	29.7	10.2	9.0
6. मेघालय	2,222	2,138	3,171	3,125	3,684	3,635	42.7	46.1	16.2	16.3
7. मिजोरम	2,406	2,362	2,980	2,925	2,997	2,949	23.8	23.8	0.6	0.8
8. नागालैंड	3,048	3,024	3,657	3,590	4,993	4,914	20.0	18.7	36.5	36.9
9. सिक्किम	1,282	1,245	1,994	1,957	2,103	2,066	55.6	57.2	5.5	5.6
10. त्रिपुरा	3,488	3,420	4,004	3,922	4,664	4,595	14.8	14.7	16.5	17.2
11. उत्तराखंड	4,909	4,836	6,091	6,025	7,069	6,995	24.1	24.6	16.1	16.1
सभी राज्य	2,97,981	2,79,124	3,57,466	3,38,185	3,99,193	3,79,833	20.0	21.2	11.7	12.3
ज्ञापन मदे:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,871	-641	4,603	1,988	2,139	-561	146.0	-410.2	-53.5	-128.2
2. पुदुचेरी	1,199	880	1,412	1,098	1,059	778	17.8	24.8	-25.0	-29.1

* : सकल न्यागमन और अंतरण घटाव केंद्र को ऋणों की चुकौती तथा केंद्र से ऋणों पर व्याज भुगतान।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2008-09 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना

(मार्च 2010 के अंत में)

(करोड़ रुपये)

राज्य	एसडीएल	पावर बांड	क्षतिपूर्ति बांड	एनएस-एसएफ	आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आक-स्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	38,336	1,827	—	24,209	—	1,401	120	3,932	—	152	1,532	7,137	71,509	14,735	7,445	4,016	12,305	43	1,10,054
2. बिहार	13,370	1,557	21	15,826	-9	22	2	1,074	—	30	9	1,137	31,903	8,029	9,574	1,225	4,701	350	55,782
3. छत्तीसगढ़	2,326	362	—	4,373	—	20	11	603	—	28	—	662	7,723	2,217	1,703	1,437	1,909	40	15,029
4. गोवा	1,881	—	—	2,704	—	23	—	77	—	1	96	197	4,782	582	888	322	546	30	7,150
5. गुजरात	26,879	1,222	2	44,316	—	—	—	3	182	3	3,584	3,772	76,190	10,337	5,171	5,973	12,025	166	1,09,862
6. हरियाणा	7,246	1,517	—	10,456	—	16	12	971	—	108	828	1,935	21,153	2,031	6,609	1,519	2,173	10	33,495
7. झारखंड	5,972	1,587	7	7,949	—	5	2	870	—	-3	805	1,678	17,193	2,422	1,081	574	2,604	150	24,024
8. कर्नाटक	18,572	—	—	19,351	—	609	54	1,480	—	-71	—	2,072	39,995	9,695	9,710	—	5,741	78	65,219
9. केरल	21,263	869	1	11,880	—	3,267	344	826	—	206	217	4,860	38,872	6,010	18,447	1,066	2,519	94	67,008
10. मध्य प्रदेश	16,572	1,998	—	14,538	—	140	15	2,563	122	57	610	3,508	36,616	9,493	8,040	1,940	4,123	100	60,312
11. महाराष्ट्र	44,678	764	3	73,279	—	1,833	-6	1,882	2	442	2,424	6,576	1,25,300	8,526	10,899	16,464	25,087	398	1,86,674
12. उड़ीसा	7,354	827	—	6,812	—	16	33	1,110	—	3	660	1,822	16,815	8,528	11,185	4,335	2,662	376	43,901
13. पंजाब	17,874	478	—	21,429	—	3	1	1,506	3,236	—	549	5,295	45,076	3,393	9,334	2,081	1,620	25	61,529
14. राजस्थान	24,499	166	—	23,769	—	428	71	1,948	—	114	172	2,733	51,167	7,614	16,827	2,526	5,901	200	84,235
15. तमिलनाडु	29,294	—	—	24,610	—	1,128	106	2,890	281	36	739	5,179	59,084	7,660	8,049	3,893	7,319	149	86,154
16. उत्तर प्रदेश	43,686	4,404	40	44,466	-31	-31	68	1,765	2,951	-25	4,892	9,621	1,02,185	20,365	25,359	28,232	16,109	517	1,92,767
17. पश्चिम बंगाल	43,123	1,473	2	62,235	—	21	9	39	—	66	8,205	8,340	1,15,172	13,463	6,057	3,587	12,136	19	1,50,434
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	615	18	—	543	56	1	—	259	—	-1	103	362	1,593	436	649	61	3,187	—	5,926
2. असम	9,255	643	—	4,717	—	2	15	600	—	-30	59	645	15,260	2,533	4,323	1,540	-906	50	22,800
3. हिमाचल प्रदेश	7,658	53	—	3,889	—	427	2	764	—	19	1,718	2,930	14,530	974	4,668	741	982	5	21,900
4. जम्मू और कश्मीर	7,275	1,193	—	3,212	—	867	11	994	2,290	1	-4	4,158	15,838	1,889	4,753	1,215	1,381	1	25,077
5. मणिपुर	1,342	118	—	880	—	8	—	14	—	11	83	116	2,456	729	753	23	921	—	4,883
6. मेघालय	1,454	11	—	293	—	1	1	114	—	5	103	223	1,981	330	474	82	827	6	3,700
7. मिजोरम	964	34	—	137	27	282	—	60	—	—	81	423	1,586	363	1,223	65	910	—	4,147
8. नागालैंड	2,371	59	—	113	—	88	26	148	—	2	437	700	3,244	384	462	20	75	—	4,185
9. सिक्किम	990	36	—	113	—	86	1	66	—	—	9	163	1,301	201	366	26	123	1	2,018
10. त्रिपुरा	1,192	48	—	1,096	—	177	4	95	—	—	4	280	2,616	506	1,497	56	25	10	4,710
11. उत्तराखंड	5,885	429	2	4,722	329	1	5	778	36	33	402	1,255	12,621	427	1,887	908	1,345	35	17,223
सभी राज्य	4,01,924	21,691	80	4,31,915	372	10,842	905	27,429	9,099	1,189	28,315	77,780	9,33,762	1,43,870	1,77,434	83,927	1,28,350	2,853	14,70,195
ज्ञापन मदें:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	25,382	—	—	—	—	—	—	—	—	25,382	—	—	—	—	—	25,382
2. पुदुचेरी	687	—	—	1,183	—	—	—	—	—	—	—	—	1,871	935	293	12	214	1	3,325

(जारी)

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना (जारी)

(मार्च 2010 के अंत में)

(करोड़ रुपये)

राज्य	एसडीएल	पावर बांड	क्षतिपूर्ति बांड	एनएस-एसएफ	आरबीआइ से अर्बोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आक-स्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	51,622	1,583	—	25,224	—	1,052	120	4,336	—	153	586	6,247	84,677	14,766	8,402	3,584	12,196	43	1,23,668
2. बिहार	15,872	1,349	20	17,311	-9	22	2	1,713	—	26	8	1,771	36,314	8,960	9,925	1,225	4,796	350	61,570
3. छत्तीसगढ़	2,746	314	—	4,520	81	11	11	635	—	119	-6	771	8,432	2,410	1,828	1,524	2,172	40	16,406
4. गोवा	2,399	—	—	2,830	—	21	—	89	—	3	117	229	5,457	708	876	376	563	30	8,012
5. गुजरात	34,949	1,059	2	47,075	-1	—	—	1,256	159	2	3,090	4,507	87,591	9,954	6,421	5,973	12,025	166	1,22,130
6. हरियाणा	10,929	1,314	—	10,990	—	13	12	1,109	—	118	1,521	2,772	26,006	2,085	7,733	1,518	2,395	10	39,747
7. झारखंड	7,647	1,375	7	8,619	—	5	2	1,402	—	-7	771	2,173	19,821	2,236	1,280	522	3,381	650	27,891
8. कर्नाटक	23,526	—	—	19,598	—	447	54	1,842	—	-64	-6	2,273	45,397	9,951	11,410	—	5,741	78	72,577
9. केरल	25,973	753	1	11,740	—	3,488	344	1,157	—	185	227	5,401	43,868	6,878	19,233	1,045	2,395	94	73,514
10. मध्य प्रदेश	21,620	1,732	—	15,030	—	128	15	3,018	121	37	645	3,965	42,346	10,612	8,117	1,536	4,130	100	66,842
11. महाराष्ट्र	59,289	662	3	76,030	—	1,583	-6	2,712	2	544	1,964	6,799	1,42,783	9,391	12,616	15,871	28,030	398	2,09,089
12. उड़ीसा	6,783	717	—	7,423	—	13	33	1,699	—	18	689	2,453	17,375	9,285	11,786	4,335	3,075	376	46,232
13. पंजाब	22,235	414	—	22,433	—	3	1	1,786	2,658	—	482	4,930	50,012	3,553	10,365	2,081	1,620	25	67,656
14. राजस्थान	30,610	129	—	23,209	—	243	71	2,609	—	143	142	3,208	57,157	7,502	18,906	463	6,191	200	90,420
15. तमिलनाडु	41,019	—	—	24,882	—	1,040	106	3,435	262	49	583	5,477	71,377	8,395	9,408	3,920	3,604	149	96,853
16. उत्तर प्रदेश	54,929	3,817	40	48,364	-31	-37	68	2,889	2,951	-25	4,315	10,161	1,17,280	20,446	32,102	24,140	19,262	517	2,13,747
17. पश्चिम बंगाल	58,727	1,276	2	68,723	—	17	9	42	—	56	8,359	8,483	1,37,211	13,052	7,188	3,384	14,595	20	1,75,450
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	684	16	—	593	126	1	—	337	—	-1	-7	330	1,748	413	693	61	3,177	—	6,092
2. असम	10,747	557	—	4,722	—	2	15	740	—	-5	25	776	16,802	2,422	4,752	1,540	-906	50	24,660
3. हिमाचल प्रदेश	8,835	46	—	4,286	—	378	2	887	—	14	1,320	2,601	15,767	929	5,111	741	982	5	23,535
4. जम्मू और कश्मीर	8,257	1,034	—	3,286	—	1,114	11	1,422	2,290	1	-676	4,161	16,738	1,898	5,610	1,589	1,011	1	26,847
5. मणिपुर	1,803	102	—	878	—	8	—	24	—	11	26	69	2,852	694	778	23	856	—	5,203
6. मेघालय	1,646	9	—	355	—	—	1	180	—	5	90	276	2,286	320	571	82	826	6	4,091
7. मिजोरम	1,062	30	—	146	27	280	—	79	—	-2	46	404	1,668	370	1,307	60	1,050	200	4,655
8. नागालैंड	2,820	51	—	116	38	77	26	187	—	44	510	845	3,870	347	468	20	-144	—	4,561
9. सिक्किम	1,267	31	—	110	—	90	1	102	—	—	22	215	1,622	187	408	26	127	1	2,371
10. त्रिपुरा	1,446	41	—	1,131	—	160	4	156	—	—	-2	318	2,936	481	1,870	51	40	10	5,388
11. उत्तराखंड	6,345	372	2	5,394	329	1	5	846	36	38	401	1,328	13,770	485	2,558	1,028	1,394	35	19,270
सभी राज्य	5,15,785	18,784	79	4,55,015	561	10,160	905	36,687	8,480	1,464	25,243	82,940	10,73,163	1,48,729	2,01,723	76,719	1,34,586	3,554	16,38,474
जापान मदें:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	26,544	—	—	—	—	—	—	—	—	26,544	—	—	—	—	—	26,544
2. पुदुचेरी	1,187	—	—	1,202	—	—	—	—	—	—	746	—	2,390	925	319	24	239	1	3,898

एसडीएल : राज्य विकास ऋण. '—': शून्य / नगण्य.

नोट : 1. 2008-09, के पूर्व की बकाया देयताओं के राज्यवार आंकड़ा श्रृंखला में लिए 'राज्य सरकार वित्त 2010 के संबंध में सांख्यिकी पुस्तिका' देखें।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर और मणिपुर के आंतरिक ऋण के उन्मोचन के विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उन्हें 'अन्य संस्थाओं से ऋण' के तहत शामिल किया गया है।

3. 1 अप्रैल 2010 को चुकोती वाले पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए। 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उसे मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया है।

स्रोत : 1. भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे, सीएजी।

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

3. रिजर्व बैंक के अभिलेख।

4. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

5. केंद्र सरकार के वित्त लेखे, सीजीए, भारत सरकार।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना (समाप्त)

(मार्च 2010 के अंत में)

(करोड़ रुपये)

राज्य	एसडीएल	पावर बांड	क्षतिपूर्ति बांड	एनएस-एसएफ	आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण	भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आक-स्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	64,556	1,340	—	25,466	—	704	120	4,659	—	163	-1,534	4,112	95,474	15,989	9,455	3,130	12,575	43	1,36,666
2. बिहार	18,447	1,142	21	18,028	-9	22	2	2,328	—	25	8	2,384	40,013	9,852	10,251	1,225	4,823	350	66,514
3. छत्तीसगढ़	4,510	266	—	4,569	81	-2	11	854	—	212	-12	1,063	10,489	2,528	1,953	1,750	2,276	40	19,036
4. गोवा	2,910	—	—	2,888	-95	19	—	171	—	3	130	322	6,025	692	886	430	565	30	8,627
5. गुजरात	46,892	896	2	48,906	-2	—	—	2,510	137	—	2,470	5,116	1,01,810	9,507	7,071	5,973	12,025	166	1,36,552
6. हरियाणा	14,856	1,112	—	11,312	—	10	12	1,196	—	126	2,181	3,524	30,804	2,588	8,969	1,516	2,638	10	46,526
7. झारखंड	7,970	1,163	7	8,996	—	5	2	1,731	—	-7	781	2,512	20,649	2,085	1,521	464	4,348	800	29,867
8. कर्नाटक	30,554	—	—	19,735	—	406	54	2,344	—	-68	-11	2,724	53,014	10,543	12,961	—	5,741	78	82,337
9. केरल	32,712	637	1	11,487	—	3,680	344	1,483	—	198	235	5,939	50,776	7,693	19,821	1,025	2,334	94	81,742
10. मध्य प्रदेश	27,474	1,465	—	15,125	—	117	15	3,438	121	22	636	4,349	48,415	12,107	8,151	1,710	4,092	100	74,574
11. महाराष्ट्र	81,533	560	3	74,680	—	1,332	-6	3,450	2	396	2,580	7,753	1,64,529	9,998	14,196	15,952	31,454	398	2,36,526
12. उड़ीसा	8,854	607	—	7,810	—	10	33	2,528	—	15	709	3,296	20,566	9,654	12,386	4,335	3,619	376	50,937
13. पंजाब	28,345	351	—	22,179	—	2	1	1,940	2,028	—	423	4,394	55,269	3,696	11,128	2,056	1,620	25	73,794
14. राजस्थान	37,983	92	—	22,254	—	58	71	3,323	—	156	113	3,721	64,050	7,528	20,281	338	6,484	200	98,881
15. तमिलनाडु	50,234	—	—	24,663	—	953	106	3,973	242	53	370	5,698	80,594	9,383	10,930	3,938	4,386	149	1,09,381
16. उत्तर प्रदेश	66,172	3,230	40	50,319	-31	-43	68	4,001	2,951	-27	3,755	10,705	1,30,434	20,425	39,176	27,625	16,403	517	2,34,581
17. पश्चिम बंगाल	72,727	1,080	2	76,537	—	13	9	45	—	43	8,446	8,556	1,58,903	13,237	8,006	3,401	14,628	20	1,98,195
II. विशेष श्रेणी																			—
1. अरुणाचल प्रदेश	767	13	—	633	196	1	—	367	—	-1	-1,610	-1,242	367	388	740	62	3,166	—	4,724
2. असम	13,107	472	—	4,632	—	1	15	954	—	-5	23	988	19,198	2,279	5,224	1,540	-906	50	27,385
3. हिमाचल प्रदेश	10,304	39	—	4,475	—	330	2	974	—	9	907	2,222	17,040	896	5,611	741	1,241	5	25,534
4. जम्मू और कश्मीर	9,313	875	—	3,739	—	1,361	11	1,850	2,290	1	-1,523	3,989	17,916	1,849	6,160	1,963	613	1	28,501
5. मणिपुर	2,066	86	—	879	—	5	—	33	—	9	24	72	3,103	658	861	23	733	—	5,379
6. मेघालय	1,889	8	—	415	—	—	1	245	—	4	76	327	2,638	312	680	82	832	6	4,550
7. मिजोरम	1,052	25	—	139	27	266	—	107	—	-2	23	394	1,637	378	1,367	55	1,051	200	4,688
8. नागालैंड	3,123	43	—	123	38	66	26	223	—	54	485	854	4,181	306	470	20	-134	—	4,843
9. सिक्किम	1,558	26	—	108	—	94	1	134	—	3	26	259	1,951	173	439	30	136	1	2,731
10. त्रिपुरा	1,723	35	—	1,151	—	143	4	237	—	—	-2	382	3,291	461	2,073	51	45	10	5,931
11. उत्तराखंड	6,796	315	2	5,844	329	1	5	1,056	36	39	400	1,539	14,824	491	3,382	1,023	1,364	70	21,154
सभी राज्य	6,48,426	15,877	80	4,67,091	535	9,556	905	46,153	7,808	1,422	20,108	85,951	12,17,959	1,55,698	2,24,149	80,458	1,38,152	3,739	18,20,155
ज्ञापन म दें:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	26,744	—	—	—	—	—	—	—	—	26,744	—	—	—	—	—	26,744
2. पुदुचेरी	1,187	—	—	1,173	—	—	—	—	—	—	1,782	—	2,360	930	351	29	268	1	3,938

एसडीएल : राज्य विकास ऋण। '-' : शून्य / नगण्य।

नोट : 1. 2008-09, के पूर्व की बकाया देयताओं के राज्यवार आंकड़ा श्रृंखला में लिए 'राज्य सरकार वित्त 2010 के संबंध में सांख्यिकी पुस्तिका' देखें।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर और मणिपुर के आंतरिक ऋण के उन्मोचन के विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उन्हें 'अन्य संस्थाओं से ऋण' के तहत शामिल किया गया है।

3. 1 अप्रैल 2010 को चुकोती वाले पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए। 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उसे मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया है।

स्रोत : 1. भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे, सीएजी।

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

3. रिजर्व बैंक के अभिलेख।

4. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

5. केन्द्र सरकार के वित्त लेखे, सीजीए, भारत सरकार।

विवरण 27: राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं
(मार्च के अंत की स्थिति)

(करोड़ रुपये)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (संअ)	2011 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. गैर विशेष श्रेणी																					
1. आंध्र प्रदेश	8,150	9,454	11,063	12,940	15,224	17,778	20,201	23,313	28,301	34,829	41,809	48,637	56,030	65,251	75,418	83,282	90,456	99,875	1,10,054	1,23,668	1,36,666
2. बिहार	10,633	11,777	13,551	14,752	16,701	18,695	20,752	23,584	27,109	32,866	29,942	34,135	38,254	39,999	43,183	47,290	49,846	52,807	55,782	61,570	66,514
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,967	8,121	9,592	10,825	12,133	13,190	14,042	14,647	15,029	16,406	19,036
4. गोवा	903	967	1,049	1,115	1,183	1,275	1,402	1,568	1,936	2,510	2,822	3,746	3,503	3,885	4,417	5,126	5,841	6,642	7,150	8,012	8,627
5. गुजरात	8,076	9,361	10,502	11,467	12,999	14,889	17,006	20,419	25,068	34,190	42,781	47,919	55,175	62,307	71,334	83,024	90,956	1,00,328	1,09,862	1,22,130	1,36,552
6. हरियाणा	3,076	3,471	3,899	4,424	5,036	6,171	7,004	8,110	10,250	13,810	14,650	17,726	19,948	22,450	24,900	26,979	29,308	29,911	33,495	39,747	46,526
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,448	9,979	11,887	10,036	13,090	16,924	19,049	21,342	24,024	27,891	29,867
8. कर्नाटक	5,898	6,271	7,160	8,815	9,952	11,074	12,739	14,697	17,455	21,045	25,301	31,337	36,020	39,959	44,345	49,587	58,079	60,555	65,219	72,577	82,337
9. केरल	4,983	5,833	6,682	7,595	9,280	10,719	12,314	14,469	17,333	22,214	26,259	29,536	34,312	39,151	43,695	47,883	52,318	58,503	67,008	73,514	81,742
10. मध्य प्रदेश	7,777	8,803	11,442	10,792	12,165	13,891	15,948	17,975	21,957	25,933	22,127	26,043	29,882	37,967	44,586	49,647	52,731	54,909	60,312	66,842	74,574
11. महाराष्ट्र	12,878	15,279	16,911	18,787	21,979	26,379	30,602	37,052	44,264	58,813	67,601	78,541	89,952	1,06,838	1,24,554	1,46,228	1,60,741	1,62,013	1,86,674	2,09,089	2,36,526
12. उड़ीसा	5,156	6,065	6,792	7,689	8,914	10,295	11,996	13,636	16,281	20,614	24,220	28,161	30,869	33,850	36,982	40,724	42,938	42,975	43,901	46,232	50,937
13. पंजाब	7,071	8,131	9,524	10,874	12,454	14,040	15,618	17,904	21,823	26,610	30,763	35,730	40,125	42,819	47,071	51,140	51,009	55,794	61,529	67,656	73,794
14. राजस्थान	6,580	7,647	8,654	10,038	11,866	14,137	16,742	19,229	24,136	31,684	35,541	41,634	47,534	53,109	59,968	66,239	71,173	77,166	84,235	90,420	98,881
15. तमिलनाडु	7,044	8,341	10,206	11,616	13,541	15,134	17,257	19,512	23,189	29,568	34,541	39,069	44,471	51,759	55,968	63,848	68,561	73,887	86,154	96,853	1,09,381
16. उत्तर प्रदेश	19,760	22,978	26,366	29,693	34,263	38,998	45,630	52,428	62,103	77,934	83,098	95,822	1,05,126	1,24,063	1,36,273	1,54,061	1,67,776	1,79,741	1,92,767	2,13,747	2,34,581
17. पश्चिम बंगाल	8,857	10,135	11,281	12,926	15,128	17,716	21,114	25,173	32,192	44,042	54,929	66,396	78,325	89,472	97,342	1,14,419	1,24,153	1,36,422	1,50,434	1,75,450	1,98,195
II. विशेष श्रेणी																					
1. अरुणाचल प्रदेश	280	287	262	281	319	397	480	477	566	735	739	790	966	1,736	2,069	2,412	2,371	2,837	5,926	6,092	4,724
2. असम	4,341	4,658	4,670	4,675	5,228	6,326	6,402	6,469	6,765	8,666	10,227	11,988	13,099	15,688	17,043	18,401	19,490	20,192	22,800	24,660	27,385
3. हिमाचल प्रदेश	1,329	1,492	1,833	1,996	2,556	3,267	3,661	4,298	6,383	7,840	8,705	10,055	12,228	14,379	16,483	17,390	18,142	19,482	21,900	23,535	25,534
4. जम्मू और कश्मीर	3,358	3,808	4,014	4,510	4,448	4,628	5,294	5,736	6,429	7,739	9,101	9,624	10,528	14,728	15,877	18,427	19,673	22,102	25,077	26,847	28,501
5. मणिपुर	390	503	531	564	607	676	721	1,040	1,328	1,614	1,870	1,870	1,890	2,444	3,239	4,062	4,185	4,529	4,883	5,203	5,379
6. मेघालय	218	245	301	381	450	490	475	658	862	1,117	1,388	1,528	1,820	2,123	2,410	2,610	2,819	3,218	3,700	4,091	4,550
7. मिजोरम	330	314	322	378	444	538	574	771	842	1,178	1,375	1,713	1,967	2,606	2,922	3,154	3,354	3,951	4,147	4,655	4,688
8. नागालैंड	409	476	520	586	624	781	753	876	1,063	1,389	1,604	1,884	2,385	2,389	2,638	3,006	3,225	3,577	4,185	4,561	4,843
9. सिक्किम	142	162	199	222	263	292	228	260	415	593	852	929	989	1,010	1,150	1,289	1,409	1,705	2,018	2,371	2,731
10. त्रिपुरा	517	573	631	759	856	948	986	1,163	1,525	1,993	2,384	2,817	3,278	4,057	4,853	5,358	4,625	4,542	4,710	5,388	5,931
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,106	5,018	6,274	8,273	10,123	12,017	13,308	14,650	17,223	19,270	21,154
सभी राज्य	1,28,155	1,47,030	1,68,365	1,87,875	2,16,483	2,49,535	2,85,898	3,30,816	3,99,576	5,09,529	5,94,148	6,90,747	7,86,427	9,03,174	10,14,067	11,47,717	12,41,576	13,28,302	14,70,195	16,38,474	18,20,155
ज्ञापन मदें:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	117	627	1,354	2,205	3,081	3,788	6,348	7,924	9,777	12,494	14,149	15,836	21,567	25,569	25,339	25,382	26,544	26,744
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,310	1,549	1,818	2,169	2,923	3,325	3,898	3,938

संअ: संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान। '—': उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

नोट: 'आंकड़ा स्रोतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट' देखें।

स्रोत: विवरण 26 की तरह।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

विवरण 28: राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं - जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में
(मार्च के अंत की स्थिति)

राज्य	(प्रतिशत)																				
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (संअ)	2011 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. गैर विशेष श्रेणी																					
1. आंध्र प्रदेश	24.4	23.3	24.9	22.4	22.1	22.3	22.4	24.3	24.6	27.0	28.9	31.0	33.5	34.3	35.6	34.7	32.6	30.6	29.2	30.1	31.3
2. बिहार	40.2	39.9	42.5	37.8	37.9	42.3	38.6	38.4	39.0	38.9	33.5	59.2	58.9	60.4	58.6	59.6	50.1	46.1	39.1	39.7	39.5
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.5	29.5	27.9	27.8	25.9	21.7	18.4	15.8	15.2	18.0
4. गोवा	71.8	62.3	56.1	46.5	41.7	38.4	35.4	31.9	31.9	39.7	41.8	52.8	43.3	41.8	38.5	38.6	38.3	38.6	36.2	35.5	33.6
5. गुजरात	28.8	30.6	26.0	23.3	20.5	20.7	19.8	22.4	23.8	31.1	38.5	38.8	39.0	37.1	37.7	36.6	34.6	33.0	32.6	32.1	31.4
6. हरियाणा	22.6	21.2	22.5	20.0	19.2	20.7	19.7	21.0	23.5	26.9	25.2	27.1	27.5	27.1	26.6	25.4	22.5	19.4	18.3	19.0	18.9
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	28.5	31.3	23.6	25.5	30.8	30.1	30.8	31.7	33.6	32.9
8. कर्नाटक	25.3	20.8	21.7	21.5	20.8	19.7	19.5	20.1	19.9	20.8	23.3	27.8	29.8	30.5	28.4	27.0	28.2	25.2	24.1	24.3	25.1
9. केरल	35.3	33.3	33.5	28.9	29.1	27.7	27.7	29.2	30.8	32.1	36.1	37.9	39.5	40.5	39.6	38.1	36.1	35.3	35.3	34.3	33.4
10. मध्य प्रदेश	25.5	27.0	31.3	20.7	21.0	21.4	21.4	22.0	23.5	24.2	27.9	30.0	34.4	36.9	41.7	42.2	39.6	36.6	35.2	34.4	37.2
11. महाराष्ट्र	20.0	20.8	18.6	16.6	16.9	16.7	17.1	19.0	21.1	23.7	26.8	28.7	30.0	31.4	32.2	33.3	31.1	26.6	26.9	25.1	26.7
12. उड़ीसा	47.3	43.3	44.9	41.5	40.1	38.0	45.3	42.3	45.8	48.0	55.9	60.2	62.1	55.5	51.6	51.9	45.2	36.1	32.9	30.6	30.0
13. पंजाब	37.4	35.6	36.2	36.0	36.4	36.4	35.3	36.8	39.2	39.6	41.2	44.9	48.8	47.5	48.7	47.1	42.1	38.7	37.1	35.2	34.1
14. राजस्थान	31.8	33.2	32.0	30.4	28.6	29.9	29.1	30.0	33.0	38.3	43.1	45.4	53.7	47.6	51.1	51.5	46.4	43.7	41.8	41.1	40.9
15. तमिलनाडु	22.5	22.6	23.7	20.2	19.7	19.4	19.3	18.8	19.6	22.0	23.5	26.2	28.1	29.5	27.7	27.2	24.8	24.2	25.4	25.5	25.1
16. उत्तर प्रदेश	35.6	35.5	37.3	34.5	33.9	34.3	33.5	35.8	37.9	41.5	45.8	50.4	50.8	54.7	54.8	55.6	53.7	50.3	46.8	43.5	45.8
17. पश्चिम बंगाल	25.5	25.1	26.1	24.2	24.4	24.0	25.7	25.7	27.9	32.5	38.2	42.3	46.6	47.3	46.5	49.9	46.9	44.3	42.5	42.8	40.8
II. विशेष श्रेणी																					
1. अरुणाचल प्रदेश	55.0	45.6	35.4	31.4	32.9	33.5	39.6	35.7	37.4	45.6	41.4	37.5	46.6	73.3	72.5	82.7	69.5	73.0	130.6	115.9	77.8
2. असम	40.9	39.3	35.8	30.9	29.8	32.6	30.5	28.4	26.5	24.9	27.8	31.3	30.2	33.2	32.4	31.8	30.3	28.2	28.8	28.0	27.8
3. हिमाचल प्रदेश	47.2	45.0	47.9	41.7	43.9	48.8	47.2	48.6	59.7	55.6	55.6	58.6	64.7	69.4	71.5	67.7	63.5	60.5	59.3	55.7	53.2
4. जम्मू और कश्मीर	92.9	92.6	88.1	71.1	63.8	57.2	58.0	55.8	56.3	49.4	54.5	53.4	51.8	66.4	65.4	69.4	67.8	69.5	72.0	70.1	67.1
5. मणिपुर	47.5	51.0	48.6	43.1	43.2	41.5	38.0	48.2	54.7	49.5	60.1	55.5	53.9	61.4	70.9	80.2	77.5	77.5	77.0	77.4	66.3
6. मेघालय	24.5	23.6	26.1	25.2	27.0	24.6	21.6	26.3	29.3	31.2	35.0	34.1	38.2	40.2	41.5	40.5	38.5	38.0	38.5	37.3	36.2
7. मिजोरम	96.7	67.5	60.4	53.1	60.1	57.4	53.5	68.6	67.6	76.0	79.2	88.0	90.8	112.1	119.0	115.9	109.6	115.8	108.9	109.1	98.1
8. नागालैंड	62.5	60.5	56.6	42.6	39.1	43.0	37.2	37.7	44.6	49.6	47.2	47.4	53.4	49.6	51.3	54.8	53.9	55.1	59.3	59.4	58.0
9. सिक्किम	60.5	62.7	74.5	55.2	59.7	56.1	38.4	38.2	52.8	66.1	84.0	81.8	77.5	70.6	71.8	70.5	69.1	74.2	77.3	80.6	82.2
10. त्रिपुरा	50.1	49.2	51.3	42.7	45.5	41.3	35.8	35.3	40.0	41.0	43.4	44.2	48.7	53.7	58.5	57.1	44.8	42.0	39.8	42.2	43.2
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	31.7	34.0	40.5	42.7	45.9	42.4	40.6	42.8	41.1	39.5
सभी राज्य (जीडीपी का प्रतिशत)	22.5	22.5	22.4	21.7	21.3	20.9	20.7	21.7	22.8	26.1	28.3	30.3	32.0	32.8	31.3	31.1	28.9	26.6	26.3	25.0	23.1
ज्ञापन म दें:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	0.6	2.4	4.8	6.5	7.5	8.0	11.5	13.2	15.0	17.5	17.8	17.2	20.4	20.4	17.6	15.3	13.8	12.0
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	29.9	29.2	25.6	28.3	28.2	29.7	25.9

— : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं.

नोट : 'आंकड़ा स्रोतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट' देखें।

स्रोत : विवरण 26 की तरह।

विवरण

विवरण 29: राज्य सरकारों के बाज़ार उधार

(करोड़ रुपये)

राज्य	2008-09				2009-10 \$				2010-11			
	सकल आबंटन#	चुकोती	निवल आबंटन#	जुटायी गयी राशि	सकल आबंटन#	चुकोती	निवल आबंटन#	समग्र राशि*	सकल आबंटन#	चुकोती	निवल आबंटन#	जुटायी गयी राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	12,007	1,783	10,224	10,934	—	2,098	—	15,383	17,422	1,639	15,782	12,000
2. बिहार	4,279	733	3,546	3,397	5,841	498	5,174	3,000	5,013	1,072	3,941	2,600
3. छत्तीसगढ़	1,375	153	1,221	—	2,539	250	2,539	700	2,032	70	1,962	—
4. गोवा	725	96	628	500	802	82	720	600	526	89	438	300
5. गुजरात	9,068	677	8,391	8,534	13,756	930	12,827	9,000	12,266	894	11,373	11,500
6. हरियाणा	3,985	290	3,694	2,795	3,929	316	3,612	4,000	5,286	292	4,993	4,450
7. झारखंड	1,490	248	1,241	1,486	—	169	—	1,844	1,392	123	1,269	500
8. कर्नाटक	7,417	833	6,584	7,417	9,116	1,046	8,070	6,000	8,272	963	7,309	2,000
9. केरल	7,183	734	6,449	5,516	4,327	746	3,581	5,456	5,968	730	5,238	5,500
10. मध्य प्रदेश	5,034	538	4,496	4,495	6,309	804	5,255	5,821	6,772	807	5,965	3,900
11. महाराष्ट्र	17,762	795	16,967	17,762	—	889	—	15,500	23,159	914	22,245	11,500
12. उड़ीसा	1,132	670	462	—	2,678	571	2,107	—	2,987	623	2,364	—
13. पंजाब	5,711	416	5,295	5,061	7,162	624	6,538	4,985	7,351	399	6,952	4,928
14. राजस्थान	6,556	1,160	5,396	6,356	8,105	1,389	6,716	7,500	8,445	1,343	7,102	6,180
15. तमिलनाडु	8,792	806	7,987	9,598	12,919	875	12,044	12,599	13,569	1,278	12,291	9,981
16. उत्तर प्रदेश	14,006	2,397	11,610	12,693	14,016	2,634	11,243	13,877	13,723	2,011	11,711	12,000
17. पश्चिम बंगाल	11,898	854	11,044	12,397	14,948	948	14,000	16,552	15,056	1,056	14,000	9,500
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	182	10	172	26	251	10	241	79	121	21	100	—
2. असम	2,563	405	2,157	2,506	3,921	418	3,503	1,910	3,361	414	2,947	800
3. हिमाचल प्रदेश	2,510	160	2,350	1,912	2,145	243	1,902	1,420	2,446	256	2,190	645
4. जम्मू और कश्मीर	1,680	128	1,553	1,757	1,236	127	769	1,609 @	4,383	267	4,116	2,779
5. मणिपुर	383	39	344	303	503	42	462	503	457	36	421	258
6. मेघालय	378	73	305	259	305	82	224	274	288	70	218	190
7. मिजोरम	156	30	126	156	168	35	133	155	370	17	354	267
8. नागालैंड	467	94	373	467	553	129	420	577	430	119	311	255
9. सिक्किम	314	45	269	293	331	51	280	328	310	31	279	—
10. त्रिपुरा	628	78	550	156	561	96	465	350	645	93	553	285
11. उत्तराखंड	1,051	127	924	1,011	1,118	140	1,118	600	992	16	976	992
सभी राज्य	1,28,730	14,371	1,14,359	1,17,787	1,17,539	16,238	1,04,287	1,30,622	1,63,040	15,641	1,47,399	1,03,310
ज्ञापन मदें:												
1. पुदुचेरी	350	—	350	350	650	—	650	500	600	—	600	600

* : 23 मार्च 2011 तक। '—' : शून्य। #: अतिरिक्त आबंटन शामिल। \$: निवल आबंटन में आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल नहीं हैं।

@ : 500 करोड़ रुपये की राशि जुटाने के लिए 31 मार्च 2010 को नीलामी की गई और प्रतिभूतियां 5 अप्रैल 2010 को जारी की गईं।

स्रोत: रिजर्व बैंक के अभिलेख।

विवरण 30: राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

राज्य	1999-2000 (वास्तविक खर्च)	2000-01 (वास्तविक खर्च)	2001-02 (वास्तविक खर्च)	2002-03 (वास्तविक खर्च)	2003-04 (वास्तविक खर्च)	2004-05 (वास्तविक खर्च)	2005-06 (वास्तविक खर्च)	2006-07 (वास्तविक खर्च)	2007-08 (वास्तविक खर्च)	2008-09 (वास्तविक खर्च)	2009-10 (संशोधित परिव्यय)	2010-11 (अनुमोदित परिव्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	4,748	7,035	7,969	8,315	10,759	11,457	13,439	18,207	27,171	30,618	33,497	36,800
2. बिहार	2,676	1,638	1,471	2,207	2,627	3,196	4,465	8,550	9,652	12,511	14,405	20,000
3. छत्तीसगढ़	—	470	1,361	1,767	2,404	2,833	3,465	5,107	6,196	8,137	10,948	13,230
4. गोवा	237	361	373	423	568	767	958	1,070	1,225	1,575	2,240	2,710
5. गुजरात	6,492	4,965	5,357	5,403	7,585	7,603	11,000	14,384	15,651	21,764	23,500	30,000
6. हरियाणा	1,676	1,718	1,766	1,776	1,866	2,108	2,997	4,233	5,751	7,108	10,400	18,260
7. झारखंड	—	—	2,024	2,797	1,772	2,991	4,079	3,883	5,706	6,866	8,200	9,240
8. कर्नाटक	6,363	6,785	7,904	8,164	8,619	11,741	12,678	18,309	17,227	22,118	25,967	31,050
9. केरल	2,946	2,954	2,398	3,944	3,618	3,544	3,878	4,559	5,085	6,237	8,920	10,025
10. मध्य प्रदेश	3,589	3,177	4,532	5,330	5,087	6,610	7,443	9,532	12,047	13,081	16,174	19,000
11. महाराष्ट्र	10,419	9,586	8,526	7,739	8,188	9,817	14,674	15,681	14,152	22,870	35,959	37,916
12. उड़ीसा	2,484	2,562	2,450	2,474	2,437	2,739	2,819	3,631	6,033	7,572	8,500	11,000
13. पंजाब	1,753	1,877	2,171	1,766	1,586	1,956	3,825	5,752	5,024	6,925	8,600	9,150
14. राजस्थान	3,601	3,773	4,338	4,431	6,044	6,591	7,700	8,969	13,795	14,923	17,322	24,000
15. तमिलनाडु	5,414	5,777	5,319	5,841	7,088	8,286	8,784	12,677	14,224	16,246	17,500	20,068
16. उत्तर प्रदेश	6,572	5,956	7,695	6,618	6,132	8,428	13,523	20,097	24,297	34,288	35,687	42,000
17. पश्चिम बंगाल	3,928	5,631	4,595	2,673	2,529	4,268	5,990	6,935	8,858	10,397	14,150	17,985
कुल I	62,898	64,265	70,249	71,668	78,908	94,935	1,21,717	1,61,575	1,92,095	2,43,236	2,91,968	3,52,434
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	468	511	555	532	642	656	738	892	1,083	1,739	2,016	2,500
2. असम	1,405	1,481	1,628	1,415	1,456	2,175	1,869	2,758	2,580	3,594	6,000	7,645
3. हिमाचल प्रदेश	1,624	1,723	1,720	2,051	1,307	1,475	1,676	2,017	2,099	2,286	2,718	3,000
4. जम्मू और कश्मीर	1,506	1,538	1,743	2,064	2,352	2,839	3,556	3,406	4,403	4,827	5,500	6,000
5. मणिपुर	453	248	229	209	287	560	611	1,046	1,337	1,522	2,037	2,600
6. मेघालय	343	463	470	400	487	590	688	760	984	1,387	1,655	2,230
7. मिजोरम	378	372	402	421	551	550	693	702	767	823	1,250	1,500
8. नागालैंड	306	318	400	368	479	463	648	693	847	1,097	1,429	1,500
9. सिक्किम	193	218	282	340	368	467	472	450	607	1,140	1,178	1,175
10. त्रिपुरा	453	474	523	591	576	579	746	892	1,067	1,431	1,572	1,860
11. उत्तराखंड	—	821	1,729	1,449	1,678	1,917	3,026	3,250	3,945	3,654	5,801	6,800
कुल II	7,129	8,167	9,681	9,840	10,183	12,271	14,723	16,867	19,719	23,499	31,157	36,810
महा जोड़ (I+II)	70,027	72,432	79,930	81,508	89,091	1,07,206	1,36,440	1,78,442	2,11,815	2,66,735	3,23,125	3,89,244
ज्ञापन मदें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,298	3,129	4,005	4,406	4,609	4,261	4,286	5,084	8,748	9,625	10,000	11,400
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	916	1,037	1,087	1,061	1,675	2,500

स्रोत: योजना आयोग, भारत सरकार।

विवरण 31: पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपये)

राज्य	पूंजीगत प्राप्तियां			पूंजीगत व्यय		
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	13,781	20,186	20,027	18,950	23,100	23,560
2. बिहार	5,369	6,049	6,868	8,670	11,856	13,080
3. छत्तीसगढ़	1,276	4,574	4,332	3,920	4,630	5,741
4. गोवा	973	979	885	1,092	1,422	1,652
5. गुजरात	12,601	16,218	18,648	13,156	11,724	14,704
6. हरियाणा	4,525	8,207	8,561	5,833	6,110	6,472
7. झारखंड	2,344	4,290	3,429	5,162	5,486	5,747
8. कर्नाटक	14,339	10,709	15,126	12,380	14,183	15,575
9. केरल	9,696	8,356	10,528	4,330	4,482	7,306
10. मध्य प्रदेश	7,086	8,808	9,549	10,516	14,253	11,566
11. महाराष्ट्र	26,776	34,440	29,410	23,375	22,405	21,801
12. उड़ीसा	2,397	5,619	6,404	5,483	5,918	6,515
13. पंजाब	7,522	10,090	8,110	4,217	5,356	4,891
14. राजस्थान	9,473	9,248	11,883	8,673	8,972	10,786
15. तमिलनाडु	16,995	16,715	17,112	14,133	13,034	16,571
16. उत्तर प्रदेश	20,440	25,044	27,059	28,429	32,403	29,633
17. पश्चिम बंगाल	23,658	30,501	28,652	9,320	10,231	11,789
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	3,173	821	576	1,401	2,318	3,585
2. असम	3,484	3,761	3,847	3,243	5,757	4,391
3. हिमाचल प्रदेश	3,199	2,736	3,058	3,054	3,081	2,985
4. जम्मू और कश्मीर	2,974	3,000	2,810	6,303	7,419	8,132
5. मणिपुर	715	519	508	1,782	1,952	1,896
6. मेघालय	693	582	609	750	994	868
7. मिजोरम	136	747	528	555	913	666
8. नागालैंड	665	619	575	1,060	1,630	1,570
9. सिक्किम	437	466	435	688	1,088	967
10. त्रिपुरा	340	1,006	733	1,382	2,077	1,971
11. उत्तराखंड	1,568	3,066	2,598	2,493	3,787	2,755
सभी राज्य	1,96,634	2,37,355	2,42,860	2,00,347	2,26,580	2,37,176
ज्ञापन यदें:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,228	1,916	1,314	8,599	11,285	11,121
2. पुदुचेरी	659	1,293	1,626	386	560	907

टिप्पणी : 1. पूंजीगत प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल है, जबकि पूंजीगत व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।
2. परिशिष्ट III और IV की टिप्पणीयां भी देखें।
3. वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
आंध्र प्रदेश					
ब्याजवाही ऋण					
1	10.52% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	514.13	51	7.92% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	500.00
2	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	239.91	52	7.98% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	800.00
3	11.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	400.00	53	8.11% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
4	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	285.07	54	8.25% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
5	8.37% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	350.00	55	8.41% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
6	9.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	198.74	56	8.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,500.00
7	9.53% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	475.00	57	9.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	500.00
8	10.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	684.46	58	9.89% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
9	10.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	200.02	59	5.80% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
10	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	127.20	60	7.13% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,632.60
11	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	212.31	61	7.45% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,211.55
12	6.67% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	294.65	62	8.09% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	174.44
13	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	386.71	63	8.59% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,915.00
14	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	442.82	64	7.11% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,600.00
15	7.90% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2012	250.00	65	7.45% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
16	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	154.00	66	7.50% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
17	8.30% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.54	67	7.83% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
18	6.03% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2013	500.00	68	7.85% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
19	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	462.14	69	7.93% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
20	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	404.26	70	8.10% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,400.00
21	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	531.53	71	8.19% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	2,000.00
22	6.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	828.00	72	8.10% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
23	6.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.85	73	8.22% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
24	6.75% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	342.19	74	8.26% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	500.00
25	6.95% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	876.00	75	8.25% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	500.00
26	5.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	732.45	76	8.48% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	1,000.00
27	5.70% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	590.62	77	8.39% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	1,383.14
28	7.32% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	321.15	78	5% शहरी भूमि सोलिंग (आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ.) बांड 1976	0.11
29	7.36% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	734.87	कुल (क)		51,621.99
30	5.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	263.83	पावर बांड		
31	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	462.25	1	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2010	121.80
32	7.02% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	354.34	2	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2010	121.80
33	7.39% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2015	482.10	3	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2011	121.80
34	7.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	782.75	4	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2011	121.80
35	7.34% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2015	375.00	5	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2012	121.80
36	7.32% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	316.53	6	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2012	121.80
37	7.74% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	400.00	7	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2013	121.80
38	7.89% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	500.00	8	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2013	121.80
39	7.93% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	408.78	9	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2014	121.80
40	8.65% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	742.16	10	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2014	121.80
41	5.90% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	305.98	11	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2015	121.80
42	7.17% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	46.86	12	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2015	121.80
43	7.99% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	300.00	13	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2016	121.80
44	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	600.00	कुल (ख)		1,583.46
45	8.17% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	375.00	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.97
46	8.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	400.00	कुल (क+ख+ग)		53,206.43
47	8.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	750.00	अरुणाचल प्रदेश		
48	8.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	600.00	ब्याजवाही ऋण		
49	8.48% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	500.00	1	10.52% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.01
50	7.10% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,500.00	2	11.50% अरुणाचल प्रदेश 2010	4.30

(Contd.)

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड रु.)

क्रम सं.		विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेघ
1	2		3
3	12.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.21
4	8.60%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	5.17
5	9.45%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.17
6	10.35%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.88
7	10.82%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.00
8	11.50%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	1.77
9	12.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	2.96
10	6.80%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.12
11	7.80%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	8.43
12	7.80%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	4.67
13	8.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	7.93
14	8.30%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.05
15	6.95%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	14.00
16	6.75%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	4.00
17	6.40%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	9.02
18	6.35%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	8.75
19	6.20%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	10.00
20	5.60%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.50
21	7.32%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	5.13
22	7.36%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.52
23	6.20%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	10.00
24	5.85%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	11.88
25	5.85%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015[III श्रृंखला]	23.00
26	7.39%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	6.83
27	7.53%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	9.35
28	7.77%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	7.21
29	7.61%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	23.60
30	8.00%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	12.63
31	8.04%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	48.10
32	8.10%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	47.00
33	5.90%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	58.00
34	8.42%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	50.00
35	8.48%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	20.00
36	8.00%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	105.84
37	8.46%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	8.85
38	8.47%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	26.05
39	8.29%	अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	79.05
कुल (क)			683.99
पावर बांड			
1	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	1.20
2	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	1.20
3	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	1.20
4	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	1.20
5	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	1.20
6	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	1.20
7	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	1.20
8	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	1.20
9	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	1.20
10	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	1.20
11	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	1.20

क्रम सं.		विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेघ
1	2		3
12	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	1.20
13	8.50%	अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	1.20
कुल (ख)			15.65
कुल (क) + (ख)			699.63
असम			
ब्याजवाही ऋण			
1	10.52%	असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
2	11.50%	असम रा.वि.ऋ. 2010	34.31
3	12.00%	असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
4	9.45%	असम रा.वि.ऋ. 2011	155.00
5	10.35%	असम रा.वि.ऋ. 2011	75.00
6	10.82%	असम रा.वि.ऋ. 2011	129.90
7	11.50%	असम रा.वि.ऋ. 2011	14.14
8	12.00%	असम रा.वि.ऋ. 2011	23.60
9	6.80%	असम रा.वि.ऋ. 2012	118.88
10	7.80%	असम रा.वि.ऋ. 2012	89.04
11	7.80%	असम रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	177.19
12	8.00%	असम रा.वि.ऋ. 2012	106.76
13	8.30%	असम रा.वि.ऋ. 2012	194.52
14	6.95%	असम रा.वि.ऋ. 2013	303.00
15	6.75%	असम रा.वि.ऋ. 2013	222.52
16	6.40%	असम रा.वि.ऋ. 2013	207.37
17	6.35%	असम रा.वि.ऋ. 2013	113.41
18	6.20%	असम रा.वि.ऋ. 2013	129.60
19	6.35%	असम रा.वि.ऋ. 2013 [II श्रृंखला]	49.53
20	5.60%	असम रा.वि.ऋ. 2014	220.00
21	5.70%	असम रा.वि.ऋ. 2014	110.49
22	7.32%	असम रा.वि.ऋ. 2014	174.32
23	7.36%	असम रा.वि.ऋ. 2014	137.11
24	6.20%	असम रा.वि.ऋ. 2015	129.60
25	5.85%	असम रा.वि.ऋ. 2015	157.60
26	7.02%	असम रा.वि.ऋ. 2015	69.40
27	7.39%	असम रा.वि.ऋ. 2015	146.62
28	7.50%	असम सरकार स्टॉक 2015	208.84
29	7.77%	असम रा.वि.ऋ. 2015	224.84
30	7.65%	असम सरकार स्टॉक 2016	200.00
31	7.75%	असम सरकार स्टॉक 2016	100.00
32	7.89%	असम सरकार स्टॉक 2016	166.46
33	7.95%	असम सरकार स्टॉक 2016	262.63
34	8.11%	असम सरकार स्टॉक 2016	215.00
35	5.90%	असम रा.वि.ऋ. 2017	205.40
36	7.17%	असम रा.वि.ऋ. 2017	33.61
37	8.20%	असम सरकार स्टॉक 2017	212.57
38	8.20%	असम सरकार स्टॉक 2017	116.13
39	8.40%	असम सरकार स्टॉक 2017	200.00
40	8.52%	असम सरकार स्टॉक 2017	401.00
41	7.97%	असम सरकार स्टॉक 2018	246.00
42	8.89%	असम सरकार स्टॉक 2019	1910.00

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
43	8.43% असम सरकार स्टॉक 2019	595.64	24	7.36% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	266.05
44	8.40% असम सरकार स्टॉक 2020	962.51	25	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	202.06
45	8.53% असम सरकार स्टॉक 2020	947.25	26	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.83
45	2.5% असम राज्य जमींदारी अधिग्रहण अधिनियम 1951 मुआवजा बांड	0.08	27	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	337.20
	कुल (क)	10746.85	28	7.02% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	213.00
	पावर बांड		29	7.77% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	494.14
1	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88	30	7.39% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	233.49
2	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88	31	5.90% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	568.50
3	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88	32	7.17% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	326.55
4	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88	33	8.25% बिहार सरकार स्टॉक 2018	1092.00
5	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88	34	6.45% बिहार सरकार स्टॉक 2018	750.00
6	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88	35	7.10% बिहार सरकार स्टॉक 2019	730.93
7	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88	36	8.78% बिहार सरकार स्टॉक 2019	1135.00
8	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88	37	8.45% बिहार सरकार स्टॉक 2019	781.00
9	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88	38	7.89% बिहार सरकार स्टॉक 2019	1000.00
10	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88	39	8.49% बिहार सरकार स्टॉक 2019	792.81
11	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88	40	8.25% बिहार सरकार स्टॉक 2019	600.00
12	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88	41	8.35% बिहार सरकार स्टॉक 2019	607.19
13	8.50% असम सरकार पावर बांड 2016	42.88		कुल (ख)	15051.14
	कुल (ख)	557.40		कुल (क + ख)	15892.36
	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.01		पावर बांड	
	कुल (क+ख+ग)	11304.26	1	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	103.78
	बिहार¹		2	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	103.78
	ब्याजवाही ऋण		3	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	103.78
1	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	253.77	4	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	103.78
2	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	216.66	5	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	103.78
3	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	59.77	6	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	103.78
4	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	108.88	7	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	103.78
5	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	181.74	8	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	103.78
6	2.50% बिहार जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड	20.41	9	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	103.78
	कुल (क)	841.22	10	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	103.78
7	9.45% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	262.00	11	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	103.78
8	10.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	170.02	12	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	103.78
9	10.82% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	362.19	13	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	103.78
10	6.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	227.09		कुल (ग)	1349.15
11	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	184.30		गैर ब्याजवाही ऋण (घ)	0.28
12	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	327.11		कुल (क+ख+ग)	17241.78
13	8.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	323.61		छत्तीसगढ़²	
14	8.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	360.30		ब्याजवाही ऋण	
15	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	337.20	1	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	62.94
16	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	295.05	2	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	40.08
17	6.40% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	369.00	3	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	61.49
18	6.75% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	297.97	4	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	17.71
19	6.95% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	299.00	5	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	26.01
20	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	151.98	6	5.00% शहरी भूमि सौलिंग (मध्य प्रदेश) बांड	0.15
21	5.60% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	359.00		कुल (क)	208.39
22	5.70% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	265.06	7	10.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	84.93
23	7.32% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	308.53	8	10.50% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	40.00

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
9	10.82% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	30.49	12	8.30% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	22.58
10	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	56.45	13	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	24.81
11	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	154.87	14	6.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	21.70
12	8.00% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	65.49	15	6.40% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	62.15
13	8.10% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	67.00	16	6.75% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	11.24
14	8.30% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	52.00	17	6.95% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	33.75
15	6.75% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	115.21	18	5.60% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	67.22
16	6.95% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	137.01	19	7.32% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	26.39
17	6.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	72.80	20	7.36% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	39.35
18	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	83.21	21	5.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	57.33
19	5.60% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	153.68	22	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	24.82
20	5.70% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	106.67	23	7.77% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	33.22
21	7.32% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	132.00	24	7.65% गोवा सरकार स्टॉक 2016	50.00
22	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015	83.23	25	5.90% गोवा रा.वि.ऋ. 2017	49.00
23	5.85% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015	100.02	26	7.99% गोवा सरकार स्टॉक 2017	100.00
24	5.90% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2017	302.32	27	8.40% गोवा सरकार स्टॉक 2017	150.00
25	8.25% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2019	700.00	28	8.23% गोवा सरकार स्टॉक 2018	200.00
	कुल (ख)	2537.38	29	8.35% गोवा सरकार स्टॉक 2018	250.00
	कुल (क + ख)	2745.77	30	7.24% गोवा सरकार स्टॉक 2019	200.00
पावर बांड			31	7.83% गोवा सरकार स्टॉक 2019	100.00
1	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2010	24.16	32	8.08% गोवा सरकार स्टॉक 2019	100.00
2	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2010	24.16	33	8.24% गोवा सरकार स्टॉक 2019	200.00
3	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2011	24.16	34	8.14% गोवा सरकार स्टॉक 2019	100.00
4	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2011	24.16	35	8.40% गोवा सरकार स्टॉक 2019	100.00
5	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2012	24.16	36	8.51% गोवा सरकार स्टॉक 2020	100.00
6	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2012	24.16		कुल (क)	2398.60
7	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2013	24.16		गैर ब्याजवाही ऋण (ख)	0.20
8	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2013	24.16		कुल (क+ख)	2398.80
9	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2014	24.16			
10	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2014	24.16	गुजरात		
11	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2015	24.16	ब्याजवाही ऋण		
12	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2015	24.16	1	10.52% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	488.07
13	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2016	24.16	2	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	84.30
	कुल (ग)	314.09	3	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	71.19
	गैर ब्याजवाही ऋण (घ)	0.08	4	9.45% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	200.73
	कुल (क+ख+ग)	3059.94	5	9.50% गुजरात सरकार स्टॉक 2011	190.00
गोवा			6	10.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	388.50
ब्याजवाही ऋण			7	10.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	250.00
1	10.52% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	39.74	8	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	36.61
2	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	8.73	9	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	61.12
3	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	40.27	10	6.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	360.77
4	9.45% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	20.00	11	7.33% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	200.00
5	10.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	40.01	12	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	344.21
6	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	3.60	13	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	240.04
7	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	6.00	14	7.83% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	245.00
8	6.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	48.29	15	8.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	99.75
9	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	34.31	16	8.30% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	277.20
10	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.41	17	6.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	250.00
11	8.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	6.69	18	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	629.72
			19	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	550.93
			20	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	508.86

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
21	6.40% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	343.08	12	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2015	81.44
22	6.75% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	452.88	13	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2016	81.44
23	6.95% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	694.03			
24	5.60% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	318.94		कुल (ख)	1058.66
25	5.70% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	740.00		गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	1.66
26	7.32% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	169.25		कुल (क+ख+ग)	36011.61
27	7.36% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	283.42			
28	5.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	300.04		हरियाणा	
29	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	629.73		ब्याजवाही ऋण	
30	7.77% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	347.85	1	10.52% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	140.30
31	7.61% गुजरात रा.वि.ऋ. 2016	254.42	2	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	53.97
32	5.90% गुजरात रा.वि.ऋ. 2017	629.27	3	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	98.08
33	8.00% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	400.00	4	9.45% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	80.00
34	8.20% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	475.00	5	10.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	100.01
35	8.30% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	400.00	6	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	26.16
36	8.32% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	1000.00	7	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	40.99
37	7.03% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1250.00	8	6.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	168.90
38	7.80% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1000.00	9	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	129.78
39	7.87% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1000.00	10	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	77.86
40	8.07% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1000.00	11	8.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	30.68
41	8.14% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1000.00	12	8.30% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	83.92
42	8.39% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	360.00	13	6.95% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	289.40
43	8.43% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1140.00	14	6.75% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	89.61
44	6.05% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1875.00	15	6.40% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	215.55
45	7.00% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1250.00	16	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	185.52
46	7.45% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1499.00	17	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	212.04
47	8.40% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1660.00	18	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013 [II श्रृंखला]	211.70
48	7.83% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1000.00	19	5.60% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	204.88
49	7.85% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1500.00	20	5.70% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	271.04
50	8.21% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1700.00	21	7.32% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	99.44
51	8.23% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1500.00	22	7.36% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	165.65
52	8.27% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1000.00	23	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	212.05
53	8.33% गुजरात सरकार स्टॉक 2020	1500.00	24	5.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	198.86
54	8.31% गुजरात सरकार स्टॉक 2020	800.00	25	7.02% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	86.00
55	5.00% शहरी भूमि सीलिंग (गुजरात) बॉन्ड	1.22	26	7.53% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	164.97
56	3.00% बंबई कार्यकाल उन्मूलन मुआवजा बॉन्ड	0.70	27	7.77% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	189.86
57	4.50% गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 मुआवजा बॉन्ड	0.32	28	7.33% हरियाणा सरकार स्टॉक 2016	165.93
58	3.00% गुजरात उत्तरजीवी हस्तांतरण अधिनियम, 1963 मुआवजा बॉन्ड	0.17	29	5.90% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2017	141.02
	कुल (क)	34951.29	30	7.27% हरियाणा सरकार स्टॉक 2019	1295.00
	पावर बॉन्ड		31	7.80% हरियाणा सरकार स्टॉक 2019	1500.00
1	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2010	81.44	32	7.83% हरियाणा सरकार स्टॉक 2019	700.00
2	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2010	81.44	33	8.15% हरियाणा सरकार स्टॉक 2019	1200.00
3	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2011	81.44	34	8.27% हरियाणा सरकार स्टॉक 2019	1000.00
4	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2011	81.44	35	8.32% हरियाणा सरकार स्टॉक 2020	400.00
5	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2012	81.44	36	8.54% हरियाणा सरकार स्टॉक 2020	700.00
6	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2012	81.44		कुल (क)	10929.19
7	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2013	81.44		पावर बॉन्ड	
8	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2013	81.44	1	8.50% हरियाणा सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2010	101.11
9	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2014	81.44	2	8.50% हरियाणा सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2010	101.11
10	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2014	81.44	3	8.50% हरियाणा सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2011	101.11
11	8.50% गुजरात सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2015	81.44	4	8.50% हरियाणा सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2011	101.11

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
5	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	101.11	37	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	200.00
6	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	101.11	38	7.97% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	200.00
7	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	101.11	39	8.00% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	274.01
8	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	101.11	40	8.03% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	300.00
9	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	101.11	41	8.21% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	200.00
10	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	101.11	42	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	225.00
11	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	101.11	43	8.82% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	112.00
12	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	101.11	44	6.10% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	200.00
13	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	101.11	45	7.09% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	300.00
कुल (ख)		1314.49	46	7.24% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	100.00
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.13	47	7.40% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	100.00
कुल (क+ख+ग)		12243.81	48	8.40% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	200.00
हिमाचल प्रदेश			49	8.43% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	500.00
ब्याजवाही ऋण			50	8.26% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	200.00
1	10.52% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	134.19	51	8.22% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	100.00
2	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	22.54	52	8.25% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	200.00
3	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	48.91	53	8.52% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	300.00
4	9.45% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	40.01	54	8.38% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	620.00
5	10.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	121.45	कुल (क)		8834.91
6	10.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	50.00	पावर बांड		
7	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	9.11	1	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.51
8	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	17.33	2	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	3.51
9	6.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	99.91	3	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.51
10	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	104.05	4	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	3.51
11	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	149.88	5	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.51
12	8.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	22.20	6	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	3.51
13	8.30% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.56	7	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.51
14	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	141.22	8	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	3.51
15	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	123.57	9	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.51
16	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	155.40	10	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	3.51
17	6.40% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	190.31	11	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.51
18	6.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	100.00	12	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	3.51
19	6.75% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	68.65	13	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.51
20	6.95% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	175.36	कुल (ख)		45.66
21	5.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	207.76	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.03
22	5.70% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	174.03	कुल (क+ख+ग)		8880.60
23	7.32% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	85.31	झारखंड³		
24	7.36% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	157.50	ब्याजवाही ऋण		
25	5.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	175.51	1	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	85.90
26	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	141.22	2	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	73.34
27	7.02% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	89.75	3	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	20.23
28	7.39% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2015	56.25	4	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	36.86
29	7.53% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	212.57	5	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	61.52
30	7.77% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	200.00	6	2.50% बिहार जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड	6.91
31	7.74% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	300.00	कुल (क)		284.76
32	5.90% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	110.00	7	10.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	120.13
33	7.17% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	15.85	8	10.82% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	122.61
34	8.16% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	300.00			
35	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	211.50			
36	8.40% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	100.00			

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड रु.)

क्रम सं.		विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2		3
9	6.80%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	64.91
10	7.80%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	87.69
11	7.80%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	97.37
12	8.00%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	97.76
13	8.30%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	152.40
14	6.20%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	82.81
15	6.35%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	72.45
16	6.40%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	161.71
17	6.75%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	75.62
18	6.95%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	129.38
19	6.35%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	97.50
20	5.60%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	124.78
21	5.70%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	130.43
22	7.32%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	116.75
23	7.36%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	74.50
24	5.85%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	147.11
25	6.20%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	82.83
26	7.02%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	15.69
27	7.39%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	79.04
28	7.50%	झारखंड सरकार स्टॉक 2015	117.81
29	7.77%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	167.27
30	7.96%	झारखंड सरकार स्टॉक 2016	129.59
31	7.99%	झारखंड सरकार स्टॉक 2016	192.56
32	8.65%	झारखंड सरकार स्टॉक 2016	78.37
33	5.90%	झारखंड रा.वि.ऋ. 2017	27.99
34	8.04%	झारखंड सरकार स्टॉक 2017	192.18
35	7.89%	झारखंड सरकार स्टॉक 2018	1000.00
36	6.34%	झारखंड सरकार स्टॉक 2018	195.45
37	8.75%	J harkhand सरकार स्टॉक 2019	535.00
38	8.47%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	107.45
39	6.10%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	248.10
40	7.44%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	400.00
41	7.54%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	517.45
42	8.01%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	474.40
43	8.37%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	599.89
44	8.19%	झारखंड सरकार स्टॉक 2019	252.24
कुल (ख)			7369.23
कुल (क + ख)			7653.99
पावर बांड			
1	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	105.77
2	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	105.77
3	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	105.77
4	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	105.77
5	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	105.77
6	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	105.77
7	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	105.77
8	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	105.77
9	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	105.77
10	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	105.77
11	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	105.77

क्रम सं.		विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2		3
12	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	105.77
13	8.50%	झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	105.77
कुल (ग)			1374.96
गैर ब्याजवाही ऋण (घ)			0.09
कुल (क+ख+ग)			9029.05
जम्मू और काश्मीर			
ब्याजवाही ऋण			
1	10.52%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	50.00
2	11.50%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	28.80
3	12.00%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	38.61
4	8.50%	जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2011	45.00
5	9.45%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	38.71
6	10.35%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	30.00
7	10.50%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	150.00
8	11.50%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	16.87
9	12.00%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	19.81
10	6.80%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	30.37
11	7.80%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	61.14
12	7.80%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	45.54
13	8.00%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	41.92
14	8.00%	जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2012	70.00
15	8.30%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	123.88
16	6.20%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	109.20
17	6.35%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	95.56
18	6.35%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013(II श्रृंखला)	65.00
19	6.40%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	115.66
20	6.60%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	211.99
21	6.75%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	87.00
22	6.95%	जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	90.00</

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
43	8.90% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2017	371.86	17	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	297.25
44	7.98% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2018	100.00	18	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	391.57
45	8.48% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2018	976.00	19	6.40% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	562.46
46	8.54% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2018	200.00	20	6.75% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	151.47
47	8.55% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2018	211.80	21	6.95% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	456.79
48	8.68% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2018	564.10	22	5.60% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	550.09
49	8.70% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2018	114.65	23	5.70% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	435.13
50	7.98% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2019	444.57	24	7.32% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	295.70
51	8.34% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2019	129.38	25	7.36% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	365.47
52	8.47% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2019	207.00	26	5.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	518.68
53	7.30% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2019	538.85	27	5.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.03
54	8.58% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2020	543.04	28	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	339.84
55	8.40% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2020	27.04	29	7.02% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	261.02
कुल (क)		8256.57	30	7.77% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	414.92
पावर बांड			31	5.90% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2017	220.96
1	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	79.54	32	8.40% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2018	750.00
2	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	79.54	33	6.70% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	1500.00
3	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	79.54	34	7.76% कर्नाटक सरकार स्टॉक (09230)	3000.00
4	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	79.54	35	8.49% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	2917.00
5	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	79.54	36	7.76% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	1000.00
6	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	79.54	37	7.95% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	1000.00
7	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	79.54	38	8.25% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	750.00
8	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	79.54	39	8.05% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	2000.00
9	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	79.54	40	8.52% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2020	1250.00
10	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	79.54	41	3.00% बंबई भूमि पट्टेदारी उन्मूलन अधिनियम, (मैसूर) मुआवजा बांड	0.29
11	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	79.54	42	2.75% मैसूर इनाम्स उन्मूलन मुआवजा बांड	0.02
12	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	79.54	43	5.00% शहरी भूमि सीलिंग कर्नाटक बांड 1976	0.10
13	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	79.54	कुल (क)		23526.16
कुल (ख)		1034.03	गैर व्याजवाही ऋण (ख)		0.16
गैर व्याजवाही ऋण (ग)		0.24	कुल (क+ख)		23526.32
कुल (क+ख)		9290.84	केरल		
कर्नाटक			व्याजवाही ऋण		
व्याजवाही ऋण			1	10.52% केरल रा.वि.ऋ. 2010	302.03
1	10.52% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	428.64	2	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2010	152.23
2	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	137.18	3	11.75% केरल रा.वि.ऋ. 2010	200.00
3	11.57% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2010	250.00	4	12.00% केरल रा.वि.ऋ. 2010	75.42
4	9.10% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2011	315.00	5	8.37% केरल रा.वि.ऋ. 2011	138.96
5	10.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	400.04	6	9.56% केरल रा.वि.ऋ. 2011	289.59
6	10.82% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	146.97	7	10.53% केरल रा.वि.ऋ. 2011	200.00
7	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	59.14	8	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2011	72.28
8	12.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	98.81	9	12.00% केरल रा.वि.ऋ. 2011	120.64
9	6.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	352.24	10	6.80% केरल रा.वि.ऋ. 2012	197.39
10	7.80% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2012	80.00	11	6.93% केरल सरकार स्टॉक 2012	220.00
11	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	150.02	12	7.80% केरल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	251.06
12	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	300.04	13	8.00% केरल रा.वि.ऋ. 2012	286.15
13	7.90% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2012	200.00	14	8.30% केरल रा.वि.ऋ. 2012	276.42
14	8.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	80.21	15	6.02% केरल सरकार स्टॉक 2013	250.00
15	8.30% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	259.41	16	6.20% केरल रा.वि.ऋ. 2013	192.05
16	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	339.68	17	6.35% केरल रा.वि.ऋ. 2013	168.01

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
18	6.35% केरल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	221.46	70	4.50% केरल हाउस साइट बांड	0.00
19	6.40% केरल रा.वि.ऋ. 2013	395.01	71	4.50% केरल हाउस साइट बांड	0.98
20	6.75% केरल रा.वि.ऋ. 2013	85.97	72	4% जेम्सकरम भुगतान (उन्मूलन) बांड	0.02
21	6.95% केरल रा.वि.ऋ. 2013	258.00		कुल (क)	25974.01
22	5.60% केरल रा.वि.ऋ. 2014	329.94		पावर बांड	
23	5.70% केरल रा.वि.ऋ. 2014	396.08	1	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	57.91
24	5.80% केरल सरकार स्टॉक 2014	200.00	2	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	57.91
25	7.25% केरल सरकार स्टॉक 2014	355.66	3	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	57.91
26	7.32% केरल सरकार स्टॉक 2015	250.00	4	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	57.91
27	7.42% केरल सरकार स्टॉक 2015	145.82	5	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	57.91
28	7.33% केरल सरकार स्टॉक 2015	361.14	6	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	57.91
29	5.85% केरल रा.वि.ऋ. 2015	114.57	7	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	57.91
30	5.85% केरल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.02	8	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	57.91
31	6.20% केरल रा.वि.ऋ. 2015	192.02	9	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	57.91
32	7.02% केरल रा.वि.ऋ. 2015	41.54	10	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	57.91
33	7.45% केरल रा.वि.ऋ. 2015	300.00	11	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	57.91
34	7.77% केरल रा.वि.ऋ. 2015	422.84	12	8.50% केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	57.91
35	7.75% केरल सरकार स्टॉक 2016	328.00	13	8.50% केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	57.91
36	7.65% केरल सरकार स्टॉक 2016	300.00		कुल (ख)	752.86
37	7.87% केरल सरकार स्टॉक 2016	400.00		गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.10
38	7.94% केरल सरकार स्टॉक 2016	400.00		कुल (क+ख+ग)	26726.97
39	7.99% केरल सरकार स्टॉक 2016	153.23		मध्य प्रदेश*	
40	8.11% केरल सरकार स्टॉक 2016	300.00		ब्याजवाही ऋण	
41	5.90% केरल रा.वि.ऋ. 2017	118.99	1	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	173.51
42	7.17% केरल रा.वि.ऋ. 2017	327.23	2	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	110.50
43	7.99% केरल सरकार स्टॉक 2017	314.59	3	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	169.50
44	8.19% केरल सरकार स्टॉक 2017	300.00	4	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	48.83
45	8.19% केरल सरकार स्टॉक 2017	436.00	5	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	71.71
46	8.20% केरल सरकार स्टॉक 2017	590.23	6	5.00% शहरी भूमि सीलिंग (मध्य प्रदेश) बांड	0.40
47	8.34% केरल सरकार स्टॉक 2017	350.00		कुल (क)	574.44
48	8.36% केरल सरकार स्टॉक 2017	350.00	7	8.50% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	43.00
49	8.45% केरल सरकार स्टॉक 2017	300.00	8	9.45% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	87.55
50	8.69% केरल सरकार स्टॉक 2017	800.00	9	9.55% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	105.00
51	6.38% केरल सरकार स्टॉक 2018	800.00	10	10.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	187.32
52	7.77% केरल सरकार स्टॉक 2018	350.00	11	10.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	105.00
53	8.00% केरल सरकार स्टॉक 2018	637.23	12	10.82% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	84.02
54	8.12% केरल सरकार स्टॉक 2018	833.30	13	6.94% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	247.00
55	8.50% केरल सरकार स्टॉक 2018	385.00	14	7.80% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	109.04
56	8.50% केरल सरकार स्टॉक 2018	500.00	15	7.80% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	370.17
57	8.50% केरल सरकार स्टॉक 2018	800.00	16	8.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	129.07
58	9.86% केरल सरकार स्टॉक 2018	300.00	17	8.30% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	161.32
59	6.10% केरल सरकार स्टॉक 2019	812.00	18	6.95% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	281.26
60	7.45% केरल सरकार स्टॉक 2019	800.00	19	6.75% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	129.50
61	8.27% केरल सरकार स्टॉक 2019	268.93	20	6.40% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	379.12
62	8.45% केरल सरकार स्टॉक 2019	500.00	21	6.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	199.86
63	7.83% केरल सरकार स्टॉक 2019	600.00	22	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	228.42
64	8.13% केरल सरकार स्टॉक 2019	1350.00	23	6.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	220.00
65	8.05% केरल सरकार स्टॉक 2019	676.00	24	6.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	400.78
66	8.12% केरल सरकार स्टॉक 2019	850.00			
67	8.35% केरल सरकार स्टॉक 2019	500.00			
68	8.56% केरल सरकार स्टॉक 2020	1480.00			
69	4.25% केरल हाउस साइट बांड	0.01			

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
25	5.60% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	349.50	महाराष्ट्र		
26	5.70% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	247.00	ब्याजवाही ऋण		
27	7.32% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	290.01	1	10.52% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2010	421.49
28	7.36% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	342.44	2	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2010	104.43
29	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	228.44	3	11.70% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2010	280.00
30	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	220.01	4	12.00% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2010	107.70
31	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015 (II श्रृंखला)	799.96	5	8.37% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2011	141.20
32	7.02% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	99.97	6	9.40% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2011	290.00
33	7.39% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	292.75	7	10.35% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2011	500.01
34	7.53% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	50.02	8	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2011	38.97
35	7.77% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	418.04	9	12.00% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2011	150.11
36	7.61% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2016	300.00	10	6.93% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2012	230.00
37	7.65% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2016	200.00	11	7.80% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2012	328.16
38	7.95% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	300.00	12	7.80 % महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2012 (II श्रृंखला)	236.97
39	8.66% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	300.00	13	7.83% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2012	278.75
40	5.90% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2017	129.01	14	8.00% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2012	150.52
41	8.20% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	350.00	15	8.30% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2012	207.92
42	8.40% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक (07215)	470.00	16	5.78% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2013	400.00
43	8.49% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	625.00	17	6.20% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2013	1253.75
44	8.40% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	750.00	18	6.35% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2013	1096.98
45	8.43% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	500.00	19	6.35% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2013 (II श्रृंखला)	700.52
46	8.30% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	625.00	20	6.40% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2013	643.66
47	6.00% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	900.00	21	5.60% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2014	610.98
48	7.00% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	885.00	22	5.70% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2014	1145.00
49	7.77% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1075.00	23	6.00% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2014	300.00
50	8.40% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1010.25	24	7.32% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2014	347.66
51	8.31% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1560.00	25	7.36% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2014	427.16
52	8.32% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1560.00	26	5.85% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2015	567.42
53	8.32% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	1553.00	27	5.85% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2015 (II श्रृंखला)	50.06
54	8.54% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	1148.00	28	6.20% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2015	1253.61
कुल (ख)		21045.83	29	7.02% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2015	136.92
कुल (क + ख)		21620.27	30	7.39% महाराष्ट्र स्टॉक 2015	407.39
पावर बांड			31	7.77% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2015	595.35
1	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2010	133.19	32	7.45% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2015	290.00
2	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2010	133.19	33	7.70% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2016	286.89
3	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2011	133.19	34	7.74% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2016	500.00
4	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2011	133.19	35	7.91% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2016	500.00
5	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2012	133.19	36	5.90% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2017	883.92
6	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2012	133.19	37	7.17% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2017	519.97
7	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2013	133.19	38	7.20% महाराष्ट्र रा.वि.क्र. 2017	386.38
8	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2013	133.19	39	8.30% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	500.00
9	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2014	133.19	40	8.31% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	722.31
10	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2014	133.19	41	8.35% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	737.60
11	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2015	133.19	42	8.50% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	1597.35
12	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2015	133.19	43	7.89% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	1350.00
13	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2016	133.19	44	8.00% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	2350.00
कुल (ग)		1731.53	45	8.07% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	2000.00
गैर ब्याजवाही ऋण (घ)		0.21	46	8.08% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	2000.00
कुल (क+ख+ग)		23352.01	47	6.73% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3294.78
			48	7.50% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3000.00
			49	7.83% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	4000.00
			50	8.30% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	1568.34

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
51	8.46% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3898.81	3	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	9.44
52	7.85% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3000.00	4	9.45% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00
53	7.99% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	2000.00	5	10.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00
54	8.14% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	2000.00	6	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	4.54
55	8.30% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	1250.00	7	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	7.59
56	8.27% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	1750.00	8	6.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	21.43
57	8.30% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2020	1000.00	9	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	10.33
58	8.34% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2020	1500.00	10	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.52
59	8.48% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2020	1000.00	11	8.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	11.90
60	8.53% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2020	1000.00	12	8.30% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	13.29
61	8.38% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2020	1000.00	13	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	10.40
62	5% शहरी भूमि सीलिंग (महाराष्ट्र) बांड	0.37	14	6.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	9.10
63	3% बंबई भूमि पट्टेदारी उन्मूलन अधिनियम, (बम्बई) मुआवजा बांड	0.10	15	6.40% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	26.62
64	3% बंबई भूमि पट्टेदारी उन्मूलन अधिनियम, (मैसूर)(महाराष्ट्र) मुआवजा बांड	0.05	16	6.75% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	4.50
65	3% महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की अधिकतम सीमा) अधिनियम 1961 मुआवजा बांड (किस्तों में प्रतिदेय)	1.81	17	6.95% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	13.50
66	3% महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की अधिकतम सीमा) अधिनियम 1961 मुआवजा बांड (परिपक्वता पर प्रतिदेय)	0.21	18	5.60% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	34.00
67	3% हैदराबाद (नकद अनुदान समापन) अधिनियम, 1952 मुआवजा बांड	0.03	19	7.36% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	44.06
68	3% महाराष्ट्र के राजस्व पटेल (पद समापन) अधिनियम, 1962	0.01	20	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	57.69
69	3% कोल्हापुर के न्यासी जागीरदारों के सरजाम (बहाली) नियम, 1957	0.00	21	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	28.00
70	4% बंबई नगर (इनामी और विशेष धारणाधिकार) समापन और महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1969	0.00	22	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	10.40
कुल (क)		59291.59	23	7.02% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	2.00
पावर बांड			24	7.39% मणिपुर सरकार स्टॉक 2015	27.23
1	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	50.93	25	7.45% मणिपुर सरकार स्टॉक 2015	36.95
2	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	50.93	26	7.77% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	25.73
3	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	50.93	27	7.61% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2016	30.00
4	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	50.93	28	7.74% मणिपुर सरकार स्टॉक 2016	85.00
5	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	50.93	29	7.82% मणिपुर सरकार स्टॉक 2016	42.25
6	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	50.93	30	7.98% मणिपुर सरकार स्टॉक 2016	56.65
7	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	50.93	31	5.90% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	50.00
8	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	50.93	32	7.17% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	2.93
9	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	50.93	33	8.35% मणिपुर सरकार स्टॉक 2017	85.67
10	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	50.93	34	7.00% मणिपुर सरकार स्टॉक 2018	200.00
11	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	50.93	35	8.02% मणिपुर सरकार स्टॉक 2018	124.38
12	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	50.93	36	8.46% मणिपुर सरकार स्टॉक 2018	37.18
13	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	50.93	37	7.09% मणिपुर सरकार 2019	103.30
कुल (ख)		662.09	38	8.18% मणिपुर सरकार 2019	188.78
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		1.88	39	8.49% मणिपुर सरकार 2020	314.00
कुल (क+ख+ग)		59955.56	कुल (क)		1803.16
मणिपुर			पावर बांड		
ब्याजवाही ऋण			1	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	7.85
1	10.52% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	15.76	2	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	7.85
2	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	11.03	3	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	7.85
			4	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	7.85
			5	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	7.85
			6	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	7.85
			7	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	7.85
			8	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	7.85
			9	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	7.85
			10	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	7.85
			11	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	7.85

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
12	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	7.85	42	8.24% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	123.54
13	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	7.85	43	8.27% मेघालय सरकार स्टॉक 2020	50.00
	कुल (ख)	102.11		कुल (क)	1645.60
	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.09		पावर बांड	
	कुल (क+ख+ग)	1905.36		1 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	0.70
मेघालय				2 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	0.70
	ब्याजवाही ऋण			3 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	0.70
1	10.52% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	50.00		4 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	0.70
2	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	20.00		5 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	0.70
3	9.45% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00		6 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	0.70
4	10.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00		7 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	0.70
5	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	4.70		8 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	0.70
6	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	8.33		9 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	0.70
7	6.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	19.60		10 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	0.70
8	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	21.00		11 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	0.70
9	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	29.40		12 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	0.70
10	8.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	11.11		13 8.50% मेघालय सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	0.70
11	8.30% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	27.31		कुल (ख)	9.09
12	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	10.00		कुल (क+ख)	1654.69
13	6.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	8.75		मिजोरम	
14	6.40% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	34.70		ब्याजवाही ऋण	
15	6.75% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	4.25		1 10.52% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	6.04
16	6.95% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	12.75		2 12.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	10.50
17	5.60% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	41.15		3 9.45% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	13.00
18	7.36% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	46.61		4 10.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	6.52
19	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	52.06		5 6.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	80.59
20	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.32		6 7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	10.49
21	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	10.00		7 7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	13.89
22	7.02% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	3.00		8 8.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	6.44
23	7.53% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	69.14		9 8.30% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	14.12
24	7.77% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	39.11		10 6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	7.20
25	7.70% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	50.00		11 6.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	6.30
26	7.94% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	55.44		12 6.40% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	16.96
27	7.95% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	40.00		13 6.75% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	3.25
28	8.65% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	29.43		14 6.95% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	9.75
29	5.90% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	39.22		15 5.60% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	15.50
30	7.17% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	51.59		16 7.32% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	9.96
31	8.39% मेघालय सरकार स्टॉक 2017	67.00		17 7.36% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	16.81
32	8.42% मेघालय सरकार स्टॉक 2017	50.00		18 5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	18.01
33	8.48% मेघालय सरकार स्टॉक 2017	55.00		19 5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.95
34	8.02% मेघालय सरकार स्टॉक 2018	50.00		20 6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	7.20
35	8.25% मेघालय सरकार स्टॉक 2018	120.00		21 7.53% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	29.28
36	8.46% मेघालय सरकार स्टॉक 2018	40.69		22 7.77% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	20.31
37	7.59% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	103.54		23 7.61% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2016	15.08
38	7.80% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	50.00		24 7.71% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	50.00
39	8.16% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	25.64		25 7.82% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	20.52
40	8.47% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	10.22		26 8.05% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	15.00
41	8.24% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	50.00		27 8.65% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	19.02

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
28	5.90% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	33.05	19	5.60% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	62.00
29	7.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	46.82	20	7.32% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	21.00
30	8.39% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	70.20	21	7.36% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	34.27
31	8.30% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	47.00	22	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	82.15
32	8.35% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	28.84	23	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.00
33	8.42% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	28.85	24	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	8.40
34	8.25% मिजोरम सरकार स्टॉक 2018	42.18	25	7.02% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	1.80
35	9.44% मिजोरम सरकार स्टॉक 2018	59.60	26	7.53% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	125.09
36	8.15% मिजोरम सरकार स्टॉक 2019	96.58	27	7.77% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	59.57
37	8.24% मिजोरम सरकार स्टॉक 2019	101.29	28	7.61% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2016	24.17
38	8.41% मिजोरम सरकार स्टॉक 2020	54.00	29	7.69% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	45.00
कुल (क)		1062.09	30	7.81% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	40.00
पावर बांड			31	7.82% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	43.19
1	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	2.28	32	7.95% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	120.00
2	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	2.28	33	5.90% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	42.00
3	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	2.28	34	7.17% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	2.04
4	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	2.28	35	8.04% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	74.96
5	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	2.28	36	8.30% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	140.00
6	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	2.28	37	8.39% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	90.00
7	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	2.28	38	8.42% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	77.00
8	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	2.28	39	8.02% नागालैंड सरकार स्टॉक 2018	77.09
9	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	2.28	40	8.58% नागालैंड सरकार स्टॉक 2018	160.00
10	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	2.28	41	7.40% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	100.00
11	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	2.28	42	7.58% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	260.00
12	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	2.28	43	8.40% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	184.58
13	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	2.28	44	8.47% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	22.38
कुल (ख)		29.62	45	8.10% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	89.00
कुल (क+ख)		1091.71	46	8.26% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	100.00
नागालैंड			47	8.39% नागालैंड सरकार स्टॉक 2020	100.14
ब्याजवाही ऋण			48	8.49% नागालैंड सरकार स्टॉक 2020	28.27
1	10.52 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	50.00	कुल (क)		2820.02
2	11.50 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	14.37	पावर बांड		
3	9.45% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	43.00	1	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.95
4	10.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	35.00	2	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	3.95
5	10.82% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	54.95	3	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.95
6	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	5.92	4	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	3.95
7	12.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	9.88	5	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.95
8	6.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	74.29	6	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	3.95
9	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	36.33	7	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.95
10	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	53.49	8	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	3.95
11	8.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	20.15	9	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.95
12	8.30% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	57.65	10	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	3.95
13	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	8.40	11	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.95
14	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.35	12	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	3.95
15	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	42.50	13	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.95
16	6.40% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	57.65	कुल (ख)		51.30
17	6.75% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	6.99	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.10
18	6.95% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.00	कुल (क+ख+ग)		2871.42

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
उड़ीसा			उड़ीसा		
ब्याजवाही ऋण			ब्याजवाही ऋण		
1	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	122.22	12	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	55.14
2	10.52% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	106.51	13	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	55.14
3	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	134.20	कुल (ग)		716.87
4	9.45% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	300.00	गैर ब्याजवाही ऋण (घ)		0.08
5	10.35% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	154.01	कुल (क+ख+ग)		7499.91
6	10.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	131.00	पंजाब		
7	10.82% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	129.00	ब्याजवाही ऋण		
8	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	79.42	1	10.52% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	261.26
9	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	144.27	2	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	37.25
10	6.80% उड़ीसा सरकार ऋण 2012	186.81	3	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	100.45
कुल (क)		1487.44	4	9.40% पंजाब सरकार स्टॉक 2011	130.00
11	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	154.03	5	10.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	200.02
12	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	280.23	6	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	15.35
13	8.00% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	161.07	7	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	25.63
14	8.30% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	207.24	8	6.80% पंजाब सरकार स्टॉक 2012	85.00
15	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	220.00	9	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	212.08
16	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	192.50	10	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	127.26
17	6.40% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	339.28	11	8.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	37.28
18	6.75% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	333.96	12	8.30% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	51.34
19	6.95% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	353.02	13	6.95% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	450.50
20	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	133.10	14	6.75% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	266.34
21	5.60% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	313.46	15	6.40% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	205.85
22	5.70% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	174.69	16	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	351.43
23	7.32% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	217.83	17	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	401.66
24	7.36% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	168.89	18	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	596.05
25	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	183.39	19	5.90% पंजाब सरकार स्टॉक 2013	189.78
26	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	481.46	20	5.60% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	210.81
27	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	220.03	21	5.70% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	512.11
28	7.77% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	506.13	22	5.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.99
29	5.90% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	464.21	23	7.02% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	292.50
30	7.17% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	191.00	24	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	401.69
कुल (ख)		5295.52	25	7.67% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	619.30
कुल (क + ख)		6782.96	26	7.74% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	243.36
पावर बांड			27	7.79% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	580.00
1	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	55.14	28	7.93% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	437.86
2	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	55.14	29	5.90% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	256.03
3	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	55.14	30	7.17% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	219.23
4	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	55.14	31	8.22% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	1000.00
5	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	55.14	32	8.32% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	300.00
6	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	55.14	33	8.35% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	500.00
7	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	55.14	34	8.41% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	900.00
8	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	55.14	35	7.86% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	456.10
9	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	55.14	36	7.96% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00
10	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	55.14	37	8.28% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	765.18
11	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	55.14	38	8.83% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00
			39	9.30% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	1000.00
			40	9.81% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
41	8.07% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00	12	7.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	425.98
42	7.02% पंजाब सरकार स्टॉक 2018	702.17	13	8.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	177.87
43	6.10% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	667.00	14	8.30% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	218.08
44	7.24% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	353.97	15	6.20% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	381.22
45	7.68% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	695.00	16	6.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	333.58
46	8.13% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	143.05	17	6.40% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	516.65
47	7.77% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	600.00	18	6.75% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	711.63
48	7.04% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	500.00	19	6.95% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	713.35
49	7.82% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	500.00	20	6.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	393.37
50	7.77% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	500.00	21	5.60% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	512.84
51	8.20% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	500.00	22	5.70% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	495.33
52	8.20% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	700.00	23	7.32% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	217.06
53	8.20% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	300.00	24	7.36% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	504.86
54	8.08% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	200.00	25	5.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	571.19
55	8.05% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	200.00	26	5.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.03
56	8.03% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	320.00	27	6.20% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	381.23
57	8.37% पंजाब सरकार स्टॉक 2019	465.00	28	7.02% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	267.75
58	8.23% पंजाब सरकार स्टॉक 2020	200.00	29	7.77% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	540.83
कुल (क)		22234.88	30	7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	500.00
पावर बांड			31	7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	274.01
1	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	31.87	32	7.81% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	300.00
2	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	31.87	33	8.62% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	225.00
3	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	31.87	34	8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	500.00
4	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	31.87	35	5.90% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2017	230.00
5	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	31.87	36	8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	200.00
6	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	31.87	37	8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	750.00
7	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	31.87	38	8.32% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	950.00
8	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	31.87	39	8.45% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	215.00
9	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	31.87	40	8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	500.00
10	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	31.87	41	7.84% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	549.33
11	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	31.87	42	7.93% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	220.00
12	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	31.87	43	8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	600.00
13	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	31.87	44	8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	202.63
कुल (ख)		414.27	45	8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	500.00
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.09	46	8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	500.00
कुल (क+ख+ग)		22649.24	47	7.80% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	1000.00
राजस्थान			48	6.41% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	1162.00
ब्याजवाही ऋण			49	7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	1000.00
1	10.52% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	342.56	50	7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	1250.00
2	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	160.79	51	8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	592.61
3	12.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	425.18	52	8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	351.19
4	9.45% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	350.00	53	7.44% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
5	10.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	446.15	54	7.83% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
6	10.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	280.00	55	7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
7	10.82% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	134.33	56	7.95% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
8	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	76.63	57	8.20% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
9	12.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	127.69	58	8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
10	6.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	283.94	59	8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
11	7.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	248.52	60	8.21% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
			61	8.10% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
			62	8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00
			63	8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
64	8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00	27	7.00% सिक्किम सरकार स्टॉक 2018	293.02
65	8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	500.00	28	8.02% सिक्किम सरकार स्टॉक 2018	137.80
66	8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक 2020	500.00	29	8.44% सिक्किम सरकार स्टॉक 2020	188.01
67	8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक 2020	500.00	30	8.35% सिक्किम सरकार स्टॉक 2020	140.00
68	2.50% राजस्थान जागीर बहाली अतिरिक्त पुनर्बाँस बांड	0.00	कुल (क)		1266.54
69	2.50% राजस्थान जागीर बहाली मुआवजा पुनर्बाँस बांड	0.00	पावर बांड		
70	2.50% राजस्थान जमींदारी एवं बिसवारी उन्मूलन मुआवजा बांड	0.00	1	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2010	2.39
कुल (क)		30610.39	2	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2010	2.39
पावर बांड			3	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2011	2.39
1	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	18.44	4	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2011	2.39
2	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	18.44	5	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2012	2.39
3	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	18.44	6	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2012	2.39
4	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	18.44	7	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2013	2.39
5	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	18.44	8	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2013	2.39
6	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	18.44	9	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2014	2.39
7	8.50% राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	18.44	10	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2014	2.39
कुल (ख)		129.07	11	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2015	2.39
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.22	12	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2015	2.39
कुल (क+ख+ग)		30739.68	13	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2016	2.39
सिक्किम			कुल (ख)		31.07
ब्याजवाही ऋण			कुल (क+ख)		1297.61
1	10.52% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	25.00	तमिलनाडु		
2	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	6.11	ब्याजवाही ऋण		
3	9.45% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.58	1	10.52% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	400.00
4	10.35% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	5.42	2	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	185.12
5	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	2.52	3	11.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	290.00
6	12.00% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.20	4	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	152.53
7	6.80% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012	3.89	5	9.38% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2011	320.00
8	7.80% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	6.11	6	9.45% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	137.42
9	6.95% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	10.00	7	10.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	460.00
10	6.40% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	6.67	8	10.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	249.94
11	6.35% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	4.70	9	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	86.91
12	6.20% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	5.20	10	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	146.14
13	5.60% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	6.11	11	6.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	145.94
14	7.32% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	5.63	12	7.30% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2012	275.00
15	7.36% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	10.68	13	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	309.02
16	6.20% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	5.20	14	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012 [II श्रृंखला]	406.48
17	5.85% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	9.83	15	8.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	107.37
18	7.53% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	8.71	16	8.30% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	134.96
19	7.77% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	18.49	17	6.95% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	728.57
20	7.61% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2016	11.15	18	6.75% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	460.40
21	7.70% सिक्किम सरकार स्टॉक 2016	65.65	19	6.40% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	657.07
22	7.82% सिक्किम सरकार स्टॉक 2016	50.26	20	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	335.00
23	8.65% सिक्किम सरकार स्टॉक 2016	64.35	21	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	382.97
24	5.90% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	30.00	22	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013 [II श्रृंखला]	443.27
25	7.17% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	25.15	23	6.00% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2013	250.00
26	8.20% सिक्किम सरकार स्टॉक 2017	112.11	24	5.60% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	580.56
			25	5.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	722.60
			26	7.10% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2014	270.00

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
27	7.36% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	449.93	3	9.45% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	27.00
28	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	383.01	4	10.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	30.00
29	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	150.10	5	10.82% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	29.95
30	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.95	6	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	5.08
31	7.02% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	133.01	7	12.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	11.49
32	7.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	209.50	8	6.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	24.19
33	7.77% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	200.01	9	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	25.34
34	7.68% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2016	600.00	10	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	34.92
35	7.79% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2016	609.38	11	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.40
36	7.93% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2016	400.00	12	6.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.85
37	5.90% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2017	442.86	13	6.40% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	39.42
38	7.96% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	14	6.75% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.00
39	8.14% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	15	6.95% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.00
40	8.19% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	16	5.60% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	41.60
41	8.30% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	300.00	17	7.32% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	22.00
42	8.32% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	414.47	18	7.36% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	39.85
43	8.39% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	19	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	61.93
44	8.39% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	20	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	13.00
45	8.47% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	600.00	21	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	20.40
46	7.85% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	750.00	22	7.02% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	1.50
47	7.96% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	1000.00	23	7.45% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2015	40.00
48	8.12% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	792.44	24	7.77% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	30.08
49	8.23% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	750.00	25	7.61% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2016	42.09
50	6.95% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	750.00	26	7.70% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2016	25.03
51	6.40% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	1000.00	27	8.11% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2016	35.00
52	6.65% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	28	5.90% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	56.00
53	7.00% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	29	7.17% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	145.94
54	7.26% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1200.00	30	7.77% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2019	156.00
55	7.45% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	31	8.24% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2019	150.00
56	7.65% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1200.00	32	8.40% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2019	100.00
57	8.48% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1216.80	33	8.49% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2020	100.00
58	8.24% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	480.93		कुल (क)	1445.91
59	8.28% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1500.00	पावर बांड		
60	8.13% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1500.00	1	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.18
61	8.22% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1200.00	2	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	3.18
62	8.11% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	3	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.18
63	8.12% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	4	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	3.18
64	8.05% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	5	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.18
65	8.26% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	6	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	3.18
66	8.36% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1000.00	7	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.18
67	8.32% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2020	1000.00	8	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	3.18
68	8.25% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2020	1000.00	9	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.18
69	8.52% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2020	1398.96	10	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	3.18
	कुल डक.	41018.60	11	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.18
	गैर ब्याजवाही ऋण (ख)	1.24	12	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	3.18
	कुल (क+ख)	41019.83	13	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.18
त्रिपुरा				कुल (ख)	41.28
	ब्याजवाही ऋण			गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.05
1	10.52% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	50.00		कुल (क+ख+ग)	1487.24
2	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	12.84			

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
उत्तर प्रदेश^६					
ब्याजवाही ऋण					
1	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	854.71	49	7.85% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1000.00
2	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	435.83	50	7.03% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1000.00
3	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	332.38	51	7.10% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1099.33
4	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	194.47	52	8.57% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	3000.00
5	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	352.63	53	8.59% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	2594.00
6	2.75% उत्तर प्रदेश जार्ज बांड	11.22	54	7.53% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1500.00
7	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.20	55	7.84% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	500.00
8	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा मुआवजा बांड	0.30	56	7.97% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1000.00
9	2.50% उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड	0.33	57	8.03% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1500.00
10	2.50% उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड प्रमाणपत्र	27.66	58	7.80% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	500.00
कुल (क)		2209.73	59	8.32% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1500.00
11	8.37% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	207.35	60	8.47% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1500.00
12	9.45% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	597.75	61	8.26% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1306.36
13	10.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	574.94	62	8.44% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1500.00
14	10.82% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	302.45	63	8.39% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	1873.57
15	6.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	542.49	64	8.58% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2020	1197.00
16	7.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	432.67	कुल (ख)		52759.11
17	7.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	813.82	कुल (क + ख)		54968.84
18	8.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	471.51	पावर बांड		
19	8.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	597.50	1	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	293.59
20	6.20% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.00	2	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	293.59
21	6.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	707.92	3	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	293.59
22	6.40% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	916.49	4	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	293.59
23	6.75% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	598.78	5	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	293.59
24	6.95% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	849.15	6	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	293.59
25	6.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	513.57	7	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	293.59
26	5.60% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	775.20	8	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	293.59
27	5.70% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	735.00	9	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	293.59
28	7.32% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	1144.40	10	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	293.59
29	7.36% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	367.12	11	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	293.59
30	5.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	794.55	12	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	293.59
31	5.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	474.17	13	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	293.59
32	6.20% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	808.05	कुल (ग)		3816.71
33	7.02% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	491.91	गैर ब्याजवाही ऋण (घ)		2.72
34	7.53% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	1500.14	कुल (क+ख+ग)		58788.27
35	7.77% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	996.97	उत्तराखंड^६		
36	7.85% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	599.33	ब्याजवाही ऋण		
37	8.00% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	1632.90	1	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	45.29
38	5.90% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	865.40	2	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	23.09
39	7.17% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	32.30	3	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	17.61
40	8.45% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	1615.01	4	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.31
41	8.55% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	1000.00	5	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	18.69
42	8.01% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1500.00	6	2.75% उत्तर प्रदेश जार्ज बांड	0.59
43	8.07% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1100.00	7	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.01
44	8.25% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	822.00	8	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा मुआवजा बांड	0.02
45	8.51% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1000.00	9	2.50% उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड	0.02
46	9.59% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1000.00	10	2.50% उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड प्रमाणपत्र	1.47
47	9.30% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1000.00	कुल (क)		117.09
48	8.89% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1000.00			

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
11	9.45% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011	126.25	12	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2015	28.60
12	10.35% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011	45.00	13	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	28.60
13	10.82% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2011	15.99			
14	6.80% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	286.29		कुल (ग)	371.80
15	7.80% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	56.85		गैर ब्याजवाही ऋण (घ)	0.14
16	7.80% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	22.74		कुल (क+ख+ग)	6719.44
17	8.00% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	19.23			
18	8.30% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2012	21.26			
19	6.20% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	339.24		पश्चिम बंगाल	
20	6.35% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	296.95		ब्याजवाही ऋण	
21	6.40% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	127.68	1	10.52% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	372.56
22	6.75% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	291.99	2	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	178.45
23	6.95% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2013	292.00	3	11.80% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2010	250.00
24	5.60% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014	209.00	4	12.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	104.81
25	7.32% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014	32.54	5	9.45% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	75.00
26	7.36% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2014	67.31	6	9.72% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. सरकार स्टॉक 2011	250.00
27	5.85% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	262.70	7	10.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	387.74
28	6.20% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	339.25	8	10.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	150.00
29	7.77% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	92.00	9	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	94.10
30	7.70% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2016	250.00	10	12.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	177.08
31	7.72% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2016	226.25	11	7.35% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2012	152.65
32	7.95% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2016	158.65	12	7.80% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	384.37
33	8.38% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2017	210.54	13	7.80% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	229.05
34	8.39% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2017	250.00	14	8.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	160.83
35	7.87% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	250.00	15	8.30% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	245.90
36	8.12% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	250.00	16	5.78% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2013	335.00
37	8.68% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	80.00	17	6.20% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1170.57
38	8.50% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	250.00	18	6.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1024.11
39	8.39% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	200.00	19	6.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	680.60
40	7.00% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	215.00	20	6.40% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	465.71
41	7.45% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2019	251.69	21	6.75% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	838.23
42	8.55% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2019	94.00	22	6.95% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	901.77
43	7.77% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2019	300.00	23	5.60% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	406.22
44	7.80% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2019	300.00	24	5.70% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	1112.58
	कुल (ख)	6230.40	25	7.15% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2014	259.00
	कुल (क + ख)	6347.49	26	7.32% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	182.92
	पावर बांड		27	7.36% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	289.31
1	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	28.60	28	5.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	164.22
2	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2010	28.60	29	5.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.00
3	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	28.60	30	6.20% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	1170.59
4	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2011	28.60	31	7.02% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	542.21
5	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	28.60	32	7.39% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2015	449.45
6	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2012	28.60	33	7.53% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	633.49
7	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	28.60	34	7.77% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	631.53
8	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2013	28.60	35	7.74% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2016	466.67
9	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	28.60	36	7.93% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2016	869.34
10	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्तूबर 2014	28.60	37	5.90% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	898.96
11	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	28.60	38	7.17% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	965.99
			39	8.39% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	1098.06
			40	8.40% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	1000.00

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (समाप्त)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2010 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
41	8.40% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	2000.00	पावर बांड		
42	8.48% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	964.59	1	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	98.19
43	8.48% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	2100.00	2	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	98.19
44	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	2100.00	3	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	98.19
45	6.43% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	887.72	4	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	98.19
46	7.86% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1500.00	5	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	98.19
47	7.87% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1400.00	6	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	98.19
48	8.07% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	600.00	7	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	98.19
49	8.30% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	944.00	8	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	98.19
50	8.52% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1000.00	9	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	98.19
51	8.60% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1853.00	10	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	98.19
52	8.80% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1800.00	11	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	98.19
53	9.38% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	800.00	12	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	98.19
54	9.90% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	800.00	13	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	98.19
55	7.27% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1000.00	कुल (ख)		
56	8.25% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	189.64	1276.45		
57	8.43% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1967.10	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		
58	7.10% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	2500.00	2.72		
59	7.50% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1500.00	कुल (क+ख+ग)		
60	7.55% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	2000.00	60008.46		
61	7.70% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	411.00	पुद्गुचेरी		
62	7.96% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	2000.00	ब्याजवाही ऋण		
63	8.02% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	2000.00	1	7.90% पुद्गुचेरी सरकार स्टॉक 2018	177.00
64	8.31% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1500.00	2	8.40% पुद्गुचेरी सरकार स्टॉक 2018	160.00
65	7.65% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	210.00	3	8.81% पुद्गुचेरी सरकार स्टॉक 2018	100.00
66	7.68% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	300.00	4	8.48% पुद्गुचेरी सरकार Stock 2019	2.95
67	8.10% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	2330.91	5	8.55% पुद्गुचेरी सरकार स्टॉक 2019	247.48
68	8.42% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1000.00	6	8.30% पुद्गुचेरी सरकार स्टॉक 2019	500.00
69	8.57% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2020	800.00	कुल		
70	पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण मुआवजा बांड	2.24	1187.43		
71	5% यूएलसी (पश्चिम बंगाल) बांड 1976	0.04			
कुल (क)		58729.28			

रा.वि.ऋ. : राज्य विकास ऋण

- नोट :**
- क्रम सं. 1 से 6 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 के आदेश सं. एफ 9 (3)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
 - क्रम सं. 1 से 6 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 के आदेश सं. एफ.9 (3) - बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
 - क्रम सं. 1 से 6 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 के आदेश सं. एफ.9 (2)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
 - क्रम सं. 1 से 6 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 के आदेश सं. एफ.9 (2)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
 - क्रम सं. 1 से 10 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्टूबर 2002 के आदेश सं. एफ.9 (1)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
 - क्रम सं. 1 से 10 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्टूबर 2002 के आदेश सं. एफ.9 (1)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
 - 1 अप्रैल 2010 को चुकौती वाले पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उन्हें मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया गया है।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण

विवरण 33 : राज्य सरकारों के बकाया बाजार ऋण
(मार्च 2010 के अंत की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	गैर ब्याजवाही बाजार ऋण	क्षतिपूर्ति बांड	कुल बकाया बाजार ऋण
1	2	3	4	5	6= 2 से 5
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	51,622	1,583	0.9	0.1	53,206
2. बिहार	15,872	1,349	0.3	20.4	17,242
3. छत्तीसगढ़	2,746	314	0.1	0.1	3,060
4. गोवा	2,399	—	0.2	—	2,399
5. गुजरात	34,949	1,059	1.7	2.4	36,012
6. हरियाणा	10,929	1,314	0.1	—	12,244
7. झारखंड	7,647	1,375	0.1	6.9	9,029
8. कर्नाटक	23,526	—	0.2	0.4	23,527
9. केरल	25,973	753	0.1	1.0	26,727
10. मध्य प्रदेश	21,620	1,732	0.2	0.4	23,352
11. महाराष्ट्र	59,289	662	1.9	2.6	59,956
12. उड़ीसा	6,783	717	0.1	—	7,500
13. पंजाब	22,235	414	0.1	—	22,649
14. राजस्थान	30,610	129	0.2	—	30,740
15. तमिलनाडु	41,019	—	1.2	—	41,020
16. उत्तर प्रदेश	54,929	3,817	2.7	39.7	58,788
17. पश्चिम बंगाल	58,727	1,276	2.7	2.3	60,008
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	684	16	—	—	700
2. असम	10,747	557	—	0.1	11,304
3. हिमाचल प्रदेश	8,835	46	—	—	8,881
4. जम्मू और कश्मीर	8,257	1,034	0.2	—	9,291
5. मणिपुर	1,803	102	0.1	—	1,905
6. मेघालय	1,646	9	—	—	1,655
7. मिजोरम	1,062	30	—	—	1,092
8. नागालैंड	2,820	51	0.1	—	2,871
9. सिक्किम	1,267	31	—	—	1,298
10. त्रिपुरा	1,446	41	0.1	—	1,487
11. उत्तराखंड	6,345	372	0.1	2.1	6,719
सभी राज्य	5,15,785	18,784	13.4	78.5	5,34,661
ज्ञापन मदें:					
1. पुदुचेरी	1,187	—	—	—	1,187

'—' : शून्य / नगण्य।

टिप्पणी : 1. बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के अविभाजित राज्यों के बकाया बाजार ऋण नव गठित राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रभाजित किए गए हैं।

2. 1 अप्रैल 2010 को चुकौती वाले पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उन्हें मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया गया है।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण 34 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल
(31 मार्च 2010 को बकाया)

(करोड़ रुपये)

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,639	2,394	3,401	2,726	2,733	2,682	3,079	6,650	10,934	15,383	-	51,622
2. बिहार	892	1,407	1,335	1,153	1,433	1,267	895	1,092	3,397	3,000	-	15,872
3. छत्तीसगढ़	235	313	464	156	392	183	302	-	-	700	-	2,746
4. गोवा	89	99	155	109	133	165	149	400	500	600	-	2,399
5. गुजरात	894	1,254	2,537	2,283	1,512	1,532	629	6,775	8,534	9,000	-	34,949
6. हरियाणा	292	362	756	825	827	932	141	-	2,795	4,000	-	10,929
7. झारखंड	302	469	455	414	462	594	429	1,192	1,486	1,844	-	7,647
8. कर्नाटक	963	1,293	1,611	1,591	2,407	1,273	221	750	7,417	6,000	-	23,526
9. केरल	730	1,384	1,012	1,427	1,423	2,114	2,614	4,297	5,516	5,456	-	25,973
10. मध्य प्रदेश	643	834	1,137	1,428	2,129	1,709	1,549	1,875	4,495	5,821	-	21,620
11. महाराष्ट्र	914	1,479	1,074	4,395	2,718	3,401	3,528	8,520	17,762	15,500	-	59,289
12. उड़ीसा	623	1,046	1,308	885	1,356	910	655	-	-	-	-	6,783
13. पंजाब	399	460	1,141	1,745	1,265	1,601	1,456	4,121	5,061	4,985	-	22,235
14. राजस्थान	1,343	1,396	2,383	1,625	2,298	1,993	1,729	3,987	6,356	7,500	-	30,610
15. तमिलनाडु	1,278	1,393	2,325	2,068	2,406	2,152	2,257	4,942	9,598	12,599	-	41,019
16. उत्तर प्रदेश	1,925	2,996	3,237	2,946	3,988	4,699	4,146	4,422	12,693	13,877	-	54,929
17. पश्चिम बंगाल	1,056	1,391	2,506	3,676	3,292	3,049	3,201	11,607	10,544	16,552	1,853	58,727
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	21	32	34	28	45	69	166	185	26	79	-	684
2. असम	414	569	911	500	711	1,167	1,096	963	2,506	1,910	-	10,747
3. हिमाचल प्रदेश	256	403	698	610	714	786	637	1,399	1,912	1,420	-	8,835
4. जम्मू और कश्मीर	267	316	596	385	284	425	891	2,226	1,757	1,109	-	8,257
5. मणिपुर	36	57	77	46	108	273	152	247	303	503	-	1,803
6. मेघालय	70	101	87	53	102	220	283	196	259	274	-	1,646
7. मिजोरम	17	40	118	30	54	140	205	147	156	155	-	1,062
8. नागालैंड	119	172	178	116	140	344	337	369	307	737	-	2,820
9. सिक्किम	31	17	20	17	22	119	170	250	293	328	-	1,267
10. त्रिपुरा	93	74	121	78	118	220	237	-	156	350	-	1,446
11. उत्तराखंड	102	241	950	764	309	1170	369	830	761	600	250	6,345
सभी राज्य	15,641	21,989	30,628	32,079	33,384	35,191	31,522	67,442	1,15,524	1,30,282	2,103	5,15,785
ज्ञापन मदें:												
1. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	337	350	500	-	1,187
पावर बांड	2,907	2,907	2,870	2,870	2,870	2,907	1,453	-	-	-	-	18,784

टिप्पणी : 1. क्षतिपूर्ति बांड, गैर ब्याजवाही ऋण और पावर बांड राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों में शामिल नहीं हैं।

2. तत्कालीन बिहार के द्वारा जुटाए गए बकाया ऋण का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच क्रमशः 74.71 प्रतिशत और 25.29 प्रतिशत के जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है।

3. तत्कालीन मध्य प्रदेश के द्वारा जुटाए गए बकाया ऋण का बंटवारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्रमशः 73.3797 प्रतिशत और 26.6203 प्रतिशत के जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है।

4. तत्कालीन उत्तर प्रदेश के द्वारा जुटाए गए बकाया ऋण का बंटवारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच क्रमशः 94.9676 प्रतिशत और 5.0324 प्रतिशत के जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है।

5. 1 अप्रैल 2010 को चुकौती वाले पावर बांड का भुगतान 31 मार्च 2010 को किया गया क्योंकि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल 2010 को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में अवकाश घोषित किया गया था। इसलिए उन्हें मार्च 2010 के अंत में बकाया दर्शाया गया है।

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकॉर्ड

विवरण 35 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल - कुल के प्रतिशत के रूप में
(31 मार्च 2010 को बकाया)

(प्रतिशत)

राज्य / वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	3.2	4.6	6.6	5.3	5.3	5.2	6.0	12.9	21.2	29.8	—	100.0
2. बिहार	5.6	8.9	8.4	7.3	9.0	8.0	5.6	6.9	21.4	18.9	—	100.0
3. छत्तीसगढ़	8.6	11.4	16.9	5.7	14.3	6.7	11.0	—	—	25.5	—	100.0
4. गोवा	3.7	4.1	6.5	4.5	5.5	6.9	6.2	16.7	20.8	25.0	—	100.0
5. गुजरात	2.6	3.6	7.3	6.5	4.3	4.4	1.8	19.4	24.4	25.8	—	100.0
6. हरियाणा	2.7	3.3	6.9	7.5	7.6	8.5	1.3	—	25.6	36.6	—	100.0
7. झारखंड	4.0	6.1	5.9	5.4	6.0	7.8	5.6	15.6	19.4	24.1	—	100.0
8. कर्नाटक	4.1	5.5	6.8	6.8	10.2	5.4	0.9	3.2	31.5	25.5	—	100.0
9. केरल	2.8	5.3	3.9	5.5	5.5	8.1	10.1	16.5	21.2	21.0	—	100.0
10. मध्य प्रदेश	3.0	3.9	5.3	6.6	9.8	7.9	7.2	8.7	20.8	26.9	—	100.0
11. महाराष्ट्र	1.5	2.5	1.8	7.4	4.6	5.7	6.0	14.4	30.0	26.1	—	100.0
12. उड़ीसा	9.2	15.4	19.3	13.0	20.0	13.4	9.7	—	—	—	—	100.0
13. पंजाब	1.8	2.1	5.1	7.8	5.7	7.2	6.6	18.5	22.8	22.4	—	100.0
14. राजस्थान	4.4	4.6	7.8	5.3	7.5	6.5	5.6	13.0	20.8	24.5	—	100.0
15. तमिलनाडु	3.1	3.4	5.7	5.0	5.9	5.2	5.5	12.0	23.4	30.7	—	100.0
16. उत्तर प्रदेश	3.5	5.5	5.9	5.4	7.3	8.6	7.5	8.1	23.1	25.3	—	100.0
17. पश्चिम बंगाल	1.8	2.4	4.3	6.3	5.6	5.2	5.5	19.8	18.0	28.2	3.2	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	3.0	4.7	5.0	4.1	6.6	10.1	24.2	27.0	3.8	11.6	—	100.0
2. असम	3.9	5.3	8.5	4.7	6.6	10.9	10.2	9.0	23.3	17.8	—	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	2.9	4.6	7.9	6.9	8.1	8.9	7.2	15.8	21.6	16.1	—	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	3.2	3.8	7.2	4.7	3.4	5.1	10.8	27.0	21.3	13.4	—	100.0
5. मणिपुर	2.0	3.2	4.3	2.6	6.0	15.1	8.4	13.7	16.8	27.9	—	100.0
6. मेघालय	4.3	6.2	5.3	3.2	6.2	13.4	17.2	11.9	15.8	16.6	—	100.0
7. मिजोरम	1.6	3.8	11.1	2.9	5.1	13.2	19.3	13.8	14.7	14.6	—	100.0
8. नागालैंड	4.2	6.1	6.3	4.1	5.0	12.2	12.0	13.1	10.9	26.1	—	100.0
9. सिक्किम	2.5	1.3	1.6	1.3	1.8	9.4	13.4	19.7	23.1	25.9	—	100.0
10. त्रिपुरा	6.4	5.1	8.4	5.4	8.2	15.2	16.4	—	10.8	24.2	—	100.0
11. उत्तराखंड	1.6	3.8	15.0	12.0	4.9	18.4	5.8	13.1	12.0	9.5	3.9	100.0
सभी राज्य	3.0	4.3	5.9	6.2	6.5	6.8	6.1	13.1	22.4	25.3	0.4	100.0
ज्ञापन मंदे:												
1. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	28.4	29.5	42.1	—	100.0
पावर बांड	15.5	15.5	15.3	15.3	15.3	15.5	7.7	—	—	—	—	100.0

नोट : विवरण 34 के अनुरूप।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण 36 : राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राज्यों के खुद के राजस्व के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2008-09 (लेखा)				2009-10 (संशोधित अनुमान)				2010-11 (बजट अनुमान)			
	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (2+3+4)	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (6+7+8)	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	18.7	8.3	12.8	39.9	16.6	8.2	12.5	37.3	16.3	12.0	13.4	41.7
2. बिहार	51.2	33.3	47.5	132.0	45.8	43.2	51.9	140.9	38.1	31.4	49.6	119.1
3. छत्तीसगढ़	12.3	11.7	10.6	34.5	10.9	13.3	10.5	34.6	10.2	15.7	10.4	36.4
4. गोवा	17.4	8.4	7.3	33.1	16.6	9.2	11.7	37.5	17.1	8.9	13.2	39.2
5. गुजरात	27.5	6.3	10.3	44.2	27.3	7.8	12.7	47.8	27.1	7.5	12.0	46.6
6. हरियाणा	15.7	10.7	10.8	37.3	17.1	11.6	12.7	41.5	19.5	10.4	11.5	41.4
7. झारखंड	29.4	25.7	15.5	70.6	26.1	23.7	20.1	69.9	23.5	20.8	15.4	59.7
8. कर्नाटक	14.7	8.8	13.4	36.8	16.5	11.2	11.0	38.7	16.2	10.5	11.5	38.2
9. केरल	26.6	9.4	26.7	62.6	27.1	10.4	24.1	61.7	24.9	8.6	23.4	57.0
10. मध्य प्रदेश	24.7	12.1	14.3	51.1	20.2	10.3	13.3	43.8	22.0	16.1	14.4	52.4
11. महाराष्ट्र	19.9	10.6	8.3	38.8	22.5	13.8	10.1	46.4	21.6	14.8	9.0	45.3
12. उड़ीसा	25.9	13.2	18.6	57.7	30.4	17.0	33.6	81.0	29.2	23.0	32.6	84.7
13. पंजाब	28.9	13.8	16.7	59.5	26.8	13.9	15.3	56.0	25.1	16.3	13.5	54.9
14. राजस्थान	33.1	12.4	17.6	63.1	31.2	13.3	23.0	67.5	31.0	12.3	20.8	64.1
15. तमिलनाडु	15.1	8.6	19.6	43.4	16.9	10.1	20.1	47.1	16.8	10.2	21.9	49.0
16. उत्तर प्रदेश	32.1	17.2	19.6	68.9	24.4	20.1	22.7	67.3	23.6	17.8	22.4	63.8
17. पश्चिम बंगाल	62.3	13.7	22.9	98.8	66.0	20.1	44.8	130.8	59.6	16.8	26.6	103.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	23.7	42.6	12.5	78.8	15.0	39.4	10.1	64.5	52.1	86.4	30.4	168.9
2. असम	24.8	29.3	22.4	76.5	29.5	48.2	32.3	110.0	31.0	51.6	32.5	115.2
3. हिमाचल प्रदेश	47.4	16.1	28.9	92.3	45.2	17.9	29.6	92.6	47.1	17.3	39.1	103.5
4. जम्मू और कश्मीर	41.9	60.1	30.0	132.0	46.3	62.1	34.2	142.6	46.8	74.6	37.4	158.8
5. मणिपुर	74.1	103.7	63.1	240.9	64.1	97.4	54.3	215.8	48.5	87.4	53.6	189.5
6. मेघालय	35.7	64.6	28.9	129.1	38.2	80.3	27.3	145.8	36.9	77.8	27.9	142.6
7. मिजोरम	89.1	142.5	49.8	281.3	99.6	186.3	62.8	348.7	86.4	182.1	72.2	340.7
8. नागालैंड	93.3	215.2	68.0	376.5	125.4	274.7	103.3	503.5	111.4	240.4	134.3	486.2
9. सिक्किम	10.3	12.8	4.3	27.3	11.2	19.1	8.2	38.6	13.2	16.3	9.8	39.3
10. त्रिपुरा	66.7	86.2	60.3	213.1	68.4	116.2	79.1	263.7	59.7	112.9	70.0	242.6
11. उत्तराखंड	31.7	21.0	22.1	74.9	30.5	21.1	26.3	77.9	30.7	19.5	20.0	70.2
सभी राज्य	25.5	13.0	16.2	54.7	25.0	15.4	18.9	59.3	24.3	15.7	18.0	58.0
ज्ञापन मर्दे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	17.3	3.5	—	20.8	15.7	4.0	—	19.8	13.8	3.3	0.5	17.6
2. पुदुचेरी	19.3	11.9	12.2	43.4	18.2	12.7	18.3	49.1	12.7	7.1	6.8	26.6

‘—’: शून्य।

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 (लेखा)के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 37 : राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2008-09 (लेखा)				2009-10 (संशोधित अनुमान)				2010-11 (बजट अनुमान)			
	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (2+3+4)	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (6+7+8)	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	13.0	5.8	8.9	27.8	12.1	5.9	9.1	27.1	11.7	8.7	9.7	30.1
2. बिहार	13.2	8.5	12.2	33.9	11.1	10.4	12.5	34.0	11.1	9.2	14.4	34.7
3. छत्तीसगढ़	7.8	7.5	6.7	22.0	5.9	7.2	5.7	18.7	6.1	9.5	6.3	21.9
4. गोवा	14.9	7.1	6.2	28.3	12.5	7.0	8.8	28.2	12.9	6.8	10.0	29.7
5. गुजरात	20.4	4.7	7.6	32.7	18.0	5.1	8.4	31.4	18.3	5.0	8.1	31.4
6. हरियाणा	11.4	7.8	7.9	27.0	11.1	7.5	8.2	26.8	13.7	7.3	8.1	29.1
7. झारखंड	13.8	12.1	7.3	33.2	13.0	11.8	10.0	34.8	12.9	11.4	8.5	32.8
8. कर्नाटक	10.9	6.5	9.9	27.2	11.4	7.8	7.6	26.9	11.9	7.7	8.5	28.0
9. केरल	16.5	5.8	16.6	39.0	17.0	6.5	15.1	38.6	16.6	5.7	15.6	38.0
10. मध्य प्रदेश	14.2	6.9	8.2	29.4	12.6	6.4	8.3	27.4	12.1	8.8	7.9	28.8
11. महाराष्ट्र	16.2	8.7	6.8	31.7	13.9	8.6	6.3	28.8	15.2	10.4	6.4	32.1
12. उड़ीसा	13.6	7.0	9.8	30.4	12.3	6.9	13.6	32.8	12.2	9.6	13.6	35.3
13. पंजाब	20.0	9.5	11.5	41.0	18.2	9.5	10.4	38.0	17.3	11.2	9.3	37.7
14. राजस्थान	18.1	6.8	9.7	34.6	16.5	7.0	12.2	35.7	17.0	6.8	11.5	35.3
15. तमिलनाडु	11.1	6.3	14.4	31.9	11.3	6.8	13.5	31.6	11.5	7.0	15.0	33.5
16. उत्तर प्रदेश	15.0	8.0	9.1	32.1	12.8	10.6	11.9	35.3	12.1	9.2	11.6	32.9
17. पश्चिम बंगाल	23.4	5.1	8.6	37.1	21.2	6.5	14.4	42.1	21.9	6.2	9.8	37.9
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	7.5	13.5	4.0	24.9	6.3	16.5	4.2	27.0	8.2	13.6	4.8	26.6
2. असम	11.2	13.2	10.1	34.5	7.2	11.7	7.8	26.7	7.4	12.4	7.8	27.6
3. हिमाचल प्रदेश	20.1	6.8	12.2	39.1	18.5	7.3	12.1	38.0	18.5	6.8	15.3	40.5
4. जम्मू और कश्मीर	12.9	18.4	9.2	40.5	13.4	18.0	9.9	41.3	12.9	20.6	10.3	43.8
5. मणिपुर	12.0	16.8	10.2	38.9	10.4	15.8	8.8	35.1	8.9	16.1	9.9	34.9
6. मेघालय	7.9	14.3	6.4	28.6	6.9	14.4	4.9	26.2	6.6	13.9	5.0	25.4
7. मिजोरम	9.8	15.6	5.4	30.8	8.7	16.4	5.5	30.6	8.4	17.8	7.1	33.3
8. नागालैंड	10.9	25.1	7.9	43.9	10.5	23.1	8.7	42.3	9.4	20.4	11.4	41.2
9. सिक्किम	6.2	7.7	2.6	16.6	5.9	10.1	4.3	20.4	6.4	8.0	4.8	19.1
10. त्रिपुरा	12.6	16.3	11.4	40.3	10.4	17.6	12.0	40.0	10.8	20.5	12.7	44.0
11. उत्तराखंड	14.1	9.4	9.9	33.4	12.5	8.7	10.8	32.0	13.2	8.3	8.6	30.1
सभी राज्य	15.1	7.7	9.6	32.4	13.6	8.3	10.2	32.1	13.7	8.9	10.1	32.7
ज्ञापन मदें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21.4	4.3	—	25.6	18.0	4.6	—	22.6	18.1	4.4	0.7	23.2
2. पुदुचेरी	10.1	6.3	6.4	22.8	8.7	6.1	8.8	23.5	8.4	4.7	4.5	17.5

‘—’ : शून्य।

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 38 : रिजर्व बैंक से सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट प्राप्त करना

राज्य	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट					
	2008-09	2009-10	2010-11#	2008-09		2009-10		2010-11#	
	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. गोवा	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. हरियाणा	—	5	10	—	—	—	—	1	8
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. केरल	18	2	—	—	—	—	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	2	11	—	—	—	—	—	—	—
11. महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. पंजाब	21	128	124	—	—	5	29	3	13
14. राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. उत्तर प्रदेश	—	8	4	—	—	—	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल	39	15	109	1	4	2	8	7	62
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	—	15	—	—	—	—	—	—	—
2. असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. मिजोरम	—	—	15	—	—	—	—	—	—
7. नागालैंड	18	45	—	1	4	1	3	—	—
8. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. उत्तराखंड	28	26	12	2	15	1	9	1	10

: 18 मार्च 2011 तक।

‘—’: शून्य।

* : वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट की ताजा घटनाओं को संदर्भित करता है।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण

विवरण 39 : केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपये)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. गैर विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	75	329	135	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गुजरात	550	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. कर्नाटक	—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—
9. केरल	—	203	178	310	350	350	—	—	—	350	350
10. मध्य प्रदेश	—	—	312	—	250	—	—	—	—	—	—
11. महाराष्ट्र	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—
12. उड़ीसा	250	382	695	400	—	—	—	—	—	—	—
13. पंजाब	250	305	—	150	200	—	—	—	—	—	—
14. राजस्थान	—	—	198	—	—	—	—	—	—	—	—
15. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. उत्तर प्रदेश	—	—	1	—	—	13	—	—	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल	200	227	650	—	—	—	—	—	—	—	—
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. असम	200	675	470	50	200	—	—	—	—	10	10
3. हिमाचल प्रदेश	110	187	—	125	100	—	—	—	—	—	—
4. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. मणिपुर	196	433	573	445	331	—	—	—	—	—	—
6. मेघालय	—	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—
7. मिजोरम	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. नागालैंड	—	70	27	—	100	100	—	—	—	—	—
9. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सभी राज्य	1,831	2,939	3,329	1,980	1,596	463	—	—	—	360	360

संअ: संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

‘—’ : शून्य।

नोट: सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

**विवरण 40 : 14 - दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में बकाया निवेश
(मार्च के अंत की स्थिति)**

(करोड़ रुपये)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	139	190	1,183	1,701	2,076	3,416	6,380	2,288	2,278
2. बिहार	91	943	299	2,845	2,848	1,674	4,446	3,953	4,321
3. छत्तीसगढ़	352	589	271	335	882	1,121	1,641	790	1,405
4. गोवा	—	—	—	80	258	353	654	534	400
5. गुजरात	—	747	289	227	3,420	2,105	8,223	7,454	5,579
6. हरियाणा	—	149	632	1,571	3,861	2,898	845	2,756	18
7. झारखंड	1,482	217	1,259	1,139	147	963	1,467	975	1,355
8. कर्नाटक	1,885	388	296	2,033	4,213	1,597	3,488	7,533	8,907
9. केरल	—	—	—	—	147	828	840	2,584	3,226
10. मध्य प्रदेश	—	27	—	200	646	2,507	2,761	2,932	5,567
11. महाराष्ट्र	857	1,021	1,831	1,095	3,255	4,711	6,495	17,313	20,116
12. उड़ीसा	—	—	102	653	1,722	2,621	4,821	6,312	4,776
13. पंजाब	—	—	—	—	1,527	457	730	95	190
14. राजस्थान	—	—	179	930	1,805	—	3,389	5,268	2,675
15. तमिलनाडु	—	—	—	—	2,944	3,407	5,279	11,623	17,465
16. उत्तर प्रदेश	—	407	240	—	3,234	5,481	5,451	8,805	2,587
17. पश्चिम बंगाल	—	—	—	935	3,302	1,136	2,121	1,916	604
कुल (I)	4,806	4,678	6,580	13,744	36,288	35,276	59,032	83,131	81,469
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	48	97	6	—	—	39	846	971	875
2. असम	—	—	—	—	1,378	2,549	4,447	8,153	7,934
3. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	337	—	1,122	1,129	583
4. मणिपुर	—	—	—	—	138	315	624	838	590
5. मेघालय	89	123	148	160	165	366	481	543	502
6. मिजोरम	—	36	11	114	84	—	267	196	32
7. नागालैंड	—	245	25	—	—	—	82	165	311
8. त्रिपुरा	—	103	8	297	476	538	578	757	260
9. उत्तराखंड	—	311	77	—	118	133	—	—	—
कुल (II)	137	916	275	571	2,695	3,941	8,445	12,752	11,086
महा जोड़ (I+II)	4,943	5,594	6,856	14,314	38,983	39,217	67,477	95,883	92,555

‘—’: शून्य।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण 41 : शिक्षा पर व्यय * - सकल व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. गैर विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	13.3	12.5	11.7	11.6	9.8	11.1	10.8	9.0	9.0	10.4	11.5
2. बिहार	23.7	20.7	18.4	18.9	15.8	19.6	19.7	17.6	18.5	18.1	18.0
3. छत्तीसगढ़	13.1	12.4	11.0	10.8	12.3	13.4	12.9	13.5	14.4	18.0	19.5
4. गोवा	11.9	10.5	12.0	12.1	13.9	12.3	13.7	12.3	13.3	14.1	14.6
5. गुजरात	13.6	12.7	13.5	11.2	11.5	12.6	12.7	13.4	11.7	13.4	13.9
6. हरियाणा	14.6	13.8	13.7	10.2	11.6	13.4	11.9	12.9	15.0	17.1	17.7
7. झारखंड	—	16.2	19.0	14.2	14.9	15.8	15.2	15.1	18.6	15.4	16.0
8. कर्नाटक	17.7	16.0	14.8	12.9	12.7	14.0	13.1	14.4	16.1	14.9	15.6
9. केरल	20.0	19.0	17.6	15.7	16.2	16.6	17.1	15.9	16.7	18.2	16.4
10. मध्य प्रदेश	16.3	12.5	12.2	9.9	8.8	10.2	12.4	11.1	12.8	13.0	13.1
11. महाराष्ट्र	22.3	22.1	18.9	15.5	14.0	15.7	16.4	17.2	17.0	19.1	21.0
12. उड़ीसा	15.9	14.6	14.3	12.2	12.6	14.7	12.8	14.3	16.9	18.0	18.5
13. पंजाब	13.2	11.7	12.1	10.2	10.1	11.3	8.9	10.3	11.3	12.8	12.7
14. राजस्थान	18.8	18.2	15.5	14.1	13.8	17.2	15.6	14.6	17.9	18.8	19.1
15. तमिलनाडु	18.0	17.3	13.8	12.6	11.2	13.6	12.2	12.7	13.1	15.1	14.7
16. उत्तर प्रदेश	16.8	16.0	14.6	9.1	12.5	15.2	14.7	14.1	13.2	14.3	15.9
17. पश्चिम बंगाल	17.1	16.2	15.9	11.8	14.9	13.7	15.2	15.2	13.1	17.3	18.3
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	6.4	13.3	12.1	9.1	10.7	9.9	10.7	10.8	11.4	11.4	5.9
2. असम	25.5	21.9	22.4	22.3	17.0	20.8	20.4	20.1	18.8	13.5	19.0
3. हिमाचल प्रदेश	17.0	16.2	14.5	12.4	13.5	14.1	14.1	15.4	16.2	16.9	17.6
4. जम्मू और कश्मीर	11.1	11.6	10.9	11.1	9.7	9.3	10.0	9.2	10.0	11.3	12.0
5. मणिपुर	20.2	13.7	13.3	13.1	15.3	15.4	11.9	14.2	12.0	11.7	11.5
6. मेघालय	16.6	17.9	15.3	15.2	15.0	15.5	14.1	15.5	12.8	14.3	18.0
7. मिजोरम	16.2	16.0	14.5	12.0	13.8	13.4	13.8	13.2	14.1	14.8	14.7
8. नागालैंड	13.8	11.0	11.0	10.8	11.0	11.6	12.3	11.4	11.2	10.9	13.5
9. सिक्किम	14.2	8.0	7.6	11.8	8.8	10.4	10.5	9.2	10.6	11.7	13.1
10. त्रिपुरा	19.3	18.6	19.2	18.3	20.0	15.3	15.9	15.1	14.4	17.2	15.5
11. उत्तराखंड	21.5	21.1	20.0	17.6	18.4	17.2	18.1	17.6	18.2	20.3	20.5
सभी राज्य	17.4	16.2	15.1	12.6	12.7	14.2	14.0	13.8	14.3	15.4	16.2
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.7	2.7
ज्ञापन म दें:											
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15.1	13.7	12.1	10.9	13.1	14.9	15.1	13.3	15.8	16.4	15.8
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	10.7	9.9	10.0	12.4	12.7	13.1

संअ: संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

‘—’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

* : राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय के तहत खेल, कला और संस्कृति पर खर्च शामिल है।

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 42 : चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय*-
सकल व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. गैर विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	4.7	4.4	4.0	3.7	3.2	3.4	3.3	3.3	3.6	3.8	3.8
2. बिहार	5.9	4.9	4.2	3.8	3.1	4.5	4.2	4.4	3.5	3.7	3.9
3. छत्तीसगढ़	4.1	4.3	4.0	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	3.5	4.1	4.3
4. गोवा	4.4	3.8	4.0	4.5	4.7	4.9	4.6	4.6	5.4	5.5	5.7
5. गुजरात	3.4	2.8	3.2	2.7	2.8	3.1	2.9	3.2	3.1	3.7	4.3
6. हरियाणा	3.3	3.0	3.3	2.4	2.7	3.1	2.5	2.6	2.9	3.2	3.2
7. झारखंड	—	4.9	4.2	4.1	3.7	6.9	6.3	5.0	5.1	4.4	4.6
8. कर्नाटक	5.1	4.9	4.2	3.4	3.0	3.3	3.1	3.8	3.8	3.8	4.0
9. केरल	5.3	5.8	4.8	4.3	4.5	4.7	4.9	4.5	4.8	4.8	5.0
10. मध्य प्रदेश	5.1	4.1	4.1	3.3	3.1	3.4	3.8	3.5	3.4	3.1	3.5
11. महाराष्ट्र	3.9	4.3	3.7	3.2	2.7	3.2	3.1	3.5	3.5	3.5	3.5
12. उड़ीसा	4.2	3.7	3.8	3.2	4.0	3.0	3.1	3.3	3.5	4.7	4.1
13. पंजाब	4.5	3.9	3.5	3.0	2.9	3.4	2.7	2.9	3.0	3.5	3.5
14. राजस्थान	5.2	5.2	4.2	4.0	3.7	4.4	4.1	4.0	4.8	4.7	5.4
15. तमिलनाडु	4.9	4.9	4.1	3.8	3.2	4.2	3.3	3.3	3.7	4.7	4.8
16. उत्तर प्रदेश	4.0	3.6	3.8	2.7	3.8	5.1	5.7	4.8	4.7	5.4	4.8
17. पश्चिम बंगाल	5.6	5.0	4.9	3.7	4.2	3.9	4.1	4.0	3.6	4.4	4.5
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	5.0	4.9	4.5	3.5	4.5	3.1	4.4	3.8	4.3	3.8	2.3
2. असम	4.7	4.2	3.7	3.5	2.9	3.4	4.2	4.3	5.0	4.6	4.8
3. हिमाचल प्रदेश	5.6	4.9	4.5	4.3	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	5.1	4.8
4. जम्मू और कश्मीर	4.9	5.5	5.2	5.5	4.9	4.5	5.4	5.3	4.8	5.2	5.5
5. मणिपुर	4.8	3.4	2.9	3.2	2.6	3.0	2.7	4.1	3.5	4.2	4.8
6. मेघालय	5.6	6.6	5.9	5.5	4.9	5.5	5.1	5.4	4.4	4.7	4.7
7. मिजोरम	5.4	5.4	5.0	5.0	4.3	3.5	3.6	3.9	6.1	7.3	4.5
8. नागालैंड	5.2	4.1	4.6	4.0	5.7	4.3	4.2	4.3	3.8	3.6	4.0
9. सिक्किम	3.7	2.2	2.0	2.9	2.6	2.8	2.5	2.6	3.0	3.4	3.9
10. त्रिपुरा	4.0	3.7	3.8	3.4	3.5	4.7	5.1	5.0	4.8	5.2	4.2
11. उत्तराखंड	3.1	4.4	3.8	3.4	3.9	4.6	4.8	4.6	4.5	4.0	5.6
सभी राज्य	4.6	4.4	4.0	3.4	3.4	3.9	3.9	3.8	3.9	4.2	4.3
सभी राज्य (जीडीपी का प्रतिशत)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
ज्ञापन मदे:											
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.2	6.7	6.3	6.0	6.6	8.2	8.5	7.2	8.2	8.0	8.1
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	5.4	7.6	7.9	6.1	7.1	6.2

संअ: संशोधित अनुमान. बअ: बजट अनुमान

‘—’ : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

* : राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय।

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 (लेखा)के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

**विवरण 43 : राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां
(मार्च के अंत की स्थिति)**

(करोड़ रुपये)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99#	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आंध्र प्रदेश*	3,633	5,021	5,326	5,848	4,343	7,947	9,885	10,469	13,794	13,138	10,237	15,337	15,317	17,707	17,386	17,458	16,870	16,754
2. असम	1,008	1,022	1,022	945	1,430	1,430	1,430	1,430	1,033	1,100	1,854	1,101	1,023	607	1,221	863	—	796
3. बिहार	1,359	1,477	1,652	73	1,184	525	525	525	1,149	1,157	997	789	899	1,166	591	620	556	—
4. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,418	4,199	1,291	1,754
5. गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	504	—
6. गुजरात	4,514	5,190	5,387	6,501	6,519	6,602	7,274	7,299	13,450	17,301	18,723	19,001	17,624	15,683	14,079	12,701	11,561	10,027
7. हरियाणा*	1,264	1,526	1,856	1,811	2,362	2,602	3,150	3,976	4,315	8,209	8,601	7,684	5,869	4,209	5,627	5,074	2,699	4,575
8. हिमाचल प्रदेश*	370	482	502	495	798	989	1,299	1,299	3,109	1,921	4,113	2,153	4,610	4,315	3,553	2,130	2,593	1,961
9. जम्मू और कश्मीर *	459	443	480	275	599	599	599	599	790	1,143	1,033	1,033	3,629	5,071	—	—	9,709	2,537
10. कर्नाटक*	3,057	2,255	3,640	3,862	4,669	4,887	6,122	6,517	9,829	12,989	11,845	13,314	14,179	17,451	8,983	9,879	10,786	8,693
11. केरल	1,744	2,296	2,320	3,229	2,082	2,069	2,466	2,866	7,952	8,756	11,937	11,410	13,836	12,316	11,935	9,405	8,317	7,603
12. मध्य प्रदेश*	677	720	1,890	287	440	3,485	3,485	3,485	9,841	10,482	9,670	9,670	9,974	9,435	13,692	5,697	—	1,910
13. महाराष्ट्र	7,351	6,132	7,305	7,706	8,127	7,636	9,933	12,851	21,161	44,954	35,520	38,002	67,068	58,818	59,470	42,989	36,086	21,301
14. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	211	211
15. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	—	121
16. उड़ीसा*	1,090	1,333	1,357	1,484	1,716	1,919	2,094	2,292	3,837	3,787	5,309	5,499	5,178	3,823	3,496	2,648	2,168	1,386
17. पंजाब*	1,303	1,225	1,517	2,360	2,525	6,691	7,044	7,292	8,744	6,067	6,149	18,632	12,987	10,585	9,226	—	11,015	8,498
18. राजस्थान*	2,727	3,143	3,573	3,929	4,758	5,754	6,154	6,454	11,270	11,954	12,912	14,819	17,239	12,703	13,098	14,706	19,769	27,765
19. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	75	—
20. तमिलनाडु*	2,895	3,205	3,604	2,128	3,456	4,339	4,339	4,637	9,287	12,388	12,004	11,918	10,818	7,779	6,329	5,850	5,610	5,419
21. उत्तर प्रदेश	4,257	4,852	5,135	5,300	4,730	4,338	4,503	4,643	8,090	6,391	6,268	3,601	8,364	8,433	11,426	12,736	13,362	20,918
22. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,738	—	—
23. पश्चिम बंगाल*	2,450	2,193	2,299	2,246	2,893	2,380	2,480	2,680	4,378	6,982	7,641	10,331	11,044	14,154	13,519	13,137	13,684	12,016
कुल	40,158	42,515	48,865	48,479	52,631	64,192	72,782	79,314	1,32,029	1,68,719	1,64,813	1,84,294	2,19,658	2,04,255	1,95,049	1,62,237	1,66,867	1,54,246
सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत	6.1	5.6	5.6	4.8	4.4	4.7	4.8	4.5	6.8	8.0	7.2	7.5	8.0	6.3	5.3	3.8	3.3	2.8

—: उपलब्ध नहीं। * : वर्ष 1991-92 और 1996-97 के लिए बकाया गारंटी में मूलधन और ब्याज शामिल हैं।

: आंकड़े अप्रैल से सितम्बर तक से संबंधित हैं।

टिप्पणी: 1) बिहार और पंजाब के 2007-08 के आंकड़े और असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 2008-09 के आंकड़े सीएजी द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्यों के राज्य वित्त लेखा से लिये गये हैं।

2) आंकड़े 2006-07 के लिए 16 राज्यों तथा 2007-08 के लिए 17 राज्यों से संबंधित हैं।

3) पंजाब के 2008-09 के आंकड़े 2010-11 के बजट में प्रकाशित बकाया विधिविधि गारंटिया से संबंधित हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों, राज्य वित्त लेखा पर सीएजी की रिपोर्ट और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी।

विवरण 44 : मजदूरी और वेतन पर व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. आंध्र प्रदेश	2,048 (37.2)	2,470 (38.3)	2,732 (38.0)	3,083 (38.5)	3,622 (38.1)	3,773 (35.5)	4,219 (29.3)	4,768 (32.8)	5,936 (35.0)	6,668 (37.0)	7,978 (34.6)	8,165 (33.0)	8,103 (31.1)	8,718 (29.2)	8,825 (28.2)	10,269 (29.4)	11,932 (28.8)	13,243 (24.5)	16,238 (24.0)	19,900 (26.0)	-
2. असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,264 (50.9)	3,410 (49.8)	3,646 (51.3)	3,877 (45.9)	4,056 (39.7)	4,435 (42.1)	4,715 (41.2)	-	-	-	-
3. बिहार	2,410 (49.3)	2,640 (46.0)	3,024 (46.0)	3,262 (44.6)	3,448 (44.6)	3,833 (45.3)	4,047 (49.0)	4,561 (50.9)	5,321 (50.1)	6,686 (41.5)	7,129 (49.7)	5,276 (42.0)	5,073 (36.2)	5,020 (34.3)	5,005 (34.2)	-	-	-	-	-	-
4. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833 (51.7)	1,924 (39.2)	1,948 (35.2)	2,059 (31.2)	2,103 (29.6)	2,289 (30.7)	2,501 (28.4)	2,965 (27.4)	3,670 (26.6)	5,927 (31.6)	7,148 (36.3)
5. गुजरात	636 (15.6)	765 (14.6)	890 (14.3)	917 (13.2)	1049 (13.9)	1299 (14.8)	1345 (13.1)	1547 (12.7)	2124 (13.6)	2116 (12.1)	2229 (10.1)	2310 (10.2)	2460 (11.5)	2548 (11.6)	2567 (10.6)	2709 (10.6)	2801 (9.6)	-	-	-	-
6. हरियाणा	687 (35.5)	774 (34.0)	881 (37.0)	980 (28.8)	1171 (18.7)	1369 (25.5)	1597 (23.6)	1827 (27.6)	2703 (38.5)	2627 (37.8)	2687 (37.4)	2920 (33.7)	3156 (33.8)	3143 (31.1)	3455 (30.3)	3737 (29.6)	4027 (24.6)	4466 (25.5)	6345 (30.9)	8709 (32.7)	9410 (33.0)
7. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	646 (40.0)	769 (40.4)	879 (40.9)	1,053 (39.0)	1,412 (42.3)	1,578 (41.3)	1,683 (38.5)	1,877 (41.0)	2,062 (40.1)	2,148 (38.4)	2,198 (37.9)	2,444.48 (37.8)	2,776 (36.3)	3,122 (37.7)	3,435 (36.4)	4,077 (38.1)	4,591 (38.0)
8. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547 (22.7)	-	-	-	-
9. कर्नाटक*	1,289 (32.5)	1,431 (28.9)	1,657 (29.6)	1,941 (31.3)	2,213 (30.5)	2,481 (29.2)	2,871 (28.1)	3,365 (30.9)	3,810 (30.6)	4,576 (30.0)	4,630 (27.7)	5,030 (27.0)	4,941 (26.3)	5,323 (25.0)	5,530 (22.2)	5,899 (21.0)	6,545 (19.6)	8,410 (22.5)	11,413 (27.1)	11,305 (23.9)	-
10. केरल	1,683 (59.6)	1,384 (43.0)	1,419 (38.8)	1,836 (42.8)	2,194 (43.3)	2,230 (38.3)	2,617 (38.5)	2,842 (34.5)	3,298 (35.7)	4,566 (39.5)	4,561 (38.4)	4,263 (36.6)	4,745 (32.2)	5,136 (33.1)	5,417 (31.6)	5,677 (30.8)	6,663 (32.0)	7,792 (31.3)	9,179 (32.5)	10,265 (33.5)	11,461 (32.9)
11. मध्य प्रदेश	-	2,461 (45.4)	2,638 (42.8)	3,048 (40.5)	3,308 (42.4)	3,815 (41.8)	4,257 (37.1)	4,795 (40.9)	6,440 (45.3)	7,012 (43.5)	6,015 (40.1)	4,934 (34.3)	5,310 (36.5)	4,987 (26.6)	6,200 (29.4)	6,039 (28.3)	6,337 (27.3)	6,983 (27.3)	8,547 (29.0)	10,611 (27.9)	12,517 (29.9)
12. महाराष्ट्र	3,848 (44.0)	4,908 (48.8)	5,548 (48.0)	6,216 (47.4)	6,837 (46.2)	7,899 (46.0)	8,890 (42.6)	10,074 (44.0)	11,125 (43.4)	16,089 (54.5)	18,188 (48.6)	18,475 (48.3)	18,499 (45.7)	19,627 (46.0)	20,678 (40.5)	22,816 (43.6)	24,222 (39.5)	27,561 (42.5)	32,118 (40.9)	41,293 (42.9)	-
13. मिजोरम	89 (29.3)	104 (32.4)	127 (34.1)	147 (35.1)	172 (37.1)	204 (36.0)	240 (38.7)	262 (39.6)	280 (40.5)	393 (43.9)	437 (42.7)	474 (42.0)	487 (43.1)	503 (39.1)	556 (39.9)	544 (34.3)	623 (36.3)	-	-	-	-
14. नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726 (50.0)	717 (47.6)	768.18 (42.4)	795.16 (47.2)	976.21 (47.0)	1,045 (46.8)	1,203 (44.5)	1,287 (44.5)	1,491 (42.2)	2,080 (47.7)
15. उड़ीसा	906 (41.4)	991 (37.6)	1157 (38.0)	1274 (36.6)	1427 (35.4)	1798 (38.3)	2209 (43.2)	2814 (50.8)	3091 (45.3)	3741 (44.2)	3803 (43.1)	3736 (37.8)	3929 (39.2)	4002 (36.9)	4074 (32.9)	4350 (32.0)	4634 (29.4)	5339 (30.1)	7499 (35.4)	11029 (37.7)	11420 (35.2)
16. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	3,089 (36.7)	3,395 (37.8)	4,737 (40.9)	5,043 (37.6)	5,101 (33.9)	5,298 (33.2)	5,282 (31.0)	5,745 (30.5)	6,081 (30.5)	6,815 (31.7)	7,289 (29.2)	7,989 (27.4)	11,703 (34.1)	14,320 (34.8)	15,784 (36.2)
17. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398 (52.2)	403 (24.2)	428 (22.8)	447 (37.9)	449 (26.1)	500 (28.3)	425 (22.5)	-	-	-	-
18. तमिलनाडु	2,350 (41.6)	2,530 (29.1)	2,869 (33.6)	3,235 (36.9)	3,603 (37.4)	4,136 (37.9)	4,818 (36.9)	5,559 (37.2)	7,469 (42.2)	8,295 (40.0)	8,251 (37.9)	8,262 (38.3)	7,981 (31.1)	7,966 (31.5)	8,507 (29.2)	8,980 (28.1)	10,695 (27.9)	12,158 (28.3)	15,995 (29.8)	19,144 (32.3)	22,305 (33.5)
19. उत्तर प्रदेश	2,569 (26.9)	2,585 (24.9)	3,291 (25.9)	3,492 (26.3)	3,628 (23.6)	4,066 (23.2)	4,670 (24.3)	6,033 (27.2)	6,389 (24.5)	7,054 (24.5)	7,721 (24.9)	6,962 (21.9)	7,395 (22.5)	8,039 (16.0)	8,423 (18.9)	9,057 (19.4)	9,869 (17.7)	11,186 (17.2)	15,793 (20.8)	21,061 (21.9)	23,590 (21.2)
20. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,271 (35.1)	2,534 (34.9)	2,857 (35.0)	4,882 (43.7)	-
21. पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	5,386 (47.6)	7,098 (49.8)	9,842 (50.5)	9,600 (43.4)	9,297 (39.7)	9,270 (40.0)	9,451 (36.7)	9,801 (34.8)	10,190 (32.7)	10,876 (31.8)	12,206 (31.9)	13,769 (26.7)	21,321 (34.1)	23,213 (36.3)
कुल	18,515 (37.3)	23,042 (35.2)	26,234 (35.5)	29,431 (35.6)	33,317 (34.3)	37,673 (34.4)	45,746 (33.3)	58,282 (35.9)	71,234 (37.1)	86,285 (38.1)	94,507 (36.3)	93,743 (34.1)	95,434 (32.8)	99,509 (30.1)	1,04,719 (29.5)	1,07,728 (29.3)	1,22,793 (27.6)	1,27,157 (28.5)	1,59,848 (29.7)	2,05,335 (31.7)	1,43,518 (31.3)
ज्ञापन मदें:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली#	-	-	-	-	-	-	-	761 (32.8)	962 (33.9)	1,012 (28.7)	1,064 (28.8)	1,106 (21.9)	1,172 (25.5)	1,275 (25.1)	1,441 (24.7)	-	-	-	-	-	-
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21.1)	(23.1)	(21.2)	378 (22.7)	445 (23.1)	466	715	737	-

बअ: बजट अनुमान संअ: संशोधित अनुमान *: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं \$: 2001-02 के बाद से आंकड़े द्विभाजित बिहार से संबंधित हैं। *: वेतन व्यय से संबंधित है।

#: 1998-99 से आंकड़े कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं।

नोट: 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत हैं।

2. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पुदुचेरी के 2008-09 के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं जबकि 2009-10 के आंकड़े बजट अनुमानों के हैं।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना।

विवरण 45 : परिचालन और रखरखाव पर व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. आंध्र प्रदेश	576 (10.5)	722 (11.2)	746 (10.4)	871 (10.9)	810 (8.5)	911 (8.6)	1,103 (7.7)	1,085 (7.5)	1,427 (8.4)	1,395 (7.7)	2,499 (10.8)	2,899 (11.7)	3,117 (12.0)	3,828 (12.8)	3,833 (12.2)	3,884 (11.1)	4,713 (11.4)	5,852 (10.8)	9,059 (13.4)	8,971 (11.7)	-
2. असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गुजरात	193 (4.7)	259 (4.9)	640 (10.3)	356 (5.1)	373 (4.9)	425 (4.8)	403 (3.9)	794 (6.5)	433 (2.8)	483 (2.8)	1,224 (5.6)	909 (4.0)	1,419 (6.6)	2,180 (9.9)	1,380 (5.7)	791 (3.1)	636 (2.2)	-	-	-	-
5. हरियाणा	86 (4.4)	88 (3.9)	99 (4.2)	115 (3.4)	135 (2.1)	158 (3.0)	171 (2.5)	208 (3.1)	191 (2.7)	254 (3.7)	220 (3.1)	259 (3.0)	318 (3.4)	414 (4.1)	349 (3.1)	456 (3.6)	748 (4.6)	985 (5.6)	922 (4.5)	929 (3.5)	838.78 (2.9)
6. हिमाचल प्रदेश \$	-	-	-	-	204 (12.6)	208 (10.9)	228 (10.6)	271 (10.0)	355 (10.6)	364 (9.5)	401 (9.2)	297 (6.5)	268 (5.2)	379 (6.8)	349 (6.0)	482 (7.4)	590 (7.7)	663 (8.0)	814 (8.6)	1,039 (95.8)	1,153 (9.5)
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.0)	-	-	-	-
8. कर्नाटक	11 (0.3)	14 (0.3)	9 (0.2)	12 (0.2)	16 (0.2)	15 (0.2)	14 (0.1)	15 (0.1)	16 (0.1)	33 (0.2)	49 (0.3)	93 (0.5)	89 (0.5)	253 (1.2)	274 (1.1)	448 (1.6)	858 (2.6)	672 (1.8)	770 (1.8)	738 (1.6)	-
9. केरल @	-	-	-	-	-	-	-	254 (3.1)	236 (2.6)	272 (2.3)	248 (2.1)	291 (2.5)	347 (2.4)	354 (2.3)	434 (2.5)	504 (2.7)	549 (2.6)	647 (2.6)	654 (2.3)	690 (2.3)	736 (2.1)
10. मध्य प्रदेश \$	-	268 (4.9)	291 (4.7)	342 (4.5)	339 (4.3)	367 (4.0)	414 (3.6)	436 (3.7)	418 (2.9)	410 (2.5)	371 (2.5)	366 (2.5)	311 (2.1)	204 (1.1)	246 (1.4)	268 (1.3)	463 (2.1)	722 (2.8)	692 (2.3)	638 (1.7)	524 (1.2)
11. महाराष्ट्र*	3,194 (36.5)	3,079 (30.6)	3,817 (33.1)	3,552 (27.1)	3,864 (26.1)	4,266 (24.9)	5,690 (27.3)	6,461 (28.2)	7,029 (27.4)	6,675 (22.6)	7,207 (19.3)	7,444 (19.4)	8,630 (21.3)	9,229 (21.6)	12,350 (24.2)	16,002 (30.6)	18,503 (30.1)	18,397 (28.4)	23,193 (29.5)	15,939 (16.6)	-
12. मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 (21.1)	-	-	-	-
13. मिजोरम	17 (5.6)	21 (6.5)	26 (6.9)	30 (7.1)	32 (7.0)	25 (4.4)	46 (7.4)	49 (7.5)	43 (6.2)	48 (5.3)	56 (5.5)	59 (5.2)	118 (10.4)	130 (10.1)	126 (9.0)	174 (11.0)	372 (21.7)	-	-	-	-
14. नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 (1.0)	10 (0.7)	14 (0.9)	18 (1.0)	15 (0.9)	16 (0.8)	15 (0.7)	21 (0.8)	18 (0.6)	21 (0.6)	22 (0.5)
15. उड़ीसा	97 (4.4)	106 (4.0)	156 (5.1)	176 (5.1)	199 (4.9)	223 (4.7)	261 (5.1)	260 (4.7)	262 (3.8)	320 (3.8)	426 (4.8)	424 (4.3)	436 (4.4)	423 (3.9)	484 (3.9)	672 (4.9)	1,207 (7.7)	1,598 (9.0)	1,822 (8.6)	1,980 (6.8)	2,282 (7.0)
16. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380 (11.9)	1,493 (11.1)	794 (5.3)	851 (5.3)	1,117 (6.6)	1,136 (6.0)	1,224 (6.1)	1,274 (5.9)	1,521 (6.1)	1,660 (5.7)	2,024 (5.9)	2,124 (5.2)	2,087 (4.8)
17. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,389 (181.9)	1,400 (84.1)	1,522 (80.9)	1,707 (144.5)	1,650 (95.7)	1,751 (99.1)	2,256 (119.5)	-	-	-	-
18. तमिलनाडु	915 (16.2)	1,109 (12.8)	1,146 (13.4)	1,268 (14.5)	1,415 (14.7)	1,498 (13.7)	1,728 (13.2)	1,816 (12.1)	1,941 (11.0)	1,815 (8.8)	1,867 (8.6)	1,683 (7.8)	2,144 (8.3)	2,472 (9.8)	3,159 (10.8)	3,937 (12.3)	3,721 (9.7)	4,065 (9.5)	4,118 (7.7)	4,797 (8.1)	4,208 (6.3)
19. उत्तर प्रदेश	1,832 (19.2)	1,637 (15.7)	2,353 (18.5)	2,317 (17.4)	3,199 (20.8)	3,272 (18.6)	2,584 (13.5)	2,478 (11.2)	3,043 (11.7)	2,718 (9.5)	749 (2.4)	749 (2.4)	1,034 (3.1)	1,110 (2.2)	1,376 (3.1)	1,664 (3.6)	2,668 (4.8)	2,771 (4.2)	3,138 (3.9)	3,358 (3.6)	-
20. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 (1.3)	300 (4.1)	288 (3.5)	278 (2.5)	-
21. पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	745 (6.6)	937 (6.6)	1,242 (6.4)	1,580 (7.1)	1,420 (6.1)	1,015 (4.4)	1,068 (4.1)	1,232 (4.4)	1,603 (5.2)	2,163 (6.3)	1,066 (2.8)	1,172 (2.3)	1,301 (2.1)	1,068 (1.7)
कुल	6,922 (16.5)	7,302 (12.9)	9,281 (14.6)	9,037 (12.7)	10,585 (12.5)	11,368 (11.9)	12,642 (11.1)	14,872 (10.3)	17,710 (9.8)	17,522 (8.3)	19,543 (7.9)	19,601 (7.5)	22,452 (8.1)	25,482 (8.1)	29,178 (8.6)	34,580 (9.4)	42,266 (9.4)	39,804 (8.9)	49,138 (9.1)	43,381 (8.2)	13,297 (3.8)
ज्ञापन मर्दे:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली#	-	-	-	-	-	-	-	94 (4.1)	104 (3.7)	116 (3.3)	138 (3.7)	129 (2.6)	135 (2.9)	141 (2.8)	164 (2.8)	-	-	-	-	-	-
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,814 (101.1)	1,964 (101.9)	2,138 (97.1)	3,002 (95.2)	3,396 (106.3)	-

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान - : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं \$: रखरखाव से संबंधित है। #: आंकड़े मरम्मत और रखरखाव से संबंधित हैं।

@ : इसमें यात्रा खर्च, कार्यालय खर्च, किराया, छोटे-छोटे काम, मशीनरी और उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, रखरखाव, मोटर वाहन, ईंधन प्रभार और अन्य प्रभार शामिल हैं।

* : इसमें रखरखाव कार्य, औजार और संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, 'वेतनेतर सहायता अनुदान' और उंचत के अंतर्गत आने वाला व्यय शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत हैं।

2. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पुदुचेरी के 2008-09 के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं जबकि 2009-10 के आंकड़े बजट अनुमानों के हैं।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना।

विवरण 46 : सामाजिक क्षेत्र व्यय*

(करोड़ रु.)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. नैर विशेष श्रेणी																					
1. आंध्र प्रदेश	2,741	3,121	3,662	3,919	4,265	5,507	6,284	6,759	8,927	8,831	10,006	10,876	11,179	13,367	13,821	14,900	18,654	24,471	31,436	34,927	39,648
2. बिहार	2,381	3,073	3,143	3,434	3,524	3,796	4,014	4,375	5,354	8,338	7,408	5,783	6,466	7,023	6,117	8,663	11,127	13,815	16,337	21,503	22,990
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	968	2,435	2,820	3,244	3,635	4,295	5,707	6,947	8,874	13,417	13,500
4. गोवा	162	181	192	216	223	257	292	350	415	470	518	543	626	686	798	880	1,010	1,124	1,455	2,024	2,223
5. गुजरात	1,993	2,344	2,456	2,844	3,273	3,666	4,068	4,953	6,609	7,571	9,681	9,029	8,177	8,992	10,127	10,995	13,104	14,893	18,175	22,955	26,536
6. हरियाणा	776	781	955	1,093	1,304	1,698	1,628	1,829	2,474	2,572	3,387	3,675	2,810	2,818	3,497	4,742	5,605	7,343	9,814	12,990	13,697
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,727	4,904	4,320	5,127	6,156	7,392	7,984	9,870	10,036	9,962
8. कर्नाटक	1,842	2,299	2,557	3,063	3,449	3,995	4,526	4,886	5,851	6,803	7,541	7,642	7,570	8,315	9,764	11,675	14,407	17,644	20,445	25,614	28,319
9. केरल	1,477	1,594	1,791	2,061	2,387	2,691	3,215	4,239	4,660	5,432	5,242	4,932	6,338	5,924	7,344	7,524	7,189	9,010	10,859	12,205	14,671
10. मध्य प्रदेश	2,439	2,664	3,020	3,508	3,854	4,416	5,267	5,622	6,887	7,417	7,153	6,007	7,158	6,787	7,268	9,426	10,658	12,600	14,687	19,169	21,128
11. महाराष्ट्र	3,792	4,601	5,561	6,204	6,723	8,361	9,195	10,609	11,407	12,844	15,429	15,452	15,704	18,877	20,433	24,268	28,276	29,721	36,500	52,323	56,085
12. उड़ीसा	1,113	1,310	1,492	1,747	1,864	2,188	2,467	2,636	3,246	4,889	4,065	4,122	4,210	4,360	4,598	5,386	6,126	8,196	11,091	14,815	15,789
13. पंजाब	957	1,099	1,058	1,335	1,565	1,767	1,231	2,242	3,054	2,724	3,887	3,730	2,990	3,525	3,747	4,052	4,706	4,991	6,862	9,170	9,898
14. राजस्थान	1,866	2,036	2,393	2,783	3,291	3,912	4,324	4,697	5,953	6,377	7,224	7,730	8,032	9,228	9,845	10,920	12,580	14,683	19,427	22,471	23,018
15. तमिलनाडु	2,985	3,433	3,929	4,251	4,550	5,145	6,210	6,654	8,153	8,862	9,618	9,190	9,662	11,586	13,617	14,297	16,921	19,994	26,890	28,871	32,602
16. उत्तर प्रदेश	4,711	4,443	5,573	5,212	6,031	6,466	7,693	9,080	10,477	11,669	12,135	12,279	13,103	12,999	16,932	20,141	24,032	30,006	39,507	48,009	53,256
17. पश्चिम बंगाल	2,824	2,716	2,747	3,323	3,827	4,097	4,991	5,180	6,626	9,338	9,623	9,581	8,463	9,008	9,732	11,445	13,142	16,192	19,467	29,566	32,531
II. विशेष श्रेणी																					
1. अरुणाचल प्रदेश	128	137	172	198	217	263	317	334	332	372	325	449	421	620	650	742	843	953	1,280	1,879	1,116
2. असम	932	1,113	1,138	1,397	1,538	1,815	1,708	1,892	2,151	2,640	3,077	3,035	3,233	3,709	4,775	4,452	5,220	6,056	6,760	11,779	13,756
3. हिमाचल प्रदेश	444	495	581	621	731	881	994	1,242	1,553	1,701	1,963	1,912	1,973	2,348	2,328	2,804	3,334	3,736	4,570	4,887	5,241
4. जम्मू और कश्मीर	600	732	887	901	1,047	1,223	1,393	1,623	1,496	1,726	2,044	2,321	2,518	2,493	3,104	4,030	4,348	5,108	5,609	6,898	7,880
5. मणिपुर	151	185	196	210	241	307	384	416	391	605	449	550	562	603	873	939	1,041	1,179	1,448	1,637	1,883
6. मेघालय	160	189	198	238	216	288	314	338	390	502	578	565	570	640	741	767	873	1,039	1,225	1,801	1,967
7. मिजोरम	153	173	200	212	239	292	343	320	379	506	505	542	562	652	647	722	798	940	1,151	1,650	1,331
8. नागालैंड	182	179	224	269	299	364	353	370	415	479	585	544	567	644	629	804	914	1,053	1,119	1,510	1,813
9. सिक्किम	61	73	81	90	101	151	166	188	254	245	259	314	348	406	479	501	547	663	816	1,193	1,250
10. त्रिपुरा	264	286	261	324	383	429	517	594	673	776	896	968	974	963	1,121	1,121	1,206	1,399	1,680	2,643	2,285
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	355	1,320	1,708	2,027	2,327	2,781	3,226	3,726	4,185	6,222	6,232
सभी राज्य	35,132	39,255	44,468	49,451	55,143	63,975	71,896	81,427	98,127	1,13,690	1,24,919	1,29,253	1,33,648	1,46,164	1,64,077	1,89,430	2,22,988	2,65,466	3,31,538	4,22,161	4,60,605
ज्ञापन मर्दे:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	386	1,155	1,365	1,714	2,043	2,245	2,461	3,000	2,989	3,492	3,465	4,267	4,566	5,139	7,353	8,922	10,863	10,979
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797	828	927	1,062	1,553	2,026

बअ: बजट अनुमान

संअ: संशोधित अनुमान

'—': उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

* : इसमें राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह और भंडारण पर किए गए व्यय, पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी: वर्ष 2008-09 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

विवरण 47 : कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय*

(प्रतिशत)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. गैर विशेष श्रेणी																					
1. आंध्र प्रदेश	41.7	40.2	40.8	37.2	34.2	38.5	38.6	38.1	40.7	38.8	35.6	35.0	32.5	33.3	29.3	30.8	32.9	32.7	38.9	35.4	35.8
2. बिहार	38.3	45.2	40.6	40.7	41.2	40.3	42.7	42.8	44.0	42.7	43.7	38.9	36.4	36.7	30.5	38.4	41.0	43.8	43.9	43.4	42.8
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	43.3	41.3	36.2	37.7	44.2	47.6	46.2	50.1	57.4	53.1
4. गोवा	40.9	38.8	38.6	38.7	37.1	27.2	30.8	27.6	28.5	29.1	26.4	23.1	26.1	28.4	31.4	30.9	31.8	31.6	32.2	33.9	33.4
5. गुजरात	36.4	33.9	30.8	33.8	34.5	33.9	32.3	33.3	34.5	35.3	35.6	35.2	30.4	27.3	29.0	32.1	33.4	34.9	35.0	38.6	38.6
6. हरियाणा	32.4	28.6	32.3	26.6	18.9	27.7	20.8	23.4	28.8	30.8	37.0	34.3	26.6	18.6	24.2	32.0	28.5	33.3	37.2	39.6	39.2
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	50.0	44.4	44.1	45.9	47.0	43.5	47.8	44.2	44.7
8. कर्नाटक	37.0	36.8	36.0	37.9	38.9	38.4	37.8	38.8	39.3	38.2	38.3	34.8	31.4	28.4	28.5	33.4	32.7	36.7	37.8	42.7	41.2
9. केरल	43.7	39.8	41.1	40.1	40.1	38.9	40.5	43.2	43.9	42.1	39.9	37.6	37.4	30.0	36.2	35.6	31.0	31.4	33.4	34.8	34.8
10. मध्य प्रदेश	41.3	40.1	39.4	39.5	41.4	41.7	40.2	39.5	43.1	41.3	42.3	35.4	37.7	28.4	24.7	32.5	35.3	35.7	36.7	36.7	39.5
11. महाराष्ट्र	35.2	38.2	39.7	38.8	33.6	39.1	36.8	38.3	37.6	33.6	36.6	36.4	33.3	30.9	28.1	35.3	37.3	37.0	36.8	42.3	44.3
12. उड़ीसा	36.5	36.0	38.1	39.2	37.4	39.3	39.1	38.5	37.6	48.3	36.8	34.2	31.7	28.0	28.9	34.2	31.7	35.9	41.6	42.1	40.5
13. पंजाब	28.1	21.9	25.1	25.6	20.9	25.2	16.3	23.7	27.9	22.7	27.6	23.8	17.2	17.3	17.8	19.8	17.9	18.8	23.8	26.2	25.8
14. राजस्थान	39.5	35.0	37.7	37.5	39.1	35.9	39.4	37.0	41.6	39.2	41.3	40.7	37.3	35.7	34.1	40.1	39.5	38.9	45.2	44.8	42.4
15. तमिलनाडु	45.1	35.8	40.3	42.2	39.8	41.1	40.3	38.4	41.0	39.2	39.4	37.0	32.0	34.3	32.6	36.9	33.1	35.9	39.7	39.9	39.3
16. उत्तर प्रदेश	38.5	33.5	34.5	32.0	28.6	31.1	33.4	34.1	33.3	33.7	33.1	32.2	31.1	18.7	28.6	33.7	32.1	34.4	37.8	37.3	37.9
17. पश्चिम बंगाल	46.9	43.9	41.3	41.7	41.2	39.0	38.3	38.2	38.6	41.2	36.0	34.1	30.5	23.4	29.1	28.2	31.9	34.7	31.9	40.7	42.9
II. विशेष श्रेणी																					
1. अरुणाचल प्रदेश	32.1	31.0	34.1	34.4	31.5	32.8	35.6	34.3	33.1	33.9	26.9	32.5	30.9	28.3	31.2	30.4	30.2	31.1	29.9	29.7	16.1
2. असम	34.7	40.3	36.3	38.6	38.5	41.3	40.0	37.7	41.3	37.3	40.3	35.5	36.2	35.0	32.4	36.8	38.7	40.0	38.7	33.1	37.4
3. हिमाचल प्रदेश	39.7	21.1	40.1	36.7	36.4	37.5	37.7	36.0	37.3	36.1	36.9	33.7	29.8	29.0	29.0	32.7	33.0	35.2	36.6	35.5	34.8
4. जम्मू और कश्मीर	29.7	32.0	38.2	34.7	31.4	34.2	34.6	33.2	25.6	24.3	26.1	28.8	28.8	28.3	27.9	29.9	31.3	30.0	29.9	30.6	30.8
5. मणिपुर	33.4	34.6	23.8	32.9	35.6	37.9	37.9	36.7	35.1	34.0	32.5	26.0	26.0	26.0	33.6	34.2	28.7	31.7	32.9	31.8	31.7
6. मेघालय	39.3	38.3	36.4	34.9	36.8	37.0	40.0	39.7	38.7	42.0	40.6	40.5	35.9	36.2	35.8	38.2	37.6	37.5	35.7	39.3	39.9
7. मिजोरम	30.6	41.8	40.9	40.7	40.3	40.8	42.4	36.8	42.4	43.6	39.2	40.7	40.0	35.7	35.6	33.3	34.8	36.7	40.1	42.6	37.2
8. नागालैंड	33.0	27.6	26.2	28.9	33.0	35.0	32.2	30.0	27.9	32.1	31.9	26.9	29.6	27.0	27.6	28.6	29.6	29.5	28.3	29.2	30.5
9. सिक्किम	33.3	32.2	32.4	34.4	16.8	15.2	13.4	13.5	15.7	15.1	27.3	16.5	16.3	27.5	22.2	23.3	24.3	23.5	27.4	30.3	31.1
10. त्रिपुरा	43.1	42.3	39.8	41.2	43.5	43.4	43.8	44.0	43.9	43.8	42.0	39.3	38.4	34.8	37.6	34.0	36.5	36.5	37.2	40.3	34.1
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	40.0	35.2	32.7	36.6	36.3	37.9	37.4	38.4	39.3	42.2
सभी राज्य	38.6	36.4	37.3	36.9	34.6	36.6	36.1	36.4	37.5	36.9	36.8	35.1	32.6	28.4	29.6	33.7	33.9	35.3	37.6	39.1	39.2
ज्ञापन मदें:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	48.2	48.0	46.3	48.8	48.5	45.4	41.6	40.8	34.6	34.2	29.6	33.1	41.0	39.6	40.5	43.8	42.1	42.2
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	34.7	35.8	35.9	40.2	46.0

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान — : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

* : इसमें राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह और भंडारण संबंधी व्यय, पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट: वर्ष 2008-09 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 48 : बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन और राहत सुविधा के तहत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत

(करोड़ रुपये)

राज्य	2009-10	
	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3
I. गैर विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	—	427
2. बिहार	385	195
3. छत्तीसगढ़	93	50
4. गोवा	—	11
5. गुजरात	472	257
6. हरियाणा	—	39
7. झारखंड	105	61
8. कर्नाटक	358	217
9. केरल	—	106
10. मध्य प्रदेश	363	226
11. महाराष्ट्र	340	122
12. उड़ीसा	—	122
13. पंजाब	—	99
14. राजस्थान	—	133
15. तमिलनाडु	263	142
16. उत्तर प्रदेश	—	625
17. पश्चिम बंगाल	—	—
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	—	12
2. असम	—	1
3. हिमाचल प्रदेश	—	24
4. जम्मू और कश्मीर	—	45
5. मणिपुर	—	-11
6. मेघालय	—	9
7. मिजोरम	—	8
8. नागालैंड	—	9
9. सिक्किम	—	—
10. त्रिपुरा	—	13
11. उत्तराखंड	—	7
सभी राज्य	2,380	2,946

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण 49: अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : दसवां वित्त आयोग

राज्य	अनुशंसित अंतरण (1995-2000 (करोड़ रुपये)	औसत (जीएसडीपी) 1990-95 (करोड़ रुपये)	जनसंख्या 1991 जनगणना (संख्या)	जीएसडीपी प्रति व्यक्ति (रुपये)	अधिकतम से प्रति व्यक्ति अंतर (रुपये)	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण वार्षिक	प्रति व्यक्ति समीकरण अंतरण (रुपये)	प्रति व्यक्ति कुल बैंचमार्क अंतरण (रुपये)	वर्तीकल कंपोनेंट (रुपये)	समीकरण घटक (रुपये)	विशेष आवश्यकताओं क टधलिए अवशिष्ट (रुपये)	समीकरण में कमी (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	18,082	49,036	6,65,08,008	7,373	5,689	544	361	701	339	204	-	-157
2. बिहार	24,656	34,179	8,63,74,465	3,957	9,105	571	578	917	339	232	-	-347
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गोवा	622	1,983	11,69,793	16,952	-	1,064	-	339	339	-	725	-
5. गुजरात	8,876	42,331	4,13,09,582	10,247	2,815	430	179	518	339	90	-	-88
6. हरियाणा	2,793	19,139	1,64,63,648	11,625	-	339	-	339	339	-	-	-
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. कर्नाटक	10,521	35,084	4,49,77,201	7,800	5,262	468	334	673	339	129	-	-206
9. केरल	7,722	21,954	2,90,98,518	7,545	5,518	531	350	690	339	191	-	-159
10. मध्य प्रदेश	16,094	41,941	6,61,81,170	6,337	6,725	486	427	766	339	147	-	-280
11. महाराष्ट्र	13,709	94,431	7,89,37,187	11,963	1,100	347	70	409	339	8	-	-62
12. उड़ीसा	9,707	16,163	3,16,59,736	5,105	7,957	613	505	845	339	274	-	-231
13. पंजाब	3,589	26,493	2,02,81,969	13,062	-	354	-	339	339	-	15	-
14. राजस्थान	11,401	29,045	4,40,05,900	6,600	6,462	518	410	750	339	179	-	-232
15. तमिलनाडु	13,361	47,504	5,58,58,946	8,504	4,558	478	289	629	339	139	-	-150
16. उत्तर प्रदेश	36,159	75,591	13,91,12,287	5,434	7,629	520	484	824	339	181	-	-304
17. पश्चिम बंगाल	14,980	46,785	6,80,77,965	6,872	6,190	440	393	732	339	101	-	-292
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	1,768	748	8,64,558	8,654	4,408	4,091	280	619	339	280	3,472	-
2. असम	8,328	13,642	2,24,14,322	6,086	6,976	743	443	782	339	404	-	-39
3. हिमाचल प्रदेश	4,762	4,113	51,70,877	7,954	5,109	1,842	324	664	339	324	1,178	-
4. जम्मू और कश्मीर	7,322	5,120	77,18,700	6,634	6,429	1,897	408	748	339	408	1,150	-
5. मणिपुर	2,137	1,123	18,37,149	6,111	6,952	2,326	441	781	339	441	1,545	-
6. मेघालय	1,889	1,251	17,74,778	7,049	6,014	2,129	382	721	339	382	1,407	-
7. मिजोरम	1,802	558	6,89,756	8,087	4,976	5,225	316	655	339	316	4,570	-
8. नागालैंड	2,793	1,066	12,09,546	8,813	4,249	4,618	270	609	339	270	4,009	-
9. सिक्किम	699	321	4,06,457	7,888	5,175	3,439	329	668	339	329	2,771	-
10. त्रिपुरा	2,873	1,417	27,57,205	5,139	7,923	2,084	503	842	339	503	1,242	-
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'-': शून्य/नगण्य /लागू नहीं।

- नोट :** 1. हरियाणा के मामले में न्यून प्रति व्यक्ति अंतरण (रुपये 339.3).
 2. 1990-91 और 1994-95 के दौरान के कर प्रयास का औसत 6.35 प्रतिशत।
 3. पंजाब के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के सर्वोच्च के रूप में लिया गया है।

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और वित्त आयोग की रिपोर्ट।

विवरण 50: अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : ग्यारहवां वित्त आयोग

राज्य	अनुशंसित अंतरण (2000-01 से 2004-05) (करोड़ रुपये)	औसत (जीएसडीपी) 1995-96 से 1999-2000 (करोड़ रुपये)	जनसंख्या 2001 जनगणना (संख्या)	जीएसडीपी प्रति व्यक्ति (रुपये)	अधिकतम से प्रति व्यक्ति अंतर (रुपये)	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण वार्षिक	प्रति व्यक्ति समीकरण अंतरण (रुपये)	प्रति व्यक्ति कुल बेंचमार्क अंतरण (रुपये)	वर्तीकल कंपोनेंट (रुपये)	समीकरण घटक (रुपये)	विशेष आवश्यकताओं क टधलिए अवशिष्ट (रुपये)	समीकरण में कमी (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	31,011	1,01,903	7,62,10,007	13,371	7,517	814	444	841	398	416	-	-28
2. बिहार	56,728	62,685	8,29,98,500	7,552	13,336	1,367	787	1,185	398	787	182	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गोवा	822	4,922	13,47,668	36,522	-	1,219	-	398	398	-	821	-
5. गुजरात	12,000	92,815	5,06,71,017	18,317	2,572	474	152	550	398	76	-	-76
6. हरियाणा	4,206	39,820	2,11,44,564	18,832	2,056	398	121	519	398	-	-	-121
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. कर्नाटक	19,692	76,705	5,28,50,562	14,514	6,375	745	376	774	398	347	-	-29
9. केरल	12,317	51,616	3,18,41,374	16,210	4,679	774	276	674	398	276	100	-
10. मध्य प्रदेश	34,998	84,370	6,03,48,023	13,981	6,908	1,160	408	805	398	408	354	-
11. महाराष्ट्र	19,387	1,97,965	9,68,78,627	20,434	-	400	-	398	398	-	2	-
12. उड़ीसा	20,755	32,885	3,68,04,660	8,935	11,954	1,128	705	1,103	398	705	25	-
13. पंजाब	5,429	50,883	2,43,58,999	20,889	-	446	-	398	398	-	48	-
14. राजस्थान	23,589	64,958	5,65,07,188	11,496	9,393	835	554	952	398	437	-	-117
15. तमिलनाडु	21,601	1,04,677	6,24,05,679	16,774	4,115	692	243	641	398	243	52	-
16. उत्तर प्रदेश	78,509	1,49,584	16,61,97,921	9,000	11,888	945	701	1,099	398	547	-	-154
17. पश्चिम बंगाल	35,220	1,00,960	8,01,76,197	12,592	8,297	879	489	887	398	481	-	-9
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	2,315	1,372	10,97,968	12,496	8,393	4,217	495	893	398	495	3,324	-
2. असम	13,281	24,725	2,66,55,528	9,276	11,613	996	685	1,083	398	599	-	-86
3. हिमाचल प्रदेश	7,460	9,620	60,77,900	15,827	5,062	2,455	299	696	398	299	1,758	-
4. जम्मू और कश्मीर	16,428	10,916	1,01,43,700	10,762	10,127	3,239	597	995	398	597	2,244	-
5. मणिपुर	3,216	2,275	21,66,788	10,498	10,391	2,968	613	1,011	398	613	1,957	-
6. मेघालय	2,961	2,641	23,18,822	11,391	9,498	2,554	560	958	398	560	1,596	-
7. मिजोरम	2,535	1,186	8,88,573	13,343	7,546	5,706	445	843	398	445	4,863	-
8. नागालैंड	4,450	2,270	19,90,036	11,406	9,483	4,472	559	957	398	559	3,515	-
9. सिक्किम	1,634	695	5,40,851	12,850	8,039	6,042	474	872	398	474	5,170	-
10. त्रिपुरा	4,361	3,406	31,99,203	10,648	10,241	2,726	604	1,002	398	604	1,724	-
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट : 1. हरियाणा के मामले में न्यून प्रति व्यक्ति अंतरण (रुपये 397.8)।
2. 1995 - 2000 के दौरान के कर प्रयास का औसत 5.90 प्रतिशत।
3. पंजाब के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के सर्वोच्च के रूप में लिया गया है।

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और वित्त आयोग की रिपोर्ट।

विवरण 51: अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : बारहवां वित्त आयोग

राज्य	अनुशंसित अंतरण (2005-06 से 2009-10) (करोड़ रुपये)	औसत (जीएसडीपी) (2000-01 से 2004-05) (करोड़ रुपये)	जनसंख्या 2001 जनगणना (संख्या)	जीएसडीपी प्रति व्यक्ति (रुपये)	अधिकतम से प्रति व्यक्ति अंतर (रुपये)	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण वार्षिक	प्रति व्यक्ति समीकरण अंतरण (रुपये)	प्रति व्यक्ति कुल बैंचमार्क अंतरण (रुपये)	वर्तीकल कंपोनेंट (रुपये)	समीकरण घटक (रुपये)	विशेष आवश्यकताओं क टधलिए अवशिष्ट (रुपये)	समीकरण में कमी (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	50,353	1,74,070	7,62,10,007	22,841	12,406	1,321	816	1,564	747	574	-	-242
2. बिहार	75,647	70,357	8,29,98,500	8,477	26,770	1,823	1,761	2,509	747	1,076	-	-686
3. छत्तीसगढ़	18,274	34,054	2,08,33,803	16,345	18,901	1,754	1,244	1,991	747	1,007	-	-237
4. गोवा	1,725	8,547	13,47,668	63,424	-	2,559	-	747	747	-	1,812	-
5. गुजरात	25,609	1,46,689	5,06,71,017	28,949	6,298	1,011	414	1,162	747	264	-	-151
6. हरियाणा	8,042	74,528	2,11,44,564	35,247	-	761	-	747	747	-	14	-
7. झारखंड	23,657	39,780	2,69,45,829	14,763	20,484	1,756	1,348	2,095	747	1,009	-	-339
8. कर्नाटक	31,416	1,25,863	5,28,50,562	23,815	11,432	1,189	752	1,499	747	442	-	-311
9. केरल	19,608	88,887	3,18,41,374	27,916	7,331	1,232	482	1,230	747	482	2	-
10. मध्य प्रदेश	46,322	92,485	6,03,48,023	15,325	19,921	1,535	1,311	2,058	747	788	-	-523
11. महाराष्ट्र	36,194	310,369	9,68,78,627	32,037	3,210	747	211	958	747	-	-	-211
12. उड़ीसा	36,943	54,500	3,68,04,660	14,808	20,439	2,008	1,345	2,092	747	1,260	-	-85
13. पंजाब	12,885	84,657	2,43,58,999	34,754	-	1,058	-	747	747	-	311	-
14. राजस्थान	39,062	98,327	5,65,07,188	17,401	17,846	1,383	1,174	1,921	747	635	-	-539
15. तमिलनाडु	36,688	1,66,311	6,24,05,679	26,650	8,597	1,176	566	1,313	747	429	-	-137
16. उत्तर प्रदेश	1,33,471	2,10,892	16,61,97,921	12,689	22,558	1,606	1,484	2,231	747	859	-	-625
17. पश्चिम बंगाल	50,877	1,73,513	8,01,76,197	21,642	13,605	1,269	895	1,642	747	522	-	-373
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,237	10,97,968	20,370	14,876	6,422	979	1,726	747	979	4,696	-
2. असम	24,329	43,674	2,66,55,528	16,385	18,862	1,825	1,241	1,988	747	1,078	-	-163
3. हिमाचल प्रदेश	14,450	19,100	60,77,900	31,426	3,821	4,755	251	999	747	251	3,756	-
4. जम्मू और कश्मीर	20,880	20,305	1,01,43,700	20,017	15,230	4,117	1,002	1,749	747	1,002	2,368	-
5. मणिपुर	6,870	3,707	21,66,788	17,107	18,139	6,341	1,194	1,941	747	1,194	4,401	-
6. मेघालय	4,368	4,858	23,18,822	20,949	14,298	3,767	941	1,688	747	941	2,079	-
7. मिजोरम	4,661	2,126	8,88,573	23,926	11,321	10,491	745	1,492	747	745	8,999	-
8. नागालैंड	7,453	4,358	19,90,036	21,898	13,349	7,491	878	1,626	747	878	5,865	-
9. सिक्किम	1,829	1,292	5,40,851	23,881	11,366	6,764	748	1,495	747	748	5,269	-
10. त्रिपुरा	8,417	6,890	31,99,203	21,537	13,710	5,262	902	1,649	747	902	3,613	-
11. उत्तराखंड	12,194	18,592	84,89,349	21,900	13,347	2,873	878	1,625	747	878	1,247	-

- नोट :**
1. महाराष्ट्र के मामले में न्यून प्रति व्यक्ति अंतरण (रुपये 747.2)।
 2. 1995-2000 के दौरान के कर प्रयास का औसत 6.58 प्रतिशत।
 3. हरियाणा के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के सर्वोच्च के रूप में लिया गया है।

स्रोत : भारत की जनगणना 2001, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और वित्त आयोग की रिपोर्ट।

विवरण 52: अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण का विघटन : तेरहवां वित्त आयोग

राज्य	अनुशंसित अंतरण (2010-11 से 2014-15) (करोड़ रुपये)	औसत (जीएसडीपी) (2005-06 से 2009-10 (करोड़ रुपये)	जनसंख्या 2001 जनगणना (संख्या)	जीएसडीपी प्रति व्यक्ति (रुपये)	अधिकतम से प्रति व्यक्ति अंतर (रुपये)	अनुशंसित प्रति व्यक्ति अंतरण वार्षिक	प्रति व्यक्ति समीकरण अंतरण (रुपये)	प्रति व्यक्ति कुल बैचमार्क अंतरण (रुपये)	वर्तीकल कंपोनेंट (रुपये)	समीकरण घटक (रुपये)	विशेष आवश्यकताओं क टधलिप् अवशिष्ट (रुपये)	समीकरण में कमी (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1,14,148	3,26,442	7,62,10,007	42,835	31,223	2,996	2,310	4,151	1,842	1,154	-	-1,156
2. बिहार	1,72,944	1,18,226	8,29,98,500	14,244	59,813	4,167	4,424	6,266	1,842	2,326	-	-2,099
3. छत्तीसगढ़	42,001	79,635	2,08,33,803	38,224	35,834	4,032	2,651	4,492	1,842	2,190	-	-460
4. गोवा	4,374	17,604	13,47,668	1,30,629	-	6,491	-	1,842	1,842	-	4,650	-
5. गुजरात	53,790	3,02,133	5,06,71,017	59,626	14,431	2,123	1,067	2,909	1,842	281	-	-786
6. हरियाणा	19,470	1,56,592	2,11,44,564	74,058	-	1,842	-	1,842	1,842	-	-	-
7. झारखंड	47,879	69,230	2,69,45,829	25,692	48,365	3,554	3,578	5,419	1,842	1,712	-	-1,866
8. कर्नाटक	74,376	2,39,761	5,28,50,562	45,366	28,692	2,815	2,122	3,964	1,842	973	-	-1,149
9. केरल	40,326	1,68,148	3,18,41,374	52,808	21,250	2,533	1,572	3,413	1,842	691	-	-881
10. मध्य प्रदेश	1,16,593	1,50,486	6,03,48,023	24,936	49,121	3,864	3,634	5,475	1,842	2,022	-	-1,611
11. महाराष्ट्र	91,710	6,18,204	9,68,78,627	63,812	10,245	1,893	758	2,599	1,842	52	-	-706
12. उड़ीसा	78,975	1,15,425	3,68,04,660	31,361	42,696	4,292	3,158	5,000	1,842	2,450	-	-708
13. पंजाब	25,687	1,46,468	2,43,58,999	60,129	-	2,109	-	1,842	1,842	-	267	-
14. राजस्थान	97,842	1,75,970	5,65,07,188	31,141	42,916	3,463	3,175	5,016	1,842	1,621	-	-1,553
15. तमिलनाडु	83,437	3,07,092	6,24,05,679	49,209	24,849	2,674	1,838	3,680	1,842	832	-	-1,006
16. उत्तर प्रदेश	3,12,140	3,70,141	16,61,97,921	22,271	51,787	3,756	3,831	5,672	1,842	1,915	-	-1,916
17. पश्चिम बंगाल	1,17,997	3,13,137	8,01,76,197	39,056	35,002	2,943	2,589	4,431	1,842	1,102	-	-1,487
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	9,104	4,002	10,97,968	36,449	37,609	16,583	2,782	4,624	1,842	2,782	11,959	-
2. असम	57,833	72,234	2,66,55,528	27,099	46,958	4,339	3,474	5,315	1,842	2,498	-	-976
3. हिमाचल प्रदेश	21,692	33,140	60,77,900	54,525	19,533	7,138	1,445	3,286	1,842	1,445	3,851	-
4. जम्मू और कश्मीर	40,439	32,093	1,01,43,700	31,638	42,420	7,973	3,138	4,979	1,842	3,138	2,994	-
5. मणिपुर	13,568	5,877	21,66,788	27,123	46,935	12,523	3,472	5,313	1,842	3,472	7,210	-
6. मेघालय	9,842	8,568	23,18,822	36,949	37,109	8,489	2,745	4,587	1,842	2,745	3,903	-
7. मिजोरम	8,805	3,454	8,88,573	38,867	35,191	19,819	2,603	4,445	1,842	2,603	15,374	-
8. नागालैंड	13,744	6,540	19,90,036	32,866	41,192	13,813	3,047	4,889	1,842	3,047	8,924	-
9. सिक्किम	4,526	2,344	5,40,851	43,339	30,719	16,735	2,272	4,114	1,842	2,272	12,622	-
10. त्रिपुरा	13,128	11,028	31,99,203	34,470	39,588	8,207	2,928	4,770	1,842	2,928	3,437	-
11. उत्तराखंड	20,308	36,143	84,89,349	42,574	31,483	4,784	2,329	4,170	1,842	2,329	614	-

- नोट : 1. हरियाणा के मामले में न्यून प्रति व्यक्ति अंतरण (रुपये 1841.6)।
2. 1995 - 2000 के दौरान के कर प्रयास का औसत 7.40 प्रतिशत।
3. हरियाणा के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के सर्वोच्च के रूप में लिया गया है।

स्रोत : भारत की जनगणना 2001, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और वित्त आयोग की रिपोर्ट।

परिशिष्ट I से IV

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां

(लाख रुपये)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	62,85,845	78,96,370	78,40,606	90,64,842	3,85,596	3,25,696	5,70,189	5,10,113
I. कर राजस्व (क +ख)	45,15,979	52,77,330	52,77,330	61,50,421	59,831	62,460	60,140	83,037
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	33,35,829	40,66,400	40,66,400	46,99,900	13,620	10,900	12,600	14,400
1. आय पर कर (i+ii)	37,446	45,000	45,000	54,000	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	37,446	45,000	45,000	54,000	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	3,14,139	3,45,600	3,45,600	3,78,300	615	600	600	700
i) भूमि राजस्व	13,035	14,400	14,400	14,500	490	500	500	550
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	2,93,099	3,22,400	3,22,400	3,54,600	125	100	100	150
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	8,005	8,800	8,800	9,200	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	29,84,244	36,75,800	36,75,800	42,67,600	13,004	10,300	12,000	13,700
i) बिक्री कर (क से च)	21,85,166	27,68,500	27,68,500	31,83,800	10,568	8,000	9,500	11,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	20,53,230	25,38,184	25,38,184	29,53,459	10,568	8,000	9,500	11,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,25,519	2,21,805	2,21,805	2,21,830	-	-	-	-
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	3	40	40	40	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	4,932	6,300	6,300	6,300	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियां	1,483	2,171	2,171	2,171	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	5,75,261	6,26,000	6,26,000	7,51,200	1,660	1,500	1,700	1,700
iii) वाहन पर कर	1,80,062	2,31,500	2,31,500	2,77,800	776	800	800	1,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	1,588	1,800	1,800	2,000	-	-	-	-
v) बिजली पर शुल्क और कर	21,854	24,000	24,000	26,400	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	6,583	7,900	7,900	8,700	-	-	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	13,730	16,100	16,100	17,700	-	-	-	-
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	11,80,150	12,10,930	12,10,930	14,50,521	46,211	51,560	47,540	68,637
i) निगम कर	3,86,995	4,88,789	4,88,789	5,46,735	15,155	16,906	19,563	28,631
ii) आय कर	2,43,003	2,38,162	2,38,162	2,73,887	9,512	10,616	10,898	12,731
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-11	-30	-30	-10	-	-	-	-
v) धन पर कर	364	468	468	539	14	16	44	62
vi) सीमा शुल्क	2,25,596	2,02,313	2,02,313	2,32,660	8,833	9,855	6,653	11,095
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,96,743	1,36,476	1,36,476	2,30,266	7,702	8,595	5,359	9,037
viii) सेवा कर	1,27,493	1,44,801	1,44,801	1,66,521	4,994	5,574	5,023	7,081
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-33	-49	-49	-77	1	-2	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	17,69,866	26,19,040	25,63,276	29,14,420	3,25,765	2,63,236	5,10,049	4,27,076
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	9,68,340	12,94,600	14,10,641	15,70,280	77,201	31,841	1,55,186	38,293
1. ब्याज प्राप्तियां	3,48,740	4,45,625	5,75,136	7,09,716	3,480	3,700	3,700	4,000
2. लाभांश और लाभ	1,880	1,722	1,722	1,808	-	-	-	-

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	3,13,388	4,31,518	4,18,048	4,06,643	2,845	3,661	4,882	4,586
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	45,799	35,137	35,137	36,894	1,073	1,086	786	1,320
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,168	18,462	18,462	19,385	243	125	125	260
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,843	7,576	7,576	7,955	28	42	42	46
iii) परिवार कल्याण	267	500	500	525	—	—	—	—
iv) आवास	20,322	244	244	256	4	12	12	13
v) शहरी विकास	5,292	1,338	1,338	1,405	495	600	300	660
vi) श्रम और रोजगार	2,403	2,716	2,716	2,852	4	1	1	5
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	314	578	578	607	1	10	10	10
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	695	1,105	1,105	1,160	298	295	295	325
ix) अन्य	494	2,618	2,618	2,749	—	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	90,576	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,58,533	3,80,598	3,80,599	4,15,219	69,803	23,394	55,242	28,387
i) फसल उत्पादन	385	2,090	2,090	2,195	159	160	160	175
ii) पशुपालन	290	261	261	274	33	40	40	42
iii) मत्स्यपालन	424	242	242	253	7	10	10	12
iv) वानिकी और वन्य जीव	9,322	10,375	10,375	10,894	1,250	1,500	1,200	1,400
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	2,009	4,450	4,450	4,673	102	30	30	120
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	7	7	7	7	9	40	40	12
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	3,833	8,584	8,584	9,013	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	344	725	725	761	4	—	—	—
x) पावर	1,577	3,315	3,315	3,481	60,974	15,200	45,615	18,200
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	349	220	220	230	43	45	45	50
xiii) उद्योग @	1,68,551	2,45,227	2,45,227	2,69,738	4,296	2,615	4,515	4,517
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	6,810	9,484	9,483	9,958	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	1,044	1,630	1,271	1,305
xvi) पर्यटन	1,370	2,100	2,100	2,205	29	30	30	38
xvii) अन्य*	63,263	93,520	93,520	1,01,537	1,853	2,094	2,286	2,516
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	8,01,526	13,24,440	11,52,635	13,44,140	2,48,564	2,31,395	3,54,863	3,88,783
1. राज्य योजना स्कीमें	4,03,944	7,67,032	5,43,355	7,72,078	1,66,436	1,63,185	2,20,213	2,42,392
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	12,906	1,35,937	47,290	57,391	5,218	—	15,991	17,590
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	1,62,255	2,14,439	2,43,104	2,95,898	24,881	31,469	46,034	50,638
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	6,533	4,185	9,598	10,558
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	2,22,422	2,07,032	3,18,885	2,18,773	45,497	32,556	63,027	67,605
क) सांविधिक अनुदान	63,566	51,720	51,720	51,720	27,392	28,156	38,156	53,400
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	29,873	31,367	31,367	31,367	2,315	2,315	5,615	3,407
ग) अन्य	1,28,983	1,23,945	2,35,798	1,35,686	15,790	2,085	19,256	10,798

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	असम				बिहार			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	18,07,703	23,06,365	24,48,516	26,40,893	32,98,068	41,83,743	37,86,937	47,23,507
I. कर राजस्व (क +ख)	9,34,010	9,57,512	9,87,979	12,57,041	23,86,524	31,02,637	26,29,526	34,24,412
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	4,15,021	4,02,825	4,33,292	4,97,584	6,17,273	7,33,615	8,14,128	10,64,393
1. आय पर कर (i+ii)	15,592	16,000	19,000	20,000	—	125	125	100
i) कृषि आय कर	1,818	2,000	5,000	5,500	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	13,773	14,000	14,000	14,500	—	125	125	100
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	22,453	22,480	27,638	30,652	81,793	82,622	1,03,500	1,32,717
i) भूमि राजस्व	11,336	8,938	15,299	16,956	10,174	7,622	11,000	11,217
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	11,116	13,542	12,339	13,696	71,619	75,000	92,500	1,21,500
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	3,76,976	3,64,345	3,86,655	4,46,932	5,35,480	6,50,868	7,10,503	9,31,576
i) बिक्री कर (क से च)	3,11,057	2,90,000	3,12,500	3,65,900	3,01,647	3,94,803	4,33,873	5,62,769
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,69,612	2,60,000	2,85,000	3,40,900	2,97,728	3,92,303	4,31,373	5,61,269
ख) केंद्रीय बिक्री कर	34,175	30,000	27,500	25,000	3,705	2,500	2,500	1,500
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	10	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	1	—	—	—
च) अन्य प्राप्ति	7,270	—	—	—	204	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	19,868	23,590	24,118	25,946	67,914	85,000	95,000	1,40,000
iii) वाहन पर कर	14,521	17,079	16,118	17,891	29,774	35,500	45,000	55,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	28,467	31,340	31,255	33,890	1,27,941	1,27,000	1,27,000	1,62,376
v) बिजली पर शुल्क और कर	2,236	1,735	2,044	2,604	6,762	6,278	6,306	9,000
vi) मनोरंजन कर	222	220	220	250	1,366	1,250	2,287	1,375
vii) अन्य कर और शुल्क	605	381	400	450	76	1,037	1,037	1,056
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	5,18,989	5,54,687	5,54,687	7,59,457	17,69,251	23,69,022	18,15,398	23,60,019
i) निगम कर	1,70,201	2,04,751	2,04,751	3,16,682	5,80,159	7,76,842	7,32,784	9,52,619
ii) आय कर	1,06,871	1,15,170	1,15,170	1,40,816	3,64,314	4,87,813	3,57,049	4,64,164
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-11	—	—	—	-22	-32	-44	-57
v) धन पर कर	161	206	206	692	550	739	702	913
vi) सीमा शुल्क	99,208	1,00,958	1,00,958	1,22,721	3,38,208	4,52,849	3,03,304	3,94,295
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	86,510	66,074	66,074	99,953	2,94,967	3,94,960	2,04,602	2,65,983
viii) सेवा कर	56,060	67,528	67,528	78,593	1,91,130	2,55,930	2,17,075	2,82,198
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-11	—	—	—	-55	-78	-74	-96
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	8,73,693	13,48,853	14,60,537	13,83,852	9,11,544	10,81,106	11,57,411	12,99,096
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	2,27,190	2,04,436	2,89,999	2,78,205	1,15,332	54,095	96,830	1,20,674
1. ब्याज प्राप्ति	43,316	27,560	46,348	49,593	30,457	5,362	5,362	21,637
2. लाभांश और लाभ	1,945	2,748	2,086	2,231	214	77	77	250

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	असम				बिहार			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	13,977	46,267	45,209	19,760	41,247	15,885	54,711	50,244
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	2,087	3,538	2,225	10,029	5,578	4,239	4,265	5,838
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	522	728	559	598	2,354	2,213	2,213	2,355
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	791	819	836	8,547	1,725	1,313	1,339	1,760
iii) परिवार कल्याण	—	1	1	1	12	4	4	13
iv) आवास	349	365	376	398	148	146	146	350
v) शहरी विकास	1	1	1	1	5	2	2	5
vi) श्रम और रोजगार	241	1,509	258	276	151	69	69	161
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	131	31	140	150	95	292	292	96
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	48	81	50	54	168	119	119	178
ix) अन्य	3	3	4	4	919	80	80	920
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	1,65,864	1,24,323	1,94,131	1,96,592	37,836	28,532	32,415	42,706
i) फसल उत्पादन	38	39	40	43	625	400	400	666
ii) पशुपालन	51	38	55	59	20	30	45	44
iii) मत्स्यपालन	134	136	144	154	687	766	766	732
iv) वानिकी और वन्य जीव	11,564	8,590	12,361	13,226	615	500	1,000	655
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	96	33	103	110	79	210	210	157
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	27	35	29	31	—	5	5	—
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	56	41	59	64	1,395	2,850	2,850	3,000
ix) लघु सिंचाई	65	39	69	74	208	50	50	208
x) पावर	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) पेट्रोलियम	1,43,012	1,06,791	1,69,406	1,69,422	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	1,439	426	1,539	1,647	-19	12	12	13
xiii) उद्योग @	55	77	81	86	29,859	20,375	23,743	32,460
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	5	6	6	5
xvi) पर्यटन	14	11	15	16	1	1	1	1
xvii) अन्य*	9,314	8,067	10,227	11,661	4,362	3,326	3,327	4,766
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	6,46,503	11,44,417	11,70,538	11,05,647	7,96,212	10,27,011	10,60,580	11,78,421
1. राज्य योजना स्कीमें	4,19,073	4,31,977	4,57,898	4,43,102	3,60,009	5,03,833	5,03,833	5,90,533
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	35,469	1,24,633	1,24,633	64,662	13,494	16,721	16,721	24,428
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	99,323	3,27,515	3,27,516	3,34,470	1,67,665	3,25,209	3,58,778	3,82,213
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	20,545	43,357	43,357	43,273	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	72,093	2,16,934	2,17,133	2,20,140	2,55,044	1,81,248	1,81,248	1,81,248
क) सांविधिक अनुदान	34,116	14	14	2,322	1,27,531	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	15,797	16,280	16,280	24,239	12,186	12,559	12,559	12,559
ग) अन्य	22,181	2,00,639	2,00,839	1,93,579	1,15,327	1,68,689	1,68,689	1,68,689

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	15,66,276	18,89,721	18,57,560	20,52,635	3,52,827	4,13,673	4,26,627	5,00,332
I. कर राजस्व (क +ख)	10,85,163	12,49,334	11,06,100	12,31,135	2,10,899	2,36,635	2,33,286	2,77,506
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	6,59,373	7,02,955	6,69,204	7,50,548	1,69,355	1,86,085	1,90,609	2,21,849
1. आय पर कर (i+ii)	768	439	677	744	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	768	439	677	744	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	85,509	72,001	63,536	68,183	12,476	11,994	12,815	13,781
i) भूमि राजस्व	35,949	12,000	12,036	12,070	939	697	1,073	1,063
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	49,559	60,001	51,500	56,113	11,537	11,297	11,742	12,718
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	5,73,096	6,30,515	6,04,991	6,81,621	1,56,880	1,74,090	1,77,795	2,08,068
i) बिक्री कर (क से च)	3,61,094	3,77,560	3,44,712	3,95,193	1,13,164	1,25,770	1,23,610	1,49,500
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,94,367	3,45,060	2,91,700	3,36,880	1,06,883	-	1,15,400	1,39,990
ख) केंद्रीय बिक्री कर	66,416	32,500	53,000	58,300	5,949	-	7,700	9,000
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	149	-	-	-	1	-	10	10
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियां	162	-	12	13	331	1,25,770	500	500
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	96,410	1,10,000	1,15,800	1,32,000	8,870	8,800	10,372	11,967
iii) वाहन पर कर	31,378	35,147	35,147	38,500	9,015	10,321	11,221	9,900
iv) माल और यात्रियों पर कर	42,071	56,000	56,000	61,600	15,745	11,201	14,701	14,701
v) बिजली पर शुल्क और कर	41,510	51,000	52,826	53,881	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	582	727	426	447	96	1,500	2,990	4,500
vii) अन्य कर और शुल्क	51	81	81	-	9,989	16,498	14,900	17,500
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	4,25,790	5,46,379	4,36,896	4,80,588	41,544	50,550	42,676	55,657
i) निगम कर	1,39,622	1,79,165	1,76,352	1,93,987	13,628	16,572	10,800	22,557
ii) आय कर	87,677	1,12,506	85,928	94,521	8,555	10,024	9,024	12,092
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-6	-11	-11	-	-1	-1	-
v) धन पर कर	136	170	169	185	14	14	14	15
vi) सीमा शुल्क	81,392	1,04,442	72,993	80,292	7,941	9,300	8,500	9,362
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	70,989	91,090	49,240	54,164	6,927	8,140	7,840	5,920
viii) सेवा कर	45,985	59,028	52,243	57,467	4,479	6,501	6,501	5,713
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-11	-16	-18	-18	-	-	-2	-2
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	4,81,113	6,40,386	7,51,461	8,21,499	1,41,928	1,77,038	1,93,341	2,22,827
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	2,20,221	2,74,534	3,42,948	4,32,145	1,23,616	1,35,096	1,51,053	1,56,816
1. ब्याज प्राप्तियां	23,740	15,443	26,219	19,897	2,045	1,051	252	263
2. लाभांश और लाभ	10	135	60	10	89	39	42	48

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्ति (जारी)

(लाख रुपये)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	13,704	15,370	15,610	15,789	4,325	5,001	5,368	5,114
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	3,978	3,618	6,510	4,568	8,623	13,358	9,704	10,299
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	461	191	265	407	924	818	682	732
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	167	1,595	3,974	1,740	830	663	578	586
iii) परिवार कल्याण	11	15	15	15	—	—	—	—
iv) आवास	447	331	400	425	37	18	21	21
v) शहरी विकास	191	75	75	75	36	9	1,009	1,505
vi) श्रम और रोजगार	760	735	905	1,030	215	279	293	288
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	283	6	6	6	4	16	24	29
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	432	460	660	660	6,576	11,553	7,095	7,135
ix) अन्य	1,226	210	210	210	1	2	2	2
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	1,78,790	2,39,968	2,94,549	3,91,881	1,08,534	1,15,647	1,35,686	1,41,092
i) फसल उत्पादन	3,481	498	603	643	111	157	157	160
ii) पशुपालन	275	325	325	355	97	87	90	90
iii) मत्स्यपालन	198	167	167	158	162	462	209	231
iv) वानिकी और वन्य जीव	32,229	33,000	36,500	43,500	289	265	265	280
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	752	600	600	400	30	45	47	50
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	72	105	105	115	2	5	6	6
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	12,604	14,400	12,900	15,123	851	1,007	1,310	1,511
ix) लघु सिंचाई	2,231	4,200	63,000	79,100	754	155	2,468	871
x) पावर	—	40,000	10,000	40,000	98,670	1,06,924	1,00,058	1,07,227
xi) पेट्रोलियम	1	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	83	91	131	144	490	1,056	1,068	276
xiii) उद्योग @	1,24,516	1,45,187	1,68,732	2,10,822	3,646	2,960	27,372	27,686
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	1,604	1,719	1,719	1,725
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	—	—	—	—	598	55	44	55
xvii) अन्य*	2,349	1,395	1,486	1,521	1,230	751	871	924
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	2,60,892	3,65,852	4,08,513	3,89,354	18,312	41,942	42,288	66,010
1. राज्य योजना स्कीमें	1,06,647	1,81,000	1,88,156	1,81,760	18,312	41,942	42,288	66,010
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	9,346	25,622	20,558	22,453	—	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	81,728	96,886	93,854	1,09,677	—	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	63,169	62,344	1,05,944	75,465	—	—	—	—
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	63,169	62,344	1,05,944	75,465	—	—	—	—

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	गुजरात				हरयाणा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	38,67,571	41,81,518	43,44,891	49,47,653	18,45,230	22,43,700	23,00,191	24,54,084
I. कर राजस्व (क +ख)	29,28,289	31,56,971	32,52,871	36,86,090	13,37,990	16,56,822	15,96,688	18,66,300
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	23,55,692	25,45,000	26,35,300	30,26,090	11,65,528	14,64,650	14,04,516	16,46,929
1. आय पर कर (i+ii)	18,584	18,600	18,600	19,500	—	—	—	—
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	18,584	18,600	18,600	19,500	—	—	—	—
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	2,37,289	2,55,000	3,13,500	3,97,850	1,33,497	1,23,850	1,53,350	1,91,379
i) भूमि राजस्व	54,350	69,000	92,500	1,10,750	858	1,350	1,350	1,379
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	1,72,850	1,75,000	2,10,000	2,75,000	1,32,639	1,22,500	1,52,000	1,90,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	10,089	11,000	11,000	12,100	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	20,99,819	22,71,400	23,03,200	26,08,740	10,32,031	13,40,800	12,51,166	14,55,550
i) बिक्री कर (क से च)	16,81,065	18,21,500	18,21,500	21,00,000	8,15,473	10,74,000	9,64,366	11,50,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	14,58,677	14,79,000	14,79,000	16,89,000	7,03,505	9,86,000	9,24,015	10,05,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,66,679	2,91,500	2,91,500	3,50,000	1,11,958	88,000	40,351	1,45,000
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	52,635	50,000	50,000	60,000	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	5	—	—	—	1	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	31	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियां	3,037	1,000	1,000	1,000	9	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,871	5,000	5,800	5,800	1,41,853	1,70,000	2,00,000	2,10,000
iii) वाहन पर कर	1,38,166	1,45,000	1,60,000	1,67,500	23,930	37,500	30,000	35,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	16,935	26,500	26,500	27,500	37,029	42,500	40,000	42,500
v) बिजली पर शुल्क और कर	2,36,991	2,44,500	2,60,500	2,75,350	10,631	13,000	13,000	14,000
vi) मनोरंजन कर	3,411	4,000	4,000	5,000	2,440	3,000	3,232	3,450
vii) अन्य कर और शुल्क	18,381	24,900	24,900	27,590	676	800	568	600
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	5,72,597	6,11,971	6,17,571	6,60,000	1,72,462	1,92,172	1,92,172	2,19,371
i) निगम कर	1,87,786	2,25,891	2,25,891	2,43,010	56,545	62,807	62,807	91,478
ii) आय कर	1,17,902	1,27,061	1,27,061	1,37,257	35,507	33,960	33,960	40,677
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	—	—	—	—	—	—	—	—
v) धन पर कर	175	227	227	240	50	50	50	200
vi) सीमा शुल्क	1,09,450	1,11,381	1,11,381	1,20,290	32,973	31,536	31,536	35,450
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	95,453	72,896	72,896	78,727	28,757	41,256	41,256	28,873
viii) सेवा कर	61,853	74,515	80,115	80,476	18,630	22,563	22,563	22,693
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-22	—	—	—	—	—	—	—
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	9,39,282	10,24,547	10,92,020	12,61,563	5,07,240	5,86,878	7,03,503	5,87,784
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	5,09,932	4,87,100	5,04,186	6,18,374	3,23,844	3,60,002	3,15,162	3,54,853
1. ब्याज प्राप्तियां	56,781	55,000	55,000	59,400	77,628	57,835	86,056	86,470
2. लाभांश और लाभ	4,940	5,000	5,000	5,400	827	954	400	377

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्ति (जारी)

(लाख रुपये)

मद	गुजरात				हरयाणा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	99,174	87,386	91,572	94,933	31,081	29,662	35,325	26,824
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	1	4	4	3
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	65,375	67,337	67,337	72,804	1,12,478	1,49,353	64,979	1,01,713
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,591	16,059	16,059	17,344	15,610	14,611	14,700	15,440
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,650	13,030	13,030	14,072	3,094	7,345	7,924	8,499
iii) परिवार कल्याण	1,229	1,265	1,265	1,367	8	13	12	12
iv) आवास	3,330	3,430	3,430	3,705	186	240	240	250
v) शहरी विकास	10,382	10,693	10,693	11,549	88,450	1,20,000	35,000	70,000
vi) श्रम और रोजगार	14,380	14,811	14,811	15,996	1,302	1,000	1,370	1,440
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	272	280	280	302	592	781	870	967
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	284	294	294	318	3,074	5,045	4,545	4,770
ix) अन्य	7,257	7,475	7,475	8,151	163	318	318	335
5. राजकोषीय सेवाएँ	9	9	9	9	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,83,653	2,72,368	2,85,268	3,85,828	1,01,829	1,22,197	1,28,403	1,39,468
i) फसल उत्पादन	1,074	1,106	1,106	1,194	402	450	450	495
ii) पशुपालन	752	775	775	837	256	300	300	315
iii) मत्स्यपालन	510	525	525	751	203	170	215	225
iv) वानिकी और वन्य जीव	4,051	4,170	4,170	4,504	4,074	3,800	4,500	4,000
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	1,924	1,982	1,982	2,332	934	1,080	1,080	1,190
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	7	7	7	7	101	200	141	151
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	45,577	50,000	50,000	54,000	7,401	12,800	22,800	18,844
ix) लघु सिंचाई	1,457	1,500	1,500	1,620	11	15	15	15
x) पावर	7,752	—	—	—	267	600	600	630
xi) पेट्रोलियम	3	3	3	3	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	588	1,193	1,193	1,288	214	290	240	250
xiii) उद्योग @	1,57,126	1,41,178	1,69,078	2,43,789	19,754	25,004	20,004	20,004
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	43,473	50,000	35,000	54,000	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	9	—	—	—	64,504	75,000	75,000	90,000
xvi) पर्यटन	39	40	40	43	118	90	350	291
xvii) अन्य*	19,311	19,889	19,889	21,460	3,590	2,398	2,708	3,058
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	4,29,350	5,37,447	5,87,834	6,43,189	1,83,396	2,26,877	3,88,341	2,32,931
1. राज्य योजना स्कीमें	2,07,082	3,39,518	3,24,408	3,79,537	73,132	82,690	79,461	71,389
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	6,874	155	155	155	3,198	34,681	31,595	33,203
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	81,563	1,41,249	2,06,747	2,06,972	54,729	75,171	73,570	95,105
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	1,33,831	56,525	56,525	56,525	52,337	34,335	2,03,715	33,234
क) सांविधिक अनुदान	71,300	—	—	—	26,269	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	31,529	22,425	22,425	22,425	—	11,339	16,739	11,339
ग) अन्य	31,003	34,100	34,100	34,100	26,068	22,996	1,86,976	21,895

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	9,30,799	10,47,833	10,53,621	11,58,855	15,81,097	19,36,211	19,55,280	22,66,221
I. कर राजस्व (क +ख)	3,07,998	3,73,483	3,46,292	4,59,034	4,74,637	4,89,119	4,95,459	6,41,603
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	2,24,249	2,69,983	2,60,357	2,95,552	2,69,337	3,01,136	3,07,476	3,50,528
1. आय पर कर (i+ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	11,861	11,167	10,890	11,780	6,556	9,114	7,067	7,325
i) भूमि राजस्व	2,028	194	196	202	527	852	579	602
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	9,833	10,973	10,694	11,578	6,028	8,261	6,488	6,723
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	1	1	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	2,12,388	2,58,816	2,49,466	2,83,772	2,62,781	2,92,022	3,00,409	3,43,203
i) बिक्री कर (क से च)	1,24,631	1,60,417	1,51,010	1,74,118	1,85,250	2,06,570	2,13,000	2,51,100
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,08,746	1,37,806	1,36,430	1,56,461	1,53,750	1,72,550	1,75,000	2,08,100
ख) केंद्रीय बिक्री कर	13,932	20,346	12,315	15,170	-	-	-	-
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	31,500	34,020	38,000	43,000
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियां	1,953	2,265	2,265	2,487	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	43,183	48,007	48,007	54,946	25,000	26,000	27,000	28,000
iii) वाहन पर कर	13,553	15,698	13,072	13,464	7,766	8,350	9,270	10,124
iv) माल और यात्रियों पर कर	6,239	7,554	8,170	8,255	29,700	31,564	31,550	33,400
v) बिजली पर शुल्क और कर	7,883	10,386	10,386	11,426	15,065	19,538	19,589	20,579
vi) मनोरंजन कर	11	25	25	25	-	-	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	16,889	16,729	18,797	21,539	-	-	-	-
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	83,749	1,03,500	85,935	1,63,482	2,05,300	1,87,983	1,87,983	2,91,075
i) निगम कर	27,463	27,301	34,686	68,172	-	-	-	-
ii) आय कर	17,242	23,571	16,901	30,313	-	-	-	-
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-3	-2	-	-	-	-	-
v) धन पर कर	25	40	33	149	-	-	-	-
vi) सीमा शुल्क	16,010	16,624	14,357	26,418	-	-	-	-
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	13,962	25,425	9,685	21,517	2,05,300	1,87,983	1,87,983	2,91,075
viii) सेवा कर	9,047	10,553	10,278	16,913	-	-	-	-
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-11	-3	-	-	-	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	6,22,801	6,74,350	7,07,329	6,99,820	11,06,460	14,47,092	14,59,820	16,24,618
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	1,75,624	1,61,522	1,78,728	1,77,880	1,12,687	1,21,881	1,29,437	1,30,683
1. ब्याज प्राप्तियां	7,797	10,527	4,490	4,512	2,120	2,124	2,138	2,137
2. लाभांश और लाभ	8,958	265	9,115	9,406	3,000	3,000	3,000	3,000

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	7,157	11,480	11,298	7,744	3,833	3,783	4,913	5,127
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	9,727	11,485	11,469	11,788	3,831	3,911	4,313	4,993
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,687	6,944	6,944	7,173	125	130	180	526
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	819	800	800	857	1,189	1,196	1,334	1,474
iii) परिवार कल्याण	5	7	7	8	—	—	—	—
iv) आवास	205	296	291	296	125	124	174	174
v) शहरी विकास	227	389	389	226	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	465	470	470	566	118	128	139	144
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	355	392	392	413	3	3	5	4
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,818	1,976	1,964	2,111	2,270	2,330	2,480	2,670
ix) अन्य	146	212	212	137	1	1	2	2
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	1,41,985	1,27,765	1,42,356	1,44,430	99,903	1,09,063	1,15,073	1,15,425
i) फसल उत्पादन	540	590	619	850	604	521	599	644
ii) पशुपालन	51	44	44	47	394	443	467	503
iii) मत्स्यपालन	124	109	109	121	208	219	301	301
iv) वानिकी और वन्य जीव	5,540	6,716	6,716	7,177	2,952	3,949	3,311	3,843
v) बागान	2	1	1	1	—	—	—	—
vi) सहकारिता	280	428	466	431	17	17	17	17
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	21	12	12	12	20	18	25	30
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	17	32	34	42	195	196	261	272
ix) लघु सिंचाई	64	71	71	92	227	227	328	335
x) पावर	1,25,543	1,10,500	1,25,000	1,25,000	92,205	1,00,253	1,06,527	1,05,532
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	47	38	38	38	354	196	187	193
xiii) उद्योग @	8,512	7,653	7,953	9,320	1,710	1,815	2,415	3,015
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	10	34	43	12	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	34	27	27	29	124	155	86	100
xvii) अन्य*	1,199	1,510	1,223	1,260	893	1,054	550	640
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	4,47,177	5,12,828	5,28,602	5,21,940	9,93,773	13,25,211	13,30,384	14,93,935
1. राज्य योजना स्कीमें	1,70,038	2,48,071	2,39,501	2,62,082	5,68,624	9,29,565	9,16,726	9,14,013
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	517	2,076	2,366	2,076	—	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	45,579	11,526	36,766	12,399	75,000	80,000	80,000	85,000
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	2,31,044	2,51,155	2,49,968	2,45,383	3,50,149	3,15,646	3,33,658	4,94,922
क) सांविधिक अनुदान	2,15,166	1,99,071	1,97,083	2,32,438	2,64,469	2,49,132	2,51,949	4,17,013
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	10,363	6,368	6,368	12,168	7,075	7,075	10,828	15,921
ग) अन्य	5,515	45,716	46,517	777	78,605	59,439	70,881	61,988

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	16,10,709	17,93,560	19,84,077	20,10,174	43,29,067	48,38,904	46,40,601	53,63,878
I. कर राजस्व (क +ख)	11,10,781	11,81,506	11,32,374	12,30,700	34,79,943	40,36,674	36,33,872	45,28,841
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	5,08,413	6,05,168	5,56,036	5,96,728	27,64,566	32,72,125	29,33,872	36,22,832
1. आय पर कर (i+ii)	—	-13	-13	-14	54,807	60,532	51,999	54,000
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	928	362	1,017	1,000
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	—	-13	-13	-14	53,879	60,170	50,982	53,000
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	42,536	41,000	33,494	36,850	3,18,236	3,65,710	2,77,748	3,64,332
i) भूमि राजस्व	5,275	6,000	6,000	6,600	25,565	9,048	9,048	14,332
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	37,261	35,000	27,494	30,250	2,92,672	3,56,662	2,68,700	3,50,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	4,65,877	5,64,181	5,22,555	5,59,893	23,91,522	28,45,883	26,04,124	32,04,500
i) बिक्री कर (क से च)	3,71,500	4,40,000	4,20,000	4,50,300	14,62,273	17,72,732	15,48,690	20,16,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	3,06,485	3,67,000	3,50,000	3,77,800	13,57,396	17,02,038	14,86,930	19,37,599
ख) केंद्रीय बिक्री कर	65,015	73,000	70,000	72,500	1,04,877	70,694	61,760	78,401
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	35,752	55,000	50,000	52,500	5,74,957	6,50,000	6,73,500	7,42,500
iii) वाहन पर कर	40,060	50,000	40,000	44,000	1,68,116	1,93,750	1,79,500	2,05,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	9,300	10,695	6,406	6,537	1,08,502	1,43,931	1,18,344	1,36,000
v) बिजली पर शुल्क और कर	7,400	8,510	5,249	5,356	37,059	40,508	43,671	50,800
vi) मनोरंजन कर	—	—	924	1,226	15,775	4,665	4,092	11,000
vii) अन्य कर और शुल्क	1,865	-24	-24	-26	24,840	40,296	36,328	43,200
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	6,02,368	5,76,338	5,76,338	6,33,971	7,15,377	7,64,549	7,00,000	9,06,009
i) निगम कर	1,88,666	2,12,726	2,12,726	2,33,999	2,34,584	2,50,706	2,29,539	3,77,784
ii) आय कर	1,26,617	1,19,656	1,19,656	1,31,621	1,47,296	1,57,429	1,44,137	1,67,985
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	—	—	—	—	-11	-15	-13	—
v) धन पर कर	218	214	214	235	225	238	218	825
vi) सीमा शुल्क	1,16,935	1,04,890	1,04,890	1,15,379	1,36,755	1,46,145	1,33,806	1,46,399
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,08,645	68,648	68,648	75,513	1,19,265	1,27,463	1,16,701	1,19,238
viii) सेवा कर	61,287	70,204	70,204	77,224	77,285	82,602	75,628	93,779
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	—	—	—	—	-22	-19	-17	-1
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	4,99,928	6,12,054	8,51,703	7,79,475	8,49,125	8,02,230	10,06,730	8,35,037
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	2,19,474	3,07,258	3,01,487	3,12,964	3,15,899	2,12,951	2,49,481	2,81,990
1. व्याज प्राप्तियां	7,351	16,094	27,048	27,941	33,717	19,892	27,708	13,787
2. लाभांश और लाभ	1,000	1,000	—	—	4,014	3,252	2,511	4,415

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2008-09 (Revised Estimates)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	3,712	3,850	25,966	27,011	67,582	22,194	37,911	38,997
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	6,827	21,553	10,933	16,440	18,571	19,779	21,260	22,825
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,574	4,018	3,341	8,254	7,356	6,300	8,056	9,284
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	776	8,793	1,265	1,356	4,052	7,350	4,818	4,758
iii) परिवार कल्याण	30	35	29	31	32	26	18	37
iv) आवास	94	108	114	120	2,069	1,838	1,808	2,277
v) शहरी विकास	17	20	22	24	50	45	208	43
vi) श्रम और रोजगार	222	2,155	850	1,000	2,429	2,169	2,343	3,484
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,164	4,080	1,002	1,115	2,216	1,732	3,215	2,627
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,130	1,401	924	977	19	21	38	23
ix) अन्य	820	943	3,386	3,564	347	298	755	293
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,00,584	2,64,762	2,37,540	2,41,572	1,92,017	1,47,834	1,60,091	2,01,966
i) फसल उत्पादन	457	9,628	10,926	10,520	1,569	1,748	1,116	1,891
ii) पशुपालन	48	86	88	92	404	331	387	448
iii) मत्स्यपालन	189	259	261	274	613	660	635	626
iv) वानिकी और वन्य जीव	5,000	6,000	1,135	1,179	12,692	13,414	18,703	13,705
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	306	2,080	2,695	2,780	3,730	3,440	4,352	2,729
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	6	37	37	38	8	9	716	50
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	17,312	27,120	11,173	11,758	2,211	1,961	1,731	6,969
ix) लघु सिंचाई	79	91	42	44	1,633	1,164	1,794	1,773
x) पावर	15	17	—	—	8,282	4,741	5,509	7,890
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	47	963	607	655	3,665	3,578	4,371	4,200
xiii) उद्योग @	1,74,270	2,13,058	2,05,248	2,08,715	56,336	67,777	72,638	1,00,746
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	1,110	1,117	1,493	1,170
xv) सड़क परिवहन	25	29	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	103	222	14	14	3,310	3,082	268	3,084
xvii) अन्य*	2,727	5,172	5,317	5,501	96,452	44,811	46,378	56,686
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	2,80,454	3,04,795	5,50,215	4,66,510	5,33,225	5,89,280	7,57,249	5,53,047
1. राज्य योजना स्कीमें	66,512	58,677	1,57,143	1,44,886	2,02,037	2,29,433	2,51,281	2,40,882
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	30,740	24,468	30,455	45,911	9,460	28,576	26,726	55,185
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	1,25,808	1,11,088	84,226	1,24,530	1,52,370	1,73,170	1,70,984	1,30,618
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	57,394	1,10,563	2,78,391	1,51,183	1,69,359	1,58,101	3,08,258	1,26,362
क) सांविधिक अनुदान	10,751	13,089	1,67,771	1,04,557	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	10,316	10,631	48,871	11,694	9,955	10,453	10,453	12,072
ग) अन्य	36,327	86,843	61,749	34,932	1,59,404	1,47,648	2,97,805	1,14,290

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	24,51,217	28,15,389	26,52,649	31,18,082	33,57,720	39,96,103	43,28,439	43,44,382
I. कर राजस्व (क +ख)	20,26,570	23,64,540	21,79,053	25,70,999	24,38,064	27,12,286	28,48,937	29,71,759
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	15,99,018	18,22,828	17,40,347	20,88,423	13,61,405	16,07,545	17,44,196	18,67,018
1. आय पर कर (i+ii)	1,197	852	852	1,200	18,218	19,883	19,883	20,227
i) कृषि आय कर	1,197	852	852	1,200	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	—	—	—	—	18,218	19,883	19,883	20,227
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	2,11,177	2,85,491	1,82,746	2,42,458	1,81,813	1,72,181	1,81,181	2,08,246
i) भूमि राजस्व	4,756	5,250	5,250	15,513	33,884	16,181	16,181	18,246
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	2,00,299	2,72,863	1,70,046	2,18,751	1,47,929	1,56,000	1,65,000	1,90,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	6,122	7,378	7,449	8,194	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	13,86,644	15,36,484	15,56,749	18,44,765	11,61,374	14,15,481	15,43,132	16,38,545
i) बिक्री कर (क से च)	11,37,713	12,73,394	12,73,396	15,12,569	6,84,299	8,01,211	7,89,411	9,32,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	10,91,715	12,55,149	12,55,150	14,91,670	6,32,322	7,53,065	7,41,265	8,80,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	42,538	17,460	17,460	16,400	51,977	48,146	48,146	52,000
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	1	1	—	—	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियां	3,460	785	785	4,500	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	1,39,764	1,44,052	1,58,294	1,83,621	2,30,195	2,76,000	2,85,000	3,40,000
iii) वाहन पर कर	93,745	95,863	1,09,400	1,30,188	77,256	90,000	90,000	1,05,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	—	—	—	—	1,33,257	1,46,000	1,30,000	1,50,000
v) बिजली पर शुल्क और कर	5,600	4,724	4,795	6,440	34,306	1,00,000	2,46,440	1,09,000
vi) मनोरंजन कर	17	351	264	270	1,488	2,248	2,259	2,532
vii) अन्य कर और शुल्क	9,804	18,100	10,600	11,676	573	22	22	13
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	4,27,552	5,41,712	4,38,705	4,82,576	10,76,659	11,04,741	11,04,741	11,04,741
i) निगम कर	1,40,206	1,66,084	1,34,503	1,47,953	3,53,066	4,45,930	4,45,930	4,45,930
ii) आय कर	88,038	1,03,791	84,055	92,461	2,21,697	2,17,280	2,17,280	2,17,280
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-11	-26	-21	-23	-22	-27	-27	-27
v) धन पर कर	136	224	181	199	336	427	427	427
vi) सीमा शुल्क	81,731	1,08,204	87,629	96,392	2,05,809	1,84,573	1,84,573	1,84,573
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	71,281	1,06,309	86,094	94,704	1,79,502	1,24,509	1,24,509	1,24,509
viii) सेवा कर	46,182	57,195	46,320	50,952	1,16,304	1,32,094	1,32,094	1,32,094
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-11	-70	-57	-62	-33	-45	-45	-45
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	4,24,647	4,50,850	4,73,597	5,47,083	9,19,657	12,83,817	14,79,502	13,72,623
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	1,55,928	1,45,958	1,78,032	2,31,431	3,34,286	3,93,654	6,26,230	4,32,246
1. ब्याज प्राप्तियां	8,369	8,920	10,704	11,943	16,329	17,698	1,25,649	16,709
2. लाभांश और लाभ	3,353	3,656	3,656	4,131	6,905	9,791	3,773	7,080

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	81,774	69,787	85,624	97,014	50,754	22,748	62,569	27,869
जिसमें से: राज्य लाटरियां	48,139	47,460	63,145	69,460	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	18,499	18,854	18,610	23,125	44,727	59,362	58,434	72,623
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	13,024	12,895	12,890	16,425	31,897	50,523	50,446	60,881
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,858	4,689	4,206	5,079	2,088	4,304	4,322	4,954
iii) परिवार कल्याण	5	13	5	7	56	50	50	50
iv) आवास	32	97	91	92	1,441	2,760	592	1,563
v) शहरी विकास	99	153	153	172	339	719	197	176
vi) श्रम और रोजगार	628	688	688	745	1,128	472	1,327	1,577
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	84	152	125	137	3,911	4	269	272
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	316	1	1	1	614	442	1,143	650
ix) अन्य	452	166	451	468	3,253	89	89	2,500
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	43,934	44,742	59,438	95,219	2,15,571	2,84,055	3,75,804	3,07,965
i) फसल उत्पादन	1,504	1,649	1,676	1,844	1,551	1,582	1,807	1,539
ii) पशुपालन	296	529	530	316	308	223	223	223
iii) मत्स्यपालन	4,090	384	388	451	193	215	215	235
iv) वानिकी और वन्य जीव	22,371	22,780	27,231	36,011	68,560	85,000	85,000	1,00,000
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	4,202	4,663	4,663	5,269	1,325	1,033	1,033	860
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	7	11	11	12	467	1,140	1,403	1,451
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	850	885	926	1,029	3,708	7,323	7,358	8,231
ix) लघु सिंचाई	293	215	300	312	807	2,752	2,752	2,891
x) पावर	—	—	—	—	2	25,261	1,17,461	25,486
xi) पेट्रोलियम	1	1	1	1	—	—	1	—
xii) गांव और लघु उद्योग	486	825	825	632	78	114	17	18
xiii) उद्योग @	5,725	6,258	16,259	41,800	1,36,759	1,57,190	1,57,225	1,65,635
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	456	272	299	314	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	527	530	530	581	—	—	—	—
xvii) अन्य*	3,126	5,739	5,797	6,646	1,813	2,222	1,309	1,397
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	2,68,719	3,04,892	2,95,564	3,15,652	5,85,371	8,90,163	8,53,272	9,40,377
1. राज्य योजना स्कीमें	1,40,989	1,70,326	1,45,444	1,45,181	2,82,378	4,45,367	3,97,210	5,24,441
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	4,853	—	—	—	20,060	1,14,864	1,15,502	1,29,085
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	67,409	82,014	97,568	1,18,111	1,81,454	1,93,215	2,03,843	2,61,409
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	55,468	52,552	52,552	52,360	1,01,479	1,36,717	1,36,717	25,441
क) सांविधिक अनुदान	20,811	41,326	41,326	41,326	97,796	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	7,423	7,795	7,795	7,795	—	21,441	21,441	21,441
ग) अन्य	27,234	3,431	3,431	3,239	3,683	1,15,276	1,15,276	4,000

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	महाराष्ट्र				मणीपुर			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	81,27,068	89,06,065	88,49,841	97,04,390	3,87,261	4,00,460	4,71,429	5,36,827
I. कर राजस्व (क +ख)	60,04,835	59,55,415	63,95,936	74,72,155	75,088	80,309	80,110	1,23,281
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	52,03,013	50,98,584	55,71,133	63,83,832	17,007	18,228	20,511	28,874
1. आय पर कर (i+ii)	1,56,122	1,60,000	1,51,711	1,60,814	1,546	1,792	1,792	3,000
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	1,56,122	1,60,000	1,51,711	1,60,814	1,546	1,792	1,792	3,000
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	8,83,385	10,37,000	10,15,170	12,12,660	396	520	520	1,500
i) भूमि राजस्व	54,622	77,000	82,748	1,64,774	78	137	137	500
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	8,28,763	9,60,000	9,32,422	10,47,886	318	383	383	1,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	41,63,506	39,01,584	44,04,252	50,10,357	15,065	15,916	18,199	24,374
i) बिक्री कर (क से च)	30,68,053	27,00,600	31,68,828	35,98,618	14,138	14,683	16,966	22,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	27,83,516	18,40,000	21,41,247	24,59,747	14,138	14,683	16,966	22,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	2,71,416	1,20,000	2,84,290	3,07,113	—	—	—	—
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	537	7,40,000	7,34,206	8,28,258	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	981	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियां	11,602	600	9,085	3,500	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,43,376	4,80,000	5,10,000	5,80,000	391	510	510	600
iii) वाहन पर कर	2,22,022	2,60,000	2,60,000	2,86,000	403	560	560	1,500
iv) माल और यात्रियों पर कर	89,195	66,529	66,901	73,857	80	98	98	200
v) बिजली पर शुल्क और कर	2,39,486	3,00,000	3,02,116	3,80,000	39	39	39	44
vi) मनोरंजन कर	43,696	39,000	31,500	34,000	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	57,678	55,455	64,908	57,882	13	26	26	30
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	8,01,822	8,56,831	8,24,803	10,88,323	58,081	62,081	59,599	94,407
i) निगम कर	2,62,881	3,16,272	3,04,342	4,53,812	19,048	22,912	24,054	39,367
ii) आय कर	1,65,077	1,77,900	1,71,286	2,01,792	11,956	12,888	11,720	17,505
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	—	-20	-19	—	—	—	—	—
v) धन पर कर	210	318	306	991	14	23	23	86
vi) सीमा शुल्क	1,53,251	1,55,946	1,50,148	1,75,862	11,103	11,297	9,956	15,256
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,33,697	1,02,062	98,267	1,43,234	9,686	7,394	6,716	12,425
viii) सेवा कर	86,611	1,04,389	1,00,508	1,12,633	6,274	7,567	7,130	9,768
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	94	-36	-35	-1	—	—	—	—
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	21,22,234	29,50,650	24,53,906	22,32,236	3,12,174	3,20,151	3,91,319	4,13,546
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	9,78,994	13,89,412	7,05,470	10,21,579	25,345	20,982	31,307	45,663
1. ब्याज प्राप्तियां	1,01,667	1,11,372	1,29,118	97,195	3,999	3,850	3,850	4,500
2. लाभांश और लाभ	7,116	461	570	6,911	—	1	1	1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	महाराष्ट्र				मणीपुर			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	4,43,610	7,80,908	1,11,589	2,28,359	10,512	7,206	10,585	21,439
जिसमें से: राज्य लाटरियां	4,298	66,337	8,680	75,013	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	89,586	93,273	76,551	1,84,910	978	635	993	1,491
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,651	12,823	12,879	12,879	91	151	151	166
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,122	22,968	21,762	22,611	52	41	52	57
iii) परिवार कल्याण	1,083	1,005	2,069	2,257	—	—	—	—
iv) आवास	2,122	3,936	2,109	2,434	130	174	174	250
v) शहरी विकास	40,140	33,567	12,000	1,20,576	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	5,375	3,250	6,121	4,243	4	4	5	6
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,524	6,378	8,254	8,526	—	—	—	—
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,276	978	1,620	1,539	689	254	600	1,000
ix) अन्य	4,294	8,368	9,735	9,844	11	10	11	12
5. राजकोषीय सेवाएं	153	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	3,36,862	4,03,398	3,87,642	5,04,204	9,857	9,290	15,878	18,232
i) फसल उत्पादन	4,720	3,756	10,112	4,241	7	17	17	19
ii) पशुपालन	1,509	1,817	1,817	1,908	8	11	11	12
iii) मत्स्यपालन	676	733	760	798	12	11	12	50
iv) वानिकी और वन्य जीव	25,976	26,703	26,694	26,695	102	254	254	500
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	8,778	8,025	8,252	9,988	16	13	15	17
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	289	374	374	407	—	1	1	1
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	63,176	78,724	82,464	95,287	800	1,045	1,045	1,500
ix) लघु सिंचाई	4,755	6,336	5,761	7,124	10	11	11	25
x) पावर	41,328	77,300	77,640	76,305	8,828	7,839	14,410	16,000
xi) पेट्रोलियम	2	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	461	205	107	120	4	9	9	10
xiii) उद्योग @	1,21,952	1,37,369	1,25,810	2,15,182	2	11	11	12
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	22	—	—	—	—	5	6	7
xvii) अन्य*	63,217	62,057	47,850	66,148	66	64	76	79
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	11,43,240	15,61,238	17,48,436	12,10,657	2,86,828	2,99,169	3,60,012	3,67,883
1. राज्य योजना स्कीमें	6,68,296	8,48,471	6,52,933	8,34,359	1,49,103	1,73,100	1,92,014	1,99,107
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	13	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	13,910	171	1,110	1,150	1,253	4,942	16,913	10,748
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	1,77,818	1,27,406	4,86,733	2,50,633	32,992	14,666	39,443	19,495
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	2,611	3,730	4,685	4,839
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	2,83,215	5,85,190	6,07,660	1,24,516	1,00,868	1,02,731	1,06,958	1,33,694
क) सांविधिक अनुदान	12	10,000	10,000	10,000	94,789	97,918	1,00,280	1,22,662
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	2,83,203	5,75,190	5,97,660	1,14,516	6,079	4,813	6,678	11,032

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	मेघालय				मिज़ोरम			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	2,81,065	3,80,631	3,80,631	4,39,381	2,65,313	3,00,921	3,21,403	3,25,387
I. कर राजस्व (क +ख)	96,467	1,03,976	1,03,976	1,31,602	47,801	50,969	51,009	68,132
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	36,944	40,360	40,360	46,181	9,462	11,629	11,669	11,826
1. आय पर कर (i+ii)	-647	158	158	239	593	748	748	750
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-647	158	158	239	593	748	748	750
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	604	1,092	1,092	1,159	209	196	261	320
i) भूमि राजस्व	50	281	281	299	163	168	205	250
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	554	811	811	860	46	28	56	70
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	36,988	39,110	39,110	44,783	8,660	10,685	10,660	10,756
i) बिक्री कर (क से च)	28,183	28,942	28,942	32,416	7,751	9,693	9,693	9,693
क) राज्य बिक्री कर / वैट	12,375	18,408	18,408	21,581	5,615	9,693	7,200	7,200
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,076	3,429	3,429	2,991	1	—	3	3
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	2,746	7,100	7,100	7,836	2,067	—	2,400	2,400
घ) बिक्री कर पर अधिभार	747	—	—	—	51	—	64	64
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	1	1
च) अन्य प्राप्तियां	11,240	5	5	9	16	—	26	26
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	6,979	8,015	8,015	10,019	187	184	184	206
iii) वाहन पर कर	1,321	1,448	1,448	1,564	550	649	622	680
iv) माल और यात्रियों पर कर	331	433	433	460	143	118	120	132
v) बिजली पर शुल्क और कर	3	120	120	126	—	—	—	—
vi) मनोरंजन कर	—	70	70	111	28	—	41	45
vii) अन्य कर और शुल्क	170	83	83	87	—	41	1	1
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	59,523	63,616	63,616	85,421	38,339	39,340	39,340	56,306
i) निगम कर	19,501	23,481	23,481	35,614	12,568	15,881	15,881	23,481
ii) आय कर	12,259	13,208	13,208	15,836	7,891	7,738	7,738	10,441
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	—	-2	-2	—	—	-1	-1	—
v) धन पर कर	25	24	24	78	11	15	15	51
vi) सीमा शुल्क	11,381	11,578	11,578	13,801	7,330	6,573	6,573	9,099
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	9,925	7,578	7,578	11,241	6,399	4,434	4,434	7,411
viii) सेवा कर	6,432	7,752	7,752	8,851	4,140	4,702	4,702	5,823
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	—	-3	-3	—	—	-2	-2	—
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	1,84,598	2,76,655	2,76,655	3,07,779	2,17,512	2,49,952	2,70,394	2,57,255
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	22,531	24,049	24,049	26,122	15,867	18,114	14,302	16,637
1. ब्याज प्राप्तियां	1,782	1,123	1,123	1,224	3,291	617	1,801	2,621
2. लाभांश और लाभ	3	5	5	5	—	—	—	—

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	मेघालय				मिज़ोरम			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	4,648	2,763	2,763	3,074	1,213	2,283	2,586	1,418
जिसमें से: राज्य लाटरियां	862	963	963	1,080	301	290	800	896
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	385	1,490	1,490	1,702	825	1,003	987	1,296
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	93	114	114	131	52	81	91	105
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	74	108	108	119	55	75	30	32
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आवास	15	25	25	24	45	63	67	74
v) शहरी विकास	36	5	5	41	3	—	12	15
vi) श्रम और रोजगार	58	112	112	124	—	—	—	—
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	42	42	48	—	56	56	56
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	104	1,071	1,071	1,200	657	721	721	1,000
ix) अन्य	2	13	13	15	13	7	10	14
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	15,713	18,668	18,668	20,117	10,538	14,211	8,928	11,302
i) फसल उत्पादन	322	326	326	350	18	38	38	46
ii) पशुपालन	137	135	135	155	57	65	70	75
iii) मत्स्यपालन	4	8	8	9	6	4	11	15
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,736	2,035	2,035	2,277	220	463	238	280
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	9	78	78	85	2	2	2	2
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	110	130	130	149	94	75	83	110
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	39	8	8	9	—	—	—	—
x) पावर	—	200	200	200	9,340	12,790	7,607	9,965
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	25	39	39	45	8	18	19	20
xiii) उद्योग @	13,273	15,463	15,463	16,545	154	270	150	150
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	207	169	188	191
xvi) पर्यटन	—	4	4	4	111	110	110	125
xvii) अन्य*	58	242	242	289	320	207	411	322
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	1,62,067	2,52,606	2,52,606	2,81,657	2,01,645	2,31,838	2,56,092	2,40,618
1. राज्य योजना स्कीमें	95,787	1,53,781	1,53,781	1,59,363	91,961	1,13,112	1,50,540	1,40,619
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	818	1,585	1,585	1,602	1,951	8	8	—
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	15,899	49,290	49,290	59,070	28,488	14,690	25,164	19,325
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	5,570	7,650	7,650	9,268	5,783	3,540	5,884	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	43,992	40,300	40,300	52,354	73,462	1,00,488	74,497	80,674
क) सांविधिक अनुदान	35,584	31,215	31,215	39,300	63,400	64,491	64,491	71,500
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	923	951	951	1,419	4,960	555	555	870
ग) अन्य	7,486	8,134	8,134	11,635	5,102	35,442	9,451	8,304

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	नागालैण्ड				उड़ीसा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	3,40,089	3,90,989	3,95,334	5,35,437	24,61,001	26,55,009	27,67,753	31,44,530
I. कर राजस्व (क +ख)	57,786	69,725	58,928	86,040	16,27,516	17,04,938	17,41,593	20,36,418
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	15,602	15,591	15,643	20,330	7,99,520	8,19,989	8,92,000	10,36,001
1. आय पर कर (i+ii)	1,986	1,871	1,871	2,500	11,218	9,529	13,472	14,500
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	1,986	1,871	1,871	2,500	11,218	9,529	13,472	14,500
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	161	183	183	198	84,446	65,884	84,445	91,201
i) भूमि राजस्व	60	75	75	81	34,879	27,325	34,879	37,670
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	101	108	108	117	49,566	38,559	49,566	53,532
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	13,455	13,537	13,588	17,633	7,03,857	7,44,576	7,94,083	9,30,300
i) बिक्री कर (क से च)	11,470	11,564	11,564	15,500	4,80,334	5,11,604	5,38,238	6,27,326
क) राज्य बिक्री कर / वैट	11,470	11,564	11,564	15,500	4,26,873	4,88,927	4,66,172	5,45,454
ख) केंद्रीय बिक्री कर	—	—	—	—	53,461	22,677	72,066	81,872
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	334	335	335	362	66,007	70,767	79,208	95,050
iii) वाहन पर कर	1,414	1,400	1,450	1,512	52,443	60,000	60,309	71,342
iv) माल और यात्रियों पर कर	234	235	235	254	63,832	58,090	68,938	78,590
v) बिजली पर शुल्क और कर	3	2	3	3	36,503	41,010	41,979	52,177
vi) मनोरंजन कर	—	—	—	—	1,858	218	1,022	1,216
vii) अन्य कर और शुल्क	—	1	1	1	2,881	2,887	4,390	4,599
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	42,184	54,134	43,285	65,710	8,27,996	8,84,949	8,49,593	10,00,417
i) निगम कर	13,819	17,755	17,476	27,409	2,71,497	3,26,652	2,65,081	4,17,151
ii) आय कर	8,694	11,149	8,515	12,187	1,70,497	1,83,739	1,61,027	1,85,490
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	—	-1	-1	—	-11	-38	-24	—
v) धन पर कर	11	17	17	60	261	329	333	911
vi) सीमा शुल्क	8,069	10,350	7,233	10,621	1,58,280	1,61,064	1,65,715	1,61,655
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	7,037	9,026	4,879	8,651	1,38,039	1,05,412	1,75,968	1,31,663
viii) सेवा कर	4,554	5,840	5,168	6,782	89,455	1,07,812	81,521	1,03,548
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	—	-2	-2	—	-22	-21	-28	-1
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	2,82,302	3,21,264	3,36,407	4,49,397	8,33,485	9,50,071	10,26,159	11,08,112
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	18,055	16,505	14,055	16,616	3,17,615	2,24,227	2,91,191	3,16,598
1. व्याज प्राप्तियां	1,157	650	750	450	65,467	21,133	29,997	20,000
2. लाभांश और लाभ	—	—	—	—	25,285	10,000	5,000	10,000

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	नागालैण्ड				उड़ीसा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	3,183	1,429	1,429	2,005	49,138	18,164	57,303	19,513
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	497	543	575	591	11,422	13,390	12,654	12,909
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	55	30	30	32	1,065	4,605	1,100	1,122
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17	19	19	20	3,218	1,529	3,500	3,570
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	18	14	14	14
iv) आवास	297	344	372	344	1,217	1,700	1,700	1,734
v) शहरी विकास	2	—	1	2	66	37	37	38
vi) श्रम और रोजगार	3	5	5	5	501	639	639	652
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	25	22	26	29	32	34	34	35
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	98	119	119	156	4,874	4,231	5,031	5,132
ix) अन्य	—	3	3	3	432	600	599	612
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	13,218	13,883	11,301	13,570	1,66,303	1,61,540	1,86,236	2,54,175
i) फसल उत्पादन	11	14	14	15	713	990	990	1,010
ii) पशुपालन	43	100	60	65	101	167	167	170
iii) मत्स्यपालन	3	1	3	3	345	504	350	357
iv) वानिकी और वन्य जीव	478	749	749	1,000	13,929	8,000	12,000	10,000
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	79	6	6	7	201	373	350	357
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1	5	5	5	92	91	92	94
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	4,741	7,977	8,903	11,079
ix) लघु सिंचाई	2	1	2	2	532	1,030	1,030	1,051
x) पावर	11,149	11,600	8,850	10,737	63	164	164	167
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	67	24	70	76	17	62	25	26
xiii) उद्योग @	89	8	95	103	1,38,067	1,35,028	1,55,008	2,22,566
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	67	246	246	251
xv) सड़क परिवहन	938	1,297	1,297	1,401	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	13	30	30	32	18	51	51	52
xvii) अन्य*	346	47	119	124	7,418	6,856	6,860	6,995
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	2,64,247	3,04,760	3,22,351	4,32,781	5,15,870	7,25,843	7,34,968	7,91,514
1. राज्य योजना स्कीमें	90,295	1,15,283	1,29,963	1,79,699	2,63,253	3,36,541	3,27,161	3,89,540
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	28,665	45,130	36,235	50,840	11,941	73,711	79,208	1,09,394
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	1,16,476	1,52,542	1,63,311	1,79,739
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	3,580	4,049	2,198	4,618	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	1,41,708	1,40,297	1,53,955	1,97,623	1,24,200	1,63,050	1,65,288	1,12,841
क) सांविधिक अनुदान	1,16,817	1,21,258	1,21,258	1,59,877	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	312	322	322	447	32,450	17,650	17,650	29,369
ग) अन्य	24,579	18,717	32,375	37,299	91,751	1,45,400	1,47,638	83,472

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्ति (जारी)

(लाख रुपये)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	20,71,279	24,07,234	25,45,225	28,61,733	33,46,880	38,26,796	37,20,713	42,46,349
I. कर राजस्व (क +ख)	13,23,420	16,58,969	16,38,413	19,21,563	23,94,217	26,35,996	25,92,143	31,27,307
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	11,15,019	14,06,239	13,85,683	16,30,800	14,94,345	16,74,229	16,66,330	19,02,086
1. आय पर कर (i+ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	1,74,573	2,21,997	2,03,100	2,41,200	1,74,707	2,11,006	1,96,016	2,28,506
i) भूमि राजस्व	1,544	1,997	1,600	1,700	16,252	25,006	16,016	18,506
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	1,73,029	2,20,000	2,01,500	2,39,500	1,35,663	1,65,000	1,45,000	1,65,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	22,791	21,000	35,000	45,000
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	9,40,446	11,84,242	11,82,583	13,89,600	13,19,639	14,63,223	14,70,314	16,73,580
i) बिक्री कर (क से च)	6,43,562	8,32,000	8,32,000	9,60,000	8,90,450	10,03,000	10,20,000	11,73,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	6,16,642	-	82,000	-	8,20,690	9,34,364	9,50,364	11,23,883
ख) केंद्रीय बिक्री कर	26,921	8,32,000	7,50,000	9,60,000	46,248	43,036	43,036	21,518
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	-	-	-	-	23,512	25,599	26,599	27,599
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	1,80,995	2,00,083	2,00,083	2,52,000	2,16,989	2,30,000	2,20,000	2,45,000
iii) वाहन पर कर	52,409	61,056	58,500	64,500	1,21,356	1,30,000	1,30,000	1,45,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	18,986	22,500	22,500	25,200
v) बिजली पर शुल्क और कर	63,133	90,003	85,000	98,000	65,404	70,723	70,814	77,880
vi) मनोरंजन कर	81	1,100	3,500	15,100	1,759	2,000	2,000	2,100
vii) अन्य कर और शुल्क	265	-	3,500	-	4,694	5,000	5,000	5,400
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	2,08,401	2,52,730	2,52,730	2,90,763	8,99,872	9,61,767	9,25,813	12,25,221
i) निगम कर	68,351	79,998	79,998	1,21,244	2,95,081	3,55,007	3,81,009	5,10,899
ii) आय कर	42,909	50,839	50,839	53,912	1,85,290	1,99,688	2,12,238	2,27,176
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-3	-3	-3	-11	-23	-	-
v) धन पर कर	64	70	70	265	275	357	862	1,116
vi) सीमा शुल्क	39,836	50,665	50,665	46,984	1,72,020	1,75,045	1,29,573	1,97,984
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	34,743	43,113	43,113	38,267	1,50,018	1,14,562	1,04,373	1,61,252
viii) सेवा कर	22,509	28,047	28,047	30,094	97,221	1,17,172	97,759	1,26,795
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-11	-	-	-	-22	-41	-1	-1
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	7,47,860	7,48,266	9,06,812	9,40,169	9,52,663	11,90,800	11,28,570	11,19,042
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	5,78,391	5,43,261	6,27,439	6,64,872	3,88,846	5,28,300	5,12,696	4,97,592
1. ब्याज प्राप्ति	18,198	13,776	27,300	14,300	1,19,596	1,18,932	1,16,934	1,12,925
2. लाभांश और लाभ	78	160	80	90	4,339	4,290	3,963	3,811

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	4,75,014	4,71,745	5,32,213	5,56,942	83,771	1,58,534	1,63,010	57,368
जिसमें से: राज्य लाटरियां	3,56,574	3,72,459	4,05,459	4,07,987	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	25,742	24,603	25,766	25,817	31,305	33,700	34,741	37,993
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,506	3,593	3,900	4,200	4,452	3,761	3,535	3,953
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,763	5,613	3,900	4,300	3,687	3,184	4,100	4,278
iii) परिवार कल्याण	12	39	13	15	29	31	31	31
iv) आवास	206	255	200	200	480	664	664	700
v) शहरी विकास	11,308	8,290	12,400	11,200	66	66	200	200
vi) श्रम और रोजगार	889	1,103	1,000	1,100	498	370	478	478
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,244	1,249	153	202	213	365	365	420
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,732	4,400	4,100	4,500	21,527	25,000	25,000	27,500
ix) अन्य	82	61	100	100	353	258	368	433
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	59,359	32,978	42,080	67,722	1,49,836	2,12,844	1,94,047	2,85,494
i) फसल उत्पादन	923	1,077	1,049	1,083	244	269	320	370
ii) पशुपालन	601	634	700	700	846	175	175	225
iii) मत्स्यपालन	108	155	118	131	740	2,000	2,000	2,000
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,552	1,600	1,500	1,700	5,774	5,679	5,774	6,150
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	455	600	500	550	1,813	3,000	3,019	2,381
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2,975	3,492	3,300	3,600	335	512	500	600
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	1,185	2,958	10,000	29,924	5,416	5,976	5,452	6,127
ix) लघु सिंचाई	19	16	15	15	1,736	2,820	2,500	3,350
x) पावर	—	—	—	—	330	320	732	827
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	848	43,100	11,000	83,100
xii) गांव और लघु उद्योग	137	139	150	166	83	85	90	92
xiii) उद्योग @	3,708	3,000	4,003	4,003	1,27,616	1,45,112	1,56,560	1,76,360
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	11,586	15,140	7,500	11,000	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	—	—	—	—	1,774	1,520	1,020	1,520
xvii) अन्य*	36,110	4,167	13,245	14,850	2,281	2,276	4,906	2,393
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	1,69,468	2,05,004	2,79,373	2,75,297	5,63,817	6,62,501	6,15,873	6,21,450
1. राज्य योजना स्कीमें	62,945	87,287	87,287	87,287	2,07,763	2,13,119	2,22,404	2,51,234
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	2,928	18,933	43,888	39,228	6,728	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	54,416	53,921	99,589	99,828	2,22,148	3,20,093	2,21,184	2,32,588
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	49,179	44,863	48,610	48,954	1,27,178	1,29,289	1,72,286	1,37,628
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	70,400	81,855	89,708	52,975
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	36,087	37,890	37,890	37,890
ग) अन्य	49,179	44,863	48,610	48,954	20,692	9,544	44,688	46,763

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	2,67,124	2,98,923	3,49,973	3,58,516	55,04,252	58,27,114	54,29,014	63,09,174
I. कर राजस्व (क +ख)	56,339	55,090	55,775	71,162	42,19,517	47,67,421	44,15,411	51,84,001
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	18,460	17,720	18,405	21,124	33,68,437	38,57,800	35,39,633	41,43,832
1. आय पर कर (i+ii)	156	168	175	190	1	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	1	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	156	168	175	190	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	630	699	709	695	4,01,319	5,14,192	3,51,951	4,15,381
i) भूमि राजस्व	195	345	345	382	20,773	2,998	8,787	3,879
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	435	354	364	313	3,79,368	5,09,399	3,41,370	4,09,618
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	1,179	1,794	1,794	1,884
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	17,673	16,853	17,522	20,239	29,67,117	33,43,608	31,87,682	37,28,451
i) बिक्री कर (क से च)	10,114	9,650	9,948	11,850	20,67,470	23,24,253	22,17,796	25,50,465
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,609	3,248	3,248	3,650	19,02,904	22,04,902	20,55,561	23,63,895
ख) केंद्रीय बिक्री कर	455	200	200	200	1,64,565	1,19,351	1,62,235	1,86,570
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियां	7,050	6,202	6,500	8,000	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,646	4,760	4,836	5,550	5,75,552	6,56,556	6,52,885	7,50,818
iii) वाहन पर कर	694	780	800	900	1,70,957	1,99,438	1,95,300	2,39,642
iv) माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	97,874	1,00,980	99,546	1,14,478
v) बिजली पर शुल्क और कर	-	-	-	-	35,569	36,178	4,216	52,873
vi) मनोरंजन कर	57	70	70	76	1,224	440	592	710
vii) अन्य कर और शुल्क	2,161	1,593	1,868	1,863	18,472	25,764	17,346	19,464
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	37,879	37,370	37,370	50,038	8,51,080	9,09,621	8,75,778	10,40,169
i) निगम कर	11,930	15,084	15,084	20,862	2,79,098	3,35,766	3,53,404	4,33,736
ii) आय कर	8,961	7,350	7,350	9,278	1,75,250	1,88,865	1,72,658	1,92,865
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-1	-1	-	-11	-21	-21	-
v) धन पर कर	11	14	14	46	261	338	338	947
vi) सीमा शुल्क	6,963	6,243	6,243	8,084	1,62,698	1,65,558	1,45,904	1,68,082
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	6,074	4,212	4,212	6,585	1,41,889	1,08,353	98,423	1,36,898
viii) सेवा कर	3,940	4,469	4,469	5,183	91,928	1,10,801	1,05,108	1,07,642
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-1	-1	-	-33	-39	-36	-1
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	2,10,786	2,43,834	2,94,198	2,87,354	12,84,734	10,59,693	10,13,603	11,25,173
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	1,20,531	1,17,229	1,32,271	1,27,457	5,71,233	3,40,427	4,39,993	4,10,128
1. ब्याज प्राप्तियां	2,594	308	2,408	2,558	1,46,508	97,773	1,60,210	1,36,467
2. लाभांश और लाभ	131	75	126	126	3,601	1,601	1,917	797

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	97,796	96,902	97,520	1,00,978	67,554	68,730	72,995	63,710
जिसमें से: राज्य लाटरियां	95,702	94,341	94,341	97,385	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	777	553	656	532	59,463	63,595	1,20,577	1,11,612
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	179	85	121	121	30,274	32,091	43,469	53,132
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	96	55	81	56	14,153	11,411	10,551	11,564
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	2,623	6,914	2,914	2,914
iv) आवास	27	36	36	36	2,962	4,478	3,845	4,175
v) शहरी विकास	160	94	136	13	605	775	51,364	30,917
vi) श्रम और रोजगार	24	10	10	10	4,115	3,414	3,818	4,178
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	1	1	2	3,265	3,593	3,670	3,746
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	258	260	260	282	18	28	28	28
ix) अन्य	32	12	12	12	1,448	892	917	956
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	12	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	19,234	19,391	31,562	23,264	2,94,094	1,08,727	84,294	97,542
i) फसल उत्पादन	71	34	42	42	7,353	8,607	8,460	8,777
ii) पशुपालन	30	45	45	45	808	868	866	876
iii) मत्स्यपालन	1	2	2	2	1,955	3,169	494	519
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,126	810	1,000	1,100	8,265	7,201	3,963	9,015
v) बागान	235	250	250	270	—	—	—	—
vi) सहकारिता	1	—	—	—	1,869	2,103	2,093	1,958
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	10	—	—	2,420	2,696	2,786	3,192
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	2,547	2,073	4,478	1,990
ix) लघु सिंचाई	138	12	12	21	732	236	118	118
x) पावर	15,474	16,500	28,100	19,000	—	—	—	—
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	1	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	8	25	25	25	850	772	873	952
xiii) उद्योग @	35	25	34	34	2,57,377	72,512	53,786	63,478
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	275	446
xv) सड़क परिवहन	1,764	1,535	1,777	2,120	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	211	130	211	311	2,561	2,800	2,800	2,800
xvii) अन्य*	140	13	64	294	7,355	5,690	3,301	3,422
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	90,255	1,26,605	1,61,927	1,59,896	7,13,501	7,19,266	5,73,610	7,15,045
1. राज्य योजना स्कीमें	63,523	92,476	1,26,215	1,08,536	3,37,769	2,83,593	2,36,385	2,88,924
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	420	520	521	424	10,111	20,799	13,637	11,304
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	16,806	23,412	24,969	28,437	1,02,973	1,00,611	1,09,117	1,60,830
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	2,844	7,116	7,125	9,090	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	6,661	3,081	3,098	13,409	2,62,649	3,14,263	2,14,472	2,53,987
क) सांविधिक अनुदान	2,194	—	—	—	80,502	37,023	89,598	72,513
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	2,271	1,478	1,478	2,048	22,917	14,295	14,295	22,014
ग) अन्य	2,196	1,603	1,620	11,361	1,59,230	2,62,945	1,10,579	1,59,460

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	4,07,678	4,61,387	4,68,005	5,51,254	8,63,489	10,94,767	10,95,219	12,15,880
I. कर राजस्व (क +ख)	1,12,902	1,27,955	1,26,359	1,73,605	4,55,150	5,07,477	5,07,477	6,36,890
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	44,250	54,580	52,984	66,705	3,04,491	3,52,877	3,52,877	4,02,430
1. आय पर कर (i+ii)	2,615	3,077	2,925	3,200	609	685	685	800
i) कृषि आय कर	18	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	2,598	3,077	2,925	3,200	609	685	685	800
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	2,261	2,877	2,437	4,300	37,536	43,037	43,037	43,738
i) भूमि राजस्व	555	620	564	1,500	1,790	768	768	1,173
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	1,703	2,257	1,873	2,800	35,746	42,269	42,269	42,565
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	3	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	39,375	48,626	47,622	59,205	2,66,347	3,09,156	3,09,156	3,57,892
i) बिक्री कर (क से च)	31,479	39,600	37,434	47,500	1,91,064	2,22,080	2,22,080	2,58,600
क) राज्य बिक्री कर / वैट	31,479	39,600	37,434	47,500	1,73,414	1,55,080	1,55,080	1,81,450
ख) केंद्रीय बिक्री कर	—	—	—	—	16,824	6,000	6,000	6,000
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	3	60,000	60,000	70,000
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्तियां	—	—	—	—	824	1,000	1,000	1,150
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,828	4,654	6,111	7,000	52,835	59,822	59,822	68,693
iii) वाहन पर कर	2,982	3,426	3,715	4,500	16,698	19,309	19,309	22,530
iv) माल और यात्रियों पर कर	—	—	—	—	—	—	—	—
v) बिजली पर शुल्क और कर	2	2	4	5	5,161	7,200	7,200	7,200
vi) मनोरंजन कर	41	—	—	—	587	700	700	800
vii) अन्य कर और शुल्क	43	944	358	200	—	44	44	68
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	68,652	73,375	73,375	1,06,900	1,50,659	1,54,600	1,54,600	2,34,460
i) निगम कर	22,520	18,416	18,416	27,416	49,395	62,394	62,394	97,763
ii) आय कर	14,140	13,738	13,738	22,550	31,017	30,402	30,402	43,471
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	—	—	—	—	—	-4	-4	—
v) धन पर कर	25	5,853	5,853	7,553	50	60	60	214
vi) सीमा शुल्क	13,123	13,166	13,166	17,174	28,797	25,825	25,825	37,885
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	11,442	12,228	12,228	19,630	25,118	17,421	17,421	30,856
viii) सेवा कर	7,402	9,974	9,974	12,577	16,282	18,496	18,496	24,271
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	—	—	—	—	—	6	6	—
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	2,94,776	3,33,432	3,41,646	3,77,649	4,08,338	5,87,290	5,87,742	5,78,990
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	14,904	15,816	14,918	19,020	69,935	1,42,869	1,42,869	1,11,501
1. ब्याज प्राप्तियां	6,293	2,000	3,000	2,500	6,849	5,428	5,428	6,201
2. लाभांश और लाभ	—	30	10	20	23	25	25	78

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	5,332	10,182	6,644	10,671	10,107	72,853	72,853	37,058
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	906	925	1,474	1,722	5,813	6,834	6,834	4,781
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	155	150	162	200	2,866	3,430	3,430	1,917
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	452	512	500	800	684	757	757	1,148
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	1	2	2	2
iv) आवास	113	149	405	300	161	200	200	200
v) शहरी विकास	—	—	—	—	1,110	1,250	1,250	400
vi) श्रम और रोजगार	26	19	40	40	182	223	223	223
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3	3	6	7	94	100	100	280
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	123	75	295	300	8	10	10	10
ix) अन्य	34	17	66	75	706	862	862	602
5. राजकोषीय सेवाएँ	1	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,372	2,679	3,791	4,108	47,143	57,729	57,729	63,382
i) फसल उत्पादन	170	200	177	250	362	499	499	489
ii) पशुपालन	156	170	301	300	151	157	157	179
iii) मत्स्यपालन	189	140	340	350	6	7	7	3
iv) वानिकी और वन्य जीव	557	599	585	700	20,716	21,927	21,927	26,610
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	5	59	20	25	319	732	732	518
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	2	3	3	4
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	764	631	631	332
ix) लघु सिंचाई	71	12	250	210	146	200	200	200
x) पावर	—	—	—	—	17,137	22,074	22,074	23,000
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	2	8	5	10	60	80	80	72
xiii) उद्योग @	938	1,125	1,200	1,400	6,448	9,100	9,100	9,902
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	14	—	—	—	50	265	265	300
xvi) पर्यटन	62	79	250	209	318	615	615	400
xvii) अन्य*	208	287	663	653	663	1,441	1,441	1,375
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	2,79,872	3,17,616	3,26,728	3,58,629	3,38,403	4,44,421	4,44,873	4,67,489
1. राज्य योजना स्कीमें	1,20,347	1,47,535	1,50,830	1,87,601	1,90,593	2,87,725	2,87,725	3,22,272
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	3,049	900	950	1,235	797	2,493	2,722	7,872
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	20,050	23,915	30,314	29,765	20,045	34,561	34,784	53,436
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	4,489	19,036	16,734	18,000	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	1,31,936	1,26,230	1,27,900	1,22,028	1,26,967	1,19,642	1,19,642	83,909
क) सांविधिक अनुदान	1,20,811	1,13,318	1,13,318	1,05,400	1,08,129	1,10,194	1,10,194	66,199
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	1,022	1,609	1,834	11,247	7,639	7,639	10,589
ग) अन्य	11,125	11,890	12,973	14,794	7,592	1,809	1,809	7,121

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	77,83,073	94,43,984	98,12,440	1,11,62,061	36,90,440	42,31,241	39,41,649	47,57,236
I. कर राजस्व (क +ख)	59,56,469	73,11,420	66,96,669	77,82,309	25,74,093	33,37,292	28,56,665	35,21,379
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	28,65,897	33,45,582	35,25,489	42,30,587	14,41,915	19,47,642	16,91,665	20,00,773
1. आय पर कर (i+ii)	2,090	2,295	2,376	2,584	32,511	38,670	35,762	39,338
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	351	140	386	425
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	2,090	2,295	2,376	2,584	32,160	38,530	35,376	38,913
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	4,68,755	5,53,204	5,36,359	5,94,188	2,49,336	3,71,084	2,96,962	3,54,961
i) भूमि राजस्व	54,928	18,102	18,740	20,489	98,378	1,71,187	1,08,266	1,19,093
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	4,13,827	5,35,102	5,17,619	5,73,699	1,50,949	1,99,826	1,88,686	2,35,857
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	9	72	9	10
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	23,95,052	27,90,083	29,86,755	36,33,815	11,60,068	15,37,888	13,58,941	16,06,475
i) बिक्री कर (क से च)	17,48,205	20,74,127	21,96,385	26,97,834	8,95,509	12,04,685	10,38,791	12,25,773
क) राज्य बिक्री कर / वैट	14,12,589	19,10,973	20,28,662	24,89,348	8,12,210	10,65,797	9,42,164	11,11,753
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,43,805	1,48,152	1,57,372	1,93,118	82,102	1,36,005	95,239	1,12,382
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	1,358	—	—	—	20	10	23	28
घ) बिक्री कर पर अधिभार	22,453	—	—	—	1,009	2,786	1,171	1,382
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	156	75	181	214
च) अन्य प्राप्तियां	1,68,000	15,002	10,351	15,367	11	12	13	15
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,72,001	5,17,645	5,69,531	6,76,323	1,08,294	1,33,850	1,40,783	1,75,978
iii) वाहन पर कर	1,12,466	87,489	98,543	1,17,021	60,801	77,408	74,178	89,013
iv) माल और यात्रियों पर कर	26,649	70,000	77,447	91,969	-4	137	175	192
v) बिजली पर शुल्क और कर	21,672	25,005	25,886	28,150	58,752	80,051	64,627	71,090
vi) मनोरंजन कर	12,985	15,244	18,274	21,700	3,819	3,682	4,801	5,221
vii) अन्य कर और शुल्क	1,074	573	688	817	32,896	38,075	35,587	39,206
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	30,90,572	39,65,838	31,71,180	35,51,722	11,32,178	13,89,649	11,65,000	15,20,606
i) निगम कर	10,13,447	12,07,832	12,80,047	14,33,653	3,71,255	4,55,687	4,67,458	6,34,063
ii) आय कर	6,36,388	7,81,099	6,23,703	6,98,547	2,33,128	2,86,146	2,30,014	2,81,942
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-33	-194	-77	-86	-11	-19	-28	—
v) धन पर कर	961	1,629	1,226	1,373	350	433	448	1,385
vi) सीमा शुल्क	5,90,792	7,86,907	5,29,820	5,93,398	2,16,423	2,65,637	1,95,848	2,45,712
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	5,15,247	7,73,125	3,57,404	4,00,292	1,88,752	2,31,680	1,31,822	2,00,126
viii) सेवा कर	3,33,869	4,15,952	3,79,186	4,24,689	1,22,314	1,50,130	1,39,485	1,57,379
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-99	-512	-129	-144	-33	-45	-47	-1
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	18,26,604	21,32,564	31,15,771	33,79,752	11,16,347	8,93,950	10,84,984	12,35,857
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	6,76,655	5,62,692	15,20,548	14,98,548	4,96,640	2,72,907	3,17,299	3,51,753
1. ब्याज प्राप्तियां	96,387	1,07,995	1,07,995	1,07,995	3,99,990	1,29,220	95,494	98,707
2. लाभांश और लाभ	4,954	592	4,954	14,954	605	823	695	800

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	2,11,958	1,68,792	9,60,116	7,68,161	29,481	41,517	38,998	61,793
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	3,061	4,432	3,521	4,049
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	1,82,857	27,222	2,26,928	3,32,218	14,884	25,093	23,155	25,818
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,08,062	9,622	1,96,968	2,98,749	4,462	2,866	5,200	5,973
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	61,884	8,186	15,249	13,118	6,636	15,561	13,603	14,846
iii) परिवार कल्याण	34	200	298	316	50	36	57	66
iv) आवास	1,147	4,062	4,055	4,055	907	1,281	1,056	1,215
v) शहरी विकास	25	3,890	3,262	3,458	808	2,603	930	1,069
vi) श्रम और रोजगार	1,495	796	1,495	1,585	553	671	623	709
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,407	448	3,407	8,611	764	1,682	879	1,010
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,609	—	—	—	202	176	232	267
ix) अन्य	2,194	18	2,194	2,326	502	219	577	663
5. राजकोषीय सेवाएँ	6	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	1,80,494	2,58,092	2,20,556	2,75,220	51,680	76,255	1,58,957	1,64,635
i) फसल उत्पादन	4,964	4,067	4,964	5,262	509	756	586	674
ii) पशुपालन	1,666	2,119	2,832	3,143	555	605	639	734
iii) मत्स्यपालन	473	338	371	393	411	962	1,558	1,498
iv) वानिकी और वन्य जीव	27,192	18,520	30,115	31,500	4,533	6,614	5,214	5,996
v) बागान	—	—	—	—	7	51	8	10
vi) सहकारिता	2,647	1,050	1,612	1,709	448	679	517	596
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,329	433	483	508	29	44	33	38
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	26,327	14,984	23,000	55,820	693	914	797	917
ix) लघु सिंचाई	3,165	1,697	2,500	3,125	2,033	2,588	2,338	2,689
x) पावर	46,225	90,000	50,850	27,000	1	1	1	1
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	1	2	1	1
xii) गांव और लघु उद्योग	263	9	8	9	384	619	441	507
xiii) उद्योग @	47,750	51,779	68,432	83,906	1,258	1,316	1,447	1,664
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	12	13	14	16
xv) सड़क परिवहन	779	218	779	779	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	3,245	100	209	221	290	476	334	635
xvii) अन्य*	14,468	72,778	34,400	61,845	40,516	60,614	1,45,030	1,48,660
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	11,49,948	15,69,872	15,95,223	18,81,204	6,19,707	6,21,042	7,67,685	8,84,104
1. राज्य योजना स्कीमें	5,19,576	5,67,904	6,05,611	7,70,833	3,01,594	2,68,163	3,70,187	3,40,729
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारेअग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीम	23,536	422	25	25	7,447	11,543	17,072	26,011
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	2,92,325	5,89,420	5,70,070	9,28,775	1,68,719	2,28,079	2,26,680	2,45,106
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	3,14,512	4,12,126	4,19,517	1,81,571	1,41,948	1,13,257	1,53,745	2,72,258
क) सांविधिक अनुदान	2,81,429	3,28,392	3,20,889	68,900	1,14,598	86,013	80,935	1,22,656
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	24,215	24,956	39,851	24,955	19,207	19,793	36,480	—
ग) अन्य	8,867	58,778	58,777	87,716	8,143	7,451	36,330	1,49,602

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	सभी राज्य			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	6,94,65,738	8,04,94,309	8,07,38,814	9,13,03,807
I. कर राजस्व (क +ख)	4,82,98,277	5,52,24,259	5,31,00,371	6,27,14,723
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	3,21,93,040	3,66,52,265	3,65,52,716	4,26,68,155
1. आय पर कर (i+ii)	3,55,410	3,80,411	3,67,798	3,97,672
i) कृषि आय कर	4,313	3,354	7,256	8,125
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	3,51,098	3,77,058	3,60,543	3,89,547
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	41,38,268	48,21,782	44,45,906	52,74,559
i) भूमि राजस्व	4,83,435	4,78,041	4,58,823	5,94,275
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	36,06,635	42,93,696	39,23,030	46,03,896
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	48,198	50,045	64,053	76,389
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	2,76,99,362	3,14,50,071	3,17,39,012	3,69,95,924
i) बिक्री कर (क से च)	1,98,32,683	2,25,00,938	2,25,22,733	2,64,84,825
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,78,71,507	1,90,93,393	1,91,35,017	2,24,82,088
ख) केंद्रीय बिक्री कर	15,99,614	23,26,801	24,27,906	29,16,868
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	90,878	8,91,170	8,91,769	10,11,561
घ) बिक्री कर पर अधिभार	25,397	2,786	1,245	1,456
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	5,121	6,375	6,482	6,514
च) अन्य प्राप्तियां	2,40,166	1,80,413	60,313	66,338
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	40,98,973	45,96,130	47,72,894	55,47,779
iii) वाहन पर कर	16,44,636	18,69,471	18,75,762	21,56,071
iv) माल और यात्रियों पर कर	8,54,094	9,55,205	9,28,119	10,64,092
v) बिजली पर शुल्क और कर	9,53,026	11,74,511	12,90,810	13,52,384
vi) मनोरंजन कर	98,125	88,410	91,188	1,19,856
vii) अन्य कर और शुल्क	2,17,825	2,65,405	2,57,507	2,70,916
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	1,61,05,237	1,85,71,995	1,65,47,655	2,00,46,568
i) निगम कर	52,04,467	63,27,606	62,87,246	79,46,007
ii) आय कर	32,77,688	37,21,789	32,73,718	37,88,797
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-165	-467	-330	-217
v) धन पर कर	4,933	12,513	12,542	19,758
vi) सीमा शुल्क	30,40,907	34,28,924	28,11,140	32,76,924
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	28,64,069	30,00,424	22,44,202	28,08,011
viii) सेवा कर	17,13,660	20,82,191	19,19,677	22,07,739
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-323	-985	-543	-451
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	2,11,67,460	2,52,70,049	2,76,38,442	2,85,89,083
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	81,75,117	84,01,720	97,17,809	1,02,60,920
1. ब्याज प्राप्तियां	16,35,648	13,01,006	16,81,218	16,35,647
2. लाभांश और लाभ	83,270	49,701	48,789	75,751

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्ति (जारी)

(लाख रुपये)

मद	सभी राज्य			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	22,27,866	26,70,600	30,29,609	27,60,144
जिसमें से: राज्य लाटरियां	5,08,940	5,86,286	5,76,913	6,55,873
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	7,72,612	7,05,471	8,49,344	11,38,652
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,79,499	2,07,418	4,06,072	5,41,744
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,45,803	1,29,534	1,26,256	1,38,202
iii) परिवार कल्याण	5,507	10,170	7,304	7,682
iv) आवास	38,616	27,376	22,848	25,682
v) शहरी विकास	1,59,914	1,84,621	1,30,983	2,53,768
vi) श्रम और रोजगार	38,169	37,819	40,810	42,918
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,001	22,333	24,202	29,708
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	55,917	62,446	59,801	63,945
ix) अन्य	25,186	23,755	31,068	35,003
5. राजकोषीय सेवाएँ	181	10	90,586	10
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	34,55,541	36,74,932	40,18,264	46,50,715
i) फसल उत्पादन	32,886	41,268	49,345	45,488
ii) पशुपालन	9,943	10,578	11,604	12,230
iii) मत्स्यपालन	12,672	12,356	10,222	10,651
iv) वानिकी और वन्य जीव	2,92,665	3,01,213	3,24,515	3,63,895
v) बागान	244	302	259	281
vi) सहकारिता	32,428	36,812	38,923	39,310
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	8,430	9,497	10,333	10,630
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	2,01,661	2,42,480	2,56,758	3,32,833
ix) लघु सिंचाई	21,555	26,171	87,861	1,06,037
x) पावर	5,45,162	6,45,599	7,24,713	6,16,648
xi) पेट्रोलियम	1,43,868	1,49,897	1,80,412	2,52,527
xii) गांव और लघु उद्योग	10,234	11,141	12,435	11,762
xiii) उद्योग @	16,09,784	16,08,492	17,11,588	21,33,637
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	53,532	62,851	48,529	67,880
xv) सड़क परिवहन	80,936	95,323	88,126	1,07,113
xvi) पर्यटन	14,894	12,264	9,145	12,774
xvii) अन्य*	3,84,648	4,08,688	4,53,495	5,27,021
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	1,29,92,342	1,68,68,329	1,79,20,633	1,83,28,163
1. राज्य योजना स्कीमें	63,48,019	82,80,705	81,59,951	92,38,390
जिसमें से:				
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता				
से जारेअग्रिम	13	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीम	2,65,689	6,88,890	6,45,867	7,11,971
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	25,88,917	35,95,558	41,03,637	45,14,068
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	51,955	92,663	97,231	99,646
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	37,37,762	42,10,514	49,13,947	37,64,088
क) सांविधिक अनुदान	20,47,830	16,64,185	18,79,905	17,94,758
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	2,91,419	2,86,599	3,69,460	3,17,862
ग) अन्य	13,98,513	22,59,729	26,64,582	16,51,468

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	16,35,221	19,09,930	21,23,635	21,76,996	2,45,850	3,06,654	2,89,043	3,24,080
I. कर राजस्व (क +ख)	12,18,070	13,58,600	13,17,400	15,58,250	72,535	90,600	90,600	1,31,715
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	12,18,070	13,58,600	13,17,400	15,58,250	72,535	90,600	90,600	1,31,715
1. आय पर कर (i+ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	78,801	1,05,000	90,000	1,06,000	3,118	6,079	7,079	10,315
i) भूमि राजस्व	1	-	-	-	38	79	79	115
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	78,800	1,05,000	90,000	1,06,000	3,080	6,000	7,000	10,200
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	11,39,269	12,53,600	12,27,400	14,52,250	69,417	84,521	83,521	1,21,400
i) बिक्री कर (क से च)	9,15,209	10,00,000	10,00,000	12,00,000	38,186	50,000	47,000	68,078
क) राज्य बिक्री कर / वैट	8,18,452	8,80,000	8,95,000	11,04,900	38,186	50,000	47,000	68,078
ख) केंद्रीय बिक्री कर	96,746	1,19,875	1,04,900	95,000	-	-	-	-
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियां	11	125	100	100	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	1,42,091	1,51,200	1,51,200	1,68,000	27,960	30,000	32,500	47,500
iii) वाहन पर कर	41,912	53,000	45,000	50,000	3,246	4,500	4,000	5,800
iv) माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
v) बिजली पर शुल्क और कर	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	4,543	4,600	4,500	4,500	-	-	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	35,514	44,800	26,700	29,750	25	21	21	22
ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) निगम कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-	-	-	-	-	-	-
v) धन पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) सीमा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) सेवा कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	4,17,151	5,51,330	8,06,235	6,18,746	1,73,315	2,16,054	1,98,443	1,92,365
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	2,30,073	2,57,048	3,45,928	4,04,876	62,864	1,00,715	67,500	98,626
1. व्याज प्राप्तियां	2,10,141	2,37,520	3,25,700	3,83,376	4,344	2,778	4,127	4,759
2. लाभांश और लाभ	2,992	4,000	4,000	4,000	415	365	558	585

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्ति (समाप्त)

(लाख रुपये)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	6,491	7,270	7,350	7,650	1,529	1,407	1,875	2,147
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	5,453	4,830	5,427	6,000	1,218	1,198	1,384	1,527
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,297	1,748	2,172	2,300	46	73	86	89
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,875	2,245	2,366	2,620	655	630	730	749
iii) परिवार कल्याण	23	25	25	29	—	—	—	—
iv) आवास	224	300	300	350	55	45	45	47
v) शहरी विकास	309	1	1	1	6	4	4	5
vi) श्रम और रोजगार	707	490	542	679	99	115	115	119
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17	19	19	19	29	19	72	77
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	306	300	310	420
ix) अन्य	1	2	2	2	22	11	22	22
5. राजकोषीय सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	4,995	3,428	3,451	3,850	55,357	94,967	59,556	89,608
i) फसल उत्पादन	40	41	41	41	29	42	35	36
ii) पशुपालन	36	21	30	30	4	9	38	39
iii) मत्स्यपालन	3	5	5	5	22	27	27	28
iv) वानिकी और वन्य जीव	8	7	7	7	3	7	7	8
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	6	5	5	5	14	17	20	18
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	2	2	2	1	1	1	1
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	883	1,000	1,000	1,100	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	4	7	7	7	18	22	33	34
x) पावर	1,097	900	1,000	1,100	54,590	94,515	59,000	88,961
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	526	400	300	490	25	25	37	39
xiii) उद्योग @	10	7	7	7	61	105	105	108
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	35	30	60	60
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	10	7	7	7	52	40	48	75
xvii) अन्य*	2,368	1,026	1,040	1,049	503	127	145	201
घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	1,87,079	2,94,282	4,60,307	2,13,870	1,10,450	1,15,339	1,30,943	93,739
1. राज्य योजना स्कीमें	85,033	2,41,869	2,48,753	1,28,370	1,10,450	27,359	27,352	23,089
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारेअग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केंद्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	7,237	11,083	12,622	14,000	—	3,680	5,056	2,350
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	94,809	41,330	1,98,932	71,500	—	84,300	98,535	68,300
क) सांविधिक अनुदान	32,500	32,500	32,500	32,500	—	16,000	17,908	19,000
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	62,309	8,830	1,66,432	39,000	—	68,300	80,627	49,300

— : शून्य/नगण्य / उपलब्ध नहीं।

@ : अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग और अन्य उद्योग शामिल।

* : डेरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागर विमानन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाओं, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल आदि से प्राप्तियां शामिल।

परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

**परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय
आंध्रप्रदेश**

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	18,99,222	42,86,200	61,85,422	21,46,370	55,09,348	76,55,717	19,11,989	56,34,371	75,46,361	23,60,927	63,49,082	87,10,010
I. विकास व्यय (क + ख)	18,84,045	23,97,093	42,81,138	21,31,988	32,15,925	53,47,914	19,00,730	33,80,540	52,81,270	23,48,912	34,98,286	58,47,197
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	12,30,295	12,70,155	25,00,450	14,85,161	17,43,087	32,28,248	12,86,105	18,08,511	30,94,616	15,11,808	18,36,469	33,48,277
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,22,605	5,94,232	7,16,837	2,62,738	8,40,660	11,03,398	1,74,053	8,17,986	9,92,039	2,82,008	9,45,203	12,27,211
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	61,595	1,77,018	2,38,613	1,05,177	2,10,188	3,15,365	1,06,368	2,08,187	3,14,555	1,07,766	2,46,414	3,54,180
3. परिवार कल्याण	50,276	589	50,865	56,585	770	57,355	56,140	669	56,809	63,295	829	64,124
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,20,107	13,917	1,34,023	1,29,378	27,331	1,56,709	35,475	23,161	58,636	35,492	27,658	63,151
5. आवास	1,35,070	1,410	1,36,480	1,40,000	1,712	1,41,712	1,40,000	1,712	1,41,712	85,000	1,683	86,683
6. शहरी विकास	2,67,651	24,342	2,91,993	2,33,880	56,129	2,90,008	1,77,880	53,609	2,31,488	2,42,981	62,754	3,05,735
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,96,229	1,21,291	3,17,520	2,04,767	1,56,034	3,60,801	2,37,673	1,55,635	3,93,308	2,70,703	1,67,790	4,38,493
8. श्रम और श्रम कल्याण	12,841	9,732	22,572	10,040	13,744	23,784	11,659	12,738	24,396	15,369	15,300	30,669
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,21,066	25,042	2,46,108	2,69,912	31,976	3,01,888	2,74,177	30,017	3,04,194	3,18,781	13,489	3,32,270
10. पोषण	33,150	2,44,591	2,77,740	67,670	3,50,987	4,18,656	67,670	3,50,987	4,18,656	87,538	3,00,987	3,88,525
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	42,109	42,109	—	42,239	42,239	—	1,43,625	1,43,625	—	42,162	42,162
12. अन्य*	9,704	15,884	25,588	5,015	11,317	16,333	5,010	10,187	15,197	2,874	12,200	15,074
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	6,53,750	11,26,938	17,80,688	6,46,827	14,72,839	21,19,666	6,14,625	15,72,029	21,86,654	8,37,104	16,61,817	24,98,920
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	3,05,150	69,622	3,74,771	1,46,482	98,447	2,44,929	1,48,680	92,791	2,41,471	1,79,929	1,09,399	2,89,328
i) फसल उत्पादन	2,35,827	15,341	2,51,168	91,982	21,528	1,13,511	97,155	19,810	1,16,965	1,21,351	24,664	1,46,015
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	448	1,661	2,109	1,272	2,461	3,733	1,962	2,150	4,112	3,952	2,765	6,717
iii) पशुपालन	10,219	24,050	34,269	4,186	35,884	40,070	4,186	32,870	37,056	5,089	38,016	43,104
iv) डेरी विकास	50	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	2,292	2,319	4,610	2,289	3,360	5,649	2,289	3,054	5,343	1,527	3,552	5,079
vi) वानिकी और वन्य जीवन	12,838	17,121	29,959	9,367	24,167	33,535	8,374	23,642	32,016	6,023	27,018	33,041
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	27,539	—	27,539	31,117	—	31,117	28,617	—	28,617	35,182	—	35,182
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	15,102	8,431	23,533	6,268	10,146	16,414	6,097	10,431	16,528	6,805	12,339	19,143
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	835	699	1,534	—	901	901	—	835	835	—	1,046	1,046
2. ग्रामीण विकास	1,60,848	1,47,997	3,08,845	83,302	1,44,343	2,27,645	78,809	1,26,715	2,05,524	1,08,913	2,04,826	3,13,739
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	43,550	3,60,420	4,03,969	2,42,188	4,52,856	6,95,044	2,12,657	5,80,658	7,93,315	3,76,919	7,19,643	10,96,562
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	33,534	3,46,226	3,79,760	1,96,023	4,38,378	6,34,401	1,66,492	5,66,018	7,32,510	3,37,467	7,03,862	10,41,330
ii) लघु सिंचाई	9,479	3,830	13,309	44,670	4,472	49,142	44,670	4,263	48,933	38,348	4,607	42,955
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	10,364	10,364	—	10,006	10,006	—	10,377	10,377	—	11,174	11,174
5. ऊर्जा	1,738	3,65,132	3,66,870	3,056	6,13,785	6,16,841	3,056	6,13,449	6,16,505	3,256	4,59,974	4,63,230
जिसमें से: पावर	1,529	3,64,823	3,66,352	2,850	6,13,313	6,16,163	2,850	6,12,977	6,15,827	3,000	4,59,463	4,62,463
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	28,168	11,254	39,422	80,996	11,951	92,947	81,351	11,768	93,119	75,964	13,796	89,761
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	12,979	6,023	19,003	59,371	7,918	67,289	59,682	7,929	67,611	56,558	9,334	65,892
ii) उद्योग @	11,704	5,231	16,935	21,124	4,033	25,158	21,169	3,839	25,008	18,906	4,462	23,369
iii) अन्य**	3,485	—	3,485	500	—	500	500	—	500	500	—	500

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
आंध्रप्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	26,821	1,58,073	1,84,894	18,300	1,32,834	1,51,134	18,300	1,28,833	1,47,133	28,300	1,33,208	1,61,508
i) सड़क और पुल	9,888	1,56,388	1,66,276	5,000	1,30,712	1,35,712	5,000	1,26,786	1,31,786	15,000	1,30,955	1,45,955
ii) अन्य @@	16,934	1,684	18,618	13,300	2,122	15,422	13,300	2,047	15,347	13,300	2,253	15,553
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	832	156	988	1,269	209	1,478	1,269	197	1,466	1,830	214	2,044
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	86,643	14,285	1,00,928	71,236	18,413	89,649	70,505	17,619	88,123	61,993	20,756	82,748
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	74,051	4,189	78,241	59,999	5,569	65,568	57,499	5,433	62,932	50,910	6,385	57,295
ii) पर्यटन	2,514	379	2,893	418	485	903	418	459	877	620	497	1,117
iii) नागरिक आपूर्ति	8,950	5,344	14,294	9,628	6,562	16,190	11,275	5,984	17,259	9,066	7,214	16,280
iv) अन्य +	1,128	4,373	5,500	1,191	5,798	6,988	1,313	5,743	7,055	1,397	6,660	8,057
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	15,177	18,57,838	18,73,015	14,381	22,56,467	22,70,848	11,260	22,21,076	22,32,335	12,015	28,13,841	28,25,857
क. राज्य के अंग	447	48,627	49,074	442	69,265	69,707	442	65,941	66,383	542	60,932	61,474
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	1,701	63,324	65,026	1,873	87,253	89,126	768	80,527	81,295	755	91,782	92,537
i) कर और शुल्क का संग्रह	1,701	57,876	59,577	1,873	81,711	83,584	768	76,284	77,051	755	86,183	86,938
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	5,449	5,449	-	5,542	5,542	-	4,244	4,244	-	5,599	5,599
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	8,47,662	8,47,662	-	9,52,306	9,52,306	-	9,52,306	9,52,306	-	10,73,827	10,73,827
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	41,950	41,950	-	41,950	41,950	-	41,950	41,950	-	54,210	54,210
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	8,05,712	8,05,712	-	9,10,356	9,10,356	-	9,10,356	9,10,356	-	10,19,617	10,19,617
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	1,14,784	1,14,784	-	1,12,324	1,12,324	-	1,12,324	1,12,324	-	1,09,121	1,09,121
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	6,20,931	6,20,931	-	7,11,840	7,11,840	-	7,11,840	7,11,840	-	8,33,561	8,33,561
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	2,50,468	2,50,468	-	3,33,598	3,33,598	-	3,33,598	3,33,598	-	4,70,053	4,70,053
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	69,996	69,996	-	86,190	86,190	-	86,190	86,190	-	76,934	76,934
iv) अन्य	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	13,028	3,46,306	3,59,334	12,066	4,73,353	4,85,420	10,050	4,38,013	4,48,063	10,718	7,44,442	7,55,160
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	3,395	9,396	12,790	5,820	36,128	41,948	5,820	10,296	16,116	6,172	2,52,033	2,58,206
ii) जिला प्रशासन	-	50,693	50,693	-	74,623	74,623	-	74,263	74,263	-	86,518	86,518
iii) पुलिस	7,118	2,15,875	2,22,993	5,500	2,61,545	2,67,045	3,500	2,66,037	2,69,537	3,500	3,03,048	3,06,548
iv) लोक निर्माण	4	18,562	18,566	-	31,760	31,760	-	30,803	30,803	-	39,900	39,900
v) अन्य ++	2,512	51,780	54,292	746	69,298	70,044	730	56,614	57,344	1,046	62,942	63,988
ङ. पेंशन	-	5,51,846	5,51,846	-	6,74,276	6,74,276	-	6,84,276	6,84,276	-	8,42,845	8,42,845
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	73	73	-	13	13	-	12	12	-	14	14
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	31,269	31,269	-	36,955	36,955	-	32,755	32,755	-	36,955	36,955
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	-	31,269	31,269	-	36,955	36,955	-	32,755	32,755	-	36,955	36,955

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,04,858	1,82,311	2,87,168	1,67,718	1,92,990	3,60,708	1,35,946	2,64,664	4,00,609	1,31,804	2,02,367	3,34,172
I. विकास व्यय (क + ख)	1,03,983	1,05,761	2,09,744	1,66,901	1,04,303	2,71,204	1,25,362	1,53,794	2,79,156	1,30,775	1,08,429	2,39,204
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	52,045	46,026	98,071	38,009	50,293	88,301	53,401	73,173	1,26,574	27,116	56,058	83,174
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,196	23,589	40,785	11,375	28,393	39,767	21,322	40,790	62,111	4,871	34,074	38,945
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,940	10,538	16,478	4,054	14,163	18,217	5,062	16,406	21,468	559	13,698	14,257
3. परिवार कल्याण	670	—	670	529	—	529	1,381	—	1,381	1,356	—	1,356
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22,658	2,116	24,774	17,075	1,304	18,380	17,299	4,390	21,689	14,836	1,029	15,865
5. आवास	997	1,500	2,497	785	—	785	961	557	1,518	540	100	640
6. शहरी विकास	431	388	820	35	572	607	137	1,031	1,169	11	486	497
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. श्रम और श्रम कल्याण	233	311	544	279	434	714	294	580	873	70	503	573
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,875	1,084	3,959	2,970	1,115	4,085	5,698	1,351	7,049	3,972	1,142	5,114
10. पोषण	888	7	896	788	8	796	962	8	970	856	9	866
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	5,517	5,517	—	3,181	3,181	44	6,410	6,454	—	3,799	3,799
12. अन्य*	157	975	1,132	117	1,122	1,239	241	1,651	1,892	45	1,219	1,264
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	51,938	59,735	1,11,673	1,28,893	54,010	1,82,903	71,961	80,621	1,52,582	1,03,659	52,371	1,56,029
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	13,227	20,613	33,841	12,725	20,325	33,050	19,676	31,059	50,735	9,313	21,118	30,430
i) फसल उत्पादन	5,073	3,626	8,698	5,986	4,898	10,884	8,044	5,561	13,605	5,387	5,040	10,427
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,257	1,653	3,910	852	1,611	2,463	4,115	3,176	7,290	92	2,439	2,531
iii) पशुपालन	890	2,366	3,256	1,184	3,293	4,477	1,509	4,046	5,555	576	3,226	3,802
iv) डेरी विकास	45	77	122	—	46	46	46	59	105	22	48	70
v) मत्स्यपालन	322	540	862	325	568	894	357	754	1,111	196	632	828
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4,226	4,108	8,334	3,994	6,410	10,404	4,977	7,031	12,008	2,967	5,867	8,834
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	7,770	7,770	—	2,915	2,915	358	9,622	9,981	—	3,209	3,209
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	80	69	149	85	85	170	35	107	142	12	90	102
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	267	366	633	229	426	655	189	649	838	30	531	561
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	67	40	107	70	72	142	45	54	99	30	38	68
2. ग्रामीण विकास	2,248	2,607	4,856	5,955	4,219	10,174	4,254	6,480	10,735	2,352	2,993	5,345
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	7,884	4	7,888	5,947	6	5,952	10,135	6	10,141	6,506	5	6,510
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,763	3,558	12,321	5,795	2,797	8,592	9,049	5,575	14,625	4,306	2,446	6,752
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	50	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	8,463	3,028	11,491	5,545	2,797	8,342	8,087	5,325	13,413	3,594	2,446	6,040
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	530	530	—	—	—	682	250	932	682	—	682
5. ऊर्जा	1,237	14,465	15,702	1,781	12,947	14,727	2,769	18,120	20,889	1,508	12,631	14,139
<i>जिसमें से:</i> पावर	1,008	14,465	15,474	1,781	12,947	14,727	2,382	18,120	20,502	1,403	12,631	14,034
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	796	1,405	2,200	742	2,020	2,762	1,178	2,708	3,887	534	2,189	2,723
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	675	1,276	1,951	619	1,739	2,358	972	2,387	3,359	412	1,934	2,346
ii) उद्योग @	106	123	229	87	281	369	152	312	464	96	240	336
iii) अन्य**	15	6	20	35	—	35	54	9	63	26	15	41

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	9,702	15,441	25,143	9,604	9,505	19,110	17,498	13,750	31,248	6,365	8,167	14,532
i) सड़क और पुल	9,346	7,519	16,865	9,285	2,637	11,922	16,940	5,153	22,093	6,230	1,585	7,816
ii) अन्य @@	356	7,923	8,278	319	6,868	7,187	558	8,597	9,154	135	6,581	6,716
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	531	2	533	1,279	4	1,283	899	6	905	993	5	998
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	7,550	1,639	9,190	85,065	2,188	87,253	6,502	2,916	9,418	71,782	2,819	74,600
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	6,326	84	6,410	84,139	128	84,267	5,184	145	5,329	71,314	120	71,434
ii) पर्यटन	619	104	723	396	129	524	512	270	782	142	207	349
iii) नागरिक आपूर्ति	315	868	1,183	419	995	1,414	380	1,442	1,822	75	1,053	1,128
iv) अन्य +	290	583	873	112	936	1,048	425	1,059	1,484	251	1,439	1,690
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)	875	76,550	77,424	816	88,688	89,504	10,583	1,10,870	1,21,454	1,029	93,938	94,968
क. राज्य के अंग	-	3,521	3,521	-	6,691	6,691	189	9,327	9,516	-	3,037	3,037
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	10	793	803	10	1,108	1,118	412	1,779	2,191	42	1,330	1,372
i) कर और शुल्क का संग्रह	-	758	758	-	1,060	1,060	401	1,673	2,073	40	1,281	1,321
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	10	35	45	10	47	57	11	106	117	2	50	52
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	22,954	22,954	-	26,800	26,800	-	26,643	26,643	-	28,929	28,929
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	1,400	1,400	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	21,554	21,554	-	25,300	25,300	-	25,143	25,143	-	27,429	27,429
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य	-	21,554	21,554	-	25,300	25,300	-	25,143	25,143	-	27,429	27,429
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	865	37,836	38,701	806	39,628	40,435	8,547	57,530	66,076	987	44,558	45,545
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	26	3,713	3,740	30	3,570	3,600	622	5,535	6,157	61	3,608	3,669
ii) जिला प्रशासन	-	6,695	6,695	-	7,766	7,766	1,272	10,327	11,599	-	8,750	8,750
iii) पुलिस	-	15,926	15,926	-	19,033	19,033	3,535	26,677	30,212	-	19,693	19,693
iv) लोक निर्माण	769	8,736	9,505	709	6,677	7,386	2,250	11,106	13,357	605	9,483	10,088
v) अन्य ++	70	2,765	2,835	67	2,582	2,649	868	3,884	4,751	322	3,024	3,346
ङ. पेंशन	-	11,355	11,355	-	14,379	14,379	1,436	15,500	16,936	-	16,000	16,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	90	90	-	81	81	-	92	92	-	84	84
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान												
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)

असम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	3,10,899	11,13,432	14,24,331	6,64,674	22,62,312	29,26,986	6,65,560	23,16,035	29,81,595	9,27,107	23,09,794	32,36,901
I. विकास व्यय (क + ख)	2,73,648	5,53,937	8,27,585	5,92,819	8,28,461	14,21,280	5,93,208	8,65,681	14,58,890	8,25,809	10,70,715	18,96,523
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	1,38,415	4,19,839	5,58,255	3,38,498	6,13,743	9,52,241	3,38,709	6,47,403	9,86,112	4,75,109	7,48,378	12,23,488
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	26,805	3,02,332	3,29,138	66,459	4,14,390	4,80,848	66,459	4,14,396	4,80,855	1,41,835	5,57,136	6,98,971
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,802	60,806	76,608	30,269	1,10,760	1,41,028	30,269	1,11,424	1,41,693	56,309	1,01,786	1,58,095
3. परिवार कल्याण	8,419	2,126	10,545	16,410	4,202	20,612	16,410	4,202	20,612	16,741	1,059	17,800
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,360	15,304	18,664	3,745	18,612	22,357	3,745	19,491	23,236	4,467	31,171	35,638
5. आवास	10	580	590	84	1,543	1,628	295	1,333	1,628	260	1,334	1,594
6. शहरी विकास	15,406	1,810	17,217	21,736	2,867	24,603	21,736	2,977	24,713	83,259	4,287	87,545
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	31,786	1,865	33,651	49,256	2,342	51,597	49,256	3,469	52,725	38,335	3,382	41,717
8. श्रम और श्रम कल्याण	472	3,949	4,421	1,566	4,421	5,988	1,566	4,490	6,056	13,671	7,452	21,123
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	26,560	6,862	33,422	45,766	7,184	52,950	45,766	8,198	53,964	72,583	9,235	81,818
10. पोषण	9,588	233	9,821	1,02,857	188	1,03,045	1,02,857	188	1,03,045	45,305	220	45,525
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	20,750	20,750	—	43,414	43,414	—	73,414	73,414	—	26,877	26,877
12. अन्य*	207	3,222	3,429	350	3,821	4,171	350	3,822	4,172	2,345	4,439	6,784
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,35,233	1,34,098	2,69,330	2,54,320	2,14,718	4,69,038	2,54,499	2,18,279	4,72,778	3,50,699	3,22,336	6,73,036
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	36,569	43,780	80,349	67,481	60,177	1,27,658	67,502	61,586	1,29,088	72,300	95,157	1,67,457
i) फसल उत्पादन	22,503	10,011	32,514	37,676	13,596	51,273	37,698	14,370	52,068	40,101	22,754	62,855
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	497	1,302	1,799	1,089	1,591	2,680	1,089	1,591	2,680	1,119	2,717	3,836
iii) पशुपालन	565	8,806	9,371	5,835	13,495	19,330	5,835	13,497	19,332	2,427	21,529	23,956
iv) डेरी विकास	45	802	847	2,214	1,346	3,560	2,214	1,346	3,560	2,126	2,120	4,246
v) मत्स्यपालन	2,786	1,358	4,144	4,017	2,021	6,038	4,017	2,021	6,038	3,688	3,410	7,098
vi) वानिकी और वन्य जीवन	5,659	11,694	17,353	10,165	17,051	27,216	10,165	17,056	27,221	16,755	27,301	44,056
vii) बागान	5	—	5	50	—	50	50	—	50	3	—	3
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	209	1,888	2,097	309	1,961	2,270	309	2,561	2,870	278	2,896	3,174
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,752	5,066	8,818	5,319	4,703	10,022	5,319	4,703	10,022	4,882	6,144	11,026
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	548	2,615	3,163	651	4,034	4,685	651	4,035	4,686	768	5,679	6,447
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	237	238	155	379	534	155	406	561	152	608	760
2. ग्रामीण विकास	58,077	7,075	65,151	77,543	11,228	88,771	77,543	11,733	89,276	1,03,769	17,196	1,20,965
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	10,257	339	10,596	61,017	384	61,400	61,103	384	61,487	75,640	482	76,122
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	29,483	29,483	—	48,085	48,085	—	48,116	48,116	—	73,833	73,833
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	3,937	3,937	—	10,577	10,577	—	10,581	10,581	—	11,195	11,195
ii) लघु सिंचाई	—	14,572	14,572	—	23,216	23,216	—	23,238	23,238	—	39,901	39,901
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	10,813	10,813	—	13,947	13,947	—	13,947	13,947	—	22,058	22,058
5. ऊर्जा	8	—	8	10	18,306	18,316	10	19,370	19,380	1,217	16,648	17,865
जिसमें से: पावर	—	—	—	—	18,285	18,285	—	19,349	19,349	1,200	16,616	17,816
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	7,192	9,717	16,908	14,302	10,427	24,729	14,302	10,432	24,734	14,384	27,384	41,767
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	4,809	8,892	13,701	8,501	9,442	17,943	8,501	9,447	17,948	8,451	25,788	34,238
ii) उद्योग @	2,383	825	3,207	5,801	985	6,786	5,801	985	6,786	5,933	1,596	7,529
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	1,887	38,452	40,339	5,598	58,835	64,434	5,598	59,310	64,908	6,907	78,997	85,905
i) सड़क और पुल	1,596	32,551	34,147	4,291	51,800	56,091	4,291	52,196	56,487	5,451	66,560	72,011
ii) अन्य @@	291	5,901	6,192	1,307	7,035	8,343	1,307	7,114	8,421	1,456	12,438	13,894
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,845	48	1,894	1,980	74	2,054	1,980	74	2,054	2,130	1,227	3,357
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	19,398	5,203	24,601	26,390	7,201	33,591	26,460	7,274	33,735	74,353	11,412	85,764
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	17,965	2,427	20,392	24,690	3,419	28,109	24,690	3,419	28,109	72,099	4,851	76,950
ii) पर्यटन	917	391	1,308	1,073	486	1,559	1,073	560	1,633	1,668	836	2,504
iii) नागरिक आपूर्ति	365	27	392	5	46	51	75	46	121	15	67	82
iv) अन्य +	151	2,358	2,508	622	3,249	3,871	622	3,249	3,871	571	5,657	6,228
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	21,606	5,14,527	5,36,133	29,703	12,06,245	12,35,947	30,199	12,22,044	12,52,243	48,548	9,48,286	9,96,835
क. राज्य के अंग	-	17,743	17,743	-	20,741	20,741	-	27,831	27,831	-	27,373	27,373
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	923	15,270	16,192	905	27,618	28,522	905	28,618	29,523	5,690	42,467	48,158
i) कर और शुल्क का संग्रह	923	15,173	16,096	905	27,495	28,399	905	28,495	29,400	5,690	42,262	47,952
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	97	97	-	123	123	-	123	123	-	205	205
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	1,70,133	1,70,133	-	2,21,638	2,21,638	-	2,24,154	2,24,154	-	2,52,744	2,52,744
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	12,000	12,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	1,59,333	1,59,333	-	2,10,838	2,10,838	-	2,13,354	2,13,354	-	2,40,744	2,40,744
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	16,223	16,223	-	32,054	32,054	-	32,054	32,054	-	30,613	30,613
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	1,15,035	1,15,035	-	1,38,332	1,38,332	-	1,40,848	1,40,848	-	1,66,141	1,66,141
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	63,499	63,499	-	86,373	86,373	-	86,373	86,373	-	1,12,430	1,12,430
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	46,484	46,484	-	47,184	47,184	-	47,184	47,184	-	48,674	48,674
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	28,074	28,074	-	40,452	40,452	-	40,452	40,452	-	43,990	43,990
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	20,683	1,67,552	1,88,235	28,798	3,14,245	3,43,043	29,294	3,19,438	3,48,732	40,946	3,59,563	4,00,509
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	19,429	33,476	52,905	22,083	1,14,773	1,36,856	22,083	1,14,773	1,36,856	22,795	63,639	86,434
ii) जिला प्रशासन	-	5,919	5,919	-	7,794	7,794	-	7,882	7,882	10,000	11,626	21,626
iii) पुलिस	-	97,579	97,579	360	1,40,120	1,40,480	810	1,42,421	1,43,231	390	2,19,507	2,19,897
iv) लोक निर्माण	-	12,841	12,841	-	22,787	22,787	-	23,007	23,007	-	19,006	19,006
v) अन्य ++	1,255	17,736	18,991	6,355	28,770	35,125	6,401	31,354	37,755	7,761	45,786	53,547
ङ. पेंशन	-	1,43,737	1,43,737	-	2,33,743	2,33,743	-	2,33,743	2,33,743	-	2,52,244	2,52,244
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	93	93	-	3,88,260	3,88,260	-	3,88,260	3,88,260	1,912	13,894	15,806
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	15,645	44,968	60,613	42,153	2,27,606	2,69,759	42,153	2,28,310	2,70,463	52,751	2,90,793	3,43,544
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	15,645	44,968	60,613	42,153	2,27,606	2,69,759	42,153	2,28,310	2,70,463	52,751	2,90,793	3,43,544

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	6,12,001	22,39,156	28,51,157	7,75,476	27,96,028	35,71,503	7,76,591	29,93,009	37,69,600	10,35,204	30,32,633	40,67,836
I. विकास व्यय (क + ख)	5,83,823	12,13,987	17,97,810	6,89,575	15,86,257	22,75,832	6,90,682	16,71,484	23,62,166	9,91,496	15,31,096	25,22,591
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	3,28,879	8,96,330	12,25,209	4,06,852	11,50,283	15,57,136	4,06,904	11,82,410	15,89,314	6,85,026	10,96,583	17,81,609
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,10,922	5,59,669	6,70,591	1,35,633	7,36,758	8,72,391	1,35,633	7,37,595	8,73,228	2,50,714	6,99,024	9,49,739
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,562	1,01,316	1,02,878	2,963	1,38,485	1,41,448	2,963	1,39,697	1,42,660	10,678	1,46,674	1,57,352
3. परिवार कल्याण	—	16,459	16,459	—	24,832	24,832	—	24,832	24,832	—	33,785	33,785
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	18,614	18,437	37,051	19,314	32,631	51,945	19,314	33,004	52,318	5,000	25,299	30,299
5. आवास	—	741	741	—	850	850	—	850	850	78,000	1,325	79,325
6. शहरी विकास	55,215	48,332	1,03,547	99,390	58,874	1,58,264	99,390	58,874	1,58,264	1,55,800	18,419	1,74,219
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14,837	8,210	23,046	23,387	16,178	39,565	23,387	16,252	39,639	29,299	16,492	45,791
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,666	5,073	6,739	2,903	6,373	9,275	2,903	7,404	10,306	2,092	7,604	9,695
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	64,226	26,870	91,096	87,713	39,768	1,27,481	87,765	43,832	1,31,597	1,01,069	43,686	1,44,754
10. पोषण	26,239	24,258	50,497	31,657	53,205	84,862	31,657	53,205	84,862	45,979	53,205	99,184
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	33,740	80,889	1,14,629	2,500	22,228	24,728	2,500	46,578	49,078	3,350	17,202	20,552
12. अन्य*	1,858	6,075	7,934	1,393	20,102	21,495	1,393	20,287	21,680	3,047	33,869	36,916
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,54,944	3,17,657	5,72,601	2,82,723	4,35,973	7,18,696	2,83,778	4,89,074	7,72,852	3,06,469	4,34,513	7,40,982
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	81,905	45,364	1,27,269	61,461	51,050	1,12,511	61,961	1,00,123	1,62,084	93,672	64,320	1,57,992
i) फसल उत्पादन	47,932	19,429	67,360	38,742	19,341	58,083	38,742	62,303	1,01,045	61,374	23,134	84,508
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	759	810	1,569	810	1,335	2,145	810	1,335	2,145	820	1,436	2,256
iii) पशुपालन	9,812	8,228	18,039	7,500	11,173	18,673	7,500	15,378	22,878	9,750	15,817	25,567
iv) डेरी विकास	8,451	674	9,125	2,368	526	2,893	2,368	526	2,893	3,000	571	3,571
v) मत्स्यपालन	351	944	1,295	2,633	1,780	4,412	2,633	1,780	4,412	3,560	2,619	6,179
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,991	4,708	7,699	4,522	6,055	10,577	5,022	6,689	11,711	3,942	6,288	10,231
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	5,000	902	5,902	—	—	—	—	—	—	1,984	—	1,984
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,803	5,695	9,498	3,821	6,362	10,183	3,821	6,362	10,183	5,245	8,640	13,885
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	2,657	3,771	6,427	966	4,155	5,121	966	5,427	6,393	3,887	5,458	9,345
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	150	204	354	100	324	424	100	324	424	110	357	467
2. ग्रामीण विकास	1,46,315	64,605	2,10,920	1,82,594	79,803	2,62,396	1,83,149	81,719	2,64,867	1,34,131	83,116	2,17,247
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,117	64,315	70,432	9,600	1,09,629	1,19,229	9,600	1,09,715	1,19,315	10,810	96,117	1,06,928
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	15	31,020	31,035	—	49,444	49,444	—	49,527	49,527	—	44,641	44,641
ii) लघु सिंचाई	3,511	21,520	25,031	1,100	31,935	33,035	1,100	31,935	33,035	810	34,744	35,554
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	10	11,161	11,171	500	28,250	28,750	500	28,253	28,753	1,000	16,732	17,732
5. ऊर्जा	250	72,000	72,250	620	72,025	72,645	620	72,025	72,645	38,000	72,000	1,10,000
जिसमें से: पावर	—	72,000	72,000	—	72,025	72,025	—	72,025	72,025	36,000	72,000	1,08,000
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	19,739	2,869	22,607	27,321	4,523	31,844	27,321	6,374	33,696	26,898	6,396	33,294
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,467	1,148	3,615	3,174	1,334	4,508	3,174	3,162	6,336	2,181	3,317	5,498
ii) उद्योग @	17,272	1,720	18,992	24,147	3,189	27,336	24,147	3,212	27,359	24,717	3,080	27,796
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	—	49,337	49,337	—	1,00,848	1,00,848	—	1,00,859	1,00,859	—	93,809	93,809
i) सड़क और पुल	—	49,117	49,117	—	1,00,554	1,00,554	—	1,00,554	1,00,554	—	93,519	93,519
ii) अन्य @@	—	221	221	—	295	295	—	305	305	—	290	290
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	619	19,167	19,786	1,127	18,094	19,221	1,127	18,258	19,385	2,959	18,753	21,712
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	400	2,999	3,399	680	4,250	4,930	680	4,355	5,035	1,115	4,439	5,554
ii) पर्यटन	165	293	458	200	324	524	200	339	539	200	330	530
iii) नागरिक आपूर्ति	—	13,132	13,132	—	9,970	9,970	—	9,970	9,970	1,131	10,182	11,313
iv) अन्य +	54	2,744	2,798	247	3,551	3,798	247	3,596	3,843	513	3,801	4,314
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	28,178	10,24,773	10,52,951	85,900	12,09,359	12,95,259	85,908	13,21,113	14,07,021	43,708	15,01,125	15,44,833
क. राज्य के अंग	1,542	39,266	40,809	2,170	57,886	60,056	2,170	59,717	61,887	2,324	62,174	64,498
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	2,600	28,675	31,275	4,670	34,843	39,513	4,670	42,973	47,643	5,004	48,257	53,261
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,600	28,462	31,062	4,670	34,238	38,908	4,670	42,368	47,039	5,004	47,894	52,898
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	214	214	—	605	605	—	605	605	—	363	363
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	3,89,294	3,89,294	—	4,31,015	4,31,015	—	4,31,092	4,31,092	—	4,67,310	4,67,310
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	14,000	14,000	—	14,000	14,000	—	14,000	14,000	—	16,000	16,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	3,75,294	3,75,294	—	4,17,015	4,17,015	—	4,17,092	4,17,092	—	4,51,310	4,51,310
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	64,616	64,616	—	53,767	53,767	—	53,767	53,767	—	59,854	59,854
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	2,47,595	2,47,595	—	2,89,228	2,89,228	—	2,89,306	2,89,306	—	3,16,913	3,16,913
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	86,478	86,478	—	1,12,939	1,12,939	—	1,12,939	1,12,939	—	1,32,506	1,32,506
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,44,949	1,44,949	—	1,50,406	1,50,406	—	1,50,406	1,50,406	—	1,58,871	1,58,871
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	62,764	62,764	—	73,525	73,525	—	73,525	73,525	—	74,048	74,048
iv) अन्य	—	319	319	—	495	495	—	495	495	—	495	495
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	24,036	2,19,635	2,43,671	79,060	3,07,394	3,86,454	79,068	3,14,555	3,93,623	36,380	3,36,037	3,72,417
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	93	7,127	7,220	1,234	8,558	9,792	1,242	9,194	10,436	2,736	10,335	13,071
ii) जिला प्रशासन	21,184	12,344	33,528	73,576	22,401	95,977	73,576	22,806	96,382	32,391	25,056	57,447
iii) पुलिस	539	1,54,846	1,55,385	250	2,13,605	2,13,855	250	2,17,307	2,17,557	250	2,32,659	2,32,909
iv) लोक निर्माण	—	18,670	18,670	—	26,468	26,468	—	26,562	26,562	—	25,766	25,766
v) अन्य ++	2,221	26,647	28,867	4,000	36,362	40,362	4,000	38,686	42,686	1,003	42,221	43,224
ङ. पेंशन	—	3,47,903	3,47,903	—	3,78,221	3,78,221	—	4,72,776	4,72,776	—	5,87,347	5,87,347
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	396	396	—	412	412	—	412	412	—	412	412
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	396	396	—	412	412	—	412	412	—	412	412

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	5,42,095	8,37,275	13,79,370	8,06,673	10,02,432	18,09,104	8,16,343	10,57,046	18,73,389	8,59,548	11,07,109	19,66,657
I. विकास व्यय (क + ख)	5,37,906	4,29,693	9,67,599	8,01,088	5,18,395	13,19,483	8,13,136	5,91,937	14,05,073	8,52,248	5,59,026	14,11,274
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	4,01,976	2,13,299	6,15,275	5,98,748	2,87,420	8,86,168	6,22,659	3,13,420	9,36,079	6,47,966	3,32,252	9,80,218
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,48,015	83,980	2,31,995	2,26,420	1,21,725	3,48,145	2,67,619	1,28,687	3,96,306	3,09,833	1,44,957	4,54,790
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	20,741	22,663	43,404	37,325	33,078	70,403	42,136	33,347	75,483	42,536	37,898	80,434
3. परिवार कल्याण	7,387	—	7,387	7,550	15	7,565	8,316	15	8,331	7,579	15	7,594
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	38,885	7,272	46,158	32,621	9,717	42,338	31,418	9,966	41,384	20,024	10,083	30,108
5. आवास	6,016	3,134	9,151	2,876	4,045	6,921	8,263	4,426	12,689	3,647	4,676	8,324
6. शहरी विकास	22,316	1,211	23,528	46,471	2,266	48,738	36,775	5,741	42,516	45,755	2,174	47,928
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13,764	56,543	70,307	14,545	73,853	88,398	16,829	85,493	1,02,322	14,495	90,076	1,04,570
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,137	2,689	3,827	3,548	3,733	7,281	3,294	3,713	7,007	4,214	4,394	8,608
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,24,456	20,852	1,45,308	1,92,847	17,667	2,10,514	1,73,665	20,599	1,94,264	1,55,447	19,035	1,74,482
10. पोषण	18,950	—	18,950	34,035	—	34,035	33,834	—	33,834	44,076	—	44,076
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	12,014	12,014	—	18,562	18,562	—	18,562	18,562	—	15,500	15,500
12. अन्य*	308	2,940	3,248	510	2,758	3,268	510	2,872	3,382	360	3,445	3,805
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,35,930	2,16,394	3,52,324	2,02,340	2,30,975	4,33,316	1,90,477	2,78,517	4,68,994	2,04,282	2,26,774	4,31,056
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	55,884	1,11,334	1,67,218	76,084	1,30,583	2,06,667	77,627	1,71,039	2,48,666	86,069	1,17,354	2,03,423
i) फसल उत्पादन	16,863	9,881	26,745	30,330	13,107	43,437	26,281	14,265	40,545	33,374	19,510	52,883
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	47	1,023	1,070	57	1,623	1,680	57	1,716	1,773	62	2,314	2,377
iii) पशुपालन	5,483	7,477	12,961	7,088	10,479	17,567	7,149	13,449	20,599	10,144	13,464	23,608
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	1,283	924	2,206	1,691	1,153	2,845	1,723	1,408	3,131	2,792	1,529	4,321
vi) वानिकी और वन्य जीवन	21,052	34,217	55,269	22,205	41,588	63,793	26,459	37,469	63,928	23,845	38,158	62,003
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	3,004	54,813	57,817	4,075	58,876	62,951	6,220	98,194	1,04,414	4,830	37,572	42,402
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	825	1,615	2,440	1,000	1,892	2,892	1,000	2,426	3,426	1,735	2,578	4,313
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	7,186	1,382	8,568	9,638	1,864	11,502	7,738	2,112	9,850	8,288	2,228	10,516
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	141	—	141	—	—	—	1,000	—	1,000	1,000	—	1,000
2. ग्रामीण विकास	52,662	34,557	87,219	77,449	34,643	1,12,092	69,078	33,768	1,02,846	65,879	37,449	1,03,328
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5,446	13,779	19,225	5,332	12,559	17,891	4,412	13,343	17,754	4,343	13,800	18,143
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1,830	12,555	14,385	1,101	11,275	12,376	—	11,812	11,812	—	12,213	12,213
ii) लघु सिंचाई	3,263	1,224	4,487	3,817	1,283	5,100	4,042	1,530	5,572	3,955	1,586	5,541
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	7,605	11,960	19,565	21,180	160	21,340	21,180	160	21,340	26,129	160	26,289
जिसमें से: पावर	6,042	11,960	18,002	19,610	160	19,770	19,610	160	19,770	24,559	160	24,719
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	8,788	9,344	18,132	13,449	11,754	25,203	11,713	11,919	23,632	13,416	15,404	28,820
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	4,163	2,736	6,899	4,996	3,800	8,796	6,552	3,882	10,434	7,015	4,074	11,089
ii) उद्योग @	4,625	6,583	11,208	8,453	7,924	16,377	5,161	8,007	13,168	6,401	11,300	17,701
iii) अन्य**	—	25	25	—	30	30	—	30	30	—	30	30

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	1,720	34,171	35,892	4,651	39,571	44,222	1,946	46,376	48,322	4,236	40,043	44,279
i) सड़क और पुल	326	34,171	34,498	700	39,568	40,268	700	46,373	47,073	150	40,040	40,190
ii) अन्य @@	1,394	—	1,394	3,951	3	3,954	1,246	3	1,249	4,086	3	4,089
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	649	85	734	731	75	806	1,031	89	1,120	731	100	831
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	3,176	1,163	4,340	3,465	1,630	5,095	3,492	1,823	5,314	3,478	2,464	5,942
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	25	443	469	79	563	642	112	689	802	87	811	898
ii) पर्यटन	3,100	—	3,100	3,233	—	3,233	3,233	—	3,233	3,235	—	3,235
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	51	720	771	153	1,067	1,220	146	1,134	1,280	156	1,653	1,809
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	2,138	3,57,737	3,59,875	5,585	4,36,541	4,42,126	3,207	4,20,709	4,23,916	7,300	5,01,011	5,08,311
क. राज्य के अंग	92	11,735	11,826	279	20,678	20,956	279	20,919	21,198	306	17,404	17,710
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	610	33,611	34,221	2,743	44,995	47,738	432	41,888	42,320	4,929	45,455	50,385
i) कर और शुल्क का संग्रह	610	33,566	34,176	2,743	44,922	47,665	432	41,814	42,246	4,929	45,383	50,313
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	45	45	—	73	73	—	73	73	—	72	72
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	1,17,753	1,17,753	—	1,17,902	1,17,902	—	1,19,975	1,19,975	—	1,30,805	1,30,805
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	1,07,753	1,07,753	—	1,07,902	1,07,902	—	1,09,975	1,09,975	—	1,20,805	1,20,805
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	16,813	16,813	—	14,834	14,834	—	17,555	17,555	—	18,386	18,386
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	70,111	70,111	—	72,015	72,015	—	71,731	71,731	—	78,892	78,892
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	19,610	19,610	—	17,178	17,178	—	17,178	17,178	—	23,355	23,355
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	46,373	46,373	—	46,559	46,559	—	46,435	46,435	—	47,229	47,229
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	12,631	12,631	—	12,193	12,193	—	12,355	12,355	—	15,355	15,355
iv) अन्य	—	8,198	8,198	—	8,859	8,859	—	8,335	8,335	—	8,172	8,172
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,437	1,01,554	1,02,991	2,563	1,58,663	1,61,226	2,496	1,32,040	1,34,536	2,065	1,83,950	1,86,015
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	80	3,025	3,105	171	4,326	4,497	171	4,578	4,749	60	4,985	5,045
ii) जिला प्रशासन	—	7,772	7,772	—	9,605	9,605	—	10,515	10,515	—	11,342	11,342
iii) पुलिस	672	65,096	65,768	2,376	82,841	85,217	2,195	86,608	88,803	1,827	1,01,965	1,03,792
iv) लोक निर्माण	685	15,953	16,638	—	12,390	12,390	—	15,441	15,441	—	7,861	7,861
v) अन्य ++	—	9,708	9,708	16	49,501	49,517	131	14,898	15,029	178	57,797	57,975
ङ. पेंशन	—	93,077	93,077	—	94,292	94,292	—	1,05,875	1,05,875	—	1,23,385	1,23,385
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	6	6	—	11	11	—	11	11	—	11	11
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	2,052	49,845	51,897	—	47,495	47,495	—	44,400	44,400	—	47,072	47,072
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	2,052	49,845	51,897	—	47,495	47,495	—	44,400	44,400	—	47,072	47,072

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	62,089	2,80,452	3,42,541	85,577	3,62,937	4,48,514	92,350	3,61,668	4,54,018	1,09,422	3,90,855	5,00,278
I. विकास व्यय (क + ख)	61,167	1,75,196	2,36,364	80,215	2,00,195	2,80,411	90,965	2,22,167	3,13,132	1,03,472	2,31,842	3,35,314
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	41,141	78,116	1,19,257	54,347	90,422	1,44,768	59,392	1,03,273	1,62,664	65,884	1,17,794	1,83,678
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,552	43,255	54,807	12,594	53,286	65,879	13,381	60,088	73,470	16,249	70,784	87,033
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,172	15,439	21,610	6,541	17,445	23,986	8,372	21,317	29,689	9,846	24,642	34,488
3. परिवार कल्याण	547	—	547	604	—	604	856	—	856	800	—	800
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,906	13,503	16,409	4,052	12,857	16,909	4,052	13,930	17,982	3,733	13,851	17,584
5. आवास	—	625	625	—	744	744	—	844	844	—	820	820
6. शहरी विकास	4,417	1,137	5,554	11,550	1,119	12,669	12,565	1,135	13,700	12,174	1,140	13,314
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	260	22	282	1,583	26	1,609	1,583	42	1,624	2,913	60	2,973
8. श्रम और श्रम कल्याण	706	1,348	2,054	673	1,401	2,074	1,073	1,820	2,893	2,619	1,835	4,454
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,016	2,152	15,167	14,668	3,192	17,859	15,528	3,283	18,811	15,731	3,961	19,692
10. पोषण	326	66	391	724	80	804	724	80	804	615	248	863
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	242	242	—	271	271	—	271	271	—	5	5
12. अन्य*	1,241	329	1,570	1,358	—	1,358	1,257	463	1,720	1,205	447	1,652
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	20,027	97,080	1,17,107	25,869	1,09,774	1,35,643	31,573	1,18,895	1,50,468	37,588	1,14,049	1,51,636
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	5,824	4,823	10,648	6,323	4,841	11,165	7,124	6,366	13,490	9,222	5,387	14,609
i) फसल उत्पादन	1,747	1,045	2,792	1,983	1,187	3,171	2,109	1,404	3,513	3,434	1,301	4,735
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	61	69	130	90	80	170	111	93	205	121	103	224
iii) पशुपालन	444	902	1,346	481	1,277	1,758	569	1,341	1,910	711	1,255	1,966
iv) डेरी विकास	767	12	779	723	17	740	975	23	998	1,019	18	1,037
v) मत्स्यपालन	1,254	287	1,542	1,506	380	1,886	1,509	485	1,994	1,940	412	2,352
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,237	1,095	2,332	1,082	1,109	2,190	1,378	1,583	2,961	1,387	1,159	2,546
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	2	950	952	4	131	135	4	676	679	4	395	398
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	41	78	119	75	93	168	75	110	185	94	105	199
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	271	321	591	379	486	865	394	562	956	513	540	1,054
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	65	65	—	82	82	—	90	90	—	100	100
2. ग्रामीण विकास	3,513	2,362	5,874	3,750	2,834	6,584	4,593	4,220	8,813	4,971	2,745	7,715
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	390	—	390	357	—	357	566	—	566	783	—	783
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,238	2,862	4,100	1,625	3,624	5,249	2,106	4,580	6,687	2,452	4,541	6,993
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	415	1,311	1,726	544	1,469	2,012	625	1,853	2,478	625	1,900	2,525
ii) लघु सिंचाई	245	1,381	1,626	418	1,825	2,243	434	2,149	2,582	661	2,174	2,835
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	228	121	348	310	274	584	575	509	1,084	605	400	1,005
5. ऊर्जा	1,822	72,446	74,268	2,263	81,034	83,297	2,263	83,448	85,711	2,668	83,000	85,668
<i>जिसमें से:</i> पावर	1,791	72,446	74,237	2,230	81,034	83,264	2,230	83,448	85,678	2,630	83,000	85,630
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	4,024	768	4,792	7,002	1,162	8,164	9,815	1,194	11,009	11,427	1,184	12,610
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,417	644	2,061	1,730	987	2,717	1,934	1,019	2,953	2,902	1,003	3,905
ii) उद्योग @	2,370	124	2,494	4,772	175	4,947	7,381	175	7,556	8,025	181	8,206
iii) अन्य**	237	—	237	500	—	500	500	—	500	500	—	500

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	884	12,274	13,158	1,177	14,184	15,361	1,382	16,664	18,046	2,245	14,734	16,978
i) सड़क और पुल	—	9,279	9,279	16	10,724	10,740	16	12,113	12,129	20	11,030	11,050
ii) अन्य @@	884	2,995	3,879	1,161	3,460	4,621	1,366	4,552	5,918	2,225	3,703	5,928
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	361	—	361	498	—	498	498	—	498	519	—	519
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,972	1,545	3,517	2,874	2,094	4,968	3,226	2,421	5,647	3,302	2,459	5,761
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	8	715	722	16	1,083	1,099	16	1,303	1,319	216	1,103	1,319
ii) पर्यटन	1,849	271	2,121	2,517	359	2,876	2,843	409	3,252	2,780	408	3,188
iii) नागरिक आपूर्ति	4	185	190	5	207	213	5	244	249	6	334	340
iv) अन्य +	111	374	485	336	445	781	362	465	827	300	614	914
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	922	1,05,255	1,06,177	5,362	1,62,741	1,68,103	1,385	1,39,501	1,40,885	5,950	1,59,013	1,64,963
क. राज्य के अंग	90	3,450	3,540	94	4,425	4,518	114	5,247	5,361	98	4,387	4,485
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	372	2,087	2,459	356	2,418	2,774	590	2,929	3,519	781	2,960	3,741
i) कर और शुल्क का संग्रह	372	2,087	2,459	346	2,418	2,764	580	2,929	3,509	770	2,960	3,730
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	10	—	10	10	—	10	11	—	11
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	53,980	53,980	—	60,205	60,205	—	59,605	59,605	—	67,767	67,767
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	50,980	50,980	—	57,205	57,205	—	56,605	56,605	—	64,767	64,767
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	3,513	3,513	—	3,349	3,349	—	3,349	3,349	—	3,498	3,498
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	39,532	39,532	—	45,265	45,265	—	44,665	44,665	—	51,937	51,937
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	12,227	12,227	—	17,047	17,047	—	17,047	17,047	—	21,681	21,681
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	26,018	26,018	—	25,900	25,900	—	25,000	25,000	—	27,000	27,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	5,953	5,953	—	6,719	6,719	—	6,719	6,719	—	7,072	7,072
iv) अन्य	—	1,981	1,981	—	1,872	1,872	—	1,872	1,872	—	2,260	2,260
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	460	24,031	24,490	568	28,218	28,786	681	30,918	31,599	726	33,105	33,831
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	1,659	1,659	—	1,517	1,517	—	2,219	2,219	—	2,156	2,156
ii) जिला प्रशासन	—	1,641	1,641	—	1,809	1,809	—	2,272	2,272	—	2,125	2,125
iii) पुलिस	—	12,743	12,743	—	14,962	14,962	—	14,962	14,962	—	18,400	18,400
iv) लोक निर्माण	152	4,686	4,837	196	5,813	6,008	196	6,803	6,999	200	5,707	5,907
v) अन्य ++	308	3,303	3,611	372	4,117	4,489	485	4,662	5,147	526	4,718	5,244
ङ. पेंशन	—	21,387	21,387	—	66,674	66,674	—	40,000	40,000	—	50,000	50,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	321	321	4,345	802	5,147	—	802	802	4,345	794	5,139
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	135	135	—	42	42	—	42	42	—	44	44
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	10,38,864	28,35,281	38,74,145	13,17,040	32,55,796	45,72,837	13,95,076	33,85,465	47,80,540	16,39,335	37,58,520	53,97,855
I. विकास व्यय (क + ख)	10,05,944	15,12,917	25,18,861	12,59,237	16,17,569	28,76,806	13,49,688	17,80,436	31,30,124	15,46,992	18,71,056	34,18,048
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	5,79,388	9,13,826	14,93,214	7,03,537	10,44,339	17,47,876	7,64,478	11,67,207	19,31,685	8,49,562	12,54,713	21,04,275
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	66,485	5,15,587	5,82,073	1,11,805	5,01,944	6,13,750	99,041	6,60,700	7,59,740	1,31,081	7,53,675	8,84,756
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	48,506	73,214	1,21,720	65,385	75,406	1,40,791	66,843	85,944	1,52,786	99,005	87,290	1,86,295
3. परिवार कल्याण	8,524	12,642	21,166	11,472	13,595	25,067	26,338	14,447	40,785	19,802	21,032	40,834
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	45,183	9,415	54,598	64,865	8,754	73,619	63,541	9,204	72,745	47,370	8,958	56,328
5. आवास	35,159	8,794	43,953	43,776	12,166	55,942	64,278	15,411	79,689	43,037	12,351	55,388
6. शहरी विकास	2,46,574	1,61,890	4,08,464	2,33,685	2,53,930	4,87,615	2,66,482	2,21,208	4,87,690	2,79,885	2,18,724	4,98,609
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	64,738	26,911	91,649	69,716	31,953	1,01,669	74,933	33,931	1,08,864	87,458	33,721	1,21,179
8. श्रम और श्रम कल्याण	9,285	14,546	23,831	10,526	14,992	25,518	10,222	16,507	26,730	16,300	17,666	33,966
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20,695	12,257	32,952	26,583	30,447	57,029	29,087	29,921	59,008	40,829	9,995	50,824
10. पोषण	31,477	29,546	61,023	61,690	58,325	1,20,015	59,908	64,832	1,24,739	78,152	53,137	1,31,289
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	43,180	43,180	—	36,044	36,044	—	7,460	7,460	—	30,303	30,303
12. अन्य*	2,762	5,843	8,605	4,034	6,782	10,817	3,807	7,642	11,449	6,643	7,860	14,503
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	4,26,556	5,99,091	10,25,647	5,55,700	5,73,230	11,28,930	5,85,210	6,13,229	11,98,439	6,97,430	6,16,343	13,13,773
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	1,14,284	70,652	1,84,936	1,46,725	72,510	2,19,235	1,61,872	79,880	2,41,752	1,79,265	77,265	2,56,530
i) फसल उत्पादन	53,564	15,741	69,305	78,491	21,317	99,808	87,919	24,283	1,12,202	96,119	20,730	1,16,849
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	30,915	1,020	31,935	24,150	1,565	25,715	24,638	1,944	26,582	28,975	2,088	31,063
iii) पशुपालन	1,422	12,885	14,307	10,314	8,183	18,497	10,399	9,196	19,595	10,660	8,876	19,536
iv) डेरी विकास	2,725	598	3,323	1,290	45	1,335	1,796	750	2,546	1,940	345	2,285
v) मत्स्यपालन	4,844	8,527	13,371	4,999	4,408	9,407	4,403	3,720	8,123	4,797	3,180	7,977
vi) वानिकी और वन्य जीवन	5,510	14,828	20,338	5,238	18,006	23,243	5,241	19,753	24,994	6,140	20,593	26,733
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	659	1,713	2,371	1,934	2,170	4,103	6,399	2,192	8,590	6,345	2,649	8,994
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	9,764	11,091	20,855	11,807	11,699	23,505	11,860	12,650	24,510	14,450	13,024	27,474
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	4,371	4,078	8,449	6,683	4,927	11,610	7,398	5,202	12,599	7,313	5,541	12,854
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	510	172	682	1,820	190	2,010	1,820	190	2,010	2,525	240	2,765
2. ग्रामीण विकास	93,699	20,993	1,14,692	1,28,849	26,304	1,55,153	1,16,489	27,555	1,44,045	1,73,043	28,214	2,01,257
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	709	2,874	3,583	797	2,684	3,482	806	3,055	3,861	870	3,170	4,040
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	35,386	40,766	76,152	42,730	37,220	79,950	42,250	38,621	80,872	41,154	42,288	83,442
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	971	33,343	34,313	5,610	31,386	36,996	2,404	32,748	35,153	6,453	35,417	41,871
ii) लघु सिंचाई	30,050	6,577	36,627	27,653	5,430	33,084	34,380	5,469	39,849	29,899	6,498	36,397
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	3,401	846	4,247	8,281	404	8,685	4,332	404	4,736	3,667	372	4,039
5. ऊर्जा	40,855	3,11,926	3,52,781	51,585	2,67,046	3,18,631	47,203	2,73,461	3,20,664	51,995	2,66,425	3,18,420
जिसमें से: पावर	40,655	3,11,926	3,52,581	50,820	2,67,046	3,17,866	46,953	2,73,461	3,20,414	49,504	2,66,425	3,15,929
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	55,129	5,494	60,624	70,642	6,784	77,426	74,150	7,053	81,203	95,908	7,283	1,03,191
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	21,353	2,632	23,985	31,351	3,429	34,780	31,502	3,603	35,106	36,864	3,639	40,504
ii) उद्योग @	33,776	2,851	36,627	39,290	3,346	42,636	42,648	3,438	46,086	59,044	3,633	62,677
iii) अन्य**	—	11	11	—	9	9	—	12	12	—	11	11

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	70,174	1,25,115	1,95,289	87,491	1,35,821	2,23,312	1,15,358	1,58,314	2,73,672	1,00,630	1,61,683	2,62,313
i) सड़क और पुल	70,174	88,818	1,58,992	87,491	95,543	1,83,033	1,15,358	1,02,642	2,18,000	1,00,630	1,05,888	2,06,518
ii) अन्य @@	—	36,297	36,297	—	40,279	40,279	—	55,672	55,672	—	55,795	55,795
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,817	130	1,947	2,651	80	2,731	2,390	80	2,470	21,254	80	21,335
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	14,504	21,141	35,645	24,230	24,779	49,009	24,691	25,209	49,900	33,310	29,936	63,246
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,261	3,627	4,888	3,330	4,263	7,593	3,219	5,100	8,319	3,689	5,189	8,879
ii) पर्यटन	8,521	11	8,532	14,783	16	14,798	12,483	20	12,503	18,300	19	18,319
iii) नागरिक आपूर्ति	2,824	15,591	18,415	5,600	18,242	23,842	8,535	17,365	25,900	9,992	17,663	27,655
iv) अन्य +	1,898	1,911	3,809	517	2,258	2,775	455	2,725	3,179	1,329	7,065	8,394
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	32,920	13,05,611	13,38,531	57,804	16,29,158	16,86,962	45,388	15,94,431	16,39,818	92,343	18,73,572	19,65,915
क. राज्य के अंग	133	25,973	26,106	3,425	45,843	49,269	3,050	44,739	47,789	24,563	37,801	62,363
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	8,735	16,458	25,193	7,638	27,873	35,511	2,997	29,921	32,918	14,795	35,708	50,503
i) कर और शुल्क का संग्रह	8,735	16,317	25,052	7,638	27,604	35,242	2,997	29,698	32,695	14,795	35,505	50,300
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	141	141	—	269	269	—	223	223	—	202	202
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	8,08,405	8,08,405	—	8,99,571	8,99,571	—	9,08,467	9,08,467	—	10,36,538	10,36,538
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	20,000	20,000	—	50,000	50,000	—	50,000	50,000	—	50,000	50,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	7,88,405	7,88,405	—	8,49,571	8,49,571	—	8,58,467	8,58,467	—	9,86,538	9,86,538
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	84,898	84,898	—	82,350	82,350	—	82,137	82,137	—	79,080	79,080
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	6,22,197	6,22,197	—	6,84,073	6,84,073	—	6,89,436	6,89,436	—	8,20,630	8,20,630
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	1,61,754	1,61,754	—	2,28,013	2,28,013	—	2,26,980	2,26,980	—	3,13,843	3,13,843
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	4,35,676	4,35,676	—	4,28,198	4,28,198	—	4,34,230	4,34,230	—	4,73,082	4,73,082
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	39,124	39,124	—	42,042	42,042	—	42,376	42,376	—	44,992	44,992
iv) अन्य	—	42,186	42,186	—	41,106	41,106	—	44,517	44,517	—	41,837	41,837
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	24,052	1,57,820	1,81,873	46,740	1,77,273	2,24,013	39,340	2,04,195	2,43,535	52,985	2,18,947	2,71,933
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	3,063	6,158	9,221	15,569	6,382	21,951	11,982	7,600	19,581	11,366	7,902	19,268
ii) जिला प्रशासन	1,052	10,918	11,970	4,405	11,960	16,365	4,197	14,328	18,525	2,815	13,648	16,463
iii) पुलिस	14,313	1,04,127	1,18,440	22,901	1,18,638	1,41,539	20,475	1,31,259	1,51,734	34,531	1,50,756	1,85,287
iv) लोक निर्माण	7	18,541	18,548	627	21,112	21,739	563	27,740	28,303	502	22,412	22,914
v) अन्य ++	5,618	18,076	23,694	3,239	19,180	22,419	2,122	23,269	25,391	3,772	24,229	28,000
ङ. पेंशन	—	2,96,281	2,96,281	—	3,22,298	3,22,298	—	3,99,961	3,99,961	—	4,38,717	4,38,717
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	674	674	—	1,56,301	1,56,301	—	7,149	7,149	—	1,05,861	1,05,861
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	16,753	16,753	—	9,069	9,069	—	10,598	10,598	—	13,892	13,892
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	16,753	16,753	—	9,069	9,069	—	10,598	10,598	—	13,892	13,892

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	3,91,791	16,61,681	20,53,473	5,62,012	20,20,094	25,82,106	6,56,222	20,10,194	26,66,416	6,78,459	21,69,804	28,48,264
I. विकास व्यय (क + ख)	3,86,376	10,43,072	14,29,448	5,54,235	12,31,305	17,85,540	6,48,794	12,35,524	18,84,317	6,70,735	12,78,335	19,49,070
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	2,66,219	4,59,654	7,25,873	3,74,649	6,03,675	9,78,325	4,62,065	6,11,216	10,73,281	4,83,587	6,51,333	11,34,920
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	98,381	2,87,049	3,85,430	1,33,428	4,01,623	5,35,051	1,56,253	3,93,011	5,49,264	1,61,014	4,52,274	6,13,288
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,365	51,008	64,373	24,306	67,140	91,446	27,496	62,201	89,697	34,879	66,964	1,01,843
3. परिवार कल्याण	8,108	—	8,108	7,864	—	7,864	9,679	—	9,679	9,887	—	9,887
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,957	62,991	64,948	1,870	66,452	68,322	1,870	68,101	69,971	1,998	62,821	64,819
5. आवास	—	2,055	2,055	—	1,825	1,825	—	1,633	1,633	—	1,903	1,903
6. शहरी विकास	35,467	14,594	50,061	78,438	12,751	91,189	62,162	10,475	72,637	68,604	12,231	80,835
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8,470	3,639	12,109	13,810	2,686	16,496	14,525	2,476	17,001	16,198	2,649	18,846
8. श्रम और श्रम कल्याण	3,006	11,538	14,544	4,816	11,865	16,680	5,909	14,065	19,974	6,177	15,239	21,416
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	82,960	12,004	94,965	88,818	13,365	1,02,183	1,63,270	20,367	1,83,637	1,65,085	12,957	1,78,042
10. पोषण	12,028	68	12,096	18,750	92	18,842	18,350	82	18,432	17,946	89	18,035
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	11,268	11,268	—	20,187	20,187	—	33,461	33,461	—	20,183	20,183
12. अन्य*	2,477	3,440	5,917	2,550	5,689	8,239	2,550	5,344	7,894	1,800	4,023	5,823
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,20,157	5,83,418	7,03,575	1,79,586	6,27,630	8,07,216	1,86,729	6,24,307	8,11,037	1,87,148	6,27,003	8,14,150
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	38,216	55,744	93,959	43,931	72,901	1,16,832	48,388	63,924	1,12,312	57,589	59,210	1,16,799
i) फसल उत्पादन	13,402	10,215	23,617	19,177	14,282	33,459	22,345	12,399	34,744	25,023	11,074	36,097
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	806	2,600	3,406	1,320	3,469	4,789	1,110	3,079	4,189	1,647	2,970	4,617
iii) पशुपालन	5,887	18,583	24,470	7,363	25,120	32,483	6,300	21,170	27,470	6,295	21,980	28,275
iv) डेरी विकास	218	116	334	200	146	346	238	136	374	250	132	382
v) मत्स्यपालन	937	1,196	2,133	1,193	1,551	2,744	1,099	1,401	2,500	1,012	1,419	2,431
vi) वानिकी और वन्य जीवन	11,832	6,463	18,294	10,070	8,217	18,287	10,070	7,453	17,523	12,741	5,553	18,294
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	1,262	1,262	—	1,058	1,058	—	969	969	—	1,241	1,241
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,301	10,745	14,046	3,418	14,261	17,678	3,516	12,843	16,359	7,068	10,004	17,072
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,833	4,441	6,275	1,190	4,615	5,805	3,710	4,322	8,032	3,553	4,673	8,226
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	123	123	—	182	182	—	152	152	—	165	165
2. ग्रामीण विकास	48,508	35,865	84,373	61,047	32,463	93,510	59,543	28,378	87,920	53,455	34,263	87,718
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	17,120	58,425	75,545	26,872	87,594	1,14,466	31,509	93,549	1,25,059	29,177	84,832	1,14,010
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	8,294	57,838	66,132	17,300	86,742	1,04,042	19,320	92,832	1,12,152	19,700	84,053	1,03,753
ii) लघु सिंचाई	—	586	586	—	852	852	—	717	717	—	779	779
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	661	3,00,545	3,01,206	781	2,77,843	2,78,624	803	2,81,155	2,81,958	800	2,97,204	2,98,004
जिसमें से: पावर	—	3,00,109	3,00,109	—	2,77,397	2,77,397	—	2,80,713	2,80,713	—	2,96,758	2,96,758
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	4,147	3,170	7,317	5,276	4,044	9,320	5,299	3,627	8,926	6,355	3,845	10,200
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,325	382	2,707	3,119	505	3,625	3,169	443	3,612	4,090	463	4,553
ii) उद्योग @	1,822	2,788	4,610	2,157	3,539	5,695	2,130	3,185	5,315	2,265	3,382	5,647
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	660	1,27,057	1,27,717	10,600	1,49,293	1,59,893	10,200	1,50,499	1,60,699	15,200	1,44,298	1,59,498
i) सड़क और पुल	460	44,458	44,918	10,000	44,187	54,187	10,000	49,044	59,044	15,000	39,401	54,401
ii) अन्य @@	200	82,599	82,799	600	1,05,106	1,05,706	200	1,01,455	1,01,655	200	1,04,898	1,05,098
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	761	190	951	3,315	220	3,535	3,313	210	3,523	1,280	219	1,499
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	10,084	2,424	12,507	27,764	3,271	31,035	27,674	2,966	30,640	23,292	3,132	26,424
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	10,073	998	11,070	27,746	1,428	29,174	27,634	1,262	28,896	23,265	1,332	24,597
ii) पर्यटन	-	207	207	-	241	241	-	226	226	-	235	235
iii) नागरिक आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य +	11	1,219	1,230	18	1,602	1,620	40	1,478	1,518	27	1,565	1,592
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	5,415	5,97,031	6,02,447	7,777	7,79,783	7,87,560	7,428	7,65,698	7,73,126	7,725	8,83,842	8,91,567
क. राज्य के अंग	115	23,192	23,307	192	27,958	28,150	192	29,383	29,575	173	27,680	27,853
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	44	18,986	19,030	66	24,434	24,501	98	22,733	22,831	43	24,230	24,272
i) कर और शुल्क का संग्रह	44	18,845	18,888	66	24,278	24,345	98	22,593	22,691	43	24,086	24,128
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	142	142	-	156	156	-	140	140	-	144	144
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	2,38,634	2,38,634	-	3,07,557	3,07,557	-	3,01,969	3,01,969	-	4,01,849	4,01,849
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	4,743	4,743	-	7,453	7,453	-	7,248	7,248	-	10,568	10,568
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	2,33,891	2,33,891	-	3,00,104	3,00,104	-	2,94,721	2,94,721	-	3,91,281	3,91,281
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	16,409	16,409	-	15,849	15,849	-	16,109	16,109	-	17,458	17,458
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	1,65,608	1,65,608	-	2,28,554	2,28,554	-	2,19,740	2,19,740	-	3,08,298	3,08,298
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	37,174	37,174	-	85,270	85,270	-	62,404	62,404	-	1,18,678	1,18,678
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	1,03,580	1,03,580	-	1,03,592	1,03,592	-	1,03,654	1,03,654	-	1,14,599	1,14,599
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	48,723	48,723	-	52,410	52,410	-	55,667	55,667	-	62,201	62,201
iv) अन्य	-	3,151	3,151	-	3,292	3,292	-	3,205	3,205	-	3,324	3,324
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	5,257	1,54,705	1,59,962	7,519	2,00,771	2,08,291	7,138	1,92,531	1,99,669	7,510	2,00,003	2,07,513
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	-	6,509	6,509	-	7,717	7,717	-	8,504	8,504	-	8,228	8,228
ii) जिला प्रशासन	-	8,260	8,260	-	11,220	11,220	-	9,910	9,910	-	10,665	10,665
iii) पुलिस	-	1,06,523	1,06,523	-	1,39,851	1,39,851	-	1,35,575	1,35,575	-	1,40,388	1,40,388
iv) लोक निर्माण	5,062	17,594	22,656	7,308	22,162	29,470	6,871	19,787	26,659	7,320	21,395	28,715
v) अन्य ++	195	15,819	16,013	211	19,821	20,032	267	18,755	19,022	190	19,327	19,517
ङ. पेंशन	-	1,61,417	1,61,417	-	2,19,000	2,19,000	-	2,19,000	2,19,000	-	2,30,000	2,30,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	97	97	-	62	62	-	82	82	-	80	80
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	45	45	-	16	16	-	14	14	-	13	13
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	21,578	21,578	-	9,005	9,005	-	8,972	8,972	-	7,627	7,627
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	-	21,578	21,578	-	9,005	9,005	-	8,972	8,972	-	7,627	7,627

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	87,747	8,56,065	9,43,813	1,01,122	9,21,054	10,22,176	1,17,969	9,51,145	10,69,113	1,20,484	10,88,858	12,09,342
I. विकास व्यय (क + ख)	84,693	4,66,952	5,51,645	98,046	4,93,082	5,91,129	1,13,915	5,20,346	6,34,261	1,17,800	5,73,364	6,91,164
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	43,456	2,89,763	3,33,219	41,341	3,17,302	3,58,643	51,330	3,27,755	3,79,085	54,632	3,68,336	4,22,969
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,103	1,61,115	1,72,218	8,240	1,98,149	2,06,389	8,721	1,99,263	2,07,984	10,276	2,32,719	2,42,995
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,717	39,456	42,173	3,913	44,017	47,930	3,821	51,229	55,050	6,439	51,243	57,682
3. परिवार कल्याण	1,404	4,669	6,073	1,309	5,047	6,357	1,354	5,916	7,270	1,693	6,100	7,793
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,699	45,266	47,965	194	39,738	39,932	1,820	39,741	41,561	34	43,367	43,401
5. आवास	1,883	444	2,328	2,461	435	2,896	2,490	448	2,938	2,681	498	3,179
6. शहरी विकास	2,719	5,190	7,908	1,510	4,954	6,464	4,853	5,096	9,949	6,064	5,480	11,544
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,311	670	4,982	5,429	826	6,255	4,992	850	5,841	6,365	975	7,340
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,216	2,420	3,637	150	2,835	2,984	584	2,900	3,484	195	3,364	3,559
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,397	11,234	22,631	14,561	9,945	24,506	15,631	10,615	26,246	16,339	10,712	27,051
10. पोषण	3,636	22	3,658	3,040	40	3,080	6,173	—	6,173	3,653	—	3,653
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	17,171	17,171	—	9,198	9,198	330	9,198	9,528	—	11,321	11,321
12. अन्य*	370	2,105	2,475	534	2,118	2,652	561	2,498	3,059	894	2,558	3,452
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	41,237	1,77,189	2,18,426	56,706	1,75,780	2,32,486	62,585	1,92,591	2,55,176	63,168	2,05,028	2,68,195
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	26,307	56,011	82,318	26,078	51,250	77,327	32,330	59,630	91,960	29,672	61,447	91,119
i) फसल उत्पादन	5,039	8,480	13,519	3,566	9,057	12,623	7,827	9,981	17,809	4,845	10,694	15,539
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	3,077	1,751	4,827	2,105	2,026	4,130	2,818	2,099	4,917	2,004	2,536	4,540
iii) पशुपालन	1,280	9,743	11,023	1,055	10,114	11,169	1,656	11,082	12,739	1,499	12,079	13,578
iv) डेरी विकास	52	931	984	50	937	987	50	1,277	1,327	50	1,045	1,095
v) मत्स्यपालन	208	609	817	123	675	798	228	685	913	187	809	996
vi) वानिकी और वन्य जीवन	9,848	18,521	28,369	11,228	16,965	28,193	11,171	21,039	32,209	11,788	21,368	33,157
vii) बागान	11	65	76	14	70	84	14	70	84	8	84	92
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	51	14,258	14,309	32	9,598	9,630	33	11,588	11,621	34	10,660	10,694
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6,670	200	6,870	7,825	—	7,825	8,425	—	8,425	9,175	—	9,175
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	72	1,453	1,524	80	1,808	1,888	108	1,808	1,917	82	2,172	2,255
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	9,805	15,206	25,010	12,211	16,332	28,543	12,199	16,445	28,644	13,751	17,396	31,147
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,425	18,703	20,128	372	18,419	18,791	645	19,422	20,068	412	21,097	21,509
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	168	834	1,002	—	769	769	—	769	769	—	878	878
ii) लघु सिंचाई	1,169	17,846	19,014	352	17,627	17,979	625	18,631	19,256	392	20,194	20,586
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	89	23	112	—	22	22	—	22	22	—	25	25
5. ऊर्जा	345	10,458	10,803	195	14,291	14,486	190	17,208	17,398	176	15,615	15,791
जिसमें से: पावर	200	10,294	10,494	50	14,100	14,150	50	17,017	17,067	25	15,385	15,410
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,594	2,595	5,189	2,256	2,263	4,519	2,638	2,573	5,211	2,434	2,745	5,179
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,497	1,937	4,434	2,146	1,514	3,660	2,530	1,760	4,289	2,324	1,845	4,168
ii) उद्योग @	97	658	755	110	749	859	108	813	921	110	900	1,010
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	201	71,301	71,502	14,700	69,615	84,315	14,010	73,335	87,345	15,145	82,547	97,692
i) सड़क और पुल	191	65,685	65,876	14,700	62,742	77,442	13,883	65,526	79,409	15,145	72,577	87,722
ii) अन्य @@	10	5,616	5,626	—	6,873	6,873	127	7,809	7,937	—	9,969	9,969
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	40	201	241	—	204	204	21	222	243	400	215	615
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	520	2,714	3,234	894	3,407	4,301	552	3,756	4,308	1,178	3,967	5,145
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	4	1,171	1,175	350	1,411	1,761	1	1,703	1,704	350	1,575	1,925
ii) पर्यटन	505	263	769	543	232	775	540	249	789	550	279	828
iii) नागरिक आपूर्ति	—	668	668	—	954	954	10	966	976	—	1,153	1,153
iv) अन्य +	11	612	623	1	810	811	1	837	838	279	961	1,239
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)	3,055	3,88,717	3,91,771	3,076	4,27,624	4,30,700	4,053	4,30,363	4,34,416	2,684	5,15,146	5,17,830
(क से च)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क. राज्य के अंग	—	9,504	9,504	—	9,372	9,372	—	11,633	11,633	—	11,064	11,064
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	1,003	10,859	11,862	527	12,464	12,991	1,847	13,032	14,878	528	15,162	15,691
i) कर और शुल्क का संग्रह	1,003	10,790	11,793	527	12,354	12,881	1,847	12,920	14,767	528	15,039	15,567
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	69	69	—	110	110	—	112	112	—	124	124
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	1,89,357	1,89,357	—	2,04,860	2,04,860	—	1,98,304	1,98,304	—	2,23,220	2,23,220
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	1,89,357	1,89,357	—	2,04,860	2,04,860	—	1,98,304	1,98,304	—	2,23,220	2,23,220
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	7,738	7,738	—	7,359	7,359	—	6,990	6,990	—	7,070	7,070
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	1,39,040	1,39,040	—	1,61,401	1,61,401	—	1,51,120	1,51,120	—	1,61,784	1,61,784
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	47,208	47,208	—	69,115	69,115	—	58,834	58,834	—	72,422	72,422
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	37,187	37,187	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	42,481	42,481	—	36,100	36,100	—	40,194	40,194	—	54,367	54,367
iv) अन्य	—	98	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	2,051	62,362	64,414	2,549	70,132	72,681	2,207	76,206	78,413	2,156	79,607	81,763
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	3,766	3,766	—	3,829	3,829	—	4,324	4,324	—	4,591	4,591
ii) जिला प्रशासन	2,006	5,931	7,936	2,204	6,941	9,145	1,816	7,749	9,566	1,811	8,293	10,104
iii) पुलिस	—	30,676	30,676	—	32,136	32,136	—	35,540	35,540	—	38,287	38,287
iv) लोक निर्माण	20	12,774	12,794	20	17,230	17,250	20	17,810	17,830	20	16,331	16,351
v) अन्य ++	26	9,215	9,241	325	9,996	10,321	371	10,782	11,152	325	12,104	12,429
ङ. पेंशन	—	1,15,392	1,15,392	—	1,29,850	1,29,850	—	1,29,850	1,29,850	—	1,85,000	1,85,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	1,243	1,243	—	946	946	—	1,338	1,338	—	1,092	1,092
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	397	397	—	347	347	—	436	436	—	347	347
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	397	397	—	347	347	—	436	436	—	347	347

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	44,822	11,99,864	12,44,686	70,321	14,02,258	14,72,579	69,364	14,40,628	15,09,992	97,973	16,47,581	17,45,554
I. विकास व्यय (क + ख)	44,596	6,65,468	7,10,064	70,149	7,83,377	8,53,526	69,183	7,87,096	8,56,279	97,666	8,53,351	9,51,017
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	33,586	2,94,224	3,27,810	54,728	3,68,199	4,22,927	56,453	3,83,362	4,39,816	89,460	4,15,203	5,04,663
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,688	1,39,154	1,54,842	31,466	1,82,206	2,13,672	33,571	1,82,013	2,15,584	54,447	1,99,846	2,54,293
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,631	64,153	65,785	4,086	78,521	82,608	3,256	82,732	85,989	9,522	94,418	1,03,939
3. परिवार कल्याण	580	794	1,374	210	1,495	1,705	210	1,118	1,328	223	1,488	1,711
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,878	42,954	44,832	1,500	49,946	51,446	1,500	50,134	51,634	1,915	53,340	55,255
5. आवास	—	3,449	3,449	—	3,781	3,781	—	4,128	4,128	—	4,010	4,010
6. शहरी विकास	189	20,040	20,229	215	21,017	21,232	215	25,208	25,423	373	26,034	26,407
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,594	659	2,253	4,451	860	5,311	4,551	750	5,301	4,822	909	5,731
8. श्रम और श्रम कल्याण	122	1,125	1,247	250	1,455	1,705	1,600	1,295	1,895	2,557	5,387	7,944
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,754	7,968	19,722	12,385	9,389	21,774	12,385	15,144	27,529	13,175	13,359	26,534
10. पोषण	—	1,404	1,404	—	1,527	1,527	—	2,415	2,415	2,227	2,530	4,757
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	9,464	9,464	—	14,484	14,484	—	14,479	14,479	—	9,768	9,768
12. अन्य*	150	3,061	3,211	165	3,517	3,682	165	3,946	4,111	200	4,114	4,314
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	11,010	3,71,244	3,82,254	15,420	4,15,178	4,30,598	12,729	4,03,734	4,16,463	8,206	4,38,148	4,46,354
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	953	71,075	72,029	1,185	92,680	93,865	1,185	87,733	88,918	1,949	1,03,553	1,05,502
i) फसल उत्पादन	670	13,633	14,303	960	18,807	19,767	960	18,956	19,916	1,437	21,538	22,975
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	12	3,582	3,594	—	4,186	4,186	—	3,941	3,941	8	4,576	4,584
iii) पशुपालन	195	19,975	20,169	90	22,142	22,232	90	21,840	21,930	311	24,766	25,077
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	12	2,292	2,304	5	2,937	2,942	5	3,004	3,009	5	3,262	3,267
vi) वानिकी और वन्य जीवन	60	22,954	23,014	70	32,563	32,633	70	28,272	28,342	106	35,703	35,808
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	64	64	—	81	81	10	83	93	—	87	87
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5	5,966	5,971	10	8,394	8,404	—	8,322	8,322	—	9,764	9,764
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	—	1,510	1,510	50	2,237	2,287	50	1,924	1,974	82	2,338	2,420
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	1,100	1,100	—	1,332	1,332	—	1,392	1,392	—	1,519	1,519
2. ग्रामीण विकास	1,075	14,399	15,474	1,038	20,019	21,058	1,038	15,958	16,996	1,134	18,739	19,873
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	1,146	1,146	—	1,425	1,425	—	1,470	1,470	—	1,678	1,678
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	30	24,713	24,743	40	30,231	30,271	40	28,856	28,896	118	30,039	30,157
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	20	4,915	4,935	—	5,630	5,630	—	5,501	5,501	75	5,558	5,632
ii) लघु सिंचाई	—	14,826	14,826	30	18,233	18,263	30	16,909	16,939	32	17,828	17,860
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	3,790	3,790	—	4,763	4,763	—	4,803	4,803	—	4,795	4,795
5. ऊर्जा	—	2,32,908	2,32,908	5	2,38,061	2,38,066	—	2,38,042	2,38,042	—	2,48,382	2,48,382
जिसमें से: पावर	—	2,32,908	2,32,908	5	2,38,061	2,38,066	—	2,38,042	2,38,042	—	2,48,382	2,48,382
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	93	14,417	14,510	160	18,203	18,363	160	17,000	17,160	295	19,679	19,974
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	93	12,965	13,058	160	15,930	16,090	160	14,951	15,111	291	17,614	17,905
ii) उद्योग @	—	1,451	1,451	—	2,273	2,273	—	2,049	2,049	4	2,066	2,069
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	—	4,337	4,337	—	4,735	4,735	—	4,778	4,778	—	4,789	4,789
i) सड़क और पुल	—	4,337	4,337	—	4,735	4,735	—	4,778	4,778	—	4,789	4,789
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	10	1,014	1,024	—	1,301	1,301	—	1,209	1,209	—	1,750	1,750
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	8,849	7,234	16,083	12,992	8,523	21,515	10,306	8,689	18,995	4,711	9,538	14,249
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,601	2,031	4,632	5,105	2,519	7,624	7,419	2,633	10,052	2,500	2,872	5,372
ii) पर्यटन	528	3,862	4,390	601	4,458	5,059	601	4,413	5,014	827	4,871	5,698
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	5,720	1,341	7,061	7,286	1,545	8,831	2,286	1,643	3,929	1,384	1,795	3,179
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	226	5,34,396	5,34,622	172	6,18,881	6,19,054	182	6,53,531	6,53,713	307	7,94,230	7,94,537
क. राज्य के अंग	—	16,915	16,915	—	15,706	15,706	—	15,443	15,443	—	17,612	17,612
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	—	13,419	13,419	—	11,944	11,944	—	14,925	14,925	17	12,507	12,524
i) कर और शुल्क का संग्रह	—	13,347	13,347	—	11,865	11,865	—	14,813	14,813	17	12,404	12,421
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	72	72	—	79	79	—	112	112	—	103	103
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	1,60,055	1,60,055	—	1,72,740	1,72,740	—	2,02,270	2,02,270	—	2,25,107	2,25,107
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	100	100	—	100	100	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	1,59,955	1,59,955	—	1,72,640	1,72,640	—	2,02,270	2,02,270	—	2,25,107	2,25,107
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	14,088	14,088	—	19,054	19,054	—	—	—	—	—	—
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	62,312	62,312	—	48,792	48,792	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	20,000	20,000	—	13,500	13,500	—	—	—	—	—	—
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	30,075	30,075	—	20,500	20,500	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	41,677	41,677	—	41,292	41,292	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य	—	41,878	41,878	—	63,502	63,502	—	2,02,270	2,02,270	—	2,25,107	2,25,107
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	226	2,29,303	2,29,529	172	2,77,287	2,77,459	182	2,71,264	2,71,446	290	3,58,896	3,59,186
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	201	3,141	3,341	100	4,060	4,160	100	4,111	4,211	178	4,747	4,925
ii) जिला प्रशासन	—	3,843	3,843	—	5,001	5,001	—	4,456	4,456	—	4,938	4,938
iii) पुलिस	—	1,79,325	1,79,325	—	1,91,857	1,91,857	—	2,07,244	2,07,244	—	2,12,529	2,12,529
iv) लोक निर्माण	—	20,431	20,431	—	27,641	27,641	—	26,270	26,270	30	29,605	29,635
v) अन्य ++	26	22,563	22,589	72	48,729	48,801	82	29,183	29,265	82	1,07,077	1,07,159
ङ. पेंशन	—	1,14,700	1,14,700	—	1,41,200	1,41,200	—	1,49,523	1,49,523	—	1,80,000	1,80,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	4	4	—	5	5	—	107	107	—	108	108
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	5,36,147	10,11,774	15,47,921	5,65,229	12,56,065	18,21,295	5,39,507	11,83,213	17,22,721	6,16,694	10,38,395	16,55,089
I. विकास व्यय (क + ख)	5,10,980	4,78,797	9,89,778	5,39,444	5,76,529	11,15,973	5,13,071	5,59,330	10,72,400	5,98,258	4,69,072	10,67,330
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	2,85,815	3,60,307	6,46,122	3,20,663	4,10,824	7,31,486	3,02,059	3,96,748	6,98,807	3,48,685	3,24,319	6,73,004
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,20,635	2,19,631	3,40,266	1,16,029	2,68,065	3,84,094	1,07,390	2,30,460	3,37,850	1,09,177	2,35,879	3,45,056
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,073	48,843	62,916	23,925	63,826	87,752	14,885	55,478	70,363	16,809	45,831	62,640
3. परिवार कल्याण	15,271	1,501	16,772	16,440	1,787	18,227	16,441	1,781	18,222	17,596	1,219	18,815
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,300	15,442	17,742	1,325	19,291	20,616	1,325	17,121	18,446	9,700	17,150	26,850
5. आवास	2,480	10,208	12,688	7,000	1,308	8,308	8,308	—	8,308	580	801	1,381
6. शहरी विकास	1,266	566	1,832	495	10,052	10,547	495	10,265	10,760	10,700	1,274	11,974
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	30,192	19,315	49,506	37,627	9,017	46,644	41,138	8,365	49,503	46,457	7,289	53,746
8. श्रम और श्रम कल्याण	18,515	3,772	22,287	14,335	6,961	21,296	8,438	6,788	15,226	15,750	4,571	20,321
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	60,024	15,553	75,577	69,437	2,479	71,916	73,882	849	74,731	81,900	2,028	83,927
10. पोषण	20,060	—	20,060	32,015	—	32,015	29,657	—	29,657	38,515	—	38,515
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	20,916	20,916	—	23,251	23,251	—	60,128	60,128	—	4,390	4,390
12. अन्य*	1,000	4,561	5,561	2,035	4,787	6,822	100	5,513	5,613	1,500	3,889	5,389
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,25,165	1,18,491	3,43,656	2,18,781	1,65,706	3,84,487	2,11,012	1,62,582	3,73,594	2,49,573	1,44,753	3,94,326
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	88,967	26,855	1,15,822	58,432	35,187	93,619	51,260	31,338	82,598	67,416	30,005	97,422
i) फसल उत्पादन	54,406	4,049	58,455	24,642	5,360	30,002	22,028	4,150	26,178	29,640	4,151	33,791
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	550	1,137	1,687	1,018	1,536	2,554	868	1,461	2,329	3,415	1,366	4,781
iii) पशुपालन	3,306	5,607	8,913	2,891	7,653	10,544	2,019	7,653	9,673	4,279	6,122	10,401
iv) डेरी विकास	5,100	529	5,629	6,087	677	6,764	4,841	468	5,309	6,134	597	6,730
v) मत्स्यपालन	1,864	489	2,353	2,088	630	2,718	1,688	561	2,248	2,098	889	2,987
vi) वानिकी और वन्य जीवन	13,059	10,577	23,636	12,847	13,675	26,522	11,349	11,613	22,963	13,826	12,036	25,862
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,912	2,217	5,129	2,350	2,673	5,023	1,996	2,636	4,632	4,200	2,132	6,332
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	7,630	2,162	9,792	6,240	2,863	9,103	6,240	2,684	8,924	3,640	2,602	6,242
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	140	88	228	270	119	389	230	112	342	185	111	296
2. ग्रामीण विकास	67,661	24,074	91,735	66,978	23,779	90,757	72,504	19,141	91,645	74,265	26,725	1,00,990
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	400	24,090	24,490	400	31,956	32,356	—	27,237	27,237	400	27,599	27,999
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	18,473	18,473	—	25,185	25,185	—	20,238	20,238	—	21,434	21,434
ii) लघु सिंचाई	—	5,116	5,116	—	6,271	6,271	—	6,099	6,099	—	6,064	6,064
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	500	500	—	500	500	—	500	500	—	100	100
5. ऊर्जा	21,145	8,130	29,275	45,845	30,135	75,980	23,995	40,135	64,130	42,940	30,130	73,070
<i>जिसमें से:</i> पावर	17,645	8,130	25,775	42,345	30,135	72,480	22,995	40,135	63,130	40,940	30,130	71,070
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	14,042	3,367	17,409	13,040	4,517	17,556	19,538	4,263	23,801	12,458	4,183	16,641
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	6,563	1,571	8,134	6,929	2,152	9,081	7,082	2,040	9,122	8,129	1,839	9,968
ii) उद्योग @	7,479	1,796	9,275	6,111	2,365	8,476	12,456	2,223	14,679	4,329	2,344	6,673
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,248

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	13,500	24,921	38,420	2,075	33,363	35,438	12,900	34,765	47,664	860	19,976	20,836
i) सड़क और पुल	533	23,406	23,939	555	22,086	22,641	5,510	19,023	24,533	760	11,361	12,121
ii) अन्य @@	12,967	1,514	14,481	1,520	11,277	12,797	7,390	15,741	23,131	100	8,615	8,715
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	19,451	7,054	26,505	32,011	6,770	38,781	30,815	5,703	36,518	51,234	6,136	57,369
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	-	2,136	2,137	-	2,882	2,882	-	2,382	2,382	-	2,586	2,586
ii) पर्यटन	4,036	150	4,186	985	190	1,175	255	155	410	545	167	712
iii) नागरिक आपूर्ति	15,052	3,659	18,712	30,500	2,121	32,621	30,059	1,946	32,005	50,000	1,892	51,892
iv) अन्य +	362	1,108	1,471	526	1,576	2,102	501	1,220	1,721	689	1,491	2,180
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	25,167	5,29,416	5,54,583	25,786	6,79,491	7,05,277	26,437	6,23,838	6,50,275	18,436	5,69,277	5,87,714
क. राज्य के अंग	-	19,981	19,981	-	34,458	34,458	-	29,360	29,360	-	22,702	22,702
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	2,845	18,099	20,944	1,500	23,643	25,143	1,826	19,854	21,679	2,150	19,749	21,899
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,845	17,913	20,758	1,500	23,395	24,895	1,826	19,637	21,463	2,150	19,508	21,658
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	186	186	-	248	248	-	217	217	-	241	241
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	2,13,694	2,13,694	-	2,42,851	2,42,851	-	2,23,598	2,23,598	-	2,13,505	2,13,505
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	2,13,694	2,13,694	-	2,42,851	2,42,851	-	2,23,598	2,23,598	-	2,13,505	2,13,505
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	29,556	29,556	-	26,600	26,600	-	26,600	26,600	-	25,783	25,783
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	1,54,412	1,54,412	-	1,83,535	1,83,535	-	1,83,535	1,83,535	-	1,73,131	1,73,131
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	50,950	50,950	-	42,500	42,500	-	42,500	42,500	-	46,887	46,887
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	70,200	70,200	-	96,806	96,806	-	96,806	96,806	-	90,913	90,913
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	29,500	29,500	-	32,453	32,453	-	13,200	13,200	-	14,500	14,500
iv) अन्य	-	226	226	-	263	263	-	263	263	-	91	91
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	22,322	1,65,082	1,87,403	24,286	2,25,488	2,49,774	24,611	1,78,716	2,03,327	16,287	1,73,209	1,89,495
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	100	7,117	7,217	250	8,490	8,740	60	7,326	7,386	200	4,942	5,142
ii) जिला प्रशासन	11,531	6,714	18,245	15,255	8,398	23,653	8,662	7,091	15,753	10,741	6,999	17,740
iii) पुलिस	8,838	1,26,963	1,35,801	7,240	1,80,656	1,87,896	7,240	1,42,830	1,50,070	5,000	1,40,878	1,45,878
iv) लोक निर्माण	75	10,603	10,678	55	9,064	9,119	7,150	1,283	8,434	60	6,142	6,202
v) अन्य ++	1,778	13,684	15,461	1,486	18,880	20,366	1,498	20,186	21,685	286	14,247	14,533
ङ. पेंशन	-	1,12,560	1,12,560	-	1,53,051	1,53,051	-	1,72,311	1,72,311	-	1,40,113	1,40,113
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	3,561	3,561	-	45	45	-	45	45	-	45	45
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	-	3,561	3,561	-	45	45	-	45	45	-	45	45

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	10,53,031	31,12,899	41,65,929	14,03,135	33,20,631	47,23,766	12,59,906	33,26,878	45,86,783	15,12,441	38,01,388	53,13,829
I. विकास व्यय (क + ख)	9,62,414	17,38,549	27,00,963	13,04,468	16,74,771	29,79,239	11,67,710	18,37,000	30,04,710	14,13,443	20,04,418	34,17,861
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	5,92,544	9,94,755	15,87,299	8,61,433	10,11,765	18,73,198	7,38,247	12,26,702	19,64,949	9,61,130	12,34,116	21,95,246
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,88,441	6,60,796	8,49,238	2,10,052	6,70,608	8,80,661	1,94,271	6,73,624	8,67,896	2,37,259	8,00,978	10,38,237
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	41,737	1,08,966	1,50,703	53,775	1,18,796	1,72,571	48,517	1,18,621	1,67,138	67,872	1,35,456	2,03,328
3. परिवार कल्याण	25,021	1,546	26,567	28,192	1,504	29,696	29,428	1,505	30,933	31,057	1,443	32,500
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	20,117	1,192	21,309	23,156	1,242	24,398	18,056	1,242	19,298	17,214	1,170	18,385
5. आवास	55,817	5,157	60,974	67,226	6,062	73,288	61,225	6,062	67,288	68,197	18,700	86,898
6. शहरी विकास	47,923	8,227	56,150	1,32,709	7,976	1,40,685	76,129	10,101	86,230	1,27,720	21,268	1,48,988
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	84,938	46,955	1,31,893	1,53,372	44,964	1,98,336	1,21,984	45,096	1,67,080	1,89,965	49,208	2,39,173
8. श्रम और श्रम कल्याण	11,952	6,282	18,234	22,653	6,380	29,033	18,778	6,380	25,158	30,394	7,402	37,796
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	99,401	96,889	1,96,290	1,36,303	96,839	2,33,143	1,38,033	1,03,513	2,41,546	1,57,076	1,34,683	2,91,759
10. पोषण	11,396	14,155	25,551	29,671	31,400	61,071	24,937	31,400	56,337	27,935	33,000	60,935
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	32,184	32,184	—	13,936	13,936	3,629	2,16,650	2,20,279	—	16,096	16,096
12. अन्य*	5,802	12,405	18,206	4,325	12,056	16,381	3,261	12,506	15,766	6,440	14,712	21,152
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	3,69,870	7,43,794	11,13,664	4,43,035	6,63,006	11,06,041	4,29,462	6,10,298	10,39,760	4,52,313	7,70,302	12,22,615
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	1,59,326	1,74,516	3,33,842	2,10,076	1,77,570	3,87,646	1,91,673	2,14,447	4,06,119	2,46,329	2,15,835	4,62,163
i) फसल उत्पादन	75,523	23,286	98,809	94,561	27,455	1,22,016	79,230	27,530	1,06,759	1,00,984	30,089	1,31,073
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	11,473	5,968	17,441	18,437	5,312	23,749	12,687	5,407	18,094	34,776	5,779	40,555
iii) पशुपालन	11,516	19,263	30,779	16,702	19,308	36,010	16,053	19,130	35,183	22,079	20,869	42,948
iv) डेरी विकास	11,748	—	11,748	22,645	—	22,645	21,670	—	21,670	25,495	—	25,495
v) मत्स्यपालन	3,746	1,721	5,466	7,792	1,716	9,508	6,944	1,770	8,714	8,505	1,772	10,277
vi) वानिकी और वन्य जीवन	21,591	25,238	46,829	22,089	26,602	48,690	24,366	34,107	58,473	18,878	40,359	59,237
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	75,210	75,210	—	78,704	78,704	800	1,10,404	1,11,204	—	88,993	88,993
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6,913	9,759	16,672	12,080	8,264	20,344	10,475	8,264	18,739	12,680	17,061	29,741
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	16,817	14,071	30,888	15,771	10,208	25,979	19,448	7,835	27,283	22,932	10,913	33,845
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	58,318	35,825	94,143	74,901	37,462	1,12,363	69,210	42,021	1,11,231	64,961	97,465	1,62,426
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	22,973	19	22,992	33,479	—	33,479	48,479	—	48,479	8,122	—	8,122
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9,226	16,997	26,223	11,688	19,734	31,422	17,251	19,850	37,100	18,967	19,418	38,386
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	603	6,319	6,923	1,296	8,928	10,224	6,849	9,037	15,886	1,745	7,853	9,598
ii) लघु सिंचाई	2,693	10,637	13,330	2,969	10,762	13,731	2,979	10,769	13,747	4,324	11,517	15,841
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	41	41	—	44	44	—	44	44	—	48	48
5. ऊर्जा	751	1,94,456	1,95,207	3,740	2,40,390	2,44,130	3,940	1,90,190	1,94,130	4,556	2,82,713	2,87,269
जिसमें से: पावर	53	1,94,456	1,94,509	2,748	2,40,190	2,42,938	2,748	1,90,190	1,92,938	2,738	2,82,713	2,85,451
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	22,124	23,622	45,746	27,643	24,976	52,619	21,208	21,831	43,039	32,618	23,736	56,354
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	15,576	21,194	36,770	21,557	22,211	43,768	15,820	18,867	34,687	18,066	20,585	38,651
ii) उद्योग @	6,547	2,429	8,976	6,085	2,766	8,851	5,387	2,965	8,352	14,552	3,151	17,703
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	80,432	65,741	1,46,172	59,313	61,118	1,20,431	55,234	55,950	1,11,183	48,949	58,466	1,07,416
i) सड़क और पुल	80,432	45,799	1,26,231	59,313	42,968	1,02,281	55,234	39,030	94,264	48,949	37,823	86,772
ii) अन्य @@	—	19,941	19,941	—	18,150	18,150	—	16,920	16,920	—	20,644	20,644
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,199	1	2,200	4,091	1	4,092	2,911	1	2,912	3,898	1	3,899
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	14,521	2,32,617	2,47,137	18,105	1,01,755	1,19,859	19,557	66,009	85,565	23,913	72,667	96,580
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	4,751	3,471	8,222	6,287	3,640	9,928	8,409	3,811	12,221	8,642	4,571	13,213
ii) पर्यटन	6,323	238	6,561	7,280	267	7,547	7,280	267	7,547	10,129	289	10,418
iii) नागरिक आपूर्ति	215	1,008	1,223	169	1,213	1,382	119	1,213	1,332	16	1,340	1,356
iv) अन्य +	3,232	2,27,900	2,31,132	4,368	96,634	1,01,002	3,748	60,717	64,465	5,126	66,467	71,594
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	11,020	12,16,537	12,27,557	18,667	14,53,892	14,72,559	14,196	13,30,910	13,45,106	10,998	15,96,456	16,07,454
क. राज्य के अंग	1,816	43,673	45,490	1,004	48,514	49,519	2,505	53,635	56,140	2,038	52,796	54,834
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	719	43,720	44,439	1,101	51,666	52,767	1,101	52,720	53,821	900	59,027	59,927
i) कर और शुल्क का संग्रह	719	42,520	43,239	1,101	50,298	51,399	1,101	51,352	52,453	900	58,426	59,326
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	1,199	1,199	—	1,368	1,368	—	1,368	1,368	—	601	601
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	4,53,203	4,53,203	—	5,57,800	5,57,800	—	5,25,000	5,25,000	—	6,31,600	6,31,600
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	4,53,203	4,53,203	—	5,57,800	5,57,800	—	5,25,000	5,25,000	—	6,31,600	6,31,600
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	75,769	75,769	—	89,291	89,291	—	73,970	73,970	—	80,265	80,265
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	3,03,823	3,03,823	—	3,79,030	3,79,030	—	3,71,832	3,71,832	—	4,64,705	4,64,705
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	96,381	96,381	—	1,45,067	1,45,067	—	1,52,301	1,52,301	—	2,51,711	2,51,711
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,90,601	1,90,601	—	2,13,779	2,13,779	—	1,88,759	1,88,759	—	1,89,294	1,89,294
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	73,584	73,584	—	89,469	89,469	—	79,187	79,187	—	86,616	86,616
iv) अन्य	—	27	27	—	11	11	—	11	11	—	14	14
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	8,485	2,62,016	2,70,501	16,561	3,93,183	4,09,744	10,590	3,46,892	3,57,481	8,060	4,00,644	4,08,704
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	6,858	6,858	220	6,751	6,971	120	6,902	7,022	250	7,910	8,160
ii) जिला प्रशासन	261	20,196	20,457	3,000	19,657	22,657	500	19,704	20,204	—	21,759	21,759
iii) पुलिस	1,972	1,57,091	1,59,063	4,000	1,81,482	1,85,482	1,100	1,75,906	1,77,006	1,100	1,98,530	1,99,630
iv) लोक निर्माण	128	42,492	42,621	400	43,160	43,560	459	45,670	46,129	500	40,525	41,025
v) अन्य ++	6,123	35,380	41,503	8,941	1,42,133	1,51,075	8,411	98,709	1,07,120	6,210	1,31,919	1,38,129
ङ. पेंशन	—	4,11,263	4,11,263	—	4,00,066	4,00,066	—	3,50,000	3,50,000	—	4,50,000	4,50,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	2,662	2,662	—	2,663	2,663	—	2,663	2,663	—	2,390	2,390
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	79,596	1,57,813	2,37,409	80,000	1,91,968	2,71,968	78,000	1,58,968	2,36,968	88,000	2,00,514	2,88,514
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	79,596	1,57,813	2,37,409	80,000	1,91,968	2,71,968	78,000	1,58,968	2,36,968	88,000	2,00,514	2,88,514

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	3,22,342	25,00,046	28,22,388	4,24,994	26,91,190	31,16,184	3,98,590	26,62,222	30,60,812	5,43,341	29,37,697	34,81,038
I. विकास व्यय (क + ख)	3,06,447	10,22,691	13,29,138	3,87,159	10,83,549	14,70,708	3,60,669	10,98,755	14,59,424	5,24,326	11,74,446	16,98,771
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	1,90,967	7,45,317	9,36,283	2,53,657	8,52,443	11,06,100	2,29,046	8,48,337	10,77,383	3,72,069	9,27,728	12,99,797
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	30,409	5,09,924	5,40,333	36,361	5,88,245	6,24,606	39,780	5,91,960	6,31,739	53,836	6,31,769	6,85,605
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,479	1,22,529	1,35,008	9,085	1,34,313	1,43,398	9,127	1,35,064	1,44,190	14,021	1,57,573	1,71,593
3. परिवार कल्याण	5,194	12,575	17,770	5,627	14,525	20,152	15,053	1,799	16,852	20,429	6,111	26,540
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	15,910	11,569	27,478	9,978	12,437	22,415	6,582	12,369	18,951	46,142	13,716	59,858
5. आवास	990	3,392	4,382	2,235	11,984	14,219	2,242	12,632	14,874	2,472	13,001	15,473
6. शहरी विकास	52,576	1,281	53,857	86,186	1,442	87,628	59,663	1,365	61,027	91,505	1,712	93,217
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	34,415	16,199	50,614	50,863	20,204	71,067	39,807	20,405	60,212	62,351	20,994	83,345
8. श्रम और श्रम कल्याण	4,984	15,097	20,081	12,810	16,089	28,899	11,829	17,036	28,865	18,635	17,953	36,588
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	32,576	38,343	70,919	39,582	38,267	77,850	43,925	38,168	82,093	61,079	49,386	1,10,465
10. पोषण	—	70	70	—	133	133	—	133	133	—	167	167
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	10,845	10,845	—	10,391	10,391	—	12,891	12,891	—	10,391	10,391
12. अन्य*	1,434	3,492	4,926	930	4,412	5,342	1,039	4,514	5,554	1,600	4,955	6,555
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,15,480	2,77,375	3,92,855	1,33,501	2,31,107	3,64,608	1,31,623	2,50,417	3,82,041	1,52,256	2,46,718	3,98,974
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	48,005	1,00,747	1,48,752	45,620	92,589	1,38,209	45,240	1,09,085	1,54,325	66,527	1,07,705	1,74,232
i) फसल उत्पादन	22,666	23,753	46,419	20,199	23,062	43,261	18,329	26,422	44,751	28,926	27,005	55,931
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,502	1,947	3,449	1,836	2,104	3,940	1,542	2,091	3,633	1,910	2,435	4,345
iii) पशुपालन	5,529	13,318	18,847	6,496	14,291	20,787	6,496	14,133	20,630	10,202	16,195	26,397
iv) डेरी विकास	2,642	1,667	4,309	1,936	1,933	3,869	2,071	1,942	4,013	3,616	2,259	5,875
v) मत्स्यपालन	5,647	2,761	8,408	5,297	2,610	7,907	6,866	3,676	10,541	6,576	3,205	9,781
vi) वानिकी और वन्य जीवन	5,328	14,032	19,360	5,084	14,630	19,714	5,216	14,605	19,821	7,526	16,972	24,498
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	596	23,475	24,072	407	14,378	14,785	416	20,385	20,800	409	18,903	19,312
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,415	7,077	10,492	3,320	7,845	11,165	3,314	12,192	15,506	5,175	10,156	15,331
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	331	12,626	12,958	536	11,666	12,202	528	13,571	14,099	1,172	10,492	11,663
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	348	90	438	510	69	579	463	69	532	1,015	84	1,099
2. ग्रामीण विकास	17,011	13,426	30,437	21,454	17,463	38,917	23,557	17,477	41,033	24,238	20,243	44,481
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,410	—	1,410	3,235	—	3,235	3,235	—	3,235	3,559	—	3,559
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,865	31,661	34,526	3,674	29,649	33,323	3,869	28,844	32,713	3,501	31,065	34,566
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	24	15,939	15,963	45	16,609	16,654	31	16,106	16,137	65	16,170	16,235
ii) लघु सिंचाई	2,348	12,683	15,031	2,942	11,277	14,219	3,051	10,976	14,027	2,342	12,468	14,810
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	4	3,040	3,044	—	1,762	1,762	—	1,762	1,762	—	2,428	2,428
5. ऊर्जा	8,232	214	8,445	3,751	235	3,986	1,926	235	2,161	5,320	259	5,579
जिसमें से: पावर	7,466	57	7,523	1,125	62	1,187	—	62	62	—	68	68
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	11,926	9,943	21,869	19,730	6,718	26,448	19,708	6,796	26,504	22,051	7,056	29,107
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	8,994	7,074	16,068	14,855	5,816	20,671	14,533	5,893	20,426	16,339	6,036	22,375
ii) उद्योग @	2,932	2,868	5,800	4,875	902	5,777	5,175	902	6,077	5,712	1,020	6,732
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	5,688	1,10,563	1,16,250	17,264	72,427	89,691	14,236	75,849	90,085	758	66,687	67,445
i) सड़क और पुल	704	1,04,154	1,04,858	17,124	66,020	83,144	14,096	69,437	83,533	69	59,601	59,670
ii) अन्य @@	4,984	6,409	11,393	140	6,407	6,547	140	6,411	6,551	689	7,085	7,774
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,957	1,987	4,944	4,980	2,227	7,207	4,406	2,227	6,633	5,527	2,450	7,977
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	17,388	8,834	26,222	13,793	9,799	23,592	15,446	9,904	25,351	20,776	11,253	32,029
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	6,842	2,543	9,385	7,527	2,898	10,425	7,362	2,907	10,269	11,093	3,284	14,377
ii) पर्यटन	9,109	1,967	11,076	4,797	2,259	7,056	6,624	2,356	8,980	7,928	2,566	10,494
iii) नागरिक आपूर्ति	92	769	861	30	810	840	28	819	846	135	945	1,080
iv) अन्य +	1,345	3,555	4,900	1,439	3,831	5,270	1,432	3,823	5,255	1,620	4,459	6,079
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	15,895	12,50,842	12,66,738	37,835	13,58,203	13,96,038	37,921	13,13,867	13,51,788	19,015	14,93,603	15,12,618
क. राज्य के अंग	-	27,368	27,368	25	30,751	30,776	25	33,168	33,193	55	38,855	38,910
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	218	55,765	55,983	250	57,189	57,439	323	57,507	57,830	300	65,419	65,719
i) कर और शुल्क का संग्रह	218	46,724	46,942	250	49,745	49,995	323	50,049	50,371	300	57,926	58,226
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	9,041	9,041	-	7,444	7,444	-	7,458	7,458	-	7,493	7,493
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	5,00,403	5,00,403	-	5,58,803	5,58,803	-	5,45,043	5,45,043	-	6,06,148	6,06,148
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	34,434	34,434	-	27,636	27,636	-	24,887	24,887	-	27,500	27,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	4,65,969	4,65,969	-	5,31,167	5,31,167	-	5,20,156	5,20,156	-	5,78,648	5,78,648
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	43,523	43,523	-	48,191	48,191	-	42,309	42,309	-	47,928	47,928
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	3,00,931	3,00,931	-	3,28,737	3,28,737	-	3,39,590	3,39,590	-	3,99,179	3,99,179
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	1,38,285	1,38,285	-	1,64,132	1,64,132	-	1,72,038	1,72,038	-	2,27,821	2,27,821
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	1,15,983	1,15,983	-	1,17,094	1,17,094	-	1,17,220	1,17,220	-	1,15,487	1,15,487
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	1,21,516	1,21,516	-	1,54,239	1,54,239	-	1,38,257	1,38,257	-	1,31,541	1,31,541
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	5,002	1,59,758	1,64,761	26,985	1,73,677	2,00,662	26,998	1,73,006	2,00,004	8,085	1,91,930	2,00,015
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	8	8,184	8,192	-	8,654	8,654	-	8,800	8,800	-	9,501	9,501
ii) जिला प्रशासन	3,513	11,704	15,218	24,810	12,376	37,186	24,756	12,708	37,464	3,835	14,893	18,728
iii) पुलिस	168	95,771	95,939	185	1,03,586	1,03,771	176	1,03,712	1,03,888	1,430	1,13,527	1,14,957
iv) लोक निर्माण	-	13,235	13,235	-	14,641	14,641	-	13,834	13,834	-	14,498	14,498
v) अन्य ++	1,313	30,864	32,177	1,990	34,420	36,410	2,066	33,953	36,019	2,820	39,510	42,330
ङ. पेंशन	-	4,68,643	4,68,643	-	5,00,587	5,00,587	-	4,62,830	4,62,830	-	5,42,684	5,42,684
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	10,675	38,905	49,580	10,575	37,196	47,771	10,575	42,313	52,888	10,575	48,566	59,141
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	37,226	37,226	-	36,650	36,650	-	39,725	39,725	-	48,200	48,200
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	2,26,512	2,26,512	-	2,49,438	2,49,438	-	2,49,600	2,49,600	-	2,69,649	2,69,649
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	-	2,26,512	2,26,512	-	2,49,438	2,49,438	-	2,49,600	2,49,600	-	2,69,649	2,69,649

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	7,62,159	21,89,229	29,51,388	11,28,577	26,97,635	38,26,211	11,41,438	26,56,245	37,97,683	12,65,062	29,21,264	41,86,325
I. विकास व्यय (क + ख)	7,35,943	10,21,767	17,57,710	10,72,741	11,37,267	22,10,008	11,07,361	12,09,798	23,17,159	11,97,385	12,60,548	24,57,933
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	4,14,010	6,00,584	10,14,594	6,26,163	7,08,498	13,34,661	6,55,476	7,36,294	13,91,770	7,20,297	7,71,227	14,91,524
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,14,243	3,75,222	4,89,465	1,68,982	4,54,629	6,23,611	1,76,407	4,80,438	6,56,844	1,81,322	5,05,435	6,86,757
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,839	96,957	1,14,796	19,844	1,20,759	1,40,603	20,549	1,12,250	1,32,800	29,801	1,27,924	1,57,725
3. परिवार कल्याण	15,807	212	16,019	18,407	491	18,898	16,708	469	17,176	21,796	494	22,290
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	15,910	25,758	41,667	16,756	27,661	44,417	18,762	34,587	53,348	19,681	34,867	54,548
5. आवास	10,307	6,484	16,791	7,880	7,703	15,583	7,880	8,122	16,002	9,271	7,778	17,050
6. शहरी विकास	49,641	1,149	50,790	45,150	1,376	46,525	53,695	1,429	55,124	82,320	1,598	83,918
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	88,088	22,861	1,10,950	1,02,660	25,040	1,27,700	1,06,762	24,808	1,31,570	1,10,801	26,093	1,36,894
8. श्रम और श्रम कल्याण	3,435	6,474	9,909	3,896	7,429	11,325	3,954	8,208	12,162	4,812	8,418	13,230
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	70,272	29,650	99,922	1,60,855	19,171	1,80,026	1,69,180	21,429	1,90,609	1,85,868	11,602	1,97,471
10. पोषण	28,236	209	28,445	81,340	213	81,553	81,188	240	81,427	74,210	245	74,455
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	20	27,883	27,903	—	35,795	35,795	—	35,725	35,725	—	37,259	37,259
12. अन्य*	212	7,727	7,939	393	8,233	8,625	393	8,591	8,983	415	9,512	9,927
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	3,21,933	4,21,183	7,43,116	4,46,578	4,28,769	8,75,347	4,51,885	4,73,504	9,25,389	4,77,088	4,89,322	9,66,410
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	97,772	1,59,363	2,57,136	1,59,225	1,61,342	3,20,567	1,60,484	1,86,183	3,46,667	1,55,094	2,03,863	3,58,957
i) फसल उत्पादन	46,748	20,755	67,504	86,904	21,379	1,08,283	88,398	22,890	1,11,289	74,525	24,798	99,323
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	867	3,202	4,069	2,180	3,409	5,589	2,204	3,833	6,037	1,998	4,061	6,060
iii) पशुपालन	5,984	19,533	25,517	8,595	23,392	31,987	8,579	23,886	32,466	10,655	26,473	37,128
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	827	1,410	2,237	2,608	1,632	4,240	2,263	1,932	4,196	1,840	1,950	3,790
vi) वानिकी और वन्य जीवन	36,643	52,911	89,554	50,164	60,065	1,10,228	50,273	70,755	1,21,028	51,452	69,667	1,21,119
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	221	53,805	54,026	853	43,077	43,930	844	53,943	54,788	789	67,641	68,430
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,994	3,816	6,810	2,095	3,823	5,918	2,225	3,826	6,052	2,762	3,827	6,589
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	3,488	3,930	7,419	5,825	4,566	10,391	5,698	5,115	10,813	11,072	5,446	16,517
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	1,79,595	17,984	1,97,579	2,45,182	20,208	2,65,390	2,48,446	15,246	2,63,692	2,79,205	18,048	2,97,253
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	10,326	32,504	42,830	679	37,329	38,008	617	41,423	42,040	816	41,792	42,608
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	9,755	26,427	36,182	—	29,845	29,845	-20	31,740	31,720	—	33,809	33,809
ii) लघु सिंचाई	452	6,077	6,529	426	7,485	7,911	426	9,683	10,110	540	7,983	8,523
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	12,504	1,31,846	1,44,349	16,052	1,31,346	1,47,398	16,052	1,48,113	1,64,165	12,185	1,46,875	1,59,060
जिसमें से: पावर	11,876	1,31,846	1,43,722	16,052	1,31,346	1,47,398	16,052	1,48,113	1,64,165	10,875	1,46,875	1,57,750
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	14,183	14,790	28,972	15,722	17,349	33,071	16,013	20,279	36,292	18,948	20,638	39,586
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	8,415	4,200	12,615	8,168	5,061	13,229	8,231	5,709	13,940	9,797	5,988	15,784
ii) उद्योग @	5,768	10,590	16,358	7,554	12,288	19,842	7,781	14,570	22,351	9,152	14,650	23,802
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	51	60,821	60,871	80	55,631	55,711	80	56,663	56,743	90	51,533	51,623
i) सड़क और पुल	—	60,785	60,785	—	55,604	55,604	—	56,636	56,636	—	51,503	51,503
ii) अन्य @@	51	36	87	80	27	107	80	27	107	90	30	120
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,755	309	5,064	5,653	347	6,000	5,703	344	6,047	6,015	322	6,337
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,747	3,567	6,314	3,984	5,217	9,201	4,490	5,254	9,744	4,735	6,251	10,987
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	8	1,009	1,017	500	1,847	2,347	1,000	1,832	2,832	900	2,244	3,144
ii) पर्यटन	1,944	22	1,965	1,400	24	1,424	1,400	24	1,424	1,490	31	1,520
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	795	2,537	3,332	2,084	3,346	5,430	2,090	3,397	5,487	2,346	3,977	6,322
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ)	3,618	10,12,615	10,16,234	-916	13,69,450	13,68,533	1,154	12,43,864	12,45,018	7,487	14,10,653	14,18,141
(क से च)												
क. राज्य के अंग	—	28,056	28,056	—	37,096	37,096	—	41,166	41,166	—	44,387	44,387
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	981	1,20,078	1,21,058	3,764	1,55,260	1,59,024	3,953	1,60,397	1,64,350	5,310	1,63,112	1,68,421
i) कर और शुल्क का संग्रह	981	1,19,860	1,20,840	3,764	1,54,916	1,58,680	3,953	1,60,146	1,64,099	5,310	1,62,909	1,68,219
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	218	218	—	344	344	—	251	251	—	202	202
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	4,19,199	4,19,199	—	4,96,539	4,96,539	—	4,79,410	4,79,410	—	5,05,183	5,05,183
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	4,19,199	4,19,199	—	4,96,539	4,96,539	—	4,79,410	4,79,410	—	5,05,183	5,05,183
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	69,291	69,291	—	72,333	72,333	—	72,333	72,333	—	71,333	71,333
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	2,96,136	2,96,136	—	3,50,600	3,50,600	—	3,33,507	3,33,507	—	3,67,541	3,67,541
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	1,00,915	1,00,915	—	1,30,687	1,30,687	—	1,33,595	1,33,595	—	1,64,136	1,64,136
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,39,557	1,39,557	—	1,46,523	1,46,523	—	1,46,523	1,46,523	—	1,48,523	1,48,523
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	53,752	53,752	—	61,813	61,813	—	61,779	61,779	—	61,610	61,610
iv) अन्य	—	20	20	—	11,793	11,793	—	11,790	11,790	—	4,699	4,699
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	2,638	2,01,893	2,04,530	-4,680	3,16,195	3,11,515	-2,799	2,47,448	2,44,649	2,178	3,67,231	3,69,408
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	2,700	6,351	9,052	2,426	7,491	9,917	2,426	7,973	10,399	5,450	8,887	14,337
ii) जिला प्रशासन	—	20,066	20,066	—	24,208	24,208	—	27,209	27,209	—	27,421	27,421
iii) पुलिस	2,124	1,28,180	1,30,304	2,234	1,45,343	1,47,577	2,462	1,51,880	1,54,342	3,096	1,76,082	1,79,178
iv) लोक निर्माण	-2,362	18,243	15,881	-9,843	19,207	9,365	-8,069	21,394	13,325	-6,805	27,840	21,035
v) अन्य ++	175	29,052	29,227	502	1,19,945	1,20,448	382	38,993	39,375	436	1,27,001	1,27,437
ङ. पेंशन	—	2,43,305	2,43,305	—	3,64,100	3,64,100	—	3,15,185	3,15,185	—	3,30,503	3,30,503
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	85	85	—	260	260	—	258	258	—	238	238
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	22,597	1,54,847	1,77,444	56,752	1,90,918	2,47,670	32,924	2,02,583	2,35,506	60,189	2,50,062	3,10,251
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	22,597	1,54,847	1,77,444	56,752	1,90,918	2,47,670	32,924	2,02,583	2,35,506	60,189	2,50,062	3,10,251

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	12,42,050	63,27,341	75,69,391	21,74,997	74,43,406	96,18,402	20,44,769	80,78,085	1,01,22,854	21,99,201	82,70,640	1,04,69,841
I. विकास व्यय (क + ख)	11,96,632	35,89,912	47,86,544	21,55,023	38,51,143	60,06,166	19,98,124	46,95,409	66,93,534	21,13,230	44,82,174	65,95,404
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	8,29,896	22,75,324	31,05,220	4,18,627	26,06,892	30,25,519	14,13,693	31,43,215	45,56,908	13,31,833	34,30,854	47,62,687
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	88,805	15,55,876	16,44,681	43,627	18,84,769	19,28,397	1,15,069	22,31,303	23,46,373	1,51,881	25,05,131	26,57,012
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	57,457	2,18,273	2,75,729	31,198	2,69,795	3,00,993	72,792	2,89,023	3,61,815	57,305	3,14,845	3,72,150
3. परिवार कल्याण	31,898	2,918	34,816	11,382	4,305	15,687	33,928	4,149	38,077	46,678	5,069	51,747
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	53,474	12,829	66,303	28,509	15,863	44,372	62,708	15,965	78,673	62,080	17,537	79,618
5. आवास	88,430	36,936	1,25,366	72,450	20,199	92,648	3,01,041	39,067	3,40,108	2,20,665	21,853	2,42,518
6. शहरी विकास	2,19,634	34,720	2,54,354	1,01,098	46,144	1,47,242	3,83,671	72,531	4,56,202	2,95,189	85,629	3,80,818
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,72,074	1,47,975	3,20,050	63,620	1,53,421	2,17,041	2,44,537	1,90,697	4,35,234	3,08,153	1,89,532	4,97,685
8. श्रम और श्रम कल्याण	23,097	29,662	52,759	15,844	33,824	49,668	32,119	42,341	74,460	19,021	41,210	60,231
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	37,972	88,582	1,26,554	21,183	1,07,078	1,28,261	49,413	1,12,680	1,62,093	49,244	1,24,065	1,73,310
10. पोषण	51,736	35,503	87,239	27,223	37,715	64,938	1,05,945	60,269	1,66,214	1,14,859	75,651	1,90,509
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	4,563	1,05,311	1,09,874	1,892	25,584	27,476	10,022	75,862	85,884	5,400	40,874	46,274
12. अन्य*	755	6,739	7,494	602	8,194	8,796	2,448	9,327	11,776	1,357	9,459	10,816
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	3,66,737	13,14,588	16,81,324	17,36,396	12,44,251	29,80,647	5,84,431	15,52,194	21,36,626	7,81,397	10,51,320	18,32,717
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	1,04,499	5,35,777	6,40,275	60,093	5,49,411	6,09,503	1,36,801	5,19,633	6,56,434	1,14,113	3,60,022	4,74,135
i) फसल उत्पादन	52,691	57,024	1,09,715	32,797	60,563	93,361	81,687	83,157	1,64,843	67,409	78,150	1,45,559
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,650	1,437	3,087	864	1,018	1,882	2,206	1,077	3,284	1,850	917	2,767
iii) पशुपालन	8,206	28,161	36,366	6,604	37,658	44,262	10,775	38,586	49,362	10,906	45,096	56,002
iv) डेरी विकास	386	67,540	67,926	417	43,364	43,781	787	40,063	40,850	559	53,467	54,026
v) मत्स्यपालन	1,980	12,801	14,781	1,562	12,403	13,965	3,530	12,027	15,556	2,873	10,884	13,757
vi) वानिकी और वन्य जीवन	13,233	48,550	61,783	7,481	61,931	69,411	21,388	61,750	83,138	13,538	72,582	86,120
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	152	10,267	10,419	—	13,333	13,333	30	13,472	13,502	208	14,496	14,704
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,562	33,018	36,580	1,205	40,164	41,369	3,432	39,884	43,316	4,210	47,089	51,299
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	22,639	2,76,979	2,99,617	9,163	2,78,976	2,88,140	12,965	2,29,618	2,42,583	12,560	37,341	49,901
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	85,129	1,12,872	1,98,001	15,45,957	76,872	16,22,828	1,79,139	96,991	2,76,130	3,57,938	37,683	3,95,621
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,085	35	3,120	1,319	40	1,359	3,980	40	4,020	4,828	47	4,875
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	53,022	1,40,904	1,93,926	35,677	1,41,383	1,77,059	69,494	1,53,892	2,23,386	80,656	1,45,721	2,26,377
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	28,084	1,15,119	1,43,202	11,166	1,11,356	1,22,522	36,885	1,16,373	1,53,258	50,691	1,12,745	1,63,436
ii) लघु सिंचाई	24,888	23,655	48,543	24,487	27,293	51,781	32,520	34,814	67,334	29,920	29,886	59,806
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	809	809	—	950	950	24	956	980	—	1,087	1,087
5. ऊर्जा	49,521	2,31,239	2,80,760	20,008	2,19,383	2,39,391	18,078	4,07,686	4,25,764	14,278	2,51,313	2,65,591
जिसमें से: पावर	47,182	2,31,239	2,78,421	19,082	2,19,383	2,38,465	16,286	4,07,550	4,23,835	10,494	2,51,313	2,61,807
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,507	64,752	68,259	2,577	60,922	63,499	4,209	96,352	1,00,561	3,556	62,705	66,261
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	3,507	3,693	7,201	2,577	4,419	6,996	4,194	4,612	8,806	3,541	5,481	9,022
ii) उद्योग @	—	61,059	61,059	—	56,503	56,503	15	91,740	91,755	15	57,224	57,239
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	50,533	2,18,568	2,69,101	31,058	1,82,529	2,13,587	96,269	2,62,829	3,59,098	89,266	1,77,567	2,66,833
i) सड़क और पुल	37,810	2,18,251	2,56,060	26,020	1,82,234	2,08,254	64,242	2,62,573	3,26,815	72,745	1,77,348	2,50,093
ii) अन्य @@	12,723	317	13,040	5,038	295	5,333	32,026	257	32,283	16,521	219	16,740
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,191	7	4,199	5,997	9	6,006	7,264	9	7,273	6,855	5	6,861
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	13,249	10,435	23,684	33,712	13,702	47,414	69,199	14,760	83,959	1,09,906	16,256	1,26,163
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,080	7,085	8,166	747	9,363	10,110	23,277	10,236	33,513	76,966	11,431	88,397
ii) पर्यटन	12,077	4	12,081	32,854	4	32,858	45,382	4	45,385	31,886	4	31,890
iii) नागरिक आपूर्ति	6	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य +	86	3,346	3,432	108	4,335	4,443	540	4,521	5,061	1,054	4,821	5,875
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	38,316	26,20,155	26,58,471	13,397	34,97,411	35,10,808	32,290	32,82,024	33,14,314	77,561	37,26,505	38,04,066
क. राज्य के अंग	-	64,123	64,123	-	1,19,760	1,19,760	-	1,33,620	1,33,620	-	1,08,327	1,08,327
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	1,700	1,26,843	1,28,543	353	1,05,544	1,05,896	8,945	1,62,192	1,71,138	12,400	1,16,509	1,28,909
i) कर और शुल्क का संग्रह	1,700	1,26,293	1,27,994	353	1,04,822	1,05,174	8,945	1,61,490	1,70,435	12,400	1,16,055	1,28,454
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	550	550	-	722	722	-	703	703	-	455	455
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	12,89,831	12,89,831	-	15,18,226	15,18,226	-	14,94,200	14,94,200	-	16,86,081	16,86,081
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	59,900	59,900	-	83,100	83,100	-	83,100	83,100	-	90,100	90,100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	12,29,931	12,29,931	-	14,35,126	14,35,126	-	14,11,100	14,11,100	-	15,95,981	15,95,981
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	68,480	68,480	-	67,407	67,407	-	66,059	66,059	-	66,080	66,080
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	9,85,874	9,85,874	-	11,71,902	11,71,902	-	11,49,350	11,49,350	-	12,98,190	12,98,190
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	2,11,523	2,11,523	-	3,86,020	3,86,020	-	3,71,715	3,71,715	-	4,93,689	4,93,689
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	7,12,927	7,12,927	-	7,15,881	7,15,881	-	7,15,881	7,15,881	-	7,40,906	7,40,906
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	1,65,089	1,65,089	-	1,80,194	1,80,194	-	1,78,463	1,78,463	-	2,13,418	2,13,418
iv) अन्य	-	10,488	10,488	-	15,623	15,623	-	17,228	17,228	-	18,292	18,292
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	36,616	6,19,410	6,56,026	13,044	9,81,708	9,94,752	23,345	8,43,674	8,67,019	65,162	10,28,476	10,93,638
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	2,294	9,434	11,729	1,000	12,940	13,940	2,284	13,767	16,051	2,124	15,220	17,344
ii) जिला प्रशासन	29,768	1,45,103	1,74,871	10,150	1,79,254	1,89,404	10,170	2,03,011	2,13,181	50,281	2,30,921	2,81,202
iii) पुलिस	3,644	3,55,210	3,58,854	1,488	4,08,670	4,10,158	4,196	4,60,289	4,64,484	11,097	5,82,806	5,93,903
iv) लोक निर्माण	772	62,297	63,068	353	90,644	90,996	5,554	1,14,308	1,19,862	785	95,055	95,840
v) अन्य ++	138	47,366	47,504	53	2,90,200	2,90,253	1,142	52,299	53,440	875	1,04,474	1,05,349
ङ. पेंशन	-	5,15,301	5,15,301	-	5,40,574	5,40,574	-	6,33,414	6,33,414	-	6,66,457	6,66,457
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	4,647	4,647	-	2,31,599	2,31,599	-	14,923	14,923	-	1,20,654	1,20,654
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	3,919	3,919	-	63,447	63,447	-	14,025	14,025	-	74,650	74,650
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	7,102	1,17,275	1,24,376	6,577	94,852	1,01,429	14,355	1,00,651	1,15,006	8,410	61,961	70,371
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	7,102	1,06,276	1,13,378	6,577	94,852	1,01,429	14,355	1,00,651	1,15,006	8,410	61,961	70,371

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मणिपूर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	48,989	2,13,239	2,62,227	59,978	2,45,613	3,05,591	79,865	2,39,113	3,18,978	1,13,722	2,91,257	4,04,979
I. विकास व्यय (क + ख)	48,630	1,04,136	1,52,766	59,720	1,18,327	1,78,047	77,786	1,08,358	1,86,144	1,13,042	1,31,166	2,44,208
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	23,130	57,174	80,303	30,285	62,036	92,320	37,223	60,368	97,591	49,760	72,455	1,22,215
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,270	37,572	41,842	9,625	40,115	49,741	10,683	38,024	48,707	12,129	49,822	61,950
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,184	8,323	9,508	1,610	10,529	12,139	2,990	8,938	11,928	7,158	10,713	17,871
3. परिवार कल्याण	1,227	—	1,227	1,330	—	1,330	1,355	—	1,355	1,292	—	1,292
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	36	1,699	1,735	38	3,560	3,598	33	5,711	5,744	33	3,959	3,992
5. आवास	—	1,617	1,617	—	2,262	2,262	—	1,929	1,929	—	568	568
6. शहरी विकास	1,603	2,508	4,111	1,781	572	2,352	2,169	961	3,130	3,599	1,193	4,792
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,861	1,344	7,205	7,639	948	8,587	8,704	835	9,539	13,578	1,677	15,255
8. श्रम और श्रम कल्याण	336	506	842	188	630	818	298	490	788	376	684	1,060
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,185	1,713	7,898	6,289	1,841	8,130	8,684	1,757	10,440	8,679	1,977	10,656
10. पोषण	2,294	10	2,304	1,648	13	1,661	2,171	11	2,182	2,750	15	2,765
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	30	1,169	1,199	30	663	693	30	975	1,005	51	866	917
12. अन्य*	103	712	815	106	903	1,009	106	737	843	116	982	1,098
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	25,500	46,962	72,463	29,435	56,291	85,727	40,563	47,990	88,553	63,282	58,711	1,21,993
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	7,935	10,465	18,401	7,815	12,474	20,289	18,333	10,905	29,238	22,497	15,056	37,553
i) फसल उत्पादन	3,859	2,294	6,154	3,724	2,754	6,478	5,807	2,513	8,320	6,906	3,480	10,386
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,612	801	2,413	1,513	899	2,412	8,705	803	9,508	11,025	1,121	12,146
iii) पशुपालन	626	3,041	3,667	516	3,479	3,995	758	3,055	3,812	435	4,211	4,646
iv) डेरी विकास	28	93	121	48	56	104	48	89	137	40	122	162
v) मत्स्यपालन	219	1,071	1,290	316	1,359	1,675	710	1,067	1,777	781	1,486	2,267
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,495	1,600	3,095	1,550	2,087	3,637	1,760	1,850	3,610	3,094	2,524	5,618
vii) बागान	—	—	—	5	—	5	5	—	5	10	—	10
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	4	610	614	10	672	682	354	575	928	13	785	799
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	20	121	142	22	143	165	43	131	175	23	182	205
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	67	834	900	107	1,026	1,133	140	822	962	166	1,144	1,309
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4
2. ग्रामीण विकास	4,345	4,436	8,781	4,630	2,177	6,807	5,612	2,269	7,881	5,899	2,695	8,595
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,702	—	3,702	4,403	—	4,403	4,528	—	4,528	5,172	—	5,172
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,504	2,681	4,185	2,637	6,294	8,931	2,578	3,188	5,767	2,712	4,237	6,949
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	632	982	1,614	723	—	723	1,771	1,368	3,139	1,760	1,829	3,589
ii) लघु सिंचाई	15	539	554	16	1,497	1,513	22	634	656	16	827	843
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	997	997	—	1,093	1,093	—	985	985	—	1,301	1,301
5. ऊर्जा	480	18,533	19,013	300	19,586	19,886	300	18,412	18,712	550	20,053	20,603
जिसमें से: पावर	—	18,533	18,533	—	19,586	19,586	—	18,412	18,412	—	20,053	20,053
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,166	2,637	4,803	3,462	3,136	6,599	2,968	2,625	5,593	4,304	3,545	7,849
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,067	2,434	4,501	3,232	2,885	6,117	2,738	2,434	5,172	3,955	3,279	7,233
ii) उद्योग @	99	203	302	230	251	481	230	191	421	349	266	615
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मणिपूर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	—	6,894	6,894	—	10,962	10,962	—	9,157	9,157	—	11,033	11,033
i) सड़क और पुल	—	6,894	6,894	—	10,962	10,962	—	9,157	9,157	—	11,033	11,033
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,488	79	1,567	1,220	98	1,318	1,657	89	1,745	1,464	131	1,595
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	3,879	1,238	5,117	4,967	1,565	6,533	4,587	1,346	5,933	20,684	1,962	22,646
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,720	342	4,062	4,774	454	5,228	4,294	424	4,718	20,263	748	21,011
ii) पर्यटन	68	173	241	97	214	311	122	230	352	150	255	405
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	22	—	22	—	—	—
iv) अन्य +	91	724	815	97	897	994	149	692	841	271	958	1,230
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)	358	1,09,103	1,09,461	258	1,17,058	1,17,316	2,079	1,18,154	1,20,234	680	1,51,312	1,51,993
क. राज्य के अंग	—	3,666	3,666	—	4,028	4,028	—	3,964	3,964	95	5,124	5,219
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	142	2,221	2,363	147	2,769	2,916	261	2,355	2,615	147	3,130	3,278
i) कर और शुल्क का संग्रह	142	2,191	2,333	147	2,741	2,888	261	2,319	2,580	147	3,096	3,243
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	30	30	—	28	28	—	35	35	—	35	35
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	32,749	32,749	—	35,794	35,794	—	34,993	34,993	—	38,349	38,349
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	1,366	1,366	—	2,032	2,032	—	1,766	1,766	—	2,209	2,209
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	31,383	31,383	—	33,762	33,762	—	33,227	33,227	—	36,140	36,140
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	5,846	5,846	—	—	—	—	5,432	5,432
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	21,910	21,910	—	—	—	—	24,319	24,319
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	11,582	11,582	—	—	—	—	14,437	14,437
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	8,602	8,602	—	—	—	—	8,275	8,275
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	—	—	—	6,007	6,007	—	—	—	—	6,389	6,389
iv) अन्य	—	31,383	31,383	—	—	—	—	33,227	33,227	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	216	43,723	43,940	111	49,245	49,356	1,819	48,677	50,496	438	64,711	65,149
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	90	2,285	2,374	—	2,643	2,643	15	2,781	2,796	25	3,314	3,339
ii) जिला प्रशासन	—	1,548	1,548	—	1,843	1,843	—	1,522	1,522	—	2,071	2,071
iii) पुलिस	—	31,728	31,728	—	36,874	36,874	800	35,893	36,693	—	50,961	50,961
iv) लोक निर्माण	—	4,844	4,844	—	3,998	3,998	—	4,862	4,862	37	3,902	3,939
v) अन्य ++	127	3,319	3,446	111	3,888	3,999	1,004	3,619	4,623	376	4,463	4,839
ङ. पेंशन	—	26,706	26,706	—	25,178	25,178	—	28,123	28,123	—	39,959	39,959
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	37	37	—	44	44	—	43	43	—	39	39
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	37	37	—	44	44	—	43	43	—	39	39
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	10,228	10,228	—	12,600	12,600	—	8,778	8,778
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	—	—	—	10,228	10,228	—	12,600	12,600	—	8,778	8,778

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,00,393	1,67,884	2,68,277	1,55,658	2,03,169	3,58,827	1,55,657	2,03,169	3,58,826	1,85,994	2,20,193	4,06,188
I. विकास व्यय (क + ख)	96,928	77,598	1,74,526	1,51,111	1,01,939	2,53,050	1,51,110	1,01,939	2,53,049	1,79,122	1,11,152	2,90,274
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	32,513	47,978	80,491	63,019	62,482	1,25,501	63,018	62,482	1,25,500	84,010	67,694	1,51,705
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,292	26,072	43,364	30,625	34,374	65,000	30,625	34,374	65,000	51,971	36,632	88,603
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,129	7,734	11,863	8,034	9,610	17,644	8,034	9,610	17,644	7,548	9,995	17,543
3. परिवार कल्याण	844	400	1,245	1,245	524	1,769	1,245	524	1,769	2,478	540	3,018
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,121	6,568	7,689	2,011	8,468	10,479	2,011	8,468	10,479	614	8,807	9,421
5. आवास	995	2,997	3,992	1,077	2,281	3,358	1,077	2,281	3,358	895	1,933	2,827
6. शहरी विकास	1,477	497	1,974	3,738	847	4,585	3,738	847	4,585	3,750	1,618	5,368
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	858	835	1,693	1,275	2,165	3,440	1,275	2,165	3,440	1,325	3,555	4,880
8. श्रम और श्रम कल्याण	287	595	881	524	1,009	1,532	524	1,009	1,532	859	1,038	1,897
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,003	371	2,374	4,023	587	4,609	4,023	587	4,609	4,104	604	4,708
10. पोषण	3,184	32	3,216	9,991	201	10,192	9,991	201	10,192	9,991	205	10,196
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	1,231	1,231	50	1,247	1,297	50	1,247	1,297	50	1,565	1,615
12. अन्य*	323	646	969	425	1,170	1,595	425	1,170	1,595	425	1,202	1,627
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	64,415	29,620	94,035	88,092	39,457	1,27,549	88,092	39,457	1,27,549	95,111	43,458	1,38,569
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	14,207	10,793	25,000	28,731	15,858	44,589	28,731	15,858	44,589	33,766	18,663	52,429
i) फसल उत्पादन	5,877	2,329	8,206	14,073	3,352	17,425	14,073	3,352	17,425	15,755	3,453	19,208
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	3,184	1,796	4,980	5,350	2,890	8,240	5,350	2,890	8,240	8,963	3,029	11,992
iii) पशुपालन	1,527	2,010	3,537	2,611	3,022	5,633	2,611	3,022	5,633	2,724	3,113	5,837
iv) डेरी विकास	178	274	452	636	420	1,056	636	420	1,056	641	433	1,074
v) मत्स्यपालन	444	414	859	1,007	676	1,683	1,007	676	1,683	983	696	1,679
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,403	2,918	5,321	3,763	3,969	7,732	3,763	3,969	7,732	3,371	6,348	9,719
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	162	378	540	283	533	816	283	533	816	343	568	911
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	329	522	851	889	782	1,671	889	782	1,671	867	805	1,672
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	103	152	255	120	214	334	120	214	334	120	218	338
2. ग्रामीण विकास	18,188	1,461	19,650	18,230	2,223	20,453	18,230	2,223	20,453	18,036	2,394	20,430
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,493	—	2,493	3,699	—	3,699	3,699	—	3,699	5,461	—	5,461
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,435	1,063	2,498	2,067	1,434	3,501	2,067	1,434	3,501	1,560	1,477	3,037
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	1,435	1,000	2,435	2,067	1,359	3,426	2,067	1,359	3,426	1,560	1,400	2,960
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	63	63	—	75	75	—	75	75	—	77	77
5. ऊर्जा	22,447	1,170	23,616	25,692	1,468	27,160	25,692	1,468	27,160	26,784	1,497	28,281
जिसमें से: पावर	22,282	1,170	23,452	25,452	1,468	26,920	25,452	1,468	26,920	26,544	1,497	28,041
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,739	6,113	8,852	3,373	5,261	8,634	3,373	5,261	8,634	3,070	5,419	8,489
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,392	1,532	3,924	2,943	2,300	5,243	2,943	2,300	5,243	2,680	2,369	5,049
ii) उद्योग @	347	4,581	4,928	430	2,961	3,391	430	2,961	3,391	390	3,050	3,440
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	184	7,294	7,479	—	10,281	10,281	—	10,281	10,281	—	10,848	10,848
i) सड़क और पुल	184	7,294	7,479	—	10,281	10,281	—	10,281	10,281	—	10,848	10,848
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	15	15	—	40	40	—	40	40	—	41	41
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	2,721	1,710	4,431	6,300	2,892	9,192	6,300	2,892	9,192	6,435	3,119	9,554
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,059	572	2,631	4,821	1,036	5,857	4,821	1,036	5,857	4,821	1,067	5,888
ii) पर्यटन	323	106	429	990	236	1,226	990	236	1,226	973	243	1,216
iii) नागरिक आपूर्ति	117	541	658	150	707	857	150	707	857	150	728	878
iv) अन्य +	222	492	713	339	913	1,252	339	913	1,252	491	1,081	1,572
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	3,465	90,286	93,751	4,547	1,01,230	1,05,778	4,546	1,01,230	1,05,777	6,873	1,09,041	1,15,913
क. राज्य के अंग	34	7,956	7,990	—	6,095	6,095	22	6,198	6,220	20	6,597	6,617
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	211	7,367	7,579	300	3,870	4,170	300	3,870	4,170	350	4,209	4,559
i) कर और शुल्क का संग्रह	211	7,353	7,564	300	3,842	4,142	300	3,842	4,142	350	4,173	4,523
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	15	15	—	28	28	—	28	28	—	36	36
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	22,556	22,556	—	26,012	26,012	—	26,012	26,012	—	28,220	28,220
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	1,352	1,352	—	1,409	1,409	—	1,409	1,409	—	1,563	1,563
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	21,204	21,204	—	24,603	24,603	—	24,603	24,603	—	26,657	26,657
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	2,407	2,407	—	2,721	2,721	—	2,721	2,721	—	2,696	2,696
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	15,264	15,264	—	17,881	17,881	—	17,881	17,881	—	19,761	19,761
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	10,469	10,469	—	12,407	12,407	—	12,407	12,407	—	13,690	13,690
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	2,822	2,822	—	3,010	3,010	—	3,010	3,010	—	3,470	3,470
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	3,532	3,532	—	4,000	4,000	—	4,000	4,000	—	4,200	4,200
iv) अन्य	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	3,220	35,186	38,406	4,247	47,570	51,817	4,224	47,466	51,691	6,503	49,764	56,266
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	3,533	3,533	—	5,800	5,800	—	5,800	5,800	—	5,970	5,970
ii) जिला प्रशासन	—	1,160	1,160	—	1,766	1,766	—	1,766	1,766	—	1,819	1,819
iii) पुलिस	1	17,165	17,166	—	21,210	21,210	—	21,210	21,210	—	22,661	22,661
iv) लोक निर्माण	2,905	5,974	8,879	3,254	8,729	11,983	3,253	8,729	11,982	5,503	8,640	14,143
v) अन्य ++	314	7,353	7,668	994	10,066	11,059	972	9,962	10,933	1,000	10,674	11,674
ङ. पेंशन	—	17,176	17,176	—	17,600	17,600	—	17,600	17,600	—	20,165	20,165
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	45	45	—	84	84	—	84	84	—	86	86
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	41	41	—	81	81	—	81	81	—	83	83
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मिज़ोरम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	74,058	1,57,321	2,31,380	98,595	1,84,573	2,83,169	1,02,812	1,92,903	2,95,714	96,831	1,94,393	2,91,224
I. विकास व्यय (क + ख)	72,358	78,647	1,51,005	93,802	89,639	1,83,441	97,046	97,500	1,94,546	86,391	98,493	1,84,884
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	44,289	45,529	89,818	58,268	51,607	1,09,874	66,554	55,374	1,21,927	46,799	58,317	1,05,116
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	18,572	21,304	39,877	20,011	28,529	48,540	23,190	29,600	52,791	20,438	32,025	52,462
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,555	5,195	15,750	18,616	6,997	25,613	18,745	7,362	26,107	6,329	7,815	14,144
3. परिवार कल्याण	1,328	15	1,343	1,646	29	1,675	2,060	29	2,088	1,763	32	1,795
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,661	3,800	8,461	5,089	2,660	7,748	5,910	4,793	10,703	5,107	3,404	8,511
5. आवास	674	428	1,102	245	446	691	249	446	695	250	567	817
6. शहरी विकास	1,586	653	2,238	1,873	602	2,475	2,829	658	3,487	2,069	712	2,781
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,668	6,382	9,050	4,561	9,065	13,626	5,640	9,065	14,705	3,800	9,971	13,771
8. श्रम और श्रम कल्याण	286	221	507	229	306	535	282	326	608	270	341	611
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,273	872	3,145	3,793	945	4,737	4,897	1,031	5,928	4,038	1,073	5,111
10. पोषण	1,502	30	1,532	1,990	37	2,027	2,521	37	2,558	2,521	40	2,561
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	5,679	5,679	—	740	740	—	740	740	—	955	955
12. अन्य*	185	951	1,136	215	1,252	1,467	230	1,286	1,516	215	1,383	1,598
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	28,069	33,118	61,186	35,534	38,032	73,566	30,492	42,127	72,619	39,592	40,176	79,767
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	12,802	9,664	22,466	18,103	12,209	30,312	12,346	15,171	27,516	11,552	13,553	25,104
i) फसल उत्पादन	7,117	1,762	8,879	14,036	2,298	16,335	6,967	2,456	9,423	7,663	2,613	10,276
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	358	674	1,032	300	970	1,270	341	999	1,340	300	1,093	1,393
iii) पशुपालन	1,185	1,496	2,681	780	1,995	2,775	980	2,045	3,026	849	2,244	3,093
iv) डेरी विकास	71	50	122	50	76	126	50	82	132	50	85	135
v) मत्स्यपालन	946	252	1,198	650	336	986	1,057	360	1,416	612	379	991
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,371	2,119	4,490	1,268	2,587	3,855	1,811	2,725	4,536	1,112	2,918	4,030
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	91	2,839	2,929	96	3,347	3,443	92	5,847	5,939	101	3,544	3,645
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12	—	12	17	—	17	16	—	16	16	—	16
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	480	329	810	652	435	1,088	624	474	1,099	595	488	1,083
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	170	142	312	253	165	418	408	182	590	253	190	443
2. ग्रामीण विकास	3,461	725	4,186	4,408	1,270	5,678	4,510	1,286	5,797	4,211	1,430	5,641
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,502	—	3,502	3,512	—	3,512	3,558	—	3,558	3,526	—	3,526
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	257	157	415	274	186	460	451	213	664	532	209	741
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1
ii) लघु सिंचाई	241	157	399	258	186	444	428	213	641	501	209	710
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	2,477	14,108	16,584	2,856	13,735	16,591	3,173	14,321	17,494	3,250	14,259	17,509
<i>जिसमें से:</i> पावर	2,426	14,108	16,534	2,806	13,735	16,541	3,123	14,321	17,444	3,200	14,259	17,459
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,661	1,298	2,958	1,579	1,776	3,355	1,962	1,887	3,850	1,726	2,005	3,731
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,581	1,100	2,681	1,499	1,481	2,980	1,882	1,579	3,462	1,646	1,673	3,318
ii) उद्योग @	79	198	278	80	295	375	80	308	388	80	333	413
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मिज़ोरम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	2,234	5,190	7,424	2,089	6,466	8,555	2,308	6,557	8,865	2,125	6,053	8,177
i) सड़क और पुल	1,301	3,638	4,939	888	4,863	5,751	948	4,863	5,811	1,038	4,319	5,357
ii) अन्य @@	933	1,553	2,485	1,201	1,603	2,804	1,360	1,694	3,054	1,087	1,733	2,820
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	234	22	256	234	34	268	234	38	272	234	41	275
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	1,441	1,954	3,396	2,479	2,356	4,835	1,949	2,654	4,603	12,437	2,626	15,063
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	518	562	1,079	1,552	791	2,343	947	796	1,743	11,376	868	12,244
ii) पर्यटन	368	135	503	390	141	531	420	160	580	390	157	547
iii) नागरिक आपूर्ति	225	830	1,055	229	904	1,133	233	1,142	1,375	212	1,018	1,230
iv) अन्य +	331	427	758	308	520	828	349	556	905	459	583	1,042
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	1,701	78,674	80,375	4,794	94,934	99,728	5,766	95,402	1,01,169	10,440	95,900	1,06,340
क. राज्य के अंग	68	4,483	4,551	105	4,521	4,626	107	4,878	4,985	203	3,340	3,543
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	116	2,853	2,969	122	3,379	3,501	215	3,663	3,878	111	3,898	4,010
i) कर और शुल्क का संग्रह	116	2,776	2,892	122	3,298	3,420	215	3,573	3,788	111	3,809	3,920
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	77	77	-	81	81	-	90	90	-	90	90
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	24,061	24,061	-	25,590	25,590	-	27,523	27,523	-	26,301	26,301
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	1,500	1,500	-	1,600	1,600	-	1,650	1,650	-	1,700	1,700
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	22,561	22,561	-	23,990	23,990	-	25,873	25,873	-	24,601	24,601
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	2,608	2,608	-	3,524	3,524	-	3,593	3,593	-	2,876	2,876
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	13,891	13,891	-	13,307	13,307	-	15,122	15,122	-	14,095	14,095
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	12,498	12,498	-	11,905	11,905	-	13,720	13,720	-	12,762	12,762
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	1,374	1,374	-	1,349	1,349	-	1,349	1,349	-	1,310	1,310
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	6,063	6,063	-	7,159	7,159	-	7,159	7,159	-	7,631	7,631
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	1,517	34,578	36,095	3,097	46,507	49,604	3,975	44,397	48,372	4,427	47,410	51,837
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	-	2,979	2,979	936	8,460	9,395	936	3,700	4,636	2,403	4,991	7,394
ii) जिला प्रशासन	189	1,823	2,012	250	2,184	2,434	263	2,351	2,613	250	2,443	2,693
iii) पुलिस	474	20,951	21,424	809	26,222	27,032	1,412	27,544	28,956	674	27,983	28,657
iv) लोक निर्माण	300	2,827	3,127	230	3,108	3,338	230	3,461	3,691	292	2,880	3,172
v) अन्य ++	555	5,998	6,553	872	6,533	7,404	1,134	7,341	8,475	808	9,112	9,920
ङ. पेंशन	-	12,605	12,605	1,470	14,841	16,311	1,470	14,841	16,311	5,699	14,841	20,540
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	93	93	-	97	97	-	100	100	-	110	110
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	93	93	-	97	97	-	100	100	-	110	110
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
नागालैण्ड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	54,797	2,34,157	2,88,953	78,883	2,38,124	3,17,007	86,604	2,66,840	3,53,443	1,05,994	3,30,527	4,36,521
I. विकास व्यय (क + ख)	53,707	1,00,362	1,54,069	77,998	97,770	1,75,769	85,565	1,08,783	1,94,348	1,05,335	1,41,162	2,46,497
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	16,241	53,436	69,676	26,073	51,587	77,661	33,131	57,708	90,839	38,762	78,010	1,16,772
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,048	34,538	39,586	7,309	34,295	41,604	11,218	37,552	48,770	20,120	51,536	71,656
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,244	10,829	12,074	1,413	10,739	12,152	1,571	11,777	13,349	1,018	16,791	17,810
3. परिवार कल्याण	1,153	233	1,386	1,218	561	1,779	1,450	561	2,011	1,642	153	1,795
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	97	3,313	3,410	80	2,697	2,777	134	2,866	3,000	240	3,954	4,194
5. आवास	453	306	759	—	370	370	180	370	550	374	432	806
6. शहरी विकास	134	94	228	100	-776	-676	100	-674	-574	138	49	187
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,451	—	1,451	1,876	—	1,876	3,338	—	3,338	2,003	—	2,003
8. श्रम और श्रम कल्याण	213	890	1,103	475	945	1,420	516	1,016	1,532	495	1,385	1,879
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,885	921	3,806	6,694	814	7,508	6,178	1,198	7,376	5,624	1,069	6,693
10. पोषण	3,104	17	3,120	6,537	17	6,553	8,075	17	8,092	6,602	17	6,619
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	821	821	—	429	429	—	1,276	1,276	—	596	596
12. अन्य*	459	1,474	1,933	371	1,497	1,868	371	1,751	2,122	505	2,030	2,535
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	37,467	46,926	84,393	51,925	46,183	98,108	52,435	51,074	1,03,509	66,574	63,151	1,29,725
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	10,195	10,558	20,753	14,357	11,043	25,400	14,509	12,646	27,155	20,365	16,646	37,011
i) फसल उत्पादन	3,799	2,863	6,662	4,096	2,792	6,888	4,750	3,127	7,877	9,101	4,456	13,557
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,174	1,198	3,372	1,655	1,274	2,929	2,342	1,383	3,725	4,388	1,984	6,372
iii) पशुपालन	1,014	2,332	3,346	1,960	2,469	4,429	1,760	2,662	4,422	2,194	3,723	5,918
iv) डेरी विकास	202	73	275	728	31	759	728	31	759	100	31	131
v) मत्स्यपालन	720	507	1,227	886	544	1,430	1,190	597	1,787	1,220	798	2,018
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,392	2,032	3,423	1,917	2,137	4,054	753	2,600	3,353	1,503	3,174	4,677
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	34	709	743	111	764	875	162	944	1,105	83	1,160	1,242
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	427	368	796	1,331	521	1,852	1,151	521	1,672	1,065	553	1,618
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	432	475	907	1,673	512	2,185	1,673	781	2,454	710	768	1,478
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	8,664	3,154	11,818	6,710	2,829	9,539	7,081	2,583	9,665	9,353	5,677	15,030
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	7,635	222	7,857	8,497	292	8,789	7,058	302	7,360	6,917	398	7,315
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5,919	899	6,818	10,587	1,042	11,629	10,519	1,134	11,653	14,995	1,599	16,594
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	5,919	899	6,818	10,587	1,042	11,629	10,519	1,134	11,653	14,995	1,599	16,594
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	115	15,110	15,225	517	14,945	15,462	313	16,776	17,088	280	18,585	18,865
जिसमें से: पावर	—	15,069	15,069	—	14,900	14,900	—	16,726	16,726	25	18,519	18,544
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,182	2,767	4,950	3,312	2,751	6,063	3,681	2,967	6,647	4,923	3,978	8,901
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,914	2,099	4,013	2,934	2,023	4,957	3,296	2,193	5,489	4,468	2,892	7,360
ii) उद्योग @	268	669	937	378	728	1,106	385	774	1,158	455	1,087	1,542
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
नागालैण्ड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	793	10,959	11,752	140	10,553	10,693	670	11,509	12,179	165	12,341	12,506
i) सड़क और पुल	—	8,826	8,826	—	8,063	8,063	—	8,448	8,448	—	8,286	8,286
ii) अन्य @@	793	2,133	2,926	140	2,490	2,630	670	3,061	3,731	165	4,055	4,220
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	518	781	1,298	775	50	825	944	84	1,029	440	114	554
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	1,445	2,477	3,922	7,031	2,678	9,709	7,660	3,073	10,733	9,135	3,813	12,948
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	694	1,089	1,783	6,445	1,183	7,628	6,651	1,345	7,996	8,270	1,594	9,864
ii) पर्यटन	453	237	690	340	256	596	487	272	760	502	307	809
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	298	1,151	1,449	246	1,239	1,485	522	1,455	1,977	363	1,912	2,275
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)	1,090	1,33,795	1,34,884	885	1,40,354	1,41,239	1,038	1,58,057	1,59,095	659	1,89,365	1,90,024
क. राज्य के अंग	55	3,216	3,271	63	3,384	3,447	63	4,213	4,276	63	3,738	3,801
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	554	2,129	2,683	303	2,232	2,535	362	2,467	2,829	403	3,325	3,728
i) कर और शुल्क का संग्रह	554	2,125	2,679	303	2,228	2,531	362	2,463	2,825	403	3,321	3,724
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती												
(1 + 2)	—	33,453	33,453	—	40,129	40,129	—	39,461	39,461	—	43,773	43,773
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	2,054	2,054	—	2,220	2,220	—	2,220	2,220	—	2,600	2,600
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	31,399	31,399	—	37,909	37,909	—	37,241	37,241	—	41,173	41,173
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	1,866	1,866	—	3,090	3,090	—	3,038	3,038	—	2,950	2,950
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	25,469	25,469	—	30,519	30,519	—	29,903	29,903	—	33,572	33,572
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	17,516	17,516	—	20,604	20,604	—	20,604	20,604	—	23,414	23,414
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,112	1,112	—	1,400	1,400	—	1,400	1,400	—	1,400	1,400
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	4,064	4,064	—	4,300	4,300	—	4,300	4,300	—	4,650	4,650
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	480	71,935	72,415	519	63,746	64,265	613	80,982	81,595	193	88,642	88,835
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	4,546	4,546	—	4,074	4,074	—	5,579	5,579	—	5,792	5,792
ii) जिला प्रशासन	100	4,818	4,918	—	5,037	5,037	—	5,521	5,521	—	7,286	7,286
iii) पुलिस	—	51,471	51,471	—	46,005	46,005	12	59,731	59,744	—	62,233	62,233
iv) लोक निर्माण	—	5,431	5,431	39	3,072	3,111	39	3,914	3,953	39	5,471	5,510
v) अन्य ++	380	5,668	6,049	480	5,558	6,038	562	6,237	6,800	154	7,860	8,014
ङ. पेंशन	—	22,896	22,896	—	30,693	30,693	—	30,693	30,693	—	49,633	49,633
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	166	166	—	171	171	—	242	242	—	255	255
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	110	110	—	116	116	—	134	134	—	165	165
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	5,30,688	15,88,324	21,19,012	6,32,386	22,59,531	28,91,917	6,93,418	22,30,764	29,24,182	8,12,039	24,36,156	32,48,194
I. विकास व्यय (क + ख)	5,25,396	8,58,153	13,83,549	6,23,579	10,95,270	17,18,850	6,83,853	11,17,191	18,01,044	8,04,831	11,76,783	19,81,614
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	2,59,685	5,68,756	8,28,441	3,83,775	7,39,637	11,23,412	4,11,413	7,48,751	11,60,164	4,81,276	7,73,362	12,54,638
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	96,630	3,53,143	4,49,773	1,03,080	4,88,641	5,91,721	1,28,584	4,91,499	6,20,083	1,75,257	5,02,269	6,77,526
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,611	67,409	80,020	18,882	99,751	1,18,633	18,884	99,732	1,18,616	20,033	1,01,115	1,21,148
3. परिवार कल्याण	10,616	1,555	12,171	40,605	2,448	43,054	40,946	2,449	43,395	31,940	2,568	34,508
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,942	13,055	26,996	16,852	16,383	33,235	25,555	18,843	44,399	19,232	24,919	44,151
5. आवास	15	14,689	14,704	11	15,416	15,427	11	15,490	15,501	21	17,787	17,808
6. शहरी विकास	9,862	2,999	12,860	29,225	2,887	32,112	29,119	3,019	32,138	29,860	5,709	35,569
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	31,260	26,091	57,350	41,590	35,191	76,782	42,302	38,491	80,793	45,331	38,424	83,755
8. श्रम और श्रम कल्याण	531	3,786	4,317	7,228	4,837	12,066	7,328	4,759	12,087	6,650	4,998	11,648
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	60,689	27,370	88,058	84,840	27,775	1,12,615	79,709	27,835	1,07,545	1,03,143	28,432	1,31,575
10. पोषण	21,701	175	21,876	38,926	278	39,204	37,293	278	37,571	43,108	296	43,404
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	48	53,200	53,248	1,000	39,586	40,586	—	39,586	39,586	5,550	39,158	44,708
12. अन्य*	1,781	5,287	7,068	1,536	6,442	7,978	1,681	6,771	8,452	1,150	7,688	8,838
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,65,711	2,89,397	5,55,108	2,39,804	3,55,634	5,95,438	2,72,440	3,68,440	6,40,880	3,23,555	4,03,421	7,26,976
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	68,286	1,15,794	1,84,080	70,419	1,67,754	2,38,174	77,745	1,68,060	2,45,805	1,12,204	1,72,183	2,84,387
i) फसल उत्पादन	30,230	17,953	48,183	35,079	23,779	58,858	38,146	23,730	61,877	64,286	22,605	86,891
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	3,933	4,730	8,663	5,280	5,863	11,143	6,603	5,863	12,466	8,135	6,176	14,311
iii) पशुपालन	4,129	12,747	16,877	1,814	16,654	18,468	2,981	16,651	19,632	6,041	15,876	21,917
iv) डेरी विकास	274	56	330	418	68	486	537	70	607	932	73	1,005
v) मत्स्यपालन	1,733	2,859	4,592	2,283	3,666	5,949	3,774	3,654	7,428	3,588	3,970	7,558
vi) वानिकी और वन्य जीवन	15,919	13,334	29,253	17,605	17,837	35,442	17,764	18,088	35,851	20,701	16,870	37,572
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	3,525	54,759	58,285	741	86,665	87,406	741	86,765	87,506	640	93,362	94,002
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	478	3,524	4,001	1,390	5,716	7,106	1,490	5,730	7,220	810	5,638	6,448
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	7,952	5,516	13,467	5,481	7,080	12,561	5,381	7,077	12,458	7,054	7,208	14,262
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	113	317	430	328	427	755	328	432	760	17	406	423
2. ग्रामीण विकास	89,593	32,960	1,22,553	78,912	39,213	1,18,124	95,650	42,715	1,38,365	86,283	52,710	1,38,992
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	14,076	41,580	55,657	15,978	42,304	58,282	23,443	50,802	74,246	30,309	57,161	87,469
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	435	20,290	20,725	440	24,944	25,384	440	28,582	29,022	350	32,373	32,723
ii) लघु सिंचाई	9,501	7,975	17,477	12,143	10,038	22,181	16,982	11,981	28,962	23,315	12,889	36,204
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	12,730	12,730	—	6,649	6,649	—	9,567	9,567	—	11,109	11,109
5. ऊर्जा	27,593	566	28,159	9,025	619	9,643	9,124	665	9,789	21,248	630	21,879
<i>जिसमें से:</i> पावर	27,039	539	27,578	8,325	592	8,916	8,324	638	8,962	20,214	603	20,817
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	10,246	7,344	17,590	10,754	9,418	20,172	12,335	9,544	21,879	17,860	10,188	28,048
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	5,573	5,063	10,637	5,681	6,402	12,083	6,443	6,527	12,969	7,388	7,041	14,430
ii) उद्योग @	3,620	2,281	5,900	5,072	3,016	8,088	5,872	3,017	8,889	10,432	3,146	13,578
iii) अन्य**	1,053	—	1,053	1	—	1	21	—	21	40	—	40

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	6,560	83,026	89,586	6,060	85,761	91,821	6,060	85,779	91,839	6,060	98,657	1,04,717
i) सड़क और पुल	6,012	82,467	88,479	6,000	85,071	91,071	6,000	85,082	91,082	6,000	97,944	1,03,944
ii) अन्य @@	548	559	1,107	60	690	750	60	697	757	60	713	773
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,894	378	3,272	3,171	400	3,572	3,206	401	3,607	2,497	423	2,920
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	46,462	7,749	54,210	45,485	10,165	55,650	44,877	10,474	55,351	47,094	11,469	58,563
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	45,390	5,196	50,586	44,433	6,854	51,287	43,825	7,087	50,912	38,029	7,366	45,395
ii) पर्यटन	564	538	1,102	795	693	1,488	795	693	1,488	1,204	737	1,941
iii) नागरिक आपूर्ति	150	280	430	14	366	380	14	400	414	14	376	390
iv) अन्य +	358	1,735	2,093	243	2,252	2,495	243	2,294	2,537	7,847	2,989	10,836
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	5,292	6,90,895	6,96,186	8,807	11,26,404	11,35,211	9,565	10,72,724	10,82,289	7,208	12,17,881	12,25,089
क. राज्य के अंग	334	18,798	19,132	721	23,962	24,683	940	26,508	27,449	804	28,123	28,927
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	3,011	28,953	31,964	5,268	38,645	43,913	5,747	39,630	45,377	4,925	43,846	48,771
i) कर और शुल्क का संग्रह	3,011	28,723	31,734	5,268	38,178	43,446	5,747	39,162	44,909	4,925	43,316	48,241
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	230	230	—	467	467	—	468	468	—	530	530
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	2,88,988	2,88,988	—	4,59,267	4,59,267	—	4,09,267	4,09,267	—	3,95,219	3,95,219
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	7	7	—	7	7	—	50,007	50,007	—	7	7
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	2,88,981	2,88,981	—	4,59,260	4,59,260	—	3,59,260	3,59,260	—	3,95,212	3,95,212
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	62,752	62,752	—	1,55,475	1,55,475	—	79,475	79,475	—	74,513	74,513
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	1,50,736	1,50,736	—	1,68,588	1,68,588	—	1,64,822	1,64,822	—	1,52,367	1,52,367
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	64,238	64,238	—	66,505	66,505	—	62,739	62,739	—	57,761	57,761
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	65,940	65,940	—	78,743	78,743	—	78,743	78,743	—	67,437	67,437
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	75,488	75,488	—	1,35,192	1,35,192	—	1,14,957	1,14,957	—	1,68,329	1,68,329
iv) अन्य	—	5	5	—	5	5	—	5	5	—	3	3
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,946	1,45,641	1,47,588	2,818	2,04,220	2,07,039	2,877	1,98,636	2,01,513	1,479	3,09,072	3,10,551
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	276	8,185	8,460	297	24,310	24,607	400	11,693	12,093	313	1,15,767	1,16,080
ii) जिला प्रशासन	—	7,519	7,519	—	9,560	9,560	—	9,481	9,481	—	9,814	9,814
iii) पुलिस	—	85,532	85,532	412	1,11,760	1,12,172	429	1,17,761	1,18,190	94	1,20,913	1,21,007
iv) लोक निर्माण	10	19,341	19,351	10	25,150	25,160	10	25,339	25,349	25	24,619	24,644
v) अन्य ++	1,661	25,065	26,726	2,100	33,440	35,540	2,038	34,362	36,401	1,047	37,960	39,006
ङ. पेंशन	—	2,07,496	2,07,496	—	3,99,090	3,99,090	—	3,97,161	3,97,161	—	4,40,299	4,40,299
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	1,019	1,019	—	1,219	1,219	—	1,522	1,522	—	1,322	1,322
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	39,276	39,276	—	37,857	37,857	—	40,849	40,849	—	41,491	41,491
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	39,276	39,276	—	37,857	37,857	—	40,849	40,849	—	41,491	41,491

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,42,246	23,14,654	24,56,899	2,23,261	28,07,364	30,30,626	2,01,011	27,59,364	29,60,375	2,74,149	30,66,358	33,40,507
I. विकास व्यय (क + ख)	1,41,804	8,80,913	10,22,717	2,20,157	10,46,936	12,67,093	1,99,075	11,23,265	13,22,340	2,66,051	12,36,274	15,02,325
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	1,05,493	4,42,775	5,48,268	1,59,980	5,52,054	7,12,034	1,46,238	5,83,386	7,29,624	2,16,422	6,16,921	8,33,343
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	28,987	2,77,543	3,06,530	57,165	3,40,052	3,97,217	41,995	3,67,237	4,09,232	76,381	3,82,705	4,59,086
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,340	72,763	75,102	5,424	83,173	88,597	4,175	97,281	1,01,456	8,669	1,04,166	1,12,835
3. परिवार कल्याण	5,936	1,884	7,820	7,650	2,279	9,929	10,167	2,558	12,725	12,277	3,028	15,305
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	23,955	23,955	2	26,340	26,342	2	26,331	26,332	2	28,285	28,287
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. शहरी विकास	—	4,307	4,307	—	4,953	4,953	—	2,032	2,032	—	5,215	5,215
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,725	4,439	16,165	20,751	7,467	28,217	18,771	9,935	28,705	23,292	10,251	33,543
8. श्रम और श्रम कल्याण	287	7,149	7,435	2,761	8,426	11,187	2,552	8,559	11,111	4,173	9,278	13,451
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	54,924	15,215	70,139	64,419	28,540	92,958	67,439	34,594	1,02,033	77,446	21,545	98,992
10. पोषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,080	—	13,080
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	33,074	33,074	—	47,498	47,498	—	31,900	31,900	—	49,273	49,273
12. अन्य*	1,295	2,446	3,740	1,810	3,327	5,137	1,138	2,959	4,097	1,101	3,175	4,276
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	36,310	4,38,139	4,74,449	60,177	4,94,882	5,55,059	52,837	5,39,879	5,92,716	49,629	6,19,353	6,68,982
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	25,518	49,372	74,890	37,117	53,354	90,472	31,382	57,692	89,074	38,753	99,923	1,38,675
i) फसल उत्पादन	15,517	8,093	23,610	17,989	9,762	27,751	15,339	11,434	26,773	13,632	60,298	73,930
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	622	3,290	3,912	4,849	3,576	8,426	1,715	3,723	5,438	3,199	4,013	7,211
iii) पशुपालन	2,064	13,710	15,774	3,547	15,893	19,440	2,872	16,508	19,381	5,627	17,759	23,386
iv) डेरी विकास	1,755	589	2,343	2,724	652	3,376	2,689	677	3,366	2,871	726	3,597
v) मत्स्यपालन	133	809	942	1,172	862	2,034	816	1,003	1,818	818	1,072	1,890
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,956	3,712	7,668	5,797	3,723	9,520	5,951	4,171	10,122	1,868	4,465	6,333
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	700	13,591	14,291	500	12,613	13,113	2,000	13,052	15,052	10,500	4,127	14,627
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	771	5,229	6,000	538	5,873	6,411	—	6,707	6,707	237	7,024	7,261
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	350	350	1	400	401	—	418	418	1	439	440
2. ग्रामीण विकास	240	7,209	7,449	2,520	8,356	10,877	2,520	8,379	10,899	7,751	8,863	16,614
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	61,327	61,327	—	75,004	75,004	—	85,605	85,605	—	91,047	91,047
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	49,860	49,860	—	61,733	61,733	—	69,436	69,436	—	74,000	74,000
ii) लघु सिंचाई	—	5,849	5,849	—	6,762	6,762	—	8,112	8,112	—	8,698	8,698
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	5,617	5,617	—	6,510	6,510	—	8,057	8,057	—	8,349	8,349
5. ऊर्जा	—	2,60,228	2,60,228	—	2,60,501	2,60,501	—	3,14,516	3,14,516	—	3,12,098	3,12,098
जिसमें से: पावर	—	2,60,173	2,60,173	—	2,60,424	2,60,424	—	3,14,425	3,14,425	—	3,12,000	3,12,000
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	195	13,067	13,262	575	13,341	13,916	505	13,579	14,083	316	10,078	10,394
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	195	2,857	3,052	575	3,116	3,691	505	3,354	3,859	316	3,842	4,159
ii) उद्योग @	—	10,210	10,210	—	10,225	10,225	—	10,225	10,225	—	6,235	6,235
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	—	32,641	32,641	—	45,941	45,941	—	47,509	47,509	—	48,539	48,539
i) सड़क और पुल	—	12,630	12,630	—	23,628	23,628	—	23,802	23,802	—	23,802	23,802
ii) अन्य @@	—	20,012	20,012	—	22,313	22,313	—	23,707	23,707	—	24,737	24,737
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	107	92	199	1,360	118	1,478	224	133	356	1,374	141	1,515
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	10,251	14,202	24,452	18,605	38,266	56,870	18,207	12,466	30,673	1,435	48,664	50,099
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	9,997	693	10,690	18,203	833	19,035	17,752	899	18,651	975	1,080	2,056
ii) पर्यटन	2	98	100	145	120	265	280	109	389	81	134	216
iii) नागरिक आपूर्ति	251	12,180	12,431	235	35,896	36,131	164	10,000	10,164	171	41,737	41,908
iv) अन्य +	—	1,232	1,232	22	1,417	1,439	11	1,458	1,469	208	5,712	5,920
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	442	14,02,772	14,03,214	3,105	16,67,578	16,70,683	1,937	15,84,003	15,85,939	8,098	17,13,546	17,21,644
क. राज्य के अंग	79	23,134	23,212	120	26,485	26,605	120	31,514	31,634	230	27,399	27,629
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	—	20,840	20,840	1,963	25,098	27,060	735	26,646	27,381	1,283	28,919	30,201
i) कर और शुल्क का संग्रह	—	19,598	19,598	1,963	23,687	25,650	735	25,658	26,393	1,283	27,487	28,770
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	1,242	1,242	—	1,410	1,410	—	988	988	—	1,431	1,431
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	4,90,168	4,90,168	—	5,34,864	5,34,864	—	5,38,876	5,38,876	—	5,76,366	5,76,366
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	4,90,168	4,90,168	—	5,34,864	5,34,864	—	5,38,876	5,38,876	—	5,76,366	5,76,366
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	4,792	4,792	—	4,414	4,414	—	4,520	4,520	—	4,351	4,351
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	3,90,714	3,90,714	—	4,35,425	4,35,425	—	4,34,282	4,34,282	—	4,64,635	4,64,635
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	1,14,840	1,14,840	—	1,62,500	1,62,500	—	1,65,300	1,65,300	—	2,08,300	2,08,300
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	2,15,285	2,15,285	—	2,19,032	2,19,032	—	2,14,808	2,14,808	—	2,07,826	2,07,826
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	71,389	71,389	—	65,201	65,201	—	70,010	70,010	—	72,903	72,903
iv) अन्य	—	23,273	23,273	—	29,823	29,823	—	30,065	30,065	—	34,477	34,477
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	363	2,33,518	2,33,881	1,022	3,47,871	3,48,893	1,082	2,78,738	2,79,820	6,585	3,67,571	3,74,156
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	198	7,365	7,563	482	10,116	10,598	382	9,370	9,752	772	10,202	10,975
ii) जिला प्रशासन	—	15,406	15,406	—	13,823	13,823	—	15,054	15,054	—	16,051	16,051
iii) पुलिस	—	1,61,294	1,61,294	2	1,84,876	1,84,878	237	1,93,461	1,93,698	3,100	2,07,961	2,11,061
iv) लोक निर्माण	—	23,710	23,710	—	29,637	29,637	—	31,447	31,447	—	34,512	34,512
v) अन्य ++	166	25,744	25,909	538	1,09,419	1,09,956	463	29,405	29,868	2,713	98,845	1,01,558
ङ. पेंशन	—	2,82,983	2,82,983	—	3,65,076	3,65,076	—	3,07,709	3,07,709	—	3,09,409	3,09,409
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	3,52,130	3,52,130	—	3,68,184	3,68,184	—	4,00,519	4,00,519	—	4,03,883	4,03,883
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	3,51,955	3,51,955	—	3,67,231	3,67,231	—	4,00,231	4,00,231	—	4,03,064	4,03,064
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	30,969	30,969	—	92,850	92,850	—	52,095	52,095	—	1,16,538	1,16,538
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	30,969	30,969	—	92,850	92,850	—	52,095	52,095	—	1,16,538	1,16,538

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	5,77,061	28,52,499	34,29,560	6,54,046	33,13,615	39,67,661	6,86,383	34,33,617	41,20,000	7,75,182	35,80,991	43,56,172
I. विकास व्यय (क + ख)	5,66,078	15,65,881	21,31,959	6,50,845	17,87,302	24,38,147	6,72,640	18,47,161	25,19,800	7,59,937	19,26,025	26,85,962
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	2,67,695	11,37,592	14,05,287	3,01,373	13,31,030	16,32,403	3,22,794	13,64,398	16,87,192	3,86,945	14,62,398	18,49,343
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	84,238	6,81,046	7,65,284	96,763	8,16,594	9,13,357	1,05,585	8,31,444	9,37,030	1,34,439	8,96,967	10,31,406
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	24,497	1,43,792	1,68,289	31,661	1,80,904	2,12,564	20,779	1,72,475	1,93,253	28,971	2,11,569	2,40,540
3. परिवार कल्याण	32,950	1,462	34,412	39,987	2,108	42,095	39,645	1,785	41,430	46,975	1,858	48,834
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,537	1,28,885	1,30,422	134	1,32,537	1,32,670	127	1,46,248	1,46,374	88	1,49,917	1,50,005
5. आवास	—	3,179	3,179	—	3,820	3,820	—	4,186	4,186	—	5,155	5,155
6. शहरी विकास	20,925	73,466	94,390	17,215	80,543	97,757	27,780	81,072	1,08,853	23,451	81,678	1,05,129
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	39,011	6,028	45,038	33,867	7,148	41,015	44,585	8,196	52,781	40,177	8,530	48,707
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,988	7,402	9,390	1,568	9,089	10,657	1,595	8,718	10,313	1,003	8,736	9,738
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15,079	35,832	50,911	14,156	41,524	55,681	19,972	41,684	61,656	19,651	41,479	61,130
10. पोषण	47,237	204	47,442	66,023	262	66,285	62,674	240	62,914	92,191	247	92,438
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	50,187	50,187	—	51,546	51,546	—	63,154	63,154	—	51,007	51,007
12. अन्य*	233	6,111	6,344	—	4,956	4,956	53	5,195	5,248	—	5,254	5,254
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,98,383	4,28,289	7,26,673	3,49,472	4,56,272	8,05,744	3,49,846	4,82,763	8,32,609	3,72,992	4,63,628	8,36,620
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	44,973	83,721	1,28,693	64,982	99,122	1,64,104	71,871	1,03,699	1,75,570	1,23,271	1,07,086	2,30,358
i) फसल उत्पादन	34,918	20,680	55,598	49,360	23,630	72,990	46,098	23,812	69,910	1,07,012	25,005	1,32,017
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,881	2,399	4,280	4,207	2,113	6,320	3,703	2,140	5,844	4,597	2,106	6,703
iii) पशुपालन	2,225	21,043	23,268	2,684	27,612	30,296	2,599	26,903	29,502	2,694	28,608	31,303
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	168	—	168	—	—	—
v) मत्स्यपालन	56	1,066	1,122	127	1,441	1,568	57	1,279	1,336	89	1,395	1,484
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,263	27,920	31,182	4,566	34,007	38,573	14,892	35,470	50,362	6,198	35,931	42,128
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	20	—	20	—	—	—	22	—	22	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	777	5,452	6,229	827	5,449	6,276	827	8,845	9,672	827	8,845	9,672
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,432	4,687	6,119	3,211	4,270	7,481	3,505	4,638	8,143	1,854	4,545	6,399
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	400	474	874	—	600	600	—	612	612	—	651	651
2. ग्रामीण विकास	1,46,211	62,889	2,09,100	1,98,230	60,154	2,58,384	1,91,691	60,672	2,52,364	1,57,712	32,350	1,90,062
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	24	—	24	45	—	45	43	—	43	42	—	42
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,433	1,13,236	1,15,669	2,999	1,21,678	1,24,677	3,063	1,21,942	1,25,005	4,193	1,25,697	1,29,890
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1,068	1,00,613	1,01,681	1,287	1,09,681	1,10,968	1,205	1,09,694	1,10,899	1,235	1,13,702	1,14,937
ii) लघु सिंचाई	207	10,270	10,477	775	11,816	12,591	600	11,791	12,391	1,708	11,538	13,246
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	40,086	98,268	1,38,354	40,302	1,06,947	1,47,249	40,231	1,17,175	1,57,406	40,243	1,28,104	1,68,347
जिसमें से: पावर	40,000	98,268	1,38,268	40,187	1,06,947	1,47,134	40,099	1,17,175	1,57,274	40,100	1,28,104	1,68,204
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,363	9,873	12,236	3,009	11,728	14,737	2,154	11,314	13,468	2,339	11,292	13,631
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,707	1,782	3,489	2,129	1,425	3,554	1,253	1,719	2,972	1,095	1,880	2,975
ii) उद्योग @	656	8,091	8,747	881	10,302	11,183	901	9,595	10,497	1,243	9,413	10,656
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	35,502	52,084	87,586	33,205	46,445	79,650	34,996	58,155	93,151	36,495	38,355	74,850
i) सड़क और पुल	35,502	50,892	86,394	33,195	43,945	77,140	34,986	55,655	90,641	36,485	36,355	72,840
ii) अन्य @@	—	1,192	1,192	10	2,500	2,510	10	2,501	2,511	10	2,000	2,010
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	325	397	721	486	516	1,002	489	523	1,012	819	484	1,302
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	26,467	7,823	34,290	6,214	9,683	15,897	5,307	9,283	14,590	7,878	20,260	28,138
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	22,177	1,490	23,666	629	1,889	2,518	212	1,882	2,094	2,179	2,017	4,196
ii) पर्यटन	1,722	452	2,174	1,900	524	2,424	1,715	531	2,246	1,635	530	2,165
iii) नागरिक आपूर्ति	631	3,997	4,629	750	4,901	5,651	722	4,618	5,340	740	4,821	5,561
iv) अन्य +	1,937	1,884	3,821	2,935	2,370	5,305	2,658	2,252	4,910	3,325	12,892	16,216
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	10,983	12,84,006	12,94,989	3,201	15,25,198	15,28,398	13,743	15,85,280	15,99,023	15,245	16,53,750	16,68,995
क. राज्य के अंग	1,734	38,751	40,486	1,836	45,613	47,450	2,445	45,799	48,244	2,797	37,790	40,587
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	6,860	58,219	65,079	1,201	70,294	71,495	6,640	71,473	78,113	12,075	75,712	87,787
i) कर और शुल्क का संग्रह	6,860	57,887	64,747	1,201	70,092	71,293	6,640	71,076	77,717	12,075	75,521	87,597
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	332	332	—	202	202	—	397	397	—	191	191
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	6,22,425	6,22,425	—	6,75,419	6,75,419	—	6,80,476	6,80,476	—	7,42,702	7,42,702
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	6,22,425	6,22,425	—	6,75,419	6,75,419	—	6,80,476	6,80,476	—	7,42,702	7,42,702
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	62,160	62,160	—	62,775	62,775	—	62,308	62,308	—	62,176	62,176
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	4,18,895	4,18,895	—	4,74,884	4,74,884	—	4,59,790	4,59,790	—	5,05,506	5,05,506
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	1,60,162	1,60,162	—	2,18,214	2,18,214	—	2,02,958	2,02,958	—	2,50,575	2,50,575
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	2,39,265	2,39,265	—	2,34,645	2,34,645	—	2,34,645	2,34,645	—	2,28,833	2,28,833
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	1,37,477	1,37,477	—	1,50,318	1,50,318	—	1,53,782	1,53,782	—	1,70,105	1,70,105
iv) अन्य	—	3,894	3,894	—	-12,558	-12,558	—	4,596	4,596	—	4,915	4,915
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	2,388	2,30,605	2,32,993	164	2,76,165	2,76,328	4,658	2,85,378	2,90,036	372	2,94,842	2,95,215
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	3	8,968	8,971	5	10,875	10,880	9	11,186	11,195	281	11,386	11,667
ii) जिला प्रशासन	—	22,019	22,019	—	27,302	27,302	—	26,447	26,447	—	28,721	28,721
iii) पुलिस	2,153	1,51,407	1,53,560	59	1,82,689	1,82,748	4,343	1,91,595	1,95,938	64	2,04,108	2,04,172
iv) लोक निर्माण	—	19,113	19,113	25	19,323	19,348	25	20,637	20,662	25	17,393	17,418
v) अन्य ++	233	29,097	29,330	75	35,975	36,051	282	35,513	35,794	2	33,236	33,238
ङ. पेंशन	—	3,32,211	3,32,211	—	4,55,440	4,55,440	—	5,00,876	5,00,876	—	4,99,614	4,99,614
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	1,796	1,796	—	2,267	2,267	—	1,277	1,277	—	3,091	3,091
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	2,612	2,612	—	1,115	1,115	—	1,176	1,176	—	1,215	1,215
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	2,612	2,612	—	1,115	1,115	—	1,176	1,176	—	1,215	1,215

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
सिक्किम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	51,773	1,77,587	2,29,361	58,108	1,98,607	2,56,715	63,600	2,21,486	2,85,086	82,032	2,23,275	3,05,307
I. विकास व्यय (क + ख)	50,723	42,717	93,440	56,302	52,007	1,08,309	59,918	65,965	1,25,883	80,430	63,191	1,43,621
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	26,441	27,583	54,024	28,340	33,583	61,923	31,288	43,109	74,397	34,894	43,527	78,421
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,284	16,237	28,521	14,022	21,427	35,449	14,412	28,096	42,509	17,704	30,398	48,102
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,959	4,557	7,516	3,424	5,583	9,007	3,703	7,678	11,381	3,921	6,708	10,629
3. परिवार कल्याण	712	—	712	933	—	933	1,345	—	1,345	1,445	—	1,445
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,724	637	2,361	1,254	819	2,073	1,254	1,006	2,259	2,193	837	3,029
5. आवास	2,359	933	3,292	1,042	431	1,474	2,588	431	3,019	1,163	399	1,562
6. शहरी विकास	1,375	555	1,930	838	531	1,369	896	639	1,535	2,575	422	2,997
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,355	292	1,647	2,045	361	2,405	2,049	407	2,456	1,474	338	1,812
8. श्रम और श्रम कल्याण	206	99	305	168	148	316	185	181	366	104	151	255
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,156	344	2,500	2,649	421	3,070	2,991	479	3,469	3,037	443	3,480
10. पोषण	761	49	810	1,495	55	1,551	1,395	74	1,470	1,025	72	1,097
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1	2,759	2,761	—	2,700	2,700	—	2,700	2,700	11	2,392	2,402
12. अन्य*	549	1,120	1,669	469	1,107	1,576	469	1,419	1,888	243	1,367	1,610
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	24,282	15,134	39,416	27,962	18,424	46,386	28,630	22,856	51,486	45,536	19,664	65,200
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	9,138	6,181	15,319	8,694	7,787	16,481	10,089	9,929	20,018	13,054	9,090	22,143
i) फसल उत्पादन	2,560	1,415	3,974	1,805	2,074	3,879	2,136	2,728	4,864	3,844	2,205	6,049
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	164	311	476	136	884	1,020	168	1,090	1,258	98	706	804
iii) पशुपालन	1,447	889	2,336	1,223	1,200	2,423	1,734	1,575	3,309	1,324	1,485	2,809
iv) डेरी विकास	328	28	356	149	26	175	150	38	188	69	42	111
v) मत्स्यपालन	72	180	252	54	197	251	54	244	298	70	304	374
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,590	1,443	3,033	1,562	1,434	2,996	1,836	1,986	3,822	4,120	2,183	6,303
vii) बागान	—	313	313	—	304	304	—	352	352	—	335	335
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	228	981	1,209	186	1,077	1,263	220	1,188	1,408	44	1,140	1,184
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5	—	5	24	—	24	24	—	24	—	—	—
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	307	419	726	394	591	985	604	729	1,333	162	690	852
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2,436	202	2,638	3,161	—	3,161	3,164	—	3,164	3,324	—	3,324
2. ग्रामीण विकास	4,420	387	4,806	4,583	652	5,235	4,183	680	4,863	3,214	129	3,343
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	30	—	30	150	—	150	150	—	150	100	—	100
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,518	181	2,700	4,901	186	5,087	5,001	238	5,240	10,581	158	10,740
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	736	174	910	4,595	178	4,773	4,595	231	4,826	10,173	158	10,332
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	1,772	7	1,779	261	7	268	361	7	369	379	—	379
5. ऊर्जा	2,540	2,438	4,977	2,643	2,844	5,487	2,643	3,430	6,074	3,358	3,076	6,434
जिसमें से: पावर	2,482	2,438	4,919	2,566	2,844	5,410	2,566	3,430	5,997	3,274	3,076	6,349
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,841	526	2,366	1,597	726	2,323	1,807	938	2,744	3,624	783	4,407
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,041	423	1,464	1,014	552	1,566	1,040	693	1,733	722	624	1,346
ii) उद्योग @	800	103	902	583	174	757	767	244	1,011	2,902	159	3,061
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
सिविकम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	1,990	4,869	6,859	1,752	5,749	7,501	1,752	7,036	8,788	1,375	5,644	7,019
i) सड़क और पुल	1,866	2,960	4,826	1,602	3,467	5,070	1,602	3,843	5,445	1,146	3,049	4,195
ii) अन्य @@	124	1,909	2,033	149	2,281	2,431	149	3,194	3,343	229	2,596	2,825
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	309	—	309	291	—	291	352	—	352	230	—	230
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,497	553	2,049	3,351	480	3,831	2,653	604	3,257	9,999	784	10,784
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	438	20	459	1,881	60	1,941	524	71	595	8,782	40	8,822
ii) पर्यटन	521	348	869	440	284	724	1,045	324	1,370	637	345	983
iii) नागरिक आपूर्ति	82	22	104	566	27	593	591	35	625	26	31	57
iv) अन्य +	456	162	618	464	109	573	494	174	667	555	367	922
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	1,050	1,34,871	1,35,921	1,806	1,46,600	1,48,407	3,683	1,55,520	1,59,203	1,602	1,57,919	1,59,522
क. राज्य के अंग	—	2,728	2,728	—	3,802	3,802	—	4,808	4,808	—	4,437	4,437
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	11	2,445	2,457	12	2,662	2,674	12	3,228	3,240	5	3,366	3,371
i) कर और शुल्क का संग्रह	11	2,445	2,457	12	2,662	2,674	12	3,228	3,240	5	3,366	3,371
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	15,437	15,437	—	18,150	18,150	—	18,150	18,150	—	20,750	20,750
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	1,173	1,173	—	1,200	1,200	—	1,200	1,200	—	1,200	1,200
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	14,264	14,264	—	16,950	16,950	—	16,950	16,950	—	19,550	19,550
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	2,304	2,304	—	2,157	2,157	—	2,157	2,157	—	1,979	1,979
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	9,260	9,260	—	11,964	11,964	—	11,964	11,964	—	14,661	14,661
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	6,984	6,984	—	9,735	9,735	—	9,735	9,735	—	11,788	11,788
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	1,156	1,156	—	1,109	1,109	—	1,109	1,109	—	1,077	1,077
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	2,700	2,700	—	2,830	2,830	—	2,830	2,830	—	2,910	2,910
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,039	16,725	17,764	1,794	19,244	21,038	3,671	25,090	28,761	1,597	22,680	24,277
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	4	1,445	1,449	20	1,973	1,993	20	2,618	2,637	—	2,226	2,226
ii) जिला प्रशासन	—	537	537	—	519	519	—	718	718	—	730	730
iii) पुलिस	255	8,512	8,768	418	11,804	12,222	418	15,734	16,152	—	15,236	15,236
iv) लोक निर्माण	139	2,079	2,218	241	2,114	2,355	242	2,295	2,537	221	1,093	1,314
v) अन्य ++	641	4,151	4,792	1,115	2,834	3,949	2,992	3,725	6,717	1,376	3,396	4,772
ङ. पेंशन	—	5,945	5,945	—	10,890	10,890	—	12,390	12,390	—	14,587	14,587
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	91,590	91,590	—	91,852	91,852	—	91,853	91,853	—	92,100	92,100
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	91,305	91,305	—	91,341	91,341	—	91,341	91,341	—	91,385	91,385
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,164	2,164
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,164	2,164

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
तामिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	10,53,793	43,05,234	53,59,026	10,95,664	48,33,865	59,29,528	12,88,494	46,42,473	59,30,967	13,81,311	52,67,506	66,48,817
I. विकास व्यय (क + ख)	10,22,186	20,81,095	31,03,281	10,63,544	21,69,551	32,33,095	12,57,428	22,46,331	35,03,759	13,28,040	24,19,951	37,47,990
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	8,37,551	12,99,598	21,37,148	8,41,988	13,40,082	21,82,070	9,82,702	13,14,671	22,97,373	10,51,574	14,43,921	24,95,496
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	60,635	8,19,780	8,80,415	86,439	9,76,769	10,63,207	79,175	9,82,407	10,61,582	1,04,781	10,81,084	11,85,865
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	20,996	1,68,510	1,89,506	31,624	2,17,919	2,49,543	61,328	1,89,503	2,50,831	89,232	2,15,691	3,04,922
3. परिवार कल्याण	34,617	4,727	39,343	43,680	6,327	50,006	44,957	5,612	50,569	46,910	6,515	53,425
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	23,551	1,363	24,913	18,159	1,685	19,844	19,391	1,380	20,771	29,030	2,096	31,127
5. आवास	61,804	63,172	1,24,976	35,821	3,961	39,782	36,828	3,938	40,765	23,798	4,650	28,449
6. शहरी विकास	1,14,422	6,577	1,20,999	85,483	4,497	89,980	1,64,010	4,238	1,68,248	1,48,593	4,553	1,53,146
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	66,395	41,897	1,08,292	70,266	52,767	1,23,034	79,975	46,899	1,26,874	81,032	56,531	1,37,564
8. श्रम और श्रम कल्याण	5,945	14,336	20,281	5,063	19,143	24,206	7,300	15,034	22,334	6,828	19,092	25,919
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,41,339	31,355	2,72,694	2,43,131	39,422	2,82,553	2,66,733	43,464	3,10,196	2,80,939	40,496	3,21,435
10. पोषण	1,31,715	1,333	1,33,048	1,72,158	1,670	1,73,828	1,47,765	1,408	1,49,173	1,84,643	1,511	1,86,154
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	1,37,951	1,37,951	—	4,354	4,354	—	11,465	11,465	—	1,983	1,983
12. अन्य*	76,132	8,598	84,730	50,164	11,568	61,732	75,241	9,323	84,564	55,788	9,719	65,507
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,84,636	7,81,498	9,66,133	2,21,556	8,29,469	10,51,025	2,74,726	9,31,660	12,06,386	2,76,465	9,76,029	12,52,495
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	1,03,173	1,44,638	2,47,810	1,19,964	1,61,115	2,81,079	1,66,040	1,57,786	3,23,826	1,30,169	1,63,970	2,94,139
i) फसल उत्पादन	60,231	70,167	1,30,398	73,285	75,001	1,48,287	89,376	75,063	1,64,439	77,997	70,469	1,48,466
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	4,273	1,760	6,033	6,838	2,056	8,893	8,420	2,181	10,602	9,226	2,389	11,615
iii) पशुपालन	3,568	16,546	20,114	1,041	19,748	20,790	3,803	18,845	22,647	800	20,516	21,316
iv) डेरी विकास	2,333	1,555	3,888	1,320	2,111	3,431	2,199	1,702	3,901	125	1,949	2,074
v) मत्स्यपालन	9,093	2,020	11,113	5,754	2,602	8,355	14,049	2,423	16,471	6,934	2,652	9,586
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4,381	11,634	16,014	5,414	14,721	20,135	5,457	13,370	18,827	5,970	15,002	20,972
vii) बागान	-53	3	-51	—	3	3	—	3	3	—	3	3
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	13,090	12,864	25,954	11,502	10,582	22,084	11,234	12,830	24,063	11,790	15,911	27,701
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	6,114	21,846	27,960	14,653	26,305	40,958	29,874	24,601	54,474	17,228	27,300	44,528
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	138	6,243	6,381	156	7,986	8,143	1,629	6,770	8,399	100	7,779	7,879
2. ग्रामीण विकास	46,449	26,547	72,997	53,382	32,724	86,106	68,076	31,992	1,00,068	68,296	35,088	1,03,383
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,323	74	1,397	1,164	107	1,271	1,280	87	1,367	1,019	111	1,130
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,028	68,109	72,137	6,920	66,829	73,750	4,672	74,413	79,085	5,260	91,835	97,096
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1,823	62,165	63,988	4,467	60,410	64,877	2,474	67,440	69,915	2,868	84,204	87,072
ii) लघु सिंचाई	465	5,143	5,609	489	5,802	6,291	466	5,234	5,700	499	5,677	6,176
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	801	801	—	617	617	—	1,739	1,739	—	1,954	1,954
5. ऊर्जा	111	1,29,299	1,29,410	196	1,31,396	1,31,592	199	1,31,356	1,31,555	223	1,32,826	1,33,049
जिसमें से: पावर	—	1,29,299	1,29,299	—	1,31,396	1,31,396	—	1,31,356	1,31,356	—	1,32,826	1,32,826
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	20,528	32,671	53,200	26,014	42,732	68,746	25,382	23,470	48,852	60,978	87,856	1,48,834
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	17,307	17,717	35,024	21,988	21,111	43,099	20,890	21,670	42,559	54,148	23,233	77,381
ii) उद्योग @	3,222	15,592	18,814	4,026	21,621	25,647	4,492	1,801	6,293	6,830	64,622	71,453
iii) अन्य**	-1	-638	-639	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
तामिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	2,455	89,069	91,523	7,758	87,283	95,042	1,885	94,954	96,839	1,992	73,107	75,099
i) सड़क और पुल	2,455	88,713	91,168	7,758	86,960	94,718	1,885	94,458	96,344	1,992	72,519	74,511
ii) अन्य @@	—	356	356	—	324	324	—	495	495	—	588	588
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,191	69	1,260	750	109	859	1,398	55	1,453	1,797	64	1,861
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	5,377	2,91,022	2,96,399	5,408	3,07,173	3,12,581	5,794	4,17,548	4,23,342	6,730	3,91,174	3,97,903
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	519	3,248	3,767	634	4,600	5,234	480	3,586	4,066	476	4,054	4,530
ii) पर्यटन	3,186	462	3,648	2,620	734	3,355	3,090	707	3,797	3,105	822	3,927
iii) नागरिक आपूर्ति	41	2,82,959	2,83,000	—	2,96,018	2,96,018	11	4,08,043	4,08,054	—	3,80,593	3,80,593
iv) अन्य +	1,632	4,353	5,984	2,154	5,821	7,976	2,212	5,212	7,425	3,148	5,706	8,854
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	2,767	18,55,003	18,57,770	3,280	22,40,179	22,43,459	2,226	20,25,173	20,27,399	2,472	23,96,104	23,98,576
क. राज्य के अंग	846	39,080	39,926	1,007	53,397	54,404	885	57,571	58,455	1,040	56,369	57,409
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	613	55,684	56,298	175	74,659	74,834	333	66,925	67,257	203	81,378	81,581
i) कर और शुल्क का संग्रह	613	52,680	53,294	175	71,439	71,615	333	63,731	64,064	203	78,114	78,317
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	3,004	3,004	—	3,219	3,219	—	3,193	3,193	—	3,264	3,264
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	6,41,281	6,41,281	—	6,80,506	6,80,506	—	6,90,961	6,90,961	—	7,86,446	7,86,446
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	45,000	45,000	—	45,000	45,000	—	18,400	18,400	—	19,184	19,184
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	5,96,281	5,96,281	—	6,35,506	6,35,506	—	6,72,561	6,72,561	—	7,67,262	7,67,262
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	52,167	52,167	—	55,071	55,071	—	53,435	53,435	—	55,884	55,884
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	4,48,074	4,48,074	—	4,87,851	4,87,851	—	5,24,441	5,24,441	—	6,06,018	6,06,018
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	1,63,543	1,63,543	—	1,98,818	1,98,818	—	2,34,940	2,34,940	—	3,27,967	3,27,967
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	2,40,565	2,40,565	—	2,38,708	2,38,708	—	2,38,692	2,38,692	—	2,26,170	2,26,170
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	71,325	71,325	—	84,423	84,423	—	83,632	83,632	—	96,048	96,048
iv) अन्य	—	24,715	24,715	—	8,160	8,160	—	11,052	11,052	—	9,312	9,312
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	1,402	3,37,595	3,38,997	2,097	4,38,307	4,40,404	1,009	4,00,229	4,01,237	1,229	4,62,917	4,64,146
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	8,951	8,951	—	12,147	12,147	—	10,210	10,210	—	11,453	11,453
ii) जिला प्रशासन	389	56,125	56,515	1,000	69,793	70,793	100	70,297	70,397	—	83,094	83,094
iii) पुलिस	—	1,96,650	1,96,650	—	2,60,433	2,60,433	—	2,30,673	2,30,673	—	2,71,375	2,71,375
iv) लोक निर्माण	—	27,173	27,173	1	31,837	31,838	—	28,756	28,756	—	31,278	31,278
v) अन्य ++	1,012	48,695	49,708	1,097	64,097	65,193	908	60,293	61,201	1,229	65,718	66,946
ङ. पेंशन	—	7,73,454	7,73,454	—	9,84,784	9,84,784	—	8,01,354	8,01,354	—	9,98,475	9,98,475
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-94	7,908	7,814	—	8,526	8,526	—	8,134	8,134	—	10,518	10,518
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	2	2	—	5	5	—	3	3	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	28,839	3,69,136	3,97,975	28,840	4,24,134	4,52,974	28,840	3,70,969	3,99,809	50,800	4,51,451	5,02,251
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	28,839	3,69,136	3,97,975	28,840	4,24,134	4,52,974	28,840	3,70,969	3,99,809	50,800	4,51,451	5,02,251

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	65,497	2,47,448	3,12,945	73,902	3,52,784	4,26,686	93,226	3,54,572	4,47,798	93,424	3,78,818	4,72,242
I. विकास व्यय (क + ख)	64,612	1,06,696	1,71,309	72,604	1,48,638	2,21,242	91,965	1,58,215	2,50,180	92,764	1,51,235	2,43,999
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	45,515	69,301	1,14,816	52,307	98,521	1,50,828	68,622	1,05,725	1,74,347	73,382	1,02,165	1,75,547
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,961	53,391	57,352	5,184	74,325	79,510	6,001	80,543	86,544	11,002	77,965	88,966
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,618	8,070	12,688	6,115	12,268	18,383	8,113	12,142	20,255	7,193	12,280	19,472
3. परिवार कल्याण	1,233	—	1,233	1,665	—	1,665	1,870	—	1,870	1,786	—	1,786
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	468	-165	303	563	2,191	2,754	644	2,228	2,872	572	2,145	2,717
5. आवास	—	710	710	—	600	600	—	600	600	—	500	500
6. शहरी विकास	4,493	62	4,555	6,080	262	6,343	7,793	609	8,403	8,127	334	8,461
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14,078	1,611	15,689	12,666	2,485	15,151	17,450	1,895	19,346	14,226	2,198	16,424
8. श्रम और श्रम कल्याण	294	600	894	448	1,080	1,528	573	1,147	1,720	490	1,063	1,554
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,349	2,858	16,207	16,601	2,625	19,226	23,174	3,202	26,375	25,543	2,434	27,976
10. पोषण	2,349	101	2,450	2,230	159	2,389	2,200	90	2,289	3,495	89	3,584
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	1,232	1,232	—	1,444	1,444	—	2,200	2,200	—	2,141	2,141
12. अन्य*	673	831	1,504	755	1,082	1,837	804	1,070	1,874	947	1,018	1,965
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	19,097	37,395	56,492	20,297	50,116	70,413	23,343	52,490	75,833	19,383	49,070	68,453
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	10,087	14,021	24,108	13,689	21,761	35,450	15,242	21,714	36,956	13,531	20,734	34,265
i) फसल उत्पादन	4,754	5,612	10,366	7,892	9,084	16,976	7,703	9,009	16,712	7,405	8,214	15,619
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	201	627	829	197	801	998	206	871	1,076	114	689	802
iii) पशुपालन	1,689	2,411	4,100	1,658	3,758	5,416	2,199	3,680	5,879	1,663	3,548	5,211
iv) डेरी विकास	29	89	118	67	150	218	4	117	122	2	144	146
v) मत्स्यपालन	1,241	1,078	2,319	1,480	1,589	3,069	1,518	1,522	3,040	1,215	1,519	2,734
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,838	2,750	4,588	1,918	4,147	6,064	2,197	4,295	6,492	2,443	4,414	6,857
vii) बागान	28	—	28	30	—	30	100	—	100	40	—	40
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	49	754	803	50	1,144	1,194	43	1,194	1,237	50	1,190	1,240
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	67	—	67	101	—	101	69	—	69	107	—	107
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	192	700	892	295	1,089	1,384	1,201	1,026	2,227	492	1,016	1,507
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
2. ग्रामीण विकास	5,964	4,260	10,224	3,813	6,434	10,247	4,778	6,637	11,414	3,169	6,410	9,580
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	371	—	371	290	—	290	250	—	250	196	—	196
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	29	3,420	3,449	67	3,799	3,866	55	3,804	3,859	245	3,954	4,199
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	44
ii) लघु सिंचाई	29	2,706	2,735	67	2,740	2,807	55	2,710	2,765	157	2,792	2,950
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	714	714	—	1,059	1,059	—	1,094	1,094	44	1,162	1,205
5. ऊर्जा	8	228	236	62	2,988	3,049	18	2,969	2,987	33	2,951	2,984
जिसमें से: पावर	—	174	174	—	2,902	2,902	—	2,890	2,890	—	2,878	2,878
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,691	1,456	3,147	1,537	2,010	3,547	2,098	1,839	3,936	1,486	1,907	3,393
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,611	1,436	3,046	1,452	1,985	3,437	2,013	1,817	3,829	1,401	1,882	3,283
ii) उद्योग @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अन्य**	80	21	101	85	25	110	85	22	107	85	25	110

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	38	12,867	12,905	50	11,512	11,562	56	13,967	14,023	42	11,166	11,209
i) सड़क और पुल	—	11,735	11,735	—	10,037	10,037	—	11,037	11,037	—	8,000	8,000
ii) अन्य @@	38	1,132	1,171	50	1,475	1,525	56	2,930	2,986	42	3,166	3,209
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	397	59	456	317	88	405	360	88	448	289	93	383
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	511	1,084	1,595	473	1,524	1,997	486	1,473	1,959	390	1,855	2,245
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	59	146	205	51	237	288	43	226	269	36	226	262
ii) पर्यटन	208	48	255	227	105	333	197	84	282	100	80	180
iii) नागरिक आपूर्ति	205	512	717	148	648	796	166	587	753	187	581	767
iv) अन्य +	40	378	418	46	534	579	80	576	655	68	968	1,037
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	885	1,32,810	1,33,694	1,298	1,96,346	1,97,644	1,261	1,86,798	1,88,059	660	2,15,943	2,16,603
क. राज्य के अंग	65	3,412	3,477	68	5,182	5,250	63	5,785	5,848	57	5,117	5,173
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	13	2,129	2,142	21	3,123	3,144	21	3,108	3,129	24	3,405	3,429
i) कर और शुल्क का संग्रह	13	2,012	2,025	21	2,953	2,974	21	2,943	2,964	24	3,255	3,279
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	117	117	—	170	170	—	165	165	—	150	150
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	41,429	41,429	—	38,983	38,983	—	46,453	46,453	—	51,183	51,183
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	2,000	2,000	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	39,429	39,429	—	38,983	38,983	—	46,453	46,453	—	51,182	51,182
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	3,926	3,926	—	4,064	4,064	—	5,381	5,381	—	4,049	4,049
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	23,974	23,974	—	21,719	21,719	—	27,561	27,561	—	31,212	31,212
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	9,379	9,379	—	10,770	10,770	—	13,422	13,422	—	17,439	17,439
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	10,994	10,994	—	7,344	7,344	—	10,480	10,480	—	10,000	10,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	11,529	11,529	—	13,200	13,200	—	13,511	13,511	—	15,921	15,921
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	806	50,197	51,003	1,209	96,558	97,767	1,177	77,739	78,916	579	96,238	96,817
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	2,257	2,257	100	3,116	3,216	—	3,211	3,211	—	3,179	3,179
ii) जिला प्रशासन	53	2,598	2,651	134	3,523	3,657	97	3,213	3,309	100	3,293	3,393
iii) पुलिस	—	34,540	34,540	—	48,871	48,871	—	51,132	51,132	—	51,343	51,343
iv) लोक निर्माण	663	5,683	6,345	875	13,487	14,362	902	12,574	13,477	415	10,841	11,256
v) अन्य ++	91	5,120	5,211	100	27,561	27,661	178	7,609	7,787	65	27,582	27,646
ङ. पेंशन	—	35,643	35,643	—	52,500	52,500	—	53,713	53,713	—	60,000	60,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	7,942	7,942	—	7,800	7,800	—	9,559	9,559	—	11,640	11,640
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	7,942	7,942	—	7,800	7,800	—	9,559	9,559	—	11,640	11,640

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	2,17,448	6,22,088	8,39,536	2,28,753	8,87,358	11,16,110	2,76,062	9,30,514	12,06,576	2,97,407	9,02,262	11,99,668
I. विकास व्यय (क + ख)	2,16,940	2,84,723	5,01,663	2,28,355	4,36,255	6,64,610	2,74,418	4,63,649	7,38,067	2,95,278	4,37,894	7,33,172
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	1,44,190	1,95,159	3,39,349	1,56,884	3,33,209	4,90,094	1,97,908	3,52,629	5,50,537	2,16,505	3,19,338	5,35,843
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	45,045	1,38,080	1,83,125	36,725	2,53,723	2,90,448	45,022	2,69,718	3,14,739	59,288	2,37,308	2,96,596
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,754	28,232	36,986	9,525	37,643	47,168	11,109	39,939	51,048	23,008	41,396	64,404
3. परिवार कल्याण	4,358	48	4,406	5,994	—	5,994	6,280	—	6,280	6,978	—	6,978
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	38,750	687	39,438	22,031	5,000	27,031	29,529	5,000	34,529	32,878	5,000	37,878
5. आवास	—	159	159	—	162	162	—	162	162	—	182	182
6. शहरी विकास	23,345	767	24,112	44,056	663	44,720	63,686	665	64,350	46,682	625	47,307
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,066	5,104	11,170	9,157	5,442	14,599	9,467	5,670	15,137	10,588	6,211	16,798
8. श्रम और श्रम कल्याण	708	2,632	3,340	1,189	3,274	4,463	1,214	3,713	4,926	2,121	3,619	5,740
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	16,375	8,795	25,170	24,228	6,914	31,142	27,600	7,375	34,975	31,097	7,381	38,478
10. पोषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	297	7,910	8,206	668	17,005	17,673	668	17,005	17,673	660	14,400	15,060
12. अन्य*	492	2,745	3,238	3,311	3,383	6,694	3,333	3,383	6,716	3,206	3,216	6,421
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	72,750	89,564	1,62,314	71,471	1,03,046	1,74,516	76,510	1,11,020	1,87,530	78,773	1,18,556	1,97,330
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	37,791	40,292	78,083	34,857	44,552	79,409	37,502	49,026	86,528	32,463	59,839	92,302
i) फसल उत्पादन	18,862	9,976	28,838	17,340	10,405	27,744	18,342	12,164	30,506	18,771	18,986	37,757
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	432	8	440	268	—	268	268	—	268	258	—	258
iii) पशुपालन	1,836	4,523	6,359	866	6,147	7,013	1,283	6,147	7,430	1,504	6,584	8,088
iv) डेरी विकास	1,011	280	1,291	1,077	190	1,268	1,310	301	1,611	1,194	333	1,528
v) मत्स्यपालन	168	266	435	123	203	326	193	314	507	279	341	619
vi) वानिकी और वन्य जीवन	12,844	17,104	29,948	12,548	19,451	31,999	12,548	20,965	33,513	6,777	22,915	29,692
vii) बागान	—	50	50	—	50	50	—	50	50	—	55	55
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	91	1,406	1,497	100	1,761	1,861	100	2,081	2,181	100	2,275	2,375
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,613	6,028	7,641	1,187	5,550	6,737	1,187	6,210	7,397	1,191	7,500	8,691
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	933	651	1,584	1,347	796	2,143	2,270	796	3,065	2,389	851	3,240
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	24,086	10,687	34,773	28,969	12,966	41,935	30,279	14,419	44,698	38,013	13,690	51,703
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	602	20,160	20,762	1,387	23,236	24,623	2,209	24,681	26,890	1,460	25,995	27,455
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	2	15,354	15,356	38	17,818	17,856	38	19,263	19,301	33	20,198	20,231
ii) लघु सिंचाई	450	4,498	4,948	343	5,067	5,409	1,165	5,067	6,231	1,427	5,412	6,839
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	309	309	—	351	351	—	351	351	—	385	385
5. ऊर्जा	2,579	190	2,768	1,027	194	1,221	1,027	244	1,271	777	275	1,052
जिसमें से: पावर	1,633	10	1,643	—	14	14	—	14	14	—	15	15
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,386	1,659	3,045	1,260	1,676	2,936	1,381	1,936	3,317	1,437	2,076	3,512
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,338	1,354	2,692	1,080	1,331	2,410	1,201	1,591	2,791	1,264	1,711	2,974
ii) उद्योग @	48	305	353	180	345	525	180	345	525	173	365	538
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	2,083	15,090	17,172	2,205	17,988	20,193	2,205	18,192	20,397	2,200	13,954	16,154
i) सड़क और पुल	2,083	13,604	15,686	1,855	16,414	18,269	1,855	16,414	18,269	2,130	11,950	14,080
ii) अन्य @@	—	1,486	1,486	350	1,574	1,924	350	1,778	2,128	70	2,004	2,074
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	400	—	400	391	—	391	391	13	405	315	20	335
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	3,824	1,487	5,310	1,374	2,434	3,808	1,515	2,509	4,025	2,108	2,707	4,815
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,375	109	1,484	320	158	478	327	172	499	530	196	726
ii) पर्यटन	2,377	435	2,813	980	885	1,865	1,080	891	1,971	1,050	909	1,959
iii) नागरिक आपूर्ति	8	143	150	10	326	336	10	326	336	7	327	334
iv) अन्य +	64	799	863	64	1,065	1,130	98	1,121	1,219	521	1,275	1,796
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	502	3,09,894	3,10,396	398	4,11,474	4,11,872	1,644	4,27,237	4,28,881	2,128	4,08,868	4,10,996
क. राज्य के अंग	143	9,529	9,673	343	17,494	17,837	343	17,956	18,299	369	15,239	15,609
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	182	14,380	14,562	51	19,892	19,943	1,266	20,773	22,039	1,759	19,233	20,992
i) कर और शुल्क का संग्रह	181	14,114	14,296	51	19,473	19,524	1,266	20,354	21,620	1,759	18,767	20,525
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	266	266	—	419	419	—	419	419	—	467	467
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	1,24,251	1,24,251	—	1,53,291	1,53,291	—	1,53,291	1,53,291	—	1,71,393	1,71,393
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	5,500	5,500	—	2,200	2,200	—	2,200	2,200	—	13,500	13,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	1,18,751	1,18,751	—	1,51,091	1,51,091	—	1,51,091	1,51,091	—	1,57,893	1,57,893
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	3,548	3,548	—	2,800	2,800	—	2,800	2,800	—	3,000	3,000
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	96,008	96,008	—	1,20,374	1,20,374	—	1,20,374	1,20,374	—	1,23,942	1,23,942
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	41,384	41,384	—	46,290	46,290	—	46,290	46,290	—	48,114	48,114
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	47,036	47,036	—	56,000	56,000	—	56,000	56,000	—	59,728	59,728
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	12,630	12,630	—	21,316	21,316	—	21,316	21,316	—	23,550	23,550
iv) अन्य	—	6,565	6,565	—	6,601	6,601	—	6,601	6,601	—	7,401	7,401
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	177	78,583	78,760	4	90,051	90,055	35	1,04,412	1,04,447	—	1,00,022	1,00,022
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	4,476	4,476	—	8,403	8,403	—	8,548	8,548	—	8,933	8,933
ii) जिला प्रशासन	1	4,783	4,784	—	5,254	5,254	—	6,827	6,827	—	6,274	6,274
iii) पुलिस	13	41,909	41,922	4	45,748	45,752	4	55,979	55,983	—	52,812	52,812
iv) लोक निर्माण	158	19,992	20,151	—	21,280	21,280	—	23,095	23,095	—	21,983	21,983
v) अन्य ++	5	7,423	7,428	—	9,367	9,367	31	9,963	9,994	—	10,020	10,020
ङ. पेंशन	—	82,825	82,825	—	1,30,465	1,30,465	—	1,30,465	1,30,465	—	1,02,780	1,02,780
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	326	326	—	281	281	—	340	340	—	200	200
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	6	27,471	27,477	—	39,629	39,629	—	39,629	39,629	—	55,500	55,500
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	6	27,471	27,477	—	39,629	39,629	—	39,629	39,629	—	55,500	55,500

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	17,29,134	58,67,755	75,96,889	17,38,379	75,48,286	92,86,665	18,83,463	77,30,190	96,13,653	22,80,699	88,25,923	1,11,06,622
I. विकास व्यय (क + ख)	17,07,940	25,61,596	42,69,536	16,46,758	31,78,372	48,25,130	17,89,806	32,25,998	50,15,804	21,77,571	36,49,215	58,26,786
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	11,58,422	16,96,179	28,54,601	11,68,168	22,15,432	33,83,600	12,95,144	22,48,127	35,43,270	16,82,572	25,29,456	42,12,028
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,23,214	10,71,219	12,94,434	3,17,292	14,39,469	17,56,761	3,22,882	14,46,838	17,69,721	4,71,833	17,19,132	21,90,965
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	37,931	2,49,640	2,87,571	24,396	3,83,435	4,07,831	24,446	3,84,742	4,09,188	32,654	4,22,279	4,54,933
3. परिवार कल्याण	67,368	15,365	82,733	93,819	23,205	1,17,024	1,09,089	24,018	1,33,107	1,14,451	24,936	1,39,387
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	68,275	—	68,275	52,700	—	52,700	69,164	—	69,164	59,396	10	59,406
5. आवास	—	3,334	3,334	—	3,113	3,113	—	3,128	3,128	—	4,358	4,358
6. शहरी विकास	3,04,368	11,748	3,16,117	50,303	11,745	62,048	50,303	11,745	62,048	1,78,510	2,043	1,80,553
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,03,726	1,57,077	2,60,803	1,13,711	1,58,809	2,72,521	1,29,755	1,58,517	2,88,271	1,19,353	1,62,758	2,82,111
8. श्रम और श्रम कल्याण	3,658	15,074	18,731	18,400	18,656	37,057	22,299	20,667	42,966	22,210	24,937	47,146
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,49,605	1,29,731	4,79,336	4,97,470	1,29,857	6,27,327	5,67,130	1,34,865	7,01,995	6,84,096	1,11,947	7,96,043
10. पोषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	33,386	33,386	—	35,427	35,427	—	50,323	50,323	—	35,737	35,737
12. अन्य*	275	9,604	9,880	76	11,717	11,793	76	13,285	13,361	70	21,320	21,390
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	5,49,518	8,65,417	14,14,935	4,78,590	9,62,940	14,41,530	4,94,662	9,77,872	14,72,533	4,94,999	11,19,759	16,14,758
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	1,59,344	1,32,395	2,91,739	1,88,929	1,67,108	3,56,037	1,89,422	1,80,782	3,70,204	1,55,204	2,04,990	3,60,194
i) फसल उत्पादन	59,757	58,796	1,18,553	1,11,087	70,044	1,81,131	1,11,463	66,877	1,78,341	90,709	82,700	1,73,409
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	55,697	9,551	65,247	52,418	12,478	64,896	52,451	12,080	64,530	45,035	13,433	58,468
iii) पशुपालन	8,172	23,188	31,360	7,772	28,196	35,967	7,772	28,196	35,967	7,148	37,435	44,582
iv) डेरी विकास	8,580	1,186	9,765	1,376	1,318	2,694	1,376	1,318	2,694	3,140	1,650	4,790
v) मत्स्यपालन	1,813	2,431	4,244	2,099	3,130	5,229	2,099	3,130	5,229	2,079	3,722	5,801
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4,534	20,341	24,876	7,207	26,279	33,486	7,270	26,527	33,797	1,302	34,343	35,644
vii) बागान	—	280	280	—	356	356	—	356	356	—	398	398
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	47	47	—	—	—	—	1	1	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	15,003	5,727	20,730	997	5,845	6,842	1,017	5,845	6,862	1,254	8,298	9,552
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	5,788	10,210	15,998	5,973	18,403	24,377	5,973	35,706	41,680	4,538	22,186	26,724
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	638	638	—	1,057	1,057	—	745	745	—	825	825
2. ग्रामीण विकास	3,26,777	1,24,002	4,50,779	2,31,027	1,47,827	3,78,854	2,30,847	1,48,574	3,79,421	2,11,796	1,75,533	3,87,329
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	50	2,237	2,286	7,000	2,500	9,500	10,000	2,500	12,500	18,645	—	18,645
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	45,765	2,25,550	2,71,315	27,425	2,84,742	3,12,167	27,942	2,84,742	3,12,684	62,702	3,23,596	3,86,298
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	200	1,54,930	1,55,130	200	2,12,985	2,13,185	200	2,12,985	2,13,185	28,110	2,47,881	2,75,991
ii) लघु सिंचाई	33,211	67,127	1,00,338	11,905	68,202	80,107	11,905	68,202	80,107	15,987	71,177	87,163
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	3,492	3,492	—	3,554	3,554	—	3,554	3,554	—	4,538	4,538
5. ऊर्जा	854	1,64,229	1,65,083	217	1,89,280	1,89,497	217	1,89,543	1,89,760	1,239	2,12,463	2,13,702
जिसमें से: पावर	—	1,63,265	1,63,265	—	1,87,880	1,87,880	—	1,87,880	1,87,880	—	2,10,566	2,10,566
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	14,879	58,920	73,799	19,876	14,006	33,882	30,876	14,036	44,912	40,798	18,507	59,305
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	9,314	8,114	17,428	8,166	9,156	17,322	8,166	9,186	17,352	14,788	12,712	27,500
ii) उद्योग @	5,565	50,590	56,155	11,710	4,715	16,425	22,710	4,715	27,425	26,010	5,689	31,699
iii) अन्य**	—	216	216	—	135	135	—	135	135	—	106	106

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	130	1,43,807	1,43,937	517	1,38,452	1,38,969	517	1,38,452	1,38,969	1,414	1,60,953	1,62,367
i) सड़क और पुल	—	1,38,842	1,38,842	250	1,32,198	1,32,448	250	1,32,198	1,32,448	—	1,53,243	1,53,243
ii) अन्य @@	130	4,965	5,095	267	6,254	6,521	267	6,254	6,521	1,414	7,710	9,124
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,301	623	1,924	2,227	748	2,976	3,429	955	4,384	2,532	1,284	3,816
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	418	13,654	14,072	1,372	18,276	19,649	1,412	18,287	19,699	669	22,433	23,102
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	32	5,256	5,288	108	7,803	7,911	108	7,803	7,911	102	9,289	9,390
ii) पर्यटन	327	1,100	1,426	403	1,311	1,714	443	1,280	1,723	503	1,610	2,113
iii) नागरिक आपूर्ति	—	932	933	—	1,129	1,129	—	1,134	1,134	—	1,839	1,839
iv) अन्य +	59	6,366	6,426	861	8,033	8,895	861	8,070	8,932	64	9,695	9,759
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	21,194	29,55,738	29,76,932	91,621	40,13,961	41,05,583	93,657	41,47,739	42,41,397	1,03,128	47,33,219	48,36,347
क. राज्य के अंग	2,176	72,305	74,481	3,799	1,03,594	1,07,392	3,799	1,04,404	1,08,202	5,158	1,26,062	1,31,220
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	14,981	1,29,106	1,44,087	74,871	1,69,747	2,44,618	77,293	1,69,901	2,47,194	91,171	2,10,669	3,01,840
i) कर और शुल्क का संग्रह	14,981	1,28,055	1,43,036	74,871	1,68,396	2,43,267	77,293	1,68,551	2,45,843	91,171	2,08,913	3,00,084
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	1,051	1,051	—	1,350	1,350	—	1,350	1,350	—	1,756	1,756
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	14,53,885	14,53,885	—	16,60,888	16,60,888	—	17,19,705	17,19,705	—	20,92,878	20,92,878
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	3,16,379	3,16,379	—	4,86,662	4,86,662	—	4,86,662	4,86,662	—	7,43,628	7,43,628
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	11,37,506	11,37,506	—	11,74,225	11,74,225	—	12,33,042	12,33,042	—	13,49,250	13,49,250
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	1,65,875	1,65,875	—	1,60,881	1,60,881	—	1,60,095	1,60,095	—	1,53,536	1,53,536
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	7,82,830	7,82,830	—	8,06,112	8,06,112	—	8,66,715	8,66,715	—	9,88,075	9,88,075
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	2,91,011	2,91,011	—	3,18,458	3,18,458	—	3,70,941	3,70,941	—	4,59,959	4,59,959
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	4,30,702	4,30,702	—	4,28,140	4,28,140	—	4,33,261	4,33,261	—	4,62,965	4,62,965
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	1,71,095	1,71,095	—	1,99,691	1,99,691	—	1,99,691	1,99,691	—	2,01,104	2,01,104
iv) अन्य	—	17,707	17,707	—	7,541	7,541	—	6,541	6,541	—	6,534	6,534
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	3,988	6,05,116	6,09,105	12,452	9,72,504	9,84,956	12,566	10,03,164	10,15,730	6,299	10,13,941	10,20,240
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	1,229	66,163	67,392	6,346	2,66,265	2,72,611	6,346	2,66,899	2,73,245	—	33,094	33,094
ii) जिला प्रशासन	—	30,538	30,538	—	36,063	36,063	—	36,113	36,113	—	47,585	47,585
iii) पुलिस	—	3,90,792	3,90,792	—	4,73,528	4,73,528	—	4,94,232	4,94,232	—	6,53,377	6,53,377
iv) लोक निर्माण	58	31,181	31,239	228	93,673	93,901	228	93,673	93,901	205	1,18,615	1,18,820
v) अन्य ++	2,701	86,443	89,144	5,878	1,02,975	1,08,852	5,992	1,12,247	1,18,239	6,093	1,61,270	1,67,364
ङ. पेंशन	—	6,92,628	6,92,628	—	11,02,567	11,02,567	—	11,45,903	11,45,903	—	12,85,680	12,85,680
च. विविध सामान्य सेवाएँ	50	2,697	2,747	500	4,662	5,162	—	4,662	4,662	500	3,990	4,490
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	3,50,421	3,50,421	—	3,55,953	3,55,953	—	3,56,453	3,56,453	—	4,43,489	4,43,489
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	3,50,421	3,50,421	—	3,55,953	3,55,953	—	3,56,453	3,56,453	—	4,43,489	4,43,489

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	8,04,956	43,56,378	51,61,333	11,71,637	48,53,616	60,25,252	12,04,223	50,42,812	62,47,035	13,18,929	50,82,442	64,01,370
I. विकास व्यय (क + ख)	7,95,300	22,45,726	30,41,026	11,56,177	20,16,096	31,72,272	11,79,984	21,56,014	33,35,998	12,91,166	23,50,117	36,41,283
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	5,56,357	10,82,124	16,38,481	8,21,651	15,93,085	24,14,735	8,43,297	17,18,324	25,61,621	9,07,118	18,59,631	27,66,749
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,55,155	6,39,672	7,94,827	2,36,359	9,88,531	12,24,890	2,43,793	10,00,099	12,43,892	2,61,515	10,95,702	13,57,217
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	23,745	1,52,668	1,76,413	30,782	2,20,173	2,50,955	33,207	2,27,837	2,61,044	38,697	2,43,625	2,82,322
3. परिवार कल्याण	23,199	2,422	25,621	30,446	8,556	39,002	22,928	8,441	31,369	24,707	9,167	33,874
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,571	16,677	26,248	12,258	24,857	37,115	24,550	10,029	34,579	7,427	27,194	34,620
5. आवास	247	8,440	8,687	250	10,055	10,305	280	9,950	10,230	315	11,341	11,656
6. शहरी विकास	1,57,773	85,272	2,43,045	2,75,745	1,10,437	3,86,182	2,64,295	1,16,547	3,80,842	3,01,388	1,31,234	4,32,622
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	34,456	15,827	50,283	37,625	17,368	54,993	38,402	16,281	54,683	44,593	18,455	63,048
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,727	6,476	9,203	6,509	10,057	16,566	4,378	10,011	14,389	7,635	11,043	18,679
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,09,274	1,17,263	2,26,537	1,32,692	1,63,187	2,95,879	1,49,087	2,62,118	4,11,205	1,59,100	2,66,152	4,25,251
10. पोषण	33,856	15	33,871	48,935	384	49,319	53,300	359	53,659	49,260	387	49,647
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	8	25,531	25,539	22	26,392	26,414	120	43,079	43,199	35	30,983	31,018
12. अन्य*	6,346	11,863	18,209	10,028	13,086	23,114	8,958	13,573	22,531	12,447	14,349	26,796
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,38,943	11,63,601	14,02,545	3,34,526	4,23,011	7,57,537	3,36,686	4,37,690	7,74,376	3,84,048	4,90,486	8,74,534
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	45,804	83,451	1,29,255	42,599	1,22,008	1,64,607	63,551	1,22,493	1,86,044	60,716	1,34,656	1,95,372
i) फसल उत्पादन	19,183	16,829	36,012	16,287	25,610	41,897	33,280	25,495	58,776	25,710	28,116	53,826
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,083	1,327	2,410	135	1,922	2,057	125	1,940	2,066	220	2,111	2,331
iii) पशुपालन	6,381	14,435	20,816	5,164	20,930	26,094	6,145	20,772	26,917	5,297	22,966	28,263
iv) डेरी विकास	200	7,940	8,140	340	13,455	13,795	530	12,869	13,399	390	14,423	14,813
v) मत्स्यपालन	4,917	2,604	7,520	5,148	3,615	8,762	6,842	3,682	10,523	5,728	4,011	9,739
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4,305	15,079	19,384	5,577	20,582	26,159	6,027	20,538	26,564	7,342	22,458	29,800
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	59	8,636	8,695	538	13,002	13,540	526	12,974	13,500	419	14,439	14,858
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	596	6,631	7,226	1,262	9,690	10,952	1,262	9,636	10,898	1,126	10,590	11,716
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	2,815	9,355	12,171	3,935	12,221	16,156	4,623	13,615	18,238	8,181	14,466	22,647
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	6,265	614	6,879	4,212	982	5,194	4,191	973	5,164	6,303	1,076	7,379
2. ग्रामीण विकास	84,220	79,389	1,63,609	1,20,866	1,05,415	2,26,280	1,43,983	90,706	2,34,689	1,69,243	1,20,893	2,90,135
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	25,355	22,645	48,001	61,560	6,975	68,535	40,982	32,846	73,828	44,002	36,257	80,259
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,483	61,260	63,743	3,983	83,159	87,142	4,180	79,485	83,666	5,835	89,821	95,656
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1,024	23,713	24,736	1,433	32,672	34,105	1,483	33,194	34,677	1,934	35,404	37,338
ii) लघु सिंचाई	496	27,532	28,028	1,187	40,767	41,954	1,276	37,067	38,343	2,236	44,129	46,365
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	510	10,015	10,525	679	9,720	10,399	737	9,224	9,962	782	10,287	11,069
5. ऊर्जा	9,756	8,33,998	8,43,754	7,010	105	7,115	4,125	105	4,230	28,835	115	28,950
जिसमें से: पावर	8,735	8,33,918	8,42,653	5,760	—	5,760	2,936	—	2,936	27,500	—	27,500
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	46,638	9,017	55,656	62,374	12,940	75,314	60,603	13,798	74,401	61,953	14,742	76,695
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	8,548	7,593	16,141	12,813	10,893	23,706	12,374	11,786	24,160	15,620	12,507	28,127
ii) उद्योग @	38,091	1,424	39,515	49,562	2,047	51,609	48,229	2,012	50,241	46,333	2,235	48,568
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	17,866	65,507	83,374	29,710	79,573	1,09,282	12,783	85,311	98,094	4,977	78,686	83,663
i) सड़क और पुल	16,652	31,379	48,031	27,369	41,633	69,002	7,881	44,959	52,840	2,510	33,510	36,020
ii) अन्य @@	1,214	34,129	35,343	2,341	37,940	40,280	4,902	40,353	45,255	2,467	45,176	47,643
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3,766	33	3,799	2,961	52	3,013	4,461	51	4,512	4,077	56	4,133
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	3,054	8,301	11,356	3,465	12,785	16,249	2,019	12,894	14,913	4,410	15,261	19,671
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	118	4,204	4,322	208	6,415	6,623	148	6,558	6,706	212	7,198	7,410
ii) पर्यटन	2,231	340	2,571	2,103	468	2,572	731	467	1,198	3,028	536	3,564
iii) नागरिक आपूर्ति	664	1,670	2,334	934	2,699	3,633	924	2,692	3,615	916	2,968	3,884
iv) अन्य +	42	2,087	2,129	219	3,202	3,422	216	3,177	3,393	254	4,559	4,813
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	7,529	20,70,014	20,77,543	13,334	27,92,816	28,06,150	22,113	28,44,406	28,66,519	25,028	26,84,890	27,09,918
क. राज्य के अंग	1,576	27,598	29,173	3,245	55,904	59,149	3,176	57,347	60,523	3,619	50,621	54,240
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	986	61,952	62,939	2,821	89,168	91,989	9,138	92,405	1,01,543	11,413	98,245	1,09,658
i) कर और शुल्क का संग्रह	986	59,164	60,150	2,821	86,054	88,875	9,138	87,946	97,085	11,413	94,914	1,06,327
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	2,789	2,789	-	3,113	3,113	-	4,459	4,459	-	3,331	3,331
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	12,74,099	12,74,099	-	13,90,078	13,90,078	-	13,98,352	13,98,352	-	15,21,849	15,21,849
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	67,200	67,200	-	73,200	73,200	-	73,200	73,200	-	1,20,000	1,20,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	12,06,899	12,06,899	-	13,16,878	13,16,878	-	13,25,152	13,25,152	-	14,01,849	14,01,849
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	1,18,918	1,18,918	-	1,52,288	1,52,288	-	1,50,629	1,50,629	-	98,398	98,398
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	9,91,332	9,91,332	-	10,59,707	10,59,707	-	10,74,000	10,74,000	-	11,95,325	11,95,325
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	3,00,176	3,00,176	-	3,53,613	3,53,613	-	3,83,112	3,83,112	-	4,89,853	4,89,853
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	6,07,573	6,07,573	-	6,14,656	6,14,656	-	6,11,366	6,11,366	-	6,23,382	6,23,382
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	41,763	41,763	-	49,200	49,200	-	48,700	48,700	-	54,500	54,500
iv) अन्य	-	54,886	54,886	-	55,683	55,683	-	51,823	51,823	-	53,626	53,626
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	4,967	2,60,783	2,65,750	7,268	3,55,839	3,63,107	9,799	3,94,339	4,04,139	9,996	3,86,077	3,96,073
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	25	8,176	8,201	186	13,336	13,522	180	13,488	13,668	206	14,827	15,033
ii) जिला प्रशासन	-	8,991	8,991	-	12,914	12,914	-	12,757	12,757	-	14,182	14,182
iii) पुलिस	2,319	1,64,583	1,66,902	2,360	2,24,298	2,26,658	4,984	2,29,401	2,34,385	4,035	2,43,632	2,47,667
iv) लोक निर्माण	1,288	31,417	32,704	2,420	40,046	42,466	2,345	38,944	41,289	2,540	39,565	42,105
v) अन्य ++	1,335	47,617	48,952	2,302	65,246	67,547	2,290	99,750	1,02,040	3,215	73,872	77,087
ङ. पेंशन	-	4,43,279	4,43,279	-	8,99,124	8,99,124	-	8,99,125	8,99,125	-	6,25,377	6,25,377
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	2,303	2,303	-	2,703	2,703	-	2,837	2,837	-	2,720	2,720
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	2,196	2,196	-	2,530	2,530	-	2,277	2,277	-	2,536	2,536
III. सहायता अनुदान और अंशदान	2,126	40,638	42,764	2,126	44,703	46,830	2,126	42,393	44,519	2,735	47,434	50,169
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	2,126	40,638	42,764	2,126	44,703	46,830	2,126	42,393	44,519	2,735	47,434	50,169

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,44,60,949	5,37,37,573	6,81,98,522	1,86,63,166	6,50,60,679	8,37,23,844	1,88,36,437	6,65,68,684	8,54,05,121	2,19,14,716	7,18,26,086	9,37,40,802
I. विकास व्यय (क + ख)	1,40,41,199	2,74,04,037	4,14,45,236	1,80,04,040	3,12,40,233	4,92,44,272	1,81,63,189	3,34,29,668	5,15,92,857	2,11,12,502	3,48,58,818	5,59,71,320
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	89,46,152	1,65,80,702	2,55,26,855	1,06,68,522	2,03,23,530	3,09,92,052	1,19,39,348	2,16,84,077	3,36,23,425	1,38,94,184	2,29,92,559	3,68,86,743
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19,26,619	1,02,01,007	1,21,27,626	25,95,807	1,28,82,295	1,54,78,102	26,72,137	1,34,79,744	1,61,51,881	35,12,660	1,49,62,428	1,84,75,088
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,77,179	21,38,900	26,16,080	6,13,353	27,75,415	33,88,767	6,79,539	27,91,937	34,71,475	8,37,777	30,56,796	38,94,573
3. परिवार कल्याण	3,64,647	84,142	4,48,789	4,52,802	1,18,605	5,71,408	5,15,577	1,06,878	6,22,455	5,53,576	1,27,439	6,81,015
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,29,690	4,98,438	10,28,128	4,85,508	5,71,035	10,56,543	4,65,772	5,85,308	10,51,080	4,46,500	6,22,545	10,69,045
5. आवास	4,03,706	1,84,872	5,88,578	3,85,220	1,17,274	5,02,494	6,38,194	1,40,136	7,78,331	5,41,166	1,38,705	6,79,871
6. शहरी विकास	16,62,787	5,14,383	21,77,170	16,08,984	6,99,233	23,08,217	18,72,566	7,03,404	25,75,970	22,51,079	6,98,594	29,49,674
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,64,606	7,40,043	18,04,648	11,52,112	8,36,621	19,88,733	13,83,667	8,86,624	22,70,292	15,89,087	9,28,068	25,17,155
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,10,132	1,73,781	2,83,914	1,49,036	2,09,536	3,58,572	1,62,263	2,21,897	3,84,160	2,05,088	2,44,662	4,49,750
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17,55,385	7,67,981	25,23,366	22,84,568	8,72,333	31,56,901	25,25,022	10,20,152	35,45,173	28,44,674	9,84,367	38,29,041
10. पोषण	4,95,412	3,52,096	8,47,508	8,41,392	5,36,989	13,78,381	8,91,247	5,66,553	14,57,800	9,90,532	5,22,368	15,12,900
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	38,707	7,93,871	8,32,579	6,162	5,47,795	5,53,958	17,393	10,20,364	10,37,757	15,106	5,17,185	5,32,292
12. अन्य*	1,17,282	1,31,187	2,48,469	93,578	1,56,398	2,49,976	1,15,971	1,61,080	2,77,051	1,06,938	1,89,401	2,96,339
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	50,95,047	1,08,23,335	1,59,18,381	73,35,517	1,09,16,703	1,82,52,220	62,23,842	1,17,45,591	1,79,69,432	72,18,318	1,18,66,258	1,90,84,576
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	17,26,140	22,57,622	39,83,763	17,72,177	25,67,008	43,39,185	19,48,566	27,40,578	46,89,144	21,36,000	26,68,029	48,04,029
i) फसल उत्पादन	9,21,319	4,55,038	13,76,356	9,34,051	5,35,524	14,69,575	10,12,233	6,09,241	16,21,474	11,42,721	6,57,229	17,99,950
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,30,533	57,634	1,88,167	1,39,226	69,051	2,08,277	1,46,613	70,958	2,17,571	1,78,308	77,351	2,55,660
iii) पशुपालन	1,06,604	3,17,267	4,23,871	1,18,021	3,94,566	5,12,587	1,26,614	3,97,319	5,23,933	1,43,881	4,43,829	5,87,710
iv) डेरी विकास	47,218	85,159	1,32,377	46,863	67,591	1,14,453	47,482	64,302	1,11,784	53,764	80,613	1,34,378
v) मत्स्यपालन	49,909	53,736	1,03,645	59,226	58,045	1,17,270	72,919	58,226	1,31,144	65,990	61,868	1,27,858
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,25,397	4,09,003	6,34,400	2,46,298	5,01,992	7,48,290	2,77,547	5,19,369	7,96,916	2,56,715	5,74,167	8,30,882
vii) बागान	-10	711	702	99	783	882	169	830	999	61	875	936
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	14,000	3,17,118	3,31,119	9,444	3,34,714	3,44,158	17,681	4,35,658	4,53,339	16,331	3,66,637	3,82,968
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,08,525	1,51,095	2,59,620	1,04,971	1,66,901	2,71,872	1,04,713	1,77,660	2,82,373	1,35,920	1,92,827	3,28,747
x) कृषि वित्त संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहकारिता	1,10,824	3,98,909	5,09,733	1,02,818	4,22,359	5,25,178	1,28,936	3,93,048	5,21,984	1,27,170	1,96,782	3,23,952
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	11,821	11,952	23,773	11,160	15,483	26,643	13,658	13,969	27,627	15,140	15,850	30,990
2. ग्रामीण विकास	17,47,083	9,07,951	26,55,033	33,44,490	9,70,210	43,14,700	20,06,990	9,56,981	29,63,971	22,44,981	11,04,962	33,49,942
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	91,193	29,594	1,20,788	1,96,469	14,414	2,10,883	1,99,853	40,691	2,40,544	1,85,388	42,147	2,27,535
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,75,963	14,62,804	17,38,767	4,65,895	17,72,959	22,38,854	4,89,680	19,45,366	24,35,047	7,14,415	21,71,018	28,85,433
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	88,947	11,02,163	11,91,110	2,41,674	13,47,836	15,89,510	2,40,198	15,07,100	17,47,298	4,53,155	17,01,321	21,54,475
ii) लघु सिंचाई	1,39,269	2,77,427	4,16,696	1,58,840	3,26,215	4,85,055	1,82,423	3,36,242	5,18,665	1,87,390	3,65,182	5,52,573
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	6,013	76,785	82,798	10,031	90,558	1,00,589	7,212	96,482	1,03,693	7,158	98,382	1,05,541
5. ऊर्जा	2,55,717	34,96,087	37,51,805	2,60,719	29,61,593	32,22,312	2,29,148	32,13,777	34,42,925	3,31,849	30,30,260	33,62,109
जिसमें से: पावर	2,40,045	34,93,620	37,33,665	2,43,794	29,58,170	32,01,964	2,14,656	32,10,096	34,24,753	3,04,224	30,26,314	33,30,538
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,04,967	3,24,855	6,29,821	4,39,578	3,09,117	7,48,694	4,57,727	3,27,363	7,85,089	5,42,059	3,90,598	9,32,656
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,50,421	1,29,872	2,80,293	2,34,760	1,50,918	3,85,678	2,32,780	1,52,552	3,85,332	2,86,451	1,84,583	4,71,033
ii) उद्योग @	1,49,677	1,95,342	3,45,019	2,03,697	1,57,999	3,61,696	2,23,786	1,74,603	3,98,389	2,54,457	2,05,828	4,60,285
iii) अन्य**	4,869	-360	4,509	1,121	200	1,320	1,160	208	1,368	1,151	187	1,338

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	3,32,088	16,45,468	19,77,555	3,45,396	16,77,277	20,22,673	4,26,242	18,25,632	22,51,874	3,75,797	17,05,838	20,81,636
i) सड़क और पुल	2,77,515	14,04,590	16,82,105	3,13,412	13,89,635	17,03,048	3,60,677	15,12,059	18,72,736	3,31,451	13,78,838	17,10,289
ii) अन्य @@	54,573	2,40,878	2,95,451	31,984	2,87,642	3,19,626	65,565	3,13,573	3,79,138	44,346	3,27,001	3,71,347
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	33,879	6,677	40,556	46,627	7,006	53,633	48,829	7,140	55,969	67,501	9,482	76,983
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	3,28,017	6,92,276	10,20,293	4,64,166	6,37,119	11,01,285	4,16,808	6,88,063	11,04,871	6,20,328	7,43,924	13,64,252
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,12,491	57,855	2,70,346	3,05,254	77,575	3,82,830	2,46,635	79,095	3,25,730	4,19,196	88,537	5,07,733
ii) पर्यटन	64,555	12,634	77,189	82,510	15,447	97,957	94,240	15,736	1,09,975	93,657	17,404	1,11,062
iii) नागरिक आपूर्ति	30,196	3,45,317	3,75,513	49,396	3,84,740	4,34,136	53,493	4,69,677	5,23,170	72,858	4,76,862	5,49,720
iv) अन्य +	20,775	2,76,469	2,97,244	27,006	1,59,357	1,86,363	22,439	1,23,556	1,45,995	34,616	1,61,121	1,95,738
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	2,61,786	2,46,39,860	2,49,01,645	4,42,678	3,17,48,066	3,21,90,744	4,74,850	3,11,75,562	3,16,50,412	5,39,329	3,46,08,238	3,51,47,567
क. राज्य के अंग	11,345	6,37,781	6,49,126	18,937	9,02,605	9,21,541	20,928	9,52,075	9,73,003	44,554	9,06,489	9,51,043
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	50,141	9,56,265	10,06,406	1,13,012	11,73,786	12,86,797	1,31,187	12,38,437	13,69,624	1,77,513	13,23,009	15,00,522
i) कर और शुल्क का संग्रह	50,131	9,29,652	9,79,783	1,12,992	11,46,164	12,59,156	1,31,166	12,11,107	13,42,273	1,77,500	12,95,872	14,73,372
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	10	26,613	26,623	20	27,621	27,641	21	27,330	27,351	13	27,137	27,150
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	1,09,39,342	1,09,39,342	-	1,25,07,785	1,25,07,785	-	1,24,75,557	1,24,75,557	-	1,40,46,040	1,40,46,040
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	6,43,858	6,43,858	-	8,65,070	8,65,070	-	8,85,200	8,85,200	-	11,80,470	11,80,470
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	1,02,95,483	1,02,95,483	-	1,16,42,715	1,16,42,715	-	1,15,90,357	1,15,90,357	-	1,28,65,570	1,28,65,570
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	11,09,024	11,09,024	-	12,59,867	12,59,867	-	11,35,709	11,35,709	-	10,88,310	10,88,310
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	74,89,984	74,89,984	-	84,63,545	84,63,545	-	84,43,356	84,43,356	-	96,14,390	96,14,390
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	24,88,671	24,88,671	-	32,72,840	32,72,840	-	33,23,669	33,23,669	-	43,85,270	43,85,270
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	39,63,431	39,63,431	-	40,05,160	40,05,160	-	39,56,963	39,56,963	-	40,56,450	40,56,450
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	14,03,919	14,03,919	-	16,51,928	16,51,928	-	15,52,250	15,52,250	-	17,14,880	17,14,880
iv) अन्य	-	2,92,557	2,92,557	-	2,67,375	2,67,375	-	4,59,042	4,59,042	-	4,47,990	4,47,990
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	1,89,668	50,53,449	52,43,117	2,93,840	71,45,044	74,38,884	3,09,253	68,15,671	71,24,924	2,94,232	80,24,484	83,18,716
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	33,212	2,45,245	2,78,457	57,274	6,06,705	6,63,979	55,197	5,70,984	6,26,181	55,393	6,39,820	6,95,213
ii) जिला प्रशासन	70,046	4,75,665	5,45,711	1,34,784	5,92,593	7,27,376	1,25,408	6,26,297	7,51,705	1,12,223	7,08,315	8,20,538
iii) पुलिस	44,602	32,02,464	32,47,066	50,598	39,08,640	39,59,238	58,578	40,22,593	40,81,170	70,188	46,33,649	47,03,837
iv) लोक निर्माण	10,832	4,94,423	5,05,255	7,148	6,66,212	6,73,360	22,270	6,99,544	7,21,813	12,518	7,02,315	7,14,833
v) अन्य ++	30,976	6,35,652	6,66,628	44,036	13,70,895	14,14,931	47,801	8,96,254	9,44,055	43,910	13,40,384	13,84,294
ङ. पेंशन	-	65,44,015	65,44,015	1,470	87,20,557	87,22,027	2,906	87,24,198	87,27,104	5,699	94,96,115	95,01,814
च. विविध सामान्य सेवाएँ	10,631	5,09,009	5,19,640	15,420	12,98,290	13,13,710	10,575	9,69,624	9,80,199	17,332	8,12,101	8,29,433
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	4,87,064	4,87,064	-	5,61,600	5,61,600	-	5,48,017	5,48,017	-	6,20,290	6,20,290
III. सहायता अनुदान और अंशदान	1,57,964	16,93,677	18,51,641	2,16,448	20,72,380	22,88,828	1,98,397	19,63,454	21,61,851	2,62,885	23,59,030	26,21,915
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	1,57,964	16,82,678	18,40,642	2,16,448	20,72,380	22,88,828	1,98,397	19,63,454	21,61,851	2,62,885	23,59,030	26,21,915

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	3,95,499	7,80,756	11,76,255	4,33,623	9,36,708	13,70,331	4,90,791	9,60,700	14,51,491	4,92,845	9,95,100	14,87,945
I. विकास व्यय (क + ख)	3,86,509	4,00,697	7,87,206	4,24,021	5,10,362	9,34,383	4,80,456	5,26,645	10,07,101	4,82,180	5,53,046	10,35,226
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	3,42,709	3,17,228	6,59,937	3,67,951	4,39,188	8,07,139	3,97,741	4,39,039	8,36,780	4,21,267	4,52,829	8,74,096
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	55,820	2,29,011	2,84,831	61,980	2,96,617	3,58,597	64,414	3,11,013	3,75,427	75,616	3,03,857	3,79,473
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	86,888	60,690	1,47,579	84,879	82,878	1,67,757	96,489	90,573	1,87,062	1,06,094	85,112	1,91,206
3. परिवार कल्याण	1,626	—	1,626	4,380	—	4,380	3,493	—	3,493	4,420	—	4,420
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22,560	—	22,560	18,065	—	18,065	21,565	—	21,565	21,565	—	21,565
5. आवास	5,538	2,221	7,758	13,060	2,665	15,725	17,070	3,039	20,109	8,080	2,952	11,032
6. शहरी विकास	1,13,842	7,957	1,21,799	1,14,190	34,188	1,48,378	1,20,561	13,705	1,34,266	1,12,980	35,103	1,48,083
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,815	368	2,184	2,496	669	3,165	2,919	666	3,585	3,046	698	3,744
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,291	4,774	6,065	1,136	7,230	8,366	1,529	6,830	8,359	1,372	7,903	9,275
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44,014	8,258	52,272	50,990	10,420	61,410	54,526	10,070	64,596	70,573	9,966	80,539
10. पोषण	9,227	—	9,227	15,865	—	15,865	14,594	—	14,594	17,020	—	17,020
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	60	317	377	910	280	1,190	581	482	1,063	501	368	869
12. अन्य*	28	3,631	3,659	—	4,242	4,242	—	2,662	2,662	—	6,870	6,870
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	43,800	83,469	1,27,269	56,070	71,173	1,27,243	82,716	87,606	1,70,321	60,913	1,00,218	1,61,131
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	730	4,440	5,170	745	7,419	8,164	1,438	6,771	8,208	1,081	7,688	8,769
i) फसल उत्पादन	145	1,082	1,227	191	1,822	2,013	500	1,523	2,023	28	1,736	1,764
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	10	10	20	—	53	53	—	50	50	—	57	57
iii) पशुपालन	16	925	940	34	1,787	1,821	36	1,556	1,592	37	2,394	2,431
iv) डेरी विकास	—	133	133	—	160	160	—	160	160	—	180	180
v) मत्स्यपालन	2	34	36	—	69	69	—	43	43	—	52	52
vi) वानिकी और वन्य जीवन	459	1,368	1,827	520	2,175	2,695	902	1,868	2,770	1,016	1,772	2,788
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	103	103	—	102	102	—	161	161	—	129	129
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	39	672	712	—	1,041	1,041	—	1,170	1,170	—	1,099	1,099
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	60	112	171	—	210	210	—	239	239	—	270	270
2. ग्रामीण विकास	357	295	652	230	629	859	184	659	842	184	678	862
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9	7,106	7,115	104	8,949	9,053	60	9,467	9,527	110	9,265	9,375
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	4	944	948	4	1,052	1,056	9	1,128	1,137	10	1,130	1,140
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	5	6,162	6,167	100	7,897	7,997	51	8,339	8,390	100	8,135	8,235
5. ऊर्जा	650	39,947	40,597	175	20,950	21,125	125	33,515	33,640	325	44,950	45,275
जिसमें से: पावर	625	39,947	40,573	150	20,950	21,100	100	33,515	33,615	300	44,950	45,250
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,316	911	2,227	4,377	1,576	5,953	4,349	1,270	5,619	1,658	1,405	3,063
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,316	903	2,219	4,377	1,554	5,931	4,349	1,260	5,609	1,658	1,383	3,041
ii) उद्योग @	—	8	8	—	22	22	—	10	10	—	21	21
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	35,650	13,187	48,837	36,740	10,300	47,040	67,082	13,400	80,482	49,352	11,290	60,642
i) सड़क और पुल	34,672	11,287	45,959	35,600	8,000	43,600	66,600	11,400	78,000	48,500	8,290	56,790
ii) अन्य @@	977	1,900	2,877	1,140	2,300	3,440	482	2,000	2,482	852	3,000	3,852
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,366	16	1,382	2,314	46	2,360	1,757	48	1,805	1,512	48	1,560
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	3,723	17,567	21,290	11,385	21,304	32,689	7,722	22,476	30,198	6,691	24,894	31,585
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	29	383	412	30	559	589	55	511	566	25	520	545
ii) पर्यटन	170	47	217	558	100	658	2,234	65	2,299	909	70	979
iii) नागरिक आपूर्ति	351	16,726	17,077	—	19,325	19,325	7	20,794	20,801	7	22,783	22,790
iv) अन्य +	3,172	412	3,584	10,797	1,320	12,117	5,426	1,107	6,533	5,750	1,521	7,271
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	8,990	3,34,465	3,43,454	9,602	3,76,855	3,86,457	10,334	3,81,912	3,92,246	10,665	3,91,161	4,01,826
क. राज्य के अंग	747	29,825	30,572	1,206	33,044	34,250	1,601	48,281	49,882	1,686	41,634	43,320
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	2,219	9,044	11,264	1,157	13,574	14,731	1,276	11,837	13,113	776	11,543	12,319
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,194	9,044	11,238	1,065	13,574	14,639	1,276	11,735	13,011	776	11,508	12,284
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	25	—	25	92	—	92	—	102	102	—	35	35
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	2,51,187	2,51,187	—	2,73,629	2,73,629	—	2,61,468	2,61,468	—	2,70,000	2,70,000
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	2,51,187	2,51,187	—	2,73,629	2,73,629	—	2,61,468	2,61,468	—	2,70,000	2,70,000
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	2,51,187	2,51,187	—	2,73,629	2,73,629	—	2,61,468	2,61,468	—	2,70,000	2,70,000
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	6,023	44,281	50,304	7,239	55,897	63,136	7,457	59,648	67,105	8,203	57,175	65,378
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	852	2,798	3,649	1,274	3,784	5,058	1,007	4,276	5,283	1,217	3,546	4,763
ii) जिला प्रशासन	1,719	2,499	4,218	2,100	3,386	5,486	2,400	3,433	5,833	2,400	3,425	5,825
iii) पुलिस	370	198	568	900	336	1,236	750	255	1,005	900	269	1,169
iv) लोक निर्माण	—	22,872	22,872	—	27,817	27,817	—	28,697	28,697	—	27,817	27,817
v) अन्य ++	3,082	15,915	18,997	2,965	20,573	23,538	3,300	22,987	26,287	3,686	22,119	25,805
ङ. पेंशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	127	127	—	712	712	—	678	678	—	809	809
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	45,595	45,595	—	49,491	49,491	—	52,144	52,144	—	50,893	50,893
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदेशन	—	45,595	45,595	—	49,491	49,491	—	52,144	52,144	—	50,893	50,893

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	82,310	1,74,736	2,57,047	1,50,411	1,68,952	3,19,363	1,29,472	2,00,784	3,30,256	1,72,878	1,76,913	3,49,791
I. विकास व्यय (क + ख)	76,625	1,11,937	1,88,562	1,44,148	1,04,986	2,49,134	1,22,814	1,18,762	2,41,576	1,69,687	1,12,414	2,82,101
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	54,553	41,376	95,929	1,00,954	43,539	1,44,493	95,722	49,172	1,44,894	1,14,175	49,935	1,64,110
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	13,063	21,407	34,470	16,664	21,025	37,689	18,171	28,156	46,327	22,487	22,590	45,077
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,147	7,647	15,794	14,364	9,251	23,615	15,323	11,488	26,811	17,232	9,184	26,416
3. परिवार कल्याण	391	36	427	151	41	192	468	39	507	221	41	262
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,190	1,676	2,866	6,109	1,440	7,549	1,367	1,633	3,000	4,908	4,665	9,573
5. आवास	4,223	90	4,313	7,884	87	7,971	10,676	87	10,763	11,415	90	11,505
6. शहरी विकास	3,453	301	3,754	7,625	291	7,916	6,698	320	7,018	8,020	342	8,362
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,561	1,534	8,095	25,654	1,442	27,096	25,437	1,284	26,721	28,035	1,445	29,480
8. श्रम और श्रम कल्याण	595	814	1,409	764	802	1,566	1,044	1,046	2,090	888	804	1,692
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,769	3,910	16,679	12,745	3,935	16,680	13,659	4,109	17,768	13,100	3,530	16,630
10. पोषण	2,735	294	3,029	2,734	410	3,144	2,687	417	3,104	2,596	445	3,041
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,325	3,267	4,592	6,057	431	6,488	54	32	86	5,103	239	5,342
12. अन्य*	101	400	501	203	4,384	4,587	138	561	699	170	6,560	6,730
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	22,072	70,561	92,633	43,194	61,447	1,04,641	27,092	69,590	96,682	55,512	62,479	1,17,991
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (i से xii)	7,162	4,030	11,192	11,605	3,280	14,885	10,289	3,788	14,077	13,649	6,857	20,506
i) फसल उत्पादन	1,854	1,897	3,751	3,365	1,252	4,617	2,342	1,484	3,826	3,583	1,457	5,040
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	124	124	—	127	127	—	153	153	—	153	153
iii) पशुपालन	1,798	728	2,526	3,087	678	3,765	2,109	800	2,909	3,103	678	3,781
iv) डेरी विकास	454	61	515	498	47	545	544	74	618	1,000	47	1,047
v) मत्स्यपालन	1,436	355	1,791	2,877	395	3,272	3,158	473	3,631	3,394	407	3,801
vi) वानिकी और वन्य जीवन	149	137	286	142	142	284	142	191	333	200	200	400
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	363	363	—	262	262	262	158	420	527	3,535	4,062
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,047	—	1,047	1,160	—	1,160	1,187	—	1,187	1,275	—	1,275
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	97	354	451	241	354	595	245	428	673	252	354	606
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	327	11	338	235	23	258	300	27	327	315	26	341
2. ग्रामीण विकास	1,604	747	2,351	3,586	714	4,300	949	738	1,687	3,939	714	4,653
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,739	—	2,739	3,300	—	3,300	3,300	—	3,300	3,300	—	3,300
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	766	838	1,604	909	853	1,762	1,024	936	1,960	1,027	880	1,907
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	610	838	1,448	739	853	1,592	834	936	1,770	812	880	1,692
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	156	—	156	170	—	170	190	—	190	215	—	215
5. ऊर्जा	660	61,343	62,003	808	51,807	52,615	820	58,940	59,760	765	51,807	52,572
<i>जिसमें से:</i> पावर	660	61,343	62,003	808	51,807	52,615	820	58,940	59,760	765	51,807	52,572
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,714	216	2,930	7,491	218	7,709	3,251	259	3,510	9,961	218	10,179
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,594	215	2,809	7,326	216	7,542	2,386	257	2,643	6,430	216	6,646
ii) उद्योग @	120	1	121	165	2	167	865	2	867	3,531	2	3,533
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (समाप्त)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-2010 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	3,072	843	3,915	8,032	1,020	9,052	3,202	1,066	4,268	10,367	1,017	11,384
i) सड़क और पुल	3,020	709	3,729	6,671	886	7,557	2,692	918	3,610	8,367	880	9,247
ii) अन्य @@	52	134	186	1,361	134	1,495	510	148	658	2,000	137	2,137
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	145	14	159	138	16	154	148	19	167	235	16	251
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	3,210	2,530	5,740	7,325	3,539	10,864	4,109	3,844	7,953	12,269	970	13,239
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	540	292	832	2,548	293	2,841	575	316	891	5,290	293	5,583
ii) पर्यटन	1,600	92	1,692	3,779	96	3,875	1,829	115	1,944	5,700	96	5,796
iii) नागरिक आपूर्ति	1,009	1,926	2,935	905	2,918	3,823	1,436	3,118	4,554	973	341	1,314
iv) अन्य +	61	220	281	93	232	325	269	295	564	306	240	546
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ)												
(क से च)	5,685	62,366	68,051	6,263	63,519	69,782	6,658	81,574	88,232	3,191	64,051	67,242
क. राज्य के अंग	45	2,191	2,236	45	2,467	2,512	33	2,896	2,929	60	2,415	2,475
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	3,781	2,025	5,806	3,844	2,009	5,853	3,856	2,391	6,247	716	2,108	2,824
i) कर और शुल्क का संग्रह	3,781	2,025	5,806	3,844	2,009	5,853	3,856	2,391	6,247	716	2,108	2,824
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	27,269	27,269	-	30,233	30,233	-	30,029	30,029	-	29,761	29,761
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	1,200	1,200	-	300	300	-	1,296	1,296	-	500	500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	26,069	26,069	-	29,933	29,933	-	28,734	28,734	-	29,261	29,261
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	20,887	20,887	-	21,453	21,453	-	20,239	20,239	-	16,351	16,351
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से:	-	3,194	3,194	-	6,446	6,446	-	6,062	6,062	-	10,261	10,261
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	3,183	3,183	-	6,434	6,434	-	5,764	5,764	-	9,914	9,914
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	1,989	1,989	-	1,967	1,967	-	2,433	2,433	-	2,583	2,583
iv) अन्य	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-	66	66
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,859	14,224	16,083	2,374	13,156	15,530	2,769	17,280	20,049	2,415	14,041	16,456
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	36	1,136	1,172	45	1,065	1,110	53	1,415	1,468	49	1,069	1,118
ii) जिला प्रशासन	33	244	277	54	244	298	79	270	349	68	244	312
iii) पुलिस	839	6,326	7,165	1,117	6,183	7,300	1,158	8,125	9,283	1,170	6,568	7,738
iv) लोक निर्माण	118	2,369	2,487	100	1,534	1,634	109	2,749	2,858	70	1,529	1,599
v) अन्य ++	833	4,149	4,982	1,058	4,130	5,188	1,370	4,721	6,091	1,058	4,631	5,689
ङ. पेशन	-	16,567	16,567	-	15,568	15,568	-	28,900	28,900	-	15,640	15,640
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	90	90	-	86	86	-	78	78	-	86	86
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:		433	433		448	448		447	447		448	448
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुद्देशन	-	433	433	-	448	448	-	447	447	-	448	448

- : शून्य/नगण्य / उपलब्ध नहीं।

* : सूचना और प्रचार, सचिवालय-सामाजिक सेवाओं, अन्य सामाजिक सेवाओं, आदि पर व्यय शामिल है।

@ : अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर व्यय शामिल है।

** : अन्य उद्योगों पर व्यय तथा उद्योग और खनिज पर अन्य परिव्यय शामिल है।

@@ : पोर्ट और लाइट हाउस, नागर विमानन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन आदि पर व्यय शामिल है।

+ : विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल है।

++ : लोक सेवा आयोग, राजकोष एवं लेखा, प्रशासन, जेल, आपूर्ति और निपटान, स्टेशनरी और प्रिंटिंग, अन्य प्रशासनिक सेवाओं, आदि पर व्यय शामिल है।

परिशिष्ट की टिप्पणियाँ भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां

(लाख रुपये)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	1,73,26,082	45,80,834	49,04,017	57,03,933	22,99,432	17,87,318	6,56,496	6,60,360
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	13,78,116	22,07,306	20,18,605	20,02,693	3,17,313	61,961	82,097	57,591
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	15,27,897	21,45,264	19,64,494	19,67,230	18,389	28,106	36,840	30,615
1. बाजार ऋण	10,93,359	16,57,000	16,35,144	14,70,000	2,605	5,656	7,923	8,333
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,08,100	84,994	84,994	93,493	8,484	6,000	7,841	3,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	5,810	3,270	4,219	3,737	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	3,00,000	1,00,000	3,00,000	2,428	7,000	7,000	7,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	32,320	1,00,000	1,26,000	1,00,000	4,000	6,000	7,437	7,000
8. अन्य @	2,88,308	-	14,137	-	872	3,450	6,639	5,282
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	24,361	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	39,690	2,48,100	85,001	2,08,104	-	4,621	100	100
1. राज्य योजना स्कीमें	39,452	2,48,100	85,001	2,08,104	-	2,021	100	100
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	239	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	2,600	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	2,600	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	36,977	27,500	27,501	29,641	278	272	20,272	272
1. आवास	166	1,522	1,522	133	-	-	-	-
2. शहरी विकास	10	116	116	8	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	4	243	243	255	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	1	6	6	1	-	-	-	-
5. सहकारिता	284	255	255	227	39	-	20,000	-
6. लघु सिंचाई	-	116	116	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	6,634	7,097	7,097	7,452	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	803	29	29	642	1	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	807	996	996	646	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	9,501	15,309	15,309	16,840	239	272	272	272
12. अन्य **	18,767	1,813	1,813	3,437	-	-	-	-
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	93	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	2,02,745	2,42,501	2,42,501	2,63,966	15,721	18,358	6,268	6,581
1. राज्य भविष्य निधि	1,65,527	2,02,124	2,02,124	2,19,551	15,091	18,145	6,214	6,524
2. अन्य	37,219	40,377	40,377	44,414	631	213	54	57
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	1,80,848	90,802	1,02,696	1,02,417	1,400	1,500	1,500	1,700
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	31	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	94,138	46,351	58,257	54,383	1,400	1,500	1,500	1,700
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	86,679	44,450	44,439	48,034	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	39,45,370	18,26,667	24,81,825	31,32,575	53,344	18,884	6,364	6,683
1. सिविल जमाराशियां	20,40,911	4,68,274	9,68,274	14,99,017	46,952	16,264	5,618	5,899
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	8,72,216	8,79,513	8,59,471	9,34,168	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	18,376	30,250	30,250	33,275	6,391	2,621	747	784
4. अन्य	10,13,867	4,48,631	6,23,831	6,66,115	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	96,96,604	-	-	-	19,44,500	15,74,565	5,51,207	5,78,768
1. उचित	12,201	-	-	-	3,89,294	7,79,306	51,333	53,900
2. नकद शेष निवेश लेखा	84,62,853	-	-	-	15,53,595	7,95,244	4,99,832	5,24,824
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	12,21,549	-	-	-	1,611	15	42	44
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	16,95,859	-	-	-	2,65,800	1,41,012	33,944	35,641

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	असम				बिहार			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	1,65,40,702	83,38,348	94,87,898	95,67,619	1,57,57,485	9,88,629	10,02,628	11,93,651
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	3,48,386	3,50,357	3,76,119	3,84,711	5,36,856	6,04,897	6,04,897	6,86,829
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	2,83,251	3,03,350	3,25,509	3,32,534	5,77,803	4,17,298	4,17,298	5,09,586
1. बाजार ऋण	2,50,564	2,66,822	2,86,465	2,86,006	4,48,993	2,45,408	2,45,408	3,10,507
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	21,159	20,000	20,000	30,000	49,517	71,390	71,390	78,529
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	2,516	-	-	500	500	550
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	11,528	11,528	11,528	11,528	79,293	1,00,000	1,00,000	1,20,000
8. अन्य @ जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	4,500	8,661	8,661	6,072	14,986	1,40,142	1,40,142	1,40,502
1. राज्य योजना स्कीमें	4,500	7,661	7,661	5,072	14,986	1,40,140	1,40,140	1,40,500
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	2	2	2
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	2	2	2
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	3,483	4,872	4,023	3,887	1,131	2,883	2,882	1,438
1. आवास	-	-	-	-	1	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	15	16	17	18	210	470	469	445
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	298	-	313	329	-	-	-	-
8. गामीन और लघु उद्योग	2	3	2	2	3	10	10	12
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	8	1,829	1,829	17
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	3,167	4,853	3,691	3,538	909	574	574	964
12. अन्य **	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	62,789	73,604	69,068	75,974	1,15,336	1,22,282	1,22,282	1,42,006
1. राज्य भविष्य निधि	60,773	71,142	66,851	73,536	1,11,614	1,17,795	1,17,795	1,38,284
2. अन्य	2,015	2,462	2,217	2,438	3,722	4,487	4,487	3,722
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	31,740	82,507	32,507	42,200	1,30,248	16,745	30,745	32,745
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	10,800	10,800	10,800	12,000	14,000	-	14,000	16,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	20,940	71,707	21,707	30,200	1,16,248	16,745	16,745	16,745
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	3,85,226	1,21,530	2,09,745	2,35,209	7,20,994	2,89,279	2,89,279	3,67,374
1. सिविल जमा राशियां	3,17,924	50,000	50,000	60,000	2,04,874	1,27,200	1,27,200	2,04,874
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	3	1,430	4	5	1,64,100	1,61,579	1,61,579	1,62,000
3. सिविल अग्रिम	67,298	70,000	74,028	81,431	7,873	500	500	500
4. अन्य	-	100	85,713	93,773	3,44,147	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,54,73,824	74,88,824	85,13,408	85,14,768	1,34,87,905	-	-	-
1. उचित	8,391	-15,000	9,230	10,153	18,445	-	-	-
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,54,61,644	75,00,000	85,00,000	85,00,000	1,34,32,307	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	3,790	3,824	4,178	4,615	37,153	-	-	-
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	2,90,889	2,50,000	3,19,977	3,51,975	7,09,082	-	-	-

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	59,48,062	41,25,353	59,38,059	59,37,897	14,96,362	3,05,429	17,49,669	19,28,092
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	1,27,553	3,63,649	4,57,381	4,33,210	97,281	1,00,557	97,894	88,544
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	18,084	2,53,000	2,98,204	2,83,000	66,230	89,640	89,640	85,315
1. बाजार ऋण	-	1,50,000	2,35,204	2,00,000	50,000	66,440	66,440	60,000
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	11,319	35,000	15,000	35,000	805	1,500	1,500	8,600
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	15	30,000	10,000	10,000	54	200	200	15
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	18,000	18,000	18,000	-	10,000	10,000	500
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,750	20,000	20,000	20,000	5,298	7,500	7,500	13,000
8. अन्य @	-	-	-	-	10,073	4,000	4,000	3,200
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	20,550	28,710	30,669	24,806	53	15,000	15,000	690
1. राज्य योजना स्कीमें	20,550	28,200	30,159	24,296	53	15,000	15,000	670
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	250	250	250	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	260	260	260	-	-	-	20
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	260	260	260	-	-	-	20
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	53,341	74,940	99,007	97,904	977	1,362	1,562	1,403
1. आवास	-	-	-	-	26	94	94	94
2. शहरी विकास	6,664	22,185	1,650	1,605	13	-	-	-
3. फसल उत्पादन	2	3,010	3,010	3,010	1	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	35,213	35,000	80,642	80,585	-	-	-	-
5. सहकारिता	922	3,038	1,701	2,842	33	34	38	40
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	9,479	9,726	9,675	7,317	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	8	7	7	5	1	3	3	-
9. उद्योग और खनिज	6	-	-	-	-	1	1	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	95	-	75	75	640	1,140	1,215	1,165
12. अन्य **	952	1,974	2,247	2,465	263	90	210	103
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	146	-	1	1	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	4,000	2,850	4,000	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	48,719	49,000	59,400	64,400	24,298	12,210	27,943	31,296
1. राज्य भविष्य निधि	41,154	41,000	51,400	56,400	23,971	12,000	27,567	30,875
2. अन्य	7,565	8,000	8,000	8,000	327	210	376	422
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	47,248	61,845	47,671	59,629	14,909	3,301	17,145	19,203
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	1	1	1	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	10,000	10,000	10,000	10,000	5,467	2,000	6,287	7,042
3. अकाल राहत कोष	73	29	29	29	-	-	-	-
4. अन्य	37,175	51,815	37,641	49,599	9,442	1,301	10,858	12,161
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,94,897	2,28,649	2,32,048	2,35,948	20,178	8,466	23,205	25,990
1. सिविल जमा राशियां	1,54,048	1,75,304	1,70,104	1,70,104	16,829	8,245	19,354	21,676
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	3	8	8	8	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	36,430	31,000	40,000	40,000	798	220	918	1,028
4. अन्य	4,416	22,337	21,937	25,837	2,551	1	2,934	3,286
X. उचित और विविध (1 से 4)	50,48,710	32,21,707	49,39,707	49,39,707	11,19,574	1,20,450	13,07,059	14,63,907
1. उचित	-9,224	2,706	2,706	2,706	10,553	5,000	31,686	35,489
2. नकद शेष निवेश लेखा	31,74,087	20,00,000	30,00,000	30,00,000	9,08,293	60,000	10,44,536	11,69,881
3. आरबीआई के साथ जमा	6,70,538	6,00,000	7,00,000	7,00,000	-	-	-	-
4. अन्य	12,13,309	6,19,001	12,37,001	12,37,001	2,00,728	55,450	2,30,837	2,58,537
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	17,000	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	178	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	5,16,189	2,03,502	2,28,502	2,28,502	2,33,143	55,000	2,68,115	3,00,288

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	1,71,82,258	69,04,311	69,56,384	74,42,084	64,80,366	65,02,048	75,70,137	81,63,090
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	12,60,133	15,64,925	16,21,833	18,64,846	4,52,543	7,37,599	8,20,666	8,56,122
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	10,07,933	14,01,244	14,58,052	17,59,225	3,82,206	8,90,761	9,73,042	10,63,757
1. बाजार ऋण	8,53,400	12,25,744	9,32,652	13,00,000	2,79,500	3,60,046	4,31,972	4,21,873
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	20,000	1,51,800	2,60,000	2,60,000
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	87,109	1,25,400	1,25,400	1,25,400	28,562	32,225	27,050	25,250
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	308	-	-	-	3,688	1,940	1,940	2,130
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	100	-	-	9,236	2,50,000	1,00,000	2,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	67,114	50,000	4,00,000	3,33,825	10,655	10,000	70,000	70,000
8. अन्य @ जिसमें से:	2	-	-	-	30,565	84,750	82,080	84,504
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	22,678	18,023	18,023	18,023	6,600	60,090	16,880	61,720
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	22,662	18,023	18,023	18,023	6,431	59,520	16,310	61,140
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	55	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनाएं (i से ii)	14	-	-	-	169	400	400	400
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-54	-	-	-	-	170	170	180
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-54	-	-	-	-	170	170	180
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	1	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	18,111	23,005	23,005	24,845	35,180	26,734	21,853	22,841
1. आवास	726	1,500	1,500	1,620	10	146	12	10
2. शहरी विकास	97	1,006	1,006	1,087	5	5	5	3
3. फसल उत्पादन	3	5	5	5	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	55	45	45	49	-	-	-	-
5. सहकारिता	708	2,000	2,000	2,160	402	534	564	595
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	4,245	-	-	-	10,937	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	106	117	117	126	9,579	8,858	3,182	2,468
9. उद्योग और खनिज	3,000	1,328	1,328	1,435	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	6,088	8,655	8,655	9,347	14,172	16,050	15,541	17,011
12. अन्य **	3,083	8,349	8,349	9,016	75	1,141	2,548	2,754
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	1	1	1	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	994	11,582	6,847	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	1,13,235	2,47,153	2,47,153	2,49,245	1,40,127	2,57,894	1,97,926	2,17,630
1. राज्य भविष्य निधि	99,467	2,33,458	2,33,458	2,35,000	1,38,831	2,56,925	1,96,950	2,16,645
2. अन्य	13,768	13,695	13,695	14,245	1,296	969	976	985
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	84,159	83,600	83,600	81,300	36,189	29,107	35,797	32,043
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	55	55	55	55	6,059	6,505	6,180	6,304
2. ऋणशोधन निधि	20,000	50,000	50,000	50,000	6,012	7,453	7,248	10,568
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	64,104	33,545	33,545	31,245	24,118	15,149	22,369	15,171
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	14,08,171	11,62,267	11,62,267	11,76,810	5,26,095	2,17,067	6,10,368	6,56,998
1. सिविल जमा राशियां	3,25,245	3,15,410	3,15,410	3,15,410	2,29,012	1,93,120	2,48,521	2,48,239
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	10,42,044	7,50,000	7,50,000	7,50,000	7,519	8,246	7,669	7,822
3. सिविल अग्रिम	25,383	20,400	20,400	25,400	9,603	9,055	6,178	6,536
4. अन्य	15,499	76,457	76,457	86,000	2,79,962	6,646	3,48,000	3,94,400
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,35,00,581	32,33,072	32,33,072	34,08,271	48,62,460	45,78,753	52,07,047	55,63,005
1. उचित	-6,602	220	220	220	28,710	3,08,700	86,704	34,740
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,11,67,284	1,00,000	1,00,000	1,00,000	48,18,939	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	18,00,000	18,00,000	18,00,000	-	42,56,122	51,04,801	55,11,975
4. अन्य	23,39,899	13,32,852	13,32,852	15,08,051	14,811	13,931	15,542	16,291
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	2,059	-	-	-	680	1,525	1,564	1,596
XIII. विप्रेषण	10,24,337	7,24,364	7,24,364	7,24,364	4,90,829	4,40,117	5,05,661	5,43,500

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	40,39,881	4,42,525	4,72,314	5,04,440	4,53,072	4,58,859	4,63,321	4,66,971
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	3,19,921	2,43,859	2,73,648	3,05,774	2,97,404	2,95,202	2,99,999	2,80,999
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	2,23,675	2,01,352	2,25,703	2,24,504	2,41,743	1,97,149	1,97,149	2,20,901
1. बाजार ऋण	1,91,201	1,59,349	1,73,700	1,72,501	1,26,443	81,849	81,849	1,05,601
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	10,000	-	24,700	24,700
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	22,000	22,000	22,000	22,000	26,500	-	42,800	42,800
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	127	2	2	2	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	1	1	1	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	10,275	20,000	30,000	30,000	45,300	45,300	45,300	45,300
8. अन्य @	72	-	-	-	33,500	70,000	2,500	2,500
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	1,199	36	1,144	2,776	10	20	4,971	3,690
1. राज्य योजना स्कीमों	1,036	-	1,108	2,740	-	-	4,964	3,690
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमों	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमों	-	36	36	36	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	162	-	-	-	10	20	7	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	162	-	-	-	10	20	7	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	2,097	2,472	2,469	2,597	251	250	219	219
1. आवास	33	42	36	37	18	16	16	14
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	2	4	4	5	4	4	4	5
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	4	1	3	3	-	-	-	-
5. सहाकरिता	446	392	392	450	3	3	-	-
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	75	-	-	75	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	30	19	19	14	5	5	-	-
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	1,497	1,995	1,995	1,995	200	200	180	180
12. अन्य **	11	20	20	18	21	22	19	21
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	1,57,183	71,000	75,333	81,000	1,24,152	1,70,391	1,57,057	1,48,557
1. राज्य भविष्य निधि	1,55,332	69,300	73,633	79,300	1,21,265	1,67,352	1,54,018	1,45,407
2. अन्य	1,851	1,700	1,700	1,700	2,887	3,039	3,039	3,150
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	32,275	-	-	-	39,751	48,455	50,971	51,084
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	32,275	-	-	-	39,751	48,455	50,971	51,084
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,11,132	37,387	37,387	63,285	2,300	2,300	2,300	2,300
1. सिविल जमाराशियां	81,967	7,987	7,987	33,885	1,100	1,100	1,100	1,100
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	1,567	21,500	21,500	21,500	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	20,560	7,250	7,250	7,250	1,200	1,200	1,200	1,200
4. अन्य	7,038	650	650	650	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	31,76,729	82,241	82,241	82,241	31,565	26,994	37,354	26,921
1. उचित	25,522	17,100	17,100	17,100	25,565	20,994	31,354	20,921
2. नकद शेष निवेश लेखा	31,51,001	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-
4. अन्य	206	141	141	141	6,000	6,000	6,000	6,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	3,35,591	48,037	48,037	48,037	13,300	13,300	13,300	13,300

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	7,03,997	10,61,595	68,59,370	74,32,725	1,44,03,093	31,73,639	31,75,630	36,40,930
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	2,34,445	3,07,729	4,29,019	3,42,928	14,33,860	12,58,888	10,70,879	15,12,602
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,79,745	2,50,800	2,85,689	2,17,923	7,99,599	9,66,300	8,18,000	10,88,041
1. बाजार ऋण	59,545	45,255	1,32,169	84,403	7,41,687	7,10,800	7,00,000	8,00,000
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	26,000	62,500	62,500	42,500	45,960	69,000	55,000	75,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	1,000	1,000	-	-	579	1,500	3,000	1,500
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	1,35,000	-	1,35,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	50,200	55,220	50,020	50,020	11,373	50,000	60,000	76,541
8. अन्य @ जिसमें से:	43,000	86,825	41,000	41,000	-	-	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	-	-	-	-	59,616	1,04,057	72,610	1,14,200
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	59,616	1,03,832	72,385	1,14,000
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	25	25	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	200	200	200
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	200	200	200
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	1,130	1,511	1,511	1,662	5,665	7,697	2,935	10,325
1. आवास	8	12	12	-	612	762	622	967
2. शहरी विकास	-	-	-	-	7	68	2	1,569
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	66
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	100	79
5. सहकारिता	-	200	200	-	143	201	177	145
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	8
7. विद्युत परियोजनाएं	100	120	120	-	1,726	-	124	2,264
8. गामीण और लघु उद्योग	70	90	90	-	53	51	56	116
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	2,715	86	1,699	1,946
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	92	-	5	2
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	952	1,089	1,089	1,662	210	862	63	325
12. अन्य **	-	-	-	-	106	5,667	87	2,838
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	15,000	15,000	50,000	15,000	-	500	500	500
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	51,804	74,595	69,470	70,719	2,32,927	2,50,992	2,98,492	3,28,341
1. राज्य भविष्य निधि	47,684	64,415	59,771	65,748	1,21,427	1,28,879	1,63,879	1,80,267
2. अन्य	4,120	10,180	9,700	4,972	1,11,500	1,22,113	1,34,613	1,48,074
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	13,755	10,631	9,459	10,405	2,62,872	98,957	98,957	1,08,852
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	4	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	21	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	13,755	10,631	9,459	10,405	2,62,848	98,957	98,957	1,08,852
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,60,129	3,74,696	4,60,662	5,17,734	18,72,044	6,83,452	6,83,452	7,51,818
1. सिविल जमा राशियां	45,603	80,540	1,45,020	1,59,655	3,19,039	1,00,494	1,00,494	1,10,543
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	45,068	1,48,105	1,36,257	1,55,348	12,82,328	4,96,558	4,96,558	5,46,234
3. सिविल अग्रिम	14,658	12,603	12,425	17,828	135	-	-	-
4. अन्य	54,800	1,33,448	1,66,960	1,84,903	2,70,542	86,401	86,401	95,041
X. उचित और विविध (1 से 4)	45,503	17,520	56,31,668	61,97,678	1,10,34,274	6,25,770	9,50,770	6,88,347
1. उचित	15,741	9,182	9,749	13,568	14,758	31,330	31,330	34,463
2. नकद शेष निवेश लेखा	22,000	2,400	56,18,456	61,80,301	74,56,311	-	3,25,000	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	7,762	5,938	3,463	3,810	35,63,205	5,94,440	5,94,440	6,53,884
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	18,114	1,90,000	4,000	2,80,000
XIII. विप्रेषण	2,36,931	3,16,842	3,50,911	4,01,603	1,17,981	2,45,914	2,45,914	2,70,506

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	83,19,750	73,50,627	70,13,178	81,18,412	1,32,84,085	1,07,68,552	1,05,95,606	1,10,88,391
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	9,69,585	7,79,508	8,35,587	10,52,800	7,08,639	9,10,952	8,80,768	9,54,856
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	10,07,433	15,83,074	9,31,031	18,58,816	5,39,930	10,94,611	8,51,339	11,74,865
1. बाजार ऋण	5,51,593	2,19,169	5,56,824	7,46,875	4,49,525	5,72,111	6,15,005	6,50,000
2. एलआईसी से ऋण	35,000	44,000	44,000	44,000	129	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	20,818	45,400	45,464	45,464	75,221	77,000	77,000	85,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	2,595	5,000	5,000	5,975	3,692	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	3,92,097	10,02,500	2,70,001	10,02,500	1,901	4,00,000	1,00,000	4,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,329	2,63,002	5,740	10,000	7,077	30,000	45,000	30,000
8. अन्य @	4,000	4,003	4,003	4,003	2,385	15,500	14,334	9,865
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	3	-	3	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	76,804	1,80,174	1,13,339	1,48,614	1,15,368	1,83,806	1,61,962	1,64,290
1. राज्य योजना स्कीमें	76,799	1,44,829	77,994	1,13,422	1,15,368	1,82,361	1,60,517	1,62,845
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	315	315	162	-	1,445	1,445	1,445
4. योजनेतर (i से ii)	5	30	30	30	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	5	30	30	30	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	35,000	35,000	35,000	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	3,564	7,291	7,806	5,624	5,362	4,720	6,432	6,046
1. आवास	11	38	12	15	-	256	256	256
2. शहरी विकास	150	352	158	166	485	1,192	638	648
3. फसल उत्पादन	-	12	12	12	12	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	46	75	75	62	28	4	5	5
5. सहकारिता	643	777	778	909	1,467	1,972	2,113	1,637
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	620	876	876	890	7	89	12	10
9. उद्योग और खनिज	216	2,443	2,443	1,345	1,705	10	8	8
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	1,852	1,766	2,513	2,073	140	620	620	620
12. अन्य **	26	951	939	153	1,518	578	2,781	2,864
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	79	16	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	8,000	100	-	100	-	10,000	10,000	10,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	13,21,804	13,05,371	13,53,163	13,63,575	1,38,723	1,47,183	1,53,372	1,56,516
1. राज्य भविष्य निधि	3,08,201	2,55,531	2,77,281	2,67,372	1,26,460	1,25,811	1,32,000	1,34,500
2. अन्य	10,13,603	10,49,839	10,75,882	10,96,204	12,263	21,372	21,372	22,016
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	88,608	38,777	36,070	38,965	60,038	68,890	54,681	1,02,731
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	26	36	36	37
2. ऋणशोधन निधि	76,871	27,636	24,887	27,500	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	181	10	10	10
4. अन्य	11,737	11,141	11,183	11,465	59,831	68,844	54,635	1,02,683
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	4,18,451	4,70,851	4,52,178	4,74,437	7,91,087	7,82,002	7,82,002	8,05,462
1. सिविल जमाराशियां	1,45,302	1,59,459	1,61,227	1,61,273	3,03,445	2,98,532	2,98,532	3,07,488
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	2,68,559	3,06,634	2,85,229	3,07,145	9,076	7,151	7,151	7,366
3. सिविल अग्रिम	105	42	18	20	26,585	19,607	19,607	20,195
4. अन्य	4,485	4,717	5,703	6,000	4,51,981	4,56,712	4,56,712	4,70,413
X. उचित और विविध (1 से 4)	46,61,571	30,21,198	33,71,316	34,71,332	1,07,19,389	76,25,170	77,23,663	77,90,761
1. उचित	5,64,730	4,70,615	5,70,631	5,70,631	234	16,960	16,960	17,478
2. नकद शेष निवेश लेखा	15,94,139	2,50,000	3,00,000	2,50,000	54,08,320	52,55,507	53,54,000	53,50,000
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	25,62,278	23,00,000	23,00,000	23,69,000
4. अन्य	25,02,703	23,00,583	25,00,684	26,50,700	27,48,557	52,703	52,703	54,283
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	911	100	516	950	2,400	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	7,32,605	7,43,691	7,47,760	7,55,998	9,11,710	8,52,155	8,52,155	8,77,720

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	1,93,04,531	1,22,44,665	4,39,90,515	3,05,05,377	22,96,043	16,05,107	21,79,958	22,81,980
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	26,77,571	29,67,789	34,44,017	29,40,983	71,469	36,796	51,867	50,781
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	21,22,718	25,57,773	23,70,127	29,15,925	51,265	33,380	52,376	33,797
1. बाजार ऋण	17,76,187	19,46,978	17,15,138	23,15,875	30,330	31,780	50,360	31,498
2. एलआईसी से ऋण	-270	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	87,429	1,00,000	1,00,000	1,00,000	140	1,000	1,000	970
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	14,752	10,795	23,597	50	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	90,374	3,00,000	1,00,000	3,00,000	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,53,758	2,00,000	4,31,392	1,00,000	20,329	100	516	629
8. अन्य @	487	-	-	1,00,000	466	500	500	700
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	15	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	38,558	1,23,474	1,29,098	1,10,396	518	1,162	690	690
1. राज्य योजना स्कीमें	38,539	1,15,680	1,15,680	67,770	518	690	690	690
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	7,544	13,168	42,376	-	472	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	19	250	250	250	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	19	250	250	250	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	56,021	36,811	33,793	35,437	66	300	311	366
1. आवास	5,823	3,586	4,034	2,825	-	-	-	-
2. शहरी विकास	366	1,017	188	189	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	1	3	4	4	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	3,536	2,419	2,419	2,540	3	42	42	42
6. लघु सिंचाई	1	1	1	1	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	8,840	-	-	-	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	60	210	203	231	-	-	4	4
9. उद्योग और खनिज	7,298	825	825	875	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	16,612	19,241	18,192	20,520	63	58	65	70
12. अन्य **	13,484	9,510	7,928	8,253	-	200	200	250
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	70,894	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	2,21,981	3,33,114	3,29,376	3,23,634	14,007	11,324	14,724	20,592
1. राज्य भविष्य निधि	1,99,126	3,05,602	2,81,385	2,94,772	13,836	11,100	14,500	20,192
2. अन्य	22,854	27,512	47,991	28,862	171	224	224	400
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	2,42,779	1,65,197	1,76,974	2,24,366	2,508	2,657	2,657	2,923
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	4	-	18	5	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	1,42,774	83,100	83,100	1,34,000	1,266	1,832	1,832	1,909
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,00,001	82,097	93,857	90,361	1,242	825	825	1,014
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	11,43,777	14,92,615	12,44,773	12,12,455	48,172	14,400	13,200	12,700
1. सिविल जमा राशियां	10,87,876	14,43,212	12,00,537	11,53,450	8,655	6,500	5,000	5,000
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	1	2	2	3	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	20,963	25,001	9,004	25,003	1,249	1,500	1,500	1,400
4. अन्य	34,936	24,400	35,230	34,000	38,268	6,400	6,700	6,300
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,35,52,120	60,95,659	3,81,86,364	2,35,98,153	19,84,283	14,72,000	20,27,000	21,25,000
1. उचित	1,418	1,359	2,363	2,610	4,526	16,000	16,000	15,000
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,32,19,585	60,00,000	3,20,00,000	1,79,90,543	19,59,178	14,50,000	20,05,000	21,05,000
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	3,31,117	94,300	61,84,001	56,05,000	20,579	6,000	6,000	5,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	40,000	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	1,801	-	-	-	-	-	-	17,912
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	18,13,883	14,40,021	15,20,010	20,85,012	1,95,225	69,884	69,000	68,000

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	10,40,480	12,31,194	12,34,446	12,99,615	10,33,671	6,62,071	7,48,559	7,00,190
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	69,311	52,148	58,154	60,889	13,633	69,118	74,655	52,790
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	31,642	47,258	50,258	51,022	9,958	22,374	35,403	20,199
1. बाजार ऋण	25,940	30,540	30,540	31,354	5,960	16,763	15,529	15,199
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	1,000
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	4,140	8,000	8,000	8,000	1,323	3,000	3,000	4,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	8	168	168	118	5	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	4,050	4,050	4,050	-	-	13,674	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,054	4,000	7,000	7,000	-	-	1,200	-
8. अन्य @ जिसमें से:	500	500	500	500	671	611	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	184	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	613	911	911	1,333	619	2,521	2,521	2,760
1. राज्य योजना स्कीमें	602	886	886	1,308	498	2,521	2,521	2,760
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	11	25	25	25	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	11	25	25	25	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	121	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	1,826	1,850	1,850	2,017	2,486	3,001	3,001	3,001
1. आवास	4	8	8	9	2,153	2,575	2,575	2,575
2. शहरी विकास	-	2	2	2	-	1	1	1
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	10	5	5	6	47	50	50	50
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	22	22	22
9. उद्योग और खनिज	-	1	1	1	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	1,812	1,834	1,834	1,999	284	350	350	350
12. अन्य **	-	-	-	-	2	4	4	4
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	10,331	21,000	18,168	21,000	-	40,000	40,000	20,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	10,655	16,570	16,570	18,227	31,515	31,046	45,686	43,291
1. राज्य भविष्य निधि	10,655	16,570	16,570	18,227	30,796	30,796	45,436	43,041
2. अन्य	-	-	-	-	719	250	250	250
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	2,585	2,690	2,690	2,831	7,182	2,390	2,390	2,390
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	1,354	1,422	1,422	1,563	1,500	1,600	1,600	1,600
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,231	1,268	1,268	1,268	5,682	790	790	790
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	81,435	30,480	31,141	37,620	29,954	17,457	21,456	17,496
1. सिविल जमाराशियां	76,227	25,318	25,979	31,834	28,522	17,268	21,156	17,196
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	2	2	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	5,208	5,160	5,160	5,786	1,432	189	300	300
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	7,95,005	10,27,342	10,29,163	10,74,367	8,59,177	4,55,394	5,10,102	5,02,442
1. उचित	969	2,254	2,254	2,406	-11,488	1,49,941	1,68,000	1,63,170
2. नकद शेष निवेश लेखा	7,93,950	4,68,412	4,70,233	5,15,253	8,69,362	-	21,200	23,200
3. आरबीआई के साथ जमा	-	5,56,348	5,56,348	5,56,348	-	3,05,163	3,20,100	3,15,270
4. अन्य	86	328	328	360	1,303	290	802	802
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,06,389	83,094	83,695	91,198	92,781	87,888	88,000	88,612

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	8,63,269	5,57,148	5,55,384	5,30,202	1,10,10,020	34,41,217	30,94,327	34,64,734
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	66,535	84,398	61,898	57,452	2,39,707	4,79,466	5,61,878	6,40,381
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	85,199	1,31,586	1,32,702	1,05,002	64,318	2,97,828	2,62,756	4,21,277
1. बाजार ऋण	46,696	56,248	57,741	43,002	-	1,89,026	1,17,092	2,49,277
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	6,509	5,755	5,755	5,755	37,085	70,000	71,863	1,00,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	143	4,338	4,338	1,000	-	1,802	1,802	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	18,458	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	1,000	623	1,000	16,095	25,000	60,000	60,000
8. अन्य @	13,393	14,245	14,245	4,245	11,138	12,000	12,000	12,000
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	-1,587	800	95	800	50,848	1,20,101	1,19,416	85,799
1. राज्य योजना स्कीमें	-1,587	-	-	-	50,639	1,18,390	1,18,390	84,700
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	1,711	1,026	1,099
4. योजनेतर (i से ii)	-	800	95	800	209	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	800	95	800	209	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	257	463	463	400	23,621	24,314	41,314	24,315
1. आवास	10	45	45	39	145	398	398	250
2. शहरी विकास	-	-	-	-	36	1	1	40
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	6	225	225	194	560	121	175	750
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	1	2	2	2
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	11,029	11,029	11,029	11,029
8. गामीण और लघु उद्योग	-	18	18	15	39	83	83	90
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	1,770	57	17,002	2,001
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	241	175	175	151	3,078	5,214	5,214	6,702
12. अन्य **	-	-	-	-	6,963	7,410	7,410	3,451
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	30,134	40,000	40,000	40,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	14,453	14,270	13,760	14,470	2,12,970	2,33,428	2,33,428	2,43,433
1. राज्य भविष्य निधि	14,210	14,000	13,500	14,200	2,12,759	2,32,958	2,32,958	2,43,032
2. अन्य	243	270	260	270	211	470	470	401
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	3,949	2,520	2,354	2,520	57,230	2,24,828	76,191	98,610
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	1,954	2,220	2,054	2,220	7	1,48,644	7	20,144
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,995	300	300	300	57,222	76,184	76,184	78,466
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	36,940	13,500	12,000	13,000	3,23,624	4,72,390	4,00,456	5,98,813
1. सिविल जमा राशियां	35,753	12,500	11,000	12,000	2,31,409	2,01,217	2,01,217	2,43,823
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	83,524	64,566	64,566	87,061
3. सिविल अग्रिम	1,187	1,000	1,000	1,000	8,316	7,481	7,481	8,551
4. अन्य	-	-	-	-	375	1,99,126	1,27,192	2,59,377
X. उचित और विविध (1 से 4)	6,01,986	3,14,000	3,14,000	3,14,000	96,55,551	14,71,240	13,63,678	13,57,054
1. उचित	7,404	4,000	4,000	4,000	1,771	638	638	2,103
2. नकद शेष निवेश लेखा	5,69,296	3,00,000	3,00,000	3,00,000	96,51,137	13,20,314	13,61,389	13,31,807
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	25,286	10,000	10,000	10,000	2,643	1,50,289	1,652	23,144
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,22,072	80,010	80,010	80,010	5,91,725	5,57,087	5,57,087	5,95,434

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	47,51,975	1,09,68,055	1,04,51,239	1,04,46,177	1,72,59,122	1,23,00,213	1,85,57,333	1,29,87,960
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	7,52,203	9,02,872	10,08,996	8,10,987	9,47,270	9,86,459	9,24,778	11,88,341
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	6,15,453	10,62,600	11,62,039	12,45,938	7,15,197	8,84,572	8,53,514	9,74,554
1. बाजार ऋण	6,15,453	6,17,600	6,57,039	6,50,938	6,35,551	8,10,469	7,50,000	8,71,554
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-	45,000	45,000	45,000	70,000	70,000	85,000	1,00,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	3,322	4,103	4,103	3,000
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	4,00,000	3,60,000	5,00,000	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	-	1,00,000	50,000	6,324	-	14,411	-
8. अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	27,772	39,500	38,783	37,010	32,590	55,400	28,803	48,550
1. राज्य योजना स्कीमें	27,772	39,500	38,783	37,010	32,590	52,300	25,358	46,616
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	3,100	3,445	1,934
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	7,875	16,726	1,22,909	17,207	8,924	10,228	11,963	11,111
1. आवास	7	7,382	4,252	9,722	112	137	130	130
2. शहरी विकास	27	199	199	199	3	200	200	150
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	3	504	3	1,003
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	20	-	-	-	96	152	152	176
5. सहकारिता	28	20	-	-	942	734	1,560	783
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	423	-	1,14,043	-	7,061	8,117	8,116	8,491
8. गामीण और लघु उद्योग	149	1,452	882	933	174	26	27	27
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	131	85	1,509	86
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	7,079	7,623	3,482	6,302	230	13	13	13
12. अन्य **	142	49	51	51	172	260	253	253
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	16,500	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	2,05,403	1,99,118	2,29,048	2,41,242	3,10,532	3,24,933	3,85,352	4,19,265
1. राज्य भविष्य निधि	1,99,707	1,95,067	2,00,620	2,10,651	1,97,228	2,03,435	2,45,243	2,74,486
2. अन्य	5,696	4,051	28,428	30,591	1,13,304	1,21,498	1,40,108	1,44,779
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	51,024	59,574	26,177	32,497	2,04,390	1,52,450	-19,719	1,69,196
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	367	8,465	7,970	8,335	-1,540	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	5,000	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-1,434	-	-	-
4. अन्य	50,657	51,108	18,208	19,163	2,07,363	1,52,450	-19,719	1,69,196
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	4,00,163	3,99,985	2,43,637	2,43,637	81,80,818	95,70,302	93,95,428	1,00,38,851
1. सिविल जमा राशियां	3,64,263	3,64,263	2,39,662	2,39,662	6,90,341	6,61,792	7,12,853	7,43,853
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	2	2	3	3	67,97,289	80,39,123	78,77,553	83,78,489
3. सिविल अग्रिम	3,502	3,502	3,972	3,972	2,158	4,005	3,005	3,005
4. अन्य	32,396	32,218	-	-	6,91,030	8,65,382	8,02,017	9,13,504
X. उचित और विविध (1 से 4)	32,76,964	90,23,233	84,68,697	84,68,697	71,32,652	6,41,124	71,69,787	5,23,727
1. उचित	67,520	1,67,520	1,50,890	1,50,890	15,019	18,082	20,091	20,091
2. नकद शेष निवेश लेखा	16,32,619	16,32,619	12,45,326	12,45,326	71,13,969	6,20,000	71,46,048	5,00,000
3. आरबीआई के साथ जमा	-	56,46,269	54,65,705	54,65,705	-	-	-	-
4. अन्य	15,76,825	15,76,825	16,06,776	16,06,776	3,664	3,042	3,647	3,636
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	421	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,67,321	1,67,321	1,59,948	1,59,948	6,57,099	6,61,205	7,32,205	8,02,705

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	3,78,240	2,66,648	4,46,144	4,95,027	2,19,24,301	1,44,28,914	3,37,27,150	2,16,60,000
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	43,652	44,278	46,645	43,485	16,99,471	14,25,780	16,71,478	17,11,226
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	33,701	41,928	41,943	38,512	10,79,798	11,81,553	14,39,451	12,01,804
1. बाजार ऋण	29,312	35,431	35,446	32,247	9,59,772	8,67,459	12,59,896	10,49,406
2. एलआईसी से ऋण	1,008	1,008	1,008	1,008	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	3,381	4,000	4,000	4,000	1,10,813	1,38,221	1,03,121	1,00,500
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	375	2,360	2,869	2,875	1,898
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	1,50,000	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	-	-	284	6,157	20,000	60,000	50,000
8. अन्य @ जिसमें से:	-	1,489	1,489	598	695	3,004	13,559	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	44	120	120	404	1,04,320	2,12,650	1,06,720	1,60,306
1. राज्य योजना स्कीमें	21	100	100	384	1,04,114	2,12,600	1,06,667	1,60,106
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनाएं (i से ii)	24	20	20	20	207	50	54	200
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	24	20	20	20	207	50	54	200
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	38	42	8	83	1,93,423	1,03,901	2,68,212	35,003
1. आवास	-	-	-	-	41,045	-	1	1
2. शहरी विकास	-	-	-	-	1,927	-	78	47
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	277	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	90,004	90,000	2,30,000	-
5. सहकारिता	-	-	-	75	22,351	1,422	1,454	1,451
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-244	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	2,235	2,887	7,313	4,328
8. गामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	288	233	-	-
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	10,034	-	653	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	2	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	33	37	3	3	8,214	9,237	13,478	13,978
12. अन्य **	5	5	5	5	17,291	121	15,234	15,198
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	9,739	9,713	12,223	12,250	3,71,336	3,86,305	4,42,389	4,79,808
1. राज्य भविष्य निधि	9,445	9,400	11,880	11,900	3,62,278	3,82,767	4,33,111	4,70,413
2. अन्य	295	313	343	350	9,058	3,539	9,278	9,395
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	6,325	5,192	5,192	5,176	5,22,376	3,58,923	1,35,448	1,54,783
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	58	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	1,173	1,200	1,200	1,200	88,972	45,743	19,545	63,088
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	1	1	10	10
4. अन्य	5,152	3,992	3,992	3,976	4,33,346	3,13,179	1,15,893	91,685
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	4,684	2,855	2,855	5,378	17,51,080	12,01,086	10,86,803	10,87,571
1. सिविल जमा राशियां	4,457	2,425	2,425	4,460	12,96,676	7,73,673	7,22,022	6,95,129
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	2,17,250	1,96,988	2,06,223	2,06,293
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	10,376	9,210	9,350	9,360
4. अन्य	227	430	430	918	2,26,778	2,21,215	1,49,209	1,76,790
X. उच्च और विविध (1 से 4)	2,40,811	1,53,543	3,30,547	3,50,328	1,76,38,264	1,07,58,793	2,99,63,076	1,82,55,676
1. उच्च	14	41	341	881	3,70,090	-364,075	-248,138	-248,138
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,01,950	33,896	2,10,600	2,10,600	1,20,39,155	68,55,655	2,48,53,257	1,38,74,362
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,38,847	1,19,605	1,19,605	1,38,847	52,29,019	42,67,213	53,57,957	46,29,452
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	82,897	53,257	53,257	82,897	2,63,704	2,25,701	2,85,049	2,85,049

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखंड			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	18,03,549	15,67,984	17,44,740	15,79,369	32,19,430	14,76,396	14,76,396	14,97,314
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	33,960	69,701	1,00,604	73,319	1,56,767	3,06,649	3,06,649	2,59,788
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	20,617	45,000	62,689	51,769	2,20,156	2,45,813	2,45,813	2,36,650
1. बाजार ऋण	15,600	35,000	46,000	36,769	1,01,069	1,38,646	1,38,646	70,000
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	4,751	8,000	7,693	10,000	19,213	20,570	20,570	35,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	726	1,597	1,597	1,650
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	80,249	70,000	70,000	70,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	266	2,000	8,996	5,000	18,898	15,000	15,000	60,000
8. अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	251	800	335	900	1,812	9,622	9,622	5,000
1. राज्य योजना स्कीमें	251	800	335	900	1,812	9,622	9,622	5,000
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	325	300	300	300	5,356	10,714	10,714	9,638
1. आवास	10	-	-	-	-	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	2	-	-	-	76	95	95	100
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	4,501	9,737	9,737	9,000
8. गामीन और लघु उद्योग	1	-	-	-	-	1	1	5
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	312	300	300	300	779	881	881	533
12. अन्य **	-	-	-	-	1	-	-	-
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	242	3,400	3,400	4,500
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	42,857	36,034	71,840	56,700	86,808	97,970	97,970	1,14,510
1. राज्य भविष्य निधि	42,513	35,684	71,500	56,350	85,954	97,050	97,050	1,12,725
2. अन्य	345	350	340	350	855	920	920	1,785
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	15,588	5	1,500	1,500	16,883	15,000	15,000	14,010
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	14,378	-	-	-	5,000	2,000	2,000	12,500
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,211	5	1,500	1,500	11,883	13,000	13,000	1,510
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	17,688	26,810	20,200	19,000	1,74,787	1,61,815	1,61,815	1,35,400
1. सिविल जमा राशियां	15,003	13,000	6,000	5,000	1,10,515	1,01,390	1,01,390	99,260
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	5	13,000	13,000	45,344	54,425	54,425	21,140
3. सिविल अग्रिम	2,684	13,805	1,200	1,000	13,918	-	-	10,000
4. अन्य	-	-	-	-	5,010	6,000	6,000	5,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	15,83,114	14,07,025	15,39,865	14,04,190	24,10,726	6,02,260	6,02,260	7,01,007
1. उचित	8,905	7,000	5,000	4,000	2,267	2,260	2,260	1,006
2. नकद शेष निवेश लेखा	15,74,101	14,00,000	15,34,795	14,00,150	9,53,406	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	6,64,120	-	-	-
4. अन्य	108	25	70	40	7,90,934	6,00,000	6,00,000	7,00,001
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	30,000	30,000	15,000
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,23,106	52,010	48,010	45,010	3,02,660	2,99,802	2,99,802	2,61,600

परिशिष्ट III : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	5,84,45,995	2,37,42,916	2,40,43,475	2,73,19,046	1,80,72,486	2,12,97,524	1,98,31,471	1,93,75,186
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	20,43,976	27,27,812	25,04,381	27,05,867	23,65,846	25,60,772	30,50,090	28,65,171
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	16,33,909	25,45,670	22,58,377	30,60,436	24,85,541	31,78,156	35,52,393	36,03,221
1. बाजार ऋण	12,69,211	9,30,636	13,87,693	13,16,848	12,39,746	14,94,751	16,55,191	15,05,583
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	1,64,000	2,00,000	2,00,000	2,50,000	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	72,978	1,44,446	1,44,446	1,50,000	171	500	500	500
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	1,140	588	588	588	1,223	1,775	1,835	1,700
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	10,00,000	1,00,000	10,00,000	9,26,391	9,00,000	9,00,000	9,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,21,275	2,60,000	4,20,000	3,40,000	1,65,374	6,00,000	7,99,163	10,00,000
8. अन्य @	5,306	10,000	5,650	3,000	1,52,637	1,81,130	1,95,705	1,95,438
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	30	30	30
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	42,094	1,00,265	1,28,097	1,28,097	39,965	62,170	44,624	68,888
1. राज्य योजना स्कीमें	41,983	1,00,000	1,28,047	1,28,047	39,939	62,170	44,624	68,888
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	26	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	111	265	50	50	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	111	265	50	50	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	77,809	60,377	65,767	67,133	5,61,583	6,334	14,232	6,334
1. आवास	8,624	5,986	5,985	5,986	13	150	150	150
2. शहरी विकास	2,030	1,293	1,293	1,293	-	95	95	95
3. फसल उत्पादन	14	171	171	171	-	50	50	50
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	9	14	14	14	-	4	4	4
5. सहकारिता	3,250	1,252	2,543	2,004	653	275	275	275
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	7	7	7
7. विद्युत परियोजनाएं	-	854	-	-	5,57,538	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	363	2,106	2,106	2,106	199	108	108	108
9. उद्योग और खनिज	32,748	32,642	33,496	33,496	252	1,245	9,120	1,245
10. सड़क परिवहन	474	49	49	49	-	200	200	200
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	4,379	4,905	4,905	5,260	2,916	4,000	4,000	4,000
12. अन्य **	25,920	11,105	15,205	16,755	12	200	224	200
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	17,092	1,000	15,640	1,000	634	-	143	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	6,51,078	9,28,162	9,26,960	9,69,522	1,43,037	2,19,505	3,24,808	3,25,023
1. राज्य भविष्य निधि	6,32,755	8,84,020	8,83,718	9,19,782	1,41,354	2,17,605	3,22,708	3,22,323
2. अन्य	18,323	44,142	43,242	49,740	1,683	1,900	2,100	2,700
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	3,62,826	6,90,961	5,90,961	8,64,203	1,71,543	1,36,186	1,50,707	1,87,695
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	13,015	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	3,16,379	4,86,662	4,86,662	7,43,628	1,10,582	73,200	73,200	1,20,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	33,432	2,03,299	1,03,299	1,19,575	60,961	62,986	77,507	67,695
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	22,65,630	9,01,389	9,12,889	10,90,405	22,73,445	26,21,487	30,57,414	27,86,666
1. सिविल जमा राशियां	15,12,128	4,45,650	4,45,650	5,60,455	3,45,397	3,28,685	5,54,559	4,81,433
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	7,08,388	4,26,939	4,36,939	4,99,650	5,05,008	5,40,700	6,02,126	5,34,901
3. सिविल अग्रिम	36,232	-	-	-	27,236	30,102	27,508	30,008
4. अन्य	8,882	28,800	30,300	30,300	13,95,805	17,22,000	18,73,221	17,40,323
X. उचित और विविध (1 से 4)	5,14,77,695	1,82,63,592	1,88,93,283	1,94,13,249	1,18,64,570	1,46,98,517	1,21,82,594	1,18,92,644
1. उचित	-1,844,417	75,015	75,015	95,017	-11,388	2,386	5,940	5,984
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,71,09,455	1,50,00,000	1,50,00,000	1,60,00,000	16,75,600	23,00,000	19,75,600	16,85,600
3. आरबीआई के साथ जमा	2,91,31,807	-	-	-	74,89,631	99,00,000	74,89,631	74,89,640
4. अन्य	70,80,851	31,88,577	38,18,268	33,18,232	27,10,728	24,96,132	27,11,423	27,11,420
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	19,17,862	2,51,500	2,51,500	17,25,000	5,32,168	3,75,169	5,04,555	5,04,715

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	सभी राज्य			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	28,56,37,737	16,25,78,119	22,89,25,841	20,59,90,771
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	1,96,63,408	2,25,01,429	2,37,35,482	2,42,85,963
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,60,43,388	2,20,97,438	2,13,91,830	2,47,76,419
1. बाजार ऋण	1,18,49,242	1,29,66,975	1,40,17,065	1,48,35,649
2. एलआईसी से ऋण	47,867	47,008	71,708	70,708
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	1,84,000	3,51,800	4,60,000	5,10,000
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	9,49,486	12,70,901	12,57,887	13,75,761
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	41,548	71,447	68,278	34,288
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	15,21,135	50,01,651	22,07,726	48,92,051
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,52,042	18,95,650	28,96,826	25,91,127
8. अन्य @ जिसमें से:	5,98,069	4,92,007	4,12,340	4,66,835
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	24,560	33	30	33
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	7,00,471	17,20,936	12,78,337	15,44,519
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	6,99,143	16,64,946	12,21,065	14,58,781
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	447	15,298	20,110	47,701
4. योजनेतर (i से ii)	703	4,692	1,162	2,037
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-
(ii) अन्य	703	4,692	1,162	2,037
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	36,000	36,000	36,000
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	122	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	11,07,156	4,60,869	7,96,312	4,21,049
1. आवास	59,557	24,653	21,661	24,833
2. शहरी विकास	11,819	27,733	5,632	7,101
3. फसल उत्पादन	324	4,007	3,506	4,585
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	1,25,475	1,25,300	3,11,045	80,978
5. सहकारिता	36,779	16,551	37,546	17,737
6. लघु सिंचाई	-242	125	125	18
7. विद्युत परियोजनाएं	6,25,122	49,567	1,67,568	50,285
8. गामीण और लघु उद्योग	12,560	14,415	7,856	7,825
9. उद्योग और खनिज	60,690	41,548	70,909	43,100
10. सड़क परिवहन	568	249	254	251
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	85,692	1,07,252	1,04,684	1,16,248
12. अन्य **	88,813	49,468	65,526	68,088
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	225	17	2	2
VI. आकस्मिकता कोष	1,74,914	1,51,582	1,92,549	1,21,100
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	50,75,936	58,84,024	62,23,561	64,81,774
1. राज्य भविष्य निधि	36,89,414	43,99,931	46,33,119	48,61,503
2. अन्य	13,86,521	14,84,094	15,90,442	16,20,271
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	26,91,226	24,53,689	17,70,324	24,45,974
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	18,078	16,062	15,260	15,737
2. ऋणशोधन निधि	9,24,046	10,03,364	8,55,602	12,96,045
3. अकाल राहत कोष	-1,179	40	49	49
4. अन्य	17,50,280	14,34,222	8,99,413	11,34,143
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	2,73,41,612	2,31,50,070	2,40,37,150	2,57,51,615
1. सिविल जमाराशियां	1,00,39,474	63,98,821	68,68,289	75,91,717
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	1,20,49,289	1,21,03,476	1,19,80,265	1,26,32,135
3. सिविल अग्रिम	3,69,856	3,05,702	2,83,000	3,34,832
4. अन्य	48,82,993	43,42,071	49,05,596	51,92,930
X. उचित और विविध (1 से 4)	21,78,76,106	9,79,99,987	16,41,28,929	13,27,06,240
1. उचित	-289,074	17,29,534	10,63,658	10,30,388
2. नकद शेष निवेश लेखा	14,58,73,535	5,33,59,045	11,28,80,271	8,22,71,846
3. आरबीआई के साथ जमा	4,05,18,374	2,54,13,903	2,37,86,586	2,42,57,939
4. अन्य	3,17,73,271	1,74,97,505	2,63,98,415	2,51,46,068
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	57,000	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	26,564	2,21,625	36,080	3,15,458
XIII. विप्रेषण	1,45,43,138	84,37,882	90,70,767	1,14,26,623

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्ति (समाप्त)

(लाख रुपये)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्ति (I से XIII)	1,22,774	31,839	1,91,601	1,31,427	1,05,972	7,22,266	7,32,494	8,20,892
कुल पूंजी प्राप्ति (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	1,22,774	31,839	1,91,601	1,31,427	65,947	1,23,725	1,29,300	1,62,602
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	42,874	-	1,61,274	1,00,000	35,043	90,026	74,638	1,03,600
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	42,874	-	1,61,274	1,00,000	-	-	-	-
8. अन्य @ जिसमें से:	-	-	-	-	35,043	90,026	74,638	1,03,600
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	-	-	-	-	9,405	13,200	10,244	12,200
1. राज्य योजना स्कीमों जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	9,405	13,200	10,244	12,200
2. केंद्रीय योजना स्कीमों	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमों	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	79,900	31,839	30,327	31,427	500	900	520	600
1. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
8. गामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि +	322	300	300	300	-	-	-	-
12. अन्य **	79,578	31,539	30,027	31,127	500	900	520	600
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	-	-	-	16,983	17,360	19,375	21,400
1. राज्य भविष्य निधि	-	-	-	-	16,626	17,000	19,000	21,000
2. अन्य	-	-	-	-	357	360	375	400
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	-	-	-	1,200	300	1,200	500
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	1,200	300	1,200	500
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	-	-	-	7,246	9,700	10,948	12,024
1. सिविल जमाराशियां	-	-	-	-	6,644	6,900	6,258	6,884
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	465	500	2,409	2,650
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	74	100	81	90
4. अन्य	-	-	-	-	63	2,200	2,200	2,400
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	-	-	-	35,595	5,90,780	6,12,243	6,70,568
1. उचित	-	-	-	-	12,306	13,000	14,000	15,000
2. नकद शेष निवेश लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	3,00,000	3,00,000	3,30,000
4. अन्य	-	-	-	-	23,289	2,77,780	2,98,243	3,25,568
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्ति जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	3,326	-
XIII. विप्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-

- : शून्य / नगण्य / उपलब्ध नहीं।

* : मद I से XIII का जोड़, जहाँ मद V से XI, XIII और II (3) निवल आधार पर हैं, जबकि मद II(6) और X (2 और 3) अपवर्जित हैं। मद II (6) और X (2 और 3) को समग्र अधिशेष/ घाटे के लिए वित्तपोषण मदों के रूप में लिया गया है।

: भारत के संविधान के अनुसार, राज्य बाह्य एजेंसियों से सीधे संसाधन नहीं जुटा सकते हैं।

@ : भूमि मुआवजा बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सीडब्ल्यूसी आदि, से लिए गए ऋण शामिल हैं।

+ : आवास, वाहन की खरीद, त्योहार, विवाह, आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों से लिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली शामिल है।

** : शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है।

इसके अलावा परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

**परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय
आंध्र प्रदेश**

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	13,70,842	1,60,63,667	1,74,34,509	18,70,991	29,45,864	48,16,855	17,07,220	34,88,156	51,95,376	16,31,907	44,25,364	60,57,271
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	13,70,842	5,24,126	18,94,967	18,70,991	5,72,336	24,43,327	17,07,220	6,02,745	23,09,964	16,31,907	7,24,124	23,56,032
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	10,61,048	-24,402	10,36,646	17,97,710	23	17,97,733	16,00,404	23	16,00,427	14,33,708	23	14,33,731
1. विकास (क + ख)	10,55,389	-24,579	10,30,811	17,93,540	23	17,93,563	15,95,458	23	15,95,481	14,26,432	23	14,26,455
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	32,434	-	32,434	53,274	-	53,274	70,082	-	70,082	1,13,843	-	1,13,843
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,919	-	7,919	13,667	-	13,667	29,592	-	29,592	42,215	-	42,215
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,952	-	2,952	6,213	-	6,213	3,288	-	3,288	4,713	-	4,713
3. परिवार कल्याण	59	-	59	425	-	425	25	-	25	200	-	200
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	181	-	181	103	-	103	8,903	-	8,903	15,103	-	15,103
5. आवास	1,674	-	1,674	801	-	801	801	-	801	838	-	838
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18,406	-	18,406	21,925	-	21,925	17,725	-	17,725	30,290	-	30,290
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	777	-	777	6,037	-	6,037	6,130	-	6,130	7,888	-	7,888
9. अन्य *	465	-	465	4,104	-	4,104	3,619	-	3,619	12,596	-	12,596
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	10,22,956	-24,579	9,98,377	17,40,266	23	17,40,289	15,25,376	23	15,25,399	13,12,589	23	13,12,612
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,839	130	1,969	3,060	-	3,060	2,970	-	2,970	2,168	-	2,168
i) फसल उत्पादन	-	-	-	5	-	5	5	-	5	50	-	50
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	660	-	660	189	-	189	189	-	189	157	-	157
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	772	-	772	898	-	898	808	-	808	150	-	150
vi) वानिकी और वन्य जीवन	56	-	56	68	-	68	68	-	68	90	-	90
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	352	130	483	1,900	-	1,900	1,900	-	1,900	1,722	-	1,722
xi) अन्य @	-1	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,56,908	-	8,56,908	15,36,112	-	15,36,112	13,33,812	-	13,33,812	11,21,186	-	11,21,186
5. ऊर्जा	36	-	36	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	329	-	329	640	-	640	640	-	640	340	-	340
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1	-	1	15	-	15	15	-	15	15	-	15
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	25	-	25	25	-	25	25	-	25
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	328	-	328	600	-	600	600	-	600	300	-	300
7. परिवहन (i + ii)	1,33,983	-24,709	1,09,274	1,86,045	-	1,86,045	1,73,545	-	1,73,545	1,50,396	-	1,50,396
i) सड़क और पुल	1,09,557	-24,709	84,849	1,67,395	-	1,67,395	1,54,895	-	1,54,895	1,45,103	-	1,45,103
ii) अन्य **	24,425	-	24,425	18,650	-	18,650	18,650	-	18,650	5,293	-	5,293
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	29,861	-1	29,861	12,409	23	12,431	12,409	23	12,431	38,500	23	38,523
i) पर्यटन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य @@	29,861	-1	29,861	12,409	23	12,431	12,409	23	12,431	38,500	23	38,523
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	5,658	177	5,835	4,170	-	4,170	4,946	-	4,946	7,276	-	7,276
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	4,38,147	4,38,147	-	7,78,090	7,78,090	-	5,78,091	5,78,091	-	8,87,517	8,87,517
1. बाजार ऋण	-	1,78,269	1,78,269	-	2,09,802	2,09,802	-	2,09,802	2,09,802	-	1,76,634	1,76,634
2. एलआईसी से ऋण	-	34,879	34,879	-	34,867	34,867	-	34,867	34,867	-	34,868	34,868
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	33,784	33,784	-	44,563	44,563	-	44,563	44,563	-	61,194	61,194
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	4,007	4,007	-	4,124	4,124	-	4,124	4,124	-	2,717	2,717
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	3,00,000	3,00,000	-	1,00,000	1,00,000	-	3,00,000	3,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	33,673	33,673	-	51,561	51,561	-	51,561	51,561	-	75,789	75,789
8. अन्य	-	1,53,535	1,53,535	-	1,33,174	1,33,174	-	1,33,174	1,33,174	-	2,36,315	2,36,315
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	36,542	36,542	-	24,361	24,361	-	24,361	24,361	-	24,361	24,361
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	78,837	78,837	-	81,918	81,918	-	81,918	81,918	-	85,780	85,780
1. राज्य योजना स्कीमें	-	77,383	77,383	-	80,467	80,467	-	80,467	80,467	-	84,271	84,271
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	210	210	-	210	210	-	210	210	-	211	211
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	621	621	-	624	624	-	624	624	-	650	650
4. योजनेतर (i से ii)	-	623	623	-	618	618	-	618	618	-	648	648
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	623	623	-	618	618	-	618	618	-	648	648
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	3,09,794	31,543	3,41,337	73,280	12,305	85,586	1,06,816	42,713	1,49,529	1,98,199	50,805	2,49,004
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	3,09,794	24,809	3,34,603	73,280	5,120	78,400	1,06,816	34,478	1,41,294	1,98,199	43,620	2,41,819
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	2,95,239	6,623	3,01,863	52,511	5,120	57,631	88,015	34,478	1,22,493	1,45,274	43,620	1,88,894
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,298	-	14,298	6,656	-	6,656	9,665	-	9,665	11,800	-	11,800
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,875	-	1,875	-	-	-	32,500	-	32,500	30,000	-	30,000
5. आवास	2,78,094	117	2,78,211	43,450	120	43,570	43,450	120	43,570	99,050	120	99,170
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	2,507	2,507	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000
7. अन्य	972	4,000	4,972	2,405	-	2,405	2,400	29,358	31,758	4,424	38,500	42,924
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	14,555	18,185	32,740	20,769	-	20,769	18,801	-	18,801	52,925	-	52,925
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	807	-	807	1,361	-	1,361	1,311	-	1,311	1,078	-	1,078
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	63	-	63	15,200	-	15,200	12,175	-	12,175	45,750	-	45,750

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	2,930	—	2,930	62	—	62	1,003	—	1,003	941	—	941
8. अन्य उद्योग और खनिज	767	5	772	609	—	609	775	—	775	1,617	—	1,617
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	9,988	18,180	28,168	3,537	—	3,537	3,537	—	3,537	3,540	—	3,540
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	—	6,735	6,735	—	7,185	7,185	—	8,235	8,235	—	7,185	7,185
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	—	6,735	6,735	—	7,185	7,185	—	7,185	7,185	—	7,185	7,185
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	1,050	1,050	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	718	718	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	1,44,417	1,44,417	—	1,46,800	1,46,800	—	1,46,800	1,46,800	—	1,58,695	1,58,695
1. राज्य भविष्य निधि	—	1,23,688	1,23,688	—	1,17,074	1,17,074	—	1,17,074	1,17,074	—	1,28,781	1,28,781
2. अन्य	—	20,730	20,730	—	29,727	29,727	—	29,727	29,727	—	29,914	29,914
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	1,53,799	1,53,799	—	1,34,202	1,34,202	—	1,45,927	1,45,927	—	1,47,818	1,47,818
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधियां	—	93,990	93,990	—	63,496	63,496	—	75,402	75,402	—	72,385	72,385
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	59,809	59,809	—	70,706	70,706	—	70,525	70,525	—	75,433	75,433
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	41,26,585	41,26,585	—	17,92,526	17,92,526	—	24,92,684	24,92,684	—	30,94,727	30,94,727
1. सिविल जमा	—	21,48,835	21,48,835	—	6,27,815	6,27,815	—	13,46,472	13,46,472	—	18,85,407	18,85,407
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	8,15,986	8,15,986	—	6,49,855	6,49,855	—	6,31,355	6,31,355	—	6,58,894	6,58,894
3. सिविल अग्रिम	—	18,469	18,469	—	30,253	30,253	—	30,253	30,253	—	33,278	33,278
4. अन्य	—	11,43,295	11,43,295	—	4,84,603	4,84,603	—	4,84,603	4,84,603	—	5,17,147	5,17,147
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	92,56,102	92,56,102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. उचित	—	-11,706	-11,706	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	80,54,430	80,54,430	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	12,13,378	12,13,378	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	18,57,920	18,57,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,00,423			2,40,653			2,94,245			3,54,832
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-5,16,852			-2,36,021			-2,91,359			-3,53,338
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-4,16,429			4,632			2,886			1,494
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-4,16,429			4,632			2,886			1,494
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-8,006			4,632			2,886			1,494
क) अथ शेष			-20,590			-16,034			-28,596			-25,710
ख) इति शेष			-28,596			-11,402			-25,710			-24,216
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-4,08,423			—			—			—
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	1,27,872	22,72,883	24,00,755	76,622	16,79,393	17,56,015	1,86,639	5,99,733	7,86,373	1,86,908	7,53,934	9,40,843
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	1,27,872	12,219	1,40,091	76,622	19,752	96,375	1,86,639	45,160	2,31,800	1,86,908	1,71,632	3,58,541
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,27,818	1,202	1,29,021	76,562	125	76,687	1,86,639	2,371	1,89,010	1,86,908	240	1,87,148
1. विकास (क + ख)	1,23,096	1,202	1,24,299	74,752	125	74,877	1,74,753	2,371	1,77,124	59,626	240	59,866
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	16,029	140	16,169	9,009	-	9,009	33,941	156	34,097	18,047	-	18,047
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,641	140	7,781	1,469	-	1,469	10,045	-	10,045	2,229	-	2,229
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,189	-	1,189	1,208	-	1,208	1,333	156	1,489	64	-	64
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	800	-	800	800	-	800	3,159	-	3,159	-	-	-
5. आवास	1,784	-	1,784	1,684	-	1,684	1,941	-	1,941	-	-	-
6. शहरी विकास	2,678	-	2,678	2,186	-	2,186	15,596	-	15,596	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,886	-	1,886	1,588	-	1,588	1,600	-	1,600	1,596	-	1,596
9. अन्य *	51	-	51	75	-	75	267	-	267	14,159	-	14,159
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,07,068	1,062	1,08,130	65,743	125	65,868	1,40,812	2,215	1,43,027	41,579	240	41,819
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,172	62	1,235	603	125	728	1,476	215	1,691	-	240	240
i) फसल उत्पादन	283	-	283	150	-	150	199	-	199	-	-	-
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	560	-	560	227	-	227	146	-	146	-	-	-
iii) पशुपालन	105	-	105	-	-	-	729	-	729	-	-	-
iv) डेरी विकास	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	25	-	25	-	-	-	299	-	299	-	-	-
vi) वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	62	62	-	125	125	4	215	219	-	240	240
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	7	-	7	15	-	15	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	188	-	188	211	-	211	100	-	100	-	-	-
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	1,034	-	1,034	130	-	130	6,145	-	6,145	1,547	-	1,547
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	6,413	-	6,413	6,214	-	6,214	12,233	-	12,233	9,136	-	9,136
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,338	1,000	7,338	2,539	-	2,539	5,426	2,000	7,426	20	-	20
5. ऊर्जा	25,999	-	25,999	24,515	-	24,515	46,533	-	46,533	9,004	-	9,004
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	343	-	343	249	-	249	182	-	182	-	-	-
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	112	-	112	121	-	121	100	-	100	-	-	-
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	230	-	230	128	-	128	83	-	83	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	62,412	-	62,412	29,029	-	29,029	64,818	-	64,818	19,082	-	19,082
i) सड़क और पुल	61,329	-	61,329	28,569	-	28,569	64,057	-	64,057	19,080	-	19,080
ii) अन्य **	1,084	-	1,084	460	-	460	761	-	761	2	-	2
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	3,356	-	3,356	2,464	-	2,464	3,999	-	3,999	2,790	-	2,790
i) पर्यटन	3,312	-	3,312	2,404	-	2,404	3,724	-	3,724	2,765	-	2,765
ii) अन्य @@	44	-	44	60	-	60	275	-	275	25	-	25
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	4,722	-	4,722	1,810	-	1,810	11,886	-	11,886	1,27,282	-	1,27,282
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	7,974	7,974	-	16,776	16,776	-	19,655	19,655	-	1,68,506	1,68,506
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	3,000	3,000
8. अन्य	-	5,974	5,974	-	14,776	14,776	-	17,655	17,655	-	1,65,506	1,65,506
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	371	371	-	2,491	2,491	-	2,421	2,421	-	2,527	2,527
1. राज्य योजना स्कीम	-	371	371	-	2,491	2,491	-	2,421	2,421	-	2,527	2,527
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	53	2,671	2,724	60	360	420	-	20,713	20,713	-	360	360
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	53	2,500	2,553	60	-	60	-	20,353	20,353	-	-	-
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	-	-
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	53	2,500	2,553	60	-	60	-	20,250	20,250	-	-	-
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	53	2,000	2,053	60	-	60	-	20,000	20,000	-	-	-
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	500	500	-	-	-	-	250	250	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	171	171	-	360	360	-	360	360	-	360	360
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	171	171	-	360	360	-	360	360	-	360	360
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	7,867	7,867	-	7,838	7,838	-	1,829	1,829	-	1,921	1,921
1. राज्य भविष्य निधि	-	7,690	7,690	-	7,654	7,654	-	1,793	1,793	-	1,882	1,882
2. अन्य	-	177	177	-	184	184	-	37	37	-	39	39
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	1,400	1,400	-	-	-	-	1,500	1,500	-	1,575	1,575
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,400	1,400	-	-	-	-	1,500	1,500	-	1,575	1,575
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	37,998	37,998	-	16,094	16,094	-	7,366	7,366	-	7,734	7,734
1. सिविल जमा	-	31,239	31,239	-	12,955	12,955	-	6,668	6,668	-	7,001	7,001
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	6,760	6,760	-	3,138	3,138	-	698	698	-	733	733
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	19,47,433	19,47,433	-	14,98,936	14,98,936	-	5,08,249	5,08,249	-	5,33,662	5,33,662
1. उचित	-	1,11,080	1,11,080	-	7,60,316	7,60,316	-	20,159	20,159	-	21,167	21,167
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	18,34,569	18,34,569	-	7,36,528	7,36,528	-	4,87,007	4,87,007	-	5,11,357	5,11,357
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,783	1,783	-	2,092	2,092	-	1,084	1,084	-	1,138	1,138
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	2,65,967	2,65,967	-	1,36,773	1,36,773	-	35,629	35,629	-	37,410	37,410
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			98,428			-35,011			1,69,579			1,75,941
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,77,221			-34,413			-1,49,702			-3,00,949
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			2,75,650			-69,424			19,877			-1,25,008
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			2,75,650			-69,424			19,877			-1,25,008
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-2,896			-3,708			39,702			-1,04,542
क) अथ शेष			-53,496			-33,944			90,576			-1,316
ख) इति शेष			-56,392			-37,652			1,30,278			-1,05,858
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			2,80,974			-58,716			-12,825			-13,466
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-2,428			-7,000			-7,000			-7,000

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
असम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	2,36,162	1,66,51,491	1,68,87,653	4,58,457	80,96,143	85,54,600	4,67,597	92,19,931	96,87,528	3,29,521	92,92,487	96,22,008
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	2,36,162	88,093	3,24,255	4,58,457	1,08,152	5,66,608	4,67,597	1,08,152	5,75,749	3,29,521	1,09,579	4,39,100
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	2,28,615	8,686	2,37,301	4,50,878	11,631	4,62,509	4,59,947	11,631	4,71,578	3,21,401	9,312	3,30,712
1. विकास (क + ख)	2,26,094	7,643	2,33,737	4,45,298	10,493	4,55,791	4,54,367	10,493	4,64,860	3,16,367	8,497	3,24,863
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	47,246	2,192	49,438	95,531	1,478	97,010	95,531	1,478	97,010	23,867	1,477	25,344
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	63	—	63	105	—	105	105	—	105	6	—	6
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	95	60	155	1,067	100	1,167	1,067	100	1,167	689	100	789
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	42,250	—	42,250	63,637	—	63,637	63,637	—	63,637	16,293	—	16,293
5. आवास	516	200	717	1,230	263	1,493	1,230	263	1,493	1,278	260	1,538
6. शहरी विकास	4,301	1,931	6,232	29,308	965	30,273	29,308	965	30,273	5,578	965	6,543
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20	—	20	69	—	69	69	—	69	—	—	—
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	150	150	—	150	150	—	152	152
9. अन्य *	—	—	—	116	—	116	116	—	116	24	—	24
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,78,848	5,451	1,84,299	3,49,766	9,015	3,58,781	3,58,836	9,015	3,67,851	2,92,499	7,020	2,99,519
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	381	—	381	932	—	932	932	—	932	1,922	—	1,922
i) फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	98	—	98	230	—	230	230	—	230	1,500	—	1,500
iv) डेरी विकास	109	—	109	90	—	90	90	—	90	150	—	150
v) मत्स्यपालन	—	—	—	16	—	16	16	—	16	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	—	—	100	—	100	100	—	100	132	—	132
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	100	—	100	160	—	160	160	—	160	75	—	75
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	74	—	74	336	—	336	336	—	336	65	—	65
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	45,639	—	45,639	85,848	—	85,848	94,917	—	94,917	1,28,210	—	1,28,210
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	17,170	—	17,170	8,420	—	8,420	8,420	—	8,420	10,643	—	10,643
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	43,161	—	43,161	1,48,485	—	1,48,485	1,48,485	—	1,48,485	51,848	—	51,848
5. ऊर्जा	40,440	—	40,440	23,667	—	23,667	23,667	—	23,667	24,900	—	24,900
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,514	30	1,544	17,263	—	17,263	17,263	—	17,263	16,839	—	16,839
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	44	—	44	78	—	78	78	—	78	80	—	80
ii) लोह और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	2,500	—	2,500	2,500	—	2,500	1,500	—	1,500
iv) अन्य #	1,470	30	1,500	14,685	—	14,685	14,685	—	14,685	15,259	—	15,259
7. परिवहन (i + ii)	47,451	5,421	52,872	73,122	9,015	82,137	73,122	9,015	82,137	68,105	7,020	75,125
i) सड़क और पुल	45,027	5,421	50,448	71,295	9,015	80,310	71,295	9,015	80,310	63,276	7,020	70,296
ii) अन्य **	2,424	—	2,424	1,827	—	1,827	1,827	—	1,827	4,829	—	4,829
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	261	—	261	450	—	450	450	—	450	675	—	675
i) पर्यटन	231	—	231	400	—	400	400	—	400	670	—	670
ii) अन्य @@	30	—	30	50	—	50	50	—	50	5	—	5
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	2,521	1,043	3,564	5,580	1,138	6,718	5,580	1,138	6,718	5,034	815	5,849
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	66,692	66,692	—	81,199	81,199	—	81,200	81,200	—	84,353	84,353
1. बाजार ऋण	—	49,087	49,087	—	50,409	50,409	—	50,409	50,409	—	50,002	50,002
2. एलआईसी से ऋण	—	36	36	—	37	37	—	37	37	—	30	30
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	4,554	4,554	—	6,000	6,000	—	6,000	6,000	—	8,600	8,600
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	9,791	9,791	—	16,348	16,348	—	16,348	16,348	—	20,516	20,516
8. अन्य	—	3,223	3,223	—	3,405	3,405	—	3,406	3,406	—	205	205
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	11,388	11,388	—	19,755	19,755	—	19,755	19,755	—	20,376	20,376
1. राज्य योजना स्कीम	—	11,358	11,358	—	9,739	9,739	—	9,739	9,739	—	10,334	10,334
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	2,460	2,460	—	2,460	2,460	—	2,460	2,460
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	—	—	—	828	828	—	828	828	—	828	828
4. योजनेतर (i से ii)	—	31	31	—	3,009	3,009	—	3,009	3,009	—	3,036	3,036
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	31	31	—	3,009	3,009	—	3,009	3,009	—	3,036	3,036
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	1,207	1,207	—	1,207	1,207	—	1,207	1,207
7. अन्य	—	—	—	—	1,512	1,512	—	1,512	1,512	—	1,512	1,512
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	7,547	1,327	8,874	7,579	566	8,145	7,649	566	8,215	8,120	538	8,658
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	7,529	1,005	8,534	7,559	110	7,669	7,629	110	7,739	8,110	450	8,560
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	944	5	949	2,254	110	2,364	2,254	110	2,364	2,482	50	2,532
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	10	10	—	10	10	—	10	10
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	8	—	8	57	—	57	57	—	57	40	—	40
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	5	5	—	100	100	—	100	100	—	40	40
7. अन्य	937	—	937	2,197	—	2,197	2,197	—	2,197	2,442	—	2,442
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	6,585	1,000	7,585	5,305	—	5,305	5,375	—	5,375	5,628	400	6,028
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	70	—	70	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	5,817	—	5,817	5,234	—	5,234	5,234	—	5,234	4,614	—	4,614

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)

असम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	99	—	99	51	—	51	51	—	51	114	400	514
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	669	1,000	1,669	20	—	20	20	—	20	900	—	900
2. गैर-विकासालक प्रयोजन (क + ख)	17	322	340	20	456	476	20	456	476	10	88	98
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	17	322	340	20	456	476	20	456	476	10	88	98
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	23,766	23,766	—	35,130	35,130	—	26,142	26,142	—	28,756	28,756
1. राज्य भविष्य निधि	—	20,530	20,530	—	31,760	31,760	—	22,583	22,583	—	24,841	24,841
2. अन्य	—	3,236	3,236	—	3,370	3,370	—	3,559	3,559	—	3,915	3,915
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	42,737	42,737	—	82,507	82,507	—	32,507	32,507	—	42,200	42,200
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधियां	—	15,854	15,854	—	10,800	10,800	—	10,800	10,800	—	12,000	12,000
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	26,883	26,883	—	71,707	71,707	—	21,707	21,707	—	30,200	30,200
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	3,82,179	3,82,179	—	1,21,530	1,21,530	—	2,09,745	2,09,745	—	2,35,209	2,35,209
1. सिविल जमा	—	2,35,208	2,35,208	—	50,000	50,000	—	50,000	50,000	—	60,000	60,000
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	—	—	—	1,430	1,430	—	4	4	—	5	5
3. सिविल अग्रिम	—	1,46,972	1,46,972	—	70,000	70,000	—	74,028	74,028	—	81,431	81,431
4. अन्य	—	—	—	—	100	100	—	85,713	85,713	—	93,773	93,773
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	1,58,28,739	1,58,28,739	—	74,88,824	74,88,824	—	85,13,408	85,13,408	—	85,14,768	85,14,768
1. उचित	—	-8,551	-8,551	—	-15,000	-15,000	—	9,230	9,230	—	10,153	10,153
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	1,58,32,727	1,58,32,727	—	75,00,000	75,00,000	—	85,00,000	85,00,000	—	85,00,000	85,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	4,563	4,563	—	3,824	3,824	—	4,178	4,178	—	4,615	4,615
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	2,80,977	2,80,977	—	2,50,000	2,50,000	—	3,19,977	3,19,977	—	3,51,975	3,51,975
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			3,83,371			-6,20,622			-5,33,079			-5,96,009
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			24,131			-2,16,251			-1,99,628			-54,388
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			4,07,502			-8,36,873			-7,32,707			-6,50,397
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			4,07,502			-8,36,873			-7,32,707			-6,50,397
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			36,419			-8,36,873			-7,32,707			-6,50,397
क) अथ शेष			-1,19,500			-96,895			-83,079			-8,18,304
ख) इति शेष			-83,081			-9,33,768			-8,15,786			-14,68,701
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			3,71,083			—			—			—
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
बिहार

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	6,21,563	1,54,16,819	1,60,38,382	8,15,645	7,41,217	15,56,862	8,31,024	7,52,339	15,83,363	9,64,781	8,50,060	18,14,840
कुल पूंजी संचितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	6,21,563	2,45,405	8,66,968	8,15,645	3,57,485	11,73,130	8,31,024	3,54,607	11,85,631	9,64,781	3,43,239	13,08,020
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	6,01,903	41,732	6,43,635	8,02,229	1,39,474	9,41,703	8,08,729	1,41,805	9,50,533	9,11,921	1,31,475	10,43,396
1. विकास (क + ख)	5,87,848	35,121	6,22,970	7,89,436	1,31,061	9,20,497	7,90,936	1,32,787	9,23,723	8,81,787	1,23,280	10,05,067
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	50,449	13,553	64,002	76,739	67,661	1,44,400	78,239	68,262	1,46,500	91,274	61,330	1,52,604
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,175	476	17,651	20,981	—	20,981	20,981	600	21,581	20,525	—	20,525
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,721	—	9,721	13,515	—	13,515	14,015	—	14,015	19,322	—	19,322
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,983	10,240	18,223	24,200	66,881	91,081	24,200	66,882	91,082	26,291	60,290	86,581
5. आवास	233	200	434	400	780	1,180	400	780	1,180	300	10	310
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	1,000	—	1,000	200	—	200
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,177	—	4,177	2,779	—	2,779	2,779	—	2,779	4,835	1,030	5,865
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,076	—	10,076	13,564	—	13,564	13,564	—	13,564	17,356	—	17,356
9. अन्य *	1,083	2,636	3,720	1,300	—	1,300	1,300	—	1,300	2,446	—	2,446
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	5,37,399	21,569	5,58,968	7,12,697	63,400	7,76,097	7,12,697	64,525	7,77,222	7,90,512	61,950	8,52,462
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	854	250	1,104	200	—	200	200	—	200	315	50	365
i) फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	100	100	—	—	—	—	—	—	50	—	50
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	854	150	1,004	200	—	200	200	—	200	265	50	315
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	1,27,440	-61	1,27,379	1,48,627	—	1,48,627	1,48,627	—	1,48,627	1,44,982	—	1,44,982
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	92,681	21,388	1,14,068	2,02,050	63,400	2,65,450	2,02,050	63,400	2,65,450	1,91,437	60,400	2,51,837
5. ऊर्जा	40,000	—	40,000	70,200	—	70,200	70,200	—	70,200	51,360	—	51,360
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	25,200	—	25,200	26,753	—	26,753	26,753	—	26,753	28,237	—	28,237
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	—	—	—	300	—	300	300	—	300	6	—	6
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	25,200	—	25,200	26,453	—	26,453	26,453	—	26,453	28,231	—	28,231
7. परिवहन (i + ii)	2,46,349	-7	2,46,342	2,57,624	—	2,57,624	2,57,624	1,125	2,58,749	3,57,657	1,500	3,59,157
i) सड़क और पुल	2,45,945	-7	2,45,938	2,56,513	—	2,56,513	2,56,513	1,125	2,57,638	3,55,502	1,500	3,57,002
ii) अन्य **	404	—	404	1,111	—	1,111	1,111	—	1,111	2,154	—	2,154
8. संचार	2,472	—	2,472	4,265	—	4,265	4,265	—	4,265	11,400	—	11,400

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	2,404	-	2,404	2,978	-	2,978	2,978	-	2,978	5,125	-	5,125
i) पर्यटन	2,304	-	2,304	2,778	-	2,778	2,778	-	2,778	2,844	-	2,844
ii) अन्य @@	100	-	100	200	-	200	200	-	200	2,281	-	2,281
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	14,055	6,611	20,665	12,793	8,413	21,206	17,793	9,018	26,811	30,134	8,195	38,329
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	1,25,360	1,25,360	-	1,41,305	1,41,305	-	1,41,355	1,41,355	-	1,40,312	1,40,312
1. बाजार ऋण	-	73,280	73,280	-	73,317	73,317	-	73,317	73,317	-	53,020	53,020
2. एलआईसी से ऋण	-	226	226	-	11	11	-	11	11	-	11	11
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	3,374	3,374	-	7,563	7,563	-	7,563	7,563	-	16,995	16,995
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	832	832	-	850	850	-	900	900	-	700	700
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	26,385	26,385	-	36,728	36,728	-	36,728	36,728	-	48,230	48,230
8. अन्य	-	21,263	21,263	-	22,837	22,837	-	22,836	22,836	-	21,357	21,357
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	21,191	21,191	-	22,766	22,766	-	22,766	22,766	-	21,297	21,297
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	42,867	42,867	-	47,107	47,107	-	47,061	47,061	-	51,245	51,245
1. राज्य योजना स्कीमें	-	41,721	41,721	-	45,893	45,893	-	45,889	45,889	-	50,660	50,660
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	60	60	-	60	60	-	60	60	-	60	60
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	161	161	-	198	198	-	182	182	-	199	199
4. योजनेतर (i से ii)	-	926	926	-	955	955	-	930	930	-	326	326
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	926	926	-	955	955	-	930	930	-	326	326
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	19,660	35,445	55,105	13,416	29,600	43,016	22,295	24,388	46,683	52,860	20,207	73,067
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	19,660	34,966	54,625	13,416	28,825	42,241	22,295	23,613	45,908	52,860	18,457	71,317
क) सामाजिक सेवाएँ (1 से 7)	-	240	240	-	1,030	1,030	-	1,030	1,030	-	550	550
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	240	240	-	1,030	1,030	-	1,030	1,030	-	550	550
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	19,660	34,726	54,386	13,416	27,795	41,211	22,295	22,583	44,878	52,860	17,907	70,767
1. फसल उत्पादन	274	18	292	-	800	800	800	-	800	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	3,467	3,467	2,272	501	2,773	1	2,772	2,773	1	2,772	2,773
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएँ	16,384	27,305	43,689	8,392	21,444	29,836	21,444	8,583	30,027	51,663	3,000	54,663

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
बिहार

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
8. अन्य उद्योग और खनिज	3,000	-	3,000	-	50	50	50	-	50	1,166	-	1,166
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	2	3,936	3,938	2,752	5,000	7,752	-	11,227	11,227	5	12,135	12,140
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	480	480	-	775	775	-	775	775	-	1,750	1,750
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	480	480	-	775	775	-	775	775	-	1,750	1,750
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,00,895	1,00,895	-	87,208	87,208	-	87,208	87,208	-	1,09,416	1,09,416
1. राज्य भविष्य निधि	-	84,098	84,098	-	73,755	73,755	-	73,755	73,755	-	92,619	92,619
2. अन्य	-	16,797	16,797	-	13,453	13,453	-	13,453	13,453	-	16,797	16,797
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	1,00,924	1,00,924	-	16,745	16,745	-	30,745	30,745	-	32,745	32,745
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	14,000	14,000	-	-	-	-	14,000	14,000	-	16,000	16,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	86,924	86,924	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	7,90,047	7,90,047	-	2,79,779	2,79,779	-	2,79,779	2,79,779	-	3,64,660	3,64,660
1. सिविल जमा	-	1,93,660	1,93,660	-	1,07,200	1,07,200	-	1,07,200	1,07,200	-	1,93,660	1,93,660
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	1,35,272	1,35,272	-	1,71,579	1,71,579	-	1,71,579	1,71,579	-	1,70,000	1,70,000
3. सिविल अग्रिम	-	7,356	7,356	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000
4. अन्य	-	4,53,759	4,53,759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	1,34,48,312	1,34,48,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचित	-	21,959	21,959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	1,33,83,091	1,33,83,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	43,262	43,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	7,31,236	7,31,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			4,46,911			6,12,240			17,337			6,55,670
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-330,112			-568,234			-580,735			-621,191
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			1,16,799			44,007			-563,398			34,480
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			1,16,799			44,007			-563,398			34,480
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			1,66,015			44,007			-563,398			34,480
क) अथ शेष			-240,021			5,000			3,23,884			5,000
ख) इति शेष			-74,006			49,007			-239,514			39,480
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-49,216			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	3,41,944	57,58,407	61,00,351	4,10,538	38,24,095	42,34,633	3,92,683	55,42,919	59,35,601	5,00,410	55,78,385	60,78,794
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	3,41,944	50,083	3,92,027	4,10,538	62,393	4,72,931	3,92,683	70,354	4,63,037	5,00,410	73,698	5,74,107
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	2,93,869	146	2,94,016	3,56,801	122	3,56,923	2,98,245	33	2,98,278	4,06,629	141	4,06,769
1. विकास (क + ख)	2,83,763	42	2,83,805	3,46,794	12	3,46,806	2,90,295	12	2,90,307	3,96,901	1	3,96,902
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	70,783	42	70,826	1,01,357	12	1,01,369	94,281	12	94,293	1,28,528	1	1,28,529
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	22,872	—	22,872	21,538	—	21,538	23,686	—	23,686	40,863	—	40,863
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,394	—	11,394	16,935	—	16,935	12,435	—	12,435	19,957	—	19,957
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,706	—	2,706	1,935	—	1,935	2,099	—	2,099	1,895	—	1,895
5. आवास	4,135	—	4,135	5,762	—	5,762	3,392	—	3,392	4,271	—	4,271
6. शहरी विकास	7,851	—	7,851	33,100	—	33,100	32,551	—	32,551	38,657	—	38,657
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18,596	—	18,596	19,769	—	19,769	18,629	—	18,629	18,667	—	18,667
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,327	40	2,367	423	10	433	473	10	483	2,441	—	2,441
9. अन्य *	902	2	904	1,895	2	1,897	1,017	2	1,019	1,776	1	1,777
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,12,980	—	2,12,980	2,45,437	—	2,45,437	1,96,014	—	1,96,014	2,68,374	—	2,68,374
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	7,674	—	7,674	7,825	—	7,825	8,042	—	8,042	6,516	—	6,516
i) फसल उत्पादन	43	—	43	20	—	20	20	—	20	50	—	50
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,462	—	2,462	2,645	—	2,645	2,645	—	2,645	1,820	—	1,820
iii) पशुपालन	17	—	17	47	—	47	47	—	47	47	—	47
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	97	—	97	—	—	—	—	—	—	50	—	50
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,585	—	2,585	4,400	—	4,400	4,617	—	4,617	3,390	—	3,390
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	7	—	7	12	—	12	12	—	12	17	—	17
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	2,463	—	2,463	701	—	701	701	—	701	1,142	—	1,142
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	16,067	—	16,067	14,810	—	14,810	14,800	—	14,800	7,488	—	7,488
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	86,280	—	86,280	97,622	—	97,622	98,037	—	98,037	1,56,924	—	1,56,924
5. ऊर्जा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,526	—	1,526	8,915	—	8,915	5,477	—	5,477	5,028	—	5,028
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,526	—	1,526	8,915	—	8,915	5,477	—	5,477	5,028	—	5,028
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	1,00,839	—	1,00,839	1,14,265	—	1,14,265	67,658	—	67,658	91,118	—	91,118
i) सड़क और पुल	1,00,838	—	1,00,838	1,08,659	—	1,08,659	67,558	—	67,558	90,368	—	90,368
ii) अन्य **	1	—	1	5,606	—	5,606	100	—	100	750	—	750
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i + ii)	593	—	593	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000	1,300	—	1,300
i) पर्यटन	593	—	593	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000	1,300	—	1,300
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएँ)	10,106	104	10,210	10,007	110	10,117	7,950	21	7,971	9,727	140	9,867
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	37,880	37,880	—	67,701	67,701	—	67,520	67,520	—	77,244	77,244
1. बाजार ऋण	—	15,344	15,344	—	20,100	20,100	—	28,086	28,086	—	23,538	23,538
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	917	917	—	917	917	—	1,320	1,320
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	9,865	9,865	—	11,798	11,798	—	11,798	11,798	—	13,112	13,112
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	810	810	—	810	810	—	813	813	—	728	728
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	18,000	18,000	—	9,886	9,886	—	18,000	18,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	—	7,028	7,028	—	10,611	10,611	—	10,611	10,611	—	15,089	15,089
8. अन्य	—	4,833	4,833	—	5,465	5,465	—	5,409	5,409	—	5,457	5,457
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	4,833	4,833	—	4,832	4,832	—	4,832	4,832	—	4,832	4,832
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	11,057	11,057	—	11,227	11,227	—	11,352	11,352	—	12,978	12,978
1. राज्य योजना स्कीम	—	10,851	10,851	—	11,001	11,001	—	11,126	11,126	—	12,780	12,780
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	107	107	—	127	127	—	127	127	—	123	123
4. योजनेतर (i से ii)	—	99	99	—	99	99	—	99	99	—	76	76
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	99	99	—	99	99	—	99	99	—	76	76
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	48,075	1,000	49,075	53,737	1,343	55,080	94,437	1,335	95,772	93,781	1,335	95,116
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	48,075	1,000	49,075	53,737	1,322	55,059	94,437	1,315	95,752	93,781	1,315	95,096
क) सामाजिक सेवाएँ (1 से 7)	4,528	1,000	5,528	11,557	1,020	12,577	7,800	1,015	8,815	6,550	1,015	7,565
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,126	—	3,126	1,550	—	1,550	2,550	—	2,550	2,300	—	2,300
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	15	15	—	15	15	—	15	15
7. अन्य	1,402	1,000	2,402	10,007	1,005	11,012	5,250	1,000	6,250	4,250	1,000	5,250
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	43,547	—	43,547	42,180	302	42,482	86,637	300	86,937	87,231	300	87,531
1. फसल उत्पादन	3,000	—	3,000	3,000	302	3,302	3,000	300	3,300	3,000	300	3,300
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	34,635	—	34,635	35,500	—	35,500	80,402	—	80,402	80,415	—	80,415
4. सहकारिता	5,691	—	5,691	3,645	—	3,645	3,200	—	3,200	3,380	—	3,380
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	26	-	26	35	-	35	35	-	35	35	-	35
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	195	-	195	-	-	-	-	-	-	401	-	401
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	21	21	-	20	20	-	20	20
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	-	-	-	21	21	-	20	20	-	20	20
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	147	147	-	1	1	-	1	1	-	1	1
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	4,000	4,000	-	2,850	2,850	-	4,000	4,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	41,345	41,345	-	45,575	45,575	-	46,900	46,900	-	51,900	51,900
1. राज्य भविष्य निधि	-	37,283	37,283	-	39,575	39,575	-	40,900	40,900	-	45,900	45,900
2. अन्य	-	4,062	4,062	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	20,601	20,601	-	51,705	51,705	-	38,971	38,971	-	37,017	37,017
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
2. ऋणशोधन निधियां	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	29	29	-	29	29	-	29	29
4. अन्य	-	10,601	10,601	-	41,675	41,675	-	28,941	28,941	-	26,987	26,987
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,91,877	1,91,877	-	2,17,212	2,17,212	-	2,05,747	2,05,747	-	2,25,560	2,25,560
1. सिविल जमा	-	1,54,535	1,54,535	-	1,64,605	1,64,605	-	1,43,804	1,43,804	-	1,59,716	1,59,716
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	7	7	-	7	7	-	7	7
3. सिविल अग्रिम	-	36,469	36,469	-	31,000	31,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000
4. अन्य	-	872	872	-	21,600	21,600	-	21,936	21,936	-	25,837	25,837
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	49,46,230	49,46,230	-	32,21,707	32,21,707	-	49,39,707	49,39,707	-	49,39,707	49,39,707
1. उचित	-	1,337	1,337	-	2,706	2,706	-	2,706	2,706	-	2,706	2,706
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	30,61,901	30,61,901	-	20,00,000	20,00,000	-	30,00,000	30,00,000	-	30,00,000	30,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	6,70,538	6,70,538	-	6,00,000	6,00,000	-	7,00,000	7,00,000	-	7,00,000	7,00,000
4. अन्य	-	12,12,455	12,12,455	-	6,19,001	6,19,001	-	12,37,001	12,37,001	-	12,37,001	12,37,001
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	5,08,124	5,08,124	-	2,03,502	2,03,502	-	2,28,502	2,28,502	-	2,28,502	2,28,502
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,86,906			80,616			-15,828			85,978
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-264,474			-109,283			-5,658			-140,897
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-77,568			-28,667			-21,485			-54,919
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-77,568			-28,667			-21,485			-54,919
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			34,618			-28,667			-13,371			-54,919
क) अथ शेष			-69,436			-89,856			-34,868			-48,237
ख) इति शेष			-34,818			-118,523			-48,239			-103,156
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-112,186			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-8,114			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	90,281	14,06,061	14,96,342	1,02,232	2,26,011	3,28,243	1,20,702	16,69,516	17,90,217	1,42,730	18,67,108	20,09,838
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	90,281	18,921	1,09,202	1,02,232	21,139	1,23,371	1,20,702	21,472	1,42,174	1,42,730	22,439	1,65,169
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	89,707	-	89,707	1,01,711	-	1,01,711	1,20,166	-	1,20,166	1,42,180	-	1,42,180
1. विकास (क + ख)	74,648	-	74,648	84,420	-	84,420	99,474	-	99,474	1,05,704	-	1,05,704
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	18,822	-	18,822	26,200	-	26,200	29,113	-	29,113	31,061	-	31,061
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,291	-	5,291	9,876	-	9,876	10,717	-	10,717	9,971	-	9,971
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,038	-	2,038	1,836	-	1,836	2,484	-	2,484	2,429	-	2,429
3. परिवार कल्याण	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	10,948	-	10,948	13,807	-	13,807	14,654	-	14,654	17,366	-	17,366
5. आवास	4	-	4	30	-	30	30	-	30	30	-	30
6. शहरी विकास	312	-	312	380	-	380	393	-	393	370	-	370
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	110	-	110	120	-	120	620	-	620	605	-	605
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	87	-	87	150	-	150	209	-	209	289	-	289
9. अन्य *	-	-	-	1	-	1	6	-	6	1	-	1
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	55,826	-	55,826	58,220	-	58,220	70,361	-	70,361	74,643	-	74,643
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,021	-	1,021	1,453	-	1,453	1,711	-	1,711	1,308	-	1,308
i) फसल उत्पादन	52	-	52	120	-	120	120	-	120	560	-	560
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	43	-	43	100	-	100	260	-	260	900	-	900
iii) पशुपालन	143	-	143	236	-	236	236	-	236	65	-	65
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	132	-	132	150	-	150	150	-	150	306	-	306
vi) वानिकी और वन्य जीवन	176	-	176	300	-	300	398	-	398	290	-	290
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-95	-	-95	-	-	-	-	-	-	-1,321	-	-1,321
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	2	-	2	2	-	2	5	-	5
x) सहकारिता	569	-	569	544	-	544	544	-	544	502	-	502
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	202	-	202	350	-	350	350	-	350	355	-	355
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	249	-	249	259	-	259	259	-	259	370	-	370
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	249	-	249	259	-	259	259	-	259	370	-	370
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	18,274	-	18,274	19,180	-	19,180	19,182	-	19,182	21,885	-	21,885
5. ऊर्जा	16,735	-	16,735	13,532	-	13,532	17,532	-	17,532	15,520	-	15,520
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,500	-	1,500	1,733	-	1,733	2,740	-	2,740	281	-	281
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	231	-	231	1,231	-	1,231	280	-	280
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	2	-	2	9	-	9	1	-	1
iv) अन्य #	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	16,474	-	16,474	20,431	-	20,431	25,715	-	25,715	29,980	-	29,980
i) सड़क और पुल	15,666	-	15,666	19,092	-	19,092	22,490	-	22,490	22,150	-	22,150
ii) अन्य **	807	-	807	1,339	-	1,339	3,225	-	3,225	7,830	-	7,830
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,371	-	1,371	1,283	-	1,283	2,873	-	2,873	4,944	-	4,944
i) पर्यटन	1,371	-	1,371	1,283	-	1,283	2,873	-	2,873	4,944	-	4,944
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	15,059	-	15,059	17,292	-	17,292	20,692	-	20,692	36,476	-	36,476
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	14,314	14,314	-	25,652	25,652	-	25,653	25,653	-	28,589	28,589
1. बाजार ऋण	-	9,624	9,624	-	8,231	8,231	-	8,231	8,231	-	8,894	8,894
2. एलआईसी से ऋण	-	199	199	-	199	199	-	199	199	-	199	199
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	583	583	-	352	352	-	352	352	-	350	350
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	22	22	-	25	25	-	25	25	-	35	35
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	2,497	2,497	-	4,939	4,939	-	4,939	4,939	-	7,204	7,204
8. अन्य	-	1,389	1,389	-	1,907	1,907	-	1,907	1,907	-	1,907	1,907
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	2,315	2,315	-	2,324	2,324	-	2,324	2,324	-	2,347	2,347
1. राज्य योजना स्कीम	-	2,227	2,227	-	2,235	2,235	-	2,235	2,235	-	2,260	2,260
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	36	36	-	38	38	-	38	38	-	36	36
4. योजनेतर (i से ii)	-	51	51	-	50	50	-	50	50	-	51	51
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	51	51	-	50	50	-	50	50	-	51	51
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	574	2,292	2,866	521	3,163	3,684	536	3,496	4,032	549	1,503	2,052
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	574	69	643	521	100	621	536	433	969	549	150	699
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	450	69	519	309	100	409	309	433	742	297	150	447
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	450	-	450	300	-	300	300	-	300	270	-	270
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	24	24	-	100	100	-	400	400	-	150	150
7. अन्य	-	45	45	9	-	9	9	33	42	7	-	7
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	124	-	124	212	-	212	227	-	227	252	-	252
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	124	-	124	162	-	162	177	-	177	184	-	184
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	50	-	50	50	-	50	50	-	50
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	2,223	2,223	-	3,063	3,063	-	3,063	3,063	-	1,353	1,353
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	2,223	2,223	-	3,063	3,063	-	3,063	3,063	-	1,353	1,353
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	7,653	7,653	-	9,210	9,210	-	29,134	29,134	-	30,390	30,390
1. राज्य भविष्य निधि	-	7,594	7,594	-	9,000	9,000	-	28,733	28,733	-	29,781	29,781
2. अन्य	-	60	60	-	210	210	-	401	401	-	610	610
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	8,445	8,445	-	3,301	3,301	-	11,712	11,712	-	13,877	13,877
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	5,467	5,467	-	2,000	2,000	-	6,287	6,287	-	7,042	7,042
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,978	2,978	-	1,301	1,301	-	5,424	5,424	-	6,835	6,835
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	9,559	9,559	-	6,911	6,911	-	21,492	21,492	-	25,811	25,811
1. सिविल जमा	-	8,762	8,762	-	3,190	3,190	-	17,077	17,077	-	20,286	20,286
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	792	792	-	220	220	-	911	911	-	1,021	1,021
4. अन्य	-	4	4	-	3,501	3,501	-	3,504	3,504	-	4,504	4,504
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	11,11,315	11,11,315	-	1,20,450	1,20,450	-	13,07,562	13,07,562	-	14,64,270	14,64,270
1. उचित	-	9,959	9,959	-	5,000	5,000	-	31,003	31,003	-	34,724	34,724
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	8,96,352	8,96,352	-	60,000	60,000	-	10,40,805	10,40,805	-	11,65,502	11,65,502
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,05,003	2,05,003	-	55,450	55,450	-	2,35,754	2,35,754	-	2,64,044	2,64,044
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	2,33,168	2,33,168	-	55,000	55,000	-	2,68,144	2,68,144	-	3,00,321	3,00,321
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			10,285			-34,840			-27,391			56
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-11,920			-22,815			-44,280			-76,625
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-1,635			-57,655			-71,671			-76,569
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-1,635			-57,655			-71,671			-76,569
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			10,305			-57,655			-67,940			-81,690
क) अथ शेष			-9,986			-62,216			319			-67,622
ख) इति शेष			319			-1,19,871			-67,622			-1,49,312
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-11,940			-			-3,731			-4,379
iii. आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			9,500

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
गुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	10,37,386	1,61,24,006	1,71,61,392	8,17,326	56,90,890	65,08,216	8,15,491	56,91,574	65,07,065	10,50,298	59,97,428	70,47,726
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	10,37,386	2,78,211	13,15,597	8,17,326	3,51,504	11,68,830	8,15,491	3,56,923	11,72,414	10,50,298	4,20,089	14,70,387
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	10,08,979	12,998	10,21,976	7,81,108	19,450	8,00,558	7,82,425	26,623	8,09,048	9,98,746	29,065	10,27,810
1. विकास (क + ख)	10,01,077	12,880	10,13,957	7,57,043	15,896	7,72,939	7,62,302	26,065	7,88,367	9,62,785	25,253	9,88,039
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,98,014	3,682	2,01,696	2,07,635	6,503	2,14,138	2,00,525	4,535	2,05,060	3,13,052	15,061	3,28,113
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	24,011	883	24,893	46,238	1,489	47,727	36,303	1,263	37,566	66,213	1,044	67,256
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,259	—	17,259	28,259	—	28,259	29,226	—	29,226	67,529	—	67,529
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	250
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,10,127	—	1,10,127	72,800	—	72,800	72,800	—	72,800	1,10,625	—	1,10,625
5. आवास	9,581	2,503	12,085	10,335	3,171	13,506	14,230	1,839	16,069	10,146	12,289	22,434
6. शहरी विकास	4,705	—	4,705	9,195	-5	9,190	9,095	—	9,095	9,695	-5	9,690
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,462	168	3,630	6,071	1,189	7,260	3,857	587	4,444	7,739	849	8,589
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	361	—	361	1,079	1	1,080	672	—	672	748	—	748
9. अन्य *	28,509	128	28,637	33,656	659	34,315	34,343	845	35,189	40,107	885	40,992
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	8,03,063	9,198	8,12,261	5,49,408	9,394	5,58,802	5,61,777	21,531	5,83,307	6,49,734	10,192	6,59,926
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	25,366	867	26,233	31,280	590	31,870	28,941	695	29,635	35,902	772	36,674
i) फसल उत्पादन	168	—	168	1,931	—	1,931	216	—	216	725	—	725
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	125	—	125	139	—	139	179	—	179	125	—	125
iii) पशुपालन	2	—	2	499	—	499	51	—	51	869	—	869
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	-2	—	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	25,267	847	26,114	28,269	570	28,839	28,269	674	28,943	33,352	750	34,102
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	20	20	401	20	421	184	21	205	770	22	792
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	-193	—	-193	42	—	42	41	—	41	61	—	61
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	14	—	14	5	—	5	5	—	5	300	—	300
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,51,986	—	6,51,986	3,77,154	—	3,77,154	3,70,344	—	3,70,344	3,78,751	—	3,78,751
5. ऊर्जा	39,270	—	39,270	39,197	—	39,197	44,197	—	44,197	47,226	—	47,226
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	162	—	162	725	—	725	5,621	—	5,621	30,477	—	30,477
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	161	—	161	135	—	135	182	—	182	125	—	125
ii) लोह और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	589	—	589	439	—	439	350	—	350
iv) अन्य #	1	—	1	1	—	1	5,000	—	5,000	30,002	—	30,002
7. परिवहन (i + ii)	84,855	8,331	93,186	98,096	8,785	1,06,881	1,11,819	20,827	1,32,646	1,53,429	9,408	1,62,837
i) सड़क और पुल	82,957	8,306	91,263	93,746	8,285	1,02,031	1,10,319	16,632	1,26,951	1,37,706	8,908	1,46,614
ii) अन्य **	1,898	25	1,923	4,350	500	4,850	1,500	4,195	5,695	15,723	500	16,223
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
गुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	400	—	400	450	—	450	450	—	450	1,150	—	1,150
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,010	—	1,010	2,500	19	2,519	400	9	409	2,500	12	2,512
i) पर्यटन	10	—	10	2,500	—	2,500	400	—	400	2,500	—	2,500
ii) अन्य @@	1,000	—	1,000	—	19	19	—	9	9	—	12	12
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	7,902	117	8,019	24,065	3,554	27,618	20,122	558	20,681	35,960	3,811	39,772
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	2,04,587	2,04,587	—	2,68,291	2,68,291	—	2,68,193	2,68,193	—	3,21,033	3,21,033
1. बाजार ऋण	—	91,642	91,642	—	1,09,299	1,09,299	—	1,09,299	1,09,299	—	1,05,694	1,05,694
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247
4. नाबार्ड से ऋण	—	159	159	—	159	159	—	61	61	—	54	54
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	216	216	—	152	152	—	152	152	—	152	152
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	100	100	—	100	100	—	100	100
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	74,490	74,490	—	1,06,876	1,06,876	—	1,06,876	1,06,876	—	1,50,815	1,50,815
8. अन्य	—	35,833	35,833	—	49,458	49,458	—	49,458	49,458	—	61,971	61,971
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	55,905	55,905	—	56,376	56,376	—	56,340	56,340	—	62,724	62,724
1. राज्य योजना स्कीमें	—	54,557	54,557	—	55,064	55,064	—	55,013	55,013	—	61,366	61,366
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	436	436	—	436	436	—	436	436	—	436	436
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	499	499	—	463	463	—	476	476	—	514	514
4. योजनेतर (i से ii)	—	413	413	—	413	413	—	414	414	—	407	407
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	413	413	—	413	413	—	414	414	—	407	407
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	28,407	6,968	35,375	36,218	9,734	45,952	33,067	8,113	41,180	51,552	9,614	61,167
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	28,407	3,225	31,632	36,218	4,401	40,619	33,067	3,485	36,551	51,552	4,720	56,272
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	2,304	3,225	5,529	5,542	4,401	9,943	2,392	3,485	5,876	5,447	4,720	10,167
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	3,225	3,225	—	4,401	4,401	—	3,485	3,485	—	4,720	4,720
7. अन्य	2,304	—	2,304	5,542	—	5,542	2,392	—	2,392	5,447	—	5,447
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	26,103	—	26,103	30,676	—	30,676	30,675	—	30,675	46,105	—	46,105
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	17	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	318	—	318	1	—	1	—	—	—	1	—	1
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	6,975	—	6,975	6,975	—	6,975	11,000	—	11,000

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
गुजरात

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	20	—	20	—	—	—	—	—	—	3	—	3
8. अन्य उद्योग और खनिज	11,000	—	11,000	2,350	—	2,350	2,350	—	2,350	5,501	—	5,501
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	14,748	—	14,748	21,350	—	21,350	21,350	—	21,350	29,600	—	29,600
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	—	3,743	3,743	—	5,333	5,333	—	4,629	4,629	—	4,894	4,894
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	—	244	244	—	503	503	—	162	162	—	214	214
ख) विविध	—	3,499	3,499	—	4,830	4,830	—	4,466	4,466	—	4,680	4,680
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
VI. आकस्मिकता कोष	—	3,397	3,397	—	11,582	11,582	—	6,847	6,847	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	81,209	81,209	—	1,22,153	1,22,153	—	1,22,153	1,22,153	—	1,84,245	1,84,245
1. राज्य भविष्य निधि	—	74,872	74,872	—	1,08,458	1,08,458	—	1,08,458	1,08,458	—	1,70,000	1,70,000
2. अन्य	—	6,337	6,337	—	13,695	13,695	—	13,695	13,695	—	14,245	14,245
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	46,002	46,002	—	83,600	83,600	—	83,600	83,600	—	81,300	81,300
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	17	17	—	55	55	—	55	55	—	55	55
2. ऋणशोधन निधियां	—	20,002	20,002	—	50,000	50,000	—	50,000	50,000	—	50,000	50,000
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	25,983	25,983	—	33,545	33,545	—	33,545	33,545	—	31,245	31,245
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	13,28,400	13,28,400	—	11,62,267	11,62,267	—	11,62,267	11,62,267	—	11,76,810	11,76,810
1. सिविल जमा	—	2,67,265	2,67,265	—	3,15,410	3,15,410	—	3,15,410	3,15,410	—	3,15,410	3,15,410
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	10,09,886	10,09,886	—	7,50,000	7,50,000	—	7,50,000	7,50,000	—	7,50,000	7,50,000
3. सिविल अग्रिम	—	25,382	25,382	—	20,400	20,400	—	20,400	20,400	—	25,400	25,400
4. अन्य	—	25,867	25,867	—	76,457	76,457	—	76,457	76,457	—	86,000	86,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	1,33,57,981	1,33,57,981	—	32,33,072	32,33,072	—	32,33,072	32,33,072	—	34,08,272	34,08,272
1. उचित	—	-3,816	-3,816	—	220	220	—	220	220	—	220	220
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	1,10,90,954	1,10,90,954	—	1,00,000	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	18,00,000	18,00,000	—	18,00,000	18,00,000	—	18,00,000	18,00,000
4. अन्य	—	22,70,843	22,70,843	—	13,32,852	13,32,852	—	13,32,852	13,32,852	—	15,08,052	15,08,052
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	10,26,559	10,26,559	—	7,24,364	7,24,364	—	7,24,364	7,24,364	—	7,24,364	7,24,364
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-6,575			-3,91,319			-4,35,650			-4,50,202
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-55,462			3,96,095			4,49,419			3,94,458
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-62,037			4,776			13,769			-55,744
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-62,037			4,776			13,769			-55,744
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			14,293			4,776			13,669			-55,844
क) अथ शेष			-4,413			-2,62,799			9,880			23,549
ख) इति शेष			9,880			-2,58,023			23,549			-32,295
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-76,330			—			—			—
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			100			100

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
हरियाणा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	4,01,029	58,58,857	62,59,886	5,50,950	56,26,025	61,76,975	4,88,386	67,18,691	72,07,077	5,07,899	72,49,834	77,57,733
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	4,01,029	1,82,315	5,83,344	5,50,950	1,11,414	6,62,364	4,88,386	1,22,645	6,11,031	5,07,899	1,39,321	6,47,219
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	3,98,985	51,181	4,50,166	4,36,127	-38,859	3,97,268	4,18,728	-21,754	3,96,974	3,68,663	-17,082	3,51,581
1. विकास (क + ख)	3,79,504	51,181	4,30,685	4,24,579	-38,859	3,85,720	3,99,202	-21,754	3,77,448	3,48,694	-17,082	3,31,612
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,10,928	-	1,10,928	1,07,412	-	1,07,412	1,04,844	-	1,04,844	82,054	-	82,054
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,054	-	9,054	8,915	-	8,915	11,600	-	11,600	7,018	-	7,018
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,414	-	4,414	4,028	-	4,028	6,735	-	6,735	819	-	819
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	82,693	-	82,693	82,450	-	82,450	72,036	-	72,036	64,950	-	64,950
5. आवास	2,884	-	2,884	925	-	925	2,025	-	2,025	837	-	837
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	240	-	240	280	-	280	280	-	280	266	-	266
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,532	-	1,532	1,611	-	1,611	2,002	-	2,002	1,526	-	1,526
9. अन्य *	10,111	-	10,111	9,203	-	9,203	10,167	-	10,167	6,639	-	6,639
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,68,577	51,181	3,19,758	3,17,167	-38,859	2,78,308	2,94,357	-21,754	2,72,604	2,66,640	-17,082	2,49,558
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	3,788	51,146	54,934	1,865	-38,920	-37,055	1,940	-21,815	-19,875	1,287	-17,122	-15,835
i) फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	247	-	247	30	-	30	30	-	30	30	-	30
vi) वानिकी और वन्य जीवन	137	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	51,146	51,146	-	-38,920	-38,920	-	-21,815	-21,815	-	-17,122	-17,122
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	3,404	-	3,404	1,835	-	1,835	1,910	-	1,910	1,257	-	1,257
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	81,139	-	81,139	60,300	-	60,300	60,280	-	60,280	47,640	-	47,640
5. ऊर्जा	85,570	-	85,570	89,200	-	89,200	89,882	-	89,882	1,05,477	-	1,05,477
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	8,323	-	8,323	202	-	202	186	-	186	206	-	206
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	76	-	76	41	-	41	25	-	25	140	-	140
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	8,247	-	8,247	161	-	161	161	-	161	66	-	66
7. परिवहन (i + ii)	87,846	35	87,881	1,64,325	61	1,64,386	1,39,474	61	1,39,535	1,10,200	40	1,10,240
i) सड़क और पुल	73,114	-	73,114	1,54,000	-	1,54,000	1,30,124	-	1,30,124	1,01,127	-	1,01,127
ii) अन्य **	14,732	35	14,767	10,325	61	10,386	9,350	61	9,411	9,073	40	9,113
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,910	-	1,910	1,275	-	1,275	2,595	-	2,595	1,830	-	1,830
i) पर्यटन	1,910	-	1,910	1,275	-	1,275	2,595	-	2,595	1,830	-	1,830
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	19,481	-	19,481	11,548	-	11,548	19,526	-	19,526	19,969	-	19,969
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	1,17,838	1,17,838	-	3,57,191	3,57,191	-	4,66,355	4,66,355	-	5,83,960	5,83,960
1. बाजार ऋण	-	29,046	29,046	-	31,632	31,632	-	31,632	31,632	-	29,235	29,235
2. एलआईसी से ऋण	-	311	311	-	308	308	-	308	308	-	304	304
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	20,000	20,000	-	1,51,800	1,51,800	-	2,60,000	2,60,000	-	2,60,000	2,60,000
4. नाबार्ड से ऋण	-	12,888	12,888	-	7,349	7,349	-	13,251	13,251	-	16,483	16,483
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	864	864	-	1,081	1,081	-	965	965	-	1,376	1,376
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	9,236	9,236	-	1,00,000	1,00,000	-	1,00,000	1,00,000	-	2,00,000	2,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	18,628	18,628	-	27,167	27,167	-	27,167	27,167	-	37,811	37,811
8. अन्य	-	26,865	26,865	-	37,854	37,854	-	33,032	33,032	-	38,752	38,752
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	20,223	20,223	-	20,223	20,223	-	20,223	20,223	-	20,223	20,223
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	11,346	11,346	-	11,379	11,379	-	11,481	11,481	-	11,440	11,440
1. राज्य योजना स्कीमें	-	10,589	10,589	-	10,589	10,589	-	10,749	10,749	-	10,749	10,749
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	191	191	-	191	191	-	191	191	-	191	191
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	177	177	-	194	194	-	184	184	-	193	193
4. योजनेतर (i से ii)	-	389	389	-	405	405	-	356	356	-	306	306
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	389	389	-	405	405	-	356	356	-	306	306
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	2,044	31,187	33,231	1,14,823	33,503	1,48,326	69,658	26,563	96,221	1,39,236	21,003	1,60,239
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	2,044	19,857	21,902	1,14,823	18,500	1,33,323	69,658	13,025	82,683	1,39,236	8,600	1,47,836
क) सामाजिक सेवाएँ (1 से 7)	600	7,057	7,657	55,620	10,500	66,120	42,381	10,025	52,406	64,433	8,600	73,033
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	600	7,057	7,657	620	10,500	11,120	620	10,025	10,645	554	8,600	9,154
7. अन्य	-	-	-	55,000	-	55,000	41,761	-	41,761	63,879	-	63,879
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	1,444	12,800	14,244	59,203	8,000	67,203	27,277	3,000	30,277	74,803	-	74,803
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	264	-	264	340	-	340	270	-	270	114	-	114
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएँ	-	-	-	50,000	-	50,000	14,850	-	14,850	60,790	-	60,790

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
हरियाणा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	1,053	—	1,053	1,000	—	1,000	2,794	—	2,794	1,000	—	1,000
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	127	—	127	7,863	—	7,863	1,363	—	1,363	7,899	—	7,899
10. अन्य	—	12,800	12,800	—	8,000	8,000	8,000	3,000	11,000	5,000	—	5,000
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	—	11,329	11,329	—	15,003	15,003	—	13,538	13,538	—	12,403	12,403
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	—	11,329	11,329	—	15,003	15,003	—	13,538	13,538	—	12,403	12,403
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	1,04,889	1,04,889	—	1,09,343	1,09,343	—	85,507	85,507	—	94,023	94,023
1. राज्य भविष्य निधि	—	1,02,963	1,02,963	—	1,08,951	1,08,951	—	85,115	85,115	—	93,627	93,627
2. अन्य	—	1,926	1,926	—	392	392	—	392	392	—	396	396
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	36,670	36,670	—	28,193	28,193	—	35,929	35,929	—	32,176	32,176
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	6,200	6,200	—	5,601	5,601	—	6,324	6,324	—	6,450	6,450
2. ऋणशोधन निधियां	—	6,012	6,012	—	7,453	7,453	—	7,248	7,248	—	10,568	10,568
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	24,458	24,458	—	15,139	15,139	—	22,357	22,357	—	15,158	15,158
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	5,04,433	5,04,433	—	2,22,555	2,22,555	—	5,88,185	5,88,185	—	6,32,651	6,32,651
1. सिविल जमा	—	2,00,644	2,00,644	—	2,00,767	2,00,767	—	2,26,242	2,26,242	—	2,24,060	2,24,060
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	7,605	7,605	—	8,028	8,028	—	7,757	7,757	—	7,912	7,912
3. सिविल अग्रिम	—	9,603	9,603	—	9,055	9,055	—	6,186	6,186	—	6,279	6,279
4. अन्य	—	2,86,582	2,86,582	—	4,705	4,705	—	3,48,000	3,48,000	—	3,94,400	3,94,400
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	45,07,822	45,07,822	—	44,62,604	44,62,604	—	50,30,437	50,30,437	—	53,62,464	53,62,464
1. उचित	—	24,996	24,996	—	2,91,060	2,91,060	—	63,149	63,149	—	30,245	30,245
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	44,67,659	44,67,659	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	41,56,285	41,56,285	—	49,51,375	49,51,375	—	53,15,520	53,15,520
4. अन्य	—	15,167	15,167	—	15,259	15,259	—	15,912	15,912	—	16,699	16,699
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	4,93,492	4,93,492	—	4,40,117	4,40,117	—	4,95,989	4,95,989	—	5,29,200	5,29,200
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-2,08,242			-3,38,406			-3,66,225			-3,94,181
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-1,30,802			75,236			2,09,634			2,08,903
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-3,39,044			-2,63,170			-1,56,591			-1,85,278
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-3,39,044			-2,63,170			-1,56,591			-1,85,278
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			12,236			-13,332			-3,165			11,177
क) अथ शेष			-72,522			-51,746			-60,285			-63,450
ख) इति शेष			-60,286			-65,078			-63,450			-52,273
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-3,51,280			-99,838			-1,53,426			-1,96,455
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			-1,50,000			—			—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	2,00,567	38,25,556	40,26,122	1,81,260	3,02,760	4,84,020	2,11,426	2,95,299	5,06,725	1,92,774	3,04,441	4,97,215
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	2,00,567	1,04,855	3,05,422	1,81,260	1,04,094	2,85,354	2,11,426	96,633	3,08,060	1,92,774	1,05,775	2,98,549
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,99,193	8,714	2,07,907	1,80,374	5,902	1,86,276	2,06,561	4,340	2,10,901	1,72,976	3,052	1,76,028
1. विकास (क + ख)	1,92,765	8,714	2,01,479	1,74,277	5,902	1,80,179	2,00,166	4,335	2,04,502	1,65,975	3,052	1,69,027
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	79,103	4,199	83,302	56,452	2,850	59,302	68,388	-	68,388	58,377	-	58,377
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	30,120	-	30,120	23,422	-	23,422	25,334	-	25,334	22,739	-	22,739
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,972	-	7,972	8,302	-	8,302	7,293	-	7,293	6,456	-	6,456
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	35,107	-	35,107	20,467	-	20,467	31,527	-	31,527	24,829	-	24,829
5. आवास	1,196	4,189	5,384	1,226	2,850	4,076	1,236	-	1,236	1,103	-	1,103
6. शहरी विकास	2,258	10	2,268	1,200	-	1,200	1,263	-	1,263	1,338	-	1,338
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	909	-	909	1,095	-	1,095	995	-	995	1,224	-	1,224
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,520	-	1,520	720	-	720	720	-	720	635	-	635
9. अन्य *	20	-	20	20	-	20	20	-	20	53	-	53
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,13,662	4,515	1,18,177	1,17,825	3,052	1,20,877	1,31,778	4,335	1,36,113	1,07,599	3,052	1,10,651
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	6,112	-2,237	3,875	5,761	-	5,761	7,519	-	7,519	6,713	-	6,713
i) फसल उत्पादन	2,279	-2,209	69	303	-	303	583	-	583	417	-	417
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,866	-	1,866	3,381	-	3,381	4,866	-	4,866	4,710	-	4,710
iii) पशुपालन	692	-	692	869	-	869	861	-	861	637	-	637
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	95	-	95	135	-	135	289	-	289	126	-	126
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,001	-	1,001	1,007	-	1,007	867	-	867	757	-	757
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	58	-28	30	36	-	36	28	-	28	35	-	35
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	121	-	121	30	-	30	25	-	25	30	-	30
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	67	-	67	10	-	10	10	-	10	5	-	5
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	23,040	-	23,040	26,718	-	26,718	29,134	-	29,134	30,662	-	30,662
5. ऊर्जा	29,925	-	29,925	35,000	-	35,000	31,011	-	31,011	15,975	-	15,975
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,408	-	1,408	1,606	-	1,606	1,563	-	1,563	2,059	-	2,059
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,408	-	1,408	1,606	-	1,606	1,563	-	1,563	2,059	-	2,059
ii) लोह और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	44,948	6,752	51,700	40,081	3,052	43,133	53,892	4,335	58,227	43,748	3,052	46,800
i) सड़क और पुल	41,612	5,200	46,812	33,260	1,520	34,780	46,704	2,723	49,427	37,865	1,520	39,385
ii) अन्य **	3,336	1,552	4,889	6,821	1,532	8,353	7,188	1,612	8,800	5,883	1,532	7,415
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	8,162	—	8,162	8,649	—	8,649	8,649	—	8,649	8,437	—	8,437
i) पर्यटन	232	—	232	197	—	197	197	—	197	195	—	195
ii) अन्य @@	7,930	—	7,930	8,452	—	8,452	8,452	—	8,452	8,242	—	8,242
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	6,428	—	6,428	6,097	—	6,097	6,395	5	6,400	7,001	—	7,001
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	82,966	82,966	—	92,402	92,402	—	86,387	86,387	—	96,523	96,523
1. बाजार ऋण	—	15,961	15,961	—	24,294	24,294	—	24,294	24,294	—	25,565	25,565
2. एलआईसी से ऋण	—	4,842	4,842	—	4,841	4,841	—	4,841	4,841	—	4,857	4,857
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	7,221	7,221	—	9,762	9,762	—	9,762	9,762	—	13,280	13,280
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	587	587	—	565	565	—	565	565	—	423	423
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	4,246	4,246	—	7,132	7,132	—	7,132	7,132	—	11,075	11,075
8. अन्य	—	50,109	50,109	—	45,807	45,807	—	39,792	39,792	—	41,323	41,323
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	702	702	—	702	702	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	5,589	5,589	—	5,671	5,671	—	5,630	5,630	—	6,081	6,081
1. राज्य योजना स्कीमें	—	4,972	4,972	—	4,851	4,851	—	5,016	5,016	—	5,487	5,487
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	400	400	—	606	606	—	409	409	—	402	402
4. योजनेतर (i से ii)	—	214	214	—	211	211	—	202	202	—	190	190
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	214	214	—	211	211	—	202	202	—	190	190
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	1,374	7,587	8,961	886	120	1,006	4,865	278	5,143	19,798	120	19,918
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	1,374	7,368	8,742	886	30	916	4,865	127	4,992	19,798	30	19,828
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	848	212	1,061	886	30	916	876	30	906	798	30	828
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	808	12	821	836	30	866	836	30	866	736	30	766
7. अन्य	40	200	240	50	—	50	40	—	40	62	—	62
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	526	7,156	7,682	—	—	—	3,989	97	4,086	19,000	—	19,000
1. फसल उत्पादन	—	156	156	—	—	—	—	97	97	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	500	7,000	7,500	—	—	—	3,989	—	3,989	19,000	—	19,000

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासालक प्रयोजन (क + ख)	-	219	219	-	90	90	-	150	150	-	90	90
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	219	219	-	90	90	-	150	150	-	90	90
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,05,695	1,05,695	-	31,000	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000	31,000
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,04,867	1,04,867	-	30,400	30,400	-	30,400	30,400	-	30,400	30,400
2. अन्य	-	827	827	-	600	600	-	600	600	-	600	600
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	15,872	15,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	15,872	15,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	89,463	89,463	-	37,387	37,387	-	37,387	37,387	-	37,387	37,387
1. सिविल जमा	-	67,015	67,015	-	7,987	7,987	-	7,987	7,987	-	7,987	7,987
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	1,497	1,497	-	21,500	21,500	-	21,500	21,500	-	21,500	21,500
3. सिविल अग्रिम	-	20,588	20,588	-	7,250	7,250	-	7,250	7,250	-	7,250	7,250
4. अन्य	-	363	363	-	650	650	-	650	650	-	650	650
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	31,72,089	31,72,089	-	82,241	82,241	-	82,241	82,241	-	82,241	82,241
1. उचित	-	20,242	20,242	-	17,100	17,100	-	17,100	17,100	-	17,100	17,100
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	31,51,744	31,51,744	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4. अन्य	-	103	103	-	141	141	-	141	141	-	141	141
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	3,37,582	3,37,582	-	48,037	48,037	-	48,037	48,037	-	48,037	48,037
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-13,014			25,657			-15,492			-50,487
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			14,500			-41,494			-34,412			7,224
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			1,486			-15,838			-49,904			-43,263
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			1,486			-15,838			-49,904			-43,263
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			743			-15,838			-49,904			-43,263
क) अथ शेष			1,12,175			87,641			1,12,918			63,014
ख) इति शेष			1,12,918			71,803			63,014			19,751
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			743			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (Revised Estimates)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	5,58,975	2,30,596	7,89,571	6,79,679	2,52,820	9,32,499	6,51,981	2,56,804	9,08,785	7,07,655	2,95,159	10,02,814
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	5,44,575	85,728	6,30,303	6,65,809	99,434	7,65,243	6,37,711	1,04,152	7,41,863	6,92,123	1,21,119	8,13,242
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	5,44,575	20,771	5,65,346	6,65,809	12,112	6,77,921	6,37,711	23,552	6,61,262	6,92,123	17,109	7,09,232
1. विकास (क + ख)	4,63,826	17,271	4,81,098	5,64,216	11,512	5,75,728	5,27,642	22,952	5,50,593	5,69,983	16,409	5,86,393
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,90,256	6,561	1,96,817	1,73,139	1,294	1,74,433	1,78,409	2,231	1,80,640	2,10,973	1,240	2,12,213
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	33,059	—	33,059	45,625	—	45,625	39,017	—	39,017	54,014	—	54,014
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	23,065	—	23,065	23,771	—	23,771	30,096	—	30,096	34,114	—	34,114
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	47,439	—	47,439	33,400	—	33,400	34,400	—	34,400	35,744	—	35,744
5. आवास	350	—	350	900	—	900	900	—	900	1,535	—	1,535
6. शहरी विकास	43,234	—	43,234	32,209	—	32,209	36,709	—	36,709	40,039	—	40,039
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,708	—	3,708	2,456	—	2,456	3,290	—	3,290	3,775	—	3,775
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,829	666	25,495	21,010	1,294	22,304	17,629	1,023	18,652	18,730	1,240	19,970
9. अन्य *	14,572	5,896	20,467	13,767	—	13,767	16,368	1,208	17,576	23,023	—	23,023
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,73,570	10,710	2,84,280	3,91,077	10,218	4,01,295	3,49,233	20,721	3,69,953	3,59,010	15,170	3,74,180
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	18,651	7,984	26,636	43,012	10,218	53,230	48,347	20,721	69,068	50,396	15,170	65,566
i) फसल उत्पादन	4,316	289	4,605	6,632	461	7,093	11,037	478	11,514	11,433	524	11,957
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	3,535	—	3,535	4,359	—	4,359	4,395	—	4,395	2,290	—	2,290
iii) पशुपालन	1,535	—	1,535	2,463	—	2,463	2,463	—	2,463	3,863	—	3,863
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	980	—	980	1,005	—	1,005	1,005	—	1,005	1,164	—	1,164
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4,675	—	4,675	6,542	—	6,542	7,436	—	7,436	8,130	—	8,130
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	211	7,295	7,506	15,112	9,357	24,468	15,112	19,843	34,955	16,088	14,246	30,334
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,400	—	1,400	5,400	—	5,400	5,400	—	5,400	5,928	—	5,928
x) सहकारिता	2,000	400	2,400	1,500	400	1,900	1,500	400	1,900	1,500	400	1,900
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	13,003	—	13,003	17,558	—	17,558	14,323	—	14,323	17,801	—	17,801
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	22,574	—	22,574	47,843	—	47,843	36,585	—	36,585	40,657	—	40,657
5. ऊर्जा	1,14,011	2,726	1,16,737	1,28,300	—	1,28,300	89,700	—	89,700	1,12,498	—	1,12,498
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	12,537	—	12,537	9,952	—	9,952	13,152	—	13,152	14,174	—	14,174
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	11,780	—	11,780	9,051	—	9,051	12,251	—	12,251	13,184	—	13,184
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	380	—	380	470	—	470	470	—	470	510	—	510
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	377	—	377	431	—	431	431	—	431	480	—	480
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	6,660	—	6,660	20,050	—	20,050	12,550	—	12,550	11,862	—	11,862
i) सड़क और पुल	4,760	—	4,760	19,450	—	19,450	11,950	—	11,950	11,250	—	11,250
ii) अन्य **	1,900	—	1,900	600	—	600	600	—	600	612	—	612
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (Revised Estimates)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	846	—	846	713	—	713	713	—	713	825	—	825
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	85,288	—	85,288	1,23,649	—	1,23,649	1,33,862	—	1,33,862	1,10,796	—	1,10,796
i) पर्यटन	10,967	—	10,967	9,019	—	9,019	9,719	—	9,719	14,770	—	14,770
ii) अन्य @@	74,321	—	74,321	1,14,630	—	1,14,630	1,24,143	—	1,24,143	96,026	—	96,026
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	80,749	3,500	84,249	1,01,593	600	1,02,193	1,10,069	600	1,10,669	1,22,140	700	1,22,840
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	50,328	50,328	—	65,980	65,980	—	69,706	69,706	—	87,265	87,265
1. बाजार ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. अन्य	—	50,328	50,328	—	65,980	65,980	—	69,706	69,706	—	87,265	87,265
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	10,792	10,792	—	14,866	14,866	—	4,056	4,056	—	8,626	8,626
1. राज्य योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. योजनेतर (i से ii)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	10,792	10,792	—	14,866	14,866	—	4,056	4,056	—	8,626	8,626
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	—	3,836	3,836	—	6,476	6,476	—	6,839	6,839	—	8,118	8,118
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	—	3,826	3,826	—	6,156	6,156	—	6,631	6,631	—	7,918	7,918
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	220	220	—	2,550	2,550	—	3,025	3,025	—	3,005	3,005
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	20	20	—	50	50	—	25	25	—	5	5
7. अन्य	—	200	200	—	2,500	2,500	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	—	3,606	3,606	—	3,606	3,606	—	3,606	3,606	—	4,913	4,913
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	1,913	1,913	-	1,913	1,913	-	1,913	1,913	-	1,913	1,913
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	1,693	1,693	-	1,693	1,693	-	1,693	1,693	-	3,000	3,000
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	10	10	-	320	320	-	207	207	-	200	200
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	10	10	-	320	320	-	207	207	-	200	200
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	66,053	66,053	-	78,576	78,576	-	71,385	71,385	-	93,557	93,557
1. राज्य भविष्य निधि	-	65,026	65,026	-	77,546	77,546	-	70,058	70,058	-	92,225	92,225
2. अन्य	-	1,027	1,027	-	1,030	1,030	-	1,327	1,327	-	1,332	1,332
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	20,300	20,300	-	9,980	9,980	-	13,562	13,562	-	13,675	13,675
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,300	20,300	-	9,980	9,980	-	13,562	13,562	-	13,675	13,675
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	14,400	20,607	35,007	13,870	24,550	38,420	14,270	25,000	39,270	15,532	26,603	42,136
1. सिविल जमा	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	14,400	18,307	32,707	13,870	22,250	36,120	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	14,270	22,700	36,970	15,532	24,303	39,836
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	24,608	24,608	-	26,981	26,981	-	29,405	29,405	-	26,905	26,905
1. उचित	-	18,608	18,608	-	20,981	20,981	-	23,405	23,405	-	20,905	20,905
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			3,36,412			4,63,632			4,45,289			5,20,666
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-3,32,899			-4,70,041			-4,41,864			-5,32,243
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			3,513			-6,408			3,425			-11,577
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			3,513			-6,408			3,425			-11,577
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-87			-10,008			-175			-15,177
क) अथ शेष			-211,020			-2,11,020			-1,70,737			-1,70,737
ख) इति शेष			-211,107			-2,21,028			-1,70,912			-1,85,914
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			3,600			3,600			3,600			3,600
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	4,33,262	5,52,516	9,85,778	3,90,576	8,41,232	12,31,807	4,39,605	64,85,174	69,24,780	4,13,747	71,91,181	76,04,928
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	4,33,262	82,964	5,16,226	3,90,576	87,365	4,77,941	4,39,605	1,08,950	5,48,556	4,13,747	1,60,923	5,74,671
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	3,86,748	3,600	3,90,348	3,49,466	3,600	3,53,066	3,75,252	-	3,75,252	3,74,315	8,287	3,82,602
1. विकास (क + ख)	3,66,608	-	3,66,608	3,34,075	-	3,34,075	3,59,678	-	3,59,678	3,58,246	-	3,58,246
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,77,065	-	1,77,065	1,45,494	-	1,45,494	1,37,030	-	1,37,030	1,57,355	-	1,57,355
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	43,049	-	43,049	11,614	-	11,614	11,614	-	11,614	11,445	-	11,445
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	26,074	-	26,074	16,231	-	16,231	10,379	-	10,379	21,882	-	21,882
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	41,457	-	41,457	45,709	-	45,709	44,744	-	44,744	30,000	-	30,000
5. आवास	3,075	-	3,075	2,603	-	2,603	1,785	-	1,785	1,315	-	1,315
6. शहरी विकास	50,930	-	50,930	56,775	-	56,775	53,975	-	53,975	67,900	-	67,900
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12,479	-	12,479	12,562	-	12,562	14,532	-	14,532	24,813	-	24,813
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. अन्य *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,89,543	-	1,89,543	1,88,581	-	1,88,581	2,22,648	-	2,22,648	2,00,891	-	2,00,891
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	2,470	-	2,470	915	-	915	934	-	934	2,716	-	2,716
i) फसल उत्पादन	500	-	500	250	-	250	150	-	150	270	-	270
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	520	-	520	500	-	500	624	-	624	1,020	-	1,020
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,000	-	1,000	15	-	15	10	-	10	976	-	976
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	450	-	450	150	-	150	150	-	150	450	-	450
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	63,617	-	63,617	57,841	-	57,841	69,386	-	69,386	62,950	-	62,950
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	56,650	-	56,650	58,240	-	58,240	40,501	-	40,501	50,420	-	50,420
5. ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	195	-	195	145	-	145	145	-	145	110	-	110
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	95	-	95	45	-	45	45	-	45	10	-	10
iv) अन्य #	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
7. परिवहन (i + ii)	58,197	-	58,197	68,925	-	68,925	1,08,732	-	1,08,732	82,740	-	82,740
i) सड़क और पुल	57,507	-	57,507	63,445	-	63,445	73,593	-	73,593	69,740	-	69,740
ii) अन्य **	690	-	690	5,480	-	5,480	35,139	-	35,139	13,000	-	13,000
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	8,414	-	8,414	2,515	-	2,515	2,951	-	2,951	1,955	-	1,955
i) पर्यटन	8,364	-	8,364	2,515	-	2,515	1,745	-	1,745	1,955	-	1,955
ii) अन्य @@	50	-	50	-	-	-	1,206	-	1,206	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	20,140	3,600	23,740	15,391	3,600	18,991	15,574	-	15,574	16,069	8,287	24,356
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	60,690	60,690	-	62,379	62,379	-	88,780	88,780	-	1,35,436	1,35,436
1. बाजार ऋण	-	17,088	17,088	-	6,926	6,926	-	6,926	6,926	-	52,087	52,087
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	5,750	5,750	-	7,468	7,468	-	9,268	9,268	-	9,550	9,550
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	350	350	-	350	350	-	350	350	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	6,645	6,645	-	6,449	6,449	-	6,449	6,449	-	12,411	12,411
8. अन्य	-	30,857	30,857	-	41,187	41,187	-	65,787	65,787	-	61,388	61,388
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	21,353	21,353	-	21,378	21,378	-	21,378	21,378	-	21,378	21,378
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	16,474	16,474	-	18,570	18,570	-	18,570	18,570	-	15,131	15,131
1. राज्य योजना स्कीम	-	15,300	15,300	-	16,862	16,862	-	16,862	16,862	-	14,700	14,700
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	33	33	-	20	20	-	20	20	-	20	20
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	76	76	-	87	87	-	87	87	-	83	83
4. योजनेतर (i से ii)	-	326	326	-	327	327	-	327	327	-	328	328
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	326	326	-	327	327	-	327	327	-	328	328
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	740	740	-	1,274	1,274	-	1,274	1,274	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	46,514	2,200	48,714	41,110	2,816	43,926	64,353	1,600	65,953	39,432	2,069	41,501
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	46,514	1,600	48,114	41,110	2,216	43,326	64,353	1,000	65,353	39,432	1,699	41,131
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	6,754	1,600	8,354	4,130	2,216	6,346	5,523	1,000	6,523	220	1,449	1,669
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,300	-	4,300	2,825	-	2,825	2,825	-	2,825	-	-	-
5. आवास	120	-	120	300	-	300	300	-	300	220	-	220
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	850	850
7. अन्य	2,334	600	2,934	1,005	1,216	2,221	2,398	-	2,398	-	599	599
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	39,760	-	39,760	36,980	-	36,980	58,830	-	58,830	39,212	250	39,462
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	920	-	920	610	-	610	610	-	610	410	-	410
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	38,700	-	38,700	36,100	-	36,100	57,950	-	57,950	38,800	-	38,800

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)

झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	20	-	20	20	-	20	2	-	2
9. ग्रामीण विकास	140	-	140	250	-	250	250	-	250	-	250	250
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	370	370
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	370	370
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	26,080	26,080	-	61,120	61,120	-	49,582	49,582	-	46,565	46,565
1. राज्य भविष्य निधि	-	20,580	20,580	-	50,870	50,870	-	35,653	35,653	-	39,218	39,218
2. अन्य	-	5,500	5,500	-	10,250	10,250	-	13,929	13,929	-	7,347	7,347
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	13,755	13,755	-	10,631	10,631	-	14,688	14,688	-	16,157	16,157
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	13,755	13,755	-	10,631	10,631	-	14,688	14,688	-	16,157	16,157
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,44,705	1,44,705	-	3,19,380	3,19,380	-	3,82,940	3,82,940	-	4,21,063	4,21,063
1. सिविल जमा	-	35,365	35,365	-	50,001	50,001	-	80,196	80,196	-	90,008	90,008
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	38,065	38,065	-	1,23,084	1,23,084	-	1,22,937	1,22,937	-	1,36,550	1,36,550
3. सिविल अग्रिम	-	16,475	16,475	-	12,847	12,847	-	12,847	12,847	-	11,199	11,199
4. अन्य	-	54,800	54,800	-	1,33,448	1,33,448	-	1,66,960	1,66,960	-	1,83,306	1,83,306
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	44,432	44,432	-	14,777	14,777	-	55,76,128	55,76,128	-	61,43,585	61,43,585
1. उचित	-	14,670	14,670	-	9,116	9,116	-	9,136	9,136	-	19,893	19,893
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	22,000	22,000	-	2,400	2,400	-	55,64,329	55,64,329	-	61,20,762	61,20,762
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	7,762	7,762	-	3,261	3,261	-	2,663	2,663	-	2,930	2,930
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	2,25,580	2,25,580	-	3,32,959	3,32,959	-	3,52,887	3,52,887	-	4,02,888	4,02,888
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			62,787			-27,735			2,61,357			3,55,085
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-2,81,781			-1,70,213			-1,19,537			-2,31,743
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-2,18,995			-1,97,948			1,41,820			1,23,343
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-2,18,995			-1,97,948			1,41,819			1,23,343
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-2,18,995			-1,97,948			1,95,946			1,82,882
क) अथ शेष			21,631			-1,83,497			-1,83,497			-37,550
ख) इति शेष			-1,97,364			-3,81,445			12,449			1,45,332
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-			-			-54,127			-59,539
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	9,35,885	1,36,75,182	1,46,11,068	10,44,561	22,52,804	32,97,365	10,73,012	21,25,073	31,98,085	11,95,747	24,90,092	36,85,839
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	9,35,885	3,02,067	12,37,953	10,44,561	3,38,054	13,82,615	10,73,012	3,45,322	14,18,334	11,95,747	3,61,762	15,57,509
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	9,13,527	73,502	9,87,029	9,47,759	1,13,516	10,61,275	9,84,605	1,07,477	10,92,082	10,67,210	1,10,566	11,77,776
1. विकास (क + ख)	8,71,253	68,239	9,39,492	9,14,529	1,06,920	10,21,449	9,49,175	1,01,831	10,51,006	10,18,610	1,04,435	11,23,045
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	2,41,447	14,069	2,55,516	2,62,283	20,592	2,82,875	2,59,929	21,504	2,81,433	2,48,973	8,160	2,57,134
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19,574	359	19,932	26,302	373	26,675	25,252	373	25,625	32,457	388	32,845
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	33,402	-3,338	30,065	35,071	-	35,071	29,471	-	29,471	39,838	-	39,838
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,14,723	2,401	1,17,124	1,17,590	2,500	1,20,090	1,30,735	3,411	1,34,146	91,100	2,500	93,600
5. आवास	5,651	11,804	17,456	9,200	14,719	23,919	9,200	14,719	23,919	7,000	2,472	9,472
6. शहरी विकास	39,791	2,843	42,634	41,173	3,000	44,173	29,753	3,000	32,753	33,100	2,800	35,900
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22,780	-	22,780	24,657	-	24,657	26,579	-	26,579	27,918	-	27,918
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,836	-	4,836	7,250	-	7,250	7,250	-	7,250	15,085	-	15,085
9. अन्य *	689	-	689	1,040	-	1,040	1,690	-	1,690	2,475	-	2,475
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	6,29,806	54,170	6,83,976	6,52,246	86,327	7,38,573	6,89,246	80,327	7,69,573	7,69,637	96,274	8,65,911
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	4,202	-217	3,985	10,348	-	10,348	9,396	-	9,396	17,169	-	17,169
i) फसल उत्पादन	738	-	738	1,500	-	1,500	1,150	-	1,150	6,822	-	6,822
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
iii) पशुपालन	2,452	-	2,452	4,757	-	4,757	4,837	-	4,837	4,300	-	4,300
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	476	-	476	2,582	-	2,582	2,582	-	2,582	4,560	-	4,560
vi) वानिकी और वन्य जीवन	308	-	308	313	-	313	313	-	313	399	-	399
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	228	-217	11	197	-	197	515	-	515	88	-	88
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	13,407	27	13,435	10,500	120	10,620	10,500	120	10,620	12,524	125	12,649
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	20,000	-	20,000
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,66,636	31,953	2,98,589	3,77,635	64,547	4,42,182	3,62,260	58,547	4,20,807	4,06,511	76,858	4,83,369
5. ऊर्जा	85,000	8,663	93,663	67,500	7,800	75,300	92,500	7,800	1,00,300	50,000	5,467	55,467
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	26,143	-	26,143	7,401	-	7,401	9,869	-	9,869	9,692	-	9,692
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	3,530	-	3,530	2,134	-	2,134	1,534	-	1,534	4,388	-	4,388
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	5,100	-	5,100	3,100	-	3,100	554	-	554
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	22,613	-	22,613	167	-	167	5,235	-	5,235	4,750	-	4,750
7. परिवहन (i + ii)	2,11,261	13,413	2,24,675	1,67,562	13,500	1,81,062	1,62,385	13,500	1,75,885	1,97,787	13,500	2,11,287
i) सड़क और पुल	1,91,383	13,413	2,04,797	1,46,212	13,500	1,59,712	1,41,035	13,500	1,54,535	1,71,387	13,500	1,84,887
ii) अन्य **	19,878	-	19,878	21,350	-	21,350	21,350	-	21,350	26,400	-	26,400
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	23,156	331	23,488	11,300	360	11,660	32,336	360	32,696	55,953	325	56,278
i) पर्यटन	5,613	-	5,613	10,000	-	10,000	9,500	-	9,500	10,000	-	10,000
ii) अन्य @@	17,543	331	17,875	1,300	360	1,660	22,836	360	23,196	45,953	325	46,278
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	42,273	5,263	47,536	33,230	6,596	39,826	35,430	5,646	41,076	48,600	6,132	54,732
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	1,31,646	1,31,646	-	3,04,604	3,04,604	-	1,84,049	1,84,049	-	3,26,292	3,26,292
1. बाजार ऋण	-	83,347	83,347	-	1,04,657	1,04,657	-	1,04,657	1,04,657	-	97,181	97,181
2. एलआईसी से ऋण	-	3,459	3,459	-	3,422	3,422	-	16,234	16,234	-	4,062	4,062
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	12,937	12,937	-	17,190	17,190	-	18,779	18,779	-	24,818	24,818
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	3,545	3,545	-	2,300	2,300	-	2,344	2,344	-	1,890	1,890
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	1,35,000	1,35,000	-	-	-	-	1,35,000	1,35,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	27,782	27,782	-	41,447	41,447	-	41,447	41,447	-	62,778	62,778
8. अन्य	-	576	576	-	588	588	-	588	588	-	564	564
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	46,143	46,143	-	50,827	50,827	-	46,964	46,964	-	54,997	54,997
1. राज्य योजना स्कीम	-	43,969	43,969	-	48,629	48,629	-	44,769	44,769	-	52,769	52,769
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	368	368	-	368	368	-	368	368	-	367	367
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	1,135	1,135	-	1,195	1,195	-	1,173	1,173	-	1,237	1,237
4. योजनेतर (i से ii)	-	671	671	-	634	634	-	654	654	-	624	624
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	671	671	-	634	634	-	654	654	-	624	624
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	22,359	50,776	73,134	96,802	4,107	1,00,909	88,407	6,832	95,239	1,28,537	4,907	1,33,444
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	22,359	50,520	72,878	96,802	3,100	99,902	88,407	5,675	94,082	1,28,537	3,100	1,31,637
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	16,818	520	17,337	93,018	-	93,018	80,123	-	80,123	1,13,700	-	1,13,700
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	317	-	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	71	-	71	25	-	25	25	-	25	50	-	50
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,380	-	6,380	63,493	-	63,493	52,198	-	52,198	83,250	-	83,250
5. आवास	10,000	-	10,000	9,300	-	9,300	7,800	-	7,800	10,000	-	10,000
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	4	-	4	200	-	200	100	-	100	200	-	200
7. अन्य	46	520	566	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,200	-	20,200
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	5,541	50,000	55,541	3,784	3,100	6,884	8,284	5,675	13,959	14,837	3,100	17,937
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	1,553	-	1,553	1,800	-	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	1,800
4. सहकारिता	1,079	-	1,079	653	-	653	953	-	953	7	-	7
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	1	50,000	50,001	900	-	900	900	-	900	12,500	-	12,500

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	117	-	117	131	-	131	297	-	297	230	-	230
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	100	100	-	100	100	-	100	100
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	2,791	-	2,791	300	3,000	3,300	4,333	5,575	9,908	300	3,000	3,300
2. गैर-विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	256	256	-	1,007	1,007	-	1,157	1,157	-	1,807	1,807
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	256	256	-	807	807	-	957	957	-	807	807
ख) विविध	-	-	-	-	200	200	-	200	200	-	1,000	1,000
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	210	210	-	500	500	-	500	500	-	500	500
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,15,302	1,15,302	-	1,28,457	1,28,457	-	1,28,457	1,28,457	-	1,73,305	1,73,305
1. राज्य भविष्य निधि	-	57,519	57,519	-	70,412	70,412	-	70,412	70,412	-	1,01,800	1,01,800
2. अन्य	-	57,784	57,784	-	58,045	58,045	-	58,045	58,045	-	71,505	71,505
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	76,464	76,464	-	98,957	98,957	-	98,957	98,957	-	1,08,853	1,08,853
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	6,629	6,629	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	69,831	69,831	-	98,957	98,957	-	98,957	98,957	-	1,08,853	1,08,853
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	17,16,598	17,16,598	-	6,83,452	6,83,452	-	6,83,452	6,83,452	-	7,51,819	7,51,819
1. सिविल जमा	-	2,76,866	2,76,866	-	1,00,494	1,00,494	-	1,00,494	1,00,494	-	1,10,543	1,10,543
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	11,79,407	11,79,407	-	4,96,558	4,96,558	-	4,96,558	4,96,558	-	5,46,213	5,46,213
3. सिविल अग्रिम	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,60,324	2,60,324	-	86,400	86,400	-	86,401	86,401	-	95,062	95,062
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	1,13,41,395	1,13,41,395	-	6,22,470	6,22,470	-	6,22,470	6,22,470	-	6,88,347	6,88,347
1. उचित	-	15,412	15,412	-	31,330	31,330	-	31,330	31,330	-	34,463	34,463
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	78,60,193	78,60,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	34,65,790	34,65,790	-	5,91,140	5,91,140	-	5,91,140	5,91,140	-	6,53,884	6,53,884
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,23,146	1,23,146	-	2,45,914	2,45,914	-	2,45,914	2,45,914	-	2,70,506	2,70,506
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,63,138			1,15,137			53,819			50,049
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,95,908			-1,23,726			-3,47,454			-44,907
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			3,59,046			-8,589			-2,93,635			5,142
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			3,59,046			-8,589			-2,93,635			5,142
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-44,835			-8,589			31,365			5,142
क) अथ शेष			8,990			4,280			-35,845			-4,480
ख) इति शेष			-35,845			-4,309			-4,480			662
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			4,03,882			-			-3,25,000			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	2,25,502	77,31,590	79,57,092	2,31,400	68,26,646	70,58,046	2,18,439	64,07,342	66,25,781	2,61,430	75,34,739	77,96,169
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	2,25,502	2,07,460	4,32,962	2,31,400	2,55,528	4,86,928	2,18,439	2,29,750	4,48,189	2,61,430	4,69,127	7,30,557
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,67,076	2,485	1,69,561	1,32,783	38,233	1,71,016	1,56,186	37,935	1,94,121	1,87,988	2,26,550	4,14,538
1. विकास (क + ख)	1,62,233	2,062	1,64,295	1,29,948	37,733	1,67,681	1,52,449	36,946	1,89,395	1,84,615	1,94,550	3,79,165
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	29,052	—	29,052	19,431	300	19,731	22,431	300	22,731	24,329	7,821	32,150
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,107	—	3,107	4,093	300	4,393	5,477	300	5,777	4,185	321	4,506
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,456	—	4,456	4,452	—	4,452	6,008	—	6,008	5,723	5,000	10,723
3. परिवार कल्याण	18	—	18	—	—	—	1	—	1	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,000	—	3,000	3,700	—	3,700	3,700	—	3,700	3,200	2,500	5,700
5. आवास	13,011	—	13,011	885	—	885	908	—	908	1,450	—	1,450
6. शहरी विकास	2,000	—	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,129	—	3,129	6,016	—	6,016	6,053	—	6,053	9,131	—	9,131
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	228	—	228	150	—	150	150	—	150	240	—	240
9. अन्य *	103	—	103	135	—	135	135	—	135	400	—	400
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,33,181	2,062	1,35,243	1,10,517	37,433	1,47,950	1,30,018	36,646	1,66,664	1,60,286	1,86,729	3,47,015
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	8,515	1,048	9,562	11,017	7,301	18,318	11,704	6,489	18,192	14,524	5,198	19,722
i) फसल उत्पादन	67	23	89	575	31	606	315	31	346	260	36	296
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,348	—	1,348	1,200	2,000	3,200	1,435	2,000	3,435	2,000	1,000	3,000
iii) पशुपालन	362	—	362	620	—	620	631	—	631	875	—	875
iv) डेरी विकास	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	2,980	—	2,980	2,080	4,000	6,080	3,101	4,000	7,101	3,286	2,700	5,986
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,252	—	1,252	1,675	—	1,675	1,355	—	1,355	1,917	—	1,917
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	522	1,025	1,547	850	1,270	2,120	850	457	1,307	750	1,462	2,212
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	1,981	—	1,981	3,517	—	3,517	3,517	—	3,517	4,936	—	4,936
xi) अन्य @	—	—	—	500	—	500	500	—	500	500	—	500
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	500	—	500	450	2,000	2,450
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	25,408	—	25,408	21,694	11,100	32,794	22,515	11,100	33,615	34,687	3,470	38,157
5. ऊर्जा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	23,614	—	23,614	13,383	6,500	19,883	9,369	6,500	15,869	21,967	3,000	24,967
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,663	—	2,663	2,783	—	2,783	2,758	—	2,758	1,877	—	1,877
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	800	—	800	10	—	10
iv) अन्य #	20,951	—	20,951	10,600	6,500	17,100	5,811	6,500	12,311	20,080	3,000	23,080
7. परिवहन (i + ii)	73,634	14	73,648	62,189	7,330	69,519	84,146	7,330	91,476	87,434	1,71,059	2,58,493
i) सड़क और पुल	59,000	—	59,000	45,777	7,300	53,077	67,283	7,300	74,583	53,995	1,66,029	2,20,024
ii) अन्य **	14,634	14	14,648	16,412	30	16,442	16,863	30	16,893	33,439	5,030	38,469
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	225	—	225	520	—	520	520	—	520	120	—	120
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,785	1,000	2,785	1,714	5,202	6,916	1,265	5,227	6,492	1,104	2,002	3,106
i) पर्यटन	1,757	—	1,757	1,704	5,200	6,904	1,254	5,200	6,454	1,072	2,000	3,072
ii) अन्य @@	28	1,000	1,028	10	2	12	11	27	38	32	2	34
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	4,843	423	5,266	2,835	500	3,335	3,736	989	4,726	3,373	32,000	35,373
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	5,27,926	5,27,926	—	11,51,984	11,51,984	—	4,21,738	4,21,738	—	11,67,964	11,67,964
1. बाजार ऋण	—	73,430	73,430	—	74,586	74,586	—	74,580	74,580	—	72,986	72,986
2. एलआईसी से ऋण	—	21,888	21,888	—	21,893	21,893	—	21,893	21,893	—	24,794	24,794
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	7,368	7,368	—	10,054	10,054	—	12,314	12,314	—	12,924	12,924
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	7,062	7,062	—	7,148	7,148	—	7,148	7,148	—	4,678	4,678
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	3,92,097	3,92,097	—	10,02,500	10,02,500	—	2,70,001	2,70,001	—	10,02,500	10,02,500
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	11,532	11,532	—	21,268	21,268	—	21,268	21,268	—	35,243	35,243
8. अन्य	—	14,548	14,548	—	14,535	14,535	—	14,535	14,535	—	14,838	14,838
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	11,583	11,583	—	11,585	11,585	—	11,583	11,583	—	11,583	11,583
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	29,205	29,205	—	62,794	62,794	—	26,518	26,518	—	67,146	67,146
1. राज्य योजना स्कीमें	—	28,421	28,421	—	27,034	27,034	—	25,758	25,758	—	31,384	31,384
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	107	107	—	106	106	—	106	106	—	96	96
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	427	427	—	405	405	—	405	405	—	427	427
4. योजनेतर (i से ii)	—	250	250	—	247	247	—	248	248	—	237	237
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	250	250	—	247	247	—	248	248	—	237	237
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	35,000	35,000	—	—	—	—	35,000	35,000
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	2	2
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	58,426	39,941	98,367	98,617	5,016	1,03,633	62,253	13,560	75,813	73,442	9,967	83,409
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	57,934	39,941	97,874	98,617	4,243	1,02,860	62,253	12,836	75,090	73,442	9,260	82,702
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	38,530	25,670	64,201	90,785	222	91,007	50,785	5,222	56,007	60,950	5,239	66,189
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	37,900	—	37,900	90,000	—	90,000	50,000	—	50,000	60,000	—	60,000
5. आवास	450	25,660	26,110	510	176	686	510	176	686	600	194	794
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	10	—	10	—	30	30	—	5,030	5,030	—	5,030	5,030
7. अन्य	170	10	180	275	16	291	275	16	291	350	16	366
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	19,403	14,271	33,674	7,832	4,021	11,853	11,468	7,615	19,083	12,492	4,021	16,513
1. फसल उत्पादन	90	21	111	—	21	21	—	21	21	—	21	21
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	156	—	156	700	—	700	700	—	700	500	—	500
4. सहकारिता	6,487	—	6,487	1,797	—	1,797	1,797	—	1,797	1,967	—	1,967
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	571	—	571	1,125	—	1,125	50	—	50	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	2,336	100	2,436	785	—	785	1,672	294	1,966	2,015	—	2,015
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,500	—	1,500	1,500	—	1,500	2,065	—	2,065	6,010	—	6,010
9. ग्रामीण विकास	156	—	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	8,107	14,150	22,257	1,925	4,000	5,925	5,184	7,300	12,484	2,000	4,000	6,000
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	492	—	492	—	774	774	—	724	724	—	707	707
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	492	—	492	—	774	774	—	724	724	—	707	707
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	584	584	—	100	100	—	—	—	—	100	100
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	10,62,899	10,62,899	—	12,91,618	12,91,618	—	12,74,561	12,74,561	—	13,04,800	13,04,800
1. राज्य भविष्य निधि	—	1,84,870	1,84,870	—	2,10,531	2,10,531	—	2,12,281	2,12,281	—	2,12,372	2,12,372
2. अन्य	—	8,78,028	8,78,028	—	10,81,087	10,81,087	—	10,62,280	10,62,280	—	10,92,429	10,92,429
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	88,869	88,869	—	38,281	38,281	—	38,145	38,145	—	41,025	41,025
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधियां	—	76,871	76,871	—	27,636	27,636	—	24,887	24,887	—	27,500	27,500
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	11,999	11,999	—	10,645	10,645	—	13,258	13,258	—	13,525	13,525
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	4,05,258	4,05,258	—	4,56,391	4,56,391	—	4,64,540	4,64,540	—	4,80,598	4,80,598
1. सिविल जमा	—	1,46,790	1,46,790	—	1,76,159	1,76,159	—	1,68,321	1,68,321	—	1,69,366	1,69,366
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	2,53,568	2,53,568	—	2,75,454	2,75,454	—	2,90,472	2,90,472	—	3,05,184	3,05,184
3. सिविल अग्रिम	—	105	105	—	61	61	—	44	44	—	48	48
4. अन्य	—	4,795	4,795	—	4,717	4,717	—	5,703	5,703	—	6,000	6,000
X. उच्च और विविध (1 से 4)	—	48,44,163	48,44,163	—	30,20,957	30,20,957	—	33,72,552	33,72,552	—	34,72,571	34,72,571
1. उच्च	—	5,65,017	5,65,017	—	4,69,218	4,69,218	—	5,71,107	5,71,107	—	5,71,107	5,71,107
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	17,68,107	17,68,107	—	2,50,000	2,50,000	—	3,00,000	3,00,000	—	2,50,000	2,50,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	25,11,039	25,11,039	—	23,01,739	23,01,739	—	25,01,445	25,01,445	—	26,51,464	26,51,464
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	7,30,260	7,30,260	—	7,61,273	7,61,273	—	7,57,793	7,57,793	—	7,64,017	7,64,017
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-3,71,168			-3,00,796			-4,08,163			-3,62,955
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			5,36,623			2,92,581			3,87,399			3,22,243
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			1,65,455			-8,215			-20,764			-40,712
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			1,65,455			-8,215			-20,764			-40,712
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)												
क) अथ शेष			-8,513			-8,215			-20,764			-40,712
ख) इति शेष			12,327			-5,633			3,814			-16,951
			3,814			-13,848			-16,950			-57,663
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			1,73,968			—			—			—
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	7,18,063	1,29,26,067	1,36,44,130	7,74,226	1,01,50,649	1,09,24,875	8,84,516	1,01,77,121	1,10,61,637	9,28,851	1,03,11,267	1,12,40,117
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	7,18,063	3,33,575	10,51,638	7,74,226	2,73,049	10,47,275	8,84,516	5,40,776	14,25,292	9,28,851	2,27,732	11,56,582
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	6,50,345	20,970	6,71,315	6,72,917	6,399	6,79,316	8,01,651	6,557	8,08,208	7,99,301	3,171	8,02,472
1. विकास (क + ख)	6,40,227	18,600	6,58,827	6,63,433	3,874	6,67,307	7,91,317	4,032	7,95,349	7,85,256	646	7,85,902
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,29,278	230	1,29,508	1,15,478	502	1,15,979	1,27,329	517	1,27,845	1,23,881	621	1,24,502
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	24,654	—	24,654	16,632	—	16,632	20,632	—	20,632	14,793	—	14,793
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,783	27	6,810	5,274	291	5,565	10,893	291	11,184	7,474	389	7,863
3. परिवार कल्याण	10	—	10	25	—	25	6	—	6	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	56,062	—	56,062	55,202	—	55,202	56,799	—	56,799	58,826	—	58,826
5. आवास	3,017	3	3,020	3,417	—	3,417	3,417	—	3,417	2,595	—	2,595
6. शहरी विकास	5,206	—	5,206	5,958	—	5,958	7,008	—	7,008	5,092	—	5,092
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	27,593	—	27,593	28,243	—	28,243	28,138	—	28,138	34,495	—	34,495
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,337	200	5,537	518	211	729	228	226	454	411	232	643
9. अन्य *	616	—	616	208	—	208	208	—	208	195	—	195
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	5,10,949	18,370	5,29,319	5,47,955	3,372	5,51,328	6,63,989	3,515	6,67,503	6,61,375	25	6,61,400
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	3,637	679	4,316	2,563	—	2,563	2,548	—	2,548	24,574	—	24,574
i) फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,871	—	13,871
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	86	—	86	45	—	45	45	—	45	105	—	105
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	34	—	34	20	—	20	20	—	20	46	—	46
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,451	—	2,451	2,179	—	2,179	2,179	—	2,179	2,600	—	2,600
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	71	679	750	—	—	—	—	—	—	6,936	—	6,936
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	995	—	995	319	—	319	304	—	304	1,016	—	1,016
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	46,081	—	46,081	58,599	—	58,599	54,936	—	54,936	82,927	—	82,927
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,14,199	—	2,14,199	2,42,058	—	2,42,058	2,54,110	—	2,54,110	3,10,470	—	3,10,470
5. ऊर्जा	74,701	16,000	90,701	43,048	3,367	46,416	1,57,185	3,367	1,60,552	44,226	—	44,226
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,498	1,691	3,189	2,491	—	2,491	2,391	143	2,534	2,852	20	2,872
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	853	—	853	1,685	—	1,685	1,685	—	1,685	2,030	—	2,030
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5	—	5	106	—	106	106	—	106	102	—	102
iv) अन्य #	640	1,691	2,331	700	—	700	600	143	743	721	20	741
7. परिवहन (i + ii)	1,64,901	—	1,64,901	1,93,970	—	1,93,970	1,87,555	—	1,87,555	1,93,245	—	1,93,245
i) सड़क और पुल	1,63,737	—	1,63,737	1,93,250	—	1,93,250	1,86,835	—	1,86,835	1,92,535	—	1,92,535
ii) अन्य **	1,164	—	1,164	720	—	720	720	—	720	710	—	710
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	800	—	800	850	—	850	850	—	850	380	—	380
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	5,132	—	5,132	4,376	5	4,381	4,413	5	4,418	2,701	5	2,706
i) पर्यटन	5,132	—	5,132	4,376	—	4,376	4,376	—	4,376	2,701	—	2,701
ii) अन्य @@	—	—	—	—	5	5	37	5	42	—	5	5
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	10,118	2,370	12,488	9,484	2,525	12,009	10,334	2,525	12,859	14,045	2,525	16,570
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	1,51,615	1,51,615	—	5,78,970	5,78,970	—	2,78,720	2,78,720	—	5,77,465	5,77,465
1. बाजार ऋण	—	53,789	53,789	—	77,535	77,535	—	77,535	77,535	—	64,547	64,547
2. एलआईसी से ऋण	—	1,133	1,133	—	1,200	1,200	—	1,202	1,202	—	1,100	1,100
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	24	24	—	25	25	—	23	23	—	23	23
4. नाबार्ड से ऋण	—	22,721	22,721	—	31,571	31,571	—	31,571	31,571	—	43,000	43,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	1,242	1,242	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000	—	1,500	1,500
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	1,901	1,901	—	4,00,000	4,00,000	—	1,00,000	1,00,000	—	4,00,000	4,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	19,673	19,673	—	19,472	19,472	—	19,472	19,472	—	20,446	20,446
8. अन्य	—	51,133	51,133	—	47,167	47,167	—	46,917	46,917	—	46,849	46,849
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	40,787	40,787	—	36,071	36,071	—	36,071	36,071	—	36,071	36,071
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	44,486	44,486	—	50,075	50,075	—	50,068	50,068	—	14,736	14,736
1. राज्य योजना स्कीम	—	42,911	42,911	—	48,659	48,659	—	48,659	48,659	—	13,310	13,310
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	276	276	—	274	274	—	274	274	—	273	273
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	888	888	—	731	731	—	731	731	—	749	749
4. योजनेतर (i से ii)	—	412	412	—	412	412	—	405	405	—	405	405
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	412	412	—	412	412	—	405	405	—	405	405
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	67,718	1,18,427	1,86,146	1,01,309	37,630	1,38,939	82,865	3,05,454	3,88,319	1,29,550	32,383	1,61,933
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	67,718	1,18,427	1,86,146	1,01,309	37,560	1,38,869	82,865	3,05,438	3,88,304	1,29,550	32,318	1,61,868
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	22,039	4,124	26,163	37,594	17,360	54,954	19,535	4,310	23,845	28,992	12,218	41,210
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	400	400	—	400	400	—	400	400	—	400	400
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,107	—	5,107	2,657	—	2,657	2,098	—	2,098	290	—	290
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	10	10	—	118	118	—	68	68	—	68	68
7. अन्य	16,932	3,715	20,647	34,937	16,842	51,779	17,437	3,842	21,279	28,702	11,750	40,452
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	45,679	1,14,303	1,59,982	63,715	20,200	83,915	63,330	3,01,128	3,64,458	1,00,558	20,100	1,20,658
1. फसल उत्पादन	—	3	3	—	200	200	—	100	100	—	100	100
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	600	—	600	695	—	695	695	—	695	1,203	—	1,203
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	385	—	385	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	43,192	1,14,300	1,57,492	62,333	20,000	82,333	62,333	3,01,028	3,63,362	89,255	20,000	1,09,255

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	1,887	-	1,887	302	-	302	302	-	302	100	-	100
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	70	70	-	15	15	-	65	65
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	-	-	-	70	70	-	15	15	-	65	65
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	73	73	-	13	13	-	13	13	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,18,352	1,18,352	-	1,31,435	1,31,435	-	1,45,655	1,45,655	-	1,53,136	1,53,136
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,05,115	1,05,115	-	1,19,337	1,19,337	-	1,25,200	1,25,200	-	1,31,878	1,31,878
2. अन्य	-	13,237	13,237	-	12,098	12,098	-	20,455	20,455	-	21,258	21,258
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	58,738	58,738	-	61,951	61,951	-	95,035	95,035	-	85,410	85,410
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	58,738	58,738	-	61,951	61,951	-	95,035	95,035	-	85,410	85,410
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	7,67,420	7,67,420	-	7,69,861	7,69,861	-	7,81,304	7,81,304	-	8,09,284	8,09,284
1. सिविल जमा	-	2,76,609	2,76,609	-	2,79,617	2,79,617	-	2,87,060	2,87,060	-	2,95,109	2,95,109
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	12,090	12,090	-	13,974	13,974	-	13,974	13,974	-	14,393	14,393
3. सिविल अग्रिम	-	26,594	26,594	-	19,597	19,597	-	19,597	19,597	-	25,500	25,500
4. अन्य	-	4,52,127	4,52,127	-	4,56,672	4,56,672	-	4,60,672	4,60,672	-	4,74,282	4,74,282
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	1,07,40,440	1,07,40,440	-	76,44,626	76,44,626	-	76,44,626	76,44,626	-	77,40,202	77,40,202
1. उच्च	-	4,849	4,849	-	16,960	16,960	-	16,960	16,960	-	17,478	17,478
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	54,25,366	54,25,366	-	52,75,507	52,75,507	-	52,75,507	52,75,507	-	53,00,000	53,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	25,62,278	25,62,278	-	23,00,000	23,00,000	-	23,00,000	23,00,000	-	23,69,000	23,69,000
4. अन्य	-	27,47,946	27,47,946	-	52,160	52,160	-	52,160	52,160	-	53,724	53,724
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	9,05,544	9,05,544	-	8,59,689	8,59,689	-	8,59,689	8,59,689	-	8,85,479	8,85,479
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			4,06,333			1,69,892			5,30,754			1,58,057
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-3,42,998			-1,36,323			-5,44,525			-2,01,726
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			63,335			33,569			-13,770			-43,669
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			63,335			33,569			-13,771			-43,669
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			46,289			13,569			64,723			6,331
क) अथ शेष			-1,30,114			-23,863			-83,827			-19,104
ख) इति शेष			-83,826			-10,293			-19,104			-12,773
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			17,046			20,000			-78,493			-50,000
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	13,27,198	1,84,98,597	1,98,25,795	17,33,136	99,01,555	1,16,34,691	15,46,116	4,12,40,850	4,27,86,965	14,60,580	2,82,93,418	2,97,53,998
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	13,27,198	10,10,259	23,37,457	17,33,136	6,24,680	23,57,816	15,46,116	6,94,352	22,40,468	14,60,580	7,19,567	21,80,147
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	12,82,502	6,04,819	18,87,321	17,05,487	1,76,125	18,81,612	14,71,004	2,41,637	17,12,641	14,35,886	1,92,166	16,28,052
1. विकास (क + ख)	12,48,170	5,93,225	18,41,395	16,87,939	1,58,624	18,46,563	14,30,436	2,12,341	16,42,777	14,04,093	1,72,126	15,76,219
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,72,850	33,617	2,06,467	63,376	35,008	98,385	1,47,287	35,633	1,82,920	1,19,066	28,815	1,47,881
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	38,710	—	38,710	11,112	—	11,112	21,065	—	21,065	3,677	—	3,677
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	34,000	—	34,000	13,567	—	13,567	27,819	—	27,819	14,489	—	14,489
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	928	33,799	34,727	333	34,900	35,233	1,552	35,523	37,075	184	28,705	28,888
5. आवास	3,884	—	3,884	2,449	—	2,449	3,492	—	3,492	2,564	—	2,564
6. शहरी विकास	11,046	3	11,049	3,782	3	3,785	23,584	4	23,588	—	4	4
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	68,220	—	68,220	26,077	—	26,077	53,614	—	53,614	93,564	—	93,564
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,708	-184	5,523	1,739	106	1,845	6,273	106	6,379	1,340	106	1,446
9. अन्य *	10,355	—	10,355	4,317	—	4,317	9,887	—	9,887	3,248	—	3,248
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	10,75,321	5,59,607	16,34,928	16,24,563	1,23,615	17,48,178	12,83,149	1,76,708	14,59,858	12,85,027	1,43,311	14,28,338
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	85,215	44,909	1,30,123	38,554	14,193	52,747	97,044	58,218	1,55,262	65,292	26,314	91,607
i) फसल उत्पादन	—	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	54,560	2,801	57,361	24,127	1,997	26,124	65,228	2,307	67,535	36,609	1,658	38,268
iii) पशुपालन	163	—	163	234	—	234	577	—	577	510	—	510
iv) डेरी विकास	28	—	28	44	—	44	56	—	56	55	—	55
v) मत्स्यपालन	3,302	—	3,302	2,656	—	2,656	8,676	—	8,676	9,729	—	9,729
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,948	175	4,122	2,435	180	2,616	4,280	180	4,460	3,789	176	3,965
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	754	41,900	42,654	752	12,016	12,768	862	55,731	56,593	978	24,480	25,458
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	76	—	76	25	—	25	81	—	81	100	—	100
x) सहकारिता	22,384	—	22,384	8,279	—	8,279	17,283	—	17,283	13,523	—	13,523
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	46,744	—	46,744	11,73,175	—	11,73,175	62,225	—	62,225	2,20,075	—	2,20,075
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,773	—	4,773	1,810	—	1,810	5,787	—	5,787	5,430	—	5,430
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	4,773	—	4,773	1,810	—	1,810	5,787	—	5,787	5,430	—	5,430
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,47,350	4,79,385	11,26,736	2,15,114	90,731	3,05,844	6,26,472	90,731	7,17,203	6,49,755	92,958	7,42,713
5. ऊर्जा	89,830	—	89,830	57,584	—	57,584	1,91,496	—	1,91,496	1,79,128	—	1,79,128
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,444	—	1,444	1,067	—	1,067	1,178	—	1,178	841	—	841
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,444	—	1,444	1,067	—	1,067	1,178	—	1,178	841	—	841
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	1,98,784	17,134	2,15,918	1,36,872	10,000	1,46,872	2,98,309	19,068	3,17,377	1,63,101	15,000	1,78,101
i) सड़क और पुल	1,98,784	—	1,98,784	1,36,872	—	1,36,872	2,98,309	—	2,98,309	1,63,101	—	1,63,101
ii) अन्य **	—	17,134	17,134	—	10,000	10,000	—	19,068	19,068	—	15,000	15,000
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,180	18,180	19,360	386	8,691	9,078	639	8,691	9,330	1,405	9,039	10,443
i) पर्यटन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य @@	1,180	18,180	19,360	386	8,691	9,078	639	8,691	9,330	1,405	9,039	10,443
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	34,332	11,594	45,926	17,548	17,501	35,049	40,568	29,296	69,864	31,793	20,040	51,833
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	3,70,398	3,70,398	-	6,34,138	6,34,138	-	4,46,637	4,46,637	-	7,31,140	7,31,140
1. बाजार ऋण	-	79,436	79,436	-	89,048	89,048	-	88,998	88,998	-	91,512	91,512
2. एलआईसी से ऋण	-	25,021	25,021	-	25,017	25,017	-	25,021	25,021	-	25,017	25,017
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	14,087	14,087	-	17,017	17,017	-	17,017	17,017	-	26,240	26,240
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	11,140	11,140	-	16,930	16,930	-	13,316	13,316	-	14,900	14,900
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	90,374	90,374	-	3,00,000	3,00,000	-	1,00,000	1,00,000	-	3,00,000	3,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	1,10,978	1,10,978	-	1,56,285	1,56,285	-	1,56,285	1,56,285	-	2,35,050	2,35,050
8. अन्य	-	39,362	39,362	-	29,841	29,841	-	46,000	46,000	-	38,421	38,421
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	2	2	-	5	5	-	5	5	-	5	5
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	42,053	42,053	-	43,014	43,014	-	42,612	42,612	-	49,650	49,650
1. राज्य योजना स्कीमें	-	39,977	39,977	-	40,862	40,862	-	40,546	40,546	-	47,392	47,392
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	83	83	-	83	83	-	83	83	-	83	83
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	1,296	1,296	-	1,416	1,416	-	1,354	1,354	-	1,526	1,526
4. योजनेतर (i से ii)	-	698	698	-	653	653	-	630	630	-	650	650
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	698	698	-	653	653	-	630	630	-	650	650
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	44,696	83,363	1,28,059	27,649	71,403	99,052	75,111	63,466	1,38,578	24,694	46,611	71,305
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	44,696	58,506	1,03,202	27,649	65,282	92,932	75,111	58,955	1,34,066	24,694	40,637	65,331
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	10,258	30,212	40,470	5,606	30,481	36,088	44,001	40,037	84,038	11,699	30,368	42,067
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	24	-	24	24	-	24	30	-	30
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	723	723	-	681	681	-	681	681	-	648	648
5. आवास	-	6,726	6,726	-	1,568	1,568	-	14,068	14,068	-	38	38
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	22,757	22,757	-	28,207	28,207	-	24,138	24,138	-	29,651	29,651
7. अन्य	10,258	7	10,265	5,583	25	5,608	43,978	1,149	45,127	11,669	30	11,699
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	34,438	28,294	62,732	22,043	34,801	56,844	31,110	18,918	50,028	12,995	10,269	23,264
1. फसल उत्पादन	-	210	210	-	5	5	-	505	505	-	5	5
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	12,145	10,999	23,145	4,123	10,500	14,623	10,146	4,303	14,449	7,927	7,500	15,427
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	17,839	13,641	31,480	14,667	24,296	38,963	16,110	14,110	30,220	2,701	-	2,701

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	1,711	—	1,711	1,812	—	1,812	1,460	—	1,460	1,306	—	1,306
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	3,302	3,302	—	—	—	—	—	—	—	2,764	2,764
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	2,743	142	2,885	1,441	—	1,441	3,394	—	3,394	1,060	—	1,060
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	—	24,858	24,858	—	6,121	6,121	—	4,512	4,512	—	5,975	5,975
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	—	3,734	3,734	—	6,121	6,121	—	4,512	4,512	—	5,975	5,975
ख) विविध	—	21,124	21,124	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	40,193	40,193	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	1,41,635	1,41,635	—	1,55,885	1,55,885	—	1,57,642	1,57,642	—	1,65,686	1,65,686
1. राज्य भविष्य निधि	—	1,31,847	1,31,847	—	1,39,761	1,39,761	—	1,41,584	1,41,584	—	1,48,663	1,48,663
2. अन्य	—	9,789	9,789	—	16,124	16,124	—	16,059	16,059	—	17,023	17,023
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	2,23,803	2,23,803	—	1,45,798	1,45,798	—	2,36,255	2,36,255	—	2,16,326	2,16,326
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधियां	—	1,42,774	1,42,774	—	83,100	83,100	—	83,100	83,100	—	1,34,000	1,34,000
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	81,029	81,029	—	62,698	62,698	—	1,53,155	1,53,155	—	82,326	82,326
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	10,19,752	10,19,752	—	11,34,786	11,34,786	—	9,50,512	9,50,512	—	8,70,065	8,70,065
1. सिविल जमा	—	9,70,468	9,70,468	—	10,88,018	10,88,018	—	9,21,685	9,21,685	—	8,09,533	8,09,533
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	7	7	—	2	2	—	—	—	—	2	2
3. सिविल अग्रिम	—	20,793	20,793	—	25,011	25,011	—	10,015	10,015	—	25,017	25,017
4. अन्य	—	28,484	28,484	—	21,756	21,756	—	18,813	18,813	—	35,513	35,513
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	1,40,97,885	1,40,97,885	—	60,95,385	60,95,385	—	3,75,87,078	3,75,87,078	—	2,39,45,762	2,39,45,762
1. उचित	—	-11,313	-11,313	—	1,384	1,384	—	3,078	3,078	—	760	760
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	1,40,80,963	1,40,80,963	—	60,00,000	60,00,000	—	3,20,00,000	3,20,00,000	—	1,80,00,000	1,80,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	28,235	28,235	—	94,001	94,001	—	55,84,000	55,84,000	—	59,45,002	59,45,002
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	65,000	65,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	18,09,695	18,09,695	—	14,45,021	14,45,021	—	15,15,010	15,15,010	—	20,76,013	20,76,013
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			5,57,677			-7,12,336			-12,73,013			-7,65,450
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			3,40,115			6,09,973			12,03,550			7,60,835
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			8,97,791			-1,02,363			-69,463			-4,615
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			8,97,792			-1,02,363			-69,463			-4,615
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			36,414			-1,02,363			-69,463			-14,072
क) अथ शेष			-90,692			-1,62,202			-54,279			-1,23,742
ख) इति शेष			-54,278			-2,64,565			-1,23,742			-1,37,815
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			8,61,378			—			—			9,457
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मणिपुर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	1,46,453	22,77,542	24,23,995	1,35,743	15,72,680	17,08,423	1,84,694	21,32,026	23,16,720	1,78,172	22,33,282	24,11,454
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	1,46,453	31,697	1,78,150	1,35,743	11,569	1,47,312	1,84,694	10,528	1,95,222	1,78,172	11,448	1,89,620
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,46,379	301	1,46,680	1,35,023	4	1,35,027	1,83,974	4	1,83,978	1,76,502	4	1,76,506
1. विकास (क + ख)	1,40,900	301	1,41,201	76,561	4	76,565	1,73,140	4	1,73,144	1,52,614	4	1,52,618
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	54,714	1	54,715	20,576	1	20,577	56,604	1	56,605	55,668	1	55,669
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,064	—	11,064	2,570	—	2,570	11,303	—	11,303	6,234	—	6,234
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,771	—	4,771	1,133	—	1,133	8,067	—	8,067	9,477	—	9,477
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	20,467	—	20,467	10,437	—	10,437	15,838	—	15,838	20,311	—	20,311
5. आवास	4,608	1	4,609	650	1	651	1,298	1	1,299	1,625	1	1,626
6. शहरी विकास	9,349	—	9,349	3,475	—	3,475	13,028	—	13,028	13,335	—	13,335
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,903	—	3,903	2,138	—	2,138	5,418	—	5,418	3,146	—	3,146
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	—	—	1,410	—	1,410	1,375	—	1,375
9. अन्य *	552	—	552	172	—	172	242	—	242	165	—	165
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	86,186	300	86,486	55,985	3	55,988	1,16,537	3	1,16,540	96,947	3	96,950
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	2,861	300	3,161	651	—	651	1,170	—	1,170	944	—	944
i) फसल उत्पादन	—	—	—	189	—	189	—	—	—	293	—	293
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,250	—	2,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	276	—	276	305	—	305	313	—	313	445	—	445
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	4	—	4	14	—	14	86	—	86	121	—	121
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	1	300	301	—	—	—	660	—	660	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	35	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	100	—	100	143	—	143	111	—	111	85	—	85
xi) अन्य @	195	—	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	20	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,537	—	1,537	435	—	435	2,522	—	2,522	1,388	—	1,388
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	30,738	—	30,738	25,965	—	25,965	36,104	—	36,104	40,103	—	40,103
5. ऊर्जा	11,287	—	11,287	13,491	—	13,491	30,549	—	30,549	20,723	—	20,723
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	7,675	—	7,675	6,336	—	6,336	6,798	—	6,798	6,826	—	6,826
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	7,395	—	7,395	6,276	—	6,276	6,325	—	6,325	6,826	—	6,826
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	27	—	27	27	—	27	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	280	—	280	33	—	33	446	—	446	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	29,957	—	29,957	7,650	3	7,653	34,679	3	34,682	24,763	3	24,766
i) सड़क और पुल	22,096	—	22,096	7,650	3	7,653	32,529	3	32,532	23,683	3	23,686
ii) अन्य **	7,861	—	7,861	—	—	—	2,150	—	2,150	1,080	—	1,080
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,070	—	1,070	—	—	—	355	—	355	1,837	—	1,837
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,041	—	1,041	1,456	—	1,456	4,360	—	4,360	363	—	363
i) पर्यटन	1,041	—	1,041	1,456	—	1,456	4,360	—	4,360	363	—	363
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	5,479	—	5,479	58,462	—	58,462	10,834	—	10,834	23,888	—	23,888
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	6,848	6,848	—	7,210	7,210	—	6,194	6,194	—	7,085	7,085
1. बाजार ऋण	—	—	—	—	5,753	5,753	—	—	—	—	5,198	5,198
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	300	300	—	—	—	—	300	300
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	187	187	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	265	265	—	—	—	—	265	265
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	383	383	—	100	100	—	—	—	—	449	449
8. अन्य	—	6,465	6,465	—	605	605	—	6,194	6,194	—	873	873
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	24,514	24,514	—	4,215	4,215	—	4,226	4,226	—	4,210	4,210
1. राज्य योजना स्कीम	—	—	—	—	249	249	—	—	—	—	253	253
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	28	28	—	—	—	—	28	28
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	—	—	—	114	114	—	—	—	—	106	106
4. योजनेतर (i से ii)	—	24,514	24,514	—	3,794	3,794	—	4,226	4,226	—	3,795	3,795
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	24,514	24,514	—	3,794	3,794	—	4,226	4,226	—	3,795	3,795
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	28	28
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	74	34	108	720	140	860	720	103	823	1,670	150	1,820
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	74	—	74	720	65	785	720	—	720	1,670	65	1,735
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	74	—	74	—	65	65	—	—	—	1,000	65	1,065
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	50	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	24	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	65	65	—	—	—	—	65	65
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	—	1,000
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	—	—	—	720	—	720	720	—	720	670	—	670
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मणिपुर

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	670	-	670	670	-	670	620	-	620
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	50	-	50	50	-	50	50	-	50
2. गैर-विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	34	34	-	75	75	-	103	103	-	85	85
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	34	34	-	75	75	-	103	103	-	85	85
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	8,776	8,776	-	9,323	9,323	-	12,224	12,224	-	12,350	12,350
1. राज्य भविष्य निधि	-	8,500	8,500	-	9,000	9,000	-	12,000	12,000	-	12,000	12,000
2. अन्य	-	275	275	-	323	323	-	224	224	-	350	350
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	3,333	3,333	-	2,657	2,657	-	2,657	2,657	-	2,923	2,923
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,266	1,266	-	1,832	1,832	-	1,832	1,832	-	1,909	1,909
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,067	2,067	-	825	825	-	825	825	-	1,014	1,014
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	39,800	39,800	-	17,501	17,501	-	19,700	19,700	-	24,980	24,980
1. सिविल जमा	-	7,478	7,478	-	4,500	4,500	-	7,500	7,500	-	8,500	8,500
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,240	1,240	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,400	1,400
4. अन्य	-	31,082	31,082	-	11,501	11,501	-	10,700	10,700	-	15,080	15,080
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	19,93,896	19,93,896	-	14,63,800	14,63,800	-	20,19,087	20,19,087	-	21,15,635	21,15,635
1. उचित	-	5,004	5,004	-	15,000	15,000	-	14,000	14,000	-	15,000	15,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	19,80,449	19,80,449	-	14,42,800	14,42,800	-	19,98,407	19,98,407	-	20,95,635	20,95,635
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	8,443	8,443	-	6,000	6,000	-	6,680	6,680	-	5,000	5,000
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	2,00,040	2,00,040	-	67,830	67,830	-	67,830	67,830	-	65,946	65,946
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,25,034			94,868			1,52,451			1,31,848
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-1,06,681			-1,10,516			-1,43,355			-1,38,840
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			18,353			-15,649			9,096			-6,992
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			18,353			-15,649			9,096			-6,992
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-2,918			-8,449			15,689			2,373
क) अथ शेष			-22,984			-32,424			-25,589			-9,900
ख) इति शेष			-25,903			-40,873			-9,900			-7,527
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			21,271			-7,200			-6,593			-9,365
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	57,399	9,94,996	10,52,395	84,501	12,05,173	12,89,673	84,501	11,96,853	12,81,354	72,209	12,64,114	13,36,322
कुल पूंजी संचितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	57,399	17,596	74,994	84,501	14,884	99,385	84,501	14,935	99,436	72,209	14,579	86,787
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	53,073	28	53,101	81,192	-	81,192	81,192	-	81,192	69,400	-	69,400
1. विकास (क + ख)	48,316	28	48,344	74,619	-	74,619	74,619	-	74,619	62,742	-	62,742
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	22,123	28	22,151	34,057	-	34,057	34,057	-	34,057	24,506	-	24,506
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	469	-	469	308	-	308	308	-	308	308	-	308
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,999	28	2,027	2,287	-	2,287	2,287	-	2,287	2,480	-	2,480
3. परिवार कल्याण	-	-	-	50	-	50	50	-	50	50	-	50
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,701	-	13,701	18,809	-	18,809	18,809	-	18,809	9,354	-	9,354
5. आवास	670	-	670	863	-	863	863	-	863	765	-	765
6. शहरी विकास	5,215	-	5,215	10,319	-	10,319	10,319	-	10,319	10,149	-	10,149
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	69	-	69	1,420	-	1,420	1,420	-	1,420	1,400	-	1,400
9. अन्य *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	26,193	-	26,193	40,562	-	40,562	40,562	-	40,562	38,235	-	38,235
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,549	-	1,549	4,063	-	4,063	4,063	-	4,063	2,480	-	2,480
i) फसल उत्पादन	39	-	39	1,046	-	1,046	1,046	-	1,046	1,075	-	1,075
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	10	-	10	50	-	50	50	-	50	20	-	20
vi) वानिकी और वन्य जीवन	914	-	914	2,311	-	2,311	2,311	-	2,311	732	-	732
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	174	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	384	-	384	616	-	616	616	-	616	613	-	613
xi) अन्य @	30	-	30	40	-	40	40	-	40	40	-	40
2. ग्रामीण विकास	27	-	27	33	-	33	33	-	33	30	-	30
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	3,708	-	3,708	4,801	-	4,801	4,801	-	4,801	4,837	-	4,837
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,180	-	3,180	6,721	-	6,721	6,721	-	6,721	8,435	-	8,435
5. ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,445	-	1,445	1,642	-	1,642	1,642	-	1,642	1,644	-	1,644
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	45	-	45	70	-	70	70	-	70	76	-	76
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	1,400	-	1,400	1,572	-	1,572	1,572	-	1,572	1,568	-	1,568
7. परिवहन (i + ii)	16,280	-	16,280	23,297	-	23,297	23,297	-	23,297	20,787	-	20,787
i) सड़क और पुल	15,879	-	15,879	22,732	-	22,732	22,732	-	22,732	20,222	-	20,222
ii) अन्य **	401	-	401	565	-	565	565	-	565	565	-	565
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	6	-	6	5	-	5	5	-	5	22	-	22
i) पर्यटन	6	-	6	5	-	5	5	-	5	22	-	22
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	4,756	-	4,756	6,573	-	6,573	6,573	-	6,573	6,659	-	6,659
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	10,922	10,922	-	16,481	16,481	-	16,481	16,481	-	15,784	15,784
1. बाजार ऋण	-	7,308	7,308	-	8,186	8,186	-	8,186	8,186	-	7,000	7,000
2. एलआईसी से ऋण	-	25	25	-	15	15	-	15	15	-	14	14
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	915	915	-	1,340	1,340	-	1,340	1,340	-	1,510	1,510
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	184	184	-	210	210	-	215	215	-	160	160
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	4,050	4,050	-	4,032	4,032	-	4,050	4,050
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	474	474	-	740	740	-	740	740	-	1,030	1,030
8. अन्य	-	2,016	2,016	-	1,940	1,940	-	1,953	1,953	-	2,020	2,020
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	140	140	-	140	140	-	140	140	-	140	140
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	5,951	5,951	-	1,853	1,853	-	1,886	1,886	-	2,195	2,195
1. राज्य योजना स्कीम	-	5,741	5,741	-	1,636	1,636	-	1,669	1,669	-	1,968	1,968
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	103	103	-	107	107	-	107	107	-	111	111
4. योजनेतर (i से ii)	-	40	40	-	39	39	-	39	39	-	39	39
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	40	40	-	39	39	-	39	39	-	39	39
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	66	66	-	69	69	-	69	69	-	76	76
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	4,326	695	5,021	3,309	600	3,909	3,309	600	3,909	2,808	650	3,458
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	4,326	7	4,333	3,309	50	3,359	3,309	50	3,359	2,808	20	2,828
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	7	7	-	50	50	-	50	50	-	20	20
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	7	7	-	40	40	-	40	40	-	10	10
7. अन्य	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	4,326	-	4,326	3,309	-	3,309	3,309	-	3,309	2,808	-	2,808
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	12	-	12	131	-	131	131	-	131	81	-	81
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	4,314	-	4,314	2,828	-	2,828	2,828	-	2,828	2,377	-	2,377

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	350	-	350	350	-	350	350	-	350
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	-	688	688	-	550	550	-	550	550	-	630	630
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	688	688	-	550	550	-	550	550	-	630	630
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	10,331	10,331	-	21,000	21,000	-	18,168	18,168	-	21,000	21,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	6,097	6,097	-	6,916	6,916	-	6,916	6,916	-	7,262	7,262
1. राज्य भविष्य निधि	-	6,097	6,097	-	6,916	6,916	-	6,916	6,916	-	7,262	7,262
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	2,565	2,565	-	2,690	2,690	-	2,690	2,690	-	2,831	2,831
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,352	1,352	-	1,422	1,422	-	1,422	1,422	-	1,563	1,563
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,213	1,213	-	1,268	1,268	-	1,268	1,268	-	1,268	1,268
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	58,173	58,173	-	32,590	32,590	-	31,249	31,249	-	37,048	37,048
1. सिविल जमा	-	52,963	52,963	-	28,331	28,331	-	26,990	26,990	-	31,872	31,872
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	5,209	5,209	-	4,257	4,257	-	4,257	4,257	-	5,176	5,176
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	7,95,403	7,95,403	-	10,38,042	10,38,042	-	10,34,266	10,34,266	-	10,84,552	10,84,552
1. उचित	-	-4,885	-4,885	-	1,635	1,635	-	1,635	1,635	-	1,716	1,716
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	8,00,181	8,00,181	-	3,71,101	3,71,101	-	3,71,101	3,71,101	-	4,17,509	4,17,509
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	6,64,900	6,64,900	-	6,61,124	6,61,124	-	6,64,900	6,64,900
4. अन्य	-	106	106	-	406	406	-	406	406	-	426	426
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,04,832	1,04,832	-	85,000	85,000	-	84,597	84,597	-	92,793	92,793
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			12,787			21,804			21,805			33,194
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-5,683			-47,237			-41,282			-25,898
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			7,104			-25,433			-19,477			7,296
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			7,104			-25,433			-19,476			7,296
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			873			-36,675			-25,103			-3,513
क) अथ शेष			-5,942			-3,357			-5,070			-30,173
ख) इति शेष			-5,069			-40,032			-30,172			-33,686
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			6,231			11,242			5,644			10,809
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-18			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मिजोरम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	37,872	10,30,583	10,68,456	39,703	6,18,821	6,58,524	55,076	7,14,280	7,69,356	34,821	6,96,177	7,30,998
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	37,872	17,602	55,474	39,703	25,867	65,570	55,076	36,176	91,251	34,821	31,747	66,568
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	36,659	7,445	44,104	39,198	190	39,388	54,571	10,220	64,790	34,321	4,527	38,848
1. विकास (क + ख)	34,681	7,445	42,125	37,587	190	37,777	51,079	10,220	61,299	32,665	4,527	37,191
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	9,294	—	9,294	12,178	190	12,368	18,470	161	18,631	11,895	700	12,595
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	690	—	690	1,525	—	1,525	4,459	—	4,459	20	—	20
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	411	—	411	6	—	6	6	—	6	11	—	11
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,421	—	6,421	3,079	—	3,079	6,030	—	6,030	1,273	—	1,273
5. आवास	211	—	211	760	—	760	760	—	760	760	—	760
6. शहरी विकास	643	—	643	6,763	190	6,953	7,170	161	7,330	9,786	700	10,486
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	868	—	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. अन्य *	49	—	49	45	—	45	45	—	45	45	—	45
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	25,387	7,445	32,832	25,409	—	25,409	32,609	10,059	42,668	20,770	3,827	24,597
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,234	7,445	8,678	158	—	158	897	10,059	10,956	808	3,827	4,635
i) फसल उत्पादन	55	—	55	15	—	15	55	—	55	57	—	57
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	487	—	487	—	—	—	350	—	350	459	—	459
iii) पशुपालन	—	—	—	—	—	—	106	—	106	250	—	250
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	23	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	275	—	275	65	—	65	144	—	144	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	220	7,445	7,665	4	—	4	168	10,059	10,227	10	3,827	3,837
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	122	—	122	48	—	48	48	—	48	5	—	5
xi) अन्य @	52	—	52	27	—	27	27	—	27	27	—	27
2. ग्रामीण विकास	836	—	836	649	—	649	797	—	797	600	—	600
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	5,861	—	5,861	2,481	—	2,481	4,180	—	4,180	2,467	—	2,467
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7,510	—	7,510	5,555	—	5,555	5,385	—	5,385	5,315	—	5,315
5. ऊर्जा	3,478	—	3,478	6,749	—	6,749	8,446	—	8,446	4,021	—	4,021
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	817	—	817	231	—	231	231	—	231	49	—	49
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	817	—	817	231	—	231	231	—	231	49	—	49
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	4,267	—	4,267	9,585	—	9,585	12,298	—	12,298	7,510	—	7,510
i) सड़क और पुल	4,145	—	4,145	8,773	—	8,773	11,153	—	11,153	7,399	—	7,399
ii) अन्य **	122	—	122	812	—	812	1,145	—	1,145	111	—	111
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,384	-	1,384	-	-	-	374	-	374	-	-	-
i) पर्यटन	1,384	-	1,384	-	-	-	374	-	374	-	-	-
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	1,979	-	1,979	1,611	-	1,611	3,491	-	3,491	1,656	-	1,656
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	7,805	7,805	-	21,802	21,802	-	35,755	35,755	-	23,315	23,315
1. बाजार ऋण	-	2,997	2,997	-	14,304	14,304	-	14,304	14,304	-	16,170	16,170
2. एलआईसी से ऋण	-	2,345	2,345	-	2,206	2,206	-	2,206	2,206	-	2,416	2,416
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	965	965	-	1,107	1,107	-	1,107	1,107	-	1,234	1,234
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	187	187	-	138	138	-	189	189	-	51	51
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	13,674	13,674	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	242	242	-	375	375	-	375	375	-	672	672
8. अन्य	-	1,070	1,070	-	3,672	3,672	-	3,900	3,900	-	2,772	2,772
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	456	456	-	228	228	-	456	456	-	456	456
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	1,824	1,824	-	1,863	1,863	-	1,863	1,863	-	1,905	1,905
1. राज्य योजना स्कीम	-	1,509	1,509	-	1,569	1,569	-	1,569	1,569	-	1,586	1,586
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	159	159	-	139	139	-	139	139	-	163	163
4. योजनेतर (i से ii)	-	73	73	-	73	73	-	73	73	-	73	73
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	73	73	-	73	73	-	73	73	-	73	73
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	83	83	-	83	83	-	83	83	-	83	83
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	1,213	528	1,741	505	2,012	2,517	505	2,012	2,517	500	2,000	2,500
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	1,213	25	1,238	505	1,045	1,550	505	1,145	1,650	500	1,133	1,633
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	328	25	353	505	1,033	1,538	505	1,133	1,638	500	1,133	1,633
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	328	-	328	505	-	505	505	-	505	500	-	500
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	25	25	-	1,033	1,033	-	1,133	1,133	-	1,133	1,133
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	885	-	885	-	12	12	-	12	12	-	-	-
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
मिजोरम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	872	-	872	-	12	12	-	12	12	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	503	503	-	967	967	-	867	867	-	867	867
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	503	503	-	967	967	-	867	867	-	867	867
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	12,727	12,727	-	25,148	25,148	-	37,291	37,291	-	37,291	37,291
1. राज्य भविष्य निधि	-	12,480	12,480	-	24,898	24,898	-	37,041	37,041	-	37,041	37,041
2. अन्य	-	247	247	-	250	250	-	250	250	-	250	250
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	7,081	7,081	-	-	-	-	2,890	2,890	-	2,890	2,890
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,500	1,500	-	-	-	-	890	890	-	890	890
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	5,581	5,581	-	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	26,186	26,186	-	13,122	13,122	-	7,446	7,446	-	17,446	17,446
1. सिविल जमा	-	24,757	24,757	-	12,000	12,000	-	6,146	6,146	-	16,146	16,146
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,429	1,429	-	1,122	1,122	-	1,300	1,300	-	1,300	1,300
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	8,67,013	8,67,013	-	4,51,794	4,51,794	-	4,92,202	4,92,202	-	5,02,202	5,02,202
1. उचित	-	3,404	3,404	-	1,44,941	1,44,941	-	1,45,000	1,45,000	-	1,45,000	1,45,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	8,62,305	8,62,305	-	-	-	-	40,000	40,000	-	50,000	50,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	3,05,163	3,05,163	-	3,05,500	3,05,500	-	3,05,500	3,05,500
4. अन्य	-	1,304	1,304	-	1,689	1,689	-	1,702	1,702	-	1,702	1,702
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	99,974	99,974	-	82,890	82,890	-	84,602	84,602	-	84,602	84,602
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			33,933			17,752			25,689			34,162
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-41,841			3,548			-16,596			-13,778
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-7,908			21,300			9,093			20,384
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-7,908			21,300			9,093			20,384
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-851			21,300			4,893			3,354
क) अथ शेष			-7,659			-7,045			-8,510			-3,618
ख) इति शेष			-8,510			14,255			-3,617			-264
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-7,057			-			4,200			17,030
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
नागालैंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	85,390	8,25,644	9,11,034	1,33,494	4,99,926	6,33,421	1,35,403	5,17,274	6,52,676	1,28,865	5,00,846	6,29,712
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	85,390	20,603	1,05,993	1,33,494	27,176	1,60,671	1,35,403	27,608	1,63,010	1,28,865	28,096	1,56,962
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	85,307	1	85,309	1,33,494	1	1,33,495	1,32,993	1	1,32,994	1,28,277	1	1,28,278
1. विकास (क + ख)	70,392	1	70,393	89,997	1	89,999	1,13,236	1	1,13,237	1,03,207	1	1,03,208
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	29,178	-	29,178	42,236	-	42,236	49,056	-	49,056	47,711	-	47,711
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,545	-	4,545	5,960	-	5,960	7,459	-	7,459	8,517	-	8,517
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,401	-	1,401	2,998	-	2,998	3,268	-	3,268	4,401	-	4,401
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,849	-	6,849	6,549	-	6,549	7,115	-	7,115	10,426	-	10,426
5. आवास	6,221	-	6,221	7,946	-	7,946	9,223	-	9,223	6,120	-	6,120
6. शहरी विकास	9,069	-	9,069	16,416	-	16,416	19,664	-	19,664	15,219	-	15,219
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	733	-	733	1,953	-	1,953	1,963	-	1,963	2,572	-	2,572
9. अन्य *	361	-	361	414	-	414	364	-	364	457	-	457
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	41,214	1	41,216	47,761	1	47,763	64,180	1	64,181	55,495	1	55,497
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	4,291	1	4,292	9,091	1	9,093	6,448	1	6,449	6,274	1	6,275
i) फसल उत्पादन	1,373	-	1,373	2,501	-	2,501	1,316	-	1,316	1,623	-	1,623
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	20	-	20	32	-	32	40	-	40	40	-	40
iii) पशुपालन	477	-	477	57	-	57	177	-	177	107	-	107
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	280	-	280	194	-	194	194	-	194	70	-	70
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,758	-	1,758	2,350	-	2,350	3,137	-	3,137	3,604	-	3,604
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	323	1	325	267	1	269	304	1	305	471	1	472
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	59	-	59	3,690	-	3,690	1,280	-	1,280	359	-	359
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	88	-	88	-	-	-	-	-	-	50	-	50
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	8,361	-	8,361	7,775	-	7,775	12,041	-	12,041	10,447	-	10,447
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	898	-	898	1,267	-	1,267	200	-	200	1,084	-	1,084
5. ऊर्जा	10,880	-	10,880	8,400	-	8,400	10,186	-	10,186	9,378	-	9,378
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	5,277	-	5,277	2,934	-	2,934	4,516	-	4,516	4,616	-	4,616
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	119	-	119	100	-	100	100	-	100	70	-	70
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1,583	-	1,583	574	-	574	2,264	-	2,264	716	-	716
iv) अन्य #	3,575	-	3,575	2,260	-	2,260	2,152	-	2,152	3,830	-	3,830
7. परिवहन (i + ii)	10,740	-	10,740	17,767	-	17,767	27,944	-	27,944	22,261	-	22,261
i) सड़क और पुल	9,876	-	9,876	17,125	-	17,125	26,725	-	26,725	20,821	-	20,821
ii) अन्य **	864	-	864	642	-	642	1,219	-	1,219	1,440	-	1,440
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
नागालैंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	170	—	170	200	—	200	200	—	200	100	—	100
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	510	—	510	328	—	328	2,645	—	2,645	1,286	—	1,286
i) पर्यटन	335	—	335	148	—	148	2,465	—	2,465	628	—	628
ii) अन्य @@	175	—	175	180	—	180	180	—	180	658	—	658
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	14,915	—	14,915	43,497	—	43,497	19,757	—	19,757	25,071	—	25,071
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	38,460	38,460	—	75,011	75,011	—	70,006	70,006	—	73,122	73,122
1. बाजार ऋण	—	10,146	10,146	—	13,660	13,660	—	13,660	13,660	—	12,721	12,721
2. एलआईसी से ऋण	—	1,110	1,110	—	1,156	1,156	—	1,147	1,147	—	1,100	1,100
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	1,589	1,589	—	1,791	1,791	—	1,824	1,824	—	2,174	2,174
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	152	152	—	170	170	—	68	68	—	68	68
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	18,458	18,458	—	50,000	50,000	—	46,181	46,181	—	50,000	50,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	239	239	—	125	125	—	260	260	—	300	300
8. अन्य	—	6,765	6,765	—	8,108	8,108	—	6,867	6,867	—	6,758	6,758
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	537	537	—	2,124	2,124	—	3,741	3,741	—	4,932	4,932
1. राज्य योजना स्कीम	—	145	145	—	1,733	1,733	—	3,355	3,355	—	4,552	4,552
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	34	34	—	43	43	—	42	42	—	42	42
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	143	143	—	136	136	—	134	134	—	132	132
4. योजनेतर (i से ii)	—	85	85	—	83	83	—	82	82	—	80	80
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	85	85	—	83	83	—	82	82	—	80	80
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	32	32	—	31	31	—	29	29	—	29	29
7. अन्य	—	99	99	—	98	98	—	98	98	—	98	98
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	83	64	146	—	40	40	2,410	40	2,450	588	40	628
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	83	45	128	—	22	22	2,410	22	2,432	588	22	610
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	45	45	—	22	22	—	22	22	—	22	22
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	45	45	—	22	22	—	22	22	—	22	22
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	83	—	83	—	—	—	2,410	—	2,410	588	—	588
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	83	—	83	—	—	—	2,410	—	2,410	588	—	588
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
नागालैंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	19	19	-	19	19	-	19	19	-	19	19
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	19	19	-	19	19	-	19	19	-	19	19
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	11,420	11,420	-	14,220	14,220	-	13,200	13,200	-	14,220	14,220
1. राज्य भविष्य निधि	-	11,229	11,229	-	14,000	14,000	-	13,000	13,000	-	14,000	14,000
2. अन्य	-	191	191	-	220	220	-	200	200	-	220	220
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	3,949	3,949	-	2,520	2,520	-	2,354	2,354	-	2,520	2,520
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,954	1,954	-	2,220	2,220	-	2,054	2,054	-	2,220	2,220
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,995	1,995	-	300	300	-	300	300	-	300	300
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	15,586	15,586	-	12,000	12,000	-	33,921	33,921	-	12,000	12,000
1. सिविल जमा	-	14,390	14,390	-	11,000	11,000	-	32,921	32,921	-	11,000	11,000
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,195	1,195	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	6,20,912	6,20,912	-	3,14,000	3,14,000	-	3,14,000	3,14,000	-	3,14,000	3,14,000
1. उचित	-	8,980	8,980	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	5,77,603	5,77,603	-	3,00,000	3,00,000	-	3,00,000	3,00,000	-	3,00,000	3,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	34,330	34,330	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,34,715	1,34,715	-	80,010	80,010	-	80,010	80,010	-	80,010	80,010
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			51,135			73,980			41,890			98,916
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-39,458			-76,272			-1,01,112			-99,510
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			11,677			-2,292			-59,221			-594
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			11,677			-2,292			-59,221			-594
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			3,370			-2,292			-55,402			-594
क) अथ शेष			-44,696			-47,131			-4,368			-59,770
ख) इति शेष			-41,326			-49,423			-59,770			-60,364
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			8,307			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-3,819			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
उड़ीसा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	3,62,685	1,10,06,754	1,13,69,439	3,58,960	28,45,347	32,04,307	3,91,929	25,45,969	29,37,898	4,78,193	28,82,877	33,61,070
कुल पूंजी संचितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	3,62,685	1,85,589	5,48,274	3,58,960	28,876	3,87,836	3,91,929	1,99,874	5,91,803	4,78,193	1,73,284	6,51,477
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	3,57,062	20,854	3,77,916	3,57,030	2,404	3,59,433	3,88,869	39,890	4,28,758	4,57,648	7,651	4,65,299
1. विकास (क + ख)	3,45,447	13,975	3,59,422	3,42,309	-33	3,42,276	3,73,279	33,302	4,06,580	4,43,266	1,652	4,44,918
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	90,214	2,148	92,362	67,608	312	67,920	88,024	552	88,575	81,031	829	81,859
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	335	-	335	9,940	-	9,940	11,301	-	11,301	44,356	-	44,356
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,491	-	1,491	2,588	-	2,588	2,666	-	2,666	3,022	-	3,022
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	70,680	600	71,280	36,204	-	36,204	47,481	-	47,481	8,270	-	8,270
5. आवास	7,450	1,548	8,997	6,237	312	6,549	6,829	552	7,380	8,002	829	8,830
6. शहरी विकास	750	-	750	1,173	-	1,173	1,173	-	1,173	510	-	510
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,259	-	9,259	11,038	-	11,038	18,147	-	18,147	15,629	-	15,629
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. अन्य *	250	-	250	428	-	428	428	-	428	1,242	-	1,242
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,55,233	11,827	2,67,061	2,74,701	-345	2,74,356	2,85,255	32,750	3,18,005	3,62,235	823	3,63,058
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	2,484	3,449	5,933	5,894	-540	5,354	6,839	-	6,839	6,963	-	6,963
i) फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	2,600	-	2,600	3,545	-	3,545	1,200	-	1,200
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	32	-	32	758	-	758	758	-	758	2,008	-	2,008
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,775	3,449	5,224	2,310	-540	1,770	2,310	-	2,310	2,380	-	2,380
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	652	-	652	226	-	226	226	-	226	533	-	533
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-	842
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,050	-	19,050
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,51,873	-	1,51,873	1,76,977	72	1,77,049	1,78,175	72	1,78,247	2,04,603	-	2,04,603
5. ऊर्जा	2,306	-	2,306	900	-	900	900	-	900	6,130	-	6,130
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	10	-	10	5	-	5	5	32,544	32,549	505	-	505
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	3,125	3,125	500	-	500
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	10	-	10	5	-	5	5	29,419	29,424	5	-	5
7. परिवहन (i + ii)	89,048	8,365	97,414	88,380	100	88,480	96,038	111	96,149	1,23,452	800	1,24,252
i) सड़क और पुल	88,785	8,365	97,150	87,655	100	87,755	95,250	111	95,362	1,22,727	800	1,23,527
ii) अन्य **	263	-	263	725	-	725	787	-	787	725	-	725
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	9,512	14	9,526	2,545	23	2,568	3,299	23	3,322	1,533	23	1,556
i) पर्यटन	3,878	—	3,878	2,545	—	2,545	3,299	—	3,299	1,533	—	1,533
ii) अन्य @@	5,634	14	5,647	—	23	23	—	23	23	—	23	23
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	11,615	6,879	18,494	14,721	2,437	17,157	15,590	6,588	22,178	14,382	6,000	20,382
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	1,05,831	1,05,831	—	—	—	—	1,05,255	1,05,255	—	1,02,131	1,02,131
1. बाजार ऋण	—	67,027	67,027	—	—	—	—	57,092	57,092	—	42,157	42,157
2. एलआईसी से ऋण	—	297	297	—	—	—	—	285	285	—	285	285
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	9,513	9,513	—	—	—	—	12,915	12,915	—	17,105	17,105
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	75	75	—	—	—	—	296	296	—	305	305
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	9,492	9,492	—	—	—	—	14,565	14,565	—	21,252	21,252
8. अन्य	—	19,426	19,426	—	—	—	—	20,103	20,103	—	21,028	21,028
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	11,029	11,029	—	—	—	—	11,029	11,029	—	11,029	11,029
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	43,430	43,430	—	—	—	—	43,757	43,757	—	48,848	48,848
1. राज्य योजना स्कीमें	—	41,954	41,954	—	—	—	—	42,315	42,315	—	47,401	47,401
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	337	337	—	—	—	—	337	337	—	318	318
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	679	679	—	—	—	—	693	693	—	716	716
4. योजनेतर (i से ii)	—	297	297	—	—	—	—	250	250	—	251	251
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	297	297	—	—	—	—	250	250	—	251	251
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	162	162	—	—	—	—	162	162	—	162	162
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	5,623	15,474	21,097	1,931	26,473	28,403	3,060	10,973	14,033	20,545	14,654	35,199
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	5,623	8,462	14,085	1,931	7,722	9,653	3,060	7,812	10,872	20,545	9,430	29,975
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	5,452	1,963	7,415	90	6,722	6,812	90	6,812	6,902	24	9,430	9,454
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	110	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	5,452	—	5,452	90	4,722	4,812	90	4,722	4,812	24	4,430	4,454
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	1,853	1,853	—	2,000	2,000	—	2,090	2,090	—	5,000	5,000
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	171	6,499	6,670	1,841	1,000	2,841	2,970	1,000	3,970	20,520	—	20,520
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	15	—	15	39	—	39	169	—	169	19	—	19
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	58	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	1	—	1	—	—	—	20,501	—	20,501

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
उड़ीसा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	1,801	-	1,801	2,801	-	2,801	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	98	6,409	6,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	90	90	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	-	7,011	7,011	-	18,750	18,750	-	3,160	3,160	-	5,224	5,224
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	1,050	1,050	-	1,217	1,217	-	1,127	1,127	-	2,702	2,702
ख) विविध	-	5,961	5,961	-	17,533	17,533	-	2,033	2,033	-	2,522	2,522
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	1,107	1,107	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,67,093	1,67,093	-	2,04,976	2,04,976	-	1,73,334	1,73,334	-	1,83,430	1,83,430
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,66,771	1,66,771	-	2,04,503	2,04,503	-	1,72,958	1,72,958	-	1,83,032	1,83,032
2. अन्य	-	322	322	-	473	473	-	376	376	-	398	398
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	62,431	62,431	-	2,24,821	2,24,821	-	76,184	76,184	-	98,603	98,603
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1	1	-	1,48,637	1,48,637	-	-	-	-	20,137	20,137
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	62,430	62,430	-	76,184	76,184	-	76,184	76,184	-	78,466	78,466
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	2,65,983	2,65,983	-	5,00,570	5,00,570	-	3,59,109	3,59,109	-	5,44,463	5,44,463
1. सिविल जमा	-	1,82,455	1,82,455	-	1,82,458	1,82,458	-	1,69,564	1,69,564	-	2,06,282	2,06,282
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	75,199	75,199	-	62,172	62,172	-	62,172	62,172	-	77,538	77,538
3. सिविल अग्रिम	-	8,329	8,329	-	7,482	7,482	-	7,482	7,482	-	8,566	8,566
4. अन्य	-	-	-	-	2,48,458	2,48,458	-	1,19,892	1,19,892	-	2,52,077	2,52,077
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	97,07,739	97,07,739	-	13,28,472	13,28,472	-	11,79,835	11,79,835	-	12,43,998	12,43,998
1. उचित	-	2,356	2,356	-	2,091	2,091	-	2,091	2,091	-	2,980	2,980
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	97,01,990	97,01,990	-	11,75,034	11,75,034	-	11,75,034	11,75,034	-	12,17,046	12,17,046
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	3,393	3,393	-	1,51,347	1,51,347	-	2,710	2,710	-	23,973	23,973
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	5,91,813	5,91,813	-	5,17,632	5,17,632	-	5,17,632	5,17,632	-	5,99,099	5,99,099
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			3,41,989			-2,36,910			-1,56,429			-1,03,664
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-3,08,567			91,630			-29,926			-11,097
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			33,422			-1,45,280			-1,86,355			-1,14,761
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			33,421			-1,45,280			-1,86,355			-1,14,762
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-17,431			-			-			-1
क) अथ शेष			-83,921			-84,345			-1,00,924			-1,00,924
ख) इति शेष			-1,01,352			-84,345			-1,00,924			-1,00,925
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			50,853			-1,45,280			-1,86,355			-1,14,761
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	2,60,892	41,43,134	44,04,025	3,27,117	1,02,13,061	1,05,40,178	3,34,066	96,43,740	99,77,806	2,82,543	98,41,710	1,01,24,254
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	2,60,892	1,60,780	4,21,672	3,27,117	2,10,634	5,37,752	3,34,066	2,01,497	5,35,563	2,82,543	2,06,521	4,89,064
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	2,60,268	25,525	2,85,793	3,27,017	27,998	3,55,015	3,33,966	26,380	3,60,346	2,82,443	23,772	3,06,215
1. विकास (क + ख)	2,52,575	14,527	2,67,102	3,13,692	16,899	3,30,591	3,09,613	16,355	3,25,967	2,68,522	14,590	2,83,112
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,14,226	258	1,14,484	1,65,507	1,544	1,67,050	1,54,614	1,032	1,55,645	1,23,127	923	1,24,050
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	18,353	2	18,355	35,081	6	35,088	39,592	3	39,594	26,174	5	26,179
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,223	183	2,406	12,429	732	13,161	6,622	228	6,851	7,071	228	7,300
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	21,459	50	21,508	45,411	300	45,711	32,155	300	32,455	26,341	300	26,641
5. आवास	—	20	20	201	20	221	410	20	430	300	20	320
6. शहरी विकास	69,842	—	69,842	65,475	344	65,819	71,649	335	71,984	53,509	340	53,849
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	4	4	500	—	500	800	—	800	2,700	—	2,700
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	163	41	204	363	46	409	200	—	200
9. अन्य *	2,350	—	2,350	6,247	100	6,347	3,023	100	3,123	6,832	30	6,862
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,38,348	14,269	1,52,618	1,48,186	15,355	1,63,541	1,54,999	15,323	1,70,322	1,45,395	13,667	1,59,062
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,336	803	2,140	2,397	102	2,498	2,039	18	2,056	2,032	2	2,034
i) फसल उत्पादन	-53	-1	-54	—	100	100	—	—	—	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	537	—	537	1,051	2	1,052	756	2	758	1,112	2	1,114
iii) पशुपालन	913	—	913	1,276	—	1,276	1,263	—	1,263	800	—	800
iv) डेरी विकास	-37	—	-37	—	—	—	—	—	—	100	—	100
v) मत्स्यपालन	—	—	—	20	—	20	20	—	20	20	—	20
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	804	804	—	—	—	—	16	16	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	-23	—	-23	50	—	50	—	—	—	—	—	—
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	10,844	4,377	15,220	10,781	4,350	15,131	16,481	4,350	20,831	11,451	4,350	15,801
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	46,813	7,463	54,276	56,031	10,253	66,284	53,024	9,903	62,927	66,527	7,903	74,430
5. ऊर्जा	14,252	—	14,252	35	—	35	—	—	—	—	—	—
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,000	4	2,003	5,850	28	5,878	7,625	27	7,652	4,202	919	5,121
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,000	4	2,003	5,850	28	5,878	7,625	27	7,652	4,202	919	5,121
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	49,102	1,621	50,723	51,143	621	51,763	58,305	1,019	59,324	54,286	490	54,776
i) सड़क और पुल	32,659	—	32,659	49,730	—	49,730	56,423	—	56,423	53,934	—	53,934
ii) अन्य **	16,443	1,621	18,064	1,413	621	2,033	1,882	1,019	2,901	352	490	842
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,006	—	1,006	846	—	846	263	—	263	345	—	345
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	12,997	1	12,998	21,104	1	21,105	17,263	6	17,269	6,552	3	6,555
i) पर्यटन	1,588	—	1,588	1,782	—	1,782	300	—	300	510	—	510
ii) अन्य @@	11,409	1	11,410	19,321	1	19,322	16,963	6	16,969	6,042	3	6,045
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	7,693	10,998	18,691	13,325	11,100	24,424	24,353	10,025	34,378	13,921	9,182	23,103
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	2,11,540	2,11,540	—	6,13,558	6,13,558	—	5,67,530	5,67,530	—	7,20,231	7,20,231
1. बाजार ऋण	—	41,577	41,577	—	62,393	62,393	—	62,393	62,393	—	39,896	39,896
2. एलआईसी से ऋण	—	95	95	—	88	88	—	88	88	—	76	76
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	53,141	53,141	—	57,839	57,839	—	57,838	57,838	—	62,951	62,951
4. नाबार्ड से ऋण	—	18,569	18,569	—	23,000	23,000	—	17,000	17,000	—	29,600	29,600
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	45,339	45,339	—	4,00,000	4,00,000	—	3,60,000	3,60,000	—	5,00,000	5,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	40,321	40,321	—	57,196	57,196	—	57,201	57,201	—	75,406	75,406
8. अन्य	—	12,497	12,497	—	13,042	13,042	—	13,009	13,009	—	12,301	12,301
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	6,373	6,373	—	6,373	6,373	—	6,373	6,373	—	6,373	6,373
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	17,313	17,313	—	22,704	22,704	—	22,759	22,759	—	22,739	22,739
1. राज्य योजना स्कीम	—	16,322	16,322	—	21,794	21,794	—	21,828	21,828	—	21,887	21,887
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	667	667	—	624	624	—	646	646	—	604	604
4. योजनेतर (i से ii)	—	324	324	—	286	286	—	284	284	—	248	248
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	324	324	—	286	286	—	284	284	—	248	248
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	624	4,883	5,507	100	4,212	4,312	100	2,667	2,767	100	2,730	2,830
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	624	2,442	3,066	100	1,452	1,552	100	—	100	100	—	100
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	624	2,442	3,066	100	1,452	1,552	100	—	100	100	—	100
1. फसल उत्पादन	—	—	—	100	—	100	100	—	100	100	—	100
2. मृदा एवं जल संरक्षण	624	—	624	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	2,442	2,442	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	1,452	1,452	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	-	2,441	2,441	-	2,760	2,760	-	2,667	2,667	-	2,730	2,730
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	2,441	2,441	-	2,760	2,760	-	2,667	2,667	-	2,730	2,730
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,33,369	1,33,369	-	1,16,898	1,16,898	-	1,25,945	1,25,945	-	1,64,958	1,64,958
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,31,749	1,31,749	-	1,15,067	1,15,067	-	93,650	93,650	-	1,30,355	1,30,355
2. अन्य	-	1,620	1,620	-	1,831	1,831	-	32,296	32,296	-	34,603	34,603
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	15,144	15,144	-	28,560	28,560	-	26,177	26,177	-	34,997	34,997
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	8,465	8,465	-	7,970	7,970	-	8,335	8,335
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	7,500	7,500
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	15,144	15,144	-	19,095	19,095	-	18,208	18,208	-	19,163	19,163
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	3,35,665	3,35,665	-	3,53,165	3,53,165	-	2,43,637	2,43,637	-	2,43,637	2,43,637
1. सिविल जमा	-	3,17,777	3,17,777	-	3,17,777	3,17,777	-	2,39,662	2,39,662	-	2,39,662	2,39,662
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	13	13	-	13	13	-	3	3	-	3	3
3. सिविल अग्रिम	-	3,500	3,500	-	3,500	3,500	-	3,972	3,972	-	3,972	3,972
4. अन्य	-	14,375	14,375	-	31,875	31,875	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	32,31,296	32,31,296	-	88,77,565	88,77,565	-	84,68,697	84,68,697	-	84,68,698	84,68,698
1. उचित	-	67,314	67,314	-	67,314	67,314	-	1,50,890	1,50,890	-	1,50,890	1,50,890
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	15,69,862	15,69,862	-	15,69,862	15,69,862	-	12,45,326	12,45,326	-	12,45,326	12,45,326
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	56,46,269	56,46,269	-	54,65,705	54,65,705	-	54,65,705	54,65,705
4. अन्य	-	15,94,120	15,94,120	-	15,94,120	15,94,120	-	16,06,776	16,06,776	-	16,06,777	16,06,777
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,68,400	1,68,400	-	1,68,400	1,68,400	-	1,59,948	1,59,948	-	1,59,948	1,59,948
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-3,85,620			-6,23,391			-4,15,151			-4,78,774
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			3,30,532			3,65,122			4,73,433			3,21,924
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-55,088			-258,270			58,281			-1,56,850
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-55,088			-2,58,270			58,281			-1,56,850
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-37,670			-1,95,513			58,281			-1,56,850
क) अथ शेष			7,552			-38,756			-30,118			28,163
ख) इति शेष			-30,118			-2,34,269			28,163			-1,28,687
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-62,757			-62,757			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			45,339			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	6,41,950	1,64,80,028	1,71,21,978	7,76,365	1,13,79,066	1,21,55,431	6,66,624	1,74,90,374	1,81,56,997	6,95,681	1,21,77,630	1,28,73,310
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	6,41,950	2,25,315	8,67,264	7,76,365	2,29,710	10,06,075	6,66,624	2,30,578	8,97,202	6,95,681	3,82,926	10,78,607
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	6,09,580	-19,585	5,89,995	7,53,598	-67,175	6,86,423	6,19,757	-67,154	5,52,603	6,92,597	50,702	7,43,300
1. विकास (क + ख)	6,02,884	1,601	6,04,485	7,37,167	1,591	7,38,758	6,08,720	1,490	6,10,210	6,77,555	1,462	6,79,017
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	3,07,235	1,590	3,08,825	3,60,839	1,590	3,62,429	2,85,265	1,489	2,86,755	2,42,989	1,461	2,44,450
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,649	-	5,649	6,549	-	6,549	7,332	-	7,332	4,660	-	4,660
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,409	-	2,409	4,266	-	4,266	3,521	-	3,521	3,474	-	3,474
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,18,480	1,590	2,20,070	2,73,491	1,590	2,75,081	1,86,113	1,489	1,87,602	1,23,291	1,461	1,24,752
5. आवास	259	-	259	735	-	735	571	-	571	673	-	673
6. शहरी विकास	66,679	-	66,679	60,554	-	60,554	64,604	-	64,604	89,716	-	89,716
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,728	-	11,728	13,618	-	13,618	18,958	-	18,958	18,571	-	18,571
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,059	-	1,059	1,244	-	1,244	855	-	855	1,486	-	1,486
9. अन्य *	972	-	972	382	-	382	3,311	-	3,311	1,118	-	1,118
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,95,648	11	2,95,660	3,76,329	1	3,76,330	3,23,455	1	3,23,456	4,34,566	1	4,34,567
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	12,433	-	12,433	27,102	-	27,102	14,192	-	14,192	19,953	-	19,953
i) फसल उत्पादन	4,493	-	4,493	12,545	-	12,545	3,248	-	3,248	8,656	-	8,656
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	3,368	-	3,368	1,653	-	1,653	2,902	-	2,902	2,323	-	2,323
iii) पशुपालन	54	-	54	50	-	50	71	-	71	40	-	40
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	9	-	9	21	-	21	15	-	15	11	-	11
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,909	-	2,909	9,740	-	9,740	4,853	-	4,853	7,269	-	7,269
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	25	-	25	-	-	-	6	-	6	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	261	-	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	1,314	-	1,314	3,093	-	3,093	3,097	-	3,097	1,654	-	1,654
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	18,136	-	18,136	18,850	-	18,850	18,284	-	18,284	16,850	-	16,850
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	10,614	-	10,614	9,603	-	9,603	9,598	-	9,598	10,249	-	10,249
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	85,446	-	85,446	1,07,111	-	1,07,111	83,425	-	83,425	88,515	-	88,515
5. ऊर्जा	1,33,600	-	1,33,600	1,54,000	-	1,54,000	1,43,000	-	1,43,000	2,32,600	-	2,32,600
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,495	-	1,495	792	-	792	1,975	-	1,975	521	-	521
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	128	-	128	160	-	160	114	-	114	46	-	46
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	288	-	288	510	-	510	295	-	295	326	-	326
iv) अन्य #	1,079	-	1,079	122	-	122	1,567	-	1,567	149	-	149
7. परिवहन (i + ii)	30,418	-	30,418	50,920	-	50,920	46,866	-	46,866	55,763	-	55,763
i) सड़क और पुल	30,236	-	30,236	50,920	-	50,920	46,866	-	46,866	55,763	-	55,763
ii) अन्य **	182	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	325	—	325	250	—	250	100	—	100	150	—	150
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	3,181	11	3,192	7,701	1	7,702	6,015	1	6,016	9,965	1	9,966
i) पर्यटन	1,364	—	1,364	1,896	—	1,896	1,485	—	1,485	2,365	—	2,365
ii) अन्य @@	1,817	11	1,829	5,805	1	5,806	4,530	1	4,531	7,600	1	7,601
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	6,696	-21,186	-14,490	16,431	-68,766	-52,335	11,037	-68,644	-57,607	15,043	49,240	64,283
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	2,04,063	2,04,063	—	2,54,440	2,54,440	—	2,54,496	2,54,496	—	2,85,302	2,85,302
1. बाजार ऋण	—	1,16,016	1,16,016	—	1,38,864	1,38,864	—	1,38,864	1,38,864	—	1,34,286	1,34,286
2. एलआईसी से ऋण	—	18,512	18,512	—	18,500	18,500	—	18,500	18,500	—	18,500	18,500
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	12,061	12,061	—	18,889	18,889	—	18,889	18,889	—	28,661	28,661
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	1,068	1,068	—	1,198	1,198	—	1,253	1,253	—	1,663	1,663
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	49,728	49,728	—	70,355	70,355	—	70,355	70,355	—	95,569	95,569
8. अन्य	—	6,678	6,678	—	6,634	6,634	—	6,635	6,635	—	6,623	6,623
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	3,688	3,688	—	3,688	3,688	—	3,688	3,688	—	3,688	3,688
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	39,201	39,201	—	40,282	40,282	—	40,017	40,017	—	45,907	45,907
1. राज्य योजना स्कीम	—	37,261	37,261	—	38,303	38,303	—	38,039	38,039	—	43,863	43,863
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	1,306	1,306	—	1,347	1,347	—	1,347	1,347	—	1,417	1,417
4. योजनेतर (i से ii)	—	631	631	—	630	630	—	629	629	—	626	626
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	631	631	—	630	630	—	629	629	—	626	626
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	32,370	1,636	34,006	22,767	2,163	24,930	46,867	3,219	50,085	3,083	1,015	4,098
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	32,370	1,636	34,006	22,767	2,163	24,930	46,867	3,219	50,085	3,083	1,015	4,098
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	55	1,226	1,281	85	1,348	1,433	65	2,331	2,396	136	1,000	1,136
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	55	1,214	1,269	85	1,348	1,433	65	2,331	2,396	136	1,000	1,136
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	32,315	410	32,725	22,682	815	23,497	46,802	888	47,689	2,947	15	2,963
1. फसल उत्पादन	5,500	15	5,515	1,800	15	1,815	2,088	18	2,106	—	15	15
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	55	—	55	—	—	—	58	—	58	—	—	—
4. सहकारिता	1,498	375	1,873	3,882	800	4,682	27,655	850	28,506	2,947	—	2,947
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	25,000	—	25,000	17,000	—	17,000	17,000	—	17,000	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)

राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	262	20	282	-	-	-	-	20	20	-	-	-
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,70,010	1,70,010	-	1,74,457	1,74,457	-	1,77,458	1,77,458	-	2,81,754	2,81,754
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,11,456	1,11,456	-	1,10,576	1,10,576	-	1,16,220	1,16,220	-	1,27,789	1,27,789
2. अन्य	-	58,554	58,554	-	63,881	63,881	-	61,238	61,238	-	1,53,965	1,53,965
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	1,95,606	1,95,606	-	3,03,627	3,03,627	-	1,86,541	1,86,541	-	1,81,736	1,81,736
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	4,000	4,000	-	5,382	5,382	-	5,382	5,382
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,95,606	1,95,606	-	2,99,627	2,99,627	-	1,81,159	1,81,159	-	1,76,354	1,76,354
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	81,46,181	81,46,181	-	95,33,251	95,33,251	-	93,66,384	93,66,384	-	1,00,09,607	1,00,09,607
1. सिविल जमा	-	6,69,072	6,69,072	-	6,54,475	6,54,475	-	7,06,748	7,06,748	-	7,37,748	7,37,748
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	67,85,721	67,85,721	-	80,14,521	80,14,521	-	78,58,150	78,58,150	-	83,59,123	83,59,123
3. सिविल अग्रिम	-	2,183	2,183	-	4,005	4,005	-	3,005	3,005	-	3,005	3,005
4. अन्य	-	6,89,205	6,89,205	-	8,60,250	8,60,250	-	7,98,481	7,98,481	-	9,09,731	9,09,731
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	70,71,414	70,71,414	-	4,76,816	4,76,816	-	67,97,207	67,97,207	-	5,18,901	5,18,901
1. उच्च	-	10,845	10,845	-	18,084	18,084	-	20,092	20,092	-	20,091	20,091
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	70,56,830	70,56,830	-	4,55,600	4,55,600	-	67,73,289	67,73,289	-	4,95,084	4,95,084
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	3,738	3,738	-	3,132	3,132	-	3,826	3,826	-	3,726	3,726
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	6,55,003	6,55,003	-	6,61,205	6,61,205	-	7,32,205	7,32,205	-	8,02,705	8,02,705
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-82,679			-1,40,865			-3,99,287			-1,09,823
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			80,005			-19,614			27,576			1,09,733
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-2,675			-1,60,479			-3,71,711			-91
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-2,675			-1,60,479			-3,71,711			-91
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			54,464			3,921			1,048			4,825
क) अथ शेष			-91,265			-36,796			-36,796			-35,747
ख) इति शेष			-36,801			-32,875			-35,748			-30,922
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-57,139			-1,64,400			-3,72,759			-4,916
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
सिविकम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	61,178	3,53,141	4,14,319	87,914	2,21,127	3,09,041	99,595	4,08,673	5,08,268	89,313	4,58,959	5,48,272
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	61,178	7,653	68,830	87,914	8,653	96,567	99,595	9,174	1,08,769	89,313	7,416	96,729
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	61,178	—	61,178	85,896	—	85,896	96,092	—	96,092	88,938	—	88,938
1. विकास (क + ख)	53,465	—	53,465	74,395	—	74,395	81,493	—	81,493	86,555	—	86,555
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	19,054	—	19,054	34,665	—	34,665	34,035	—	34,035	39,180	—	39,180
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,952	—	2,952	3,915	—	3,915	3,459	—	3,459	4,682	—	4,682
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	657	—	657	956	—	956	746	—	746	3,572	—	3,572
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,846	—	7,846	9,541	—	9,541	9,971	—	9,971	9,049	—	9,049
5. आवास	4,763	—	4,763	4,483	—	4,483	4,535	—	4,535	2,900	—	2,900
6. शहरी विकास	2,500	—	2,500	14,787	—	14,787	14,341	—	14,341	18,417	—	18,417
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	289	—	289	175	—	175	175	—	175	31	—	31
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	46	—	46	708	—	708	708	—	708	429	—	429
9. अन्य *	—	—	—	100	—	100	100	—	100	100	—	100
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	34,411	—	34,411	39,731	—	39,731	47,458	—	47,458	47,375	—	47,375
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	908	—	908	774	—	774	1,540	—	1,540	1,286	—	1,286
i) फसल उत्पादन	265	—	265	95	—	95	655	—	655	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	55	—	55	6	—	6	69	—	69	400	—	400
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	53	—	53	44	—	44	44	—	44	55	—	55
vi) वानिकी और वन्य जीवन	460	—	460	546	—	546	683	—	683	571	—	571
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	61	—	61	73	—	73	79	—	79	160	—	160
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	—	—	—	1	—	1	1	—	1	100	—	100
xi) अन्य @	15	—	15	9	—	9	9	—	9	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	2,471	—	2,471	3,000	—	3,000	4,000	—	4,000	2,653	—	2,653
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	1,027	—	1,027	1,000	—	1,000	1,000	—	1,000	1,900	—	1,900
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	488	—	488	521	—	521	561	—	561	1,112	—	1,112
5. ऊर्जा	6,193	—	6,193	7,900	—	7,900	11,600	—	11,600	9,754	—	9,754
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	656	—	656	461	—	461	646	—	646	186	—	186
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	398	—	398	330	—	330	330	—	330	136	—	136
ii) लोह और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—
iv) अन्य #	257	—	257	130	—	130	315	—	315	50	—	50
7. परिवहन (i + ii)	17,820	—	17,820	19,823	—	19,823	21,165	—	21,165	20,478	—	20,478
i) सड़क और पुल	12,769	—	12,769	14,728	—	14,728	16,070	—	16,070	20,328	—	20,328
ii) अन्य **	5,051	—	5,051	5,095	—	5,095	5,095	—	5,095	150	—	150
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
सिविकम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	190	—	190	112	—	112	112	—	112	20	—	20
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	4,657	—	4,657	6,140	—	6,140	6,835	—	6,835	9,986	—	9,986
i) पर्यटन	4,657	—	4,657	6,140	—	6,140	6,835	—	6,835	9,986	—	9,986
ii) अन्य @@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	7,713	—	7,713	11,501	—	11,501	14,599	—	14,599	2,383	—	2,383
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	6,216	6,216	—	7,059	7,059	—	7,065	7,065	—	5,663	5,663
1. बाजार ऋण	—	4,516	4,516	—	5,101	5,101	—	5,101	5,101	—	3,111	3,111
2. एलआईसी से ऋण	—	468	468	—	631	631	—	631	631	—	598	598
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	355	355	—	471	471	—	471	471	—	754	754
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	75
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	203	203	—	203	203	—	210	210	—	473	473
8. अन्य	—	674	674	—	653	653	—	652	652	—	652	652
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	478	478	—	478	478	—	478	478	—	478	478
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	1,412	1,412	—	1,564	1,564	—	1,564	1,564	—	1,723	1,723
1. राज्य योजना स्कीम	—	1,234	1,234	—	1,378	1,378	—	1,378	1,378	—	1,527	1,527
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	93	93	—	98	98	—	98	98	—	99	99
4. योजनेतर (i से ii)	—	19	19	—	19	19	—	19	19	—	15	15
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	19	19	—	19	19	—	19	19	—	15	15
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	9	9	—	14	14	—	14	14	—	22	22
7. अन्य	—	56	56	—	55	55	—	55	55	—	60	60
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	—	25	25	2,018	30	2,048	3,503	545	4,048	375	30	405
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	—	25	25	2,018	20	2,038	3,503	535	4,038	375	20	395
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	25	25	515	20	535	—	535	535	—	20	20
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	515	—	515	—	515	515	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	25	25	—	20	20	—	20	20	—	20	20
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	—	—	—	1,503	—	1,503	3,503	—	3,503	375	—	375
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	3	—	3	3	—	3	375	—	375
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	1,500	—	1,500	3,500	—	3,500	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
सिविकम

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	6,812	6,812	-	8,076	8,076	-	8,079	8,079	-	9,080	9,080
1. राज्य भविष्य निधि	-	6,746	6,746	-	8,000	8,000	-	8,000	8,000	-	9,000	9,000
2. अन्य	-	65	65	-	76	76	-	79	79	-	80	80
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	6,075	6,075	-	5,070	5,070	-	5,192	5,192	-	4,776	4,776
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,173	1,173	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	4,902	4,902	-	3,870	3,870	-	3,992	3,992	-	3,576	3,576
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	2,361	2,361	-	2,425	2,425	-	2,425	2,425	-	4,462	4,462
1. सिविल जमा	-	2,360	2,360	-	2,425	2,425	-	2,425	2,425	-	4,460	4,460
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	2,52,257	2,52,257	-	1,43,646	1,43,646	-	3,30,547	3,30,547	-	3,50,328	3,50,328
1. उचित	-	-65	-65	-	41	41	-	341	341	-	881	881
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	1,12,850	1,12,850	-	24,000	24,000	-	2,10,600	2,10,600	-	2,10,600	2,10,600
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,39,472	1,39,472	-	1,19,605	1,19,605	-	1,19,605	1,19,605	-	1,38,847	1,38,847
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	77,984	77,984	-	53,257	53,257	-	53,257	53,257	-	82,897	82,897
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			37,764			42,210			64,888			53,209
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-25,179			-52,289			-62,124			-53,244
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			12,586			-10,079			2,764			-35
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			12,586			-10,079			2,764			-35
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			1,686			-183			2,764			-35
क) अथ शेष			7,883			8,888			9,568			12,332
ख) इति शेष			9,568			8,705			12,332			12,297
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			10,900			-9,896			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	9,98,128	2,10,03,534	2,20,01,662	10,42,124	1,33,28,847	1,43,70,971	8,78,372	3,23,35,340	3,32,13,712	12,56,378	2,00,64,236	2,13,20,614
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	9,98,128	4,15,155	14,13,283	10,42,124	3,91,188	14,33,312	8,78,372	4,25,036	13,03,408	12,56,378	4,00,736	16,57,114
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	9,07,110	3,320	9,10,430	9,94,881	12,307	10,07,188	8,49,055	11,858	8,60,912	12,14,104	14,364	12,28,469
1. विकास (क + ख)	8,87,683	-319	8,87,365	9,50,355	278	9,50,632	8,05,626	177	8,05,803	11,56,377	343	11,56,720
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,43,173	223	1,43,397	2,79,195	324	2,79,520	2,09,998	212	2,10,210	4,85,939	380	4,86,318
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,984	-7	9,977	30,379	-	30,379	33,550	-	33,550	37,778	-	37,778
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	12,409	-	12,409	37,055	-	37,055	33,233	-	33,233	41,373	-	41,373
3. परिवार कल्याण	6,913	-	6,913	16,053	-	16,053	7,453	-	7,453	51	-	51
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	60,372	-	60,372	1,01,300	-	1,01,300	95,113	-	95,113	1,18,315	-	1,18,315
5. आवास	6,785	-	6,785	48,862	-	48,862	11,795	-	11,795	2,26,928	-	2,26,928
6. शहरी विकास	31,030	-28	31,002	31,053	-	31,053	14,414	-	14,414	32,362	-	32,362
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,145	-	10,145	13,248	-	13,248	12,651	-	12,651	7,780	-	7,780
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	176	-	176	763	-	763	290	-	290	239	-	239
9. अन्य *	5,360	259	5,619	481	324	806	1,498	212	1,710	21,112	380	21,492
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	7,44,510	-542	7,43,968	6,71,159	-47	6,71,113	5,95,628	-36	5,95,593	6,70,439	-37	6,70,402
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,48,926	-509	1,48,417	1,16,382	-100	1,16,282	97,089	-86	97,002	66,899	-87	66,812
i) फसल उत्पादन	383	-	383	375	100	475	1,870	100	1,970	245	113	358
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	6,582	-	6,582	5,290	-	5,290	5,543	-	5,543	5,043	-	5,043
iii) पशुपालन	300	-	300	175	-	175	314	14	328	156	-	156
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	2,577	-	2,577	6,225	-	6,225	706	-	706	10,055	-	10,055
vi) वानिकी और वन्य जीवन	13,628	5	13,633	8,046	-	8,046	11,181	-	11,181	11,095	-	11,095
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	33	-	33	35	-	35	495	-	495	559	-	559
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	197	-	197	205	-	205	205	-	205	220	-	220
x) सहकारिता	1,24,682	-514	1,24,168	95,777	-200	95,577	75,299	-200	75,099	39,074	-200	38,874
xi) अन्य @	544	-	544	254	-	254	1,476	-	1,476	451	-	451
2. ग्रामीण विकास	1,31,078	-	1,31,078	1,18,578	-	1,18,578	1,24,753	-	1,24,753	1,29,127	-	1,29,127
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,985	-	3,985	4,190	-	4,190	4,374	-	4,374	4,663	-	4,663
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	3,985	-	3,985	4,190	-	4,190	4,374	-	4,374	4,663	-	4,663
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	55,274	-	55,274	97,441	-	97,441	72,227	-	72,227	1,06,461	-	1,06,461
5. ऊर्जा	1,17,050	-	1,17,050	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	166	-20	146	120	-	120	563	-	563	-	-	-
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	30	-20	10	-	-	-	73	-	73	-	-	-
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	136	-	136	120	-	120	491	-	491	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	2,86,707	-14	2,86,693	3,23,110	52	3,23,162	2,85,198	50	2,85,248	3,52,039	50	3,52,090
i) सड़क और पुल	2,69,445	1	2,69,446	3,10,610	52	3,10,662	2,72,557	50	2,72,607	3,39,539	50	3,39,590
ii) अन्य **	17,261	-15	17,247	12,500	-	12,500	12,641	-	12,641	12,500	-	12,500
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,325	1	1,325	1,340	1	1,341	1,424	1	1,425	1,250	—	1,250
i) पर्यटन	1,325	—	1,325	1,340	—	1,340	1,424	—	1,424	1,250	—	1,250
ii) अन्य @@	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	19,427	3,639	23,066	44,526	12,030	56,556	43,429	11,681	55,110	57,727	14,022	71,749
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	1,89,653	1,89,653	—	3,68,016	3,68,016	—	2,19,728	2,19,728	—	2,80,040	2,80,040
1. बाजार ऋण	—	80,583	80,583	—	87,637	87,637	—	87,581	87,581	—	1,27,895	1,27,895
2. एलआईसी से ऋण	—	7,534	7,534	—	7,550	7,550	—	8,752	8,752	—	8,696	8,696
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	1,716	1,716	—	1,850	1,850	—	1,850	1,850	—	1,993	1,993
4. नाबार्ड से ऋण	—	47,148	47,148	—	48,643	48,643	—	48,643	48,643	—	46,682	46,682
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	1,472	1,472	—	1,465	1,465	—	1,487	1,487	—	1,516	1,516
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	—	—	—	—	1,50,000	1,50,000	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	23,403	23,403	—	42,330	42,330	—	42,330	42,330	—	71,902	71,902
8. अन्य	—	27,797	27,797	—	28,541	28,541	—	29,085	29,085	—	21,356	21,356
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	31,922	31,922	—	33,316	33,316	—	33,226	33,226	—	61,496	61,496
1. राज्य योजना स्कीम	—	30,530	30,530	—	31,897	31,897	—	31,801	31,801	—	39,980	39,980
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	123	123	—	123	123	—	123	123	—	2,216	2,216
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	752	752	—	765	765	—	765	765	—	9,408	9,408
4. योजनेतर (i से ii)	—	517	517	—	531	531	—	538	538	—	9,330	9,330
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	517	517	—	531	531	—	538	538	—	9,330	9,330
5. केंद्र से अर्धोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	562	562
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	91,018	1,91,976	2,82,994	47,243	1,29,398	1,76,641	29,317	1,62,074	1,91,391	42,274	46,829	89,103
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	90,951	1,88,906	2,79,857	47,153	1,26,785	1,73,938	29,277	1,58,286	1,87,563	42,214	43,001	85,215
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	71,248	18,062	89,310	32,106	16,785	48,891	12,848	26,391	39,239	26,284	19,001	45,285
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	250	250	—	250	250	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,563	4,821	6,384	—	4,534	4,534	820	4,534	5,354	4,255	6,500	10,755
5. आवास	—	5,042	5,042	—	1	1	—	9,857	9,857	—	1	1
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	3,771	3,771	—	12,000	12,000	—	12,000	12,000	—	12,500	12,500
7. अन्य	69,685	4,178	73,864	32,106	—	32,106	12,028	—	12,028	22,028	—	22,028
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	19,703	1,70,845	1,90,548	15,047	1,10,000	1,25,047	16,429	1,31,895	1,48,325	15,930	24,000	39,930
1. फसल उत्पादन	—	4,000	4,000	—	—	—	—	2,000	2,000	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	1,15,000	1,15,000	—	90,000	90,000	—	1,15,000	1,15,000	—	—	—
4. सहकारिता	1,080	20,801	21,881	1,416	—	1,416	1,429	67	1,496	926	—	926
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	323	—	323	—	—	—	—	1,200	1,200	—	—	—
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	22,481	22,481	—	20,000	20,000	—	929	929	4	24,000	24,004
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	18,300	8,563	26,863	13,631	—	13,631	15,000	12,700	27,700	15,000	—	15,000
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	67	3,069	3,136	90	2,613	2,703	40	3,788	3,828	60	3,828	3,888
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	27	3,069	3,069	50	2,613	2,663	—	3,788	3,788	—	3,828	3,828
ख) विविध	40	—	40	40	1	41	40	1	41	60	1	61
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	51	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	3,13,565	3,13,565	—	3,13,622	3,13,622	—	3,06,472	3,06,472	—	3,27,611	3,27,611
1. राज्य भविष्य निधि	—	3,05,338	3,05,338	—	3,09,386	3,09,386	—	2,98,405	2,98,405	—	3,19,514	3,19,514
2. अन्य	—	8,226	8,226	—	4,236	4,236	—	8,067	8,067	—	8,097	8,097
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	4,41,330	4,41,330	—	3,57,353	3,57,353	—	1,32,733	1,32,733	—	1,52,950	1,52,950
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	645	645	—	58	58	—	204	204	—	57	57
2. ऋणशोधन निधियां	—	86,598	86,598	—	47,623	47,623	—	21,468	21,468	—	64,028	64,028
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	3,54,087	3,54,087	—	3,09,672	3,09,672	—	1,11,061	1,11,061	—	88,865	88,865
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	15,93,451	15,93,451	—	11,87,216	11,87,216	—	14,58,321	14,58,321	—	10,09,326	10,09,326
1. सिविल जमा	—	11,90,069	11,90,069	—	7,81,947	7,81,947	—	11,34,765	11,34,765	—	6,12,639	6,12,639
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	1,99,869	1,99,869	—	1,89,127	1,89,127	—	2,02,201	2,02,201	—	2,02,208	2,02,208
3. सिविल अग्रिम	—	10,392	10,392	—	9,220	9,220	—	9,365	9,365	—	9,382	9,382
4. अन्य	—	1,93,121	1,93,121	—	2,06,923	2,06,923	—	1,11,990	1,11,990	—	1,85,098	1,85,098
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	1,79,82,368	1,79,82,368	—	1,07,02,457	1,07,02,457	—	2,97,27,535	2,97,27,535	—	1,78,88,225	1,78,88,225
1. उचित	—	3,80,229	3,80,229	—	-355,480	-355,480	—	-332,172	-332,172	—	-332,172	-332,172
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	1,24,02,703	1,24,02,703	—	67,90,180	67,90,180	—	2,47,07,890	2,47,07,890	—	1,35,89,088	1,35,89,088
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	51,99,436	51,99,436	—	42,67,758	42,67,758	—	53,51,818	53,51,818	—	46,31,309	46,31,309
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	2,55,897	2,55,897	—	2,25,161	2,25,161	—	2,83,395	2,83,395	—	2,83,395	2,83,395
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,45,225			-1,02,414			-5,01,954			-3,39,645
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			2,86,188			-7,533			3,68,070			54,112
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			4,31,413			-1,09,947			-1,33,884			-2,85,532
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			4,31,413			-1,09,947			-1,33,884			-2,85,533
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			67,864			-44,472			11,483			-258
क) अथ शेष			-79,873			43,836			-12,008			-525
ख) इति शेष			-12,008			-636			-525			-784
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			3,63,549			-65,475			-1,45,367			-2,85,274
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			—			—			—			—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	1,14,076	17,82,143	18,96,219	1,56,132	15,27,500	16,83,632	1,79,351	16,72,266	18,51,617	1,74,951	15,28,033	17,02,984
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	1,14,076	24,084	1,38,159	1,56,132	25,617	1,81,749	1,79,351	28,351	2,07,702	1,74,951	22,133	1,97,084
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,12,376	7,864	1,20,240	1,53,932	6,418	1,60,350	1,77,108	9,655	1,86,763	1,72,640	2,734	1,75,374
1. विकास (क + ख)	96,530	4,383	1,00,913	1,08,922	3,074	1,11,995	1,54,639	6,630	1,61,269	1,25,184	1,157	1,26,341
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	39,244	101	39,345	47,674	283	47,957	68,005	2,196	70,201	38,560	136	38,695
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,494	—	7,494	9,737	—	9,737	26,327	—	26,327	14,650	—	14,650
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,577	101	7,678	5,081	283	5,364	11,396	416	11,812	6,347	136	6,483
3. परिवार कल्याण	—	—	—	95	—	95	51	—	51	51	—	51
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	15,552	—	15,552	24,476	—	24,476	18,100	—	18,100	12,105	—	12,105
5. आवास	3,557	—	3,557	4,000	—	4,000	4,500	—	4,500	3,000	—	3,000
6. शहरी विकास	50	—	50	100	—	100	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,551	—	2,551	3,114	—	3,114	3,257	1,780	5,037	2,253	—	2,253
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,348	—	2,348	879	—	879	3,922	—	3,922	—	—	—
9. अन्य *	116	—	116	193	—	193	452	—	452	153	—	153
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	57,286	4,282	61,568	61,248	2,791	64,039	86,634	4,434	91,068	86,625	1,021	87,646
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	7,362	-159	7,203	13,671	—	13,671	12,918	—	12,918	22,938	—	22,938
i) फसल उत्पादन	844	-159	685	4,243	—	4,243	2,790	—	2,790	9,043	—	9,043
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	409	—	409	440	—	440	850	—	850	500	—	500
iii) पशुपालन	698	—	698	778	—	778	531	—	531	290	—	290
iv) डेरी विकास	—	—	—	49	—	49	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	—	—	—	1	—	1	50	—	50	50	—	50
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,216	—	3,216	5,780	—	5,780	4,193	—	4,193	9,380	—	9,380
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	160	—	160	162	—	162	386	—	386	69	—	69
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,316	—	1,316	1,450	—	1,450	2,784	—	2,784	2,018	—	2,018
x) सहकारिता	421	—	421	472	—	472	377	—	377	432	—	432
xi) अन्य @	298	—	298	297	—	297	956	—	956	1,155	—	1,155
2. ग्रामीण विकास	1,944	600	2,544	1,550	1,151	2,701	2,521	3,990	6,511	2,618	571	3,189
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	6,130	—	6,130	9,598	—	9,598	11,039	—	11,039	8,811	—	8,811
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,244	—	4,244	10,152	—	10,152	9,396	—	9,396	19,215	—	19,215
5. ऊर्जा	5,035	2,400	7,435	822	—	822	7,674	—	7,674	853	—	853
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,415	—	1,415	1,500	—	1,500	2,914	—	2,914	1,666	—	1,666
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	10	—	10	117	—	117	102	—	102	65	—	65
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	1,405	—	1,405	1,383	—	1,383	2,812	—	2,812	1,601	—	1,601
7. परिवहन (i + ii)	30,339	1,434	31,773	23,254	1,600	24,854	37,460	400	37,860	28,183	400	28,583
i) सड़क और पुल	29,235	—	29,235	22,453	—	22,453	34,402	—	34,402	27,790	—	27,790
ii) अन्य **	1,104	1,434	2,538	801	1,600	2,401	3,058	400	3,458	393	400	793
8. संचार	—	7	7	—	40	40	—	29	29	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	58	—	58	30	—	30	30	—	30	40	—	40
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	759	—	759	670	—	670	2,682	15	2,697	2,301	50	2,351
i) पर्यटन	66	—	66	53	—	53	1,850	—	1,850	1,617	—	1,617
ii) अन्य @@	693	—	693	617	—	617	832	15	847	684	50	734
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	15,845	3,481	19,327	45,010	3,344	48,355	22,469	3,025	25,494	47,456	1,577	49,033
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	13,280	13,280	—	16,133	16,133	—	15,624	15,624	—	16,313	16,313
1. बाजार ऋण	—	7,797	7,797	—	9,598	9,598	—	8,232	8,232	—	9,078	9,078
2. एलआईसी से ऋण	—	1,790	1,790	—	—	—	—	1,730	1,730	—	1,617	1,617
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	990	990	—	218	218	—	1,548	1,548	—	1,927	1,927
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	6	6	—	6	6	—	6	6	—	6	6
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	2,126	2,126	—	2,869	2,869	—	2,869	2,869	—	3,000	3,000
8. अन्य	—	571	571	—	3,442	3,442	—	1,239	1,239	—	685	685
<i>जिसमें से:</i> भूमि मुआवजा बांड	—	318	318	—	635	635	—	635	635	—	635	635
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	2,832	2,832	—	2,866	2,866	—	2,873	2,873	—	2,887	2,887
1. राज्य योजना स्कीम	—	2,506	2,506	—	2,529	2,529	—	2,528	2,528	—	2,534	2,534
<i>जिसमें से:</i> प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	5	5	—	7	7	—	7	7	—	7	7
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	128	128	—	125	125	—	128	128	—	129	129
4. योजनेतर (i से ii)	—	71	71	—	66	66	—	71	71	—	77	77
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	71	71	—	66	66	—	71	71	—	77	77
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	121	121	—	139	139	—	139	139	—	140	140
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	1,700	108	1,808	2,200	200	2,400	2,243	200	2,443	2,311	199	2,510
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	1,700	104	1,804	2,200	165	2,365	2,243	180	2,423	2,311	179	2,490
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	104	104	—	165	165	—	180	180	—	179	179
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	104	104	—	165	165	—	180	180	—	179	179
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,700	—	1,700	2,200	—	2,200	2,243	—	2,243	2,311	—	2,311
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	43	—	43	111	—	111
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	1,700	—	1,700	2,200	—	2,200	2,200	—	2,200	2,200	—	2,200

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासालमक प्रयोजन (क + ख)	-	4	4	-	35	35	-	20	20	-	20	20
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	4	4	-	35	35	-	20	20	-	20	20
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	36,113	36,113	-	16,184	16,184	-	34,550	34,550	-	36,350	36,350
1. राज्य भविष्य निधि	-	35,499	35,499	-	15,684	15,684	-	34,000	34,000	-	35,850	35,850
2. अन्य	-	614	614	-	500	500	-	550	550	-	500	500
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	14,156	14,156	-	5	5	-	2,000	2,000	-	1,500	1,500
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	13,934	13,934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	222	222	-	5	5	-	2,000	2,000	-	1,500	1,500
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	12,408	12,408	-	25,020	25,020	-	18,700	18,700	-	18,500	18,500
1. सिविल जमा	-	9,733	9,733	-	12,000	12,000	-	6,000	6,000	-	5,000	5,000
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	19	19	-	10	10	-	11,000	11,000	-	12,000	12,000
3. सिविल अग्रिम	-	2,656	2,656	-	13,010	13,010	-	1,700	1,700	-	1,500	1,500
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	15,72,651	15,72,651	-	14,10,625	14,10,625	-	15,38,770	15,38,770	-	14,04,070	14,04,070
1. उचित	-	9,819	9,819	-	7,000	7,000	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	15,62,573	15,62,573	-	14,03,600	14,03,600	-	15,34,575	15,34,575	-	14,00,000	14,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	259	259	-	25	25	-	195	195	-	70	70
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,22,732	1,22,732	-	50,049	50,049	-	49,895	49,895	-	45,480	45,480
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			94,733			34,701			20,207			79,012
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-1,04,199			-1,12,048			-1,07,098			-1,23,765
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-9,466			-77,347			-86,891			-44,753
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-9,466			-77,347			-86,891			-44,753
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			2,062			-80,947			-86,671			-44,603
क) अथ शेष			24,808			66,000			86,671			26,000
ख) इति शेष			26,870			-14,947			-			-18,603
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-11,528			3,600			-220			-150
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
उत्तराखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	2,01,793	47,56,431	49,58,223	2,23,515	12,33,859	14,57,374	2,56,844	12,91,633	15,48,476	2,14,331	12,98,720	15,13,051
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	2,01,793	47,550	2,49,343	2,23,515	64,112	2,87,627	2,56,844	1,21,886	3,78,730	2,14,331	61,195	2,75,526
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,90,248	11,385	2,01,634	1,92,908	2,784	1,95,692	2,26,095	60,558	2,86,652	1,99,447	1,062	2,00,509
1. विकास (क + ख)	1,77,363	6,824	1,84,187	1,75,519	-	1,75,519	2,08,705	57,200	2,65,905	1,89,537	-	1,89,537
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	27,549	503	28,052	12,165	-	12,165	15,729	-	15,729	23,069	-	23,069
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,199	-	15,199	4,635	-	4,635	6,626	-	6,626	5,465	-	5,465
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,259	300	7,559	4,287	-	4,287	5,653	-	5,653	10,897	-	10,897
3. परिवार कल्याण	228	-	228	420	-	420	586	-	586	556	-	556
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	1,943	203	2,146	365	-	365	406	-	406	2,515	-	2,515
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,104	-	2,104	1,723	-	1,723	1,723	-	1,723	2,896	-	2,896
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	416	-	416	460	-	460	460	-	460	665	-	665
9. अन्य *	400	-	400	275	-	275	275	-	275	75	-	75
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,49,815	6,321	1,56,135	1,63,354	-	1,63,354	1,92,976	57,200	2,50,176	1,66,468	-	1,66,468
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,263	4,219	5,483	2,280	-	2,280	2,658	-	2,658	3,186	-	3,186
i) फसल उत्पादन	181	431	612	127	-	127	127	-	127	100	-	100
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	478	-	478	411	-	411	454	-	454	983	-	983
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	222	-	222	130	-	130	186	-	186	147	-	147
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,735	-	1,735	1,360	-	1,360	1,360	-	1,360	1,200	-	1,200
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-1,151	3,788	2,638	50	-	50	50	-	50	275	-	275
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	-202	-1	-203	202	-	202	482	-	482	480	-	480
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	11,405	-	11,405	7,867	-	7,867	8,792	-	8,792	9,740	-	9,740
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	50,357	136	50,493	53,264	-	53,264	58,185	-	58,185	47,691	-	47,691
5. ऊर्जा	14,978	1,503	16,481	25,955	-	25,955	25,955	57,200	83,155	31,247	-	31,247
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-7,397	-	-7,397	1,665	-	1,665	1,665	-	1,665	1,256	-	1,256
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	445	-	445	145	-	145	145	-	145	136	-	136
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-7,843	-	-7,843	1,520	-	1,520	1,520	-	1,520	1,120	-	1,120
7. परिवहन (i + ii)	74,475	463	74,938	66,631	-	66,631	89,131	-	89,131	66,790	-	66,790
i) सड़क और पुल	73,498	463	73,960	63,180	-	63,180	85,680	-	85,680	63,500	-	63,500
ii) अन्य **	977	-	977	3,451	-	3,451	3,451	-	3,451	3,290	-	3,290
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	4,733	-	4,733	5,692	-	5,692	6,590	-	6,590	6,559	-	6,559
i) पर्यटन	4,733	-	4,733	5,692	-	5,692	6,590	-	6,590	6,559	-	6,559
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	12,885	4,561	17,446	17,390	2,784	20,174	17,390	3,358	20,747	9,910	1,062	10,971
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	99,398	99,398	-	1,27,355	1,27,355	-	1,27,355	1,27,355	-	1,25,530	1,25,530
1. बाजार ऋण	-	12,653	12,653	-	31,970	31,970	-	31,970	31,970	-	24,970	24,970
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	5,499	5,499	-	13,725	13,725	-	13,725	13,725	-	14,000	14,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	1,152	1,152	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,500	1,500
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	67,586	67,586	-	70,000	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	70,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	6,788	6,788	-	10,500	10,500	-	10,500	10,500	-	15,000	15,000
8. अन्य	-	5,720	5,720	-	60	60	-	60	60	-	60	60
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	3,726	3,726	-	3,803	3,803	-	3,803	3,803	-	4,433	4,433
1. राज्य योजना स्कीम	-	1,751	1,751	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,600	3,600
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	153	153	-	222	222	-	222	222	-	232	232
4. योजनेतर (i से ii)	-	1,821	1,821	-	80	80	-	80	80	-	100	100
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	1,821	1,821	-	80	80	-	80	80	-	100	100
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	500	500	-	500	500	-	500	500
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	11,544	627	12,171	30,607	170	30,777	30,749	170	30,919	14,884	170	15,054
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	11,544	518	12,063	30,607	150	30,757	30,749	150	30,899	14,884	150	15,034
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	273	518	791	100	150	250	100	150	250	-	150	150
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	273	-	273	100	-	100	100	-	100	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	165	165	-	150	150	-	150	150	-	150	150
7. अन्य	-	354	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	11,271	-	11,271	30,507	-	30,507	30,649	-	30,649	14,884	-	14,884
1. फसल उत्पादन	5,642	-	5,642	10	-	10	10	-	10	35	-	35
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	-	-	200	-	200	343	-	343	370	-	370
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	5,629	-	5,629	30,197	-	30,197	30,197	-	30,197	14,479	-	14,479

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)

उत्तराखंड

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	109	109	-	20	20	-	20	20	-	20	20
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) विविध	-	7	7	-	20	20	-	20	20	-	20	20
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	3,205	3,205	-	3,400	3,400	-	3,400	3,400	-	1,000	1,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	33,676	33,676	-	30,880	30,880	-	30,880	30,880	-	32,124	32,124
1. राज्य भविष्य निधि	-	32,507	32,507	-	29,866	29,866	-	29,866	29,866	-	30,325	30,325
2. अन्य	-	1,170	1,170	-	1,014	1,014	-	1,014	1,014	-	1,799	1,799
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	6,526	6,526	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	14,510	14,510
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	5,000	5,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	12,500	12,500
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,526	1,526	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	2,010	2,010
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,68,644	1,68,644	-	1,56,888	1,56,888	-	1,56,888	1,56,888	-	1,38,368	1,38,368
1. सिविल जमा	-	96,480	96,480	-	1,00,452	1,00,452	-	1,00,452	1,00,452	-	98,730	98,730
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	58,265	58,265	-	50,436	50,436	-	50,436	50,436	-	24,638	24,638
3. सिविल अग्रिम	-	13,898	13,898	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
4. अन्य	-	1	1	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000	-	5,000	5,000
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	41,02,751	41,02,751	-	6,02,002	6,02,002	-	6,02,002	6,02,002	-	7,00,023	7,00,023
1. उच्च	-	-8,209	-8,209	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	21	21
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	9,53,406	9,53,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	23,23,000	23,23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	8,34,554	8,34,554	-	6,00,002	6,00,002	-	6,00,002	6,00,002	-	7,00,002	7,00,002
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	3,26,492	3,26,492	-	3,03,577	3,03,577	-	3,03,577	3,03,577	-	2,81,500	2,81,500
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			23,952			-21,343			-1,11,357			16,211
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-92,575			19,022			-72,080			-15,738
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-68,623			-2,321			-1,83,438			473
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-68,623			-2,321			-1,83,438			473
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-17,14,840			-2,321			-1,83,438			473
क) अथ शेष			7,427			-63,415			-42,323			-
ख) इति शेष			-17,07,413			-65,736			-2,25,761			473
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			16,58,880			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-12,663			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	18,47,781	5,67,98,725	5,86,46,506	22,86,679	2,16,01,459	2,38,88,138	23,69,826	2,24,09,542	2,47,79,368	22,83,815	2,52,92,681	2,75,76,497
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	18,47,781	9,95,141	28,42,922	22,86,679	5,86,354	28,73,033	23,69,826	8,70,448	32,40,274	22,83,815	6,79,502	29,63,317
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	18,08,749	4,25,823	22,34,571	22,22,629	1,97,841	24,20,470	23,18,605	2,03,617	25,22,223	22,13,362	80,934	22,94,296
1. विकास (क + ख)	17,80,696	3,69,741	21,50,437	21,91,255	1,30,996	23,22,251	22,87,114	1,28,302	24,15,416	21,82,215	-18,188	21,64,028
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	2,91,383	3,162	2,94,544	5,02,400	5,489	5,07,889	5,88,541	5,546	5,94,087	5,05,839	5,415	5,11,254
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	87,407	1,318	88,725	49,786	1,615	51,401	64,596	1,671	66,267	51,771	379	52,150
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,21,676	1,370	1,23,046	1,24,016	1,449	1,25,465	1,50,268	1,449	1,51,717	80,128	1,292	81,420
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,606	-	3,606	3,480	-	3,480	3,480	-	3,480	41,644	-	41,644
5. आवास	10,880	1,029	11,909	7,803	821	8,624	8,783	821	9,603	5,858	2,587	8,445
6. शहरी विकास	36,664	-	36,664	2,70,082	1,500	2,71,582	3,11,468	1,500	3,12,968	2,67,868	-	2,67,868
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	17,095	-	17,095	10,578	-	10,578	11,723	-	11,723	10,350	-	10,350
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,498	44	7,542	29,580	6	29,586	29,580	6	29,586	38,732	10	38,742
9. अन्य *	6,557	-601	5,956	7,075	99	7,173	8,644	99	8,742	9,488	1,146	10,634
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	14,89,313	3,66,579	18,55,893	16,88,855	1,25,507	18,14,362	16,98,572	1,22,757	18,21,329	16,76,377	-23,602	16,52,774
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	28,615	2,33,956	2,62,572	46,722	5,247	51,969	48,665	2	48,666	52,363	-118,928	-66,566
i) फसल उत्पादन	613	1,266	1,879	8,885	-	8,885	9,131	-	9,131	8,501	5	8,506
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	315	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	3,780	6	3,785	1,975	-	1,975	1,975	-	1,975	1,166	24	1,190
iv) डेरी विकास	-91	-	-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) वानिकी और वन्य जीवन	24,455	-	24,455	19,122	-	19,122	19,194	-	19,194	15,585	-	15,585
vii) बागान	562	-	562	562	-	562	562	-	562	50	-	50
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-386	2,32,684	2,32,298	-	5,247	5,247	-	2	2	-	-118,957	-118,957
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-1,104	-	-1,104	15,777	-	15,777	16,919	-	16,919	26,661	-	26,661
x) सहकारिता	472	-	472	400	-	400	884	-	884	400	-	400
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	73,613	-	73,613	1,92,256	-	1,92,256	2,23,556	-	2,23,556	2,51,030	-	2,51,030
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	1,26,006	15,636	1,41,642	96,002	15,000	1,11,002	1,23,002	16,393	1,39,395	1,99,583	-	1,99,583
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,59,567	632	2,60,199	2,99,717	-	2,99,717	2,99,598	-	2,99,598	4,14,000	-	4,14,000
5. ऊर्जा	5,02,930	1,10,256	6,13,187	5,83,595	1,04,000	6,87,595	4,76,595	1,04,000	5,80,595	3,68,700	94,400	4,63,100
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-444	-1	-445	780	-	780	780	-	780	345	700	1,045
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	321	-	321	100	-	100	100	-	100	145	-	145
ii) लोह और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700
iv) अन्य #	-765	-	-766	680	-	680	680	-	680	200	-	200
7. परिवहन (i + ii)	4,95,234	6,099	5,01,333	4,64,001	1,260	4,65,261	5,04,171	2,362	5,06,533	3,96,898	226	3,97,124
i) सड़क और पुल	4,93,197	-	4,93,197	4,59,951	-	4,59,951	4,94,043	-	4,94,043	3,92,758	-	3,92,758
ii) अन्य **	2,037	6,099	8,136	4,050	1,260	5,310	10,128	2,362	12,490	4,140	226	4,366
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	5	-	5	15	-	15	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	3,792	-	3,792	5,778	-	5,778	22,190	-	22,190	-6,542	-	-6,542
i) पर्यटन	3,792	-	3,792	5,778	-	5,778	22,190	-	22,190	-6,542	-	-6,542
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	28,053	56,082	84,134	31,374	66,845	98,219	31,492	75,315	1,06,807	31,147	99,122	1,30,268
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	5,57,709	5,57,709	-	14,05,325	14,05,325	-	7,68,759	7,68,759	-	16,86,317	16,86,317
1. बाजार ऋण	-	2,39,658	2,39,658	-	39	39	-	2,63,421	2,63,421	-	1,92,586	1,92,586
2. एलआईसी से ऋण	-	626	626	-	617	617	-	617	617	-	592	592
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	1,50,000	1,50,000	-	2,00,000	2,00,000	-	2,00,000	2,00,000	-	2,50,000	2,50,000
4. नाबार्ड से ऋण	-	29,020	29,020	-	32,063	32,063	-	32,063	32,063	-	38,832	38,832
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	432	432	-	632	632	-	632	632	-	734	734
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	10,00,000	10,00,000	-	1,00,000	1,00,000	-	10,00,000	10,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	78,685	78,685	-	1,08,643	1,08,643	-	1,08,643	1,08,643	-	1,44,551	1,44,551
8. अन्य	-	59,288	59,288	-	63,331	63,331	-	63,383	63,383	-	59,022	59,022
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	11	11	-	11	11	-	10	10
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	1,19,939	1,19,939	-	1,20,143	1,20,143	-	1,19,977	1,19,977	-	1,30,179	1,30,179
1. राज्य योजना स्कीमों	-	1,17,002	1,17,002	-	1,17,238	1,17,238	-	1,17,016	1,17,016	-	1,27,192	1,27,192
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमों	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	4	4
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों	-	2,147	2,147	-	2,318	2,318	-	2,183	2,183	-	2,222	2,222
4. योजनेतर (i से ii)	-	781	781	-	578	578	-	770	770	-	761	761
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	781	781	-	578	578	-	770	770	-	761	761
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	39,033	41,670	80,702	64,050	63,045	1,27,095	51,220	78,095	1,29,315	70,453	32,072	1,02,526
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	39,033	39,801	78,833	64,050	61,734	1,25,784	51,220	76,784	1,28,004	70,453	30,762	1,01,215
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	25,540	19,262	44,802	54,272	25,208	79,480	40,272	20,258	60,530	56,823	26,108	82,931
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	18,880	-	18,880	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	22,500	-	22,500
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	14,564	14,564	-	10,208	10,208	-	10,108	10,108	-	11,108	11,108
7. अन्य	6,531	4,698	11,229	34,272	15,000	49,272	20,272	10,100	30,372	34,323	15,000	49,323
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	13,493	20,539	34,032	9,778	36,526	46,304	10,948	56,526	67,474	13,630	4,654	18,284
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	2,685	-	2,685	1,278	-	1,278	2,448	-	2,448	130	-	130
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	71	71	-	126	126	-	126	126	-	1	1
8. अन्य उद्योग और खनिज	10,747	3,346	14,094	8,500	5,500	14,000	8,500	5,500	14,000	13,500	4,500	18,000
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	60	17,121	17,181	-	30,900	30,900	-	50,900	50,900	-	153	153
2. गैर-विकासालमक प्रयोजन (क + ख)	-	1,869	1,869	-	1,311	1,311	-	1,311	1,311	-	1,311	1,311
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	1,869	1,869	-	1,311	1,311	-	1,311	1,311	-	1,311	1,311
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	1,000	1,000	-	15,600	15,600	-	1,000	1,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	3,56,634	3,56,634	-	2,53,713	2,53,713	-	2,52,676	2,52,676	-	2,62,104	2,62,104
1. राज्य भविष्य निधि	-	3,46,619	3,46,619	-	2,37,774	2,37,774	-	2,37,694	2,37,694	-	2,45,504	2,45,504
2. अन्य	-	10,015	10,015	-	15,939	15,939	-	14,982	14,982	-	16,600	16,600
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	86,839	86,839	-	3,70,497	3,70,497	-	10,00,188	10,00,188	-	5,15,652	5,15,652
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	2,897	2,897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	2,63,382	2,63,382	-	8,93,073	8,93,073	-	3,92,537	3,92,537
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	83,942	83,942	-	1,07,115	1,07,115	-	1,07,115	1,07,115	-	1,23,115	1,23,115
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	25,18,095	25,18,095	-	5,97,563	5,97,563	-	5,97,563	5,97,563	-	13,76,293	13,76,293
1. सिविल जमा	-	14,99,403	14,99,403	-	2,73,070	2,73,070	-	2,73,070	2,73,070	-	7,75,693	7,75,693
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	9,70,073	9,70,073	-	3,24,493	3,24,493	-	3,24,493	3,24,493	-	6,00,600	6,00,600
3. सिविल अग्रिम	-	36,201	36,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	12,419	12,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	5,07,81,907	5,07,81,907	-	1,83,40,832	1,83,40,832	-	1,91,21,567	1,91,21,567	-	2,03,83,131	2,03,83,131
1. उच्च	-	-1,892,982	-1,892,982	-	75,015	75,015	-	75,015	75,015	-	95,013	95,013
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	1,65,11,019	1,65,11,019	-	1,50,00,000	1,50,00,000	-	1,50,00,000	1,50,00,000	-	1,60,00,000	1,60,00,000
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	2,91,31,807	2,91,31,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	70,32,063	70,32,063	-	32,65,817	32,65,817	-	40,46,552	40,46,552	-	42,88,118	42,88,118
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	19,10,108	19,10,108	-	2,51,500	2,51,500	-	2,51,500	2,51,500	-	8,25,000	8,25,000
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,86,184			1,57,319			1,98,787			55,440
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-7,98,946			-1,45,220			-7,35,892			-2,57,451
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-6,12,762			12,098			-5,37,106			-2,02,011
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-6,12,762			12,098			-5,37,106			-2,02,011
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-14,326			12,098			-5,37,106			-2,02,011
क) अथ शेष			23,823			1,23,175			8,80,485			3,43,379
ख) इति शेष			9,497			1,35,273			3,43,379			1,41,368
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-5,98,436			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	4,39,245	1,61,58,831	1,65,98,076	5,00,878	1,90,02,833	1,95,03,711	4,32,089	1,70,72,407	1,75,04,496	5,85,907	1,70,93,045	1,76,78,953
कुल पूंजी संचितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	4,39,245	4,92,735	9,31,979	5,00,878	5,66,081	10,66,958	4,32,089	5,91,026	10,23,115	5,85,907	5,93,031	11,78,938
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	3,69,719	810	3,70,530	4,16,898	2,661	4,19,559	3,77,176	15,760	3,92,936	5,39,668	1,211	5,40,879
1. विकास (क + ख)	3,55,974	188	3,56,162	3,97,810	1,824	3,99,634	3,56,708	15,006	3,71,714	5,18,320	332	5,18,652
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	1,19,366	-9	1,19,358	1,80,837	45	1,80,882	1,28,325	56	1,28,381	1,68,368	58	1,68,426
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,882	-	5,882	12,534	3	12,537	11,320	3	11,323	29,987	-	29,987
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,361	-	15,361	27,888	1	27,889	24,236	1	24,236	28,014	-	28,014
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	82,566	-	82,566	64,509	-	64,509	51,045	-	51,045	18,120	-	18,120
5. आवास	899	-12	887	54,423	23	54,446	25,371	35	25,406	59,693	40	59,733
6. शहरी विकास	4,134	-	4,134	10,843	-	10,843	5,782	-	5,782	13,791	-	13,791
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,028	-	3,028	3,340	-	3,340	3,386	-	3,386	4,534	-	4,534
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,889	-	5,889	3,850	-	3,850	3,571	-	3,571	8,700	-	8,700
9. अन्य *	1,607	3	1,610	3,450	18	3,468	3,614	17	3,631	5,529	17	5,546
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,36,608	196	2,36,804	2,16,973	1,779	2,18,752	2,28,383	14,950	2,43,334	3,49,952	274	3,50,226
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	15,816	128	15,944	26,471	900	27,371	17,822	150	17,972	32,000	-	32,000
i) फसल उत्पादन	376	-	376	13,940	-	13,940	5,721	-	5,721	16,858	-	16,858
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	185	-	185	1,102	-	1,102	1,085	-	1,085	1,436	-	1,436
iv) डेरी विकास	47	-	47	765	-	765	615	-	615	950	-	950
v) मत्स्यपालन	1,590	-	1,590	2,965	-	2,965	3,265	-	3,265	4,265	-	4,265
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,380	-	2,380	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	4,000	-	4,000
vii) बागान	172	-	172	49	-	49	70	-	70	471	-	471
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	223	128	351	860	900	1,760	860	150	1,010	1,705	-	1,705
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	130	-	130	250	-	250	250	-	250	325	-	325
x) सहकारिता	168	-	168	3,156	-	3,156	1,389	-	1,389	175	-	175
xi) अन्य @	10,544	-	10,544	884	-	884	2,067	-	2,067	1,815	-	1,815
2. ग्रामीण विकास	85	-	85	330	-	330	352	-	352	300	-	300
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	15,699	68	15,767	19,280	-	19,280	24,230	-	24,230	15,112	-	15,112
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	105	-	105	29	-	29	90	-	90	211	-	211
5. ऊर्जा	38,277	-	38,277	76,977	-	76,977	86,618	-	86,618	1,88,958	-	1,88,958
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,09,037	-	1,09,037	27,000	-	27,000	18,150	-	18,150	4,500	-	4,500
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	10,089	-	10,089	11,340	876	12,216	10,558	14,749	25,307	18,378	200	18,578
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	2,164	-	2,164	4,785	-	4,785	3,128	-	3,128	7,682	-	7,682
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	7,926	-	7,926	6,555	876	7,431	7,430	14,749	22,179	10,696	200	10,896
i) सड़क और पुल	43,040	-	43,040	52,367	-	52,367	69,079	50	69,128	86,194	58	86,252
ii) अन्य **	33,408	-	33,408	45,307	-	45,307	61,431	50	61,480	75,683	58	75,741
8. संचार	9,632	-	9,632	7,060	-	7,060	7,648	-	7,648	10,511	-	10,511
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	4,564	1	4,565	3,208	2	3,211	1,574	2	1,576	4,509	17	4,526
i) पर्यटन	350	-	350	1,408	-	1,408	99	-	99	1,409	-	1,409
ii) अन्य @@	4,214	1	4,215	1,800	2	1,802	1,475	2	1,477	3,100	17	3,117
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	13,745	623	14,368	19,088	837	19,925	20,468	754	21,222	21,348	879	22,227
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	13,36,701	13,36,701	-	13,70,072	13,70,072	-	13,81,959	13,81,959	-	14,34,051	14,34,051
1. बाजार ऋण	-	85,480	85,480	-	94,751	94,751	-	94,751	94,751	-	1,05,582	1,05,582
2. एलआईसी से ऋण	-	416	416	-	385	385	-	380	380	-	380	380
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	220	220	-	275	275	-	225	225	-	150	150
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	3,233	3,233	-	3,560	3,560	-	2,843	2,843	-	3,078	3,078
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	9,26,391	9,26,391	-	9,00,000	9,00,000	-	9,00,000	9,00,000	-	9,00,000	9,00,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	1,36,708	1,36,708	-	1,83,816	1,83,816	-	1,83,816	1,83,816	-	2,18,522	2,18,522
8. अन्य	-	1,84,254	1,84,254	-	1,87,286	1,87,286	-	1,99,945	1,99,945	-	2,06,340	2,06,340
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	19,639	19,639	-	19,668	19,668	-	19,668	19,668	-	19,668	19,668
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	75,175	75,175	-	86,167	86,167	-	85,706	85,706	-	50,373	50,373
1. राज्य योजना स्कीमें	-	68,297	68,297	-	81,730	81,730	-	81,269	81,269	-	50,372	50,372
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	34	34	-	33	33	-	33	33	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	513	513	-	474	474	-	474	474	-	1	1
4. योजनेतर (i से ii)	-	1,565	1,565	-	1,533	1,533	-	1,533	1,533	-	-	-
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	1,565	1,565	-	1,533	1,533	-	1,533	1,533	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	4,766	4,766	-	2,397	2,397	-	2,397	2,397	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	69,525	6,439	75,964	83,980	7,180	91,160	54,912	7,602	62,514	46,240	7,395	53,635
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	69,525	6,289	75,814	83,980	6,890	90,870	54,912	7,292	62,204	46,240	7,085	53,325
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	14,948	193	15,141	9,527	145	9,672	16,814	225	17,039	10,613	265	10,878
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	5	5	-	5	5	-	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	3	3	-	10	10	-	40	40	-	40	40
7. अन्य	14,948	191	15,138	9,527	130	9,657	16,814	180	16,994	10,613	220	10,833
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	54,578	6,096	60,673	74,453	6,745	81,198	38,098	7,067	45,165	35,626	6,820	42,446
1. फसल उत्पादन	-	-150	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	432	-	432	741	20	761	450	20	470	644	20	664
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	40,626	-	40,626	57,236	200	57,436	20,162	177	20,339	14,800	210	15,010

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	34	657	691	-	675	675	-	630	630	3,043	610	3,653
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,114	4,809	6,923	2,034	4,830	6,864	2,837	5,220	8,057	3,100	4,960	8,060
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	10,372	780	11,332	14,441	1,020	15,461	14,649	1,020	15,669	14,040	1,020	15,060
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	-	150	150	-	290	290	-	310	310	-	310	310
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	150	150	-	290	290	-	310	310	-	310	310
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,07,504	1,07,504	-	1,06,600	1,06,600	-	2,11,696	2,11,696	-	2,43,250	2,43,250
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,04,848	1,04,848	-	1,04,600	1,04,600	-	2,09,696	2,09,696	-	2,41,150	2,41,150
2. अन्य	-	2,657	2,657	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,100	2,100
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	1,83,620	1,83,620	-	1,31,677	1,31,677	-	1,70,999	1,70,999	-	1,86,021	1,86,021
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,10,582	1,10,582	-	73,200	73,200	-	73,200	73,200	-	1,20,000	1,20,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	73,038	73,038	-	58,477	58,477	-	97,799	97,799	-	66,021	66,021
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	21,50,355	21,50,355	-	25,24,789	25,24,789	-	28,11,537	28,11,537	-	27,83,385	27,83,385
1. सिविल जमा	-	2,59,978	2,59,978	-	2,66,187	2,66,187	-	3,47,793	3,47,793	-	4,32,870	4,32,870
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	4,65,094	4,65,094	-	5,08,500	5,08,500	-	5,22,126	5,22,126	-	5,34,901	5,34,901
3. सिविल अग्रिम	-	27,244	27,244	-	30,102	30,102	-	27,508	27,508	-	30,008	30,008
4. अन्य	-	13,98,039	13,98,039	-	17,20,000	17,20,000	-	19,14,109	19,14,109	-	17,85,605	17,85,605
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	1,17,93,388	1,17,93,388	-	1,43,98,517	1,43,98,517	-	1,18,82,594	1,18,82,594	-	1,18,82,644	1,18,82,644
1. उचित	-	79	79	-	2,386	2,386	-	5,940	5,940	-	5,984	5,984
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	16,35,057	16,35,057	-	20,00,000	20,00,000	-	16,75,600	16,75,600	-	16,75,600	16,75,600
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	74,89,631	74,89,631	-	99,00,000	99,00,000	-	74,89,631	74,89,631	-	74,89,640	74,89,640
4. अन्य	-	26,68,622	26,68,622	-	24,96,132	24,96,132	-	27,11,423	27,11,423	-	27,11,420	27,11,420
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	5,04,791	5,04,791	-	3,75,169	3,75,169	-	5,04,555	5,04,555	-	5,04,715	5,04,715
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-14,70,892			-17,94,012			-23,05,389			-16,44,133
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			14,33,866			14,93,812			20,26,974			16,86,233
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-37,025			-3,00,199			-2,78,415			42,100
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-37,025			-3,00,199			-2,78,415			42,100
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			3,518			-199			21,585			52,100
क) अथ शेष			-25,703			-500			-22,185			-600
ख) इति शेष			-22,185			-699			-600			51,500
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-40,543			-3,00,000			-3,00,000			-10,000
iii. आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

Appendix IV: Capital Expenditure of Individual States (Contd.)

सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	1,38,81,371	27,46,03,779	28,84,85,150	1,62,90,724	14,46,07,802	16,08,98,526	1,61,03,204	21,01,00,899	22,62,04,102	1,69,50,416	18,77,67,207	20,47,17,624
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	1,38,66,971	61,67,779	2,00,34,750	1,62,76,855	55,77,099	2,18,53,954	1,60,88,934	65,69,112	2,26,58,045	1,69,34,884	67,82,741	2,37,17,625
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,29,52,597	13,10,177	1,42,62,774	1,53,51,417	6,73,286	1,60,24,703	1,51,47,705	8,93,017	1,60,40,723	1,57,69,302	9,01,036	1,66,70,338
1. विकास (क + ख)	1,25,23,408	12,10,298	1,37,33,706	1,47,54,468	5,98,138	1,53,52,606	1,45,75,622	8,01,121	1,53,76,743	1,49,83,833	6,37,309	1,56,21,142
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	28,30,507	86,290	29,16,797	32,72,746	1,45,978	34,18,724	33,78,082	1,45,872	35,23,954	35,92,561	1,34,427	37,26,988
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,56,323	3,171	4,59,494	4,34,507	3,786	4,38,293	5,19,052	4,213	5,23,266	5,66,951	2,137	5,69,087
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,64,459	-1,268	3,63,190	4,04,720	2,856	4,07,575	4,44,510	2,642	4,47,152	4,45,766	7,145	4,52,911
3. परिवार कल्याण	7,258	-	7,258	17,068	-	17,068	8,172	-	8,172	1,159	-	1,159
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	10,84,402	48,679	11,33,081	11,33,420	1,06,171	12,39,591	10,56,195	1,07,605	11,63,800	8,94,904	95,756	9,90,660
5. आवास	99,239	21,689	1,20,928	1,79,175	22,960	2,02,135	1,20,330	19,029	1,39,359	3,54,401	18,508	3,72,909
6. शहरी विकास	4,10,237	4,758	4,14,995	7,06,307	5,997	7,12,304	7,73,849	5,965	7,79,813	7,26,630	4,804	7,31,434
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,43,931	172	2,44,104	2,11,592	1,189	2,12,781	2,53,397	2,367	2,55,764	3,25,213	1,879	3,27,093
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	78,607	766	79,373	96,861	1,817	98,678	1,01,440	1,567	1,03,007	1,24,082	1,739	1,25,821
9. अन्य *	86,051	8,322	94,373	89,097	1,202	90,299	1,01,137	2,483	1,03,620	1,53,456	2,460	1,55,916
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	96,92,901	11,24,008	1,08,16,909	1,14,81,722	4,52,161	1,19,33,882	1,11,97,540	6,55,249	1,18,52,789	1,13,91,272	5,02,882	1,18,94,154
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	3,99,978	3,54,255	7,54,232	4,15,044	-883	4,14,162	4,40,042	74,666	5,14,708	4,48,926	-84,564	3,64,362
i) फसल उत्पादन	17,013	-326	16,687	55,446	693	56,139	39,754	609	40,363	80,909	677	81,586
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	78,468	2,801	81,269	45,643	3,999	49,642	89,595	4,309	93,904	58,931	2,660	61,591
iii) पशुपालन	13,529	6	13,535	18,925	-	18,925	20,800	14	20,813	20,201	24	20,224
iv) डेरी विकास	65	-	65	948	-	948	761	-	761	1,255	-	1,255
v) मत्स्यपालन	14,458	-	14,458	20,493	4,000	24,493	22,973	4,000	26,973	37,290	2,700	39,990
vi) वानिकी और वन्य जीवन	96,361	4,575	1,00,936	1,01,432	210	1,01,643	1,01,758	854	1,02,612	1,11,689	926	1,12,615
vii) बागान	734	-	734	611	-	611	632	-	632	521	-	521
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	1,336	3,47,250	3,48,586	18,774	-9,985	8,789	20,219	64,680	84,899	27,577	-91,801	-64,224
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,320	-	2,320	23,125	-	23,125	25,641	-	25,641	35,257	-	35,257
x) सहकारिता	1,64,017	-51	1,63,966	1,27,635	200	1,27,835	1,12,834	200	1,13,034	70,467	250	70,717
xi) अन्य @	11,677	-	11,677	2,012	-	2,012	5,075	-	5,075	4,831	-	4,831
2. ग्रामीण विकास	5,78,209	4,942	5,83,151	18,35,494	5,621	18,41,115	7,81,371	8,460	7,89,831	9,75,553	7,046	9,82,598
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,40,014	15,704	2,55,718	2,49,301	15,000	2,64,301	3,19,988	16,393	3,36,381	4,41,953	-	4,41,953
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	26,282	-	26,282	14,707	-	14,707	18,930	-	18,930	21,317	-	21,317
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	38,27,289	5,41,956	43,69,246	43,50,442	2,40,103	45,90,546	44,98,812	2,35,753	47,34,565	46,84,872	2,41,589	49,26,461
5. ऊर्जा	15,72,544	1,41,548	17,14,092	14,32,591	1,15,167	15,47,758	15,98,958	1,72,367	17,71,325	13,53,220	99,867	14,53,087
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,28,940	1,704	1,30,644	1,26,180	7,405	1,33,585	1,36,447	53,962	1,90,409	1,73,296	4,839	1,78,135
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	37,472	-17	37,455	46,326	28	46,354	46,718	3,152	49,870	49,983	919	50,902
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	380	-	380	5,622	-	5,622	3,622	-	3,622	1,089	-	1,089
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2,579	-	2,579	4,885	-	4,885	6,973	-	6,973	3,495	700	4,195
iv) अन्य #	88,509	1,721	90,230	69,348	7,376	76,724	79,134	50,810	1,29,944	1,18,728	3,220	1,21,948
7. परिवहन (i + ii)	27,16,022	44,354	27,60,375	28,30,513	55,379	28,85,891	31,26,973	79,256	32,06,229	30,19,287	2,22,606	32,41,892
i) सड़क और पुल	25,66,446	16,453	25,82,899	26,98,348	39,775	27,38,123	29,58,821	50,509	30,09,329	28,58,334	1,99,388	30,57,721
ii) अन्य **	1,49,576	27,900	1,77,476	1,32,164	15,604	1,47,768	1,68,153	28,747	1,96,900	1,60,953	23,218	1,84,171
8. संचार	2,472	7	2,479	4,265	40	4,305	4,265	29	4,294	11,400	-	11,400

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	5,089	—	5,089	3,976	—	3,976	3,608	—	3,608	4,967	—	4,967
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	2,22,346	19,538	2,41,883	2,33,915	14,328	2,48,244	2,87,076	14,363	3,01,439	2,77,799	11,499	2,89,298
i) पर्यटन	66,314	—	66,314	68,695	5,200	73,895	92,838	5,200	98,038	67,247	2,000	69,247
ii) अन्य @@	1,56,032	19,538	1,75,569	1,65,220	9,128	1,74,349	1,94,238	9,163	2,03,401	2,10,552	9,499	2,20,052
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	4,29,189	99,879	5,29,068	5,96,949	75,148	6,72,097	5,72,083	91,897	6,63,980	7,85,469	2,63,727	10,49,196
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	51,76,786	51,76,786	—	89,09,126	89,09,126	—	68,00,245	68,00,245	—	1,01,88,484	1,01,88,484
1. बाजार ऋण	—	14,45,100	14,45,100	—	13,52,093	13,52,093	—	16,73,320	16,73,320	—	15,71,545	15,71,545
2. एलआईसी से ऋण	—	1,25,211	1,25,211	—	1,24,158	1,24,158	—	1,39,879	1,39,879	—	1,31,136	1,31,136
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	2,27,128	2,27,128	—	4,13,761	4,13,761	—	5,21,958	5,21,958	—	5,77,214	5,77,214
4. नाबार्ड से ऋण	—	2,62,135	2,62,135	—	3,12,555	3,12,555	—	3,32,049	3,32,049	—	4,29,229	4,29,229
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	38,640	38,640	—	45,079	45,079	—	40,791	40,791	—	38,519	38,519
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	15,51,383	15,51,383	—	48,44,651	48,44,651	—	21,88,875	21,88,875	—	48,94,651	48,94,651
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	7,04,138	7,04,138	—	9,85,535	9,85,535	—	10,00,147	10,00,147	—	13,83,583	13,83,583
8. अन्य	—	8,23,050	8,23,050	—	8,31,294	8,31,294	—	9,03,226	9,03,226	—	11,62,607	11,62,607
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	—	1,99,337	1,99,337	—	1,73,144	1,73,144	—	1,83,697	1,83,697	—	1,82,227	1,82,227
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	7,76,604	7,76,604	—	7,99,293	7,99,293	—	7,92,467	7,92,467	—	8,47,610	8,47,610
1. राज्य योजना स्कीमें	—	7,08,859	7,08,859	—	7,07,429	7,07,429	—	7,45,015	7,45,015	—	7,46,704	7,46,704
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	2,315	2,315	—	4,459	4,459	—	4,766	4,766	—	6,818	6,818
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	12,665	12,665	—	13,382	13,382	—	13,555	13,555	—	22,304	22,304
4. योजनेतर (i से ii)	—	35,840	35,840	—	15,745	15,745	—	16,534	16,534	—	22,677	22,677
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	35,840	35,840	—	15,745	15,745	—	16,534	16,534	—	22,677	22,677
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	36,000	36,000	—	1,000	1,000	—	36,000	36,000
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	311	311	—	1,573	1,573	—	1,541	1,541	—	1,585	1,585
7. अन्य	—	16,615	16,615	—	20,705	20,705	—	10,057	10,057	—	11,523	11,523
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	9,14,374	6,82,722	15,97,096	9,25,438	4,53,806	13,79,244	9,41,228	7,94,215	17,35,443	11,65,582	3,17,476	14,83,058
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	9,13,797	6,15,879	15,29,676	9,25,328	3,85,228	13,10,556	9,41,168	7,42,949	16,84,117	11,65,512	2,65,155	14,30,667
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	5,17,231	1,22,208	6,39,439	4,57,013	1,26,853	5,83,866	4,14,689	1,62,388	5,77,077	5,36,223	1,68,407	7,04,630
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	630	760	1,390	815	665	1,480	300	930	1,230	270	415	685
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,616	11	14,627	6,656	—	6,656	9,665	50	9,715	11,820	—	11,820
3. परिवार कल्याण	95	—	95	49	—	49	49	—	49	80	—	80
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	79,403	5,543	84,947	1,80,625	5,215	1,85,840	1,63,091	5,215	1,68,306	2,02,595	7,148	2,09,744
5. आवास	2,94,452	37,544	3,31,995	54,212	6,587	60,800	52,712	29,046	81,758	1,10,435	4,783	1,15,218
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	1,422	57,418	58,841	1,656	76,294	77,950	1,556	76,129	77,685	1,490	84,936	86,426
7. अन्य	1,26,614	20,931	1,47,545	2,12,999	38,092	2,51,091	1,87,316	51,019	2,38,335	2,09,533	71,125	2,80,658
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10)	3,96,566	4,93,671	8,90,237	4,68,315	2,58,375	7,26,690	5,26,480	5,80,560	11,07,040	6,29,289	96,749	7,26,037
1. फसल उत्पादन	14,506	4,273	18,778	4,910	1,343	6,253	5,998	3,040	9,038	3,149	441	3,590
2. मृदा एवं जल संरक्षण	624	—	624	—	—	—	—	—	—	5	—	5
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	37,416	1,15,000	1,52,416	38,000	90,000	1,28,000	83,031	1,15,000	1,98,031	82,715	—	82,715
4. सहकारिता	34,301	40,083	74,384	23,410	11,821	35,231	54,242	28,012	82,255	22,463	10,292	32,755
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	58	—	58	385	—	385	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	2,00,336	2,12,746	4,13,082	3,11,888	65,940	3,77,828	2,77,897	3,24,149	6,02,046	3,90,430	23,210	4,13,640

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	9,541	829	10,369	6,347	2,265	8,612	10,783	2,262	13,045	9,332	1,011	10,343
8. अन्य उद्योग और खनिज	29,226	42,265	71,491	15,013	32,393	47,406	16,597	13,661	30,259	40,900	38,237	79,137
9. ग्रामीण विकास	423	-	423	8,113	-	8,113	1,613	-	1,613	7,899	250	8,149
10. अन्य	70,136	78,476	1,48,793	60,249	54,613	1,14,862	76,319	94,435	1,70,754	72,396	23,308	95,704
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	576	66,843	67,419	110	68,578	68,688	60	51,266	51,326	70	52,320	52,390
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	536	36,253	36,789	70	45,994	46,064	20	43,496	43,516	10	44,097	44,107
ख) विविध	40	30,591	30,631	40	22,584	22,624	40	7,770	7,810	60	8,223	8,283
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	220	220	-	15	15	-	15	15	-	2	2
VI. आकस्मिकता कोष	-	96,842	96,842	-	1,31,582	1,31,582	-	1,22,366	1,22,366	-	1,02,600	1,02,600
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	35,11,854	35,11,854	-	37,22,361	37,22,361	-	37,94,677	37,94,677	-	42,39,178	42,39,178
1. राज्य भविष्य निधि	-	24,08,382	24,08,382	-	23,85,354	23,85,354	-	24,33,443	24,33,443	-	27,36,808	27,36,808
2. अन्य	-	11,03,471	11,03,471	-	13,37,007	13,37,007	-	13,61,234	13,61,234	-	15,02,370	15,02,370
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	19,37,035	19,37,035	-	21,98,328	21,98,328	-	24,91,137	24,91,137	-	20,72,064	20,72,064
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	9,764	9,764	-	18,180	18,180	-	19,935	19,935	-	20,281	20,281
2. ऋणशोधन निधियां	-	6,16,359	6,16,359	-	7,97,002	7,97,002	-	12,80,363	12,80,363	-	9,65,554	9,65,554
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	29	29	-	29	29	-	29	29
4. अन्य	-	13,10,912	13,10,912	-	13,83,117	13,83,117	-	11,90,810	11,90,810	-	10,86,201	10,86,201
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	14,400	2,68,67,768	2,68,82,168	13,870	2,22,00,781	2,22,14,650	14,270	2,33,99,280	2,34,13,550	15,532	2,53,79,495	2,53,95,027
1. सिविल जमा	-	93,41,276	93,41,276	-	58,31,940	58,31,940	-	68,33,751	68,33,751	-	75,29,788	75,29,788
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	14,400	1,20,25,942	1,20,40,342	13,870	1,16,82,995	1,16,96,864	-	1,15,36,726	1,15,36,726	-	1,24,21,672	1,24,21,672
3. सिविल अग्रिम	-	4,51,036	4,51,036	-	3,06,230	3,06,230	-	2,85,519	2,85,519	-	3,34,664	3,34,664
4. अन्य	-	50,49,514	50,49,514	-	43,79,616	43,79,616	14,270	47,43,284	47,57,553	15,532	50,93,371	51,08,904
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	21,94,41,940	21,94,41,940	-	9,70,81,597	9,70,81,597	-	16,19,55,244	16,19,55,244	-	13,31,79,162	13,31,79,162
1. उचित	-	-645,366	-645,366	-	15,94,417	15,94,417	-	8,91,414	8,91,414	-	8,94,323	8,94,323
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	14,66,60,482	14,66,60,482	-	5,24,75,211	5,24,75,211	-	11,13,18,069	11,13,18,069	-	8,16,62,109	8,16,62,109
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	4,21,77,254	4,21,77,254	-	2,54,22,617	2,54,22,617	-	2,37,23,336	2,37,23,336	-	2,41,60,265	2,41,60,265
4. अन्य	-	3,12,49,570	3,12,49,570	-	1,75,89,352	1,75,89,352	-	2,60,22,425	2,60,22,425	-	2,64,62,464	2,64,62,464
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	1,06,500	1,06,500	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,46,95,331	1,46,95,331	-	84,37,627	84,37,627	-	90,38,235	90,38,235	-	1,05,40,100	1,05,40,100
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			12,67,217			-32,29,537			-46,66,312			-24,36,998
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-3,71,342			6,47,473			10,77,436			5,68,339
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			8,95,875			-25,82,065			-35,88,877			-18,68,658
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			8,95,874			-25,82,065			-35,88,876			-18,68,660
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-15,80,200			-15,49,945			-19,44,573			-11,63,851
क) अथ शेष			-11,57,218			-11,74,653			4,95,210			-11,37,024
ख) इति शेष			-27,37,418			-27,24,598			-14,49,363			-23,00,875
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			24,45,826			-8,75,119			-16,25,452			-7,07,409
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			30,248			-1,57,000			-18,851			2,600

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	5,69,120	2,90,755	8,59,875	5,77,562	3,56,407	9,33,969	6,55,247	4,73,263	11,28,510	6,41,155	4,70,900	11,12,055
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	5,69,120	2,90,755	8,59,875	5,77,562	3,56,407	9,33,969	6,55,247	4,73,263	11,28,510	6,41,155	4,70,900	11,12,055
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	3,99,221	319	3,99,540	4,36,012	370	4,36,382	4,87,975	380	4,88,355	4,84,390	400	4,84,790
1. विकास (क + ख)	3,65,873	319	3,66,192	3,98,417	370	3,98,787	4,48,675	380	4,49,055	4,54,750	400	4,55,150
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	68,132	-	68,132	66,111	-	66,111	72,029	-	72,029	57,045	-	57,045
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	37,359	-	37,359	40,260	-	40,260	48,670	-	48,670	32,575	-	32,575
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,406	-	17,406	14,145	-	14,145	16,350	-	16,350	14,610	-	14,610
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	2,728	-	2,728	3,010	-	3,010	1,510	-	1,510	3,000	-	3,000
6. शहरी विकास	6,447	-	6,447	3,601	-	3,601	360	-	360	1,550	-	1,550
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,952	-	2,952	2,550	-	2,550	2,405	-	2,405	2,500	-	2,500
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	976	-	976	2,000	-	2,000	2,039	-	2,039	1,570	-	1,570
9. अन्य *	264	-	264	545	-	545	695	-	695	1,240	-	1,240
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,97,741	319	2,98,061	3,32,306	370	3,32,676	3,76,646	380	3,77,026	3,97,705	400	3,98,105
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	726	-5	721	545	10	555	850	10	860	1,100	10	1,110
i) फसल उत्पादन	58	-	58	45	-	45	15	-	15	30	-	30
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	68	-	68	90	-	90	35	-	35	70	-	70
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	1	-	1	-	10	10	-	10	10	-	10	10
vi) वानिकी और वन्य जीवन	599	-	599	400	-	400	800	-	800	1,000	-	1,000
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	-	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) अन्य @	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	18,599	-	18,599	16,100	-	16,100	16,100	-	16,100	16,120	-	16,120
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,368	324	4,693	3,640	360	4,000	5,949	370	6,319	3,700	390	4,090
5. ऊर्जा	46,749	-	46,749	45,050	-	45,050	1,000	-	1,000	9,380	-	9,380
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-32	-	-32	200	-	200	200	-	200	675	-	675
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-32	-	-32	200	-	200	200	-	200	675	-	675
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	2,26,991	-	2,26,991	2,66,521	-	2,66,521	3,52,302	-	3,52,302	3,66,300	-	3,66,300
i) सड़क और पुल	1,11,779	-	1,11,779	1,47,090	-	1,47,090	1,95,000	-	1,95,000	1,63,000	-	1,63,000
ii) अन्य **	1,15,212	-	1,15,212	1,19,431	-	1,19,431	1,57,302	-	1,57,302	2,03,300	-	2,03,300
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	100	-	100	100	-	100	300	-	300
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	339	-	339	150	-	150	145	-	145	130	-	130
i) पर्यटन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य @@	339	-	339	150	-	150	145	-	145	130	-	130
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	33,348	-	33,348	37,595	-	37,595	39,300	-	39,300	29,640	-	29,640
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	38,603	38,603	-	73,522	73,522	-	69,950	69,950	-	80,000	80,000
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	38,603	38,603	-	73,522	73,522	-	69,950	69,950	-	80,000	80,000
8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. राज्य योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	1,69,899	2,51,832	4,21,732	1,41,550	2,82,515	4,24,065	1,67,272	4,02,933	5,70,205	1,56,765	3,90,500	5,47,265
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	1,69,899	1,55,780	3,25,679	1,41,550	1,79,915	3,21,465	1,67,272	1,98,128	3,65,400	1,56,765	1,91,394	3,48,159
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	1,42,486	-	1,42,486	1,38,750	70	1,38,820	1,60,572	-	1,60,572	1,49,635	99	1,49,734
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	5,500	-	5,500
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,23,130	-	1,23,130	1,18,500	-	1,18,500	1,43,335	-	1,43,335	1,28,435	-	1,28,435
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	26	-	26	-	70	70	37	-	37	-	99	99
7. अन्य	17,830	-	17,830	18,750	-	18,750	15,700	-	15,700	15,700	-	15,700
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	27,413	1,55,780	1,83,193	2,800	1,79,845	1,82,645	6,700	1,98,128	2,04,828	7,130	1,91,295	1,98,425
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	9,375	-	9,375	1,000	-	1,000	-	-	-	1,500	-	1,500

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	1	-	1	100	-	100	76	-	76	130	-	130
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	100	-	100	5,124	-	5,124	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	2,437	-	2,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	15,600	1,55,780	1,71,380	1,600	1,79,845	1,81,445	1,500	1,98,128	1,99,628	5,500	1,91,295	1,96,795
2. गैर-विकासीय प्रयोजन (क + ख)	-	96,052	96,052	-	1,02,600	1,02,600	-	2,04,805	2,04,805	-	1,99,106	1,99,106
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	112	112	-	130	130	-	138	138	-	106	106
ख) विविध	-	95,940	95,940	-	1,02,470	1,02,470	-	2,04,667	2,04,667	-	1,99,000	1,99,000
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. राज्य भविष्य निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. सिविल जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			4,58,965			5,39,599			6,72,145			6,89,051
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-7,37,101			-9,02,130			-9,36,909			-9,80,628
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-2,78,136			-3,62,531			-2,64,764			-2,91,577
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-2,78,136			-3,62,531			-2,64,764			-2,91,577
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-2,78,136			-3,62,531			-2,64,764			-2,91,577
क) अथ शेष			8,55,649			3,93,519			5,77,513			3,12,749
ख) इति शेष			5,77,513			30,988			3,12,749			21,172
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-			-			-			-
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जार?)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	25,411	53,226	78,637	78,009	6,31,951	7,09,960	42,688	6,36,524	6,79,212	75,616	6,93,365	7,68,981
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	25,411	13,202	38,613	78,009	13,410	91,419	42,688	13,330	56,018	75,616	15,075	90,691
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	25,369	717	26,086	75,708	-	75,708	42,687	-	42,687	75,616	-	75,616
1. विकास (क + ख)	22,043	717	22,760	67,317	-	67,317	38,263	-	38,263	70,462	-	70,462
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	7,593	-	7,593	22,520	-	22,520	8,323	-	8,323	29,760	-	29,760
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,187	-	2,187	12,083	-	12,083	2,675	-	2,675	12,645	-	12,645
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,750	-	1,750	522	-	522	35	-	35	646	-	646
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,892	-	2,892	7,026	-	7,026	4,449	-	4,449	10,051	-	10,051
5. आवास	290	-	290	474	-	474	487	-	487	531	-	531
6. शहरी विकास	-	-	-	1,796	-	1,796	-	-	-	5,000	-	5,000
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	392	-	392	458	-	458	452	-	452	421	-	421
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	42	-	42	44	-	44	143	-	143	347	-	347
9. अन्य *	40	-	40	117	-	117	82	-	82	119	-	119
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	14,450	717	15,167	44,797	-	44,797	29,940	-	29,940	40,702	-	40,702
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	753	-	753	1,105	-	1,105	1,404	-	1,404	547	-	547
i) फसल उत्पादन	14	-	14	42	-	42	341	-	341	22	-	22
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	1	-	1	54	-	54	54	-	54	-	-	-
v) मत्स्यपालन	467	-	467	746	-	746	746	-	746	202	-	202
vi) वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	265	-	265	238	-	238	238	-	238	298	-	298
xi) अन्य @	6	-	6	25	-	25	25	-	25	25	-	25
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,872	-	1,872	7,664	-	7,664	8,709	-	8,709	6,056	-	6,056
5. ऊर्जा	3,673	717	4,390	14,051	-	14,051	5,179	-	5,179	12,035	-	12,035
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,611	-	4,611	6,580	-	6,580	6,885	-	6,885	6,380	-	6,380
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	412	-	412	680	-	680	680	-	680	670	-	670
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	4,199	-	4,199	5,900	-	5,900	6,205	-	6,205	5,710	-	5,710
7. परिवहन (i + ii)	2,331	-	2,331	13,106	-	13,106	5,905	-	5,905	14,505	-	14,505
i) सड़क और पुल	1,940	-	1,940	12,700	-	12,700	5,433	-	5,433	13,505	-	13,505
ii) अन्य **	391	-	391	406	-	406	472	-	472	1,000	-	1,000
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,210	-	1,210	2,291	-	2,291	1,858	-	1,858	1,179	-	1,179
i) पर्यटन	1,210	-	1,210	2,291	-	2,291	1,858	-	1,858	1,179	-	1,179
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	3,326	-	3,326	8,391	-	8,391	4,424	-	4,424	5,154	-	5,154
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	1,226	1,226	-	1,918	1,918	-	1,918	1,918	-	2,977	2,977
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. एलआइसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	1,226	1,226	-	1,918	1,918	-	1,918	1,918	-	2,977	2,977
8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	11,014	11,014	-	11,196	11,196	-	11,196	11,196	-	11,793	11,793
1. राज्य योजना स्कीमें	-	5,139	5,139	-	5,234	5,234	-	5,234	5,234	-	5,468	5,468
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	9	9
4. योजनेतर (i से ii)	-	5,867	5,867	-	5,954	5,954	-	5,954	5,954	-	6,316	6,316
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	5,867	5,867	-	5,954	5,954	-	5,954	5,954	-	6,316	6,316
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	43	245	287	2,301	296	2,597	1	216	217	-	305	305
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	43	9	52	2,301	15	2,316	1	-	1	-	15	15
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	9	9	800	15	815	-	-	-	-	15	15
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	9	9	-	15	15	-	-	-	-	15	15
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	43	-	43	1,501	-	1,501	1	-	1	-	-	-
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (समाप्त)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (संशोधित अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	8	—	8	1,501	—	1,501	1	—	1	—	—	—
8. अन्य उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	35	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	—	236	236	—	281	281	—	216	216	—	290	290
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	—	236	236	—	281	281	—	216	216	—	290	290
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	12,919	12,919	—	13,190	13,190	—	16,720	16,720	—	18,242	18,242
1. राज्य भविष्य निधि	—	12,738	12,738	—	13,000	13,000	—	16,500	16,500	—	18,000	18,000
2. अन्य	—	181	181	—	190	190	—	220	220	—	242	242
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	4,521	4,521	—	7,300	7,300	—	8,415	8,415	—	9,182	9,182
1. सिविल जमा	—	4,446	4,446	—	5,000	5,000	—	5,415	5,415	—	5,900	5,900
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	—	—	—	—	—	—	—	720	720	—	792	792
3. सिविल अग्रिम	—	76	76	—	100	100	—	80	80	—	90	90
4. अन्य	—	—	—	—	2,200	2,200	—	2,200	2,200	—	2,400	2,400
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	22,584	22,584	—	5,98,051	5,98,051	—	5,98,059	5,98,059	—	6,50,866	6,50,866
1. उचित	—	417	417	—	470	470	—	500	500	—	550	550
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	—	—	—	—	3,20,000	3,20,000	—	3,20,000	3,20,000	—	3,50,000	3,50,000
4. अन्य	—	22,167	22,167	—	2,77,581	2,77,581	—	2,77,559	2,77,559	—	3,00,316	3,00,316
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	—	—	-11,198	—	—	-12,707	—	—	-41,212	—	—	-25,710
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	—	—	27,333	—	—	32,307	—	—	73,284	—	—	71,912
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	—	—	16,135	—	—	19,599	—	—	32,073	—	—	46,202
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	—	—	16,135	—	—	19,599	—	—	32,073	—	—	46,202
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	—	—	16,135	—	—	-401	—	—	12,073	—	—	26,202
क) अथ शेष	—	—	17,726	—	—	75,239	—	—	89,424	—	—	1,09,996
ख) इति शेष	—	—	33,861	—	—	74,838	—	—	1,01,497	—	—	1,36,198
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	—	—	—	—	—	20,000	—	—	20,000	—	—	20,000
iii. आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

— : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं।

\$: मद I से IV का जोड़, जबकि मद II (3) और II (6) निकाली गई हैं, मद II (3) को पूंजीगतप्राप्ति के तहत निवल आधार पर लिया गया है, जबकि मद II (6) को कुल अधिशेष/घाटा के लिए वित्तपोषण मद के रूप में लिया गया है।

* : सूचना और प्रचार, अन्य सामाजिक सेवाओं आदि पर परिव्यय शामिल है।

@ : अन्य कृषि कार्यक्रम आदि पर परिव्यय शामिल है।

: सीमेंट और गैर धातु उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, परमाणु ऊर्जा उद्योग, अन्य उद्योग और खनिजों, आदि पर परिव्यय शामिल है।

** : भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों, भारतीय रेलवे सामरिक लाइनों, बंदरगाहों और प्रकाश घरों, नौवहन, नागर विमानन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, अन्य परिवहन, आदि पर परिव्यय शामिल है।

@@ : विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं, सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश, आदि पर परिव्यय शामिल है।

परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्टों के लिए टिप्पणियां

परिशिष्ट I के लिए टिप्पणियां :

1. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है। बिन्नी कर इसका अपवाद है, जहां सुसंगत राशि 'राज्य बिन्नी कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शायी गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में, जहां 'राज्य योजना स्कीम', 'केंद्रीय योजना स्कीम', 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' तथा 'गैर योजना अनुदान' के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'राज्य योजना स्कीम' के सामने दर्शायी गई है। इसी तरह, जहां 'केंद्रीय योजना स्कीम' तथा 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के लिए अनुदानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के सामने दर्शायी गई है।
3. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट II के लिए टिप्पणियां :

1. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
2. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. कुछ व्यय शीर्षों के तहत कुछ राज्यों के लिए योजनेतर व्यय के लिए ऋणात्मक आंकड़े दिखाई दे सकते हैं जिसका कारण यह है कि योजनेतर व्यय संबंधित शीर्ष के लिए कुल व्यय में से योजना व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जैसाकि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया होता है।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट III के लिए टिप्पणियां :

1. 'लोक लेखा' के तहत दिए गए आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर होते हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को 'आंतरिक ऋण' के तहत शामिल किया जाता है जबकि 'नकदी शेष निवेश लेखा' और 'रिज़र्व बैंक के पास जमा राशियां' को 'उचंत और विविध' के तहत शामिल किया गया है। लोक लेखा को निवल आधार पर लेते हुए कुल पूंजीगत प्राप्तियां भी दर्शायी गयी हैं, ताकि पिछले साल के संदर्भ में तुलनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।
2. 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमाराशि और अग्रिम', 'उचंत और विविध' तथा 'विप्रेषण' नामक उप समूह 'लोक लेखा' से संबंधित हैं।
3. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
4. 'केंद्र से ऋण और अग्रिम' के मामले में, जहां 'राज्य योजना स्कीम', 'केंद्रीय योजना स्कीम' तथा 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'राज्य योजना स्कीम' के सामने दर्शायी गई है। इसी तरह, जहां 'केंद्रीय योजना स्कीम' और 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के लिए ऋणों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के सामने दर्शायी गयी है।
5. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
6. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट IV के लिए टिप्पणियां :

1. 'लोक लेखा' और 'आकस्मिकता निधि' के तहत आनेवाले आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। लोक लेखा को छोड़कर कुल पूंजीगत व्यय भी दिया गया है ताकि पिछले साल के संदर्भ में तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें।
2. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
3. 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. व्यय संबंधी कुछ शीर्षों के तहत कुछ राज्यों के लिए योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े हो सकते हैं, जिसका कारण यह है कि योजनेतर व्यय संबंधित शीर्ष के लिए कुल व्यय में से योजना व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जैसाकि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया होता है।
5. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के लिए मुद्रित तथा प्रकाशित एवं अल्को कॉर्पोरेशन, ए-2/72,
शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । संपादक : महुआ रॉय